इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Government of India undertaking)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with

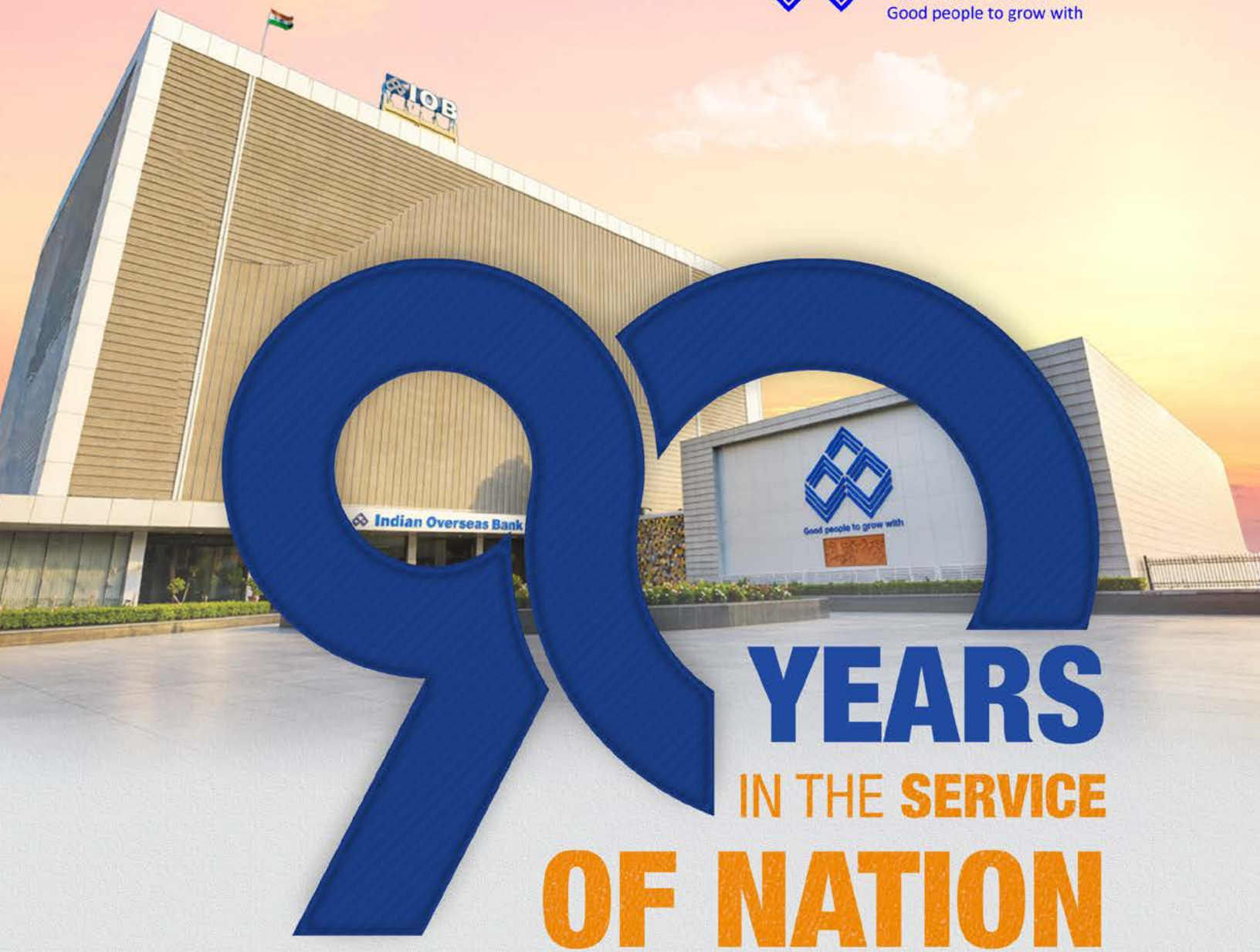

90 YEARS IN THE SERVICE OF NATION

एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट

Integrated Annual Report

2025-26

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with

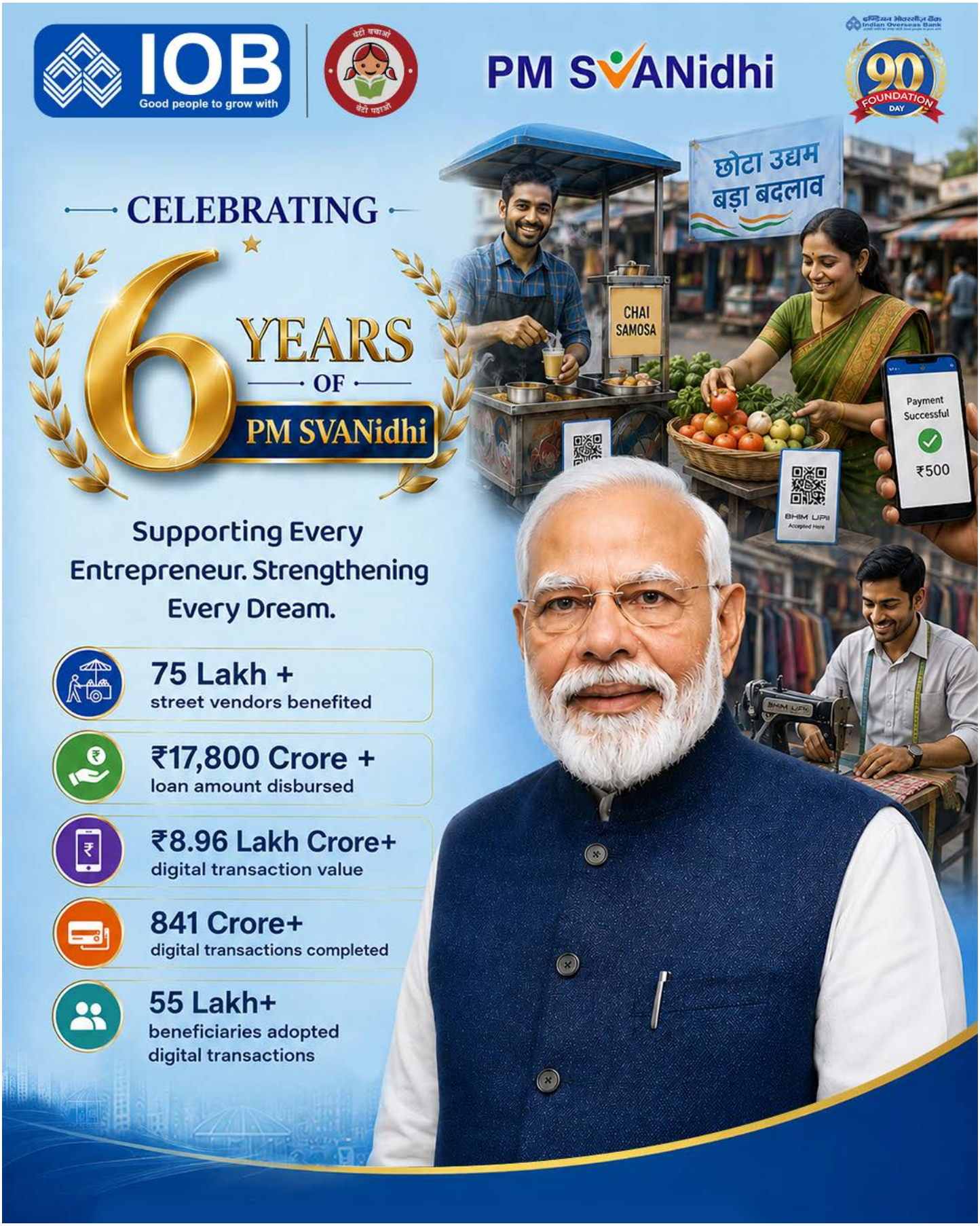
IOB
Good people to grow with
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
PM SVANidhi
Indian Overseas Bank
90 FOUNDATION DAY
छोटा उद्यम बड़ा बदलाव
CELEBRATING
6 YEARS OF PM SVANidhi
CHAI SAMOSA
Payment Successful
₹500
BHIM UPI Accepted Here
Supporting Every Entrepreneur. Strengthening Every Dream.
75 Lakh +
street vendors benefited
₹17,800 Crore +
loan amount disbursed
₹8.96 Lakh Crore+
digital transaction value
841 Crore+
digital transactions completed
55 Lakh+
beneficiaries adopted digital transactions

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु श्री अमित शाह, माननीय गृह व सहकारिता मंत्री, भारत सरकार से बैंक को प्रदत्त प्रतिष्ठित "राजभाषा कीर्ति - प्रथम पुरस्कार" प्राप्त करते हुए हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव

Our Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Ajay Kumar Srivastava receiving the prestigious "Rajbhasha Kirti - First Prize" conferred to the Bank for the Financial Year 2024-25 from Shri Amit Shah, Hon'ble Minister of Home Affairs & Cooperation, Govt. of India.

हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने नई दिल्ली में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की

Our Managing Director and Chief Executive Officer, Shri. Ajay Kumar Srivastava met Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman at New Delhi

हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ग्राहक शिकायत निवारण में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) के सचिव श्री एम. नागराजू से पुरस्कार प्राप्त करते हुए। साथ ही, उपस्थित हैं-नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अमिताभ कांत

Our Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Ajay Kumar Srivastava, receiving the award for 'Best Performance in Customer Grievance Redressal among Public Sector Banks', from Shri M. Nagaraju, Secretary, Department of Financial Services (DFS). Shri Amitabh Kant, Former CEO of NITI Aayog is also seen.

बैंक के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे प्रिय संस्थापक श्री एम.सीटी.एम. चिदंबरम के परिजनों के साथ माल्यर्पणोपरांत शीर्ष प्रबंधकगण

Garlanding the Founder's Statue on the eve of Bank's 90th Foundation Day celebrations by the Top Management along with the family members of our beloved Founder Shri.M.Ct.M.Chidambaram Chettiar

पुरस्कार | AWARDS

हमारे बैंक को उसके नवीन प्रोजेक्ट "अनुपालन एपेक्सियन" के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड एसकेओसीएच पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

Our Bank was honoured with the prestigious Gold SKOCH Award for its innovative project, "COMPLIANCE APEXION".

हमारे बैंक को आइबीए के सीआइएसओ बैठक एवं सम्मान 2025 में साइबर सुरक्षा में उत्कृष्टता के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए

Our bank received multiple recognitions at IBA CISO Summit & Citations 2025 for excellence in Cyber Security

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, हमारे बैंक को एपीवाई के अंर्तगत वार्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया

Our Bank received APY Annual Award of Excellence Achiever for FY 2025-26

हमारे बैंक को आइबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कारों में चार प्रतिष्ठित प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए

Our Bank received four prestigious citations at the IBA Banking Technology Awards

पुरस्कार | AWARDS

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में 2024-25 के लिए, हमारे बैंक को आईसीएआई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए "सिल्वर" श्रेणी के तहत पुरस्कार प्रदान किया गया

ICAI Award for Excellence in Financial Reporting 2024–25 presented to our Bank as Silver Awardee in the "Public Sector Banks category"

हमारे बैंक को वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए वर्ष 2025 का उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन संबंधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया

Our Bank has been awarded as the Best Performer of the year 2025 for Effective Redressal of Public Grievances among Public Sector Banks by the Department of Financial Services (DFS).

पुरस्कार | AWARDS

हमारे बैंक को उद्यम-व्यापी जोखिम गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करने के प्रयासों के लिए प्लेटिनम श्रेणी में प्रतिष्ठित एसकेओसीएच पुरस्कार से सम्मानित किया गया

Our Bank was conferred the prestigious SKOCH Award in the Platinum Category for its effort in strengthening enterprise-wide risk governance and risk management practices

बैंक को उद्यम जोखिम प्रबंधन के लिए आइएसओ 31000:2018 के तहत प्रमाणित किया गया है, जो मजबूत जोखिम शासन, संरचित जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और जोखिम निगरानी तंत्र में निरंतर सुधार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है

Bank has been certified under ISO 31000:2018 for Enterprise Risk Management, reflecting its commitment towards robust risk governance, structured risk management practices, and continuous improvement in risk oversight mechanisms

खेल | SPORTS

ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट के विजेता

Winner All India Volleyball Tournament

ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट के विजेता टीम व ट्रॉफी के साथ हमारे शीर्ष प्रबंधन

Our Top Management with the winning team and the trophy of the All India Volleyball Tournament.

ऑल इंडिया बास्केटबॉल टूर्नामेंट के विजेता टीम व ट्रॉफी के साथ हमारे शीर्ष प्रबंधन

Our Top Management with the winning team and the trophy of the All India Basketball Tournament.

ऑल इंडिया बास्केटबॉल टूर्नामेंट के विजेता

Winner All India Basketball Tournament

सीएसआर | CSR

10 फरवरी 2026 को बैंक के 90वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित सीएसआर गतिविधियाँ

CSR activities organized on the eve of our Bank's 90th Foundation Day celebrations on 10th February 2026

निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS

श्री श्रीनिवासन श्रीधर
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष व
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

Shri Srinivasan Sridhar
Non-Executive Chairman &
Part-Time Non-Official Director

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Shri Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & CEO

श्री जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

Shri Joydeep Dutta Roy
Executive Director

श्री धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

Shri Dhanaraj T
Executive Director

सुश्री नीलम अग्रवाल
सरकारी नामिती निदेशक

Ms. Neelam Agrawal
Government Nominee Director

श्री थॉमस मैथ्यू
आरबीआई नामित निदेशक

Shri Thomas Mathew
RBI Nominee Director

श्री जी वेंकटारमणन
शेयरधारक निदेशक

Shri G Venkataramanan
Shareholder Director

श्री सुरेश कुमार रुंगटा
अंशकालीक गैर-सरकारी निदेशक

Shri Suresh Kumar Rungta
Part-Time Non-Official Director

श्री बी. चंद्रा रेड्डी
अंशकालीक गैर-सरकारी निदेशक

Shri B. Chandra Reddy
Part-Time Non-Official Director

श्री दीपक शर्मा
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

Shri Deepak Sharma
Part-Time Non-Official Director

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/लेखाकार/पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट
Key Managerial Personnel/ Auditors/ Registrar & Share Transfer Agent

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा)	Key Managerial Personnel (Other than Whole-Time Directors)
श्री माधव चन्द्र झा उप महा प्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी	**Shri Madhaw Chandra Jha** Deputy General Manager & Chief Financial Officer
श्री रघुराम मल्लेला उप महा प्रबंधक व कंपनी सचिव	**Shri Raghuram Mallela** Deputy General Manager & Company Secretary

लेखाकार	Auditors
मेसर्स आर देवेंद्र कुमार व एसोसिएट्स मुंबई	**M/s R Devendra Kumar & Associates** Mumbai
मेसर्स तेज राज व पाल भुवनेश्वर	**M/s Tej Raj & Pal** Bhubaneswar
मेसर्स लक्ष्मी तृप्ति व एसोसिएट्स मुंबई	**M/s Laxmi Tripti & Associates** Mumbai
मेसर्स संजीव ओमप्रकाश गर्ग व कंपनी भोपाल	**M/s Sanjeev Omprakash Garg & Co** Bhopal

सचिवीय लेखाकार	Secretarial Auditor
मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन व एसोसिएट्स **कंपनी सचिव** चेन्नै	**M/s Srinidhi Sridharan & Associates** **Company Secretaries** Chennai

पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट	Registrar & Share Transfer Agent
कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेस लि. **(यूनिट- आइओबी)** सुब्रमणियन बिल्डिंग, V तल, नं. 1 – क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002 टेलीफोन : 044-4002 0700 ऑनलाइन निवेशक पोर्टल: https://wisdom.cameoindia.com Website: www.cameoindia.com	**M/s Cameo Corporate Services Ltd** **(Unit-IOB)** Subramanian Building V Floor, No.1, Club House Road, Chennai-600 002 Tel: 044-4002 0700 Online Investor Portal: https://wisdom.cameoindia.com Website: www.cameoindia.com

IOB
Good people to grow with

3.05+ MILLION

STRONG DIGITAL COMMUNITY

3.05+ Million Voices. One Trusted Bank.

Serving Customers, Connecting Communities,
Building **Trust** Every Day.

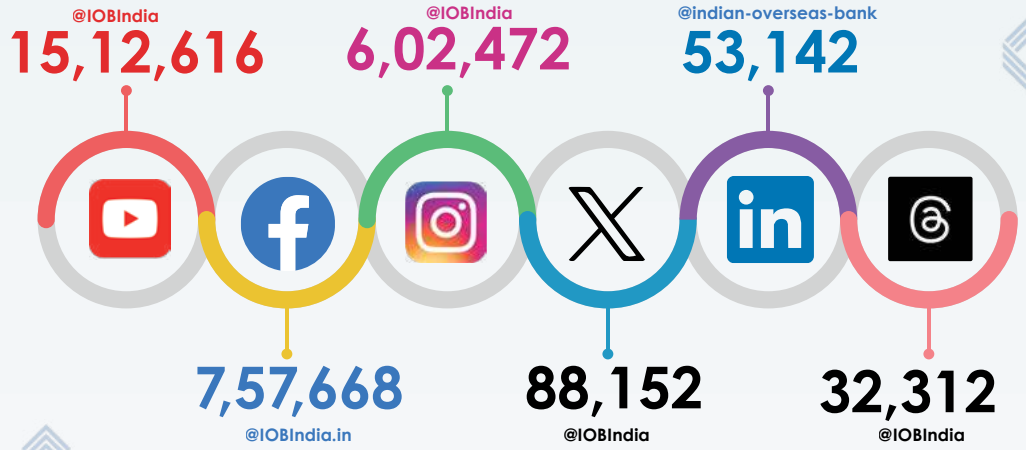

SCAN TO FOLLOW US

www.iob.bank.in @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445 +91 96777 11234

विषय-सूची

01 कार्य-निष्पादन व नेतृत्वकर्ता

वित्तीय कार्य-निष्पादन पर एक नजर	16
अध्यक्ष की कलम से	24
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी की कलम से	26

02 एकीकृत रिपोर्टिंग

रिपोर्ट के बारे में	31
कॉरपोरेट अवलोकन	33
मूल्य सृजन मॉडल	38
हितधारक सहभागिता	40
बाह्य परिवेश	48
वित्तीय पूँजी	54
विनिर्मित पूँजी	57
बौद्धिक पूँजी	60
मानव संसाधन पूँजी	64
सामाजिक व संबंध पूँजी	68
प्राकृतिक पूँजी	71

03 गवर्नेंस और सांविधिक रिपोर्ट

शेयरधारकों को सूचना	76
निदेशकों की रिपोर्ट	96
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	101
कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	150
सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट	187
निदेशकों की गैर -अयोग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र	191

04 वित्तीय विवरणी

वार्षिक लेखा-स्टैण्डअलोन	193
अनुसूचियाँ- स्टैण्डअलोन	197
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट – स्टैण्डअलोन	272
वार्षिक लेखा – समेकित	282
अनुसूचियाँ- समेकित	286
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट – समेकित	317

05 प्रकटीकरण व सततता

बेसल III प्रकटीकरण	325
व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट	326
लाभांश वितरण नीति	326
हरित पहल – शेयरधारकों से अपील	326

CONTENTS

01 PERFORMANCE & LEADERSHIP

Financial Performance at a Glance	16
Chairman's Message	328
Managing Director & Chief Executive Officer's Message	330

02 INTEGRATED REPORTING

About the Report	334
Corporate Overview	336
Value Creation Model	342
External Environment	344
Stakeholder Engagement	351
Financial Capital	360
Manufactured Capital	363
Intellectual Capital	366
Human Capital	370
Social & Relationship Capital	374
Natural Capital	377

03 GOVERNANCE & STATUTORY REPORTS

Notice to Shareholders	380
Directors' Report	401
Management Discussion & Analysis	406
Corporate Governance Report	447
Secretarial Audit Report	481
Certificate on Non-Disqualification of Directors	485

04 FINANCIAL STATEMENTS

Annual Accounts- Standalone	486
Schedules- Standalone	490
Independent Auditor's Report- Standalone	557
Annual Accounts- Consolidated	567
Schedules- Consolidated	571
Independent Auditor's Report- Consolidated	599

05 DISCLOSURES & SUSTAINABILITY

Basel III Disclosures	607
Business Responsibility and Sustainability Report	608
Dividend Distribution Policy	608
Green Initiatives-Appeal to Shareholders	608

एक नज़र में
AT A GLANCE

(रु. करोड़ में)/(₹ in Crore)

	मार्च-22 Mar-22	मार्च-23 Mar-23	मार्च-24 Mar-24	मार्च-25 Mar-25	मार्च-26 Mar-26
कुल कारोबार/Total Business	4,17,960	4,49,892	5,04,923	5,61,958	6,78,614
वैश्विक जमाएँ/Global Deposits	2,62,159	2,60,883	2,85,905	3,11,939	3,68,191
देशीय जमाएँ/Domestic Deposits	2,56,890	2,54,324	2,78,968	3,02,760	3,59,032
देशीय सकल अग्रिम/Domestic Gross Advances	1,43,202	1,73,669	2,00,697	2,33,501	2,94,405
वैश्विक निवल अग्रिम/Global Net advances	1,44,244	1,78,053	2,13,319	2,45,555	3,06,622
प्राथमिक क्षेत्र उधार/Priority Sector Advances	79,570	91,803	89,008	94,139	1,25,944
कृषि ऋण/Agricultural Credit	40,358	44,487	39,858	48,932	67,242
निवल निवेश (वैश्विक)/Net Investments(Global)	98,179	94,170	99,632	1,11,045	1,19,810
ब्याज आय/Interest Income	16,730	19,401	24,050	28,131	31,896
गैर-ब्याज आय/Non-Interest income	4,903	4,108	5,656	5,545	5,636
परिचालनगत लागत/Operating Expenses	5,451	6,422	8,722	7,747	8,184
सकल लाभ/Gross Profit	5,763	5,942	6,764	8,688	10,026
निवल लाभ/निवल हानि/Net Profit/Net Loss	1,709	2,099	2,656	3,335	5,208
इक्विटी शेयर पूँजी/Equity Share Capital	18,902	18,902	18,902	19,256	19,256
सकल एनपीए(%)/Gross NPA(%)	9.82	7.44	3.10	2.14	1.42
निवल एनपीए(%)/Net NPA(%)	2.65	1.83	0.57	0.37	0.21
पूँजी पर्याप्तता अनुपात(%)/Capital Adequacy Ratio(%)	13.83	16.10	17.28	19.04	19.78

जहाँ कहीं भी अपेक्षित है पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है।
Previous year's figures are regrouped wherever necessary

हॉरिजेंटल व वर्टिकल विश्लेषण
Horizontal and Vertical Analysis

(रु. करोड़ में)/(₹ in Crore)

	मार्च-22 Mar-22	मार्च-23 Mar-23	मार्च-24 Mar-24	मार्च-25 Mar-25	मार्च-26 Mar-26
देयताएँ/Liabilities					
पूँजी/Capital	18,902	18,902	18,902	19,257	19,257
आरक्षितियाँ और अधिशेष/Reserves and Surplus	4,098	6,361	9,040	13,284	18,259
जमाएँ/Deposits	2,62,159	2,60,883	2,85,905	3,11,204	3,68,191
उधार/Borrowings	3,071	20,804	30,387	42,228	51,602
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान/Other Liabilities & Provisions	11,147	6,784	7,799	9,044	16,011
कुल/Total	**2,99,377**	**3,13,734**	**3,52,034**	**3,95,017**	**4,73,320**
आस्तियाँ/Assets					
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और अतिशेष/ Cash & Balances with Reserve Bank of India	16,706	17,148	16,905	18,116	16,606
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर/ Balances with Banks & Money at call and Short Notice	20,067	3,459	1,650	2,955	8,617
निवेश/Investments	98,179	94,170	99,632	1,11,045	1,19,810
अग्रिम/Advances	1,44,244	1,78,053	2,13,319	2,45,555	3,06,622
अचल आस्तियां/Fixed Assets	3,365	3,710	3,740	4,655	5,074
अन्य आस्तियां/Other Assets	16,816	17,194	16,789	12,692	16,591
कुल/Total	**2,99,377**	**3,13,734**	**3,52,034**	**3,95,017**	**4,73,320**
निवल ब्याज आय/Net Interest Income	6,311	8,256	9,829	10,890	12,574
परिचालनात्मक लाभ/Operating Profit	5,763	5,942	6,764	8,688	10,026
निवल लाभ/Net Profit	1,710	2,099	2,656	3,335	5,208

(रु. करोड़ में)/(₹ in Crore)

	मार्च-22 Mar-22	मार्च-23 Mar-23	मार्च-24 Mar-24	मार्च-25 Mar-25	मार्च-26 Mar-26
आस्तियों पर प्रतिलाभ/Return on Assets	0.59	0.70	0.81	0.92	1.23
इक्विटी पर प्रतिलाभ/Return on Equity	17.89	15.60	16.24	16.28	20.42
प्रति शेयर बही मूल्य/Book Value Per Share	6.54	7.75	9.56	12.11	14.60
प्रति शेयर आय/Earning Per Share	0.92	1.15	1.40	1.76	2.70
प्रति कर्मचारी निवल लाभ/Net Profit Per Employee	0.08	0.10	0.12	0.16	0.25
प्रावधान कवरेज अनुपात/Provision Coverage Ratio	91.66	92.63	96.85	97.30	97.50
अग्रिमों पर लाभ/Yield on Advances	7.40	7.80	8.80	8.82	8.84
निवेशों पर लाभ/Yield on Investments	5.90	5.80	6.39	6.83	6.66
निवल ब्याज मार्जिन/Net Interest Margin	2.40	2.90	3.28	3.25	3.21
पूँजी पर्याप्तता अनुपात/Capital Adequacy Ratio					
टीयर I पूँजी / Tier I Capital	12,428	16,736	20,840	27,897	33,524
टीयर I पूँजी (%)/Tier I Capital (%)	10.71	12.88	14.47	16.44	16.94
टीयर II पूँजी/Tier II Capital	3622	4189	4,035	4,409	5,619
टीयर II पूँजी(%)/Tier II Capital (%)	3.12	3.22	2.80	2.60	2.84
कुल पूँजी निधि/Total Capital Fund	16,050	20,925	24,875	32,306	39,144
सीआरएआर (%)/CRAR (%)	13.83	16.10	17.28	19.04	19.78
ग्राहक संपर्क बिन्दु/Customer Touch Points					
बैंक की शाखाएँ/Number of Bank Branches	3,214	3,220	3,236	3,339	3,498
एटीएम/सीआर/ATM/CR	3,355	3,477	3,506	3,497	3,651
कारोबार प्रतिनिधि/Business Correspondents	2,659	3,190	6,379	10,135	12,187

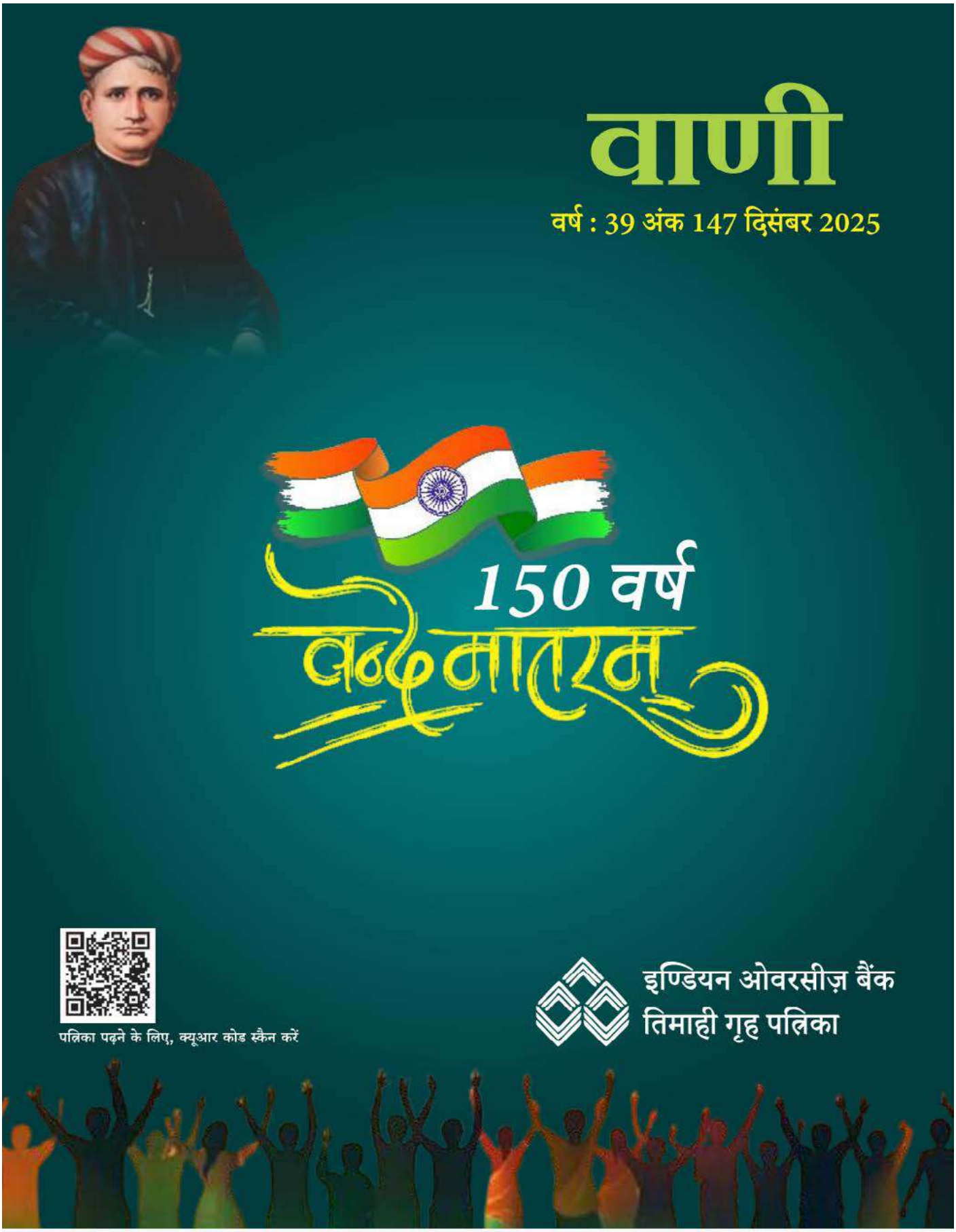
वाणी
वर्ष : 39 अंक 147 दिसंबर 2025
150 वर्ष
वन्दे मातरम्
पत्रिका पढ़ने के लिए, क्यूआर कोड स्कैन करें
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
तिमाही गृह पत्रिका

मुख्य प्रदर्शन रिपोर्ट
Key Performance Report

Total Business

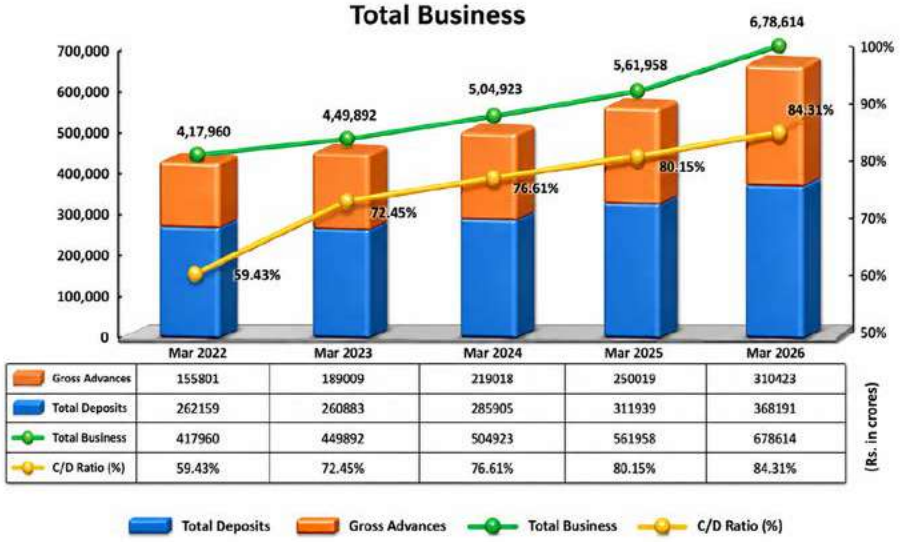

	Mar 2022	Mar 2023	Mar 2024	Mar 2025	Mar 2026
Gross Advances	155801	189009	219018	250019	310423
Total Deposits	262159	260883	285905	311939	368191
Total Business	417960	449892	504923	561958	678614
C/D Ratio (%)	59.43%	72.45%	76.61%	80.15%	84.31%

(Rs. in crores)

Total Deposits Gross Advances Total Business C/D Ratio (%)

CASA Deposit

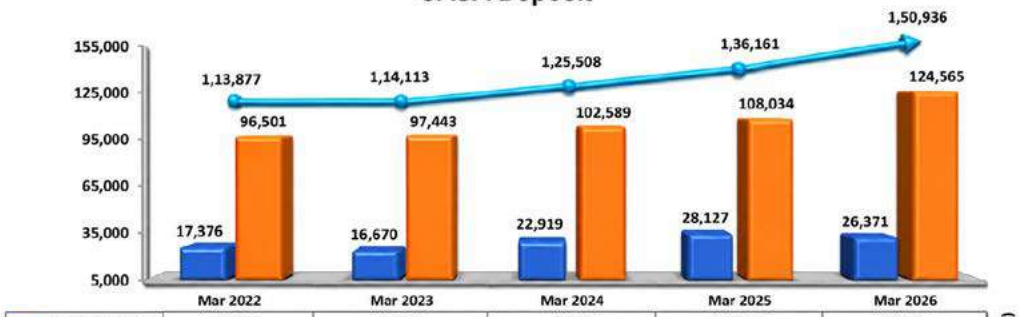

	Mar 2022	Mar 2023	Mar 2024	Mar 2025	Mar 2026
Current Deposits	17376	16670	22919	28127	26371
Savings Deposits	96501	97443	102589	108034	124565
CASA	113877	114113	125508	136161	150936

(Rs. in crores)

Current Deposits Savings Deposits CASA

Retail Term Deposits

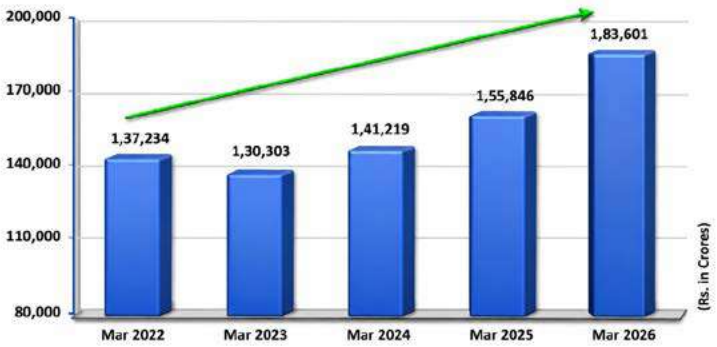

Retail Term Deposits

अग्रिम पोर्टफोलियो
Advances Portfolio

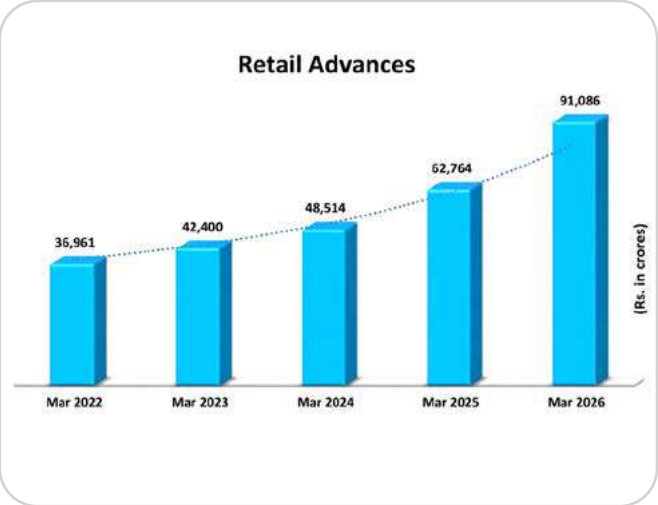

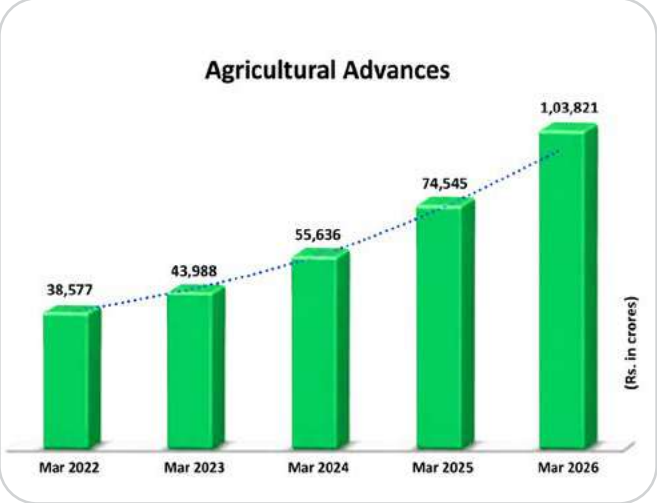

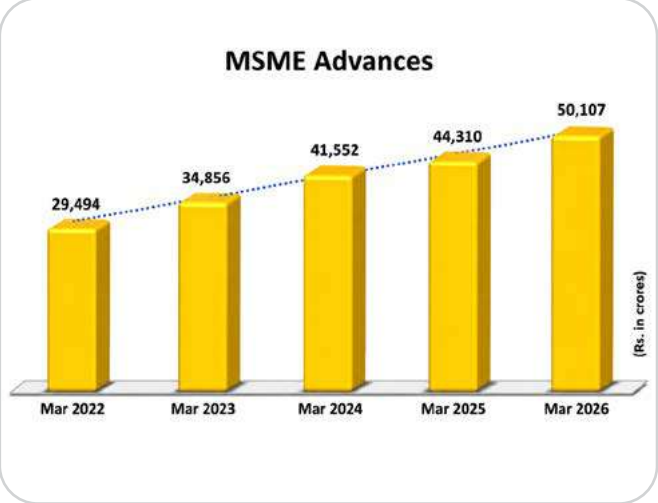

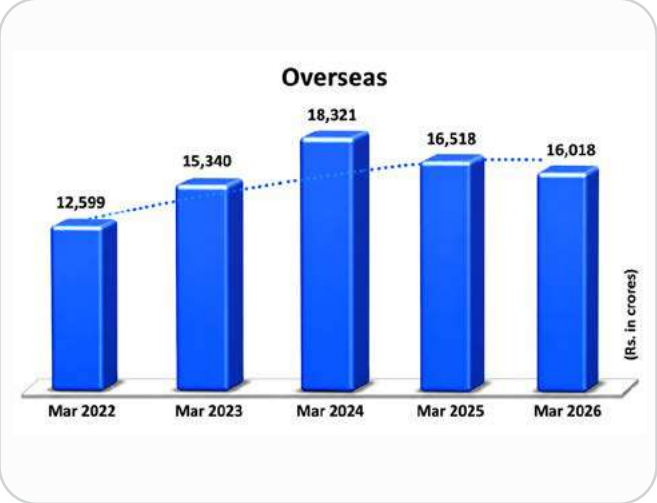

खुदरा ऋण पोर्टफोलियो
Retail Loans Portfolio

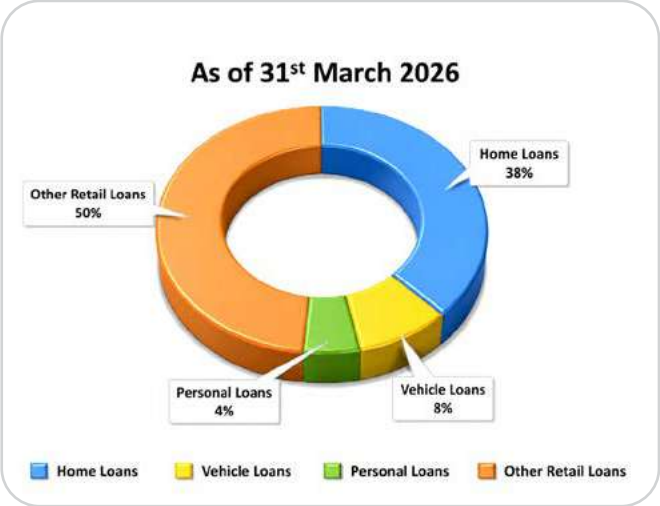

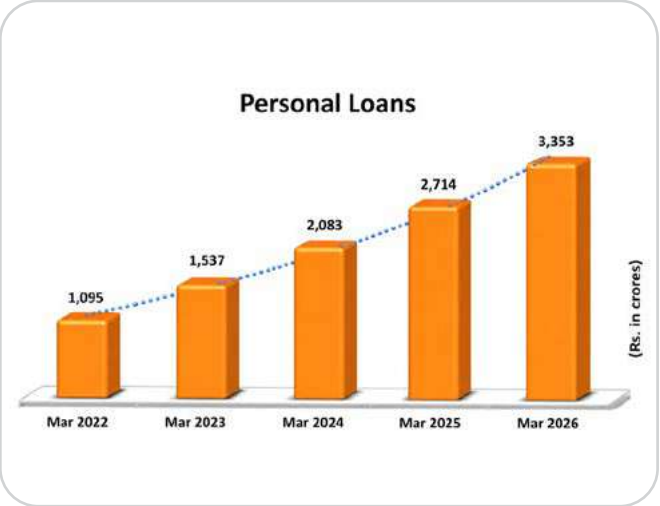

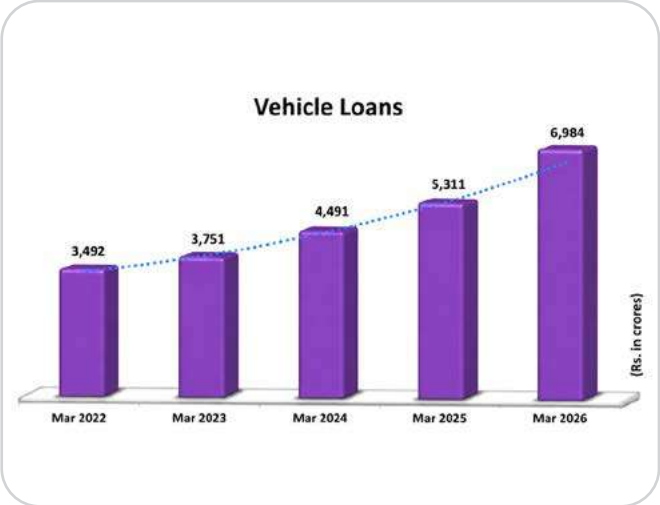

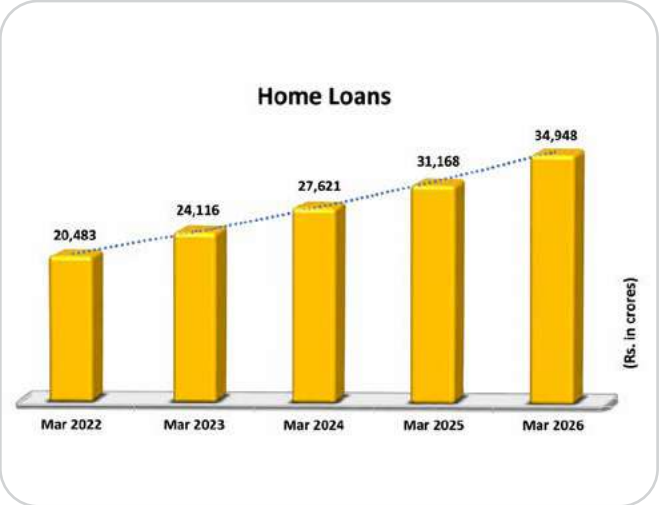

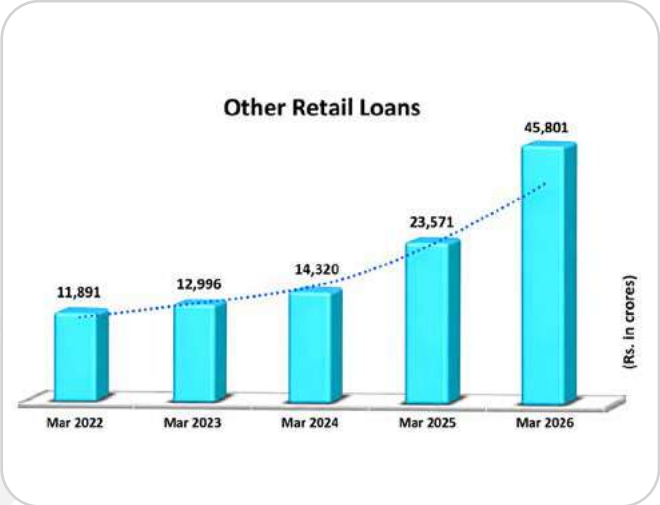

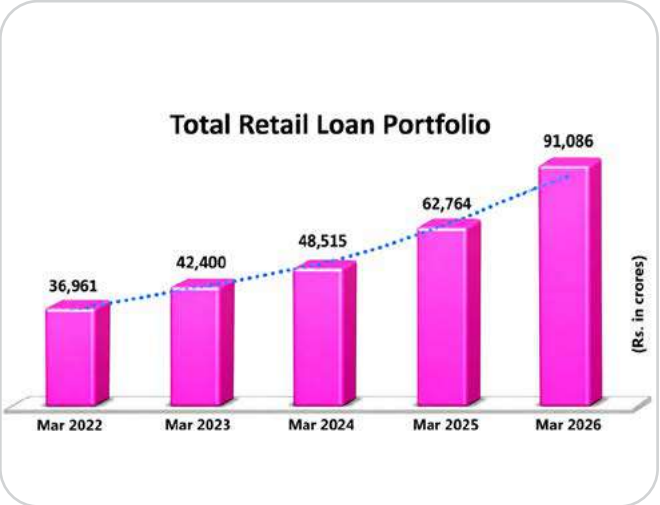

परिसंपत्ति गुणवक्ता और लाभप्रदता
Asset Quality & Profitability

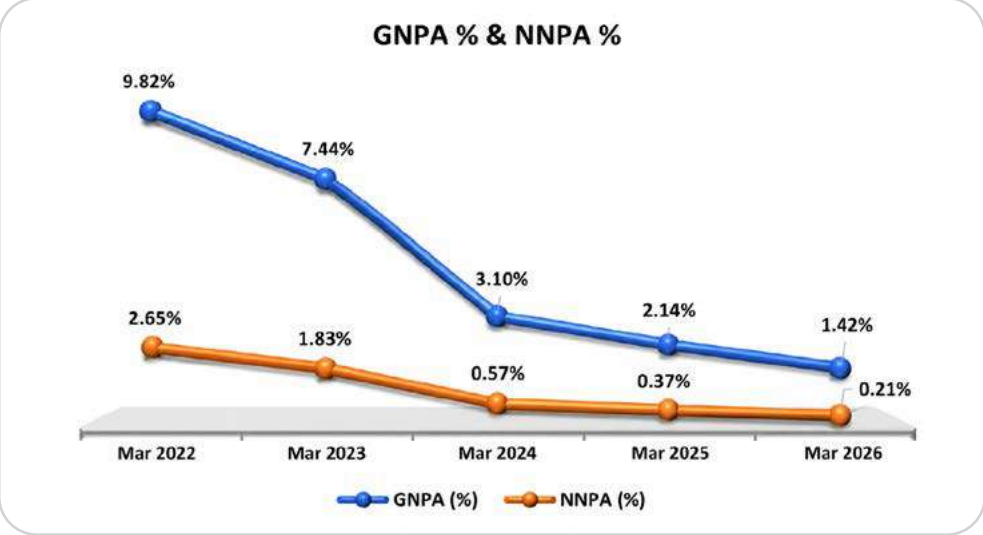

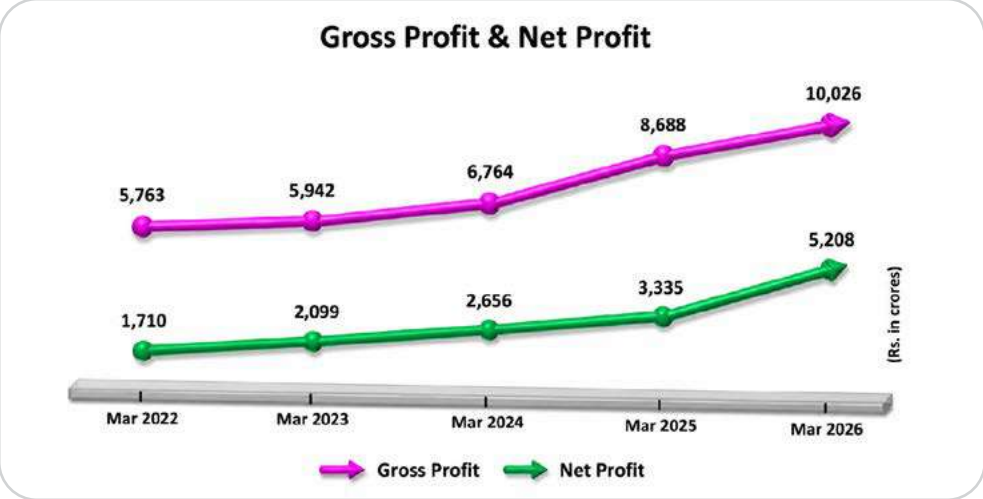

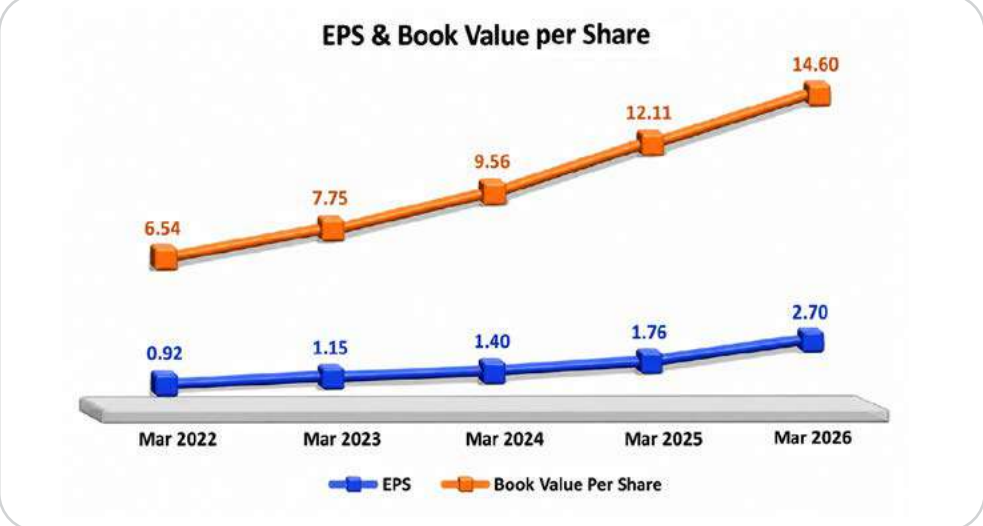

अध्यक्ष की कलम से

प्रिय हितधारको,

बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में, मैं इसे एक सौभाग्य और जिम्मेदारी दोनों मानता हूं कि मैं ऐसे समय में आप सभी को संबोधित कर रहा हूं जब वैश्विक स्तर पर बैंकिंग क्षेत्र महत्वपूर्ण परिवर्तन और जटिलता के दौर से गुजर रहा है ।

बीते वर्ष ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वित्तीय संस्थानों के लिए परिचालन वातावरण तेजी से गतिशील होता जा रहा है । विश्व भर में अर्थव्यवस्थाएं भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव, बदलती मौद्रिक स्थितियों, तकनीकी व्यवधान और वित्तीय बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता से जूझ रही हैं ।

साथ ही, बैंकिंग क्षेत्र स्वयं भी गहन परिवर्तन से गुजर रहा है । डिजिटल तकनीक को तेजी से अपनाना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा-आधारित वित्तीय सेवाओं का उदय, ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाएं, साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं और विकसित होते नियामक मानक बैंकों के संचालन और प्रतिस्पर्धा के तरीके को नया आकार दे रहे हैं ।

ऐसे वातावरण में, अल्पकालिक परिणामों की तुलना में दीर्घकालिक संस्थागत आघात-सहनीयता कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है ।

इस पृष्ठभूमि में, भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय आघात-सहनीयता और स्थिरता प्रदर्शित करना जारी रखा है । मजबूत देशीय मांग, अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश, अर्थव्यवस्था का निरंतर औपचारिककरण, विस्तारित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक प्रबंधन के बल पर भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है ।

हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में निरंतर मजबूती आई है । पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, गवर्नेंस ढांचे और परिचालन क्षमताओं में सुधार ने इस क्षेत्र को पिछले दौरों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत स्थिति में में लाया है । विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं । आज उनकी भूमिका पारंपरिक बैंकिंग से कहीं अधिक व्यापक है; वे वित्तीय समावेशन, ऋण मध्यस्थता, आर्थिक विकास और वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण संस्थान बने हुए हैं ।

इस व्यापक आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति जारी रखी । वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार, परिसंपत्ति गुणवत्ता में मजबूती, परिचालन क्षमता में वृद्धि और ग्राहक सेवा पर निरंतर केंद्रित कई वर्षों से किए जा रहे सतत प्रयासों का परिणाम है ।

इस गति को बनाए रखने के लिए, बैंक ने प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्षमताओं और प्रक्रिया सुधार में निवेश करना जारी रखा है, जिसका उद्देश्य तेजी से प्रतिस्पर्धी बैंकिंग वातावरण में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना, दक्षता को मजबूत करना और जवाबदेही बढ़ाना है ।

साथ ही, यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि सतत बैंकिंग केवल विकास पर आधारित नहीं हो सकती । बोर्ड के रूप में, हमारा जोर इस बात पर बल देना रहा है कि विकास विवेकसम्मत बना रहे, गवर्नेंस मानक मजबूत रहें और जोखिम प्रबंधन ढाँचे सुदृढ़ और भविष्योन्मुखी हों ।

हमने निगरानी तंत्र, अनुपालन संस्कृति और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है । आज के परिवेश में, गवर्नेंस केवल एक नियामक आवश्यकता नहीं है; यह विश्वास, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक संस्थागत मजबूती बनाए रखने के लिए केंद्रीय महत्व रखता है ।

आधुनिक बैंकिंग में जोखिम प्रबंधन को पारंपरिक ऋण जोखिमों से आगे बढ़कर व्यापक बनाना होगा । परिचालन क्षमता, साइबर सुरक्षा तत्परता, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, आचरण मानक और डेटा संरक्षण संस्थागत स्थिरता के समान रूप से महत्वपूर्ण आयाम बन गए हैं । बोर्ड और प्रबंधन इन उभरती चुनौतियों से अवगत हैं और इन क्षेत्रों में बैंक की तत्परता और क्षमता को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं ।

एक सशक्त संस्था का निर्माण अंततः केवल वित्तीय कार्य-निष्पादन से ही नहीं, बल्कि संस्कृति, ईमानदारी और उद्देश्य की निरंतरता से भी होता है ।

भविष्य पर चर्चा करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मध्यम अवधि का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, लेकिन बाह्य वातावरण अनिश्चित और तेजी से बदलता रहने की संभावना है । बैंकों को विकास की आकांक्षाओं और विवेक, नवाचार और सुरक्षा, तथा प्रतिस्पर्धा और जिम्मेदारी परक आचरण के बीच संतुलन बनाए रखना होगा ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के लिए आगे बढ़ने का रास्ता कुछ अटल सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए: हमें ग्राहकों का विश्वास निरंतर बनाए रखना होगा, अपने गवर्नेंस को लगातार मजबूत करना होगा, परिचालन क्षमता को बढ़ाना होगा, तकनीकी बदलावों के प्रति जिम्मेदारी से ढलना होगा और अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक, स्थायी मूल्य सृजित करना होगा ।

बोर्ड के रूप में, हम इस यात्रा में बैंक का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।

अपने संबोधन के समापन से पहले, मैं भारत सरकार, विशेष रूप से वित्त मंत्रालय के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ ।

हमारा बोर्ड भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य नियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन, निगरानी और नियामक प्रबंधन को भी अत्यंत महत्व देता है, जिनकी भूमिका वित्तीय प्रणाली की स्थिरता, अखंडता और सुदृढ़ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण बनी हुई है ।

मैं देश और विदेश में स्थित बैंक की सभी शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों के प्रयासों और समर्पण को विशेष रूप से सराहना करता हूँ । उनकी निष्ठा और अनुकूलनशीलता बैंक की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।

मैं अपने शेयरधारकों, जमाकर्ताओं, सम्मानित ग्राहकों और अन्य सभी हितधारकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बैंक पर अपना विश्वास और भरोसा बनाए रखा है ।

हमारे हितधारकों के निरंतर समर्थन, हमारे नियामकों के मार्गदर्शन और प्रबंधन टीम के नेतृत्व के साथ, मुझे विश्वास है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक दीर्घकालिक मूल्य सृजन और राष्ट्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध एक स्थिर, जिम्मेदार और दूरदर्शी संस्था के रूप में खुद को मजबूत करना जारी रखेगा ।

सधन्यवाद,

श्रीनिवासन श्रीधर
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी की कलम से

प्रिय हितधारको,

मुझे आपके बैंक की वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणी पेश करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है । सबसे पहले, मैं इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पर निरंतर भरोसा, विश्वास और अटूट समर्थन के लिए अपने सभी हितधारकों, ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों, नियामकों और कारोबार साझेदारों को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ । आपके बैंक ने, अपनी 90 सालों की शानदार विरासत के साथ, **वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी अब तक की सबसे अच्छे कार्य-निष्पादन करते हुए, ज़्यादा मजबूती, जीवटता और निरंतरता के साथ बदलाव के सफर को जारी रखा है ।**

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने भू-राजनैतिक तनाव, वैश्विक आपूर्ति चेन में रुकावट, माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं और बड़ी अर्थव्यस्था में बदलती मौद्रिक नीति कार्रवाई से पैदा हुई बड़ी चुनौतियों का सामना किया । वित्तीय वर्ष के आखिरी समय में पश्चिम एशिया संघर्ष के बढ़ने से वैश्विक ग्रोथ, महंगाई, एनर्जी मार्केट और वित्तीय हालात में और अनिश्चितता बढ़ गई । इन बाहरी मुश्किलों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने शानदार आघात-सहनीयता दिखाना जारी रखा, जिससे मजबूत देशीय खपत, लगातार अवसंरचना निवेश, संरचनात्मक सुधार और स्वस्थ मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स का सपोर्ट मिला । इस मुश्किल वैश्विक पृष्ठभूमि के बावजूद, **आपके बैंक ने बहुत बढ़िया आघात-सहनीयता, रणनीतिक निष्पादन और परिचालनात्मक उत्कृष्टता दिखाया, जिससे सभी मुख्य वित्तीय और कारोबार पैरामीटर्स में काफी सुधार हुआ।**

मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आपके बैंक ने चारों तिमाहियों में मजबूत लाभप्रदता प्रदान करके अपने लाभ के निरंतरता को जारी रखा, **प्रत्येक तिमाही में निवल लाभ ₹ 1,000 करोड़ से अधिक रहा । बैंक ने ₹ 5,208 करोड़ का अपना अब तक का सबसे अधिक वार्षिक निवल लाभ दर्ज़ किया, जो पिछले वर्ष के** ₹ 3,335 करोड़ के मुकाबले **56.16% की** प्रभावशाली वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करता है । विशेष रूप से, बैंक ने तिमाही लाभ में क्रमिक वृद्धि **तिमाही1 में ₹ 1,111 करोड़ से तिमाही4 में ₹ 1,505 करोड़** तक पहुंचाई, जो स्थिरता, और आय की गति में सुधार को दर्शाती है । यह उल्लेखनीय कार्य-निष्पादन हमारे कारोबार मॉडल की मजबूती, अनुशासित निष्पादन, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन और प्रत्येक आइओबीयन की अटूट

प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की महत्वपूर्ण तथ्य

मजबूत कारोबार विकास

मुझे यह उल्लेख करते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है, जिसमें **कुल कारोबार पिछले वर्ष के** ₹ 5,61,957 करोड़ से 31 मार्च, 2026 तक **₹ 1,16,657 करोड़ बढ़कर ₹ 6,78,614 करोड़ हो गया, जो वर्ष-दर-वर्ष 20.76% की** मजबूत वृद्धि दर्ज करता है ।

सकल अग्रिम में **₹ 60,404 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें 24.16%** की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई और यह **₹ 3,10,423 करोड़ हो गई । खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) क्षेत्रों** पर बैंक के रणनीतिक फोकस ने उत्कृष्ट परिणाम देना जारी रखा, आरएएम अग्रिम **34.91%** बढ़कर ₹ **2,45,014 करोड़ हो गया**, जो **कुल अग्रिम का 78.93%** है ।

देयता पक्ष पर, आपके बैंक ने अपनी विविध और कम लागत वाली जमा अधिकृत विक्रेता को मजबूत करना जारी रखा । **बचत बैंक जमा में 15.30%** की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष के दौरान ₹ **16,530 करोड़ बढ़कर ₹ 1,24,565 करोड़** हो गई । **कासा जमा 10.85% बढ़कर ₹ 1,50,936 करोड़ हो गया**, जबकि **खुदरा सावधि जमा में 17.81% की मजबूत ग्रोथ** दर्ज की गई और यह **₹ 1,83,601 करोड़** हो गया ।

बैंक ने **41.46% का मज़बूत देशीय कासा अनुपात बनाए रखा,** जबकि ज़्यादा कीमत वाले बल्क जमा **कुल जमा के 6% से कम रहे** । महत्वपूर्ण बात यह है कि **कासा और खुदरा सावधि जमा ने मिलकर कुल जमा में 94% का योगदान दिया,** जो बैंक की खुदरा जमा फ्रैंचाइज़ की मज़बूती, विविधता और स्थिरता को दर्शाता है।

लाभप्रदता अच्छे स्थिति में

आपके बैंक ने एक और वर्ष अच्छा लाभ और परिचालनात्मक उत्कृष्टता को जारी रखा है ।

- निवल ब्याज आय (एनआइआइ) **15.46%** बढ़कर **₹ 12,574 करोड़** हो गई
- परिचालनात्मक आय **10.80% बढ़कर ₹ 18,210 करोड़** हो गई
- परिचालनात्मक आय ₹ 10,000 करोड़ के मील के पत्थर को पार कर लिया है और **15.40% बढ़कर ₹ 10,026 करोड़** हो गया
- आस्ति पर आय (आरओए) **0.92% से बढ़कर 1.23% हो गया**
- इक्विटी पर आय (आरओई) **16.28% से बढ़कर 20.42% हो गया**
- लागत से आय अनुपात **47.14% से सुधरकर 44.94% हो गया**

नीति दर में बदलाव से मार्जिन पर दबाव के बावजूद, आपके बैंक ने 3.21% के वैश्विक एनआइएम के साथ अच्छा लाभ बनाए रखा, जो समझदारी भरे आस्ति-देयता प्रबंधन और असरदार प्राइसिंग रणनीति को दर्शाता है ।

आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार

आपके बैंक ने आस्ति गुणवत्ता को मज़बूत करने और सबसे अच्छा कार्य-निष्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी जगह और मज़बूत करने का शानदार सफ़र जारी रखा है । **सकल एनपीए** में काफ़ी सुधार हुआ और यह **2.14% से 1.42% हो गया,** जबकि **निवल एनपीए 0.37%** से और घटकर 0.21% हो गया, जो हमारे समझदारी भरे हामीदारी अंकन मानक, मज़बूत निगरानी फ्रेमवर्क और केंद्रित वसूली कोशिशों की लगातार सफलता को दर्शाता है ।

बैंक का **प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)** और बेहतर होकर **97.50%** हो गया, जबकि **क्रेडिट लागत 0.30%** कम रही, जो हमारी तुलन-पत्र की मज़बूती और जीवटता को दर्शाता है ।

मुझे यह उल्लेख करते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान **नए स्लिपेज** पिछले वर्ष के ₹ 3,568 करोड़ से **66% कम होकर ₹1,211 करोड़ हो गए, और स्लिपेज अनुपात भी 1.68%** से बढ़कर 0.49% हो गया, जो इंडस्ट्री में सबसे कम है । वर्ष के दौरान, बैंक ने कुल **₹ 3,576 करोड़** की रिकवरी की, जो नए स्लिपेज से लगभग 2.95 गुना ज़्यादा थी, जिससे हमारी वसूली, संकल्प और जोखिम प्रबंधन पद्धति सिस्टम के असर की पुष्टि होती है ।

भरपूर पूँजी पर्याप्तता

बैंक की पूँजी स्थिति मज़बूत बनी हुई है और नियामक ज़रूरतों से काफ़ी ऊपर है ।

बेसल III पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) सुधरकर **19.78%** हो गया, जिसमें **16.94%** का सीईटी-1 अनुपात भी शामिल है, जो भविष्य में ग्रोथ की उम्मीदों को समर्थन करने के लिए एक मज़बूत आधार देता है ।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रमुख पहल

नवोन्मेषी उत्पाद और डिजिटल ग्रोथ : वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आपके बैंक ने कारोबार वृद्धि और ग्राहक एंगेजमेंट को मज़बूत करने के लिए कई नवोन्मेषी देयताओं, **आस्ति और डिजिटल उत्पाद** लॉन्च किए। देयता ओर में, विशेष विमोचन में **आइओबी ईको सेविंग्स अकाउंट, आइओबी परिवार अकाउंट, आइओबी प्रीमियम सैलरी अकाउंट, पूर्णत तमिलनाडु राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए वेतन पैकेज, आइओबी स्टेप-अप आरडी, एनआरआई जमा वेरिएंट और** एनएसई प्लेटफॉर्म के तहत **ई-एफडीआर** सुविधा शामिल थे ।

- आस्ति ओर में, बैंक ने आइओबी ईज़ी प्लॉट, **आइओबी हरित शुभागृहा, जमा के प्रति डिजिटल डिमांड ऋण (एसटीपी), आइओबी सखी, और आइओबी पिंक व्हीलस जैसे नवोन्मेषी खुदरा जमा उत्पाद पेश किए । एमएसएमई में, बैंक ने आइओबी ई-जीएसटी योजना, मुद्रा एसटीपी, एमएसएमई क्लस्टर फाइनेंसिंग, और डिजिटल ऑनबोर्डिंग सॉल्यूशंस लॉन्च किए, जबकि एनटीबी के लिए डिजिटल एफडी, व्हॉटसऐप बैंकिंग, आरबीआइएच-यूएलआई,** रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब यूनिफाइड

लेंडिंग इंटरफ़ेस और आरपीए (रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन) ने ग्राहक की सुविधा, तेज़ क्रेडिट डिलीवरी, डिजिटल अपनाने और कारोबार बढ़ाने को और बेहतर बनाने जैसी डिजिटल पहलें शुरू कीं ।

- **ग्राहक अधिग्रहण और देयता अधिकृत विक्रेता:** वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आपके बैंक ने **42.02 लाख नए कासा ग्राहक जोड़े** , जिससे पिछले तीन सालों में कुल ग्राहक अधिग्रहण **1.06 करोड़ हो गया** । 31 मार्च 2026 तक, इन ग्राहक ने **जमा में ₹ 70,655 करोड़,** अग्रिम में **₹ 1,08,092 करोड़**, और कुल **₹ 1.79 लाख करोड़ का कारोबार किया,** जो बैंक की ग्राहक अधिग्रहण रणनीति, प्रति-विक्रय क्षमता और बढ़ती अधिकृत विक्रेता की मजबूती को दर्शाता है ।

- **प्रोजेक्ट एलईएपी**: बैंक ने ईटीबी और एनटीबी ग्राहक बढ़ोतरी पर केंद्रित करके अपनी देयता अधिकृत विक्रेता को मज़बूत करने के लिए **प्रोजेक्ट एलईएपी (दायित्व संवर्धन कार्य प्रोग्राम) लॉन्च किया । कासा विन-बैक, माइक्रो-मार्केट, एग्जिम और टीएएससी** जैसे मुख्य नवोन्मेषी पर फोकस किया गया । अच्छे नतीजे मिले और बैंक की छोटी और कम लागत वाली जमा फ्रेंचाइजी को काफी मजबूत किया

- **शाखा नेटवर्क बढ़ाना और वितरण को मज़बूत करना:** इस वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने 20 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 163 **नई शाखा** खोलकर अपनी भौतिक मौजूदगी को काफी बढ़ाया है । इसमें कम सुविधा वाले और बिना बैंक वाले इलाकों की शाखा भी शामिल हैं । इससे वित्तीय समावेशन और हमारे नेटवर्क को बढ़ाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत हुआ है ।

- **31 मार्च 2026 तक**, बैंक का देशीय नेटवर्क **28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 3,494 शाखा का था** । बैंक ने **3 नए क्षेत्रीय कार्यालय और 3 समर्पित स्टार्टअप शाखा भी शुरू किए**, जिससे इसकी वितरण क्षमता और विशेष कारोबार अवसंरचना और मजबूत हुआ ।
- **सरकारी कारोबार विस्तार**: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने सरकारी एजेंसी कारोबार को संभालने के लिए **आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए), लेखा महानियंत्रक (सीजीए), और सरकारी लेखा और वित्त संस्थान (आइएनजीएएफ) से मान्यता प्राप्त करके अपने** सरकारी कारोबार फ्रैंचाइज़ी को काफी मजबूत किया, और वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक संचालन शुरू किया, जिससे सरकारी बैंकिंग सेवाओं में बैंक की उपस्थिति का विस्तार हुआ।

- **ईएसजी और सतत बैंकिंग पहल:** बैंक ने अपने रणनीतिक और जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में **ईएसजी और जलवायु जोखिम की महत्ता को शामिल करके सतत बैंकिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को काफी मजबूत किया** । बैंक पीसीएएफ **का हस्ताक्षरकर्ता बन गया,** वित्तपोषित एमिशन मेज़रमेंट शुरू किया, बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक **ईएसजी स्कोरकार्ड शुरू किया, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल** के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया, और ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए "**आइओबी हरित शुभागृहा" लॉन्च किया** । बैंक को उद्यम जोखिम प्रबंधन के लिए आइएसओ **31000:2018 प्रमाणन** भी मिला ।

- **उद्यम डेटा गवर्नेंस और डेटा गुणवत्ता ट्रांसफॉर्मेशन:** इस वर्ष के दौरान, बैंक ने उद्यम वार डेटा गवर्नेंस को मज़बूत करने के लिए **उद्यम डेटा प्रबंधन विभाग (ईडीएमडी) बनाया । बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ मिलकर,** बैंक ने ग्राहक, जमा और ऋण डेटा के **46.73 लाख रिकॉर्ड** को ठीक करने के लिए शाखा और क्षेत्रीय कार्यालय में एक **डेटा गुणवत्ता इंडेक्स (डीक्यूआई) यूटिलिटी विकसित और शुरूआत की** । मुझे यह उल्लेख करते हुए खुशी हो रही है कि **31 मार्च 2026 तक**, बैंक ने चिन्हित **99.25%** रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक ठीक कर दिया, जिससे पूरे संगठन में डेटा गुणवत्ता और गवर्नेंस मानक में काफ़ी सुधार हुआ ।

- **प्रौद्योगिकी अवसंरचना आधुनिकीकरण:** वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आपके बैंक ने **कोर बैंकिंग आधुनिकीकरण, स्टेट-ऑफ-द-आर्ट डेटा सेंटर में माइग्रेशन और प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म "आइओबी मेघाद्री" को बेहतर बनाकर अपने डिजिटल आधार को काफी मजबूत किया है** । इन कोशिशों से प्रोसेसिंग क्षमता, मापनीयता, साइबर आघात-सहनीयता, कारोबार निरंतरता और परिचालनात्मक चपलता बढ़ी है, जिससे तेजी से डिजिटल ग्रोथ और भविष्योन्मुखी बैंकिंग सेवाएँ के लिए एक मजबूत आधार तैयार हुआ है ।

- **प्रौद्योगिकी, डिजिटल नवोन्मेषी और प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन: आपके बैंक ने डिजिटल आवर्ती जमा, वीसीआइपी-आधारित तत्काल खाता खोलने, वीडियो जीवन प्रमाण-पत्र, ऑनलाइन रि-केवाइसी, डिजिटल हब, व्हॉटसऐप बैंकिंग, टैब बैंकिंग, केवाइसी स्मार्ट स्कैनर, सीआरएम प्लेटफॉर्म, आरबीआईएच-यूएलआई इंटीग्रेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, 90+ आरएएम योजना को कवर करने वाला लोन ओरिजिनेशन सिस्टम और आइओबी लॉयर्स डायरी सहित** कई ग्राहक-आधारित और कर्मचारी-आधारित पहलों के ज़रिए अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यात्रा को तेज़ करना जारी रखा है । इन पहलों ने ग्राहक की सुविधा, क्रेडिट डिलीवरी, परिचलानात्मक दक्षता और डिजिटल स्वीकार्यता को काफी बेहतर बनाया है ।

- **डिजिटल स्वीकार्यता और ब्रांड की मौजूदगी:** वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, डिजिटल स्वीकार्यता बढ़ा है, **कुल लेन-देन का 98.38%** डिजिटल चैनलों के ज़रिए हुआ, जबकि डिजिटल लेन-देन में पिछले वर्ष के मुकाबले **28% की बढ़ोतरी हुई** ।

- **सोशल मीडिया और डिजिटल ब्रांड की उपस्थिति:** आपके बैंक की डिजिटल ब्रांड उपस्थिति वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान एक अहम पड़ाव पर पहुंच गई, इसके कुल सोशल मीडिया सब्सक्राइबर बेस **30 लाख को पार करके 30.46 लाख** तक पहुंच गए, जो पिछले वर्ष के मुकाबले **92.90% की** शानदार ग्रोथ है, जो ग्राहकों और हितधारक के साथ **ब्रांड आइओबी** की बढ़ती विजिबिलिटी और मजबूत डिजिटल कनेक्शन को दर्शाता है ।

- **कॉरपोरेट सोशल जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने वाला विकास:** वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आपके बैंक ने सीएसआर पहल के तहत **₹ 8.74 करोड़** खर्च करके सबको साथ लेकर चलने वाले विकास और सोशल जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मज़बूत किया । इससे देश भर में 5.85 लाख से ज़्यादा लोगों को शिक्षा, हेल्थकेयर, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, खेल, प्रौद्योगिकी और सामाजिक कल्याण में मदद मिली ।

पुरस्कार और सम्मान

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए **गृह मंत्रालय, भारत सरकार** से प्रतिष्ठित " **राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार**" पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

बैंक को **वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) और नराकास, चेन्नै** से भी पहला पुरस्कार मिला, जबकि **52 कार्यालयों एवं शाखाओं को** राजभाषा पुरस्कार मिले, जो किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे उम्दा प्रदर्शन है ।

सीपीजीआरएएमएस और आइएनजीआरएएमएस के तहत ज़ीरो शिकायतों को सफलतापूर्वक बनाए रखते हुए अब तक का सबसे अच्छा शिकायत निवारण प्रदर्शन हासिल किया है । इस शानदार उपलब्धि के सम्मान में, आपके बैंक को लोगों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए **भारत सरकार के वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस)** द्वारा प्रतिष्ठित **"बेस्ट परफॉर्मर ऑफ़ द ईयर 2025"** पुरस्कार दिया गया ।

मुझे यह उल्लेख करते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक को आईबीए **के 21वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और प्रमाणन में उद्योग के जाने-माने पुरस्कार भी मिले,** जहाँ बैंक को **चार प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले,** जिनमें **बेस्ट टेक टैलेंट एंड ऑर्गनाइज़ेशन, बेस्ट आइटी जोखिम और प्रबंधन, बेस्ट प्रौद्योगिकी बैंक ऑफ़ द ईयर, और बेस्ट डिजिटल वित्तीय समावेशन शामिल हैं**, जिससे प्रौद्योगिकी पर आधारित बैंकिंग और नवोन्मेषी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत होता है ।

आपके बैंक को एसएचजी **लिंकेज में बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक** के तौर पर भी पहचान मिली और **भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से डे-एनआरएलएम के तहत शानदार कार्य-निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला,** जिससे वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में बैंक की नेतृत्व पक्की हुई ।

इसके अलावा, गवर्नेंस, अनुपालन नवोन्मेषी और उद्यम जोखिम प्रबंधन के प्रति आपके बैंक की प्रतिबद्धता को "**कम्प्लायंस एपेक्सियन " और जोखिम प्रबंधन (प्लैटिनम वर्ग)** के लिए प्रतिष्ठित **एसकेओसीएच पुरस्कारों से सम्मानित किया गया**, जो गवर्नेंस, अनुपालन और जोखिम पर्यवेक्षण में बेहतरीन कार्य को दर्शाता है ।

आगे की राह

आगे चलकर, बैंकिंग क्षेत्र को कम दबाव, प्रतिस्पर्धात्मक जमा जुटाना, भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं और बदलते नियामक क्रियाशील से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है । हालांकि, आइओबी वित्तीय वर्ष 2026–27 में मज़बूत पूँजी, बेहतर आस्ति गुणवत्ता, मजबूत लाभप्रदता, मज़बूत देयता अधिकृत विक्रेता, अलग-अलग ग्रोथ इंजन, डिजिटल क्षमता और बहुत प्रतिबद्ध कौशल कर्मचारियों के साथ काफी मज़बूत स्थिति में है ।

विविध जमा जुटाना, आरएएम-लेड क्रेडिट ग्रोथ, डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन, परिचालनात्मक दक्षता, ग्राहक संवेदनशीलता और समझदारी भरे जोखिम प्रबंधन पर हमारे रणनीतिक फ़ोकस के साथ, मुझे विश्वास है कि आपका बैंक अपनी वृद्धि की गति को बनाए रखने और सभी हितधारक के लिए लंबी अवधि तक अहमियत बनाने के लिए अच्छी स्थिति में है ।

आभार

मैं इस मौके पर वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत और विदेश में नियामक प्राधिकरण, और अन्य सरकारी एजेंसियों को उनके लगातार मार्गदर्शन और सहयोग के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ ।

साथ ही, मैं अपने अध्यक्ष, बोर्ड के सदस्यों, ग्राहकों, शेयरधारकों और सभी आइओबियंस को उनके भरोसे, लगन और ब्रांड आइओबी को और ऊंचाइयों तक ले जाने की लगातार कोशिशों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

हम सब मिलकर एक मज़बूत, टिकाऊ और भविष्य के लिए उन्मुख इण्डियन ओवरसीज़ बैंक बनाने की अपनी यात्रा जारी रखेंगे, जो हर क्षेत्र में उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हो ।

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

IOB
Good people to grow with

HARIT SUBHAGRUHA

Finance your eco-friendly home that conserves energy, water, and the environment – for a greener tomorrow!

For IGBC / LEED / GRIHA certified Green Homes

Loan up to 90% of property value

Repayment up to 30 years

T&C Apply

Build your future with IOB – India's trusted partner in Green Finance

www.iob.bank.in @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445 +91 96777 11234

रिपोर्ट के बारे में

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक वित्तीय वर्ष 2025–26 में बैंकिंग सेवाओं में अपने 90 वें वर्ष में प्रवेश किया - यह उपलब्धि दशकों से निर्मित ग्राहक संबंधों, उत्तरदायी बैंकिंग प्रथाओं तथा देशभर में वित्तीय समावेशन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता का परिणाम है। वर्षों के दौरान बैंक ने ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं, आर्थिक प्राथमिकताओं और तकनीकी परिवर्तनों के साथ स्वयं को विकसित किया है, साथ ही पीढ़ियों से हितधारकों द्वारा उस पर रखे गए विश्वास को निरंतर बनाए रखा है।

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत यह एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन बैंक की पहली एकीकृत रिपोर्ट है, जिसे एकीकृत रिपोर्टिंग (<आइआर>) ढाँचे के अनुरूप तैयार किया गया है। "राष्ट्र की सेवा में 90 वर्ष" विषय-वस्तु के अंतर्गत यह प्रतिवेदन दर्शाता है कि बैंक अपने व्यवसाय मॉडल, शासन व्यवस्था, रणनीति, हितधारक सहभागिता तथा परिचालन प्रदर्शन के माध्यम से छह प्रकार की पूँजी के आधार पर किस प्रकार मूल्य का सृजन एवं संरक्षण करता है, जो राष्ट्र सेवा के उसके मूल मंत्र से प्रेरित है।

यह प्रतिवेदन बैंक के वित्तीय प्रदर्शन, ग्राहक सेवा, डिजिटल रूपांतरण, सतत विकास, जोखिम प्रबंधन, कर्मचारी विकास तथा उत्तरदायी बैंकिंग के प्रति उसकी एकीकृत दृष्टिकोण को दर्शाता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि ये सभी क्षेत्र दीर्घकालिक मूल्य सृजन हेतु ग्राहकों, कर्मचारियों, समुदायों, नियामकों, निवेशकों तथा व्यापक अर्थव्यवस्था के हितों को किस प्रकार परस्पर रूप से सुदृढ़ करते हैं।

इस प्रतिवेदन के माध्यम से बैंक अपने प्रदर्शन, प्राथमिकताओं, अवसरों एवं चुनौतियों का संतुलित एवं पारदर्शी चित्र प्रस्तुत करने के साथ-साथ जवाबदेही को सुदृढ़ करने तथा हितधारकों के विश्वास को और मजबूत करने का प्रयास करता है।

रिपोर्टिंग रूपरेखा और दिशानिर्देश

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी विनियम, परिपत्र और दिशा निर्देश.
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए लेखांकन मानक.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015, और अन्य लागू सेबी दिशानिर्देश ।
- आरबीआई का कॉरपोरेट गवर्नेंस ढाँचा एवं संबन्धित निर्देश ।
- भारतीय बैंक संघ बैंकिंग आचरण संहिता ।
- सेबी द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस संहिता.
- एकीकृत रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (<आइआर>).
- एकीकृत रिपोर्टिंग पर सेबी के दिशानिर्देश.

रिपोर्टिंग अवधि

यह रिपोर्ट 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक बैंक के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण और परिचालन निष्पादन को प्रस्तुत करती है। 31 मार्च 2026 के पश्चात घटित चयनित रणनीतिक एवं शासन संबंधी विकासों को, जहाँ वे बैंक के प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं, इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

रिपोर्टिंग सीमा

इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत वित्तीय जानकारी भारत में निगमित एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के परिचालनों को सम्मिलित करती है। गैर-वित्तीय प्रकटीकरण, जिनमें सतत विकास, हितधारक सहभागिता, महत्व निर्धारण तथा छह पूँजी से संबंधित विवरण शामिल हैं, बैंक के घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय शाखा नेटवर्क में संचालित प्रत्यक्ष परिचालनों को सम्मिलित करते हैं।

यह प्रतिवेदन एकीकृत रिपोर्टिंग (<आइआर>) फ्रेमवर्क के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें बैंक के वित्तीय प्रदर्शन एवं गैर-वित्तीय प्रगति का एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। यह बैंक की प्रथम एकीकृत रिपोर्ट है, जिसे (<आइआर>) फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किया गया है।

आश्वासन

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए बैंक के स्टैंडअलोन तथा समेकित वित्तीय विवरणों का स्वतंत्र रूप से निम्नलिखित वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षण किया गया है:

मेसर्स आर देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स	एफआरएन 114207डबल्यू
मेसर्स तेज राज एंड पाल	एफआरएन 304124ई
मेसर्स लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स	एफआरएन 009189सी
मेसर्स संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी	एफआरएन 008773सी

एफएपी सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025–26 हेतु बैंक की बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पर युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान किया है।

दूरदर्शी वक्तव्य

इस रिपोर्ट में भविष्य उन्मुख कथन सम्मिलित हो सकते हैं, जो बैंक के भावी प्रदर्शन के संबंध में उसकी वर्तमान अपेक्षाओं, अनुमानों तथा प्रक्षेपणों को दर्शाते हैं। इन कथनों में ज्ञात एवं अज्ञात जोखिम, अनिश्चितताएँ तथा अन्य ऐसे कारक सम्मिलित हैं, जो वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। भविष्य उन्मुख कथन उन मान्यताओं पर आधारित हैं जो प्रतिवेदन की तैयारी के समय युक्तिसंगत मानी गई थीं और इन्हें भविष्य के प्रदर्शन की किसी प्रकार की गारंटी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। पाठकों को सूचित किया जाता है कि वे स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करें तथा अद्यतन जानकारी हेतु बैंक द्वारा जारी आधिकारिक नियामकीय अभिलेखों एवं प्रकटीकरणों का संदर्भ लें ।

प्रतिपुष्टि

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अपने निवेशकों, हितधारकों तथा पाठकों के दृष्टिकोणों को अत्यंत महत्व देता है। इस रिपोर्ट के संबंध में हम आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं ।

हमें इस पते पर लिखें: investor@iob.bank.in

विश्वसनीय विरासत के साथ, भविषयोन्मुख एवं उद्देश्यपूर्ण विकास

सन 1937 में श्री एम. सीटी. एम. चिदम्बरम चेट्टियार द्वारा स्थापित इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना बैंकिंग सेवाओं को वंचित एवं उपेक्षित वर्गों तक सुलभ बनाने तथा भारत की अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक आकांक्षाओं को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। लगभग नौ दशकों की अपनी यात्रा के दौरान बैंक राष्ट्र निर्माण, समावेशी विकास एवं नैतिक बैंकिंग के अपने संस्थापक मूल्यों के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध रहा है। वित्त वर्ष 2025–26 में आइओबी 90 वर्षों की सेवा में प्रवेश करने के साथ, देश के विश्वसनीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक के रूप में निरंतर स्थापित है, जो अपनी व्यापक पहुँच, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण तथा सुदृढ़ अभिशासन व्यवस्था के लिए जाना जाता है।

सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक एवं कोलंबो जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केंद्रों में अपनी उपस्थिति के माध्यम से आइओबी अपने वैश्विक संपर्क को सुदृढ़ बनाते हुए अपने घरेलू नेटवर्क को प्रभावी रूप से पूरकता प्रदान करता है। बैंक ने जिम्मेदार ऋण संवितरण, समावेशी बैंकिंग पहुँच तथा सेवा-केंद्रित बैंकिंग के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, व्यवसायों, व्यक्तियों एवं समुदायों को निरंतर समर्थन प्रदान किया है। प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्लेटफॉर्मों तथा परिचालन प्रणालियों में बैंक के सतत निवेश ने उसके आधुनिकीकरण को गति प्रदान की है, साथ ही उसके मूलभूत मूल्यों को भी अक्षुण्ण बनाए रखा है। आइओबीको भारत में कंप्यूटरीकरण एवं डिजिटल

बैंकिंग को प्रारम्भिक चरण में अपनाने वाले अग्रणी बैंकों में से एक होने का विशिष्ट गौरव भी प्राप्त है।

आइओबी की यात्रा दृढ़ता, अनुकूलनशीलता एवं सतत परिवर्तनशीलता का परिचायक रही है। विभिन्न आर्थिक चक्रों, विनियामकीय परिवर्तनों तथा प्रौद्योगिकीगत बदलावों के दौर से सफलतापूर्वक गुजरते हुए बैंक भारत एवं विदेशों में ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा है। उद्देश्य एवं मूल्यों से जुड़ाव बनाए रखते हुए प्रगति को आत्मसात करने की इसकी क्षमता ही इसकी संस्थागत सुदृढ़ता तथा दीर्घकालिक प्रासंगिकता को परिभाषित करती है।

विविध और विकासशील व्यवसाय मॉडल

आइओबी खुदरा, कृषि, एमएसएमई एवं कॉरपोरेट बैंकिंग के अंतर्गत व्यापक वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की पेशकश करता है। एक सार्वभौमिक बैंक के रूप में कार्य करते हुए, बैंक आवास ऋण, स्वर्णाभूषण ऋण, व्यवसाय वित्तपोषण, कृषि ऋण तथा उभरते ईएसजी-सम्बद्ध समाधानों जैसी विविध सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों की ऋण एवं जमा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

बैंक की विविधीकृत आय संरचना उसके मुख्य परिचालनों की सुदृढ़ता तथा ग्राहक-केंद्रित उत्पाद अभिकल्पना को प्रतिबिंबित करती है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान कुल अग्रिमों में 24.16% तथा जमाओं में 18.03% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसे रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई (आरएएम) खंड के सशक्त योगदान से समर्थन प्राप्त हुआ। यह खंड बैंक की घरेलू ऋण वृद्धि का प्रमुख आधार बना हुआ है।

जैसे-जैसे सततता एवं डिजिटल रूपांतरण बैंकिंग परिदृश्य के प्रमुख आधार बनते जा रहे हैं, आइओबी ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप निरंतर स्वयं को समायोजित करता हुआ आगे बढ़ रहा है।

भौतिक उपस्थिति और डिजिटल चैनलों के माध्यम से व्यापक पहुँच

31 मार्च 2026 तक, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अपने सुदृढ़ घरेलू एवं विदेशी नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों को निरंतर सेवाएं प्रदान करता रहा है :

3,494
भारत भर में 3,494 शाखाएँ, जिनमें 956 ग्रामीण शाखाएँ सम्मिलित हैं।

3,651
एटीएम/सीआर, जो बैंकिंग सेवाओं तक सुविधाजनक पहुँच सुनिश्चित करते हैं।

12,187
कारोबार प्रतिनिधि, जो अंतिम छोर तक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित कर रहे हैं।

4
सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक एवं कोलंबो में स्थित 4 विदेशी शाखाएँ।

1.30 करोड़
मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता

98.38% डिजिटल हिस्सेदारी
कुल लेन-देन में 98.38% डिजिटल हिस्सेदारी, जिसमें डिजिटल लेन-देन मिश्रण में यूपीआई का योगदान लगभग 90% रहा।

digital.iob.in
निर्बाध पहुँच हेतु पूर्णतः एकीकृत डिजिटल बैंकिंग केंद्र।

टैब-आधारित डोरस्टेप बैंकिंग, आधार फेस प्रमाणीकरण तथा ऑनलाइन स्व-सेवा प्रक्रियाएँ, जो सुविधा एवं पहुँच को और सुदृढ़ बना रही हैं।

राष्ट्रीय प्रभाव के साथ उद्देश्य – आधारित विकास

आइओबी निरंतर उद्देश्य-प्रेरित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ कर रहा है तथा समावेशी वित्त, उत्तरदायी ऋण संवितरण और ग्राहक-केंद्रित सेवा प्रदाय के माध्यम से स्थायी सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य का सृजन कर रहा है। बैंक पीएमजेडीवाई, पीएम-कुसुम, पीएमएसबीवाई तथा एपीवाई जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं में सक्रिय भागीदार बना हुआ है और वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा तथा सतत विकास से संबंधित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समर्थन प्रदान कर रहा है। 94.5 लाख से अधिक जन धन खातों तथा ग्रामीण एवं कृषि ऋण वितरण पर निरंतर विशेष ध्यान के माध्यम से, आइओबी वंचित समुदायों तक औपचारिक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

बैंक का हरित वित्त पोर्टफोलियो, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत वाहन तथा सतत अवसंरचना शामिल हैं, वित्त वर्ष 2025–26 में ₹1,822.10 करोड़ पर पहुँच गया, जिसे आइओबी सूर्या तथा आइओबी तेजस जैसी समर्पित योजनाओं का समर्थन प्राप्त रहा। वर्ष के दौरान, समावेशी बैंकिंग एवं उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने में आइओबी के योगदान को एसएचजी बैंक लिंकेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शिकायत निवारण के क्षेत्र में डीएफ़एस द्वारा "सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता" मान्यता प्रदान कर सम्मानित किया गया। आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित स्टाफ कॉलेज इन उपलब्धियों को समर्थन प्रदान करने वाली संस्थागत क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करता है।

भावी विकास की रूपरेखा गढ़ना

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक वित्तीय स्थिरता, ग्राहक-केंद्रित परिवर्तन तथा परिचालन दक्षता को आधार बनाते हुए रणनीतिक विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। बैंक प्रौद्योगिकी-संचालित सेवा एवं वितरण मॉडल की दिशा में स्पष्ट रूप से अग्रसर रहते हुए खुदरा, कृषि तथा एमएसएमई क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।

मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई तथा इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्मों के बढ़ते उपयोग से ग्राहक सहभागिता का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है तथा सुविधा का विस्तार हो रहा है। साथ ही, फिनटेक साझेदारियों एवं आंतरिक प्रणालियों के निरंतर उन्नयन से परिचालन दक्षता और कार्यगत लचीलापन सुदृढ़ हो रहा है। फिनैकल 10.2.25 कोर बैंकिंग उन्नयन तथा रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब के सहयोग से विकसित म्यूल हंटर के माध्यम से एआई/एमएल आधारित धोखाधड़ी पहचान जैसी प्रमुख पहलों से ऋण प्रारंभ प्रक्रिया, जोखिम निगरानी तथा सेवा प्रदाय में सुधार हो रहा है।

जैसे-जैसे सतत बैंकिंग रणनीति का एक महत्वपूर्ण अंग बनती जा रही है, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक भी अपने ऋण संवितरण एवं अभिशासन ढाँचों में ईएसजी संबंधी विचारों को समाहित कर रहा है। समावेशी पहुँच, डिजिटल आधुनिकीकरण तथा आंतरिक क्षमता-विकास पर निरंतर विशेष बल के साथ, बैंक परिवर्तित होते वित्तीय पारितंत्र में उद्देश्यपूर्ण, सुदृढ़ एवं प्रासंगिक विकास के लिए सशक्त स्थिति में है।

हमारी यात्रा

श्री एम. सीटी. एम. चिदंबरम चेट्टियार
संस्थापक अध्यक्ष

हमारा विज़न

"उच्च नैतिक मानकों और शासन-विधि के साथ पीढ़ियों अंको जोड़ने वाले पसंदीदा बैंक के रूप में उभरना"

मुख्य सिद्धांत

- सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता
- नवाचार और सहोयग
- स्थिरता

हमारा मिशन

"कुशल जनशक्ति के साथ ग्राहकों की संतुष्टि के लिए डिजिटल और भौतिक अनुभव के माध्यम से सर्वोत्तम बैंकिंग समाधान प्रदान करना।"

कार्यनीतिक उद्देश्य

- समग्र परिचालन प्रदर्शन में सुधार पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना
- पोर्टफोलियो गुणवत्ता और इष्टतम पूंजी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना
- डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना
- लाभप्रदता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना
- हमारे बैंक के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए नए बैंकिंग आउटलेट खोलना

आपकी प्रगति का सच्चा साथी

1937
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) की स्थापना 10 फरवरी 1937 को श्री एम. सीटी. एम. चिदंबरम चेट्टियार

1957
बैंक ने अपना स्वयं का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया।

1964
माउंट रोड में आइओबी के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन।

1969
बैंक का राष्ट्रीयकरण।

1984
1000वीं शाखा खोली गई (गोविंदपुरी शाखा)।

1996
बैंक का लाभ पहली बार रुपये 100 करोड़ तक पहुंचा।

2000
2003 में प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम और अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम ।

2009
100% सीबीएस बनाया गया।

2010
बैंक ने अपनी 2000वीं शाखा (यमुना विहार शाखा) खोली।

2013
बैंक ने वनियानगुडी शाखा खोलकर 3000 शाखाओं के मील का पत्थर पार कर लिया।

2016
सभी शाखाएँ इन-हाउस सीबीएस प्लेटफॉर्म "क्राउन" से फिनेकल में माइग्रेट हो गईं।

2021
आरबीआई ने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के लिए आइओबी को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला।

2024
बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान पहली बार कुल कारोबार में 5 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया।

2024
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) ने बाजार पूंजीकरण में ₹1 लाख करोड़ तक पहुंचने वाला पाँचवाँ सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता बनकर एक उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल किया।

2025
बैंक ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान पहली बार कुल कारोबार में 6.75 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया।

पूँजी	विवरण
वित्तीय पूँजी	▲ पूँजी : ₹19,256.69 करोड़ ▲ जमाएँ : ₹3,68,191 करोड़ (18.03% बढोत्तरी) ▲ कुल अग्रिम : ₹3,10,423 करोड़ (24.16% बढोत्तरी)
विनिर्माण पूँजी	▲ कुल शाखाएं : 3335 ▲ एटीएम/सीआर : 3497 ▲ भौगोलिक प्रसार : 35 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में ▲ व्यावसायिक प्रतिनिधि एजेंट : 10135
बौद्धिक पूँजी	▲ डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं आइओबी पे ▲ व्हाट्सअप बैंकिंग ▲ कोर बैंकिंग : फिनेकल 10.2.25 (वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपग्रेड किया गया) ▲ आईएसओ 27001 : 2022 प्रमाणित सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ▲ शिकायत संक्षेपीकरण और ईएसजी ज्ञान पुनर्प्राप्ति के लिए जेनेरेटिव एआई
मानव संसाधन पूँजी	▲ कुल कर्मचारी : 20966 ▲ आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित स्टाफ कॉलेज ▲ आंतरिक प्रशिक्षण क्षमता: 20,080 कर्मचारी ▲ लैंगिक विविधता अनुपात: 36.43% ▲ प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण एवं विकास घंटे: 43.49 घंटे
सामाजिक व संबंध पूँजी	▲ सीएसआर व्यय : ₹8.74 करोड़ ▲ विकासोन्मुखी जिलों पर किया गया व्यय : ₹36.37 लाख ▲ कुल ग्राहक : 46+मिलियन ▲ प्रापण : भारत में ही शत प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से जुटाए गए इनपुट ▲ स्नेहा वित्तीय साक्षरता केंद्र और आरसेटी
प्राकृतिक पूँजी	▲ कुल ऊर्जा लागत : 3,50,214.71 गीगाजूल ▲ 50 करोड़ या उससे अधिक के कुल ऋण जोखिम के क्रेडिट मूल्यांकन में ईएसजी स्कोरकार्ड को अनिवार्य किया गया। ▲ कुल जल खपत : 2.61 लाख किलो लीटर

मूल्य सृजन मॉडल

कारोबारी सेगमेंट

- वैयक्तिक बैंकिंग
- कॉरपोरेट बैंकिंग
- कृषि एवं ग्रामीण बैंकिंग
- एमएसएमई
- फोरेक्स
- सरकारी कारोबार

मूल्य सृजन के प्रमुख कारक

- हितधारक सहभागिता एवं साझेदारी
- वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक विकास
- जोखिम एवं पूँजी प्रबंधन
- क्रेडिट डिलीवरी
- डिजिटल रूपांतरण
- निक्षेप जुटाना

उत्पाद/सेवाएँ

- डिजिटल बैंकिंग
- क्रेडिट कार्ड
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
- बीमा

परिणाम	मुख्य प्रभावकारी मुद्दे	प्रभावित एसडीजी
निवल लाभ : ₹5,208 करोड़ (वर्ष दर वर्ष 56.16% की बढ़ोत्तरी) एनआईआई : ₹12,574 करोड़ (15.46% की बढ़ोत्तरी) ईपीएस : ₹2.70 इक्वीटी पर रिटर्न : 20.42%	वित्तीय समावेशन ग्राहक निष्पक्षता और सही बिक्री विनियामक और कानूनी अनुपालन व्यवसाय निरंतरता	
कुल शाखाएँ : 3494 एटीएम/सीआर : 3651 बीसी : 12,187 एटीएम/सीडीएम में बढ़ोत्तरी : 96.66%	व्यवसाय निरंतरता नैतिक आचरण व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन ग्राहक निष्पक्षता और सही बिक्री विनियामक और कानूनी अनुपालन डाटा प्राइवेसी	
डिजिटल लेन-देन : कुल लेन-देन का 98.38 % डिजिटल लेन-देन का यूपीआई शेयर : 90% मोबाइल बैंकिंग यूजर बेस : 1.30 करोड़ वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नए मोबाइल बैंकिंग पर पंजीकरण : 27 लाख+ धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए (रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा विकसित) म्यूल हंटर एआई/एमएल समाधान	डाटा प्राइवेसी व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन	
कुल कर्मचारी : 21034 कर्मचारी सहभागिता सर्वे स्कोर : 3.85 प्रोजेक्ट लक्ष्य के अंतर्गत भावी नेतृत्व को प्रशिक्षण : 250 (9 महीनें का प्रशिक्षण कार्यक्रम) नारी : महिला नेतृत्व कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लैंगिक विविधता अनुपात : 37.10%	कर्मचारी हितलाभ एवं विकास नैतिक आचरण	
शिकायत निवारण दर : 99.89% पीएमजेडीवाई खातों की संख्या : 94.5 लाख+ सीएसआर लाभार्थी : 5.85 लाख सम्मान : स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच शिकायत निवारण में वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कुल ग्रामीण शाखाएं : 956	नैतिक आचरण वित्तीय समावेशन ग्राहक निष्पक्षता और सही बिक्री	
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्थापित की गई सौर ऊर्जा क्षमता : 350.5 किलो वाट हरित वित्तीय पोर्टफोलियो : ₹1,822.10 करोड़ आइओबी सुर्या और आइओबी तेजस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा में वित्त	जीएचजी उत्सर्जन प्रबंधन ईएसजी ओवरसाइट	

हितधारक सहभागिता और महत्वपूर्ण विषयों का आकलन

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में, हितधारक सहभागिता इस बात का अभिन्न अंग है कि बैंक किस प्रकार जोखिमों को समझता है, अवसरों की पहचान करता है तथा दीर्घकालिक रणनीति को निर्माण करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र में लगभग नौ दशकों के अनुभव के साथ, हम मानते हैं कि हमारे परिचालन से प्रभावित होने वाले लोगों और संस्थानों के साथ निरंतर संवाद से सार्थक निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है ।

डिजिटल परिवर्तन, ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं, जलवायु संबंधी चिंताओं और तेजी से बदलते नियामक वातावरण के कारण बैंकिंग परिदृश्य में लगातार तीव्र बदलाव आ रहे हैं। इस संदर्भ में, हितधारक सहभागिताओं के साथ जुड़ाव न केवल संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है, बल्कि अनौपचारिक योजना, शासन, जोखिम प्रबंधन और सेवा वितरण में एक रणनीतिक इनपुट के रूप में भी कार्य करता है।

हितधारक सहभागिता

हमारी सहभागिता दृष्टिकोण इस विश्वास से निर्देशित होता है कि दीर्घकालिक संबंध सुलभता, जवाबदेही और पारदर्शिता के माध्यम से निर्मित होते हैं। हम ग्राहकों की उभरती अपेक्षाओं को समझने, प्रतिक्रिया प्राप्त करने और संस्थागत विश्वास को मजबूत करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों चैनलों के माध्यम से उनसे सक्रिय रूप से जुड़ते हैं।

इन सहभागिताओं से प्राप्त अंतर्दृष्टियाँ नीतियों को आकार देने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन प्रथाओं को सुदृढ़ करने, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और पूरे संगठन में स्थिरता प्राथमिकताओं को परिष्कृत करने में सहायक होती हैं।

हमारे हितधारकों का समग्र परिदृश्य

हितधारक सहभागिता संबंधों को सुदृढ़ करने, अपेक्षाओं को समझने और दीर्घकालिक मूल्य निर्माण का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैंक अपने हितधारकों की पहचान करता है और व्यवसायिक परिचालन तथा रणनीतिक प्राथमिकताओं से प्रासंगिकता के आधार पर मानचित्रित करता है।

हम समय-समय पर आंतरिक मूल्यांकन और नेतृत्व समीक्षा के माध्यम से हितधारक समूहों की समीक्षा करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहभागिता तंत्र विकसित होते बैंकिंग वातावरण और हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप बने रहें। इस समीक्षा के आधार पर, बैंक वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान आंतरिक और बाहरी श्रेणियों में छह प्रमुख हितधारक समूहों के साथ निरंतर जुड़ा रहता है।

ग्राहक | कर्मचारी | शेयरधारक व निवेशक | नियामक | समुदाय | आपूर्तिकर्ता

हितधारक समूह
ग्राहक

वे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं

ग्राहक बैंक के उद्देश्य और उसकी दीर्घकालिक फ्रैंचाइज़ी एवं मजबूती के केंद्र में हैं। उनका विश्वास सीधे तौर पर जमा राशि, ऋण संबंधों, सेवा प्रतिष्ठा और भविष्य के विकास को प्रभावित करता है ।

उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है

शाखाओं और डिजिटल चैनलों में विश्वसनीय सेवा; पारदर्शी उत्पाद शर्तें; धन और डेटा की सुरक्षा; त्वरित शिकायत निवारण; न्यायसंगत शर्तों पर ऋण तक पहुँच।

हम कैसे जुड़ते हैं एवं उसकी आवृत्ति

शाखा संवाद; मोबाइल, इंटरनेट और व्हाट्सऐप बैंकिंग; कॉल सेंटर; शाखाओं पर क्यूआर-कोड प्रतिक्रिया; एसएमएस, ई-मेल और सूचना-पट अद्यतन; ग्राहक सेवा समिति

आवृत्ति: सतत और आवश्यकता-आधारित

हम कैसे प्रत्युत्तर देते हैं

- पुनर्गठित सीआरएम-24×7 एसपीजीआरएस पोर्टल के साथ एकीकृत शिकायते प्रबंधन
- वर्ष के दौरान शिकायत निवारण दर 99.89% रही
- शिकायतें 2,10,075 से घटकर 1,86,011 रह गईं
- लंबित शिकायतें 2,610 से घटकर 211 रह गईंराहक अधिकार नीति आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना के अनुरूप

हितधारक समूह
कर्मचारी

वे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं

कर्मचारी प्रत्येक ग्राहक के साथ संवाद और परिचालन संबंधी निर्णय के माध्यम से बैंक की रणनीति को साकार रुप देते हैं।

उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है

कैरियर विकास और सीखने का अवसर ; न्यायसंगत पारिश्रमिक; सुरक्षित एवं समावेशी कार्यस्थल; पारदर्शी शिकायत निवारण चैनल; सम्मान एवं विकास के मार्ग; कल्याण और कार्य-जीवन संतुलन

हम कैसे जुड़ते हैं एवं उसकी आवृत्ति

एसईजीआरएस; स्टाफ कॉलेज प्रशिक्षण; सहायता डेस्क; हर विचार महत्वपूर्ण ; कर्मचारी दिवस; केंद्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों में आईसीसी

आवृत्ति: सतत और निरंतर

हम कैसे प्रत्युत्तर देते हैं

- 100% स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण कवरेज
- 98.44% कर्मचारी कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल
- 100% प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षा
- संरचित सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति और अनुग्रह राशि ढाँचा

हितधारक समूह
शेयरधारक व निवेशक

वे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं

शेयरधारक और निवेशक वह पूँजी विश्वास प्रदान करते हैं जो बैलेंस शीट की वृद्धि और दीर्घकालिक रणनीतिक क्रियान्वयन को समर्थन देता है।

उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है

सतत लाभप्रदता और परिसंपत्ति गुणवत्ता; पारदर्शी प्रकटीकरण; सुदृढ़ गवर्नेंस और जोखिम अनुशासन; पूँजी दक्षता; रणनीति पर स्पष्टता

हम कैसे जुड़ते हैं एवं उसकी आवृत्ति

त्रैमासिक निवेशक बैठकें; आय कॉल; स्टॉक एक्सचेंज दाखिले; वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम); निवेशक सम्मेलन; रोडशो

आवृत्ति: त्रैमासिक, वार्षिक और आवश्यकतानुसार।

हम कैसे प्रत्युत्तर देते हैं

- ₹5,208 करोड़ का निवल लाभ, 56.16% की वृद्धि
- 20.42% का आरओई और 1.23% का आरओए
- 19.78% का सीआरएआर, जिसमें टीयर 1 16.94% है
- 1.42% का सकल एनपीए
- लागत-से-आय अनुपात, में सुधार होकर 44.94 हो गया ।

हितधारक समूह
नियामक

वे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं

नियामकों और सरकारी प्राधिकरणों के साथ रचनात्मक सहभागिता बैंक को अनुपालनशील तथा उनके साथ समंवित बने रहने में सहायता करता है ।

उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है

नियामकीय अनुपालन; सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन; पारदर्शी रिपोर्टिंग; राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में सहभागिता।

हम कैसे जुड़ते हैं एवं उसकी आवृत्ति

नियामकीय निरीक्षण; पर्यवेक्षी समीक्षा; सांविधिक फाइलिंग; नीति परामर्श; तमिलनाडु में एसएलबीसी संयोजक की भूमिका

आवृत्ति: निरंतर और आवश्यकता-आधारित।

हम कैसे प्रत्युत्तर देते हैं

- बीएससी और एनएसई के पास जमा की गई गवर्नेंस अनुपालन रिपोर्टें
- पीएमजेडीवाइ, पीएमजेजेबीवाइ, पीएमएसबीवाइ, एपीवाइ, पीएम-कुसुम और पीएम स्वनिधि में सक्रिय भागीदारी
- डीएफएस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच शिकायत निवारण में 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता' के रूप में सम्मान प्राप्त

हितधारक समूह
समुदाय

वे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं

बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के दायित्व में जनादेश में समुदाय केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, विशेष रुप से ग्रामीण और विकासोन्मुख जिलों में ।

उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है

औपचारिक बैंकिंग और ऋण तक पहुँच; वित्तीय साक्षरता; आजीविका सहायता; बैंकिंग सुविधा से वंचित क्षेत्रों तक

हम कैसे जुड़ते हैं एवं उसकी आवृत्ति

एनजीओ 'यों के माध्यम से सामुदायिक पहुँच, एसएनईएचए वित्तीय साक्षरता केंद्र, प्रायोजन और दान, तथा आकांक्षी ज़िलों तक पहुँच।.

आवृत्ति: निरंतर

हम कैसे प्रत्युत्तर देते हैं

- 94.57 लाख पीएमजेडीवाई खाते जिनमें कुल शेष राशि ₹3,991 करोड़ है;
- 192 प्रायोजन और दान पहल;
- ₹36.37 लाख का आकांक्षी ज़िला व्यय;
- एसएचजी बैंक लिंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।

हितधारक समूह
आपूर्तिकर्ता

वे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं

विक्रेता और प्रौद्योगिकी साझेदार सुरक्षित, विस्तार योग्य और कुशल बैंकिंग संचालन का समर्थन करते हैं।

उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है

न्यायसंगत और पारदर्शी खरीद; समय पर निपटान; स्पष्ट सेवा-स्तर अपेक्षाएँ

हम कैसे जुड़ते हैं एवं उसकी आवृत्ति

जीईएम खरीद; ऑनबोर्डिंग के समय समुचित जाँच पड़ताल; अनुबंध प्रबंधन; प्रदर्शन समीक्षा; तकनीकी सहभागिता।

आवृत्ति: आवधिक और आवश्यकतानुसार

हम कैसे प्रत्युत्तर देते हैं

- भारत के भीतर से सीधे प्राप्त इनपुट का 100% क्रय; आईटी खरीद का 20% एमएसई के लिए आरक्षित; डीपीआईआईटी-द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट -अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी ।

महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में, महत्व मूल्यांकन बैंक की रणनीति, संचालन, हितधारकों की अपेक्षाओं और दीर्घकालिक मूल्य सृजन से संबंधित विषयों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने में मदद करता है। एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के नाते, जो विविध भौगोलिक क्षेत्रों और ग्राहक वर्गों में कार्य करता है, बैंक लगातार व्यापक मुद्दों का मूल्यांकन करता है — जिनमें वित्तीय समावेशन, डिजिटल परिवर्तन, साइबर लचीलापन, जलवायु जोखिम, गवर्नेंस, कर्मचारी क्षमता, और ग्राहक सेवा शामिल हैं।

चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण विषय उन क्षेत्रों को दर्शाते हैं जो लंबे समय में सतत मूल्य सृजित करने की बैंक की क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। ये विषय रणनीतिक फोकस क्षेत्रों को दिशा देने, जोखिम निगरानी को सुदृढ़ करने, पूँजी आवंटन निर्णयों में सहायता करने और पूरे संगठन में परिचालन प्राथमिकताओं को आकार देने में भी मदद करते हैं।

बैंक समय-समय पर, परिचालन परिवेश में बदलावों, हितधारकों की अपेक्षाओं, विनियामक घटनाक्रमों और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के अनुरूप, चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण मामलों की प्रासंगिकता की समीक्षा करता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण मामले बैंक के दीर्घकालिक विकास और रूपांतरण के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं।

ए. महत्वपूर्ण मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा अपनाई गई "महत्वपूर्ण मूल्यांकन" प्रक्रिया को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था, ताकि उन मुद्दों की पहचान की जा सके और उन्हें प्राथमिकता दी जा सके, जो बैंक के दीर्घकालिक मूल्य सृजन, हितधारकों की अपेक्षाओं और रणनीतिक प्राथमिकताओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। इस प्रक्रिया में एक व्यवस्थित, पाँच-चरणों वाला दृष्टिकोण अपनाया गया:

चिन्हांकन करना : हम बैंक के परिचालन परिवेश, रणनीतिक प्राथमिकताओं, क्षेत्रीय घटनाक्रमों, विनियामक अपेक्षाओं और बदलते कारोबारी परिदृश्य के आलोक में हितधारक समूहों और महत्वपूर्ण मामलों की पहचान और समीक्षा करते हैं। इससे हमें उन मुद्दों को समझने में मदद मिलती है, जो दीर्घकालिक मूल्य सृजन और जिम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं।

सहभागिता : हम कई औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों से हितधारकों के साथ जुड़ते हैं, जिनमें ग्राहक सेवा, कर्मचारियों के साथ बातचीत, निवेशकों के साथ संवाद, नियामक सहभागिता, सामुदायिक पहुँच और उद्योग में भागीदारी शामिल हैं। ये बातचीत हमें हितधारकों की अपेक्षाओं और उभरती प्राथमिकताओं को समझने में मदद करती हैं।

महत्वपूर्ण विषयों की प्राथमिकता निर्धारण: हितधारकों के साथ संवाद के माध्यम से प्राप्त इनपुट आंतरिक चर्चाएँ, व्यावसायिक प्राथमिकताएँ, और क्षेत्र-स्तरीय विकासों की समीक्षा ताकि बैंक की रणनीति, परिचालन, और दीर्घकालिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण के लिए की जाती है ।

एकीकरण और प्रकटीकरण: चिन्हित महत्वपूर्ण विषयों को बैंक के रणनीतिक फोकस क्षेत्रों, जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण, गवर्नेंस प्रक्रियाओं, और सतत प्रकटीकरण में एकीकृत किया गया । ये अंतर्दृष्टियाँ सूचित निर्णय-निर्माण का समर्थन करती हैं और बैंक के दीर्घकालिक मूल्य सृजन ढाँचे को मजबूत करती हैं ।

महत्वपूर्ण मुद्दों को चिन्हित करना	विवरण/ क्यों यह महत्वपूर्ण है	प्रभावित पूँजी/ प्रभावित एसडीजी/ प्रभावित हितधारक
डेटा गोपनीयता	जैसे-जैसे डिजिटल अपनाने की प्रक्रिया बढ़ रही है, ग्राहक डेटा की सुरक्षा ग्राहक विश्वास बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक बन गई है । बैंक डिजिटल और ब्रांच, दोनों माध्यमों से बड़ी मात्रा में संवेदनशील निजी जानकारी को संभालता है; ऐसे में डेटा की गोपनीयता और साइबर सुरक्षा, ज़िम्मेदार बैंकिंग कार्यों के लिए बेहद अहम हो जाते हैं। इस मुद्दे के महत्व को बैंक के ISO 27001:2022-प्रमाणित 'सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली' और एक बहु-स्तरीय साइबर सुरक्षा ढाँचे से और भी बल मिलता है। इस ढाँचे में एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, सुरक्षा कमज़ोरियों का आकलन, और ग्राहकों व कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता से जुड़ी पहलें शामिल हैं।	
कारोबार निरंतरता	देशव्यापी उपस्थिति वाले बैंक के लिए, निर्बाध ग्राहक सेवा और हितधारकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए परिचालन निरंतरता आवश्यक है । प्राकृतिक आपदाओं, साइबर घटनाओं, प्रणाली विफलताओं, या सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से उत्पन्न होने वाली बाधाएं वितरण और परिचालन स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं। लचीलापन मजबूत करने के लिए, बैंक एक बोर्ड-अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना और आपदा पुनर्प्राप्ति ढाँचा संचालित करता है, जिसे चार-स्तरीय डेटा केंद्र संरचना, दोहरी -शाखा कनेक्टिविटी, और आवधिक आपदा पुनर्प्राप्ति अभ्यास द्वारा समर्थित किया जाता है।	
व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन	बैंकिंग मूल रूप से जोखिमों को चिन्हित करना, उनका आकलन करने और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। यदि सक्रिय रूप से प्रबंधन न किया जाए तो ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम, प्रौद्योगिकी जोखिम, और सूचना सुरक्षा जोखिम वित्तीय स्थिरता, परिचालन लचीलापन और हितधारकों के विश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। बैंक बोर्ड की देख-रेख में आईएसओ 31000:2018 के अनुरूप एक जोखिम प्रबंधन ढाँचा संचालित करता है जिसे ऋण, परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन, परिचालन जोखिम तथा उत्पाद एवं प्रक्रिया जोखिम के लिए समर्पित समितियों द्वारा समर्थन किया जाता है। जोखिम की निगरानी को और मज़बूत करने के लिए क्षेत्र-स्तरीय जोखिम प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं, जो जोखिमों की निगरानी उत्पत्ति के करीब ही उसकी निगरानी करते हैं ।	

वित्तीय पूँजी | विनिर्मित पूँजी | बौद्धिक पूँजी | मानव संसाधन पूँजी | सामाजिक और संबंध पूँजी | प्राकृतिक पूँजी

महत्वपूर्ण मुद्दों को चिन्हित करना	विवरण/ क्यों यह महत्वपूर्ण है	प्रभावित पूँजी/ प्रभावित एसडीजी/ प्रभावित हितधारक
नैतिक व्यवहार	नैतिक आचरण जिम्मेदार और विश्वसनीय बैंकिंग की नींव बनाता है। बैंक का आचार संहिता, व्हिसल-ब्लोअर नीति, और संरचित शिकायत निवारण तंत्र संगठन भर में ईमानदारी, जवाबदेही और पारदर्शी व्यावसायिक प्रथाओं को मज़बूत करने में मदद करते हैं। राष्ट्रीय जिम्मेदार व्यवसायिक आचरण दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) के अनुरुप शासन मानकों और नैतिक निर्णय लेने को और मजबूत करता है । उच्च आचरण मानकों को बनाए रखना बैंक द्वारा लगभग नौ दशकों में निर्मित विश्वास और विश्वसनीयता को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है।	
ग्राहक निष्पक्षता और उचित विक्रय	ग्राहक निष्पक्षता बैंक के जिम्मेदार आचरण, पारदर्शी संचार और नैतिक सेवा प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बैंक का निष्पक्ष प्रथाओं का संहिता, ग्राहक अधिकार नीति, और शिकायत निवारण तंत्र, जो भारतीय रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के अनुरूप है, उत्पाद डिज़ाइन, बिक्री प्रथाओं और सेवा-उपरांत सहभागिता का मार्गदर्शन करते हैं। ग्राहक संवाद में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना विश्वास, ग्राहक संबंधों और दीर्घकालिक संस्थागत विश्वसनीयता को मज़बूत करने के लिए आवश्यक है, जिसे बैंक ने लगभग नौ दशकों में विकसित किया है।	
नियामक और कानूनी अनुपालन	नियामक अनुपालन जिम्मेदार बैंकिंग संचालन और गवर्नेंस की नींव बनाता है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी ढाँचे, सेबी सूचीबद्धता आवश्यकताओं, और अपने व्यवसायों पर लागू विभिन्न वैधानिक एवं नियामकीय दायित्वों के अंतर्गत कार्य करता है। एक बोर्ड-अनुमोदित अनुपालन नीति, मुख्य अनुपालन अधिकारी जो सीधे एमडी व सीईओ तथा लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं, और आवधिक कॉरपोरेट गवर्नेंस अनुपालन रिपोर्टिंग ये सभी मिलकर बैंक के अनुपालन और निगरानी ढाँचे को मज़बूत करते हैं। नियामक अनुशासन, परिचालन अखंडता और हितधारकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यक है।	
जलवायु जोखिम	बैंक की ऋण मूल्यांकन और परिचालन संबंधी लेने की प्रक्रिया में जलवायु संबंधी विचार-विमर्श का महत्व लगातार बढता जा रहा है । अत्यधिक मौसम की घटनाओं जैसे भौतिक जोखिम साथ ही नियामक तकनीकी और बाजार परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली संक्रमणकालीन जोखिम, पोर्टफोलियों की गुणवत्ता और दीर्घकालिक परिसंपत्ति लचीलेपन को प्रभावित कर सकते हैं । जलवायु जोखिम एकीकरण को मज़बूत करने के लिए, बैंक ने बड़े ऋण जोखिमों के लिए एक जलवायु जोखिम प्रश्नावली शुरू की है और मूल्यांकन प्रक्रिया में एक ईएसजी स्कोरकार्ड को लागू किया है।	

वित्तीय पूँजी | विनिर्मित पूँजी | बौद्धिक पूँजी | मानव संसाधन पूँजी | सामाजिक और संबंध पूँजी | प्राकृतिक पूँजी

महत्वपूर्ण मुद्दों को चिन्हित करना	विवरण/ क्यों यह महत्वपूर्ण है	प्रभावित पूँजी/ प्रभावित एसडीजी/ प्रभावित हितधारक
हरित वित्त और सतत ऋणदान	ग्रीन फ़ाइनेंस, ज़्यादा टिकाऊ और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में अहम भूमिका निभाता है। बैंक, रिन्यूएबल एनर्जी फ़ाइनेंसिंग, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए लोन देने और आइओबी सूर्या और आइओबी तेजस जैसी पहलों के तहत पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ प्रोजेक्ट्स को मदद देकर अपने ग्रीन फ़ाइनेंस पोर्टफ़ोलियो को लगातार मज़बूत कर रहा है। इस साल बायोमास प्रोजेक्ट्स और टिकाऊ मोबिलिटी के लिए फ़ाइनेंसिंग का दायरा भी बढ़ा, जिससे यह पता चलता है कि बैंक का ध्यान अब जलवायु के हिसाब से लोन देने पर ज़्यादा है। ग्रीन डिपॉज़िट से मिली रकम का स्वतंत्र वेरिफिकेशन और 'पार्टनरशिप फ़ॉर कार्बन अकाउंटिंग फ़ाइनेंशियल्स' के साथ बैंक का हस्ताक्षरकर्ता होना, उसके टिकाऊ फ़ाइनेंस के तरीके की विश्वसनीयता को और भी मज़बूत बनाता है।	
वित्तीय समावेशन	वित्तीय समावेशन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है, क्योंकि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक पीएमजेडीवाई खातों, कारोबार प्रतिनिधि नेटवर्क, और पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, अटल पेंशन योजना, पीएम-कुसुम, और पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जैसी राष्ट्रीय योजनाओं में भागीदारी के माध्यम से अपनी पहुँच को लगातार मज़बूत करता है। ये पहल देशभर में वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक बैंकिंग, वित्तीय सुरक्षा और ऋण की पहुँच बढ़ाने में मदद करती हैं, साथ ही बैंक के दीर्घकालिक ग्राहक संबंधों और पहुँच को भी मज़बूत करती हैं।	
कर्मचारी लाभ और विकास	कर्मचारियों का विकास बैंक की दीर्घकालिक वृद्धि, सेवा गुणवत्ता और परिचालन के महत्व के लिए केंद्रीय महत्व रखता है। बैंक अपने आइएसओ 9001:2015 प्रमाणित स्टाफ कॉलेज के माध्यम से अपनी कर्मचारियों की क्षमता को लगातार मज़बूत कर रहा है। यह स्टॉफ कॉलेज कोर बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन, डिजिटल बैंकिंग, नेतृत्व और कार्यात्मक विकास के क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिसमें प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के लिए विशेष कार्यक्रम भी शामिल हैं। बैंक व्यापक कौशल विकास पहलों, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण, समूह बीमा कवरेज, शिशु गृह भत्ता और कर्मचारियों के कल्याण के लिए बनाए गए व्यवस्थित कर्मचारियों के कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर सीखने और कार्यस्थल पर भी ध्यान केंद्रित करता है ।	

वित्तीय पूँजी | विनिर्मित पूँजी | बौद्धिक पूँजी | मानव संसाधन पूँजी | सामाजिक और संबंध पूँजी | प्राकृतिक पूँजी

बाह्य परिवेश

अनुकूल विकास परिदृश्य

> वैश्विक परिदृश्य में चल रहे संरचनात्मक पुनर्संतुलन के दौर के बावजूद भारत की आर्थिक सुदृढ़ता बैंकिंग क्षेत्र को स्थिर आधार प्रदान करती रही है। इस परिवेश में, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अपने हितधारकों के लिए व्यापक आर्थिक अवसरों को दीर्घकालिक मूल्य सृजन में परिवर्तित करने के लिए सुदृढ़ स्थिति में है।

वित्त वर्ष 2025–26 में भारत का व्यापक आर्थिक वातावरण मजबूत बना हुआ है, सशक्त घरेलू मांग, निरंतर अवसंरचना निवेश तथा नीतिगत निरंतरता का समर्थन के कारण। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास गति को बनाए रखने की अपेक्षा है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि निर्मित होती है।

इस परिवेश में, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एक सुदृढ़ होते वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में कार्य कर रहा है, जहाँ परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार, स्वस्थ ऋण मांग तथा अर्थव्यवस्था के बढ़ते औपचारिकीकरण की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। हाल के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र ने अपनी बैलेंस शीट को अधिक मजबूत बनाया है, जिससे विशेष रूप से एमएसएमई, कृषि तथा खुदरा जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में आर्थिक विकास को समर्थन देने की क्षमता सुदृढ़ हुई है।

हालाँकि, बाह्य परिदृश्य अनेक ऐसे कारकों से भी प्रभावित है जो एक साथ चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करते हैं— बदलता वैश्विक आर्थिक क्रम, समावेशन पर केंद्रित विकसित होता नियामकीय ढाँचा, वित्तीय निर्णयों में जलवायु संबंधी विचारों का बढ़ता महत्व तथा डिजिटल एवं साइबर परिवेश की बढ़ती जटिलता ये सभी कारक बैंक की रणनीति, जोखिम दृष्टिकोण तथा मूल्य सृजन की प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

वैश्विक अनिश्चितता एवं भारत की विकास गति

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान वैश्विक आर्थिक वातावरण भू-राजनीतिक तनावों, परिवर्तित व्यापार नीतियों, मुद्रास्फीति संबंधी दबावों, वित्तीय बाजारों की अस्थिरता तथा प्रमुख क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से प्रभावित रहा। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उच्च ऋण स्तर तथा असमान रूप से घटती मुद्रास्फीति ने वैश्विक विकास परिदृश्य को और अधिक संतुलित तथा अनिश्चित बना दिया है, जिससे वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि देखी जा रही है, जबकि उभरते बाजार अस्थिर पूँजी प्रवाह, विनिमय दर उतार-चढ़ाव तथा परिवर्तित व्यापार गतिशीलताओं जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस परिवेश में वित्तीय संस्थान बदलते व्यापक आर्थिक जोखिमों का सामना करने हेतु अपनी बैलेंस शीट की सुदृढ़ता, तरलता प्रबंधन तथा जोखिम शासन ढाँचे को लगातार मजबूत कर रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि में भारत वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित होती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। निरंतर सरकारी पूँजीगत व्यय, सुदृढ़ शहरी मांग, ग्रामीण उपभोग में सुधार तथा अनुकूल कृषि परिदृश्य ने आर्थिक विकास को समर्थन प्रदान किया है। मुद्रास्फीति में नरमी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए सहायक मौद्रिक उपायों ने निवेश, व्यावसायिक गतिविधियों एवं ऋण वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया है।

साथ ही, बैंकिंग क्षेत्र ब्याज दर जोखिम, पोर्टफोलियो संकेंद्रण, आस्ति गुणवत्ता तथा बाजार अस्थिरता से संबंधित विकसित होते जोखिमों का सामना करता रहा। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने वैश्विक मानकों— सीओएसओ ईआरएम, आईएसओ 31000, सीओबीआईटी तथा एनआईएसटी—के अनुरूप एक व्यापक ईआरएम ढाँचा लागू किया, जिसे निदेशक मंडल स्तर की निगरानी एवं 'थ्री लाइन्स ऑफ डिफेन्स' मॉडल का समर्थन प्राप्त रहा। इस ढाँचे ने शासन व्यवस्था, जोखिम वर्गीकरण, जोखिम स्वीकृति सीमा निगरानी तथा तकनीक-आधारित पर्यवेक्षण को सुदृढ़ किया, जिसमें केआरआई, डैशबोर्ड, जेआरसी प्रणाली, वीएआर मॉडल, स्ट्रेस टेस्टिंग एवं परिदृश्य विश्लेषण सम्मिलित थे।

बैंक ने परिचालन, तरलता, प्रौद्योगिकी, ग्राहक सेवा तथा व्यवसायिक जोखिमों को शामिल करते हुए 29 जोखिम स्वीकृति मानकों की मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर निगरानी की।

बैंक ने ऋण, बाजार, तरलता, परिचालन, संकेंद्रण, इक्विटी तथा विदेशी मुद्रा जोखिमों के संबंध में परिदृश्य-आधारित स्ट्रेस टेस्टिंग एवं भावी जोखिम आकलन क्षमताओं को भी सुदृढ़ किया। स्ट्रेस परिदृश्यों में क्षेत्रीय सकेंद्रण, रेटिंग डाउनग्रेड, पुनर्गठित खातों तथा प्रमुख उद्योगों में संभावित स्लिपेज को सम्मिलित किया गया। विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए रिवर्स स्ट्रेस टेस्टिंग एवं सिमुलेशन अभ्यास भी संचालित किए गए।

वर्ष के दौरान तरलता एवं पूँजीगत सुदृढ़ता मजबूत बनी रही। 31 मार्च 2026 की स्थिति में तरलता कवरेज अनुपात 122.01% तथा नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात 127.73% रहा, जो नियामकीय आवश्यकताओं से पर्याप्त रूप से अधिक है। बैंक के निवेश पोर्टफोलियो की अवधि एवं संशोधित अवधि क्रमशः 5.3598 एवं 5.1244 रही, जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर रही। बैंक ने आईआरआरबीबी ढाँचे के अंतर्गत आर्थिक मूल्य इक्विटी एवं निवल ब्याज आय संवेदनशीलता के आकलन के माध्यम से ब्याज दर जोखिम की सतत निगरानी भी जारी रखी।

चिन्हित अवसर

- घरेलू आर्थिक गति से प्रेरित ग्रामीण, शहरी, एमएसएमई, कृषि एवं खुदरा क्षेत्रों में ऋण मांग का प्रभावी दोहन करना।
- सरकारी पूँजीगत व्यय के अनुरूप अवसंरचना एवं परियोजना वित्तपोषण को समर्थन प्रदान करना।
- अनुकूल ब्याज दर वातावरण में गुणवत्तापूर्ण ऋण विस्तार के अवसरों को बढ़ाना।
- दीर्घकालिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों एवं भौगोलिक क्षेत्रों में पोर्टफोलियो विविधीकरण को मजबूत करना।
- विश्लेषण-आधारित पोर्टफोलियो निगरानी एवं स्ट्रेस टेस्टिंग ढाँचों के माध्यम से जोखिम-समायोजित विकास को सुदृढ़ करना।

हमारी रणनीतिक प्रतिक्रिया

- व्यापक आर्थिक, क्षेत्रीय, बाजार एवं पोर्टफोलियो जोखिम परिदृश्यों के अंतर्गत समग्र स्ट्रेस टेस्टिंग का संचालन करना, ताकि संस्थागत सुदृढ़ता बढ़ाई जा सके तथा रणनीतिक निर्णय-निर्माण को समर्थन मिल सके।
- एलसीआर, एनएसएफआर, आईसीएएपी, आईआरआरबीबी तथा बाजार जोखिम मानकों की सतत निगरानी के माध्यम से मजबूत तरलता एवं पूँजी बफर बनाए रखना।
- पोर्टफोलियो समीक्षा एवं शासन तंत्र के माध्यम से रेटिंग माइग्रेशन, क्षेत्रीय संकेंद्रण, भौगोलिक संकेंद्रण तथा बड़े एक्सपोज़र जोखिमों की निगरानी करना।
- विकसित होते नियामकीय एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप एकीकृत निगरानी ढाँचों के माध्यम से उद्यम-स्तरीय जोखिम शासन को सुदृढ़ करना।
- आस्ति गुणवत्ता, पूँजी दक्षता, सतत विकास तथा दीर्घकालिक वित्तीय सुदृढ़ता पर निरंतर ध्यान केंद्रित रखना।

वित्तीय समावेशन को गति प्रदान करता नीतिगत परिदृश्य

भारत का नीतिगत एवं नियामकीय वातावरण वित्तीय समावेशन, अंतिम छोर तक बैंकिंग पहुँच तथा कल्याणकारी लाभों के प्रभावी वितरण को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। भारत सरकार ने औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने हेतु, विशेषकर वंचित एवं बैंकिंग सेवाओं से बाहर रह गए वर्गों के लिए, अनेक पहलों को प्रारंभ एवं विस्तारित किया है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है, जबकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ढाँचे ने सब्सिडी एवं कल्याणकारी लाभों के वितरण को अधिक पारदर्शी तथा दक्ष बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी किफायती आवास पहलें भी समावेशी विकास को प्रोत्साहित करते हुए खुदरा ऋण वृद्धि के लिए नए अवसर सृजित कर रही हैं।

साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक डिजिटल भुगतान अवसंरचना, नवोन्मेषी बैंकिंग चैनलों, ग्राहक संरक्षण उपायों तथा विकसित होते नियामकीय ढाँचों के माध्यम से वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बना रहा है। डिजिटल बैंकिंग एवं भुगतान प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुँच एवं सुविधा में सुधार हुआ है, वहीं परिचालन सुदृढ़ता, सुरक्षित प्रौद्योगिकी अवसंरचना तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का महत्व भी बढ़ा है।

जैसे-जैसे बैंकिंग सेवाएँ ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित हो रही हैं, वित्तीय संस्थान सेवा निरंतरता, प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी तथा ग्राहक-केंद्रित परिचालन ढाँचों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान बैंक ने ग्राहक सेवा से संबंधित जोखिम स्वीकृति मानकों—विशेष रूप से शिकायत निस्तारण एवं डिजिटल सेवा निरंतरता सीमाओं—की सतत निगरानी जारी रखी, जिससे विभिन्न बैंकिंग चैनलों में ग्राहक अनुभव एवं परिचालन पर्यवेक्षण को और सुदृढ़ किया जा सके।

चिन्हित अवसर

- अग्रणी वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वंचित एवं बैंकिंग सेवाओं से वंचित वर्गों तक पहुँच का विस्तार करना।
- किफायती आवास तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र योजनाओं के माध्यम से ऋण वृद्धि करना।
- डीबीटी-संबद्ध बैंकिंग संबंधों के माध्यम से कल्याणकारी लाभों एवं सब्सिडी वितरण को निर्बाध बनाना।
- आधार-सक्षम सेवाओं एवं नवोन्मेषी भुगतान चैनलों के माध्यम से डिजिटल-आधारित ग्राहक अधिग्रहण का विस्तार करना।
- सुलभ, सुरक्षित एवं प्रौद्योगिकी-सक्षम बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से ग्राहक सहभागिता को सुदृढ़ करना।

हमारी रणनीतिक प्रतिक्रिया

- पीएमजेडीवाई, पीएमएमवाई, एपीवाई तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं आजीविका कार्यक्रमों सहित सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को सक्रिय रूप से समर्थन प्रदान करना।
- औपचारिक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में भागीदारी बढ़ाने हेतु ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक की उपस्थिति को सुदृढ़ करना।
- वंचित समुदायों के लिए लक्षित जन-जागरूकता पहलों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता को बढ़ावा देना।
- मोबाइल बैंकिंग, आधार-सक्षम सेवाओं एवं माइक्रो-एटीएम अवसंरचना के माध्यम से अंतिम छोर तक बैंकिंग संपर्क (लास्ट-माइल कनेक्टिविटी) का विस्तार करना।
- ग्राहक अनुभव एवं बैंकिंग सेवाओं की पहुँच में सुधार हेतु शिकायत निवारण प्रणालियों, परिचालन निगरानी तंत्रों तथा डिजिटल सेवा निरंतरता ढाँचों को सुदृढ़ करना।
- भौतिक एवं डिजिटल बैंकिंग चैनलों में परिचालन सुदृढ़ता एवं निगरानी क्षमताओं को निरंतर सशक्त बनाना।

स्थिरता, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा द्वारा बैंकिंग का स्वरूप निर्धारण

जलवायु परिवर्तन, द्रुत डिजिटलीकरण तथा ग्राहकों की बदलती अपेक्षाएँ वैश्विक स्तर पर बैंकिंग क्षेत्र को निरंतर पुनर्परिभाषित कर रही हैं। वित्तीय संस्थान अपने दीर्घकालिक परिचालन परिवेश एवं रणनीतिक प्राथमिकताओं में स्थिरता, प्रौद्योगिकी तथा कार्यबल क्षमता को बढ़ते रूप से समाहित कर रहे हैं।

जलवायु-संबंधित जोखिम, जिनमें अत्यधिक मौसमीय घटनाएँ तथा संक्रमण-संबंधी विनियामकीय एवं बाज़ार परिवर्तन शामिल हैं, ऋण वितरण प्रक्रियाओं, पोर्टफोलियो गुणवत्ता तथा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोणों को प्रभावित कर रहे हैं। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने अपने कॉरपोरेट ऋण पोर्टफोलियो का एक संरचित जलवायु जोखिम आकलन किया है, जिसमें जलवायु जोखिम को ऋण जोखिम तथा प्रतिष्ठा जोखिम का एक महत्त्वपूर्ण एवं बहुआयामी निर्धारक माना गया है।

निर्धारण से संकेत मिलता है कि कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो का 14% तथा 31% भाग क्रमशः निम्न एवं मध्यम जलवायु जोखिम श्रेणियों में आता है, जबकि 17%, 30% तथा 8% भाग जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों एवं भौगोलिक जोखिमों के कारण क्रमशः उन्नत, उच्च एवं अत्यधिक गंभीर जलवायु जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत है। वर्तमान निर्धारण पोर्टफोलियो स्तर पर एक दिशात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा अभी इसे उधारकर्ता-विशिष्ट ऋण पुनर्मूल्यांकन के रूप में नहीं माना गया है। बैंक ऋण वितरण प्रक्रियाओं, पोर्टफोलियो निगरानी तथा भावी ऋण मूल्यांकन रूपरेखाओं में जलवायु जोखिम विचारों के चरणबद्ध एकीकरण को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।

साथ ही, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण तथा स्वचालन के तीव्र अवनयन से ग्राहकों की पहुँच, सुविधा एवं सुरक्षित बैंकिंग

अनुभव संबंधी अपेक्षाओं में व्यापक परिवर्तन हो रहा है। इन परिवर्तनों के कारण डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन तथा ग्राहक सहभागिता जैसे क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन का महत्व और अधिक बढ़ गया है।

डिजिटल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती जटिलता ने सुदृढ़ शासन व्यवस्था, तकनीकी प्रत्यास्थता तथा संपूर्ण संगठन स्तर पर निगरानी रूपरेखाओं की आवश्यकता को और अधिक प्रबल किया है।

इसके समानांतर, सेबी द्वारा प्रस्तुत विकसित हो रही ईएसजी प्रकटीकरण आवश्यकताओं एवं विनियामकीय रूपरेखाओं ने वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता, स्थिरता-संबंधी शासन तथा उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण को और अधिक सुदृढ़ किया है।

चिन्हित अवसर

- अर्थव्यवस्था के निम्न-कार्बन विकास मार्गों की ओर संक्रमण के साथ सतत एवं ईएसजी-संरेखित वित्तपोषण में अवसरों का विस्तार करना।
- निर्बाध, सुरक्षित तथा डिजिटल-सक्षम बैंकिंग सेवाओं की बढ़ती ग्राहक मांग के प्रति प्रभावी रूप से प्रतिसाद देना।
- प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण तथा निगरानी क्षमताओं के माध्यम से परिचालन प्रत्यास्थता एवं निर्णय-निर्माण प्रक्रिया को सुदृढ़ करना।
- डिजिटल बैंकिंग, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन तथा ग्राहक सहभागिता क्षेत्रों में भविष्य-उन्मुख कार्यबल क्षमताओं का विकास करना।
- पारदर्शी ईएसजी प्रकटीकरण एवं उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाओं के माध्यम से हितधारकों के विश्वास को सुदृढ़ करना।

हमारी रणनीतिक प्रतिक्रिया

- ऋण वितरण, पोर्टफोलियो निगरानी तथा ईएसजी जोखिम प्रबंधन रूपरेखाओं में जलवायु एवं संबंधी विचारों का एकीकरण करना।
- परिचालन एवं प्रौद्योगिकी-संबंधित जोखिमों के न्यूनीकरण हेतु परिचालन नियंत्रणों, प्रक्रिया शासन तथा निगरानी प्रणालियों को निरंतर सुदृढ़ करना।
- प्रौद्योगिकी, अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन क्षेत्रों में सतत अधिगम एवं विशेषीकृत प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से कर्मचारियों की क्षमता विकास में निवेश करना।
- संगठन-व्यापी शासन व्यवस्था, विश्लेषण-आधारित निगरानी तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम निर्णय-निर्माण रूपरेखाओं को सुदृढ़ करना।
- विकसित होती स्थिरता एवं विनियामकीय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं, विशेषकर बीआरएसआर रूपरेखा, के अनुरूप प्रकटीकरण एवं शासन प्रथाओं को समायोजित करना।

डिजिटल बैंकिंग परितंत्र में साइबर सुरक्षा का बढ़ता महत्व

बैंकिंग क्षेत्र तीव्र डिजिटल रूपांतरण के दौर से गुजर रहा है, जिसे डिजिटल बैंकिंग चैनलों के बढ़ते उपयोग, क्लाउड-सक्षम अवसंरचना तथा ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं ने गति प्रदान की है। यद्यपि इन विकासों से पहुँच, सुविधा तथा परिचालन दक्षता में सुधार हुआ है, किन्तु इसके साथ ही सुदृढ़ साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता रूपरेखाओं का महत्व भी अत्यधिक बढ़ गया है।

साइबर जोखिम परिदृश्य लगातार अधिक जटिल होता जा रहा है, जहाँ वित्तीय संस्थान रैनसमवेयर हमलों, फ़िशिंग प्रयासों, डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस घटनाओं तथा अन्य उन्नत साइबर घुसपैठों से उत्पन्न बढ़ते जोखिमों का सामना कर रहे हैं। परस्पर जुड़े डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों पर बढ़ती निर्भरता ने प्रत्यास्थ अवसंरचना, सुरक्षित प्रणालियों तथा उत्तरदायी डेटा प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।

भारत में विकसित हो रहे विनियामकीय ढाँचे, विशेषकर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023, डेटा गोपनीयता, साइबर प्रत्यास्थता तथा व्यक्तिगत जानकारी के उत्तरदायी उपयोग पर ध्यान को निरंतर सुदृढ़ कर रहे हैं। डिजिटल अवनयन में तीव्र वृद्धि के साथ, डेटा की गोपनीयता, अखंडता एवं उपलब्धता बनाए रखना वित्तीय संस्थानों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण

प्राथमिकता बन गया है, जिसके लिए साइबर सुरक्षा अवसंरचना, निगरानी प्रणालियों तथा शासन क्षमताओं में सतत निवेश आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने उन्नत निगरानी, सुदृढ़ शासन व्यवस्था तथा प्रौद्योगिकी जोखिम पर्यवेक्षण तंत्रों के माध्यम से अपने साइबर प्रत्यास्थता ढाँचे को और मजबूत किया। बैंक के आईसीएएपी ढाँचे के अंतर्गत साइबर जोखिम को उच्च जोखिम श्रेणी के रूप में आंका गया, जिसके परिणामस्वरूप साइबर जोखिम प्रबंधन हेतु ₹6.67 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी आवंटित की गई, जबकि प्रौद्योगिकी जोखिम को निम्न जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए ₹1.67 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी निर्धारित की गई।

बैंक ने डिजिटल सेवा निरंतरता, परिचालन प्रत्यास्थता तथा ग्राहक शिकायतों से संबंधित जोखिम स्वीकृति सीमाओं की निगरानी भी जारी रखी। आईसीएएपी रूपरेखा के अंतर्गत प्रौद्योगिकी जोखिम का आकलन अनुमोदित स्कोरकार्ड के आधार पर किया गया, जो आपदा पुनर्प्राप्ति अभ्यासों एवं प्रणाली प्रत्यास्थता आकलनों से प्राप्त रिकवरी टाइम वस्तुनिष्ठ तथा रिकवरी पॉइंट वस्तुनिष्ठ मानकों पर आधारित था।

चिन्हित अवसर

- गोपनीयता-प्राथमिकता एवं सुरक्षित बैंकिंग अनुभवों के माध्यम से ग्राहकों का विश्वास सुदृढ़ करना तथा संबंधों को और गहरा बनाना।
- साइबर प्रत्यास्थता एवं उत्तरदायी डेटा शासन में नेतृत्व प्रदर्शित करते हुए हितधारकों के विश्वास को मजबूत करना।
- डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 के अनुरूप अनुपालन को सुदृढ़ करने हेतु विकसित होती सुरक्षा मानकों एवं रूपरेखाओं को अपनाना।
- परिचालन प्रत्यास्थता बनाए रखते हुए ग्राहक पहुँच का विस्तार करने के लिए सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना का प्रभावी उपयोग करना।

हमारी रणनीतिक प्रतिक्रिया

- सुदृढ़ सुरक्षा नियंत्रणों, सतत निगरानी तंत्रों तथा सक्रिय जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से सूचना सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना।
- खतरा पहचान, घटना प्रतिक्रिया क्षमताओं, भेद्यता आकलन तथा प्रणाली लेखा-परीक्षण तंत्रों को सुदृढ़ करना।
- नेटवर्क, अनुप्रयोग एवं क्लाउड सुरक्षा के साथ-साथ आपदा पुनर्प्राप्ति तैयारी तथा व्यवसाय निरंतरता रूपरेखाओं को सशक्त बनाना।
- विकसित होती विनियामकीय आवश्यकताओं एवं उत्तरदायी डेटा उपयोग प्रथाओं के अनुरूप व्यापक डेटा शासन एवं गोपनीयता रूपरेखाओं को बनाए रखना।
- एकीकृत निगरानी एवं पर्यवेक्षण ढाँचों के माध्यम से संगठन-व्यापी प्रौद्योगिकी शासन, साइबर प्रत्यास्थता तथा डिजिटल सेवा निरंतरता को निरंतर सुदृढ़ करना।

वित्तीय पूँजी

निवल लाभ
₹5,208 करोड़
वित्तीय वर्ष 2024–25 की तुलना में
56.16% की वृद्धि

निवल ब्याज आय
₹12,574 करोड़
15.46% की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2024–25

इक्विटी पर प्रतिफल
20.42%

कुल कारोबार:
₹6,78,614 करोड़
20.76% की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2024–25

प्रभावित हितधारक	प्रभावित सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी' यों):	संबद्ध महत्त्वपूर्ण मुद्दे:
ग्राहक निवेशक/शेयरधारक	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	वित्तीय समावेशन ग्राहक निष्पक्षता और सही बिक्री विधिक विनियामक अनुपालन व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में वित्तीय पूँजी स्थिरता, विकास एवं विश्वास की नींव का प्रतिनिधित्व करती है। यह जमा राशि जुटाने, विवेकपूर्ण ढंग से निवेश करने, सुदृढ़ तरलता और पूँजीगत बफर रखने तथा उत्तरदायी ऋण समर्थन करने के हमारी क्षमता को दर्शाती है । ऋण वितरण से लेकर प्रावधान और वसूली तक प्रत्येक वित्तीय निर्णय बैंक की सुदृढ़ तथा दीर्घकालिक मूल्य सृजन को प्रभावित करता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 इस आधार को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। लाभप्रदता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया, आस्ति गुणवत्ता पिछले एक दशक के सर्वोत्तम स्तर पर पहुँच गई, तथा व्यवसाय संरचना क्रमशः अधिक संतुलित एवं सूक्ष्म आरएएम खंडों की ओर अग्रसर रही। समग्र रूप से ये उपलब्धियाँ अनुशासित क्रियान्वयन, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन तथा सुदृढ़ परिचालन मॉडल को दर्शाती हैं, जो बैंक की वित्तीय सुदृढ़ एवं सतत विकास क्षमता को सुदृढ़ करता है।

सुदृढ़ परिचालन क्षमता को दर्शाने वाली आय

वित्त वर्ष 2025–26 आइओबी के लिए ऐसा वर्ष रहा, जिसमें बैंक के वित्तीय प्रदर्शन में बेहतर क्रियान्वयन, अनुशासित लागत प्रबंधन तथा विकास की बेहतर गुणवत्ता के संचयी प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगे। लाभप्रदता में सुधार किसी अस्थायी कारण से नहीं हुआ, बल्कि बैंक द्वारा अपने मुख्य परिचालन तंत्र को निरंतर सुदृढ़ किए जाने के परिणाम स्वरूप हुआ — जिसमें ब्याज आय का विस्तार, उत्पादकता में वृद्धि, शुल्क-आधारित व्यवसायों का विस्तार तथा परिचालन व्ययों पर अधिक सुदृढ़ नियंत्रण बनाए रखना शामिल रहा।

यह वर्ष अधिक संतुलित आय संरचना के लाभ को भी दर्शाता है। ब्याज आय में वृद्धि को स्वस्थ ऋण विस्तार का समर्थन प्राप्त हुआ, जबकि गैर-निधि आधारित व्यवसाय तथा प्रसंस्करण-आधारित आय स्रोतों के माध्यम से शुल्क-आधारित राजस्व में निरंतर वृद्धि जारी रही। साथ ही, परिचालन दक्षता में सुधार और डिजिटल अपनाने में वृद्धि ने लागत वृद्धि को नियंत्रित रखने में सहायता की, जिससे राजस्व का लाभ में अधिक वृद्धि संभव हुई ।

इस परिचालन गति के वित्तीय परिणाम नीचे परिलक्षित किए गए हैं।

- निवल लाभ में 56.16% वृद्धि से ₹5,208 करोड़ तक
- निवल ब्याज आय में 15.46% वृद्धि से ₹12,574 करोड़ तक
- परिचालन लाभ में 15.40% वृद्धि से ₹10,026 करोड़ तक
- परिचालन आय ₹18,210 करोड़ रही।
- शुल्क-आधारित आय ₹2,796 करोड़ तक पहुँची।
- लागत-आय अनुपात 44.94% से सुधरकर 47.14% हो गया।

सूक्ष्म स्तर की वृद्धि पर तुलन पत्र ।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान बैंक की बैलेंस शीट में हुई वृद्धि एक सुदृढ़ एवं अधिक विविध व्यावसायिक मिश्रण को दर्शाती है। अग्रिमों तथा जमाओं दोनों में स्वस्थ वृद्धि दर्ज की गई, जबकि ऋण पोर्टफोलियो निरंतर खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई (आरएएम) क्षेत्रों की ओर केन्द्रीत रहा है, जिससे संकेंद्रण जोखिम में कमी आई और पोर्टफोलियो की स्थिरता मजबूत हुई। वर्ष के दौरान खुदरा एवं कृषि व्यवसाय प्रमुख वृद्धि प्रेरक बने रहे, जिन्हें आवास ऋण तथा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण में निरंतर गति का समर्थन प्राप्त हुआ। साथ ही, स्थिर कासा फ्रेंचाइज़ी ने वित्त पोषण की गुणवत्ता तथा तरलता को बनाए रखने में योगदान योगदान भी दिया है।

वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित रहीं:

- कुल व्यवसाय 20.76% बढ़कर ₹6,78,614 करोड़ हो गया।
- सकल अग्रिमों में 24.16% की वृद्धि होकर यह ₹3,10,423 करोड़ हो गया।
- जमाओं में 18.03% की वृद्धि होकर यह ₹3,68,191 करोड़ हो गई।
- वैश्विक अग्रिमों में आरएएम खंड का योगदान बढ़कर 78.93% हो गया।
- खुदरा अग्रिमों में 45.12% की वृद्धि दर्ज की गई।
- कृषि अग्रिमों में 39.27% की वृद्धि हुई।
- कोर एमएसएमई अग्रिमों में 23.77% की वृद्धि हुई
- कासा अनुपात 40.99% रहा।

बेहतर संपत्ति गुणवत्ता में सुधार एवं पूँजी अनुशासन के माध्यम से लचीलापन सुदृढ़ करना।

वित्त वर्ष 2025–26 आइओबी की बैलेंस शीट की गुणवत्ता एवं लचीलापन में महत्वपूर्ण सुदृढ़ता का वर्ष रहा। निरंतर वसूली प्रयासों, अनुशासित ऋण स्वीकृति प्रक्रिया तथा सुदृढ़ निगरानी तंत्र के परिणामस्वरूप परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ और तनावग्रस्त आस्तियाँ एक दशक से अधिक की न्यूनतम स्तर पर पहुँच गईं। वर्ष के दौरान सकल एनपीए अनुपात 2.14% से सुधरकर 1.42% हो गया, जबकि निवल एनपीए अनुपात 0.37%

से घटकर 0.21% रह गया। बैंक ने वर्ष के दौरान ₹3,576 करोड़ की वसूली के समर्थन से 97.50% का सुदृढ़ प्रावधान कवरेज अनुपात भी बनाए रखा।

साथ ही, वर्ष में अग्रिमों में 24% से अधिक वृद्धि होने के बावजूद बैंक ने अपनी पूँजी स्थिति को और मजबूत किया। पूँजी पर्याप्तता अनुपात 19.78% के आरामदायक स्तर पर रहा, जबकि टियर-1 पूँजी अनुपात 16.94% रहा, जो बैंक की मजबूत वित्तीय लचीलापन तथा भविष्य की व्यावसायिक वृद्धि को समर्थन देने हेतु पर्याप्त पूँजी उपलब्धता को दर्शाता है। सूक्ष्म आरएएम ऋण वितरण की ओर निरंतर झुकाव ने पूँजी दक्षता में सुधार किया तथा समग्र पोर्टफोलियो जोखिम को कम किया, जिससे बैंक की दीर्घकालिक लाभप्रद एवं सतत विकास बनाए रखने की क्षमता और सुदृढ़ हुई।

दीर्घकालिक मूल्य सृजन की आधारशिला का निर्माण।

वित्त वर्ष 2025–26 केवल बेहतर वित्तीय प्रदर्शन का वर्ष ही नहीं रहा, बल्कि यह वह अवधि भी रही जिसमें बैंक ने सतत एवं दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाओं को और सुदृढ़ किया। लाभप्रदता में सुधार, बेहतर आस्ति गुणवत्ता, मजबूत पूँजी बफर तथा अधिक सूक्ष्म एवं संतुलित ऋण मिश्रण ने सामूहिक रूप से आइओबी की विभिन्न आर्थिक चक्रों में मूल्य सृजन की क्षमता को सशक्त बनाया है। आस्तियों पर प्रतिफल का 1.23% तथा इक्विटी पर प्रतिफल का 20.42% तक सुधरना इस तथ्य को दर्शाता है कि बैंक का व्यवसाय प्रत्येक वर्ष के साथ अधिक उत्पादक, दक्ष एवं लचीला बनता जा रहा है।

साथ ही, परिवर्तित होती ब्याज दर परिस्थितियों के बावजूद बैंक ने अनुशासित देयता प्रबंधन एवं बेहतर निधि संरचना के माध्यम से स्थिर मार्जिन बनाए रखे। विकास एवं जोखिम के बीच संतुलित दृष्टिकोण बैंक की दीर्घकालिक वित्तीय रणनीति का केंद्रीय आधार बना हुआ है।

आगे की दिशा में, आइओबी केवल आकार विस्तार पर नहीं बल्कि विकास की गुणवत्ता को और सुदृढ़ करने पर केंद्रित रहेगा। बैंक खुदरा, कृषि तथा एमएसएमई खंडों में अपनी उपस्थिति को और गहरा करेगा, शुल्क-आधारित एवं डिजिटल आय स्रोतों का विस्तार करेगा, वसूली तथा ऋण स्वीकृति ढाँचों को मजबूत करेगा तथा जोखिम-समायोजित प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए पूँजी का विवेकपूर्ण उपयोग करेगा।

जैसे-जैसे परिचालन परिवेश विकसित हो रहा है, बैंक ग्राहकों, शेयरधारकों तथा व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए स्थायी मूल्य सृजन हेतु एक अधिक बड़ा, संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ तथा अधिक दक्ष बैलेंस शीट के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है।

विनिर्मित पूँजी

3,494 देशीय शाखाएँ एवं **53** क्षेत्रीय कार्यालय
सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए

12,187
अल्प सेवा वाले क्षेत्रों में बैंक की पहुंच का विस्तार करने के लिए कारोबार संवादी एजेंट

3,651
एक निरंतर स्व-सेवा स्तर बनाने के लिए एटीएम।

7 एलईईडी
परिसर प्रमाणीकरण
(6 गोल्ड + 1 प्लेटिनम)

₹204.90 करोड़
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आईटी पूँजीगत व्यय

प्रभावित हितधारक	प्रभावित सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी' यों):	संबद्ध महत्त्वपूर्ण मुद्दे:
ग्राहक, कर्मचारी, नियामक	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH, 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	नैतिक आचरण, कारोबार निरंतरता, व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन, ग्राहक निष्पक्षता और उचित तरीके बिक्री, विनियामक और कानूनी पालन

इण्डियन ओवरसीज बैंक में, विनिर्मित पूँजी, एक ऐसे संस्थान की मजबूती को दर्शाती है जो लगभग नौ दशकों से भारत के बैंकिंग परिदृश्य के साथ विकसित हुआ है। हमारी भौतिक उपस्थिति, डिजिटल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और परिचालन प्रणाली मिलकर वह आधार तैयार करते हैं जिसके माध्यम से हम देशभर में निर्बाध,सुरक्षित और सुलभ बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं।

हम शाखाओं, एटीएम, डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकी संरचना को अलग-अलग चैनलों के रूप में नहीं, बल्कि आपस में जुड़े हुए संपर्क बिंदुओं के रूप में देखते हैं, जो हमें ग्राहकों को उनकी वर्तमान स्थिति और उनके द्वारा चुने गए बैंकिंग माध्यमों से सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण हमें एक मजबूत भौतिक नेटवर्क के विश्वास को आधुनिक डिजिटल बैंकिंग की सुगमता और सुविधा के साथ जोड़ने की अनुमति देता है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, हमने अपने बैंक की पहुँच का विस्तार करते हुए, मूल अवसरंचना का आधुनिकीकरण और परिचालन में सिस्टम की मजबूती को बढाते हुए इस आधार को और मजबूत किया है।बढ़ते लेन-देन और ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत किया है, और विभिन्न ग्राहक चैनलों के माध्यम से पहुँच को बेहतर बनाया है।

इसका परिणाम विस्तार योग्य भविष्य के लिए अनुकूल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणाली है जो सेवा वितरण को मजबूत करता है, व्यावसायिक निरंतरता को बनाए रखती है, व्यवधानों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है और यह सुनिश्चित करते है कि अंतिम मील तक बैंकिंग सेवाएँ निरंतर उपलब्ध रहें।

सेवाएँ और शाखाओं के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना

आइओबी में, डिजिटल चैनलों के माध्यम से लेन-देन का स्तर लगातार बढ़ रहा है, फिर भी शाखाएँ ग्राहकों के विश्वास का आधार बनी हुई है। हमारी भौतिक और स्व-सेवा अवसंरचना शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण बाजारों में निर्बाध बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, जिससे भौगोलिक क्षेत्रों में ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव बना रहता है।

बैंक की पहुँच उसके निजी परिसर से कहीं आगे तक फैली हुई है, जहां एक व्यापक व्यावसायिक नेटवर्क मौजूद है। यह नेटवर्क अंतिम मील तक कनेक्टिविटी को मजबूत करता है और औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, हमारी विदेशी उपस्थिति प्रमुख बाजारों में कारोबार, विप्रेषण और संबंध बैंकिंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है।

निम्नलिखित अवसंरचना संबंधी मापदंड हमारे सेवा वितरण नेटवर्क के पैमाने और विश्वसनीयता को दर्शाते हैं:

- 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली 3,494 घरेलू शाखाएं और 53 क्षेत्रीय कार्यालय है।
- 805 एटीएम और 2,846 सीडीएम 96.66% सक्रिय समय के साथ स्व-सेवा बैंकिंग परिचालन का समर्थन करते हैं।
- 12,187 कारोबार संवादी एजेंट ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक की पहुँच को मजबूत कर रहे हैं।
- प्रमुख एशियाई कॉरिडॉर्स में स्थित विदेशी ग्राहक वर्गों को सेवाएँ प्रदान करने वाले 4 अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है।

प्रौद्योगिकी आधार का आधुनिकीकरण

एक आधुनिक बैंक में डिजिटल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती, विनिर्मित पूँजी निर्माण को परिभाषित करती है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, आइओबी ने अपने कोर बैंकिंग सिस्टम फिनेकल को 10.2.17 से 10.2.25 में अपग्रेड किया और जिससे हमारा बैंक इस संस्करण को अपनाने वाला भारत का दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। आईबीएम पी10 सर्वर, ओरेकल आरएसी आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर-डिफाइंड नेटवर्किंग, माइक्रोसेगमेंटेशन और 25 जीबीपीएस बैकबोन द्वारा समर्थित इस अपग्रेड ने सिस्टम की क्षमता, गति और सुरक्षा को मजबूत किया है।

बैंक ने महत्वपूर्ण बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में एन+एन रिडंडेंसी के साथ चेन्नै में एक आईजीबीसी गोल्ड-रेटेड टीयर-3 प्राथमिक डेटा केंद्र भी शुरू किया है, साथ ही भविष्य के लिए तैयार डिजिटल एप्लिकेशन और परिचालन लचीलेपन को सक्षम बनाने के लिए वीएमवेयर वीसीएफ 9.0 पर अपने निजी क्लाउड 2.0 का परिवेश तैयार किया है।

वर्ष के दौरान, ग्राहक उन्मुख डिजिटल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। जिसमें आइओबी ने एक नया मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन और कॉरपोरेट वेबसाइट लॉन्च किया है, 1200 बहु-कार्यात्मक पासबुक कियोस्क स्थापित किए तथा स्व-सेवा बैंकिंग क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 600 नए नकदी पुनर्चक्रण स्थापित किए हैं।

डिजिटल भागीदारी को और मजबूत करते हुए, बैंक ने आइओबी पे प्लेटफॉर्म पर 639 नए व्यापारियों को शामिल किया है, क्रेडिट कार्ड आवेदन प्रक्रिया में नई डीआईवाई यात्रा शुरू की है, और अतिरिक्त पेशकशों के साथ एक नया प्रीपेड कार्ड समाधान लॉन्च किया है। इन पहलों से डिजिटल चैनलों के माध्यम को अपनाने में तेजी आई है और इसके उपयोग में सुधार हुआ है, जिससे वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रति एटीएम/सीडीएम औसत लेन-देन 96 तक पहुँच गया है।

अभियांत्रिकी लचीलापन और निरंतरता

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए, सेवा अवरोध केवल एक परिचालन समस्या नहीं है - यह एक सार्वजनिक प्रतिबद्धता का उल्लंघन है। हम इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। बैंक द्वारा चार-स्तरीय डेटा सेंटर व्यवस्था संचालित की जाती है, जिसमें प्राथमिक डेटा सेंटर, आपदा पुन:प्राप्ति साइट, नियर लाइन डीसी और नियर डीआर शामिल हैं, और इन सभी के बीच प्रतिकृति के ऐसे मार्ग स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करना है। शाखाओं को वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं के माध्यम से दोहरे नेटवर्क मार्गों एवं माध्यमों से जोड़ा गया है, जिससे किसी एक फाइबर लाइन में समस्या आने पर भी शाखा की सेवाएँ बाधित न हों।

आपदा रिकवरी अभ्यास प्रत्येक तिमाही में कम से कम पांच से सात कार्यदिवसों के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिसके दौरान संपूर्ण उत्पादन वातावरण को आपदा रिकवरी साइट से आपदा रिकवरी टीम की देखरेख में चलाया जाता है। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव पैरामीटर बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीसीपी और आपदा रिकवरी नीति में निर्धारित हैं और प्रत्येक अभ्यास के दौरान इनका परीक्षण किया जाता है। फायरवॉल, घुसपैठ पहचान प्रणाली, आवधिक भेद्यता आकलन और बाहरी विशेषज्ञों द्वारा किए गए पेनिट्रेशन टेस्टिंग के माध्यम से साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जाता है, ये सभी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

समावेशी और टिकाऊ परिसर

समावेशी और टिकाऊ परिसर हमारे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश में परिचालन संबंधी पहलुओं के साथ-साथ पर्यावरणीय पहलुओं को भी अधिकाधिक शामिल किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक के पास 7 एलईईडी-प्रमाणित परिसर थे - जिनमें से 6 गोल्ड और 1 प्लेटिनम स्तर के थे - जिससे पर्यावरण-अनुकूल कार्यस्थलों का हमारी स्वामित्व वाली अचल संपत्ति में उल्लेखनीय और बढ़ता हुआ हिस्सा बन गया है। स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, 250 मौजूदा शाखाओं और 162 नई शाखाओं में एलईडी प्रकाश व्यवस्था और ऊर्जा-कुशल उन्नयन को लागू किया गया, जबकि चुनिंदा शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में छतों पर सौर पैनल लगाए गए।

हमारी परिसर रणनीति में सुलभता भी एक समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू है। दिव्यांग आगंतुकों के लिए बाधा-मुक्त पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यालयों में रैंप लगाए गए हैं, और दृष्टिबाधित कर्मचारियों को दैनिक कार्यों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर उपलब्ध कराया गया है। चेन्नै स्थित स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय में वर्ष के दौरान कम पानी की खपत वाले नल, दोहरे फ्लश वाले शौचालय और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्री लगाई गई हैं।

पूँजी आवंटन एवं आगामी कार्ययोजना

हम सुदृढ़ीकरण, विस्तारशीलता और ग्राहक पहुँच को मजबूत करने पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए विनिर्मित पूँजी का आवंटन करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, आईटी पूँजीगत व्यय 204.90 करोड़ रुपये रहा, जिसे बैंक भर में मुख्य प्रौद्योगिकी उन्नयन, साइबर सुरक्षा, स्वचालन और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण की पहलों की ओर निर्देशित किया गया।

भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हमारी निर्मित पूँजी प्राथमिकताओं में हैदराबाद में एक नए आपदा रिकवरी साइट की स्थापना, एटीएम स्विच इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन और कॉरपोरेट मोबाइल बैंकिंग समाधानों के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग क्षमताओं को मजबूत करना शामिल है। बैंक की योजना 1,069 नकदी पुनर्चक्रण मशीनों को बदलने और 450 अतिरिक्त पासबुक कियोस्क को चालू करने की भी है ताकि स्व-सेवा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों की सुविधा को और बढाया जा सके।

इन निवेशों के माध्यम से, हम एक ऐसे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जो लचीला, विस्तार योग्य और डिजिटल रूप से जुड़े बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र की विकसित होती अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

बौद्धिक पूँजी

27 लाख+

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण

1.8 लाख+

उपयोगकर्ता नवनिर्मित व्हाट्सऐप बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म पर

म्यूल हंटर एआई/एमएल समाधान धोखाधड़ी का पता लगाने हेतु रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सहयोग से लागू किया गया

जनरेटिव एआई शिकायतों के संक्षेपण और ईएसजी ज्ञान प्राप्ति के लिए लागू किया गया

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान चार आइबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्राप्त किए गए

प्रभावित हितधारक	प्रभावित सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी' यों):	संबद्ध महत्त्वपूर्ण मुद्दे:
ग्राहक, कर्मचारी	9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	डेटा गोपनीयता

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में बौद्धिक पूँजी उस ज्ञान, तकनीक और संस्थागत विशेषज्ञता को दर्शाती है जो हमारे संचालन और ग्राहकों की सेवा को सुदृढ़ बनाती है। यह उन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों में निहित है जिन पर ग्राहक भरोसा करते हैं, उन आसूचना प्रणालियों में जो लेन-देन की सुरक्षा करती हैं, और उस शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र में जो भविष्य-उन्मुख बैंकिंग क्षमताओं का निर्माण करता है।

हम मानते हैं कि तकनीक तभी सार्थक मूल्य प्रदान करती है जब उसे सशक्त संस्थागत ज्ञान और कुशल जनशक्ति के साथ जोड़ा जाए। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को धोखाधड़ी निगरानी में समाहित करके, डिजिटल स्व-सेवा चैनलों का विस्तार करके, वैश्विक मानकों के अनुरूप साइबर सुरक्षा ढाँचे को सुदृढ़ करके, तथा कर्मचारियों के शिक्षण और क्षमता-विकास पहलों को बढ़ावा देकर इस एकीकरण को और गहरा किया।

इन प्रयासों से मिलकर एक अधिक चुस्त, सुरक्षित और डिजिटल रूप से सक्षम बैंक का निर्माण हो रहा है, जो ग्राहकों और बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र की बदलती आवश्यकताओं के लिए तैयार है।

संपर्कित डिजिटल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाना

(आइओबी) में डिजिटल बैंकिंग लगातार विकसित हो रही है और एक सहज एवं एकीकृत ग्राहक सहभागिता प्लेटफार्म का रूप ले रही है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने एक नया मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसमें उन्नत उपयोगकर्ता जर्नी, सहज नेविगेशन और एकीकृत डिजिटल क्षमताएँ शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न ग्राहक वर्गों में पहुँच और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

बैंक ने ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों और अपने विस्तारित डिजिटल इकोसिस्टम को समर्थन देने के लिए अपने निजी क्लाउड प्लेटफॉर्म, आइओबी मेघाद्री को भी अपग्रेड किया है। डिजिटल सेवाओं के तेजी से उपलब्धता और सभी चैनलों पर ग्राहक अनुभव के लिए यह उन्नत प्लेटफॉर्म अधिक स्केलेबिलिटी, लचीलापन और परिचालन दक्षता प्रदान करता है।

इस प्लेटफ़ॉर्म को वर्ष के दौरान ग्राहकों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया, जिससे मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता आधार 1.30 करोड़ ग्राहकों तक पहुँच गया और 27 लाख से अधिक नए पंजीकरण वित्तीय वर्ष 2025–26 में दर्ज किए गए। इंटरनेट बैंकिंग को अपनाना भी मजबूत रहा, जहाँ उपयोगकर्ता आधार 39.58 लाख ग्राहकों से अधिक हो गया और वर्ष के दौरान 5.10 लाख से अधिक नए उपयोगकर्ता पंजीकरण दर्ज किए गए।

डिजिटल सहभागिता को और सुदृढ़ किया गया बहुभाषी व्हाट्सऐप बैंकिंग, स्व-सेवा री-केवाईसी, ऑनलाइन जमा खोलना, वीसीआईपी-सक्षम ऑनबोर्डिंग, आधार-आधारित टैब बैंकिंग सेवाएँ और डिजिटल रूप से सक्षम क्रेडिट कार्ड यात्राओं के माध्यम से डिजिटल सहभागिता को और मजबूत किया गया।

बैंक ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का भी लाभ उठाना जारी रखा, जिसमें यूपीआई, आधार प्रमाणीकरण और अकाउंट एग्रिगेटॅर संरचना शामिल है, ताकि ग्राहकों की यात्रा को और अधिक सुगम और विस्तार योग्य बनाया जा सके।

उन्नत कंप्यूटिंग क्षमताओं और भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढाँचे के साथ, आइओबी मेघाद्री उन्नत विश्लेषण और एआई-संचालित सेवाओं सहित नवाचार पहलों का समर्थन करता है, साथ ही सुरक्षित, निर्बाध और सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है। आधुनिकीकरण से परिचालनिक चपलता और लागत दक्षता में भी सुधार होता है, जिससे बैंक की दीर्घकालिक डिजिटल परिवर्तन यात्रा को बल मिलता है।

इन पहलों ने विभिन्न चैनलों पर डिजिटल लेन-देन को अपनाने की गति को उल्लेखनीय रूप से तेज़ किया। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, डिजिटल लेन-देन कुल लेन-देन का 98.38% रहे, जिनमें प्रमुख रूप से यूपीआई लेन-देन शामिल थे, जिन्होंने कुल डिजिटल लेन-देन मिश्रण में 90% योगदान दिया। एनईएफटी और आरटीजीएस का हिस्सा 3.09% रहा, कार्ड लेन-देन ने 2.92% योगदान दिया, जबकि अन्य डिजिटल चैनलों ने शेष हिस्सेदारी निभाई — जो एक डिजिटल रूप से जुड़े बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है।

लचीला और विस्तार योग्य प्रौद्योगिकी अवसंरचना का निर्माण

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान अपनी प्रौद्योगिकी आधार को आधुनिक बनाने का कार्य जारी रखा। यह आधुनिकीकरण विस्तार क्षमता, अंतःक्रियाशीलता, साइबर सुरक्षा और परिचालन लचीलापन पर केंद्रित अवसंरचना उन्नयन के माध्यम से किया गया। बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सिस्टम को फिनेकल 10.2.25 में अपग्रेड किया, जिससे वह भारत का दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया जिसने फिनेकल के नवीनतम समर्थित संस्करण में माइग्रेट किया।

बैंक ने अपने नए ऑन-प्रिमाइसेस अवसंरचना के भीतर वीएमवेयर वीसीएफ 9.0 आर्किटेक्चर पर प्राइवेट क्लॉउड 2.0 को भी लागू किया, जिससे विस्तार क्षमता और भविष्य-उन्मुख डिजिटल एप्लीकेशन के लिए समर्थन को सुदृढ़ किया गया। शाखा राउटर्स के लिए एसडी-डब्ल्यूएएन माइग्रेशन और वर्चुअल

डेस्कटॉप इन्फ्रास्ट्रक्चर (वीडीआइ) का कार्यान्वयन बैंक के नेटवर्क पारिस्थितिकी तंत्र में कनेक्टिविटी, सुरक्षा और परिचालन लचीलेपन को और बढ़ाने में सहायक रहा।

वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी निवेश मुख्य रूप से कोर बैंकिंग अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, स्वचालन और नियामक क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर केंद्रित रहे। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए आईटी पूँजीगत व्यय ₹204.90 करोड़ रहा, जबकि बजट आवंटन ₹255.34 करोड़ था। प्रमुख निवेशों में शामिल थे:

ओरेकल यूएलए लाइसेंस	सर्वर अवसंरचना	सीएलएमएस टूल्स	एएमएल सॉफ़्टवेय
₹31.78 करोड़	**₹12.56 करोड़**	**₹10.49 करोड़**	**₹10.49 करोड़**

एएलएम, आइआरआर बीबी और पूँजी पर्याप्तता टूल्स	चेक पॉइंट फ़ायरवॉल	व्यापार स्वचालन प्रणाली
₹10.70 करोड़	**₹5.70 करोड़**	**₹4.03 करोड़**

बैंक ने व्यवसाय निरंतरता की तैयारी को और सुदृढ़ किया चार-स्तरीय डेटा सेंटर आर्किटेक्चर के माध्यम से, जिसमें प्राइमरी डेटा सेंटर (पीडीसी), डिज़ास्टर रिकवरी साइट (डीआरएस), नियर लाइन डेटा सेंटर (एनडीसी) और नियर डिज़ास्टर रिकवरी (एनडीआर) अवसंरचना शामिल है। त्रैमासिक डिज़ास्टर रिकवरी अभ्यास 5–7 कार्य दिवसों तक आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें बैंक की बीसीपी एंड डीआर नीति के अंतर्गत अनुमोदित रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव (आरटीओ) और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव (आरपीओ) ढाँचों के अनुसार परिभाषित किया गया है।

वर्ष के दौरान एक नया टियर-3 प्राइमरी डेटा सेंटर एन+एन प्रचुरता के साथ भी परिचालित किया गया। सात स्तरों की सुरक्षा, उन्नत अवसंरचना आर्किटेक्चर, ओवरहेड केबलिंग सिस्टम और ज़ीरो-टिल्ट फ्लोरिंग से सुसज्जित यह सुविधा परिचालन निरंतरता, अवसंरचना की विश्वसनीयता और दीर्घकालिक अनुरक्षण क्षमता को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करती है।

सूचना और ग्राहक विश्वास की सुरक्षा

किसी बैंक पर विश्वास, उत्तरोत्तर, उसके सुरक्षा परिमाप पर विश्वास होना है, हमारा बैंक ISO 27001:2013 प्रमाणित सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संचालित करता है और उद्यम जोखिम प्रबंधन के मानक के रूप में औपचारिक रूप से ISO 31000:2018 को अपनाया है। बैंक साइबर सुरक्षा जागरूकता को सार्वजनिक अभियानों और परामर्शों के माध्यम से सुदृढ़ करता है, जिनमें फ़िशिंग, नकली ऐप्स, डीपफेक घोटाले, डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी और यूपीआई -संबंधित जोखिम शामिल हैं। इन पहलों को बैंक की वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों द्वारा समर्थन प्राप्त है।

इस वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लिए ISO 31000:2018 प्रमाणन प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जो विश्व स्तर पर स्वीकृत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के साथ संरेखण को दर्शाता है। यह कदम एक प्रमुख वैश्विक परामर्श फर्म के सहयोग से बैंक की जोखिम नीतियों, ढांचों और प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से मजबूत करने के बाद उठाया गया।

किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा किए गए स्वतंत्र लेखापरीक्षा के बाद प्रदान किया गया यह प्रमाणन इस बात की पुष्टि करता है कि बैंक का ईआरएम ढाँचा जोखिम गवर्नेन्स , पहचान, मूल्यांकन, न्यूनीकरण, निगरानी और रिपोर्टिंग को कवर करता है, और रणनीतिक और परिचालन निर्णय लेने में प्रभावी रूप से समाहित है। इसके अपनाने से जोखिम मूल्यांकन में एकरूपता में सुधार हुआ है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हुई है, विभिन्न विभागों में जवाबदेही बढ़ी है और व्यावसायिक रणनीति के साथ जोखिम प्रबंधन के बेहतर एकीकरण को समर्थन मिला है।

परिचालन स्तर पर, बैंक ने सीआरएम प्लेटफ़ॉर्म को पुनः विकसित कर उसे केंद्रीकृत शिकायत निवारण पोर्टल (एसपीजीआरएस) के साथ एकीकृत कर अपनी शिकायत और ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ किया किया गया। यह प्रणाली 24×7 शिकायत पंजीकरण, वास्तविक समय ट्रैकिंग, एस्केलेशन प्रबंधन और संरचित टर्नअराउंड समय सीमा सक्षम करती है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के अनुरूप है। इससे सेवा चैनलों में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और ग्राहक विश्वास को और बढ़ावा मिला।

यह उपलब्धि सक्रिय जोखिम प्रबंधन, मजबूत शासन मानकों, पारदर्शिता और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ निरंतर तालमेल के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

डिजिटल आर्किटेक्चर और प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता को सुदृढ़ करना

बैंक ने डिजिटल बैंकिंग परिचालन का समर्थन करने वाली अंतर्निहित प्रक्रिया संरचना को आधुनिक बनाने का कार्य जारी रखा। यह आधुनिकीकरण विस्तार योग्य एकीकरण ढाँचों, वर्कफ़्लो डिजिटलीकरण और सुरक्षित प्रौद्योगिकी अवसंरचना के माध्यम से किया गया।

एक सशक्त एंटरप्राइज सर्विस बस और एपीआइ गेटवे अवसंरचना अब आंतरिक प्रणालियों, फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

और तृतीय-पक्ष अनुप्रयोगों के बीच निर्बाध एकीकरण सक्षम करती है। इससे डिजिटल सेवाओं की तेज़ और अधिक विस्तार योग्य तैनाती को समर्थन मिलता है।

वर्ष के दौरान डिजिटल वर्कफ़्लो परिवर्तन को तेज़ी मिली प्रबंधन स्तरों से लेकर निदेशक मंडल तक डिजिटल ऑफिस नोट्स समाधान के रोलआउट के माध्यम से, जिससे परिचालन दक्षता में सुधार हुआ और मैनुअल हस्तक्षेप कम हुआ। संग्रहण और वसूली परिचालन को भी डिजिटल डैशबोर्ड, वर्कफ़्लो और मोबाइल अनुप्रयोगों के माध्यम से सुदृढ़ किया गया, जिससे वास्तविक समय निगरानी और तेज़ निष्पादन संभव हुआ। बैंक ने यूआई पाथ का उपयोग करके रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) के माध्यम से स्वचालन क्षमताओं को और मजबूत किया, जिससे सॉफ्टवेयर बॉट्स विभिन्न कार्यों में दोहराव वाली और नियम-आधारित प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में सक्षम हो गए। आरपीए डेटा एंट्री, मिलान, रिपोर्ट जनरेशन, अनुपालन निगरानी और ग्राहक ऑनबोर्डिंग जैसी गतिविधियों में सहायता करता है, जिससे प्रोसेसिंग की गति, परिचालन दक्षता और नियंत्रण में सुधार होता है, साथ ही मैन्युअल प्रयास और टर्नअराउंड समय में कमी आती है।

बैंक ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग और केसीसी ऋण प्रक्रियाओं में स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग क्षमताओं का और विस्तार किया। आइओबी लॉ कनेक्ट और केवाईसी स्मार्ट स्कैनर मोबाइल ऐप जैसी एप्लीकेशन ने कानूनी प्रक्रिया प्रबंधन को सुदृढ़ किया। इनसे ऑनबोर्डिंग और री-केवाईसी वर्कफ़्लो को सरल बनाया गया, जो क्यूआर -सक्षम दस्तावेज़ प्रसंस्करण के माध्यम से टैब बैंकिंग सिस्टम के साथ एकीकृत हैं। हैं। आरपीए फ्रेमवर्क के भीतर एआई-सक्षम क्षमताओं का एकीकरण कुशल स्वचालन को और अधिक समर्थन देता है, अनुपालन को बढ़ाता है, प्रसंस्करण त्रुटियों को कम करता है और व्यावसायिक कार्यों में डिजिटल वर्कफ़्लो की स्केलेबल तैनाती को सक्षम बनाता है। आंतरिक रूप से, आस्क अस और ऑल आइडिया मेटर्स ने कर्मचारी सहयोग, संरचित समस्या-समाधान और संगठन भर में प्रक्रिया नवाचार को निरंतर समर्थन प्रदान किया।

प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण, डिजिटल अवसंरचना और प्रक्रिया नवाचार में किए गए इन निवेशों को वर्ष के दौरान बाहरी सम्मान प्राप्त हुआ । भारतीय बैंक संघ (आइबीए) के 21वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कार में, आइओबी को चार श्रेणियों में सम्मानित किया गया।

- आईटी जोखिम और प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ (रनर-अप)
- सर्वश्रेष्ठ टेक प्रतिभा और संगठन (रनर-अप)
- वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक (विशेष उल्लेख) सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन (विशेष उल्लेख)

ये सम्मान बैंक के सुरक्षित, विस्तार योग्य और समावेशी डिजिटल बैंकिंग क्षमताओं के निर्माण पर निरंतर ध्यान को दर्शाते हैं, जो ग्राहक विश्वास और परिचालन लचीलापन को सुदृढ़ करते हैं ।

मानव संसाधन पूँजी

21,034
कर्मचारी

43.49
प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण घंटे

37.05 %
महिला अधिकारी

3.85/5
सहभागिता स्कोर

250
भावी नेतृत्वकर्ताओं का प्रोजेक्ट लक्ष्य के अंतर्गत विकास किया गया।

₹32.26 करोड़
वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कारोबार प्रति कर्मचारी 20.37% बढ़ गया ।

₹25 लाख
वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में लाभ प्रति कर्मचारी 56.25% बढ़ गया ।

प्रभावित हितधारक	प्रभावित सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी' यों):	संबद्ध महत्त्वपूर्ण मुद्दे:
कर्मचारी	5 GENDER EQUALITY, 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH, 10 REDUCED INEQUALITIES	कर्मचारी लाभ एवं विकास; नैतिक आचरण

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में, हमारे संस्थान की मजबूती, हमारे कर्मचारियों की क्षमता से प्रवाहित होती है। बैंकिंग मूल रूप से विश्वास का व्यवसाय है – और ग्राहक दर ग्राहक, प्रत्येक लेन-देन के साथ विश्वास, केवल कर्मचारी ही स्थापित कर सकते हैं । जैसे-जैसे बैंक डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, तीव्र विनियामक अपेक्षाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती जिम्मेदारियों के दौर से गुजरता है, इससे हमारे कार्यबल की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हमारे कर्मचारी प्रौद्योगिकी को सेवा में, नीति को व्यवहार में और उपस्थिति को संबंध में बदलते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मानव संसाधन की कार्यसूची तीन महत्वपूर्ण बदलावों पर आधारित हैं: क्षमता को बढ़ाना, प्रतिनिधित्व का विस्तार करना और कर्मचारियों की बात को अधिक ध्यान से सुनना।

पहुँच और विश्वसनीयता के लिए निर्मित कार्यबल

हमारा कार्यबल प्रोफाइल, गहरी देशीय जड़ों और जन-केंद्रित संस्कृति वाले एक सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान के रूप में बैंक की पहचान को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर्मचारियों की जो संख्या 20,966 थी, वह वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 21,034 हो गई । यह बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्थिर कार्यबल वृद्धि को दर्शाता है। इस वर्ष, बैंक ने 855 नए कर्मचारियों को नियुक्त किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 328 अधिक है, जिससे संस्थागत निरंतरता को बनाए रखने के साथ-साथ संगठन में नई क्षमताओं को जोड़ा गया। कर्मचारी प्रतिधारण भी मजबूत रहा, जिसमें कुल नौकरी छोड़ने की दर 1.80% रही, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.78% के लगभग बराबर है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए निर्धारित सामान्य मानकों के भीतर है।

कार्यबल का बदलता स्वरूप, बैंक के नेतृत्व को मजबूत करने और भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाते हैं। आंतरिक पदोन्नति और चयनात्मक भर्तियों ने अधिकारी संवर्ग में वृद्धि को बढ़ावा दिया है, जिससे बैंक संस्थागत निरंतरता को बनाए रखते हुए पर्यवेक्षी, ऋण और डिजिटल बैंकिंग कार्यों का विस्तार करने में सक्षम हुआ है।

एक उभरती हुई बैंक के लिए कुशाग्र कौशल

वित्त वर्ष 2025-26 के हमारे प्रयासो में सीखने की तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। प्रति कर्मचारी औसत प्रशिक्षण घंटे पिछले वर्ष के 27.41 घंटों से बढ़कर 43.49 घंटे हो गया है, जो लगभग 60% की वृद्धि है। यह वृद्धि दर्शाती है कि बैंक विकास के लिए क्षमता निर्माण को कितनी गंभीरता से ले रहा है। आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली 20,080 कर्मचारियों तक पहुँची , जबकि 4,233 अधिकारियों और कार्यपालकों ने राष्ट्रीय स्तर के बाहरी संस्थानों में कार्यक्रमों में भाग लिया। हमने नई संस्थागत साझेदारियों के माध्यम से विशेषज्ञ प्रशिक्षण को मजबूत किया, जिसमें भारतीय बैंकिंग और वित्तीय संस्थान (आइआइबीएफ) के साथ एक अनुकूलित एमएसएमई कार्यक्रम और भारतीय प्रबंध संस्थान कोळिकोड (आइआइएमके) के साथ एक विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था शामिल है। डिजिटल दक्षता पर निरंतर ध्यान दिया गया, जिसके तहत वर्ष के दौरान 10,648 कर्मचारियों ने संरचित आई.टी मॉड्यूल पूरे किए, जो कोर बैंकिंग, साइबर सुरक्षा और ग्राहक-केंद्रित डिजिटल उपकरणों पर बैंक के व्यापक प्रयासों का समर्थन करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख कार्यबल श्रेणियों में निम्नानुसार वितरित है:

वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

अधिकारी
13,022

ग्राहक सेवा सहयोगी
6,705

अधीनस्थ कर्मचारी
1,307

देशीय / विदेशी कार्यबल:
21,013 / 21

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
1.41%

अस्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
0.39%

वर्ष के दौरान की गई नई नियुक्तियाँ
855

प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण घंटे
43.49

आंतरिक प्रशिक्षण की पहुँच
20,080
कर्मचारी

पूरे किए गए आई.टी मॉड्यूल
10,648
स्टाफ सदस्य

बाहरी संस्थागत कार्यक्रम
4,233
कार्यपालक एवं अधिकारी

नई प्रशिक्षण-उद्योग साझेदारी: आईआईबीएफ (एमएसएमई) और आईआईएमके (अनुकूलित कार्यक्रम)

महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमताओं को आगे बढ़ाना

हमारे लिए, लैंगिक विविधता केवल एक प्रतिनिधित्व मैट्रिक नहीं है - यह बैंक के भीतर नेतृत्व स्तरों पर अवसरों और भागीदारी के विस्तार को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, अधिकारी संवर्ग में महिलाओं की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 36.34% से बढ़कर 37.05% हो गई, जिसे 284 महिला अधिकारियों को जोड़ने का समर्थन मिला है। कार्यबल में पुरुष-महिला अंतर के क्रमिक संकुचन को दर्शाते हुए समग्र लिंग अनुपात भी 1.74 से 1.69 हो गया है।

इस प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए, बैंक ने एनएआरआई - समावेशी बैंकिंग में महत्वाकांक्षी आदर्शों को प्रशिक्षित करना- एक महिला समर्पित नेतृत्व कार्यक्रम शुरू किया है ताकि शाखाओं और कॉरपोरेट कार्यालयों में भविष्य के लिए तैयार महिला नेतृत्व की एक मजबूत शृंखला का निर्माण किया जा सके। इस दिशा में प्रगति जारी है और लगातार बनी हुई है, जो समावेश और नेतृत्व विकास के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विविधता से संबंधित प्रमुख बातें निम्न हैं:

- महिला अधिकारी: 4,824
- अधिकारी संवर्ग में महिलाएं: कुल अधिकारियों का 37.05%
- महिला अधिकारियों की कुल संख्या में वृद्धि: 284
- लिंगानुपात (पुरुष: महिला): 1.69
- एनएआरआई लॉन्च – महिलाओं के लिए नेतृत्व कार्यक्रम

महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व और नेतृत्व के अवसरों को सुदृढ़ करते हुए, बैंक एक अधिक समावेशी और संतुलित कार्यबल का निर्माण कर रहा है। ये प्रयास एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देता है जहाँ विकास के अवसर क्षमता, भागीदारी और दीर्घकालिक विकास द्वारा निर्धारित होते हैं।

कार्यबल को सुनना, चिह्नित करना और प्रोत्साहित करना

बैंक में कर्मचारी की नियुक्ति सुनने, जवाबदेही और निरंतर सुधार की संस्कृति पर आधारित है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, वार्षिक कर्मचारी सहभागिता सर्वेक्षण में औसतन संतुष्टि स्कोर 5 में से 3.85 दर्ज किया गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 के 3.7 से बेहतर है। यह सुधार कर्मचारी अनुभव को मजबूत करने और कार्यबल की प्रतिक्रिया पर सार्थक कार्रवाई करने हेतु बैंक के केंद्र-बिंदु को दर्शाता है।

सर्वेक्षण निष्कर्षों के एक प्रमुख परिणाम के आधार पर बाहरी विशेषज्ञ परामर्शदाताओं द्वारा समर्थित एक गोपनीय परामर्श सुविधा की शुरुआत थी। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को संरचित, सुलभ कल्याण सहायता प्रदान करना है, जिससे व्यावसायिक तनाव को दूर करने और गोपनीय और सम्मानजनक तरीके से भावनात्मक कल्याण का समर्थन करने में मदद मिलती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी सहभागिता के प्रमुख बिंदुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कर्मचारी सहभागिता सर्वेक्षण स्कोर: 3.85 / 5
- बाहरी परामर्शदाताओं के माध्यम से गोपनीय परामर्श सुविधा शुरू की गई।

वर्ष के दौरान, बैंक ने एक अधिक निरंतर और प्रदर्शन-आधारित पहचान संस्कृति बनाने के लिए, अपने पुरस्कार एवं सम्मान अवसरंचना को भी पुनर्गठित किया है। समय-समय पर दिए जाने वाले पुरस्कार आधारित सम्मान के अलावा, बैंक ने एक त्रैमासिक अंक आधारित प्रणाली शुरू की है, जिसमें शीर्ष कार्य-निष्पादन करने वाले कर्मचारी, पुरस्कार अंक अर्जित करते हैं, जिन्हें व्यावसायिक विकास या करियर उन्नति के लिए मोचन किया जा सकता है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एफएबी 50, सुपर 88 और गोल्डन लीग चैंपियंस कार्यक्रम सक्रिय रहे, जिसके अंतर्गत अभियान में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन करने वाले कुल 403 सदस्यों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख सम्मान और पुरस्कार संबंधी प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

- सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाले स्टाफ सदस्यों को तिमाही आधार पर रिवॉर्ड अंक दिए जाते हैं।
- इन रिवॉर्ड अंकों का उपयोग बाहरी और विदेशी प्रशिक्षण नामांकन के लिए किया जा सकता है।
- पदोन्नति संबंधी विचारों और स्थानांतरण प्राथमिकताओं से जुड़ा सम्मान।

इन पहलों के माध्यम से, बैंक कर्मचारियों की प्रेरणा और सहभागिता को मजबूत करना जारी रखता है और सम्मान, प्रोत्साहन और विकास पर आधारित कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देता है।

नेतृत्व की भावी पंक्ति की तैयारी

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक की संरचित मानव संसाधन परिवर्तन पहल 'लक्ष्य' के तहत नेतृत्व विकास पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए नेतृत्व क्षमता का निर्माण करना था। इस वर्ष के दौरान, 250 चिन्हित भावी नेतृत्वों ने नौ महीने का एक गहन विकास कार्यक्रम पूरा किया, जिसमें क्लासरूम लर्निंग, वास्तविक बैंकिंग चुनौतियों पर आधारित लाइव प्रोजेक्ट और संरचित व्यक्तिगत अधिकार सत्र शामिल थे। यह कार्यक्रम शाखा नेतृत्व, ऋण प्रबंधन और संस्थागत अधिकार भूमिकाओं के लिए आवश्यक प्रबंधकीय, रणनीतिक और निर्णय लेने की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बनाया गया था।

बैंक ने प्रतिष्ठित संस्थानों और आंतरिक प्रशिक्षण प्लेटफार्मों के सहयोग से संचालित विभिन्न विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से अपने नेतृत्व स्तर को और मजबूत किया। इन पहलों का उद्देश्य विभिन्न प्रबंधन स्तरों पर नेतृत्व प्रभावशीलता, टीम प्रबंधन, रणनीतिक सोच और संस्थागत क्षमता निर्माण को मजबूत करना था। ये सभी प्रयास बैंक की उस दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जिसके तहत वह ऐसे नेतृत्व का विकास करना चाहते हैं जो बदलते बैंकिंग परिदृश्य में संस्था का मार्गदर्शन कर सकें।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नेतृत्व विकास की प्रमुख उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- लक्ष्य परियोजना के अंतर्गत विकसित भावी नेतृत्व: 250
- नौ महीने का एक गहन नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- कार्यक्रम की सरंचना में क्लासरूम लर्निंग, लाइव प्रोजेक्ट और वन-टू-वन कोचिंग शामिल थी।
- आरोहण 2025 – नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- बैंक कार्यपालकों के लिए नेतृत्व विकास पर कैंपस कार्यक्रम-एनआईबीएम
- वित्तीय क्षेत्र नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एफएसएलडीपी) – सीएएफआरएएल
- प्रभावी नेतृत्व: उच्च कार्य-निष्पादन करने वाली टीम के लिए ब्लूप्रिंट – एसपीजेआईएमआर
- आईएसबी सीएक्सओ नेतृत्व रिफ्रेशर कार्यक्रम
- नेतृत्व विकास कार्यक्रम – संस्थान के विकास का केंद्र
- नेतृत्व विकास कार्यक्रम: प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण(टीटीटी) – बीसीजी
- नव पदोन्नत स्केल IV अधिकारियों के लिए नेतृत्व उत्कृष्टता कार्यक्रम – एक्सएलआरआई

ये पहलें बैंक को एक मजबूत नेतृत्व टीम बनाने में मदद कर रही हैं जो संस्था के दीर्घकालिक सेवा मूल्यों को बनाए रखते हुए ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं, तकनीकी बदलावों और प्रबंधन संबंधी जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम है।

सामाजिक और संबंध पूँजी

99.89%
वर्ष भर में शिकायत निवारण दर रही।

94.5 लाख
पीएमजेडीवाई खाते

₹8.74 करोड़
सीएसआर व्यय

5.85 लाख
सीएसआर लाभार्थियों की संख्या

192
वर्ष के दौरान की गई प्रायोजन एवं दान संबंधी पहलें

₹36.37 लाख
का विकासोन्मुखी जिला व्यय

100%
स्थानीय सोर्सिंग - पूर्णत: भारत में

12,187
व्यावसायिक संवाददाता एजेंट

प्रभावित हितधारक

ग्राहक

समुदाय

प्रभावित सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी' यों):

1 NO POVERTY

10 REDUCED INEQUALITIES

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

संबद्ध महत्त्वपूर्ण मुद्दे:

नैतिक आचरण

वित्तीय समावेशन

ग्राहक निष्पक्षता और सही बिक्री

इण्डियन ओवरसीज बैंक में, सामाजिक और संबंधपरक पूँजी उस विश्वास और दीर्घकालिक संबंधों को दर्शाती है जो ग्राहकों, समुदायों, नियामकों, भागीदारों और समग्र रूप से समाज के साथ जोड़ते हैं। लगभग नौ दशकों में निर्मित ये संबंध समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के रूप में हमारी भूमिका को और मजबूत कर रहें हैं।

हमारा मानना है कि बैंकिंग तभी दीर्घकालिक मूल्य सृजित करती है जब वह सुलभ, उत्तरदायी और अपने द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदायों की आवश्यकताओं के साथ निकटता से जुड़ी रहती है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण वित्तीय समावेशन, ग्राहक सहभागिता, सामुदायिक भागीदारी और शेयरधारकों के विश्वास को मजबूत करने पर केंद्रित है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, हमने शिकायतों के त्वरित समाधान, व्यापक वित्तीय समावेशन पहलों, व्यापक सामुदायिक संपर्क, समावेशी खरीद प्रथाओं और मजबूत शेयरधारक सहभागिता प्रणालियों के माध्यम से इन संबंधों को और मजबूत किया है।

ये सभी संबंध मिलकर एक मजबूत सामाजिक आधार बनाते हैं जो सतत विकास और दीर्घकालिक मूल्य सृजन का समर्थन करता है।

बेहतर ढंग से सुनना और जिम्मेदारी से सेवा करना

इण्डियन ओवरसीज बैंक में जिम्मेदारी,सुलभता और सेवा की निरंतरता के माध्यम से ग्राहकों के विश्वास को मजबूत किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने शिकायत प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया, जिसमें ग्राहकों की शिकायतों में 11.5% की कमी और वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों में 91.9% की कमी दर्ज की गई। शिकायत निवारण दर 99.89% रही, जो सभी चैनलों पर त्वरित समाधान और मजबूत निवारण तंत्र को दर्शाती है।

यह प्रगति केंद्रीकृत शिकायत निवारण पोर्टल के साथ समन्वित ग्राहक संबंध प्रबंधन के सहयोग के द्वारा है, जो 24×7 शिकायत पंजीकरण,स्वचालित पावती,वास्तविक समय पर ट्रैकिंग और संरचित स्थानांतरण प्रक्रियाओं को सक्षम बनाता है। ग्राहक शाखाओं,मोबाइल बैंकिंग,इंटरनेट बैंकिंग,व्हाट्सअप,एसएमएस,कॉल सेंटर,ई-मेल और सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतों का निवारण कर सकते हैं। शाखाओं में हर महीने 15 तारीख को शिकायत निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है जो सीधे ग्राहक संवाद और समाधान के लिए एक समर्पित मंच है।

बैंक ने कासा विन-बैक पहल भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन सक्रिय, गैर-कॉर्पोरेट, गैर-सरकारी और गैर-कर्मचारी खातों वाले ग्राहकों से फिर से संपर्क स्थापित करना है, जिनका मासिक औसत शेष एक निर्दिष्ट अवधि में 25% से अधिक घट गया है। इस पहल में 3,243 शाखाएं शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक शाखा में ग्राहक संबंध अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि ग्राहकों से संपर्क किया जा सके, सेवा संबंधी कमियों को दूर किया जा सके और शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

यह कार्यक्रम चरण 1 से 5 तक लागू किया गया था, जिसमें धीरे-धीरे अतिरिक्त शाखाओं को शामिल किया गया और वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉलिंग इंटरफेस की शुरुआत की गई। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, इस अभियान ने ₹1,920 करोड़ की संचयी कासा वृद्धि दर्ज की, जो ग्राहकों की मजबूत सहभागिता और संबंधों की गहराई में नवीनीकरण को दर्शाती है।

इस वर्ष ग्राहक संरक्षण ढाँचे को लगातार मजबूत करने का भी प्रभाव दिखा, जिसमें डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, अनुचित व्यापार प्रथाओं या भ्रामक विज्ञापन श्रेणियों में शून्य शिकायतें दर्ज की गईं और शून्य डेटा उल्लंघन हुआ।

वित्तीय समावेशन और सामुदायिक पहुँच को बढ़ावा देना

वित्तीय समावेशन बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के अधिदेश का केंद्रीय हिस्सा बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने 12,187 व्यावसायिक प्रतिनिधि एजेंटों के नेटवर्क के माध्यम से 94.5 लाख पीएमजेडीवाई खातों को सेवाएं प्रदान की और साथ ही पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और अटल पेंशन योजना सहित राष्ट्रीय समावेशन योजनाओं की सेवाएं प्रदान की गई।

बैंक ने अपनी आईटी खरीद नीति के माध्यम से समावेशी खरीद प्रथाओं को भी मजबूत किया है, जो हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समूहों के लिए खरीद का 20% हिस्सा निर्धारित करती है, जिसमें एससी/एसटी उद्यमियों के लिए एक समर्पित आवंटन शामिल है, जबकि डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स पर वरियतापूर्ण विचार किया जाता है।

बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच के अलावा, बैंक ने फिशिंग, यूपीआई सुरक्षा, डीपफेक धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा जागरूकता पर केंद्रित ग्राहक शिक्षा पहलों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता और डिजिटल सुरक्षा जागरूकता की जानकारी विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रदान की गई है।

उन समुदायों का समर्थन करना जहाँ उपस्थिति सबसे अधिक मायने रखती है

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण संबंधी पहलों, कल्याणकारी कार्यक्रमों, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में सामुदायिक सहभागिता दर्ज की गई , जिसके तहत 192 प्रायोजन और दान दिए गए। यद्यपि कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर दायित्व बैंक पर लागू नहीं होते हैं, फिर भी ये पहलें सामाजिक विकास और स्थानीय सहभागिता के प्रति संस्था की व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

भारत सरकार द्वारा चिन्हित विकासोन्मुखी जिलों में भी विशेष व्यवधान किए गए, जिनमें छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्य के क्षेत्र शामिल हैं। ये प्रयास उन क्षेत्रों की ओर निर्दिष्ट थे जहां वित्तीय पहुँच, संस्थागत सहायता और सामुदायिक बुनियादी ढाँचा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हितधारक पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना

बड़े पैमाने पर विश्वास व्यक्तियों से नहीं, बल्कि संस्थानों से बनता है। बैंक नौ राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंडलों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है – भारतीय बैंक संघ, भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, , राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय वाणिज्य मंडल, भारत के विदेशी मुद्रा डीलरों का संघ, भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड।

क्रय प्रक्रिया भी संबंध निर्माण का एक माध्यम है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, हमारे सभी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त इनपुट भारत के भीतर से ही खरीदे गए, और जहां संभव हुआ, जिला और आस-पास के जिलों से भी खरीदे गए। वित्तीय सेवा विभाग के आदेशानुसार, खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल के माध्यम से की जाती है, और डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को खरीद प्रक्रिया के दौरान प्राथमिकता दी जाती है।

निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ बैंकिंग

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी ग्राहक अधिकार नीति के माध्यम से ग्राहक- केंद्रित आचरण को सुदृढ़ करना जारी रखा। ब्याज दरें, सेवा शुल्क, जोखिम और ग्राहक दायित्वों सहित उत्पाद संबंधी जानकारी शाखाओं में प्रदर्शित जानकारी, डिजिटल चैनलों और प्रशिक्षित कर्मचारियों के सहयोग से प्रमुख तथ्य विवरणों के माध्यम से दी जाती है।

शाखाओं में क्यूआर-कोड सक्षम सेवा प्रतिक्रिया प्रणालियों के माध्यम से ग्राहक प्रतिक्रिया प्रणालियों को और मजबूत किया गया, जिससे वास्तविक समय में सेवा मूल्यांकन संभव हो सका। व्हिसल-ब्लोअर प्रणाली और भारतीय रिज़र्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना के साथ संरेखण सहित संरचित शिकायत निवारण चैनलों ने बैंक के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष ग्राहक व्यवहार को बढ़ावा देना जारी रखा।

प्राकृतिक पूँजी

स्थापित सौर क्षमता

350.5 किलो वाट

नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग

1957.37 जीजे

वित्तीय वर्ष 2024 -25 के दौरान 129 .96 जीजे की वृद्धि

स्कोप 1 उत्सर्जन

2,860.94 टन CO_2e

वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 49.6% की कमी

हरित वित्त पॉर्टफोलियो

₹1,822.10 करोड़

वित्त वर्ष 2024-25 में ₹1,157.58 करोड़ की वृद्धि

प्रभावित हितधारक	प्रभावित सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी' यों):	संबद्ध महत्त्वपूर्ण मुद्दे:
निवेशक, समुदाय	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES, 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION, 13 CLIMATE ACTION	जीएचजी उत्सर्जन, ईएसजी निरीक्षण

इण्डियन ओवरसीज बैंक में, प्राकृतिक पूँजी, पर्यावरणीय प्रभाव को प्रबंधित करने के साथ-साथ एक अधिक संधारणीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने की हमारी जिम्मेदारी को दर्शाती है। एक सेवा संगठन के रूप में, हमारा प्रत्यक्ष प्रभाव मुख्य रूप से ऊर्जा उपयोग,कागज का खपत और परिचालन बुनियादी ढाँचे से उत्पन्न होता है।एक वित्तीय संस्थान के रूप में हमारा व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव उन क्षेत्रों एवं गतिविधियों में फैला हुआ है जिन्हें हम वित्तपोषित करते हैं।

हम ऋण देने, परिचालन और दीर्घकालिक लेने में पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करके सतत विकास को सक्षम बनाने में बैंकों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को पहचानते हैं। अत: हमारा दृष्टिकोण परिचालन दक्षता में सुधार,नवीनीकरण ऊर्जा को अपनाने में वृद्धि, संसाधन तीव्रता को कम करने और संधारणीय वितपोषण प्रथाओं को मजबूत करने पर केंद्रित है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, हमने अपने हरित वित्त पोर्टफोलियो का विस्तार किया, ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं में जलवायु संबंधी विचारों को बारीकी से समन्वित और पर्यावरणीय डेटा एवं वित्तपोषित उत्सर्जन की ट्रैकिंग के लिए प्रणालियों को मजबूत किया। इसके साथ ही, ऊर्जा क्षमता में निरंतर प्रगति, नवीनीकरण ऊर्जा और कागज रहित बैंकिंग को अपनाने से हमारे परिचालन के पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार हुआ है।

एक साथ मिलकर, ये प्रयास अधिक जिम्मेदार और जलवायु जागरूक बैंकिंग पारिस्थितिकी प्रणाली के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

परिचालन में संसाधन दक्षता को बढावा देना

इण्डियन ओवरसीज बैंक में, पर्यावरणीय जिम्मेदारी की शुरुआत शाखाओं एवं कार्यालयों में परिचालन दक्षता से होती है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, शाखा नेटवर्क के विस्तार के बावजूद, बैंक ने अपने कुल ऊर्जा उपभोग को वित्त वर्ष 2024-25 के 3,80,123.87 गीगाजूल से घटाकर 3,50,214.71 गीगाजूल कर दिया है। यह हमारे मजबूत परिचालन अनुशासन और बेहतर बुनियादी ढाँचा दक्षता को दर्शाता है।

वर्ष के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में उल्लेखनीय काफी तेजी आई है, जिसका उपभोग 129.96 गीगाजूल से बढकर 1,957.37 गीगाजूल हो गया, इसे कई कार्यालयों और शाखाओं में 350.5 किलोवाट का सौर क्षमता की स्थापना से सहयोग मिला है। बैंक ने ग्राहकों के बीच सौर ऊर्जा को अपनाने में सहायता करने वाले हरित वित्तपोषण उत्पादों के माध्यम से आंतरिक परिचालन से परे नवीकरणीय ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। आइओबी की तेजस योजना लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को सौर रूफटॉप और ग्राउंड-माउंटेड ग्रिड-कनेक्टेड सिस्टम अपनाने के लिए किफायती वित्तपोषण प्रदान करती है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देने के साथ-साथ सतत विकास पहलों को प्रोत्साहित करती है।

स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, बैंक भारत में ऑफ-ग्रिड नवीकरणीय सौर ऊर्जा उपकरणों के वित्तपोषण के लिए आइओबी सूर्या योजना प्रदान करता है, जिसमें सौर कुकर, सौर हीटर और घरेलू या इनडोर प्रकाश व्यवस्था शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आइओबी एचएल सूर्या योजना उन व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को छतों या खुली सन्निहित भूमि पर ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर प्रणालियों की स्थापना के लिए वित्तपोषण प्रदान करती है, जिन्होंने आवास ऋण लिया है या ले रहे हैं। ये योजनाएं ग्राहकों के सभी वर्गों में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को सक्षम बनाने के लिए बैंक की व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

बैंक ने सात परिसरों के एलईईडी प्रमाणीकरण के माध्यम से हरित बुनियादी ढाँचे के पदचिह्न को भी मजबूत किया, जिसमें छह एलईईडी गोल्ड एवं एक एलईईडी प्लेटिनम शामिल है।

वर्ष के दौरान परिचालन दक्षता संकेतकों में लगातार सुधार हुआ है। टर्नऑवर का प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता 11.29 गीगाजूल से घटकर 9.33 गीगाजूल हो गई, जबकि प्रति भौतिक आउटपुट ऊर्जा खपत 18.13 गीगावॉट से घटकर 16.65 गीगावाट हो गई। वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष उत्सर्जन में भी काफी कमी आई, जबकि व्यावसायिक विकास के बावजूद परिचालन उत्सर्जन मुख्य तौर पर स्थिर रहा, यह विस्तार और पर्यावरणीय प्रभाव के बीच धीरे-धीरे अलगाव को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जल दक्षता में भी सुधार हुआ, जिससे टर्नऑवर का प्रति रुपया जल तीव्रता 7.42 से घटकर 6.97 हो गई है। इसके साथ ही, बैंक ने अपनी आईटी निपटान नीति के अनुरूप सरंचित निपटान और पुनर्चक्रण प्रणाली के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत किया है। वर्ष के दौरान उत्पन्न कुल 43.093 मेट्रिक टन में से 42.545 मेट्रिक टन को अधिकृत निपटान प्राधिकृतों के माध्यम से पुनर्चक्रण के लिए भेजा गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है।

ग्राहक अनुभव चक्र में कागज रहित बैंकिंग को शामिल करना

बैंक ने डिजिटल डिफॉल्ट और स्व-सेवा में ग्राहक अनुभव चक्र के माध्यम से कागज उपयोग के ऊपर निर्भरता को कम किया है। सभी नए डेबिट कार्ड जारी करने एवं भूले हुए पिन जेनेरेशन के लिए हरित पिन को डिफॉल्ट रूप से सक्षम किया गया है, जिससे भौतिक पिन डाक की आवश्यकता समाप्त हो गई है, और संबंधित लॉजिस्टिक्स से जुड़े उत्सर्जन में कमी आई है।

सफल निकासी के लिए एटीएम लेन-देन रसीद प्रिंटिंग को डिफॉल्ट रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे डिजिटल पुष्टिकरण को बढ़ावा मिलता है और कागज की खपत कम होती है। चुनिंदा प्रीमियम डेबिट कार्डों के लिए मुद्रित, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और नियम एवं शर्तें क्यूआर कोड-सक्षम डिजिटल एक्सेस से बदल दिए गए हैं।

वर्ष के दौरान डिजिटल प्रक्रिया संवर्द्धन में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन डिपॉजिट ओपनिंग भी शामिल रही, जिससे रसीद प्रिंटिंग समाप्त हो गई, डेबिट कार्ड ऑथेंटिकेशन के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग के लिए स्व:पंजीकरण, जिससे प्रिंटिड आवेदन फॉर्म की जरूरत खत्म हो गई है। बैंक आइओबी इको सेविंग्स अकाउंट भी प्रदान करता है, जो पूरी तरह से डिजिटल पहुंच और कागज रहित बैंकिंग सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया एक पर्यावरण-अनुकूल बचत खाता है। इस खाते में कोई भौतिक पासबुक, चेक बुक या कागजी विवरण शामिल नहीं है, जो पर्यावरण के अनुकूल बैंकिंग प्रथाओं का समर्थन करता है और साथ ही ग्राहकों को ऑनलाइन और डिजिटल सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है।

बैंक ने इको सेविंग योजना के अंतर्गत पुनर्चक्रित पीवीसी के से बने पर्यावरण-अनुकूल डेबिट कार्ड का भी विस्तार किया और अपनी हरित आवास पहल हरित शुभग्रह को आगे बढाया।

हरित वित्त पोर्टफोलियो को आगे बढाना

बैंक ने अपने ऋण पोर्टफोलियो को एक सार्थक घटक के रूप में संधारित वितपोषण को मज़बूत करना जारी रखा। वित्तीय वर्ष 2025-26 को दौरान, हरित वित्त पोर्टफोलियो वित्तीय वर्ष 2024-25 के 1,157.58 करोड़ से बढ़कर 1,822.10 करोड़ हो गया जो नवीकरणीय ऊर्जा और संधारित गतिशीलता वितपोषण में मज़बूत विकास को दर्शाता है।

यह वृद्धि आइओबी सूर्या और आइओबी तेजस के तहत नवीकरणीय ऊर्जा वितपोषण द्वारा संचालित थी। साथ ही, बायोमास परियोजना और गैर-योजनाबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा ऋणों के लिए वितपोषण में भी वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन वितपोषण बढकर 309.68 करोड़ हो गया है, जिससे स्वच्छ परिवहन को अपनाने में मदद मिली।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हरित जमा स्वीकृति ढाँचे के अनुरूप, बैंक ने निवासी व्यक्तियों और गैर-व्यक्तियों के लिए आइओबी ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की। यह योजना पात्र हरित गतिविधियों और परियोजनाओं के लिए जमा राशि जुटाती है, जिससे देश के हरित वित्त पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन मिलता है।

बैंक ने 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कुल ऋण जोखिम वाले उधारकर्ताओं के लिए ऋण मूल्यांकन के अनिवार्य भाग के रूप में ईएसजी स्कोरकार्ड भी पेश किया है। इससे पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी जोखिमों के साथ-साथ वित्तीय और व्यावसायिक मापदंडों पर बड़े जोखिमों का आकलन करना संभव हो पाता है।

बैंक ने हरित-प्रमाणित बिल्डिंग वित्तपोषण के लिए भारतीय हरित बिल्डिंग परिषद के साथ अपनी साझेदारी जारी रखी और एक मान्यता प्राप्त बाहरी एजेंसी के माध्यम से हरित जमा की आय का स्वतंत्र वार्षिक सत्यापन करवाया। एलईईडी, आईजीबीसी और जीआरआइहेचए जैसी एजेंसियों द्वारा मूल्यांकित ग्रीन-रेटेड इमारतें ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और टिकाऊ शहरी विकास का समर्थन करती हैं।

इस क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने आईजीबीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी के प्रतीक के रूप में "श्री हरित" को अपना शुभंकर बनाया। यह आइओबी हरित शुभगृह भी प्रदान करता है, जो कि एक प्रकार का आवास ऋण है, जिसका उपयोग मान्यता प्राप्त हरित भवन रेटिंग एजेंसियों द्वारा टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल माने जाने वाले घरों और फ्लैटों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

ग्रीन फाइनेंस पोर्टफोलियो के प्रमुख संकेतकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- हरित वित्त पोर्टफोलियो: ₹1,822.10 करोड़
- इलेक्ट्रिक वाहन वित्त: ₹309.68 करोड़
- आइओबी सूर्या और आइओबी तेजस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा वित्त
- वर्ष के दौरान बायोमास प्रोजेक्ट वित्त में वृद्धि
- योग्य हरित गतिविधियों और परियोजनाओं के लिए आइओबी ग्रीन डिपॉजिट योजना
- 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के ऋण जोखिम वाले उधारकर्ताओं के लिए अनिवार्य ईएसजी स्कोरकार्ड
- आइओबी हरित शुभगृह के माध्यम से हरित-प्रमाणित आवास वित्त।

ऋण में जलवायु जोखिम को शामिल करना

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, हमने ऋण मूल्यांकन और पोर्टफोलियो निगरानी प्रक्रियाओं में ईएसजी और जलवायु संबंधी विचारों के एकीकरण को सुदृढ किया।

100 करोड़ से अधिक के ऋणों के लिए शुरू की गई जलवायु जोखिम प्रश्नावली ने शाखाओं को उधारकर्ताओं के संचालन और क्षेत्रीय ऋणों से जुड़े भौतिक और संक्रमणकालीन जोखिमों का आकलन करने में सक्षम बनाया। इसके साथ, 50 करोड़ या उससे अधिक के कुल ऋण वाले उधारकर्ताओं के लिए ईएसजी स्कोरकार्ड, ऋण मूल्यांकन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि वित्तीय मापदंडों के साथ-साथ ईएसजी कारकों का भी मूल्यांकन किया जाए।

बैंक ने कार्बन लेखांकन वित्तीय साझेदारी (पीसीएएफ) पद्धति के अनुरूप बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्सर्जन मापन भी शुरू किया और पीसीएएफ का हस्ताक्षरकर्ता बना हुआ है, जो वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्सर्जन लेखांकन प्रथाओं के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्तमान में सीईडीए उत्सर्जन कारकों का उपयोग करके गणना की जा रही है, जिसका आंतरिक सत्यापन जारी है, जिसके बाद बैंक वित्तपोषित उत्सर्जनों के प्रकटीकरण को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बना रहा है।

इसके साथ ही, बैंक ने जलवायु परिवर्तन के लिए एक योजना विकसित की है जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के सांकेतिक लक्ष्य और निवल-शून्य लक्ष्यों, उत्सर्जन के मार्ग शामिल हैं। वित्तपोषित उत्सर्जन गणना और जलवायु डेटा प्रणालियों के परिपक्व होने के साथ ही इस योजना को और परिशोधित किया जाएगा।

भविष्य में, बैंक का लक्ष्य जलवायु जोखिम मूल्यांकन को मजबूत करना, सतत वित्त का विस्तार करना और ईएसजी विश्लेषण तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जलवायु निगरानी ढाँचे को बेहतर बनाना है।

IOB
Good people to grow with

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

Indian Overseas Bank
90 FOUNDATION DAY

A Viksit Bharat is powered by strong,
smart individuals.

Agri Loan
Vehicle Loan
Home Loan
Deposits
Mobile Banking App
Online Activation

Supporting
India's progress with
smarter,
digital banking
solutions.

#BankSmarter
WithIOB

www.iob.bank.in | Follow us on @IOBIndia | 1800 890 4445 | 1800 425 4445 | +91 96777 11234

शेयरधारकों को सूचना

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 56(i) के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक निम्नलिखित कार्य करने के लिए **मंगलवार दिनांक 07 जुलाई 2026 को सुबह 11.00 (आइएसटी) बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से अपने शेयरधारकों की छब्बीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का आयोजन करेगा ।

सामान्य कार्य

कार्यसूची मद संख्या 1

विचारार्थ और यदि उचित पाया गया, तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करें

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडआलोन एवं समेकित लाभ और हानि खाता एवं वार्षिक नकदी प्रवाह विवरण, बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, तुलन पत्र और खातों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा कवर की गई अवधि के लिए उस तिथि को बैंक के लेखा-परीक्षित स्टैंडआलोन एवं समेकित तुलन पत्र एवं खातों पर चर्चा के अनुमोदन और उसे अंगीकरण करने के लिए ।

विशेष कार्य

कार्यसूची मद संख्या 2:

वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव/राइट इश्यू/योग्य संस्थागत प्लेसमेंट/ईएसपीएस/एलआईसी और अन्य बीमा कंपनियों/म्यूचुअल फंड/क्यूआईबी को तरजीही आधार पर शेयर जारी करने या किसी अन्य तरीके या संयोजन के माध्यम से एक या एक से अधिक किश्तों में ₹5,000 करोड़ तक की इक्विटी शेयर पूँजी (शेयर प्रीमियम सहित, यदि कोई हो तो) जुटाना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना अथवा रहित **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 (विनियम) 2008 तक यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), भारत सरकार (जीओआइ), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और/या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2018 (आइसीडीआर विनियम) जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित है/ दिशानिर्देशों, यदि कोई है, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशानिर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (बीआर अधिनियम), सेबी (सूचीगत बाध्य बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (एलओडीआर) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार की शर्त के आधार पर और विनियमन 4(ए) के प्रावधानों के अनुसार है, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्द्वारा सहमति से बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में इक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित)/प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमण किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और/या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज/या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर होगा और आज की तारीख में किसी भी हालत में रु. 5,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) से अधिक नहीं होगा व यह बैंक की कुल समग्र निर्गम में अधिनियम की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूँजी की निर्धारित सीलिंग की हद तक जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआइ"), निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआइबी") जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक ("एफआइआइ"), बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूँजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य

औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, वह भी इस तरह कि केन्द्र सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में धारण सभी समय 52% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार या आइसीडीआर विनियमों के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को बैंक के इक्विटी/वरीयता शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रावधानों (लिस्टिंग बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, ("एलओडीआर"), अधिनियम के प्रावधानों, विनियम के प्रावधानों, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003 के प्रावधान जो 2008 तक संशोधित हैं, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन (गैर कर्ज लिखत) नियम 2019, एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रवर्तन विभाग और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति/या मंजूरी (आगे से जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक किस्तों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते है या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्र सरकार का धारण बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में 52% से कम न हो और यह प्लेसमेंट या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय 2 (एसएस) नियम के अनुसार) को, योग्यताप्राप्त संस्थात्मक प्लेसमेंट (क्यूआइपी) होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन और/या प्लेसमेंट दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों/लेखनों/परिपत्रों/ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर , जो कि आइसीडीआर विनियमनों के भाग 6 के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है, बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो।"

संकल्प लिया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना), सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (एलओडीआर), इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003, यथा संशोधित 2008 (विनियम) और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टॉक एक्सचेंजों) के साथ एलओडीआर के अनुसार किए गए समान सूचीकरण समझौतों (इसमें किसी भी संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अधीन और सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के विनियम 4ए (समय-समय पर किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) ("सेबी विनियम") के प्रावधानों के अनुसार, और आरबीआई, भारत सरकार, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज (जहां भी लागू हो) जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, की स्वीकृति, सहमति और अनुमोदन के अधीन, और किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी स्तर पर दिए गए किसी भी लागू अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति के अधीन, और ऐसे प्राधिकरणों द्वारा ऐसे अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निर्धारित या लागू की गई किसी भी शर्त और संशोधन के अधीन 2026-27 में एक या एक से अधिक किश्तों में, बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा बैंक के कार्यपालक निदेशक (निदेशकों) सहित बैंक के ऐसे स्थायी कर्मचारियों को, चाहे वे भारत में कार्यरत हों या भारत के बाहर, (जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है), बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से तय की गई ऐसी शर्तों और नियमों पर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ लाभांश का भुगतान सहित बोर्ड द्वारा कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के तहत तय किए गए सभी प्रयोजनों और सभी मामलों में समतुल्य रैंक पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाता है व बोर्ड को कर्मचारी शेयर खरीद योजना (जिसे इसके बाद आइओबी-ईएसपीएस कहा जाएगा) के तहत इस प्रकार कि भारत सरकार के पास हर समय बैंक की चुकता इक्विटी पूँजी के 52% से कम न हो (शेयर प्रीमियम सहित), बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समतुल्य, ₹10/- (केवल ₹10) अंकित मूल्य के 10,00,00,000 (दस करोड़) नए इक्विटी शेयर सृजित करने, स्वीकृत करने, पेशकश करने, निर्गमित करने और आवंटित किए जाने को एतद्द्वारा सहमति प्रदान की जाती है, जो कुल सीमा ₹5,000 करोड़ के अधीन हो ।

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन को एक या अधिक किश्तों में या सार्वजनिक प्रस्ताव के अनुवर्तन/अधिकार मामले/योग्य संस्थागत प्लेसमेंट/सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने/एलआइसी और अन्य बीमा कंपनियों को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करने/म्यूचुअल फंड/क्यूआइबी या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से या अति आबंटन के विकल्प सहित या विकल्प के बिना किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन बंकिंग कंपनी (उपक्रमों

का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन, 2018 ("आइसीडीआर विनियमन") और भा.रि.बैं, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा उस समय प्रभावी किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा ।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहॉ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए एकीकृत सूचीबद्धता करार और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों व विनियमनों के नियम व शर्तों के अनुसार बोर्ड को एतद्वारा वैसे स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, को जारी किए गए एक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु प्राधिकृत किया गया है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि अहर्ताप्राप्त संस्थागत संस्थान (क्यूआइपी) के मामले में आइसीडीआर विनिमयनों के अध्याय VI के अनुसरण में:

क) आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अर्थ के भीतर केवल योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए प्रतिभूतियों का आवंटन होगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से भुगतान की जाएंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

ख) आइसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक फ्लोर प्राइस पर पांच प्रतिशत की अधिकतम छूट तक शेयरों को ऑफर करने के लिए अधिकृत है जैसा कि विनियमनों के अनुसरण में निर्धारित किया गया है।

ग) प्रतिभूतियों के फ्लोर प्राइस के निर्धारण की प्रासंगिक तिथि आइसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि बैंक एसईबीआई (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-एक्विटी) विनियम, 2021 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों या इसके किसी भी वैधानिक संशोधन, परिवर्तन या पुनर्अधिनियमन का पालन करेगा।

साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के नियमों और शर्तों में कोई भी संशोधन, परिवर्तन, भिन्नता, बदलाव या पुनरीक्षण करने के लिए, जिसमें मूल्य, अवधि, पात्रता मानदंड से संबंधित संशोधन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, या "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" को निलंबित करने, वापस लेने, समाप्त करने या संशोधित करने के लिए, ऐसे तरीके से जैसा बोर्ड अपने विवेक से निर्धारित करे बोर्ड द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों पर "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" को लागू करने, तैयार करने, विकसित करने, निर्णय लेने और प्रभावी बनाने के लिए अधिकृत किया जाता है, और "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के कार्यान्वयन और प्रस्तावित "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के अनुसार जारी किए जाने वाले शेयरों के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या शंकाओं को बिना किसी और सहमति या अनुरोध के हल करने के लिए भी अधिकृत किया जाता है व ऐसा माना जाएगा कि शेयरधारकों की स्वीकृति या अन्यथा इस उद्देश्य और इरादे से कि शेयरधारकों को इस प्रस्ताव के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है ।

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड के पास प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार और शक्ति होगी जैसा कि भारत सरकार/आरबीआइ/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा उनकी मंजूरी, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते/देते समय इश्यू, आबंटन या उसे सूचीबद्ध करने के लिए अपेक्षित या आरोपित किया जा सकता है और जैसा कि बोर्ड द्वारा माना गया है और इस संबंध में बैंक के शेयरधारकों से किसी और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि अनिवासी भारतीय/एफआइआइ तथा/या अन्य पात्र विदेशी निवेश को ऐसे आबंटन और निर्गमन भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम एवं लगा होने वाले अन्य नियमों के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा ।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का निर्गम और आबंटन, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 जैसा समय-समय पर संशोधित विनियमों के अधीन होगा और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से समान रूप से रैंक करेगा, जिसमें घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो

वैधानिक दिशानिर्देश जो इस तरह की घोषणा के समय लागू होते हैं, के अनुसार होगा ।

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी भी मुद्दे या आवंटन को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बोर्ड को सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसमें निवेशकों की श्रेणी भी शामिल है, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं। प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम की राशि, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में उचित समझे और ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और समझौतों को निष्पादित करें, जैसा कि वे अपने पूर्ण विवेक से, आवश्यक, उचित या वांछनीय समझते हैं, और पब्लिक ऑफर, इश्यू, आवंटन और इश्यू से प्राप्ति के उपयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाइयों या संदेह को निपटाने या निर्देश देने के लिए निर्देश या निर्देश दे सकते हैं। नियमों और शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विविधताओं, परिवर्तनों, विलोपन, परिवर्धन को स्वीकार करने और प्रभावी करने के लिए, जैसा कि यह, अपने पूर्ण विवेक में, बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे, बिना शेयरधारकों के किसी और अनुमोदन की आवश्यकता के इस संकल्प द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति का बोर्ड द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि किसी बुक रनर(रों), लीड मैनेजर(रों), बैंकर(रों), अंडरराइटर(रों), डिपॉजिटरी(रियों), रजिस्ट्रार(रों), ऑडिटर(रों) और ऐसी सभी एजेंसियो के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं में शामिल होने और निष्पादित करने के लिए, जो इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की ऐसी पेशकश में शामिल या संबंधित हैं और ऐसी सभी संस्थाओं और एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या इसी तरह की पारिश्रमिक देने के लिए और ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि में प्रवेश करना और उन्हें निष्पादित करने के लिए बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि उपरोक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझने पर शेयर/प्रतिभूतियां आवंटित किए जाने वाले निवेशकों के वर्ग सहित लीड मैनेजर्स, अंडरराइटर्स, सलाहकारों और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से प्रत्येक चरण में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/रूपांतरण/वारंटों के प्रयोग/प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के रूपांतरण या मोचन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/रूपांतरण पर प्रीमियम, ब्याज दर, रूपांतरण की अवधि, रिकॉर्ड तिथि या बुक क्लोजर का निर्धारण और संबंधित या आकस्मिक मामले निर्गम(ओं) के स्वरूप और शर्तों का निर्धारण, भारत में और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से अनभिदत्त शेयर/प्रतिभूतियां, को बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाले तथा कानून द्वारा अनुमेय तरीके से निपटाया जा सकता है तथा बोर्ड उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक/निदेशकों अथवा इसके पश्चात गठित निदेशक समिति को इसमें प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजित करते हेतु उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड बैंक के किसी निदेशक(कों) की किसी समिति, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) अथवा इस तरह के किसी अन्य अधिकारी को जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे, लागू सभी नियमों का अनुपालन करते हुए उपर्युक्त संकल्पों को पारित करने के उद्देश्य से अपनी सभी अथवा कुछ विवेकाधीन शक्तियों को प्रत्यायोजित करने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जा सकता है ।

कार्यसूची मद संख्या 3:

31.03.2026 तक संचित हानियों का शेयर प्रीमियम खाते से विनियोजन

विचारार्थ एवं उपयुक्त समझे जाने पर निम्नलिखित **विशेष संकल्पों** को अनुमोदन को पारित करें:

संकल्प लिया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) की धारा 3(2बीबीए), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 17(2), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैरा 21, जिसमें इसके सभी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन शामिल हैं, के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारियों की स्वीकृति के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति से बैंक के संचित घाटे ₹8733,34,22,563.02 (आठ हजार सात सौ तैंतीस करोड़ चौंतीस लाख बाईस हजार पांच सौ तिरसठ और दो पैसे मात्र) को 31.03.2026 तक शेयर प्रीमियम खाते में जमा समतुल्य राशि का उपयोग करके समायोजित किया जाए एवं इसे बैंक के 31 मार्च 2026 तक के शेष को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में लेखांकन में लिया जाए ।

साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बैंक के निदेशक मंडल को यह अधिकार दिया जाता है कि वह संकल्प को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान

करने के लिए, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, सभी आवश्यक या वांछनीय समझे जाने वाले कार्य, कृत्य, मामले और चीजें करे।

कार्यसूची मद संख्या 4:

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, का बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्यकाल, उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल, जो 31.12.2025 को समाप्त हो गया था, से आगे बढ़ाकर 01.01.2026 से 08.10.2027 तक किया जाए।

विचारार्थ एवं उपयुक्त समझे जाने पर निम्नलिखित **सामान्य संकल्पों** को अनुमोदन को पारित करें:

"संकल्प लिया जाता है कि सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम (1सी) के अनुसार, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (दिनांक 17.11.2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित) के अनुच्छेद 8(1) के साथ पठित, केंद्र सरकार द्वारा भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना ईएफ. संख्या 4/3/2024 बीओ.आई दिनांक 8 सितंबर 2025 के माध्यम से, उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल (जो 31.12.2025 को समाप्त हुआ) से आगे, उनके 10 वर्ष के कार्यकाल की पूर्णता की तिथि तक बढ़ाया जाता है। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में, यानी 01.01.2026 से 08.10.2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

निदेशक मण्डल की ओर से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

-ह/-
रघुराम मल्लेला
उप महा प्रबंधक व कंपनी सचिव

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 21-05-2026

नोट्स

क) व्याख्यात्मक कथन(नों):

बैठक की कार्रवाई के संबंध में भौतिक तथ्यों को बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण एतदर्थ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

ख) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी मास्टर परिपत्र संख्या एचओ/49/14/14(7)2025- सीएफ़डी-पीओडी 2/आई/3762/2026 दिनांक 30 जनवरी 2026 ("एसईबीआई परिपत्र") के अनुक्रम में और अधिनियम तथा एसईबीआई (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की सामान्य वार्षिक बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसके लिए सदस्यों की किसी सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। एजीएम के लिए माना गया स्थान चेन्नै स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय होगा। नोटिस में उल्लिखित विशेष कार्य अपरिहार्य होने के कारण, बैंक की 26वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा।

बैंक एमसीए परिपत्रों में उल्लिखित सभी प्रावधानों का पालन कर रहा है। बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बैंक ने बैठक की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की है।

बैंक ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को एजीएम हेतु वीसी/ओएवीएम सुविधा प्रदान करने और एजीएम के आयोजन करने हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है ।

सेबी एवं एमसीए के उपर्युक्त परिपत्रों में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 सहित एजीएम नोटिस की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही प्रेषित की जाएगी जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपोजिटरी के पास पंजीकृत हैं । शेयरधारक यह नोट करें कि यह नोटिस बैंक की वेबसाइट www.iob.bank.in पर अपलोड किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 सहित नोटिस को स्टॉक एक्सचेजों यानि नेशनल स्टॉक़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.nseindia.com एवं www.bseindia.com से प्राप्त किया जा सकता है एवं एजीएम नोटिस सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

ग) भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक एजीएम नोटिस प्राप्त करने हेतु https://wisdom.cameoindia.com लिंक पर क्लिक कर अस्थाई रूप से अपना ईमेल आइडी पंजीकृत कर सकते हैं।

घ) मताधिकार:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 2 के उपखंड 2ई के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपनी कितनी भी शेयरधारिता के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकारों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे ।

निर्धारित की गई **अंतिम तिथि मंगलवार, दिनांक 30 जून 2026**, जो अंतिम तिथि होगी तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक उपर्युक्त उद्देश्य के लिए एजीएम में प्रतिभागिता के लिए पात्र होंगे । भौतिक अथवा अमूर्त रूप में शेयरों को धारण करने वाले बैंक के शेयरधारक अंतिम तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2003 के विनियम 10 के अनुसार मतदान के संबंध में किसी भी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में जिस व्यक्ति का नाम पंजी में पहले दर्ज़ होगा उसे ही मूल धारक समझा जाएगा। अत: शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर होने की स्थिति में केवल पहला नामित व्यक्ति ही बैठक में सहभागिता का हकदार होगा और केवल वह ही दूरस्थ माध्यम से कार्यसूची पर या तो ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा।

ड़) दूरस्थ ई- वोटिंग

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44, एमसीए (कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय) के

सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी मास्टर परिपत्र संख्या एचओ/49/14/14(7) 2025-सीएफ़डी-पीओडी 2/आई/3762/2026 दिनांक 30 जनवरी 2026 तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ समान सूचीकरण समझौतों के अनुसार, आपके बैंक को शेयरधारकों को नोटिस में उल्लिखित मद पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसके लिए बैंक ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) को दूरस्थ ई-मतदान मंच प्रदान करने के लिए ई-मतदान एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है । दूरस्थ ई-मतदान वैकल्पिक है । शेयरधारकों/स्वामित्व लाभार्थी के ई-मतदान अधिकारों की गणना उनके द्वारा सोमवार, जून को धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी । इस उद्देश्य के लिए **अंतिम तिथि मंगलवार, 30 जून, 2026** निर्धारित की गई है । अंतिम तिथि तक बैंक के जिन शेयरधारकों के पास भौतिक या अमूर्त रूप में शेयर हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं । बैंक ने आर. श्रीधरन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज (एफसीएस नंबर 4775) (सीपी नंबर 3239) के श्री आर. श्रीधरन को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ-साथ सामान्य वार्षिक बैठक (एजीएम) की तिथि पर ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

1. ई-वोटिंग एवं वर्चुअल एजीएम से जुडने के लिए शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं:

माध्यम 1: डीमैट मोड में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पहुंच।

माध्यम 2: भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

i. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **शुक्रवार, दिनांक 03 जुलाई 2026 को सुबह 09.00 (आइएसटी) बजे से शुरू होगी और सोमवार दिनांक 06 जुलाई 2026 को सायं 05.00 बजे (आइएसटी) को समाप्त होगी ।** इस अवधि के दौरान निर्धारित की गई **अंतिम तिथि 30 जून 2026 तक** भौतिक अथवा अमूर्त रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

ii. ऐसे शेयरधारक जो बैठक तिथि से पहले ही मतदान कर चुके हैं, वे इस बैठक में मतदान के हकदार नहीं होंगे।

iii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है ।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं । इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आइडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है ।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग हेतु सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी।

iv) सेबी मास्टर परिपत्र संख्या एचओ/49/14/14(7)2025-सीएफ़डी-पीओडी 2/आई/3762/2026 दिनांक 30 जनवरी 2026 के खंड VI-वी के अनुसार, एसईबीआई एलओडीआर विनियम, 2015, संशोधित प्रावधानों के अनुपालन में, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है । शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतित करें ।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, **डीमैट मोड सीडीएसएल/एनएसडीएल में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि** नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
सीडीएसएल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल इज़ी/इजिएस्ट फैसिलिटी का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूज़र आइडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं । वहाँ बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध करवाया जाएगा । ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉग इन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग-इन आइकन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें। 2) सफल लॉगिन के बाद ईज़ी/ईज़ीएस्ट उपयोगकर्ता जहां ई-वोटिंग चल रही है ऐसी कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे । ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीएसडीएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉग-इन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं । ई-वोटिंग प्रणाली पंजीकृत मोबाइल और ईमेल, जोकि डीमैट खाते में दर्ज़ है, पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित कर सकेंगे । सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता उस ई-वोटिंग विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहाँ वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली को सीधे एक्सस करने में भी सक्षम होगा ।
एनएसडीएल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आइडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर जाएं । पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करें । एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आइडीईएएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है। । एक नई स्क्रीन खुलेगी । आपको अपना यूज़र आइडी और पासवर्ड डालना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे । ई-वोटिंग सेवाओं के तहत 'एक्सेस टू ई-वोटिंग' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदता वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता आइडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है । "आइडीईएएस" पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें ।

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
	3) पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित URL टाइप करके https://www.evoting.nsdl.com/ एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं । ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है । एक नई स्क्रीन खुलेगी । जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, आपको अपना यूजर आइडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज़ करना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। 4) ओटीपी-आधारित लॉगिन के लिए, आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं । आपको अपना 8-अंकों का डीपी आइडी, 8-अंकों का क्लाइंट आइडी, पीएएन नंबर, सत्यापन कोड डालना होगा और ओटीपी जेनरेट करना होगा । अपने रजिस्टर्ड ईमेल आइडी/मोबाइल नंबर पर मिला ओटीपी डालें और लॉग-इन पर क्लिक करें । सफल प्रमाणिकरण के बाद, आपको एनएसडीए डिपॉजिटरी साइट पर पुन:निर्देशित कर दिया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा देने वाली कंपनी के नाम पर क्लिक करें; ऐसा करने पर आपको ई-वोटिंग सेवा देने वाली कंपनी की वेबसाइट पर पुन:निर्देशित कर दिया जाएगा, जहाँ आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं, या ऑनलाइन बैठक में शामिल होकर बैठक के दौरान वोट कर सकते हैं ।
वैयक्तिक शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने **डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी)** के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं ।	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं । सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे । एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा ।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करें।

लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क डिपाजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या आने पर helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित कर या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या आने पर evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर या टोल फ्री नंबर 022 4886 7000 और 022 2499 7000 पर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं

v. भौतिक शेयरधारकों और डीमैट रूप में वैयक्तिक धारिता के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति ।

1) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना चाहिए ।

2) "शेयरधारक" मॉड्यूल पर क्लिक करें।

3) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें

ए. सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,

बी. एनएसडीएल के लिए: 8 अक्षरों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी,

सी. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर प्रविष्ट करना चाहिए।

4) इसके बाद प्रदर्शित इमेज़ वेरिफिकेशन की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

5) यदि आपके पास डीमैट रुप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग इन कर किसी कंपनी के पूर्व ई-वोटिंग में वोट किया है, तब आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जाना है ।

6) यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं, तो निम्नलिखित का पालन करें:

डीमैट में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा और भौतिक रुप में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों के लिए।	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10-अंकीय अल्फा-न्यूमेरिक *पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमैट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों के लिए लागू) · जिन शेयरधारकों ने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में प्रविष्ट लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें। · यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास प्रविष्ट नहीं हैं, तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो नंबर प्रविष्ट करें।

vi. इन विवरणों को उचित रूप से भरने करने के बाद, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

vii. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे । हालांकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक अब 'पासवर्ड क्रिएशन' मेनू पर पहुंचेंगे, जहां उन्हें नए पासवर्ड फ़ील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के संकल्पों के लिए वोटिंग के लिए भी किया जाना है, जिस पर वे वोट करने के पात्र हैं, बशर्ते कि वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ई - वोटिंग का विकल्प चुनते हो। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

viii. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस नोटिस में निहित संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

ix. एजीएम 2026 के एजेंडे की ई-वोटिंग के लिए ईवीएसएन 260606001 पर क्लिक करें।

x. वोटिंग पेज पर आपको "संकल्प विवरण" दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए "हाँ /नहीं" विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार हाँ या नहीं विकल्प चुनें। "हाँ " विकल्प का अर्थ है कि आप संकल्प से सहमत हैं और "नहीं" विकल्प का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं।

xi. यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो "रिज़ॉल्यूशन फ़ाइल लिंक" पर क्लिक करें।

xii. संकल्प पर चयन के बाद आपको वोट डालने का निश्चय करना है और फिर, "सबमिट" पर क्लिक करना है। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत को पुष्ट करना चाहते हैं, तो "ओके" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "कैंसल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें ।

xiii. एक बार संकल्प पर अपना वोट "पुष्टि" करने के बाद, आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

xiv. आप मतदान पृष्ठ पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प पर क्लिक करके डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।

xv. यदि कोई डीमैट खाताधारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है, तो उपयोगकर्ता आईडी और इमेज़ वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करें और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण प्रविष्ट करें।

xvi. यदि कोई बीआर/पीओए अपलोड किया गया है तो अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान भी है, जिसे जांचकर्ता को सत्यापन के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।

ऐसे शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं, इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया:

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए - कृपया ऑनलाइन निवेशक पोर्टल https://wisdom.cameoindia.com/ पर लॉग इन करके आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें ।

2. डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) सहित अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें।

3. वैयक्तिक डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें, जो ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।

वीसी/ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नवत हैं:

1. एजीएम के दिन बैठक में भाग लेने एवं ई-वोटिंग में उपस्थिति रहने का वही अनुदेश है, जो ई-वोटिंग के लिए उल्लेखित है ।

2. ई -वोटिंग के लिए उक्त उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के पश्चात, जहां बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा वही बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा ।

3. शेयरधारको को सुझाव दिया जाता है कि कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से जुड़े ।

4. आगे शेयरधारकों को बैठक के दौरान कैमरा की अनुमति देना आवश्यक होगा और किसी व्यवधान से बचने के लिए अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करें ।

5. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण दृश्य/श्रव्य बाधा का अनुभव हो सकता है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि किसी भी तरह की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें ।

6. शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं । वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1,000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य कार्मिक प्रबंधक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें बिना किसी प्रतिबंध के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

7. जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखकर अपना अनुरोध भेजकर वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। **वक्ता शेयरधारकों के पंजीकरण की प्रक्रिया 26 जून, 2026 से 02 जुलाई 2026 तक** खुली रहेगी। जो शेयरधारक सामान्य वार्षिक बैठक में बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ प्रश्न हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखकर **02 जुलाई, 2026** तक अपने प्रश्न investor@iob.bank.in पर भेज सकते हैं। बैंक द्वारा इन प्रश्नों का उचित उत्तर ईमेल के माध्यम से दिया जाएगा।

8. जिन शेयरधारकों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कराया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

9. इण्डियन ओवरसीज बैंक शेयरधारकों को (शेयर व बैठक) विनियमन, 2003 के नियम 58 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने शेयरधारको की गिनती गणपूर्ति के उद्देश्य से की जाएगी ।

10. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

11. एक बार जब कोई सदस्य किसी संकल्प पर वोट डाल देने के पश्चात, उसे सदस्य न परिवर्तन कर सकते हैं या न ही पुनः वोट डाल सकते हैं ।

12. यदि शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से कोई वोट डाला जाता है और यदि उन्हीं शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अवैध माना जाएगा, क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए ही उपलब्ध है।

13. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

अवैयक्तिक शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए नोट - केवल रिमोट वोटिंग के लिए

- अवैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात, वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षक www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और स्वयं को «कॉरपोरेट» मॉड्यूल में पंजीकृत करें ।

- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन की गई प्रति, जिस पर संस्था की मुहर और हस्ताक्षर अंकित हो, उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें ।

- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर एक अनुपालित उपयोगकर्ता सृजन करें। अनुपालित उपयोगकर्ता उस खाते को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।

- लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची स्वचालित रूप से मैप हो जाएगी और गलत मैपिंग होने पर इसे अनलिंक किया जा सकता है।

- बोर्ड के संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन की गई प्रति, जो उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी की है , यदि कोई हो, तो उसे पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड किया जाना आवश्यक है ताकि जांचकर्ता उसे सत्यापित कर सकें।

- वैकल्पिक रूप से, गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि, साथ ही मतदान के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर, जांचकर्ता को rsaevoting@gmail.com पर और बैंक को ईमेल पते investor@iob.bank.in पर भेजें, और यदि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मतदान किया है और इसे सीएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है, तो इसकी एक प्रति भी भेजें ताकि जांचकर्ता इसका सत्यापन कर सके।

- वैकल्पिक रूप से, अवैयक्तिक शेयरधारकों को जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें सम्बंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर उनके नमूना हस्ताक्षर को सत्यापन के बाद संवीक्षक को अनिवार्य रुप से भेजें यदि वह वैयक्तिक टैब पर दिए गए हैं और सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया है तो बैंक को मेल यानी investor@iob.bank.in पर भेजें साथ ही कॉपी rsaevoting@gmail.com को मार्क करें ।

यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं ।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स , मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400 013 को कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल कर सकते हैं।

च) प्रॉक्सी की नियुक्ति:

सेबी एलओडीआर विनियमन, 2015 के विनियम 44(4) के नियम के अनुसार, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति खत्म कर दी गई है, इसलिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है । अत: इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2003 के नियम 70 के तहत सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी । इसलिए, प्रॉक्सी नियुक्त करने का लिख्त और उपस्थिति पर्ची इसके साथ संलग्न नहीं की जा रही है । हालांकि, सदस्यों के प्रतिनिधि को रिमोट ई-वोटिंग के ज़रिए वोटिंग के लिए वीसी/ओएवीएम सुविधा के ज़रिए एजीएम में हिस्सा लेने के लिए और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए नियुक्त किया जा सकता है ।

छ) अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या किसी बॉडी कॉरपोरेट, जो बैंक का शेयरधारक है, के सही तरीके से अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर मीटिंग में शामिल होने या वोट देने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे सही तरीके से अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक के अध्यक्ष ने प्रमाणित किया हो जिसमें इसे पास किया गया था, संवीक्षक को उनके रजिस्टर्ड ईमेल पते पर rsaevoting@gmail.comपर ईमेल से भेजी गई हो, जिसकी कॉपी investor@iob.bank.in पर वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख यानी गुरुवार, 02 जुलाई 2026 को शाम 4:00 बजे (आइएसटी) तक उसे पहले कम से कम चार दिन पहले भेजी गई हो ।

ज) पता परिवर्तन/बैंक विवरण/बैंक खाता अधिदेश/ नामांकन:

सदस्यों से निवेदन है कि वे अगर उनके नाम, डाक पता, ई-मेल एड्रेस, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी अकाउंट नंबर (पीएएन), अधिदेश, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआइसीआर कोड, आइएफएससी कोड, आदि में कोई बदलाव हुआ है, तो इसकी जानकारी दें ।

अ. इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए: उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी'ओं) को ।

आ. भौतिक फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए: बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को निर्धारित प्रारूप आइएसआर-1 और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआइआरएसडी/एमआइआरएसडी_आरटीए एमबी/पी/सीआइआर/2021/655, दिनांकित 3 नवंबर, 2021 के अनुसार दूसरे प्रारूप में जानकारी दें ।

इ. सेबी परिपत्र के नियमों के अनुसार, सदस्यों के पास उनके मौजूदा शेयरों के लिए नामांकन करने की सुविधा है । जिन सदस्यों ने अभी तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वे फॉर्म नंबर एसएच-13 जमा करके इसे पंजीकृत करें । अगर कोई सदस्य पहले के नामांकन को छोड़ना या रद्द करना चाहता है और नया नामांकन करना चाहता है, तो वह उस स्थिति में इसे फॉर्म आइएसआर-3 या एसएच-14 में जमा कर सकता है । सदस्यों से निवेदन है कि अगर शेयर उनके पास डीमैट फॉर्म में हैं, तो वे ये विवरण अपने डीपी को जमा करें और अगर शेयर भौतिक प्रारूप में हैं, तो बैंक के आरटीए को जमा करें ।

बैंक के आरटीए का पता:
मेसर्स कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड
(इकाई-इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)
सुब्रमण्यम बिल्डिंग, 5वॉ तल,
नं.1 क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेलीफ़ोन: 044 - 4002 0700
ऑनलाइन निवेशक पोर्टल: https://wisdom.cameoindia.com
वेबसाइट: www.cameoindia.com

ई. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को पते में बदलाव के बारे में जानकारी सिर्फ़ अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को भेजनी चाहिए, बैंक या बैंक के आरटीए को नहीं ।

उ. शेयरधारकों से निवेदन है कि वे बैंक या बैंक के आरटीए के साथ किसी भी बातचीत के दौरान अपना फोलियो नंबर (भौतिक रूप में शेयर रखने वालों के लिए) और अपना डीपी आइडी/क्लाइंट आइडी नंबर (इलेक्ट्रॉनिक/डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वालों के लिए) ज़रूर बताएं ।

ट) भौतिक रूप से धारितों का अमूर्तिकरण:

सेबी ने 24 जनवरी, 2022 के अपनी अधिसूचना में यह आवश्यक कर दिया है कि प्रतिभूति के हस्तानांतरण के सभी निवेदन, जिसमें ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन निवेदन शामिल हैं, सिर्फ़ अमूर्तिकृत रूप में ही प्रोसेस किए जाएँ गे । इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिम को खत्म करने और अमूर्तिकृत के अलग-अलग फ़ायदों का लाभ उठाने के लिए, सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने पास मौजूद शेयरों को भौतिक प्रारूप से अमूर्तिकृत करें । इस संबंध में, सदस्य मदद के लिए बैंक या बैंक के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं ।

ठ) रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के नतीजे:

वार्षिक सामान्य बैठक में ई-वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद, संवीक्षक सबसे पहले एजीएम के दौरान डाले गए वोटों की गिनती करेगा, उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और एजीएम खत्म होने के दो कार्य दिवस के भीतर, अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखकर प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को, अगर कोई हो, तो पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल वोटों की एक समेकित रिपोर्ट संवीक्षक देगा । रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम को एजीएम में ई-वोटिंग के परिणाम के साथ मिलाकर बैंक अपनी वेबसाइट, सीडीएसएल की वेबसाइट पर घोषित करेगा और स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित करेगा ।

निदेशक मण्डल की ओर से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

-ह/-
रघुराम मल्लेला
उप महा प्रबंधक व कंपनी सचिव

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 21-05-2026

व्याख्यात्मक कथन

कार्यसूची मद संख्या 2

शेयर जारी करने/म्यूचुअल फंड/क्यूआइबी या किसी और तरीके या इनके मिश्रण के ज़रिए, एक या ज़्यादा हिस्सों से ₹ 5,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम, अगर कोई हो, शामिल है) तक इक्विटी शेयर पूँजी जुटाना ।

ए) आरबीआई की बेसल III दिशानिर्देश का पालन करने और कारोबार ग्रोथ के लिए आवश्यक कैपिटल सहायता देने के लिए एक मज़बूत पूँजी बेस बनाने के लिए, बैंक को लगातार कैपिटल की ज़रूरत होती है ।

बी) भारत सरकार ने 30 जुलाई 2021 के राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 520 (ई) के माध्यम से प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम (एससीआरआर), 1957 के तहत प्रावधानों में और संशोधन किया है और एससीआरआर में हुए उक्त संशोधन के अनुसार, केंद्र सरकार जनहित में किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को एससीआरआर के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दे सकती है ।

सी) तत्पश्चात, केंद्र सरकार ने 19 जुलाई 2024 के अपने पत्र संदर्भ संख्या एफ. सं. 1/14/2018-पीएम (भाग) के माध्यम से सेबी को बताया कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक हित में निर्णय लिया है कि एससीआरआर, 1957 में परिभाषित प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, जिसकी सार्वजनिक शेयरधारिता पच्चीस प्रतिशत से कम है और जो एससीआरआर, 1957 के नियम 19 ए में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक नहीं बढ़ा सकी है, उसे अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए 01.08.2026 तक छूट मिलेगी ।

डी) बैंक के निदेशक मंडल ने 21 मई 2026 को हुई अपनी मीटिंग में, शेयरधारकों की मंजूरी और दूसरी जरूरी सांविधिक/नियामक मंजूरियों के आधार पर, एक या अधिक हिस्सों में अलग-अलग उपलब्ध विकल्प के ज़रिए 5,000 करोड़ रुपये (प्रीमियम मिलाकर) की इक्विटी पूँजी जुटाने को मंज़ूरी दे दी है ।

इ) तदनुसार, बैंक का प्रस्ताव है कि वह फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर/ राइट्स इश्यू/अहर्ताप्राप्त संस्थागत संस्थान/इएसपीएस/ एलआइसी और दूसरी बीमा कंपनियों को प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी करके/म्यूचुअल फंड/क्यूआइबी या किसी और तरीके या इनके मिश्रण से बैंक में पब्लिक शेयरधारिता बढ़ाए । बैंक इन ऑप्शन का इस्तेमाल मौजूदा बाज़ार की स्थिति के आधार पर करेगा ।

एफ) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इक्विटी पूँजी भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेबी आइसीडीआर विनियम में उद्दृत दूसरे प्राधिकरण से ज़रूरी मंज़ूरी लेकर जुटाई जाएगी और यह सेबी की दूसरी ज़रूरी दिशानिर्देश/ विनियम और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध समझौता के अनुसार होगी ।

जी) बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 3(2बी)(सी) के अनुसार, बैंक अदाता पूँजी बढ़ाने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से ज़रूरी मंज़ूरी लेगा । अत: केंद्र सरकार हर समय बैंक के अदाता इक्विटी पूँजी का कम से कम बावन परसेंट हिस्सा रखेगी ।

एच) एलओडीआर विनियम, 2015 के नियम 41 में यह उल्लेख किया गया है कि जब भी बैंक कोई और इश्यू या ऑफर करता है, तो मौजूदा शेयरधारकों को वह आनुपातिक आधार पर ऑफर किया जाना चाहिए, जब तक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक कुछ और तय न करें । अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इसका असर यह होगा कि बैंक की ओर से बोर्ड मौजूदा शेयरधारकों को आनुपातिक आधार के अलावा किसी और आधार पर प्रतिभूति जारी और आवंटन कर सकेगा ।

आइ) इस प्रस्ताव का उद्देश्य बैंक को फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू के ज़रिए, और/या प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार/ आरबीआई द्वारा मंज़ूर किसी दूसरे तरीके से इक्विटी शेयर/ प्रेफरेंस शेयर/सिक्योरिटीज़ बनाने, ऑफ़र करने, जारी करने और अलॉट करने में मदद करना है। इश्यू से होने वाली कमाई से बैंक को आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्देशित अपनी पूँजी पर्याप्तता ज़रूरतों को मज़बूत करने में मदद मिलेगी ।

जे) प्रस्ताव में आगे निदेशक मंडल को आइसीडीआर विनियम के तहत निर्देशित अहर्ताप्राप्त संस्थागत खरीदार के साथ अहर्ताप्राप्त संस्थागत संस्थान करने का अधिकार देने की बात कही गई है। निदेशक मंडल अपनी इच्छा से बैंक के लिए फंड जुटाने के लिए आइसीडीआर विनियम के भाग VIII के तहत बताए गए इस तरीके को बिना शेयरधारकों से नई मंज़ूरी लिए अपना सकता है ।

के) सेबी आइसीडीआर विनियम के भाग VI के अनुसार क्यूआइपी इश्यू के मामले में, क्यूआइपी बेसिस पर सिक्योरिटीज़ का इश्यू, «निर्धारित तिथि" से पहले के दो हफ़्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज

पर कोट किए गए शेयरों के साप्ताहिक उच्च और निम्न बंद मूल्य के अनुपात से कम कीमत पर नहीं किया जा सकता है। «निर्धारित तिथि" का मतलब उस मीटिंग की तारीख होगी जिसमें बैंक का बोर्ड या कमेटी क्यूआइपी इश्यू खोलने का फैसला लेती है ।

एल) ऑफर के लिए विस्तृत नियम एवं शर्तें सलाहकार, लीड प्रबंधक और अंडरराइटर्स और ऐसी दूसरी प्राधिकरण या प्राधिकारी से सलाह करके तय की जाएंगी, जिनकी ज़रूरत हो सकती है, और यह मौजूदा बाजार के हालात और दूसरी नियामक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

एम) चूँ कि ऑफरिंग की प्राइसिंग बाद में ही तय की जा सकती है, इसलिए जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत बताना मुमकिन नहीं है । अत: यह सेबी आइसीडीआर विनियम, बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर्स एंड बैठक) विनियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार होगा, जैसा कि समय-समय पर बदला गया है, अगर लागू हो, या कोई दूसरी दिशानिर्देश/विनियम/सहमति जो लागू हो या ज़रूरी हों ।

एन) उपरोक्त उद्धृत कारणों से, अत: एक ज़रूरी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है ताकि बोर्ड को इस मामले की शर्तों को अनंतिम करने के लिए पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार दी जा सके ।

ओ) आवंटित किए गए इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ हर तरह से बराबर स्थान के होंगे ।

पी) इस उद्देश्य के लिए, बैंक को एक विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों की मंज़ूरी लेनी होगी । अत: ऊपर दिए गए प्रस्ताव के लिए आपकी मंज़ूरी की निवेदन है ।

क्यू) बैंक या उसका कोई भी निदेशक या प्रमोटर इरादतन चूककर्ता या भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है ।

आर) यह प्रस्ताव बैंक के निदेशक मंडल को सही समय, तरीके और दूसरी शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने में मदद करने के लिए है । यह प्रस्तावित प्रस्ताव पारित होने के बाद, बैंक के शेयरधारकों द्वारा 02 जुलाई, 2025 को हुई अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में इसी तरह पहले ही पास किए गए प्रस्ताव की जगह ले लेगा ।

बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधन कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को, साथ में दिए गए नोटिस के कार्यसूची मद संख्या 2 में उल्लिखित विशेष संकल्प से जुड़ा या उसमें रूचि रखने वाला नहीं माना जाएगा, सिवाय बैंक में उनकी शेयरधारिता के, अगर कोई हो तो ।

आइओबी-ईएसपीएस 2026-27:

बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर स्थान रखने वाले, ₹10/- (केवल दस रुपये) अंकित मूल्य के 10,00,00,000 (दस करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर, ₹5,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की कुल सीमा के भीतर, ऐसे स्थायी कर्मचारियों को—चाहे वे भारत में कार्यरत हों या भारत के बाहर—बनाने, पेश करने, जारी करने और आवंटित करने के लिए; यह सब 'कर्मचारी शेयर खरीद योजना' के तहत किया जाएगा, जिसे इसके बाद 'आइओबी-ईएसपीएस 2026-27' के नाम से जाना जाएगा ।

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बैंक के कार्यपालक निदेशकों ("पात्र कर्मचारी") सहित बैंक के सभी स्थायी कर्मचारियों को "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के तहत बताए गए नियमों और शर्तों पर या इक्विटी शेयर जारी करने के लिए बोर्ड या निदेशक समिति (समिति)/उपयुक्त समिति द्वारा लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ इक्विटी शेयर देने का प्रस्ताव है:

(i) पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना, ताकि वे बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए अपनी प्रयासों को बढ़ावा दे सकें और बैंक की ग्रोथ और लाभ में योगदान दे सकें ।

(ii) बैंक की ग्रोथ में लगातार सहयोग और योगदान के लिए योग्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना ।

(iii) पात्र कर्मचारियों को बैंक में मालिकाना हक पाने के तरीके देकर इक्विटी ओनरशिप को बढ़ावा देना ।

उक्त प्रस्ताव, यदि आवश्यक हो, तो भारत सरकार/आरबीआई/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य नियामक निकायों से अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन है।

ऊपर जारी किए गए इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी मामलों में समान दर्ज़ा रखेंगे।

एलओडीआर विनियम के नियम 41 में यह उल्लेख किया गया है कि जब भी बैंक कोई और इश्यू या ऑफर दे रहा हो, तो मौजूदा शेयरधारकों को वह आनुपातिक आधार पर ऑफर किया जाना चाहिए, जब तक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक कुछ और तय न करें । अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इसका असर यह होगा कि बैंक की ओर से बोर्ड मौजूदा शेयरधारकों को आनुपातिक आधार के अलावा किसी और आधार पर प्रतिभूति जारी और आवंटन कर सकेगा ।

बैंक की प्रतिभूति से जुड़ी सभी कर्मचारी लाभ योजना सेबी विनियम और इस बारे में सेबी द्वारा बनाए गए किसी भी दूसरे दिशानिर्देश, विनियम आदि के अनुसार होंगी।

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रमजन्य इक्विटी) विनियम, 2021 की अनुसूची। के भाग ग में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के व्यापक नियम और शर्तें निम्नलिखित होंगी ।

ए) योजना का संक्षिप्त विवरण:

बैंक, अपने सभी स्थायी कर्मचारियों को—जिनमें प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तथा बैंक के कार्यपालक निदेशक भी शामिल हैं ("पात्र कर्मचारी")—इक्विटी शेयर देना चाहता है । ये शेयर "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के तहत बताई गई शर्तों पर, या इक्विटी शेयर जारी करने के लिए बने बोर्ड या निदेशकों की समिति (समिति) द्वारा तय की गई शर्तों पर दिए जाएँ गे । यह सब लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन होगा; और इसमें, अन्य बातों के अलावा, यह शर्त भी शामिल है कि ऑफ़र के समय जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या 10,00,00,000 से ज़्यादा नहीं होगी, और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य (face value) 10 रुपये होगा, जिस पर उचित प्रीमियम भी लागू होगा ।

बी) दिए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या

"आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के तहत पात्र कर्मचारियों को 10,00,00,000 तक इक्विटी शेयर ऑफर करने का प्रस्ताव है । हालांकि, "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के तहत, किसी भी पात्र कर्मचारी को ऑफर किए गए शेयरों का हिस्सा, अगर अनसब्सक्राइब रहता है, तो उसे बोर्ड या समिति द्वारा तय की गई कीमत पर इच्छुक पात्र कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा ।

सी) "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" में भाग लेने और लाभार्थी बनने के पात्र कर्मचारियों के वर्गों को चिन्हित करना

बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी, चाहे वे भारत में कार्यरत हों या बाहर, जिसमें बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तथा बैंक के कार्यपालक निदेशक भी शामिल हैं ।

डी) निहितीकरण की आवश्यकताएं और निहितीकरण की अवधि

इक्विटी शेयर सीधे ऑफर और आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है और इसलिए वेस्टिंग का कोई समय नहीं होगा ।

ई) अधिकतम अवधि (सेबी विनियमनों के विनियमन 18(1) और 24(1) के अधीन, जैसा भी मामला हो) जिसके भीतर ऑप्शन/एसएआर/बेनिफिट निहित होंगे

लागू नहीं

एफ) एक्सरसाइज प्राइस, एसएआर कीमत, खरीद कीमत या प्राइसिंग फ़ॉर्मूला

खरीद कीमत या प्राइसिंग फ़ॉर्मूला, ऑफ़र के समय सेबी विनियम के अनुसार, बोर्ड या इक्विटी शेयर जारी करने वाले निदेशकों की समिति/सही समिति तय करेगी ।

जी) अभ्यास की अवधि और अभ्यास की प्रक्रिया

बोर्ड/समिति के फैसले के मुताबिक, जिस समय के दौरान इश्यू खुला रहेगा, वह एक्सरसाइज अवधि होगा । एक्सरसाइज की प्रक्रिया में, दूसरी बातों के साथ, पात्र कर्मचारियों को दिया गया ऑफर, एप्लीकेशन और सब्सक्रिप्शन राशि की रसीद और योजना के हिसाब से शेयर्स का आवंटन शामिल होगा ।

एच) "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के लिए कर्मचारियों की पात्रता तय करने की मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी, चाहे वे भारत में कार्यरत हों या बाहर, जिसमें शेयर ऑफर/इश्यू करने की तारीख को बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक शामिल हैं, लागू नियामक ज़रूरतों और दिशानिर्देश के तहत हिस्सा लेने के हकदार होंगे ।

आई) प्रति कर्मचारी और कुल मिलाकर जारी किए जाने वाले विकल्पों, एसएआर'ओं, शेयरों (जैसा भी मामला हो) की अधिकतम संख्या

इस योजना के तहत हर कर्मचारी को जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयरों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, इस मकसद के लिए बने बोर्ड/निदेशकों की कमेटी तय करेगी और हर कर्मचारी को जारी किए जाने वाले शेयर, बैंक के पोस्ट इश्यू अदाता पूँजी के 1% से ज़्यादा नहीं होंगे ।

जे) योजना के तहत प्रति कर्मचारी दिए जाने वाले लाभों की अधिकतम मात्रा

चूंकि नए शेयर "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के तहत जारी किए जाने का प्रस्ताव है, इसलिए पात्र कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ नहीं दिया जाएगा ।

के) क्या योजना को सीधे कंपनी द्वारा लागू और प्रबंधित किया जाएगा या किसी ट्रस्ट के ज़रिए

"आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" को बैंक द्वारा सीधे लागू और प्रशासित किया जाएगा ।

एल) क्या योजना (ओं) में कंपनी द्वारा शेयरों का नया इश्यू शामिल है या ट्रस्ट द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण या दोनों शामिल हैं

"आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के तहत, बैंक पात्र कर्मचारियों को सीधे नए इक्विटी शेयर जारी करेगा ।

एम) कंपनी द्वारा ट्रस्ट को योजना(ओं) के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि, इसकी अवधि, उपयोग, पुनर्भुगतान की शर्तें आदि

चूंकि बैंक द्वारा "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के तहत पात्र कर्मचारियों को शेयर सीधे जारी किए जाते हैं, इसलिए ट्रस्ट बनाने या ट्रस्ट को लोन देने का सवाल ही नहीं उठता ।

एन) द्वितीयम अधिग्रहण का अधिकतम प्रतिशत (सेबी विनियम के तहत तय सीमाओं के अधीन) जो योजना (ओं) के उद्देश्य के लिए ट्रस्ट द्वारा किया जा सकता है

लागू नहीं

ओ) एक ऐसा विवरण कि कंपनी विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों का पालन करेगी

बैंक, समय-समय पर लागू, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों का पालन करेगा ।

पी) कंपनी अपने ऑप्शंस या एसएआर'ओं का मूल्यांकन करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करेगी

प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है और इसलिए, ऑप्शंस या एसएआर'ओं का वैल्यूएशन लागू नहीं होगा ।

क्यू) यदि लागू हो, निम्नवत विवरण:

'अगर बैंक इंट्रिंसिक वैल्यू का इस्तेमाल करके शेयर-आधारित कर्मचारी लाभ का खर्च निकालने का ऑप्शन चुनता है, तो इस तरह कैलकुलेट की गई कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत और फेयर वैल्यू का इस्तेमाल करने पर चिन्हित की गई कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के बीच का अंतर निदेशक रिपोर्ट में बताया जाएगा और इस अंतर का बैंक के लाभ और अर्जन प्रति शेयर ("ईपीएस") पर क्या असर पड़ेगा, यह भी निदेशक रिपोर्ट में बताया जाएगा । बैंक उपरोक्त उल्लिखित ज़रूरतों को लागू होने पर पूरा करेगा ।

आर) लॉक-इन-अवधि:

सेबी विनियम के अनुसार, "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के तहत जारी किए गए इक्विटी शेयर आवंटन की तारीख से कम से कम एक साल के लिए लॉक-इन रहेंगे । इसके लिए, बैंक को एक विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों की मंज़ूरी लेनी होगी । अत: ऊपर लिखित प्रस्ताव के लिए आपकी मंज़ूरी के लिए निवेदन करनी होगी ।

एस) योजना के तहत दी गई विशेष प्रतिभूति/ऑप्शन्स के बायबैक के लिए नियम और शर्तें, यदि कोई हो:

कोई अलग से मूल्यांकन प्रक्रिया लागू नहीं होगा। योजना के तहत पात्र कर्मचारी होने के नाते, बैंक के प्रबंध निदेशक व कार्यपालक निदेशकों को योजना के तहत उन्हें दिए जाने वाले शेयरों की सीमा तक प्रस्ताव में हितधारक माना जा सकता है । उपरोक्त के अलावा, बैंक के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों का प्रस्तावित प्रस्ताव से सिवाय बैंक में उनकी हिस्सेदारी (यदि कोई हो) की सीमा तक वित्तीय या अन्य किसी भी रूप में कोई संबंध या हित नहीं है | बोर्ड योजना के तहत जारी किए गए शेयरों को वापस खरीदने का प्रोसेस तय करेगा, अगर बैंक कभी भी ऐसा करता है, और उसके लिए लागू नियम और शर्तें तय करेगा ।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्प को पास करने की सिफारिश करता है ।

कार्यसूची मद संख्या 3:

शेयर प्रीमियम खाते से 31.03.2026 तक संचित घाटे का विनियोजन

31.03.2026 तक, शेयर प्रीमियम खाते में रु.9636,50,05,532.04 जमा हैं, जो पहले प्रीमियम पर जारी किए गए शेयर की वजह से हैं । इसके अलावा, 31 मार्च, 2026 तक, बैंक के जमा हुए नुकसान के तौर पर रु. 8733,34,22,563.02 का बकाया है ।

बैंक का प्रस्ताव है कि वह शेयर प्रीमियम खाते में जमा रकम का इस्तेमाल जमा हुए नुकसान को प्रतितुलन करने के लिए करे ।

तदनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान, बैंक का प्रस्ताव है कि 31 मार्च 2026 तक 'शेयर प्रीमियम खाते' में जमा 9,636.50 करोड़ रुपये में से 8,733.34 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया जाएगा । इसके लिए शेयर प्रीमियम खाते में जमा राशि को लाभ एवं हानि खाते में मौजूद 8,733.34 करोड़ रुपये के डेबिट राशि (जमा हुआ नुकसान) में अंतरित किया जाएगा और शेयर प्रीमियम खाते उसी हिसाब से कम हो जाएगा ।

ऊपर बताए गए शेयर प्रीमियम में कमी के प्रस्ताव को अगर मंज़ूरी मिल जाती है और यह फाइनल हो जाता है, तो इसका असर यह होगा कि जमा हुआ नुकसान, जो 31 मार्च 2026 तक 8,733.34 करोड़ रुपये था, उसे प्रतितुलन कर दिया जाएगा ।

बैंक का मानना है कि अभी के समय में यह बैंक के लिए सबसे व्यवहारिक और किफायती विकल्प है, ताकि बैंक की वित्तीय स्थिति का सही और स्पष्ट नज़रिया सामने आ सके ।

प्रस्तावित प्रतितुलन बैंक की वित्तीय स्थिति का सही और सही नज़रिया दिखाएगा और यह बही मूल्य पर शेयर, इक्विटी से अर्जन (आरओई), शेयर से अर्जन (ईपीएस) जैसे किसी भी अनुपात पर असर नहीं डालेगा । इस विनियोजन से बैंक की कुल मालियत में कोई बदलाव नहीं होगा ।

बैंक अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति स्पष्ट कर पाएगा, जिससे शेयरधारकों को फायदा होगा क्योंकि उनकी होल्डिंग से बेहतर वैल्यू मिलेगी और बैंक को शेयरधारकों के फायदे के लिए मौके तलाशने में भी मदद मिलेगी, जिसमें लागू नियमों के मुताबिक सही समय में लाभांश का भुगतान भी शामिल है । यह प्रस्ताव बैंक को समय पर अपने कायापलट योजना को पूरा करने के लिए भी बेहतर स्थिति में रखेगा ।

बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 में किसी भी अदाता पूँजी को निरस्त करके अपनी अदाता पूँजी को कम करने का प्रावधान है, जो खो गया है, या उपलब्ध आस्ति में शामिल नहीं है । इसके अलावा, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 एक राष्ट्रीयकृत बैंक को बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 में उल्लिखित अदाता पूँजी को कम करने के उसी प्रक्रिया को अनुसरण करके अपने शेयर प्रीमियम खाते से कोई भी रकम निकालने की अनुमति देता है ।

चूँ कि जमा हुए नुकसान को प्रतितुलन करने के लिए बैंक के शेयर प्रीमियम खाते का प्रस्तावित इस्तेमाल पूँजी में कमी माना जाएगा, अत: बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुच्छेद 3(2बीबीए) के प्रावधानों के अनुसार एक विशेष संकल्प के ज़रिए बैंक के शेयरधारकों की मंज़ूरी मांगी जा रही है ।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुच्छेद 17(2) में यह नियम है कि अगर बैंक शेयर प्रीमियम खाते से कोई रकम या रकम लेता है, तो उसे ऐसे इस्तेमाल की तारीख से इक्कीस दिनों के अंदर, भारतीय रिज़र्व बैंक को इस बारे में रिपोर्ट करनी होगी, और इसके इस्तेमाल से जुड़े स्थिति बताने होंगे । बैंक निर्धारित समय में इस ज़रूरत को पूरा करेगा ।

शेयर प्रीमियम खाते में कमी, जिसमें शेयर प्रीमियम खाते के क्रेडिट में जमा रकम को कम करके लाभ व हानि खाते में डेबिट राशि को प्रतितुलन करना शामिल है, इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक अपने शेयरधारकों को कोई भी कंसीडरेशन देगा । अत: शेयर प्रीमियम खाते में कमी के बाद बैंक की इक्विटी पूँजी स्ट्रक्चर और शेयरहोल्डिंग पैटर्न वैसा ही रहेगा । शेयरों की बही मूल्य भी वैसी ही रहेगी।

शेयरधारिता पैटर्न:

क्रम सं	वर्ग	शेयर प्रीमियम खाते में कमी से पहले		शेयर प्रीमियम खाते में कमी के बाद	
		धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1	प्रमोटर की होल्डिंग- भारत सरकार	17,80,04,88,299	92.44%	17,80,04,88,299	92.44%
2	गैर-प्रमोटर होल्डिंग: पब्लिक	1,45,61,01,496	7.56%	1,45,61,01,496	7.56%
कुल		**19,25,65,89,795**	**100%**	**19,25,65,89,795**	**100%**

शेयरधारकों और क्रेडिटर्स के अधिकारों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है।

निदेशक मंडल ने 21 मई, 2026 को हुई अपनी बैठक में बैंक और उसके शेयरधारकों के सबसे अच्छे हित में शेयर प्रीमियम खाते के इस्तेमाल के ऊपर दिए गए प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है और इसलिए शेयरधारकों से मंज़ूरी के लिए इसकी सिफारिश की है ।

बैंक के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से कोई भी, उनके रिश्तेदारों सहित, उपर्युक्त प्रस्ताव में तब तक कोई रुचि या सरोकार नहीं रखता है, जब तक कि बैंक में उनकी कोई शेयरधारिता न हो ।

कार्यसूची मद संख्या 4:

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, का बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्यकाल, उनके वर्तमान में अधिसूचित कार्यकाल (जो 31.12.2025 को समाप्त हो गया था) के बाद, 01.01.2026 से 08.10.2027 तक बढ़ाया गया है ।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 (दिनांक 17.11.2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित) के पैराग्राफ 8(1) के साथ पठित, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना ईएफ. संख्या 4/3/2024 बीओ.आई, दिनांकित 8 सितंबर 2025 ने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल से आगे बढ़ा दिया है, जो 31.12.2025 को समाप्त हो गया था, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में उनके 10 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने की तिथि तक, यानी 01.01.2026 से 08.10.2027 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो ।

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना है ।

अत: भारत सरकार द्वारा तय की गई शर्तों और नियमों पर, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों की मंज़ूरी मांगी गई है ।

संक्षिप्त प्रोफ़ाइल:

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव दिनांक 01.01.2023 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रबंध निदेशक व सीईओ का कार्यभार संभाले हुए हैं; इससे पूर्व वे दिनांक 09.10.2017 से बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

उन्होंने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत 1991 में इलाहाबाद बैंक में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के तौर पर की थी, जहाँ उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग पदों पर काम किया । वे एक कुशाग्र और अनुभवी बैंकर हैं, जिन्हें ज़मीनी स्तर का व्यापक अनुभव प्राप्त है; साथ ही, इलाहाबाद बैंक में वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत रहते हुए, उन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली जैसे सबसे बड़े और अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने का गौरव भी हासिल है ।

इलाहाबाद बैंक में लगभग 27 वर्षों की सफल सेवा पूरी करने के बाद, भारत सरकार द्वारा उन्हें कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया, और उन्होंने 09.10.2017 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यभार ग्रहण किया ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यपालक निदेशक के तौर पर उनका सफर बहुत मुश्किल भरा रहा । बैंक 2014 से घाटे में था, 2015 से पीसीए में था और कई दूसरी चुनौतियों के अलावा वित्तीय पैरामीटर भी खराब हालत में थे । उन्होंने सभी विशेष क्षेत्र के लिए रणनीति बनाई और बोर्ड के सहयोग से उन्हें जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया । उन्होंने पांच साल से ज़्यादा समय तक कार्यपालक निदेशक के तौर पर बैंक में काम किया और इस दौरान सभी विभाग और पोर्टफोलियो संभाले । कार्यपालक निदेशक के तौर पर उनके समय की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने मार्च 2020 में बैंक को घाटे से और सितंबर 2021 में पीसीए से बाहर निकालने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी । इसके अलावा, वह 2020-2021 के दौरान लगभग 14 महीनों तक बैंक में अकेले कार्यपालक निदेशक थे ।

वह दो साल के लिए भारत सरकार द्वारा नामित इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आइआइएफसीएल) के बोर्ड में निदेशक भी थे । उन्होंने अपने पिछले बैंक में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के तौर पर भी काम किया है । वह यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं ।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- निदेशकों के बीच आपसी संबंध: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद: शून्य
- दूसरी सूचीबद्ध इकाईयों में सदस्यता/अध्यक्षता: शून्य
- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता: 8182 इक्विटी शेयर

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव या बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक उनके रिश्तेदारों के अलावा बैंक के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों, यदि कोई हो, एजीएम की संलग्न सूचना के मद संख्या 4 में दिए गए प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं ।

निदेशक मण्डल की ओर से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

-ह/-
रघुराम मल्लेला
उप महा प्रबंधक व कंपनी सचिव

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 21-05-2026

निदेशकों की रिपोर्ट 2025-26

वैश्विक और देशीय आर्थिक वातावरण

बढ़ते भू-राजनैतिक अस्थिरता, विशेषकर पश्चिम एशिया में संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट, ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतें और लगातार व्यापार में अनिश्चितताओं की वजह से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा । इन विकास ने वैश्विक वित्तीय बाज़ार में उतार-चढ़ाव बढ़ा दिया और वृहत्त अर्थव्यवस्था में वृद्धि और महंगाई को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दीं ।

इसे संज्ञान में लेते हुए , अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि के नए अनुमानों के मुताबिक, **2026** में वैश्विक वृद्धि **3.1%** और **2027** में 3.2% रहेगी, जो भू-राजनैतिक तनावों, कमोडिटी की बढ़ी कीमतों और वित्तीय बाज़ार मार्केट में बदलाव के असर को दर्शाता है ।

अनिश्चित ग्लोबल माहौल के बीच, भारत ने मज़बूत देशीय माँ ग, लगातार निवेश, जारी स्ट्रक्चरल सुधारों और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के सहारे मज़बूत मैक्रोइकॉनॉमिक आघात-सहनीयता दिखाना जारी रखा है । वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ **7.6% रहने का अनुमान है** । भविष्य की ओर देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी नीति जून 2026 में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए **6.9%** की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है और पॉलिसी रेपो रेट को **5.25%** पर बिना किसी बदलाव के रखा है, जबकि **तटस्थ नीतिगत रुख बनाए रखा** ।

मार्च 2026 के अद्यतित उपलब्ध डेटा के अनुसार, भारत का बैंकिंग क्षेत्र लगातार मज़बूत और लचीला बना हुआ है । अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने **17.68% का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेश्यो (सीआरएआर) रिपोर्ट किया है**, जो नियामक आवश्यकताओं से काफी अधिक है । आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ है, सकल एनपीए घटकर **1.73%** और निवल एनपीए **0.40% हो गया है । तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) 123.70%** पर सुविधाजनक बना रहा । वार्षिक आस्तियों पर वापसी (आरओए) और इक्विटी से वापसी (आरओई) क्रमशः **1.33%** और **13.06%** रहे , जबकि निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) **3.26% रहा** ।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, हमारा वित्तीय पैरामीटर मार्च 2026 तक मजबूत बना रहा, जिसमें **सकल एनपीए 1.93%**, **निवल एनपीए 0.39%**, **आस्तियों पर रिटर्न (आरओए) 1.10%** और **निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 2.84% रहा**, जो परिसंपत्ति की गुणवत्ता, लाभप्रदता और परिचालन दक्षता में निरंतर सुधार को दर्शाता है ।

बैंक का क्रेडिट ग्रोथ वार्षिक आधार पर **13.8%** रही, जबकि एक वर्ष पहले यह **11.0%** थी । डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी रही, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल जमा में वार्षिक आधार पर लगभग **10.8%** की बढ़ोतरी हुई, जिससे बैंकिंग सिस्टम में लगातार क्रेडिट बढ़ने और लिक्विडिटी स्टेबिलिटी को सहयोग मिला ।

दुनिया भर में अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत के मज़बूत मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल्स, विवेकपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था और राजस्व नीति, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और सबको साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता, अर्थव्यवस्था के ग्रोथ की रफ़्तार बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में रखती है । मज़बूत पूँजी बफर, बेहतर आस्ति गुणवत्ता, अधिक तरलता और डिजिटल अपनाने की बढ़ती मांग के सहारे, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र निवेश, वित्तीय समावेशन, और देश की लंबे समय की आर्थिक उम्मीदों को सहायता करने के लिए अच्छी स्थिति में है ।

वित्तीय प्रदर्शन

बैंक ने **31 मार्च 2026** को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवसाय, लाभप्रदता, परिसंपत्ति की गुणवत्ता, परिचालन दक्षता और ग्राहक अधिग्रहण में अपनी मजबूत विकास गति को जारी रखते हुए अपना **अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय प्रदर्शन किया** और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच अपनी स्थिति को और मजबूत किया है ।

31 मार्च 2026 तक **बैंक का कुल कारोबार** पिछले वर्ष के **₹5,61,957 करोड़** से **₹ 1,16,657 करोड़** बढ़कर **₹ 6,78,614 करोड़** हो गया, जो **20.76%** की ज़बरदस्त बढ़त दिखाता है । हमारा **सकल अग्रिम 24.16%** बढ़कर **₹ 3,10,423 करोड़** हो गया, जबकि कुल जमा **18.03%** बढ़कर **₹ 3,68,191 करोड़** हो गया, जो मज़बूत और बड़े पैमाने पर कारोबार में बढ़ोतरी दिखाता है ।

देनदारी पक्ष पर, बैंक ने अपनी विविध और कम लागत वाली जमा उत्पाद को मजबूत करना जारी रखा । **बचत बैंक जमाओं** में **15.30%** की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष के दौरान **₹ 1,08,035 करोड़** से **₹ 16,530 करोड़** बढ़कर **₹ 1,24,565 करोड़** हो गई । **कासा जमा 10.85%** बढ़कर **₹ 1,50,936 करोड़** हो गई, जबकि **खुदरा अवधि जमा** ने **17.81**% की स्वस्थ वृद्धि दर्ज की, जो **₹ 1,83,601 करोड़** हो गई । बैंक ने **41.46%** के **देशीय कासा अनुपात** के साथ एक मजबूत कम लागत वाली जमा प्रोफ़ाइल बनाए रखी, जबकि उच्च लागत वाली थोक जमा कुल जमा के **6%** से नीचे थी । उल्लेखनीय रूप से, **कासा और खुदरा अवधि जमाओं ने कुल जमा में 94%** का योगदान दिया ।

बैंक ने पिछले वर्ष के **₹ 3,335 करोड़** के मुकाबले **₹ 5,208 करोड़** का **अब तक का सबसे ज़्यादा वार्षिक निवल लाभ रिपोर्ट** किया, जो **56.16%** की शानदार बढ़त दिखाता है । विशेष बात यह है कि बैंक ने वित्तीय वर्ष **2025-26 की सभी चार तिमाहियों में ₹ 1,000 करोड़ से ज़्यादा का निवल लाभ दिया**, जो **तिमाही1 में ₹ 1,111 करोड़** से बढ़कर **तिमाही4 में ₹ 1,50**5 **करोड़** हो गया, जो कमाई में एकरूपता और टिकाऊपन दिखाता है ।

निवल ब्याज आय (एनआईआई) 15.46% बढ़कर ₹ 12,574 करोड़ हो गई, जबकि परिचालनगत लाभ ₹ 10,000 करोड़ के लैंडमार्क को पार कर 15.40% बढ़कर ₹ 10,026 करोड़ हो गया । परिचालनगत आय 10.80% बढ़कर ₹ 18,210 करोड़ हो गई । कुल रेपो रेट में 125 बीपीएस की कटौती के बावजूद, बैंक ने वैश्विक एनआइएम को 3.21% और देशीय एनआइएम को 3.33% पर रखते हुए अच्छा मार्जिन बनाए रखा । बैंक का लाभ अनुपात लगातार मज़बूत होता रहा, आरओए 0.92% से बढ़कर 1.23% हो गया , जो पूरे वर्ष 1% से ऊपर रहा , और आरओई 16.28% से बढ़कर 20.42% हो गया । इसके अलावा, लागत-से-आय अनुपात 47.14% से सुधरकर 44.94% हो गया, जबकि जमाराशि की लागत 5.08% से घटकर 4.97% हो गई , जो बेहतर परिचालन क्षमता और प्रभावी देनदारी प्रबंधन को दर्शाता है ।

बैंक ने आस्ति गुणवत्ता सुधार के मामले में अपनी शानदार यात्रा जारी रखी । सकल एनपीए 2.14% से घटकर 1.42% हो गया, जबकि निवल एनपीए 0.37% से सुधरकर 0.21% हो गया, जो इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है । बैंक ने इंडस्ट्री में सबसे अच्छा 97.50% का प्रावधान कवरेज अनुपात बनाए रखा, जबकि क्रेडिट कॉस्ट 0.30% पर कम रही ।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नई स्लिपेज पिछले वर्ष के ₹3,568 करोड़ से 66 % कम होकर ₹ 1,211 करोड़ हो गए, स्लिपेज रेश्यो 1.68% से सुधरकर 0.49% हो गया, जो इंडस्ट्री में सबसे कम में से एक है । वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 3,576 करोड़ वसूली किया, जो नए स्लिपेज का लगभग 2.95 गुना था, जिससे मजबूत रिकवरी और रेज़ोल्यूशन मैकेनिज्म की पुष्टि होती है ।

खुदरा, कृषि और एमएमएमई (आरएएम) सेगमेंट पर बैंक के रणनीतिक फोकस से अच्छे नतीजे मिलते रहे । आरएएम अग्रिम 34.91% बढ़कर ₹ 2,45,014 करोड़ हो गया और यह कुल अग्रिम का 78.93% था । आरएएम पोर्टफोलियो में, खुदरा अग्रिम 45.12% , कृषि अग्रिम 39.27 % और मुख्य एमएसएमई अग्रिम 23.77 % बढ़ा, जो अलग-अलग तरह के और विविध क्रेडिट ग्रोथ को दिखाता है ।

बैंक की पूँजी स्थिति मजबूत रही, कैपिटल एडिक्वेसी अनुपात (सीआरएआर) सुधरकर 19.78% हो गया, जिसमें 16.94% का सीईटी-1 अनुपात भी शामिल है, जो नियामक ज़रूरतों से काफी ऊपर है और इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है ।

163 नई शाखा, 3 क्षेत्रीय कार्यालय , 154 एटीएम/सीआरएम और 2,052 कारोबार संवादी जोड़कर अपने ग्राहक आउटरीच को भी काफी बढ़ाया, जिससे वित्तीय समावेशन, ग्राहक पहुँ च और सस्टेनेबल ग्रोथ के प्रति उसका प्रतिबद्धता और मजबूत हुआ ।

कारोबार ग्रोथ, लाभप्रदता, परिचालनगत दक्षता, आस्ति गुणवत्ता, वसूली परफॉर्मेंस, पूँजी स्ट्रेंथ और ग्राहक धारण में लगातार सुधार बैंक के एक मजबूत, टिकाऊ और फ्यूचर-रेडी इंस्टीट्यूशन में बदलाव को पुष्टि करता है, जो सभी हितधारकों के लिए लॉन्ग-टर्म वैल्यू बनाने के लिए अच्छी स्थिति में है ।

आय और व्यय विश्लेषण

31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम पर प्राप्त ब्याज **19.32% (वार्षिक-दर-वार्षिक)** बढ़कर ₹ **24,082** करोड़ हो गया, जबकि **31 मार्च 2025** को खत्म हुए पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹ **20,182** करोड़ था । निवेश पर प्राप्त ब्याज वित्तीय वर्ष 2025-26 में **6.82%** बढ़कर **₹ 7,518** करोड़ हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह **₹ 7,038** करोड़ था । नतीजतन, कुल ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2025-26 में **13.38%** बढ़कर ₹ **31,896** करोड़ हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह **₹ 28,131** करोड़ थी ।

बैंक की नॉन-ब्याज आय में भी बढ़ोतरी हुई और यह वित्तीय वर्ष 2025-26 में **₹ 5,636** करोड़ हो गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह **₹ 5,545** करोड़ थी, यानी **1.64%** की बढ़ोतरी हुई । इसके मुताबिक, कुल आय वित्तीय वर्ष 2025-26 में **11.45%** बढ़कर **₹ 37,532** करोड़ हो गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह **₹ 33,676** करोड़ थी ।

खर्च की बात करें तो, जमा पर दिया गया ब्याज वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर ₹ **16,577** करोड़ हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह **₹ 15,008** करोड़ था । यह जमा बेस में बढ़ोतरी के हिसाब से **10.45%** की बढ़ोतरी है । उधार पर दिया गया ब्याज पिछले वर्ष के **₹ 2,232** करोड़ के मुकाबले **22.98%** बढ़कर **₹ 2,745** करोड़ हो गया । नतीजतन, कुल ब्याज खर्च वित्तीय वर्ष 2024-25 के **₹ 17,241** करोड़ से **12.07%** बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में **₹ 19,322** करोड़ हो गया ।

बिज़नेस बढ़ाने और ब्रांच नेटवर्क बढ़ाने के बावजूद, बैंक ने लागत पर अच्छा कंट्रोल बनाए रखा । परिचालनगत खर्च पिछले वर्ष के **₹ 7,747** करोड़ के मुकाबले **5.64%** बढ़कर **₹ 8,184** करोड़ हो गया, जो परिचालन आय में बढ़ोतरी से कम था, जो बेहतर परिचालन दक्षता को दर्शाता है । स्टाफ का खर्च **₹ 4,689** करोड़ पर काफी हद तक स्थिर रहा, जबकि दूसरे परिचालन खर्च वर्ष के दौरान **₹ 3,495** करोड़ रहे । कुल खर्च वित्तीय वर्ष 2025-26 में **10.08%** बढ़कर **₹ 27,506** करोड़ हो गया , जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह **₹ 24,988** करोड़ था ।

31.03.2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **निवल ब्याज आय (एनआइआइ) 15.46%** बढ़कर **₹ 12,574** करोड़ हो गई, जबकि 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए यह **₹ 10,890** करोड़ थी । परिचालन आय **10.80**% बढ़कर **₹ 18,210** करोड़ हो गई , जबकि **परिचालनगत लाभ ₹ 10,000** करोड़ के बड़े मील के पत्थर को पार कर **15.40%** बढ़कर **₹ 10,026** करोड़ हो गया । बैंक का आय पर लागत अनुपात **47.14%** से बढ़कर **44.94 %** हो गया , जो बेहतर परिचालनगत दक्षता और असरदार लागत प्रबंधन को दर्शाता है ।

वर्ष के दौरान पॉलिसी रेपो रेट में **125 बीपीएस** की कुल कटौती के बावजूद, बैंक ने **वैश्विक एनआइएम 3.21%** और **देशीय एनआइएम 3.33%** के साथ अच्छा मार्जिन बनाए रखा । बेहतर आय प्रोफ़ाइल, कुशल तरलता प्रबंधन, जमा की लागत में **5.08%** से **4.97%** तक की कमी, और अनुशासनित खर्च प्रबंधन ने मज़बूत लाभप्रदता में योगदान दिया, जिसके परिणामस्वरूप बैंक ने **₹ 5,208** करोड़ का **अपना अब तक का सबसे ज़्यादा निवल लाभ** रिपोर्ट किया, जो पिछले वर्ष के मुकाबले **56.16%** ज़्यादा है ।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात

बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपाल मज़बूत बना रहा और **31.03.2026** को **74 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 19.78%** हो गया, जबकि **31.03.2025** को यह **19.04%** था । यह नियामक ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा है, जो बैंक की मज़बूत पूँजी स्थिति और भविष्य में कारोबार ग्रोथ को सपोर्ट करने की उसकी क्षमता को दर्शाता है ।

बैंक का **कॉमन इक्विटी टीयर-1 (सीईटी-1)** अनुपात **31.03.2026** को **16.94%** रहा, जबकि **31.03.2025** को यह **16.44%** था , जबकि टीयर-II कैपिटल अनुपात उक्त अवधि लिए **2.60**% से बढ़कर **2.84%** हो गया । बैंक का कुल कैपिटल फंड 31 मार्च, 2026 को बढ़कर **₹ 39,144 करोड़** हो गया, जो पिछले वर्ष **₹ 32,306 करोड़** था ।

लगातार मज़बूत पूँजी बफ़र्स, जिसे अच्छे आंतरिक मुनाफ़े, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन का सहायता मिला है, बैंक को आने वाले सालों में तेज़ी से कारोबार ग्रोथ में मदद करने, नियामक ज़रूरतों को पूरा करने और रणनीतिक ग्रोथ के मौकों का फ़ायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में रखते हैं ।

शाखा नेटवर्क

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपनी भौतिक मौजूदगी और ग्राहक आउटरीच को मजबूत करना जारी रखा । **31 मार्च 2026** तक बैंक की **3,494** देशीय शाखाएं हैं, जबकि **31 मार्च 2025** तक **3,335** ब्रांच थीं, जिससे वर्ष के दौरान **159** ब्रांच की निवल बढ़ोतरी हुई ।

ब्रांच नेटवर्क की ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में मज़बूत मौजूदगी बनी हुई है, जो वित्तीय समावेशन और समावेशित आर्थिक ग्रोथ के लिए बैंक की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। कुल ब्रांच नेटवर्क में से, **लगभग 58% ब्रांच ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में हैं**, जिससे कम बैंकिंग वाले और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों गहरी पहुंच बनाने में मदद मिलती है ।

वर्ष के दौरान **154 एटीएम/सीआरएम** और **2,052 कारोबार संवादी** जोड़कर अपने कस्टमर टच पॉइंट्स को बढ़ाया, जिससे 31 मार्च, 2026 तक कुल कस्टमर टच पॉइंट्स **19,336** हो गए । बैंक के भौतिक और अल्टरनिवल डिलीवरी चैनल्स का लगातार बढ़ोत्तरी कस्टमर की सुविधा, वित्तीय समावेशन और सस्टेनेबल बिज़नेस ग्रोथ के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और मज़बूत करता है ।

पूँजी:

- वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने इक्विटी कैपिटल नहीं जुटाया है ।
- 31 मार्च 2026 तक बैंक की चुकता पूँजी ₹ 19,256.59 करोड़ है। 31 मार्च 2026 तक भारत सरकार की शेयरधारिता 92.44% है ।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआइबी'यों) से सब्सक्राइब होकर प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए कुल 1000 करोड़ रुपये के बेसल III टीयर II बॉन्ड (सीरीज़ VI) जारी किए हैं ।

लाभांश:

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की ।

बैंक का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन :

विवरण	31.12.2025 तक मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (करोड़ रुपये में)	सूचीबद्ध संस्थाओं में रैंक
बीएसई लिमिटेड	74120	140
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	74113	141

कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रणाली:

बैंक का बोर्ड कॉरपोरेट गवर्नेंस के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से अपने शब्दों या भावनाओं के लिए प्रतिबद्ध है । बैंक ने विस्तृत गवर्नेंस पक्का करने के लिए नीति और अभ्यास का एक बड़ा और अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण फ्रेमवर्क बनाया है । कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक विस्तृत रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के खंड में दी गई है ।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आइईपीएफ):

भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की गाइडलाइंस के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 तक का सारा बिना पेमेंट वाला लाभांश राशि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आइईपीएफ) में अंतरण कर दिया है।

बैंक नियामक प्राधिकरण और भारत सरकार के बताए गए नियमों और निर्देशों का पूरी तरह पालन करता है। शेयरधारकों की शिकायतों को तुरंत सुलझाया जाता है, जिससे सभी लेन-देन में ट्रांसपेरेंसी और भरोसा बना रहता है ।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

निदेशक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी के लिए पुष्टि करते हैं कि:

- लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा यदि कोई विचलन हुआ है तो उसके संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया गया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में आपके बैंक की स्थिति और उस अवधि के लिए आपके बैंक के लाभ और हानि का सटीक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
- आपके बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने हेतु एवं पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।
- वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष के आधार पर तैयार किया गया था ।
- आपके बैंक द्वारा पालन किए जाने के लिए निर्धारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी रूप से काम कर रहे थे। स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" शब्द का अर्थ आपके बैंक द्वारा अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियां और प्रक्रियाएं हैं, जिनमें आपके बैंक की नीतियों का पालन, बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की तैयारी शामिल है।
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां मौजूद थीं और ये प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं।

निदेशक मंडल

बैंक का व्यवसाय निदेशक मंडल के अधीन है । एमडी व सीईओ तथा ईडी बोर्ड के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं । 31.03.2026 तक निदेशकों की संख्या 10 थीं, जिसमें 01 गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, 03 पूर्णकालिक निदेशक, 01 भारत सरकार नामिती निदेशक, 01 आरबीआई नामिती निदेशक, 03 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और शेयरधारकों में से उनके हितों का विधिवत प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए 01 निदेशक शामिल थे।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशकों के कार्यकाल की स्थिति

क्रम संख्या	नाम	नियुक्ति तिथि	सेवा समाप्ति / टर्म समापन	पद का नाम
01	श्री श्रीनिवासन श्रीधर	21/02/2024	20/02/2027	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
02	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01/01/2023	08/10/2027	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी
03	श्री जयदीप दत्ता रॉय	31/01/2024	19/10/2028	कार्यपालक निदेशक
04	श्री धनराज टी	10/03/2024	09/03/2027	कार्यपालक निदेशक
05	सुश्री नीलम अग्रवाल	05/08/2024	यूएफओ *	सरकारी नामित निदेशक
06	श्री थॉमस मैथ्यू	03/03/2026	यूएफओ *	आरबीआई नामित निदेशक
07	श्री जी वेंकटरमणन	03/12/2025	02/12/2028	शेयर धारक निदेशक
08	श्री सुरेश कुमार रुंगटा	11/04/2025	10/04/2026	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
09	श्री बी चंद्रा रेड्डी	11/04/2025	10/04/2026	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
10	श्री दीपक शर्मा	11/04/2025	10/04/2026	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

*यूएफओ - अगले आदेश तक

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, निम्नलिखित निदेशकों का कार्यकाल निम्नानुसार समाप्त हुआ:

01	सुश्री सोनाली सेन गुप्ता	14/07/2023	03/03/2026	आरबीआई नामित निदेशक
02	श्री संजया रस्तोगी	03/12/2022	02/12/2025	शेयर धारक निदेशक

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और सभी विदेशी विनियामकों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभारी है। निदेशक मंडल मूल्यवान ग्राहकों, कर्मचारी यूनियनों, अधिकारी संघों, देशीय और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों को उनके मूल्यवान समर्थन और बैंक के साथ निरंतर संरक्षण के लिए धन्यवाद देता है।

बोर्ड सभी स्तरों पर बैंक के कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त करना चाहता है तथा भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ उनकी निरंतर भागीदारी की आशा करता है ।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 21-05-2026

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

आर्थिक और बैंकिंग वातावरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण अवधि रही, जो भू-राजनीतिक तनावों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों, वस्तु मूल्यों की अस्थिरता, व्यापार से संबंधित अनिश्चितताओं तथा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में विकसित होती मौद्रिक नीति कार्रवाइयों से चिह्नित रही। आवधिक जोखिम-बचाव भावना तथा पूँजी प्रवाह में समायोजन के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बनी रही। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर वर्ष **2026 में 3.1% तथा वर्ष 2027 में 3.2%** रहने का अनुमान है, जो ऐतिहासिक औसत से अभी भी कम है।

इन वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत विश्व की प्रमुख तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहा, जिसे सशक्त देशीय उपभोग, निरंतर निवेश, अवसंरचना विकास, संरचनात्मक सुधारों तथा सुदृढ़ व्यापक आर्थिक आधारों से समर्थन प्राप्त हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, वित्तीय **वर्ष 2025-26** के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर **7.6%** रहने का अनुमान है। मुद्रास्फीति समग्र रूप से नियंत्रित रही तथा अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वृद्धि और मूल्य स्थिरता के मध्य संतुलन बनाए रखते हुए **नीतिगत रेपो दर को 5.25%** पर यथावत रखा तथा **तटस्थ मौद्रिक नीति** रुख बनाए रखा।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने सुदृढ़ पूँजीकरण, संपत्ति गुणवत्ता में सुधार, स्वस्थ लाभप्रदता तथा मजबूत ऋण मांग के समर्थन से अपनी आघात क्षमता का निरंतर प्रदर्शन किया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने **सीआरएआर 17.68%, सकल एनपीए 1.73%, निवल एनपीए 0.40%, आरओए 1.33%** तथा **एनआईएम 3.26%** दर्ज किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भी सुदृढ़ वित्तीय मानकों को बनाए रखा, जिनमें **सकल एनपीए 1.93%**, **निवल एनपीए 0.39%, आरओए 1.10%** तथा **एनआईएम 2.84%** रहा, जो आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता तथा परिचालन दक्षता में निरंतर सुधार को दर्शाता है।

अद्यतित डेटा के अनुसार बैंक ऋण वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर **13.8% के स्वस्थ स्तर पर बनी रही,** जबकि कुल जमा में **वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10.8%** की वृद्धि दर्ज की गई, जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में निरंतर मांग को दर्शाती है। तथापि, उद्योग को कम लागत वाले कासा जमाओं के संकलन में प्रतिस्पर्धात्मक दबाव तथा नीतिगत ब्याज दरों में परिवर्तन के संचरण के कारण मार्जिन में कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना जारी रहा।

बैंकिंग क्षेत्र का दृष्टिकोण

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, जिसे सुदृढ़ व्यापक आर्थिक आधारभूत संरचना, स्वस्थ कॉरपोरेट एवं खुदरा बैलेंस शीट, सतत अवसंरचना व्यय, अर्थव्यवस्था के बढ़ते औपचारीकरण तथा निरंतर नीतिगत समर्थन से बल मिल रहा है। आर्थिक विकास एवं वित्तीय समावेशन में वृद्धि के परिणामस्वरूप खुदरा, कृषि, एमएसएमई, अवसंरचना तथा सेवा क्षेत्रों में ऋण मांग के स्वस्थ बने रहने की अपेक्षा है।

साथ ही, बैंकों को निकट अवधि में रेपो-दर से संबद्ध ऋण पोर्टफोलियो के पुनर्मूल्य निर्धारण, जमा संकलन में प्रतिस्पर्धा, कासा जमा वृद्धि में मध्यम गति तथा निवल ब्याज मार्जिन - एनआईएम पर दबाव जैसी चुनौतियों का सामना करना जारी रह सकता है। लाभप्रदता एवं विकास को बनाए रखने के लिए बैंकों द्वारा सूक्ष्म स्तर पर जमा संकलन, डिजिटल बैंकिंग के विस्तार, परिचालन दक्षता में सुधार, विविधीकृत ऋण पोर्टफोलियो तथा विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने की अपेक्षा है।

मजबूत पूँजी बफर, आस्ति गुणवत्ता में सुधार, स्वस्थ लाभप्रदता, पर्याप्त तरलता, डिजिटल अपनाने की तीव्र गति तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरंतर विनियामक निगरानी के साथ, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र देश की दीर्घकालिक आर्थिक आकांक्षाओं को समर्थन प्रदान करने तथा आने वाले वर्षों में सतत मूल्य सृजन करने के लिए सुदृढ़ स्थिति में बना हुआ है।

बैंक की पृष्ठभूमि:

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) की स्थापना **10 फरवरी 1937** को कई क्षेत्रों में अग्रणी **श्री एम. सीटी. एम. चिदंबरम चेट्टियार** द्वारा की गई थी। आइओबी उन 14 प्रमुख बैंकों में से एक था जिनका 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण की पूर्व संध्या तक, आइओबी की भारत में **195 शाखाएँ** थीं, जिनमें कुल जमा राशि **रुपये 67.70** करोड़ और अग्रिम राशि रुपये **44.90 करोड़** थी। वर्तमान में बैंक की उपस्थिति चार देशों **सिंगापुर , हांगकांग, थाईलैंड और श्रीलंका** में है।

ओडिशा में ओडिशा ग्रामीण बैंक का प्रयोजक बैंक है।

मुख्य बातें

- बैंक को **10.02.2026** तक बैंकिंग क्षेत्र में **89** वर्षों की उत्कृष्ट सेवा का अनुभव प्राप्त है।
- बैंक की देशभर में मजबूत देशीय उपस्थिति है, जिसमें **3,494** शाखाएँ , **3,651** एटीएम/सीआरएम तथा **12,187 कारोबार**

संवादी शामिल हैं, जो पूरे देश में ग्राहकों तक विस्तारित पहुँ च प्रदान करते हैं।

- लगभग **58% शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी** केंद्रों को सेवा प्रदान करती हैं, जो वित्तीय समावेशन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती हैं।
- दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में, बैंक की सशक्त ब्रांड पहचान एवं प्रतिष्ठा निरंतर बनी हुई है।
- बैंक की अपनी विदेशी शाखाओं के माध्यम से **4 देशों में** अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने **159 नई शाखाएँ** खोलीं तथा **3 क्षेत्रीय कार्यालय** जोड़े, जिससे इसके वितरण नेटवर्क को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया गया।
- बैंक के वर्ष के दौरान **42 लाख से अधिक नए कासा खाते** जोड़े, जिसमें **₹14,000 करोड़ अधिक के कासा जमा संचित किए गए ।**
- बैंक नें **खुदरा, कृषि, तथा एमएसएमई (आरएएम)** क्षेत्रों पर अपना रणनीतिक ध्यान निरंतर बनाए रखा है, जिनका 31 मार्च 2026 तक कुल अग्रिमों में **78.93%** योगदान रहा ।

बैंक का परिचालन

देशीय जमाएँ

31 मार्च 2026 को बैंक की **कुल देशीय जमाएँ ₹3,59,032 करोड़** रही, जबकि **31 मार्च 2025** को यह **₹3,03,415 करोड़** थी, जिससे **18.33%** की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई। देशीय **कासा जमाएँ ₹1,33,644 करोड़** से बढ़कर **₹1,48,841 करोड़** हो गई, जो **11.37%** की वृद्धि को दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान **बचत बैंक जमाओं** में **15.26%** की वृद्धि हुई और यह **₹1,07,661 करोड़** से बढ़कर **₹1,24,089 करोड़** हो गई, जो बैंक की मजबूत खुदरा देयता फ्रेंचाइज़ी को प्रतिबिंबित करता है। **खुदरा सावधि जमाओं** में भी **17.81%** की सशक्त वृद्धि दर्ज की गई, जो **₹1,55,846 करोड़** से बढ़कर **₹1,83,601 करोड़** हो गई। 31 मार्च 2026 तक बैंक ने **41.46%** का स्वस्थ **देशीय कासा अनुपात** बनाए रखा।

देशीय अग्रिम

पोर्टफोलियो विविधीकरण,ग्रैन्युलर लेंडिंग तथा मार्जिन सुधार पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान **खुदरा**, **कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्रों** में अपनी उपस्थिति को और सुदृढ़ किया। **31 मार्च 2026** को बैंक के **देशीय सकल अग्रिम ₹2,94,405 करोड़** रहें, जबकि **31 मार्च 2025** को यह **₹2,33,501 करोड़** थे, जिससे **26.08%** की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।

आरएएम पोर्टफोलियो के अंतर्गत, **खुदरा अग्रिम 45.13%** बढ़कर **₹91,086 करोड़** हो गया, **कृषि अग्रिम 39.27%** की वृद्धि के साथ **₹1,03,821 करोड़** तथा **एमएसएमई अग्रिम 13.08%** बढ़कर **₹50,107 करोड़** हो गया। बैंक के **मूल एमएसएमई पोर्टफोलियो** में **23.77%** की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो **31 मार्च 2025** के **₹33,085 करोड़** से बढ़कर **31 मार्च 2026** को **₹40,951 करोड़** हो गया। यह उत्पादक एवं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण पर बैंक के निरंतर फोकस को दर्शाता है। बैंक के कुल अग्रिमों में **आरएएम पोर्टफोलियो** का योगदान पिछले वर्ष के **72.64%** की तुलना में बढ़कर **78.93%** हो गया, जो विविधीकृत, सूक्ष्म एवं सतत ऋण वृद्धि पर निरंतर ध्यान को प्रतिबिंबित करता है।

एलईएपी कक्ष

प्रोजेक्ट एलईएपी (देयता संवर्धन कार्ययोजना)

बैंक ने अपने कासा आधार को सशक्त एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 7 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट एलईएपी का शुभारंभ किया। इस परियोजना के अंतर्गत बैंक के वर्तमान ग्राहक (ईटीबी) तथा नए ग्राहक (एनटीबी) दोनों को जोड़ते हुए ग्राहक-केंद्रित एवं सेवा-उन्मुख संबंध मॉडल को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। परियोजना के अंतर्गत प्रमुख पहलों में कासा विन-बैक, टीएएससी (ट्रस्ट, एसोसिएशन, सोसाइटी एवं क्लब), ईएक्सआईएम (निर्यात-आयात), माइक्रो-मार्केट तथा लीड एंड सक्सीड शामिल हैं।

प्रोजेक्ट एलईएपी ने बैंक के कासा पोर्टफोलियो तथा समग्र व्यवसाय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा आगे के विस्तार एवं सतत विकास गति के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।

कासा विन-बैक पहल

कासा विन-बैक पहल की शुरुआत ग्राहकों के साथ पुनः जुड़ाव स्थापित करने के उद्देश्य से की गई, विशेष रूप से उन सक्रिय, गैर-कॉरपोरेट, गैर-सरकारी एवं गैर-स्टाफ खाताधारकों के लिए, जिनके खातों में निर्दिष्ट अवधि के दौरान मासिक औसत शेष (एमएबी) में 25% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई थी।

वर्तमान में यह पहल 3,243 शाखाओं तक विस्तारित की जा चुकी है, जहाँ प्रत्येक शाखा में ग्राहकों से संवाद स्थापित करने, सेवा संबंधी कमियों का समाधान करने तथा शिकायतों के त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने हेतु ग्राहक संबंध अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस कार्यक्रम को वेव्स 1 से वेव्स 5 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया, जिसमें क्रमिक रूप से अतिरिक्त शाखाओं को शामिल किया गया

तथा वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) कॉलिंग इंटरफेस भी प्रारंभ किया गया।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इस अभियान के परिणामस्वरूप ₹1,920 करोड़ की संचयी कासावृद्धि दर्ज की गई।

माइक्रो-मार्केट पहल

माइक्रो-मार्केट पहल की शुरुआत उन जिलों में नए ग्राहकों को जोड़ने तथा अतिरिक्त शेष राशि (इन्क्रीमेंटल बैलेंस) संचित करने के उद्देश्य से की गई, जहाँ बैंक की शाखा उपस्थिति की तुलना में बाजार हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम थी।

वेव 1 का शुभारंभ 1 अगस्त 2025 को पाँच क्षेत्रों — डिंडिक्कल, कोयंबत्तूर, वेल्लोर, एर्णाकुलम एवं कांचीपुरम — में किया गया। इसके पश्चात वेव 2 का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2025 को सात क्षेत्रों — रांची, लखनऊ, देहरादून, अहमदाबाद, कोझिकोड, जयपुर एवं पुणे — में किया गया।

इस पहल के परिणामस्वरूप नए खातों के अधिग्रहण में उत्साहजनक वृद्धि दर्ज की गई तथा नए-खोले गए खातों में भविष्य में अतिरिक्त शेष राशि वृद्धि होने की अपेक्षा है।

- वेव 1 के अंतर्गत कुल 1,278 खाते खोले गए, जिनसे ₹7.68 करोड़ की संचयी कासा वृद्धि हुई।
- वेव 2 के अंतर्गत सातों क्षेत्रों में कुल 4,017 खाते खोले गए, जिनसे ₹21.44 करोड़ की संचयी कासा वृद्धि दर्ज की गई।

ईएक्सआईएम – ईटीबी एवं एनटीबी पहल

प्रोजेक्ट एलईएपी के अंतर्गत बैंक ने ईएक्सआईएम खंड में भी लक्षित पहलें शुरू कीं, जिनका उद्देश्य निष्क्रिय व्यावसायिक संबंधों को पुनर्जीवित करना तथा लक्षित संपर्क एवं विशेष ग्राहक सहभागिता के माध्यम से ग्राहक आधार का विस्तार करना था।

ईएक्सआईएम – ईटीबी पहल के अंतर्गत, 14 जुलाई 2025 को अभियान प्रारंभ होने के बाद से अधिकृत डीलर (एडी) शाखाओं में कार्यरत 60 फॉरेक्स अधिकारियों द्वारा ईटीबी ग्राहकों से सक्रिय संपर्क स्थापित किया जा रहा है, जिसमें ग्राहक-केंद्रित एवं सेवा-उन्मुख संबंध विकसित करने पर विशेष बल दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत शाखाओं द्वारा 1,663 संभावित लीड की पहचान की गई तथा समर्पित फॉरेक्स अधिकारियों ने बैंक के उत्पादों को प्रोत्साहित करने हेतु इन ग्राहकों के साथ सक्रिय रूप से संवाद किया।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने प्रोजेक्ट एलईएपी के अंतर्गत 48 क्षेत्रों की 111 एडी शाखाओं में ईएक्सआईएम एनटीबी अभियान भी प्रारंभ किया। व्यवसाय रूपांतरण हेतु कुल 15,385 सक्रिय एवं उच्च संभावनाओं वाली लीड की पहचान की गई तथा यह अभियान 6 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया।

समग्र रूप से, ईएक्सआईएम पहल के परिणामस्वरूप ₹14 करोड़ की संचयी कासा शेष वृद्धि दर्ज की गई।

लीड एंड सक्सीड

2 जनवरी 2026 को प्रारंभ किया गया लीड एंड सक्सीड अभियान बैंक की सबसे समावेशी कर्मचारी सहभागिता पहलों में से एक है। इस अभियान के अंतर्गत लिपिकीय एवं पर्यवेक्षी संवर्ग सहित सभी स्तरों के कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक नेटवर्क — जैसे परिवार, मित्रों तथा अन्य परिचित समूहों — से संभावित ग्राहकों को संदर्भित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कर्मचारी अपने मोबाइल फोन पर एमक्रिस ऐप के माध्यम से संभावित ग्राहकों की लीड जानकारी दर्ज करते हैं, जिसमें ग्राहक का नाम, मोबाइल नंबर, इच्छित उत्पाद तथा निकटतम शाखा का विवरण शामिल होता है। विवरण दर्ज होते ही लीड की जानकारी स्वतः चयनित शाखा के सीआरएम पोर्टल पर प्रेषित हो जाती है, जिससे शाखा कर्मचारी संभावित ग्राहकों से शीघ्र संपर्क स्थापित कर नए एसबी अथवा सीए खोलने की प्रक्रिया को सुगम बना सके।

अभियान के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने हेतु नए-खोले गए खातों में अभियान अवधि के दौरान निर्धारित औसत शेष राशि बनाए रखना आवश्यक है।

अभियान प्रारंभ होने के बाद से विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों द्वारा लगभग 44,577 नई लीड उत्पन्न की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 23,340 नए खाते खोले गए। यह पहल कासा शेष वृद्धि के साथ-साथ अन्य पैरा-बैंकिंग उत्पादों में क्रॉस-सेल अवसरों को भी आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होने की अपेक्षा है।

शाखा नेटवर्क प्रबंधन

शाखा नेटवर्क प्रबंधन विभाग, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुरूप बैंक के भौतिक नेटवर्क के विस्तार, युक्तिकरण तथा अनुकूलन की देखरेख करता है। इसमें नई शाखाओं का उद्घाटन, मौजूदा शाखाओं का स्थानांतरण, विलय अथवा आवश्यकता अनुसार बंद करना शामिल है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विभाग ने बैंक की उपस्थिति को सुदृढ़ करने तथा सेवा वितरण क्षमताओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दर्ज कीं:

- वर्तमान वित्त वर्ष **2025–26** के दौरान बैंक ने सफलतापूर्वक **20** राज्यों एवं **2** केंद्रशासित प्रदेशों में **163** नई शाखाएँ खोलीं। इस वर्ष खोली गई **163** शाखाओं में से **19** शाखाएँ वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के कम सेवा-प्राप्त क्षेत्रों में तथा **6** शाखाएँ गैर-बैंकिंग ग्रामीण केंद्रों में स्थापित की गईं, जो वित्तीय समावेशन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है।

- 31 मार्च 2026 तक बैंक का देशीय नेटवर्क **28** राज्यों एवं **6** केंद्रशासित प्रदेशों में फैली **3,494** शाखाओं के साथ सशक्त रूप से संचालित हो रहा है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बैंक ने तीव्र विस्तार करते हुए देशभर में **21** राज्यों एवं **3** केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करते हुए कुल **280** नई शाखाएँ स्थापित की, जिसने कुल **₹5,058 करोड़** का व्यवसाय उत्पन्न किया गया, जिसमें **₹1,634 करोड़** का कासा व्यवसाय शामिल है।

- प्रशासनिक दक्षता एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से **कोझिकोड, डिंडिक्कल** तथा **नागपट्टिनम** में तीन नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए

- बैंक ने अपनी विशेषीकृत अवसंरचना का भी विस्तार करते हुए **चेन्नै-I, चेन्नै-II**, **कोयंबत्तूर, दिल्ली, कोलकाता** एवं **मुंबई** में छह एमएसएमई ऋण प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए।

- इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप पारितंत्र को समर्थन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु **बेंगलुरु, दिल्ली** एवं **मुंबई** में तीन समर्पित स्टार्टअप शाखाओं का उद्घाटन किया गया।

विदेशी परिचालन

31 मार्च 2026 तक बैंक की चार विदेशी शाखाएँ — सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक एवं कोलंबो में एक-एक शाखा के साथ संचालित हैं । इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद (आईआईबीएमबी), जो बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक संयुक्त उपक्रम था, स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया में है। 31.12.2025 तक आईआईबीएमबी में किए गए निवेश का संपूर्ण बही मूल्य प्राप्त कर लिया गया है, अतः बैंक के अभिलेखों में अब आईआईबीएमबी संयुक्त उपक्रम के रूप में विद्यमान नहीं है।

31 मार्च 2026 तक बैंक का विदेशी व्यवसाय रु 25,177 करोड़ रहा, जबकी 31 मार्च 2025 को यह रु 25041 करोड़ था ।

ट्रेज़री परिचालन एवं निवेश

ट्रेज़री परिचालन

ट्रेज़री परिचालन से कुल लाभ, जिसमें निवेशों की बिक्री से लाभ, निवेशों के उचित मूल्यांकन से पुनर्मूल्यांकन लाभ/हानि तथा विनिमय लाभ शामिल हैं, वित्त वर्ष 2025–26 में ₹383.99 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 में यह ₹524.00 करोड़ था। वर्ष के दौरान 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 6.58% से बढ़कर 7.02% हो गया।

निवेश (देशीय)

31 मार्च 2026 तक बैंक का निवल निवेश ₹1,15,730.43 करोड़ रहा, जो 31 मार्च 2025 के ₹1,07,019.14 करोड़ की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देशीय निवेशों से ब्याज आय बढ़कर ₹7,228.49 करोड़ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह ₹6,687.72 करोड़ था।

वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं संचालन संबंधी प्रचलित भारतीय रिज़र्व बैंक के (निदेश 2025) मास्टर निर्देश के अनुरूप, बैंक ने वित्त वर्ष 2025–26 एवं वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना निवेशों को किसी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण नहीं किया।

ट्रेज़री परिचालन एवं निवेश (केवल विदेश के लिए)

ट्रेज़री परिचालन (विदेश)

2025-26 के दौरान निवेश (विदेशी केंद्रों) की बिक्री पर लाभ रुपये 6.77 करोड़ रहा। 31.03.2026 तक विनिमय पर विदेशी मुद्रा व्यापार से लाभ रुपये 40.67 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह रुपये 37.10 करोड़ था।

निवेश (विदेशी)

31 मार्च 2026 तक बैंक (विदेशी केंद्र) का निवल निवेश रुपये 4079.10 करोड़ था। वर्ष 2025-26 के दौरान प्रतिभूतियों की बिक्री और विनिमय पर लाभ सहित कुल लाभ रुपये 47.44 करोड़ था।

एमएसएमई

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम 2006) अधिनियमित किया है । अधिनियम 02.10.2006 से लागू है और साथ ही नए मानदंडों को राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-26062020-220191 दिनांकित 26 जून, 2020 के माध्यम से अधिसूचित किया गया।

आरबीआई ने अपनी पत्र संख्या आरबीआई 2020-21/10 एफआईडीडी. एमएसएमई और एनएफएस. बीसी. संख्या 3/06.02.31/2020-21, दिनांकित 02.07.2020 के माध्यम से एमएसएमई के रूप में उद्यमों के वर्गीकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की सूचना दी थी, जो 01 जुलाई, 2020 से लागू है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा के संबंध में - खुदरा और थोक व्यापार को जोड़ने हेतु दिनांक 07.07.2021 के आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-2022/67 एफआईडीडी. एमएसएमई एवं एनएफएस. बीसी. सं. 13/06.02.31/2021-22 के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न श्रेणियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

वर्ग	संयंत्र और मशीनरी/ उपकरण लागत में निवेश (डबल्यूडीवी)	टर्न-ओवर
सूक्ष्म	रुपये 1.00 करोड़ तक	रुपये 5.00 करोड़ तक
लघु	रुपये 1.00 करोड़ से अधिक एवं रुपये 10.00 करोड़ तक	रुपये 5.00 करोड़ से अधिक एवं रुपये 50.00 करोड़ तक
मध्यम	रुपये से 10.00 करोड़ अधिक और रुपये 50.00 करोड़ तक	रुपये 50.00 करोड़ से अधिक और रुपये 250.00 करोड़ तक

निवेश एवं टर्न ओवर मानदंड विनिर्माण और सेवा उद्यमों दोनों के लिए एक समान हैं।

भारत सरकार ने दिनांक 21.03.2025 के राजपत्र अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-21032025-261838 के माध्यम से एमएसएमई के वर्गीकरण के मानदंडों को और संशोधित किया है जो 01.04.2025 से निम्नानुसार प्रभावी हो गए हैं:

वर्ग	संयंत्र और मशीनरी/ उपकरण लागत में निवेश (डबल्यूडीवी)	टर्न-ओवर
सूक्ष्म	रुपये 2.50 करोड़ तक	रुपये 10.00 करोड़ तक
लघु	रुपये 2.50 करोड़ से अधिक रुपये एवं 25.00 करोड़ तक	रुपये 10.00 करोड़ से अधिक & रुपये 100.00 करोड़ तक
मध्यम	रुपये 25.00 करोड़ से अधिक एवं रुपये 125.00 करोड़ तक	रुपये 100.00 करोड़ से अधिक एवं रुपये 500.00 करोड़ तक

निवेश एवं कारोबार मानदंड विनिर्माण और सेवा उद्यमों दोनों के लिए एक समान है।

एमएसएमई कार्य निष्पादन

31 मार्च 2026 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण का हिस्सा रुपये 50107 करोड़ रहा, जो कि 13.08% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता यह वृद्धि पिछले वित्त वर्ष में प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुरूप है।

मुख्य बिन्दु

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:

बैंक ने 31 मार्च 2026 तक रुपये 7000 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में रुपये 7746.16 करोड़ की राशि संवितरित करके पीएमएमवाई के तहत दिया गया लक्ष्य हासिल कर लिया है। बैंक ने वित्त वर्ष 25-26 में रु. 7808.26 करोड़ रुपये की राशि के 336233 नए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) ऋण मंजूर किए हैं।

पीएमईजीपी:

बैंक ने पीएमईजीपी के अंतर्गत आवेदनों को सक्रिय रूप से स्वीकृत करते हुए वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान ₹232 करोड़ की कुल परियोजना लागत के साथ 2,123 नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की। 31.03.2026 तक पीएमईजीपी के अंतर्गत बकाया राशि ₹676.46 करोड़ रही।

स्टार्टअप परितंत्र की ओर आइओबी की पहल:

बैंक के पास प्रारंभ में चेन्नै में एक समर्पित स्टार्टअप शाखा थी तथा वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान भारत के स्टार्टअप परितंत्र को समर्थन प्रदान करने हेतु दिल्ली, मुंबई एवं बेंगलुरु में तीन नई स्टार्टअप शाखाएँ खोली गईं। इन शाखाओं के माध्यम से बैंक ने विभिन्न स्टार्टअप्स को ₹55.35 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए तथा 31.03.2026 तक कुल एक्सपोज़र ₹85 करोड़ रहा।

स्टार्टअप्स की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बैंक द्वारा आइओबी प्रगति नामक समर्पित योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत एनसीजीटीसी के माध्यम से ₹20 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा प्रदान की जाती है।

ऋण उद्गम प्रणाली

बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आईटीडी) के समन्वय से लगभग सभी एमएसएमई योजनाओं को सफलतापूर्वक एलओएस प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड कर लिया है, जिससे ऋण प्रस्तावों के प्रसंस्करण में सुगमता, ऋण आवेदकों के लिए परेशानी-मुक्त अनुभव तथा निस्तारण समय में कमी सुनिश्चित हुई है।

सिबिल ट्रिगर्स:

बैंक ने सिबिल ट्रिगर्स के लिए सिबिल ट्रांसयूनियन के साथ समझौता किया है जो ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड की एक पेशकश है, यह हमें उद्योग में हमारे बैंक के मौजूदा एमएसएमई ग्राहकों की ऋण गतिविधियों की निगरानी करने की अनुमति देता है। यह पहल हमारी शाखाओं को उन एमएसएमई ग्राहकों तक पहुँ चने में मदद करती है जो अपनी वित्तीय ज़रूरतों के लिए दूसरी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से संपर्क

कर रहे हैं और यह हमें समय रहते ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने और रिश्तों को मज़बूत करने में मदद करती है।

विभिन्न डिजिटल उत्पादों का शुभारंभ:

आइओबी ई-जीएसटी योजना

आइओबी ई-जीएसटी योजना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले आवेदकों को आसान एवं परेशानी-मुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऋण की राशि जीएसटी पोर्टल से प्राप्त टर्नओवर डेटा तथा बैंक खाता विवरण के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस योजना के माध्यम से आवेदकों को कुछ ही क्लिक में उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित ऋण सुविधा उपलब्ध हो जाती है।

मुद्रा एसटीपी:

बैंक के समर्पित पोर्टल के माध्यम से ग्राहक ₹10 लाख तक के बिना संपार्श्विक मुक्त ऋण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल में पूर्व-निर्धारित बीआरई स्थापित है, जो दर्ज की गई जानकारी का मूल्यांकन करते हुए बैंक स्टेटमेंट, आयकर रिटर्न आदि आवश्यक दस्तावेजों को स्वतः प्राप्त करता है तथा कुछ ही मिनटों में ऋण स्वीकृति प्रदान करता है।

नई योजनाओं का शुभारंभ:

बैंक ने क्षेत्रीय प्रतिक्रिया एवं बाजार की मांग के आधार पर विभिन्न नई एवं नवोन्मेषी उत्पाद/योजनाएँ प्रारंभ की हैं। ऐसी योजनाओं की सूची निम्नानुसार है:

1. संवर्धित ऋण सीमा एवं क्रेडिट कार्ड सुविधा सहित पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना।

2. ₹100 करोड़ तक के एमएसएमई ऋणों के लिए कवरेज प्रदान करने वाली म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना।

3. परिवहन कर्मियों, देशीय कामगारों, गिग वर्कर्स, अपशिष्ट कर्मियों, निर्माण श्रमिकों एवं केयर वर्कर्स जैसे संवेदनशील व्यावसायिक समूहों के लिए आजीविका सहायता ऋण, जिसमें ऋण राशि ₹50,000 से ₹4 लाख तक तथा जेएलजीके लिए ₹20 लाख तक।

4. सौर उपकरण विक्रेताओं हेतु ₹10 लाख से ₹5 करोड़ तक की ऋण सीमा के साथ पीएमएसजीएमबीवाई विक्रेता वित्तपोषण योजना।

5. हाल ही में लगाए गए अमेरिकी शुल्कों से प्रभावित निर्यात इकाइयों के समर्थन हेतु निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना।

6. अस्पतालों एवं स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना/नवीनीकरण हेतु अस्पताल एवं उपकरण वित्तपोषण के लिए समर्पित योजना।

7. ₹5 लाख से ₹5 करोड़ तक की ऋण सीमा के साथ वाणिज्यिक वाहनों के वित्तपोषण हेतु एमएसएमई कमर्शियल व्हीकल ऋण योजना।

8. इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकार प्रायोजित योजनाएँ भी प्रारंभ की गईं।.

टीआरईडीएस:

हमारा बैंक टीआरईडीएस के अंतर्गत अग्रणी बैंकों में से एक है। बैंक के पास टीआरईडीएस के अंतर्गत इनवॉइस वित्तपोषण हेतु सुदृढ़ अवसंरचना उपलब्ध है तथा इसका एकीकरण चार प्लेटफॉर्मों — एम1 विनिमय, सी2टीआरईडीएस, इनवॉइस मार्ट तथा रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआइएल) — के साथ किया गया है। वे छोटे आपूर्तिकर्ता, जिनके व्यवसाय के सुचारु संचालन के लिए त्वरित कार्यशील पूँजी वित्त की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन्हें प्रतिस्पर्धी एवं सर्वोत्तम दरों पर शीघ्र उपलब्ध ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। दिनांक 31.03.2026 को टीआरईडीएस पोर्टफोलियो के अंतर्गत बकाया राशि ₹ 7,822.18 करोड़ है।

क्लस्टर आधारित वित्तपोषण:

31.03.2026 तक बैंक द्वारा पहचाने गए क्लस्टरों की संख्या 33 है। बैंक ने वित्त वर्ष 25-26 में 10 क्लस्टर जोड़े हैं और बैंक उद्योगों की भौगोलिक स्थिति और व्यवहार्यता के आधार पर लगातार नए क्लस्टरों की पहचान कर रहा है। क्लस्टर आधारित ऋण वितरण के अंतर्गत बकाया राशि ₹ 2,863.12 करोड़ है।

31.03.2026 तक क्लस्टरों की सूची इस प्रकार है:

क्र. सं.	क्लस्टर योजना का नाम	क्षेत्र
1	मोरवी, गुजरात में सिरेमिक और प्लास्टिक उद्योग क्लस्टर	अहमदाबाद
2	कोयंबत्तूर में कपड़ा उद्योग क्लस्टर	कोयंबत्तूर
3	कोयंबत्तूर में इंजीनियरिंग सामान क्लस्टर	कोयंबत्तूर
4	एनसीआर दिल्ली में इंजीनियरिंग और पैकेजिंग क्लस्टर	एनसीआर दिल्ली
5	एनसीआर दिल्ली में ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर	एनसीआर दिल्ली
6	चेन्नै/कांचीपुरम में ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर	चेन्नै I, चेन्नै II
7	कांचीपुरम में ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर	कांचीपुरम
8	लुधियाना में ऑटो/साइकिल कंपोनेंट क्लस्टर	लुधियाना
9	लुधियाना में होजरी/टेक्सटाइल क्लस्टर	लुधियाना
10	केरल के पेरुंबवूर में प्लाईवुड उद्योग क्लस्टर	एर्णाकुलम
11	सूरत, गुजरात में कपड़ा क्लस्टर	बड़ौदा
12	तमिलनाडु के तिरुचेंगोडे में टेक्सटाइल क्लस्टर	सेलम
13	तमिलनाडु के होसुर और कृष्णगिरी में ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर.	सेलम
14	एलेप्पी और कोल्लम सीओआइआर उत्पाद क्लस्टर	तिरुवनंतपुरम
15	बड़ौदा – इंजीनियरिंग क्लस्टर	बड़ौदा
16	बड़ौदा – रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद क्लस्टर	बड़ौदा
17	मंडी गोबिंदगढ़, फतेहगढ़ साहिब – स्टील री रोलिंग क्लस्टर	चंडीगढ़
18	इरोड और करूर वस्त्र और तत्सम्बंधी गतिविधि क्लस्टर	इरोड
19	जीनोम वैली-मेडचल/मलकजगिरी फार्मास्युटिकल क्लस्टर	हैदराबाद
20	तिरुच्चि- फैब्रिकेटर्स और इंजीनियरिंग वर्क्स क्लस्टर	तिरुच्चि
21	रानीपेट चमड़ा उत्पाद क्लस्टर	वेल्लूर
22	पानीपत एनसीआर दिल्ली-टेक्सटाइल क्लस्टर	एनसीआर दिल्ली
23	रानीपेट - स्टील फैब्रिकेशन और मशीनरी शॉप उद्योग क्लस्टर	वेल्लूर
24	ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग क्लस्टर पुणे	पुणे
25	मुरादाबाद में ब्रासवेयर एवं हंडिक्राफ्ट क्लस्टर	मेरठ
26	दिल्ली में आटोमोबाइल पार्ट्स एंड इंजीन्यरिंग क्लस्टर	दिल्ली

क्र. सं.	क्लस्टर योजना का नाम	क्षेत्र
27	दिल्ली में एलेक्ट्रिकल्स एंड एलेक्ट्रोनिक सामान क्लस्टर	दिल्ली
28	इंजीनियरिंग, ऑटो एंसिलरी (ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज़ निर्माण), फाउंड्री, कास्टिंग, फोर्जिंग तथा अन्य संबंधित गतिविधियों का क्लस्टर	अहमदाबाद
29	स्टील री-रोलिंग, कास्टिंग, मेटल फैब्रिकेशन क्लस्टर	रायपुर
30	ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन क्लस्टर	भोपाल
31	गारमेंट्स एवं टेक्सटाइल क्लस्टर	भोपाल
32	सेफ्टी मैचेस एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ क्लस्टर	तुतिकोरिन
33	बेगूसराय में इंजीनियरिंग एवं फैब्रिकेशन क्लस्टर	पटना

हमारे ग्राहकों से प्राप्त समग्र फीडबैक सकारात्मक है, क्योंकि उन्हें विभिन्न लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि कम ब्याज दर एवं शुल्क, कम टीएटी, तथा क्लस्टर में उद्योगों की समान प्रकृति के कारण प्रस्तावों की एक समान टेम्पलेट-आधारित प्रोसेसिंग।

वित्त वर्ष 25-26 के लिए निर्देशन

1. बैंक एमएसएमई उत्पादों के पूर्ण डिजिटलीकरण और कुछ उत्पादों के लिए एसटीपी के कार्यान्वयन की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है ताकि हमारे ग्राहकों के लिए निर्बाध आवागमन और कम टीएटी सुनिश्चित किया जा सके।

2. कॉरपोरेट्स तथा सहायक डीलरों/वितरकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण के लिए बैंक के पास डीलर वित्तपोषण योजना उपलब्ध है।

   बैंक पीएसबी एलायंस से लीड प्राप्त करने हेतु एक तंत्र विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिससे हमारे पोर्टफोलियो में नए एमएसएमई व्यवसाय जुड़ेंगे।

3. विभाग नए क्लस्टरों की पहचान हेतु क्षेत्र के अधिकारी तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ निरंतर संपर्क में है। इस पहल से क्लस्टर-आधारित वित्तपोषण के अंतर्गत समग्र कवरेज का विस्तार होगा तथा विभिन्न क्लस्टर-आधारित लाभ प्रदान करते हुए हमारे पोर्टफोलियो में अनेक नए एमएसएमई इकाइयाँ।

खुदरा बैंकिंग

रिटेल क्रेडिट कार्य-निष्पादन **खुदरा ऋण पोर्टफोलियो** के अंतर्गत कुल बकाया राशि **मार्च 2025 के ₹62,764 करोड़** से बढ़कर **मार्च 2026 तक ₹91,086 करोड़** हो गई। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान खुदरा पोर्टफोलियो में **वर्ष-दर-वर्ष** आधार पर **45.12% की वृद्धि** दर्ज की गई। बैंक की देशीय अग्रिमों में खुदरा ऋण की कुल हिस्सेदारी **30.94%** रही।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान **आवास ऋण पोर्टफोलियो में वर्ष-दर-वर्ष** आधार पर **12.13% की वृद्धि दर्ज** की गई। समीक्षा अवधि के दौरान **21,362 नए आवास ऋण खाते स्वीकृत** किए गए, जिनकी कुल राशि **₹8,423.36 करोड़** रही तथा कुल **संवितरण ₹7,851.65** करोड़ रहा।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान **वाहन ऋण पोर्टफोलियो में वर्ष-दर-वर्ष** आधार पर **31.51% की वृद्धि दर्ज** की गई। समीक्षा अवधि के दौरान **28,821 नए वाहन ऋण खाते स्वीकृत** किए गए, जिनकी कुल **राशि ₹3,414.04 करोड़** रही तथा कुल **संवितरण ₹3,388.31 करोड़** रहा।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान **बंधक ऋण पोर्टफोलियो में वर्ष-दर-वर्ष** आधार पर **44.46% की वृद्धि दर्ज** की गई। समीक्षा अवधि के दौरान **2,755 नए बंधक ऋण खाते स्वीकृत** किए गए, जिनकी कुल **राशि ₹3,200.98 करोड़** रही तथा **कुल संवितरण ₹3,090.96 करोड़** रहा।

वैयक्तिक ऋण पोर्टफोलियो में **23.56% की वृद्धि दर्ज** की गई। समीक्षा अवधि के दौरान **29,908 नए वैयक्तिक ऋण खाते स्वीकृत** किए गए, जिनकी कुल **राशि ₹1,656.80 करोड़** रही तथा कुल **संवितरण ₹1,651.87 करोड़** रहा।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान **स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में 184.03% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज** की गई। समीक्षा अवधि के दौरान **24,75,365 नए स्वर्ण ऋण खाते स्वीकृत** किए गए, जिनकी कुल **राशि ₹48,508.93 करोड़ रही** तथा कुल **संवितरण ₹48,250.53 करोड़** रहा।

ए) मौजूदा योजना में संशोधन:

बाजार की गतिशीलता और क्षेत्र के अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर तथा हमारे उत्पाद को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, मौजूदा खुदरा उत्पादों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, ताकि उन्हें और अधिक प्रतिस्पर्धी उत्पाद बनाया जा सके। खुदरा ऋण उत्पादों में किए गए संशोधनों का विवरण इस प्रकार है:

1. **संपत्ति के बदले ऋण**: जीवन-यापन लागत एवं व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए **एलएपी के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा को मेट्रो केन्द्रों के लिए ₹20.00 करोड़ से बढ़ाकर ₹40.00 करोड़ तथा शहरी केन्द्रों के लिए ₹20.00 करोड़ से बढ़ाकर ₹25.00 करोड़** कर दिया गया है। **गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं** के लिए **ऋण सीमा ₹40.00 करोड़ से बढ़ाकर ₹200.00 करोड़** कर दी गई है। साथ ही **आय मानदंड**, **टीएचपी मानदंड**, **प्रतिभूति**, **मार्जिन तथा प्रवेश/निकास आयु** संबंधी प्रावधानों में **संशोधन/शिथिलीकरण** प्रदान किया गया है।

2. **आवासीय ऋण टॉप-अप योजना – (संशोधन)** - हाउसिंग लोन टॉप-अप तथा एनआरआई टॉप-अप के लिए क्रमशः ₹5.00 करोड़ एवं ₹2.00 करोड़ की अधिकतम ऋण सीमा को समाप्त कर दिया गया है तथा होम लोन टॉप-अप एवं एनआरआई होम लोन टॉप-अप योजना के अंतर्गत अब **कोई अधिकतम स्वीकृति सीमा निर्धारित नहीं** रहेगी। साथ ही **ऋण पात्रता**, **प्रवेश/निकास आयु तथा कार्य अनुभव संबंधी** मानदंडों में **संशोधन/शिथिलीकरण** प्रदान किया गया है।

बी) खुदरा ऋण पोर्टफोलियो के अंतर्गत नए उत्पादों/पहलों की शुरूआत:

1. आइओबी – ईज़ी प्लॉट योजना

निवासी, अनिवासी तथा बैंक स्टाफ हेतु आवासीय प्लॉट/साइट की खरीद के लिए **अधिकतम ₹3.00 करोड़** तक वित्त उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 25% मार्जिन रखा गया है। यह सुविधा 60 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक के उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।

2. हरित शुभगृह योजना:

यह योजना व्यक्तिगत मकानों एवं फ्लैट/मकानों के लिए **ग्रीन होम निर्माण** अथवा **पर्यावरण-अनुकूल आवास निर्माण परियोजनाओं** के अंतर्गत **आवास ऋण** प्रदान करेगी, जिन्हें **एलईईडी, आईजीबीसी** एवं **जीआरआईएचए रेटिंग एजेंसियों** द्वारा प्रमाणित किया गया हो। योजना के अंतर्गत **ब्याज दर एवं प्रसंस्करण शुल्क में रियायत** प्रदान की जाएगी।

3. तमिलनाडु राज्य के लिए नई आवास ऋण योजना:

कलाईनारिन कनवु इल्लम (एचएलकेकेआई) – तमिलनाडु सरकार की आवास योजना "कलाईनारिन कनवु इल्लम" के अंतर्गत सरकारी अनुदान एवं मकान निर्माण की वास्तविक लागत के बीच के अंतर को पूरा करने हेतु आवास ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

4. जमा के बदले डिमांड ऋण – स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी:

डिपॉजिट के बदले डिमांड ऋण (एसटीपी) एक पूर्णतः डिजिटल, एंड-टू-एंड ऋण उत्पाद है, जिसे गति, सुविधा एवं दक्षता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस के माध्यम से ऋण का संपूर्ण जीवनचक्र — आवेदन, स्वीकृति, वितरण से लेकर समापन तक — बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के ऑनलाइन पूर्ण किया जाता है।

सी . महिला सशक्तिकरण पहलें:

आइओबी सखी:

महिला उधारकर्ताओं के लिए एक विशेष **व्यक्तिगत ऋण योजना,** जिसमें **वेतनभोगी** महिलाओं हेतु (अधिकतम **₹30.00 लाख**) तथा **गैर-वेतनभोगी** महिलाओं हेतु (अधिकतम **₹10.00 लाख**) तक ऋण सुविधा उपलब्ध है।

आइओबी पिंक व्हील्स:

महिला उधारकर्ताओं के लिए **दोपहिया वाहन ऋण योजना,** जिसमें **ऋण राशि की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं** है।

मौजूदा ग्राहकों से गुणवत्तापूर्ण रिटेल ऋण व्यवसाय प्राप्त करने के उद्देश्य से सीआरएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से 02.05.2025 को सिबील ट्रिगर्स प्रारंभ किए गए हैं।

डी डिजिटल पहलें

<u>बैंक द्वारा डिजिटलीकरण की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं</u>

रिटेल उत्पादों का एलओएस में स्थानांतरण:

ऋण प्रसंस्करण की **गुणवत्ता में सुधार** एवं **टीएटी में कमी** लाने हेतु रिटेल ऋण उत्पादों को **एलओएस (डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्लेटफॉर्म)** पर स्थानांतरित किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, हमने निम्नलिखित उत्पादों को एलओएस में स्थानांतरित कर दिया है:

1. आवासीय ऋण टेकओवर
2. लिक्विरेंट
3. लिक्विरेंट टॉप उप
4. आइओबी सखी
5. आइओबी पिंक व्हील्स
6. एमएसएसएफ (मारुति सुज़ुकी स्मार्ट फ़ाइनेंस)

कॉरपोरेट क्रेडिट

वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने आस्ति गुणवत्ता, जोखिम प्रबंधन तथा नियामकीय अनुपालन को सुदृढ़ बनाया। यह वर्ष बाजार की बदलती परिस्थितियों के बीच चयनात्मक ऋण विस्तार तथा पोर्टफोलियो की आघात सहनीयता पर बल देने वाला रहा।

बैंक ने विनिर्माण, अवसंरचना, सेवाओं आदि जैसे प्रमुख कॉरपोरेट एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों को निरंतर समर्थन प्रदान किया। ऋण स्वीकृति प्रक्रिया अनुशासित बनी रही, जिसमें उधारकर्ताओं की मूलभूत वित्तीय स्थिति, नकदी प्रवाह आधारित ऋण वितरण तथा क्षेत्रीय जोखिम आकलन पर विशेष ध्यान दिया गया। नई ऋण स्वीकृतियाँ संस्थान के जोखिम स्वीकृति ढाँ चे के अनुरूप की गईं, जिनमें बेहतर रेटिंग वाले कॉरपोरेट, स्थापित व्यावसायिक मॉडल तथा स्थिर नकदी प्रवाह एवं सुदृढ़ शासन मानकों का प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई।

पूरे वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो गुणवत्ता प्रमुख फोकस क्षेत्र रही। जिससे स्लिपेज नियंत्रण तथा समग्र पोर्टफोलियो स्थिरता में सुधार हुआ। संरचित पुनर्भुगतान व्यवस्था, पर्याप्त प्रतिभूति कवरेज तथा अनुबंधीय शर्तों की निगरानी पर बल देने से ऋण अनुशासन और मजबूत हुआ। बैंक ने निम्नलिखित **उभरते हुए तथा प्रमुख प्रारंभिक चरण में रहने वाले क्षेत्रों** को लक्षित करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई चक्र) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी हस्ताक्षरित किया है।

- नवीकरणीय ऊर्जा
- ई-मोबिलिटी एवं चार्जिंग अवसंरचना
- ग्रीन हाइड्रोजन एवं अमोनिया
- एडवांस्ड सेल केमिस्ट्री / बैटरी प्रौद्योगिकी
- डीकार्बोनाइजेशन
- स्मार्ट अवसंरचना
- डेटा सेंटर

नियामकीय अपेक्षाओं के अनुरूप, बैंक ने आंतरिक ऋण नीतियों, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों तथा एक्सपोज़र मानदंडों का सुदृढ़ अनुपालन सुनिश्चित किया। ऋण निर्णयों की समयावधि में सुधार करते हुए जोखिम मानकों से समझौता किए बिना उन्नत समुचित जानकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से क्रेडिट प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित किया गया।

आगामी समय में, बैंक पोर्टफोलियो गुणवत्ता को बनाए रखते हुए सतत व्यवसायिक विकास को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों स्तरों पर विवेकपूर्ण ऋण विस्तार पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, साथ ही ग्राहकों की संख्या बढ़ाने, उभरते जोखिमों की सघन निगरानी, प्रौद्योगिकी एवं विश्लेषण के बढ़ते उपयोग तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा। बैंक विकास एवं जोखिम के मध्य संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए बदलती बाजार परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सुदृढ़ स्थिति में है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान चार तिमाहियों की औसत वृद्धि रुपये 7951.25 करोड़ रही और औसत बकाया रुपये 84669.02 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रुपये 117302.18 करोड़ रहा और **बैंक ने एएनबीसी के 40% के अनिवार्य मानदंडों को पार करते हुए** वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान **कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत प्रतिशत 55.42% लक्ष्य अर्जित कर लिया है ।**

कृषि

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि रुपये 4577.44 करोड़ थी और औसत बकाया रुपये 38101.06 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रुपये 62898.25 करोड़ रहा और बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान **कृषि अग्रिमों के तहत 29.71% प्राप्त करके एएनबीसी के 18% के अनिवार्य मानदंडों को पार कर लिया है।**

छोटे और सीमांत किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि रुपये 3603.07 करोड़ थी और औसत बकाया रुपये 21167.25 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रुपये 42052.44 करोड़ रहा और बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लघु/सीमांत किसानों को **19.87%** ऋण संवितरित करके एएनबीसी के **10%** के अनिवार्य मानदंडों को पार कर लिया है।

गैर-कॉरपोरेट किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि रुपये 4588.42 करोड़ थी और औसत बकाया रुपये 29634.16 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रुपये 62405.46 करोड़ रहा और बैंक ने वित्त वर्ष

2025-26 के दौरान गैर-**कॉरपोरेट** किसानों को ऋण के तहत **29.48%** हासिल करके एएनबीसी के **14.00%** के अनिवार्य मानदंडों को पार कर लिया है।

सूक्ष्म उद्यमों को ऋण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान चार तिमाहियों की औसत वृद्धि ₹2,568.54 करोड़ रही तथा औसत बकाया ₹25,168.22 करोड़ रहा, जो ₹15,875.44 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में **सूक्ष्म उद्यमों** को ऋण के अंतर्गत एएनबीसी **के अनिवार्य 7.5% मानदंड को पार करते हुए 11.89% की उपलब्धि हासिल की है।**

कमजोर वर्ग को ऋण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान चार तिमाहियों की औसत वृद्धि ₹3,822.66 करोड़ रही तथा चार तिमाहियों का औसत बकाया ₹47,479.57 करोड़ रहा, जो ₹25,400.71 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध है। **बैंक ने कमजोर वर्ग को ऋण के अंतर्गत एएनबीसी के अनिवार्य 12.00% मानदंड को पार करते हुए 22.43% की उपलब्धि प्राप्त की है**।

पीएसएलसी बिक्री:

बैंक ने लघु एवं सीमांत किसान श्रेणी के अंतर्गत ₹30,588 करोड़ के पीएसएलसी की बिक्री कर ₹595.52 करोड़ की आय अर्जित की**,** जो पिछले वर्षों की तुलना में बैंक की सर्वाधिक आय है।

सूक्ष्म-वित्त:

वर्ष के दौरान, बैंक ने रुपये 5126.54 करोड़ के ऋण परिव्यय के साथ 54755 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को क्रेडिट-लिंक किया ।

विशिष्ट एसएचजी क्रेडिट केंद्र:

हमारे बैंक के 19 क्षेत्रों में 30 शाखाओं जिनमें से 5 शाखाओं को क्लस्टर में तथा को आस-पास की शाखाओं से एसएचजी ऋण के प्रसंस्करण के लिए विशेष एसएचजी क्रेडिट सेंटर के रूप में बनाया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, विशेष एसएचजी क्रेडिट सेंटर द्वारा 8161 एसएचजी समूहों को 999.65 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

महिलाओं को ऋण प्रवाह

31 मार्च 2026 तक बैंक द्वारा महिलाओं को संवितरित ऋण रुपये 78,408 करोड़ था, जो बैंक के समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 36.69 % है।

अग्रणी बैंक पहल

बैंक तमिलनाडु के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है। बैंक तमिलनाडु के 15 जिलों तथा केरल के 1 जिले में लीड बैंक के रूप में कार्य कर रहा है।.

वित्तीय समावेशन के लिए एसएलबीसी की पहल:

- 31 मार्च 2026 तक कुल 166.84 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए। इनमें से 99.88 लाख खाते महिलाओं के हैं, जो कुल खातों का 59.87% है।

तमिलनाडु में ऋण प्रवाह पर एसएलबीसी की पहल:

मार्च 2025 तक तमिलनाडु में बैंकों ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की हैं:

- राज्य के बैंकों ने ₹9.00 लाख करोड़ के वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) लक्ष्य को पार कर लिया है।
- राज्य में बैंकों का क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) अनुपात 100% से अधिक बना हुआ है तथा मार्च 2026 तक यह 131.78% रहा।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण कुल अग्रिमों का 46.56% रहा, जो राष्ट्रीय औसत 40% से अधिक है।
- कृषि अग्रिम कुल ऋण का 24.43% रहा, जो राष्ट्रीय औसत 18% से अधिक है।
- वित्तीय समावेशन एवं महिला सशक्तिकरण को समर्थन देने हेतु सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) को ऋण प्रवाह को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य के बैंकों ने ₹37,049 करोड़ के एस एच जी ऋण वितरित किए**,** जो ₹37,000 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य से अधिक है।

वित्तीय समावेशन

बैंक ने वर्ष 2022 से कॉरपोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (सीबीसी) के रूप में मेसर्स इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम प्रा. लि. को नियुक्त किया है, जो तकनीकी सेवाओं के साथ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स (बीसीए) की नियुक्ति एवं प्रबंधन का कार्य कर रहा है। वित्तीय समावेशन की पहुँ च बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2023 के दौरान बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर बीसीए प्रबंधन हेतु 5 कॉरपोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स — मेसर्स अत्यति टेक्नोलोजिस प्रा. लि., मेसर्स एफआईए टेक्नोलोजी प्रा. लि., मेसर्स स्टारफीन इंडिया प्रा. लि. , मेसर्स जीरो मास प्रा. लि. तथा मेसर्स आरएनएफ़आई सर्विसेस लि. को भी नियुक्त किया है। 31.03.2026

तक बैंक में कुल 12,187 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स कार्यरत हैं, जो ग्राहकों को उनके घर-घर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, जैसे बचत खाता, आरडी एवं टीडी खाते खोलना, जन सुरक्षा योजनाओं (एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत नामांकन, ऋण खातों, एनपीए खातों सहित की वसूली, जमा संग्रहण तथा आरडी किश्तों का संकलन आदि।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई):

बैंक द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की गई है। यह योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। 31.03.2026 तक बैंक ने कुल 94,57,638 पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं, जिनमें से 90,21,504 (95%) खाते परिचालित हैं। योजना की शुरुआत से 31 मार्च 2026 तक बैंक द्वारा पीएमजेडीवाई खातों में 85,65,083 रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं।

आधार विनियामक, 2016 के अनुसार आधार नामांकन एवं अद्यतन केंद्र

आधार विनियम, 2016 के अनुरूप हमारे बैंक ने यूआईडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार देशभर में 379 शाखाओं में आधार नामांकन केन्द्र स्थापित किए हैं। नवंबर 2024 से बैंक ने सभी आधार नामांकन केन्द्रों में मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु मेसर्स असूजा ईसर्व प्राइवेट लिमिटेड को सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है।

जनसुरक्षा योजनाएँ

जन सुरक्षा योजनाएँ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून 2015 को प्रारंभ की गई थी। बैंक द्वारा ग्राहकों का नामांकन पीएमजेजेबीवाई तथा पीएमएसबीवाई के अंतर्गत किया जा रहा है। 31 मार्च 2026 तक जन सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है:

योजनाओं	31 मार्च 2026 तक नामांकन की स्थिति (संचयी)	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नामांकन की स्थिति
पीएमजेजेबीवाई	4720204	937570
पीएमएसबीवाई	9916217	1599520
कुल	**14636421**	**2537090**

अटल पेंशन योजना:

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) 18-40 वर्ष की आयु के बचत खाताधारक जो आयकर दाता नहीं है, उनके लिए एक वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है । यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच बढ़ती उम्र से जोखिमों को दूर करने में मदद करती है और श्रमिकों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

पिछले कुछ वर्षों में एपीवाई के तहत निष्पादन इस प्रकार रहा है

वित्तीय वर्ष	नामांकन
2015-16	18,540
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959
2018-19	1,03,711
2019-20	1,50,010
2020-21	1,79,081
2021-22	2,32,860
2022-23	2,77,710
2023-24	2,61,318
2024-25	2,67,678
2025-26	**3,27,234**
कुल एपीवाई नामांकन (संचयी)	**19,90,185**

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में बैंक को आवंटित सभी लीड जिलों में कुल 14 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित किए हैं। इन संस्थानों का उद्देश्य किसानों, एसएचजी सदस्यों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं, कारीगरों तथा कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। आरएसईटीआई का संचालन बैंक द्वारा स्थापित स्नेहा ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है।समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आरएसईटीआई द्वारा 520 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे 16,080 ग्रामीण प्रतिभागियों को लाभ मिला। बैंक ने 81% सेटलमेंट तथा 64% क्रेडिट सेटलमेंट प्राप्त किया, जो क्रमशः राष्ट्रीय औसत 70% एवं 50% से काफी अधिक है।

वित्तीय साक्षरता

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत (तमिलनाडु में 15 तथा केरल में 9) सहित कुल 24 स्थानों पर स्थापित वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान की जा रही है। इन केन्द्रों के परामर्शदाता ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों को औपचारिक वित्तीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जागरूक कर रहे हैं, आमने-सामने वित्तीय परामर्श प्रदान कर रहे हैं तथा ऋणग्रस्त व्यक्तियों को ऋण परामर्श सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही विभिन्न स्थानों पर नियमित जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। 31 मार्च 2026 तक स्थापना से अब तक एफएलसी द्वारा कुल 98,797 क्रेडिट काउंसलिंग सत्र आयोजित किए गए। बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर 52,443 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए तथा 1,58,701 बचत बैंक खाते खोले गए। वित्तीय प्रणाली में नव-समाविष्ट व्यक्तियों हेतु 5,945 विशेष शिविर आयोजित किए गए, जिनसे 4,66,512 लाभार्थी लाभान्वित हुए। एफएलसी द्वारा 118 आईटीआई, 7 व्यावसायिक प्रशिक्षण भागीदार (वीटीपी) तथा 3 परिचालन केन्द्रों (ओसी) में वित्तीय साक्षरता सत्र आयोजित कर स्थापना से अब तक 39,226 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वित्तीय साक्षरता केन्द्र (सीएफ़एल):

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (एनएसएफआई: 2019-2024) के प्रमुख उद्देश्यों में से एक देश के प्रत्येक ब्लॉक तक सीएफ़एल की पहुँ च का विस्तार करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को कुल 74 सीएफ़एल केन्द्र आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 65 तमिलनाडु तथा 9 केरल में स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से मेसर्स धन फाउंडेशन (एनजीओ) द्वारा वित्तीय साक्षरता गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। सीएफ़एल केन्द्रों का उद्देश्य वित्तीय जागरूकता बढ़ाना, बेहतर वित्तीय व्यवहार को प्रोत्साहित करना तथा व्यवहारिक परिवर्तन के माध्यम से लोगों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने और अपने वित्तीय प्रबंधन पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम बनाना है। इन केन्द्रों में शैक्षणिक वीडियो, अनुभवात्मक शिक्षण तथा वित्तीय नियोजन उपकरणों का उपयोग कर औपचारिक वित्तीय सेवाओं के लाभों को प्रभावी ढंग से समझाया जाता है। बैंक के सीएफ़एल सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समुदायों की वित्तीय क्षमता सुदृढ़ करने तथा प्रत्येक परिवार की वित्तीय संवेदनशीलता को कम करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। साथ ही ये केन्द्र समुदाय में बेहतर वित्तीय व्यवहार को बढ़ावा देने, अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा प्रशिक्षित वित्तीय समावेशन विशेषज्ञों का नेटवर्क विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे अंतिम छोर तक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा सके।

पैरा-बैंकिंग उत्पादों पर कार्य निष्पादन

पैरा बैंकिंग व्यवसाय के अंतर्गत, बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंकाश्योरेंस और म्यूचुअल फ़ंड के वितरण के माध्यम से रु 43.90 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है। जबकि पिछले वर्ष 31.03.2025 तक यह आय **₹33.32 करोड़** थी। इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर **31.75%** की वृद्धि दर्ज की गई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रारंभ किए गए उत्पाद

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक द्वारा निम्नलिखित नए उत्पाद प्रारंभ किए गए

- **ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी – एसबीआईजीआई के साथ पीएआई 2000** - बैंक के ग्राहकों हेतु विशेष रूप से शुरू किया गया पीएआई उत्पाद, जिसके अंतर्गत ₹2,000 के एक समान प्रीमियम पर ₹40 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है।.

- **नीवा बूपा के साथ न्यू ग्रुप क्रिटिकल केयर (न्यू जीसीसी)** - यह ऋण-संबद्ध समूह बीमा उत्पाद है, जो 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के उधारकर्ताओं को 5 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए गंभीर बीमारी एवं दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।

- **नीवा बूपा के साथ सुपर टॉप अप –समूह बीमा उत्पाद** - नए एवं मौजूदा पॉलिसीधारकों के लिए प्रारंभ किया गया समूह स्वास्थ्य बीमा उत्पाद, जिसमें वयस्कों (18–60 वर्ष) तथा बच्चों (91 दिन–21 वर्ष) को कवर प्रदान किया जाता है। सुपर टॉप अप योजना में निर्धारित डिडक्टिबल राशि से अधिक अस्पताल व्यय पर पॉलिसी सक्रिय होकर आगे के दावों को कवर करती है।

- **नीवा बूपा के साथ एसएचजी सुरक्षा – समूह बीमा उत्पाद** - यह एसएचजी सदस्यों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध समूह बीमा योजना है। इसके अंतर्गत प्रति दिन ₹1,000 हॉस्पिटल डेली कैश तथा ₹2,000 प्रतिदिन आईसीयू कैश (प्रत्येक पूर्ण 24 घंटे के आधार पर) अधिकतम 30 दिनों तक देय है। साथ ही ₹1,00,000 का दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर प्रदान किया जाता है। वार्षिक प्रीमियम ₹300 (जीएसटी सहित) है तथा पॉलिसी शर्तों के अनुसार प्रतीक्षा अवधि एवं स्वास्थ्य घोषणा में छूट प्रदान की गई है।

- **यूएसजीआईसी के साथ आइओबी सुरक्षा – प्लान डी** - यह आइओबी बचत खाता धारकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उत्पाद है, जिसमें दुर्घटना मृत्यु एवं स्थायी पूर्ण विकलांगता हेतु ₹40 लाख का बीमा कवर उपलब्ध है। वार्षिक प्रीमियम ₹1,750 (जीएसटी सहित) है तथा प्रवेश आयु 18–70 वर्ष है, जिसमें आजीवन नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध है।

- **नीवा बूपा के साथ सुपर टॉप अप प्लस –समूह स्वास्थ्य बीमा उत्पाद** - यह बचत खाते एवं कॉरपोरेट वेतनभोगी ग्राहकों हेतु उन्नत समूह स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें ₹3 लाख डिडक्टिबल के साथ ₹30 लाख तक का टॉप-अप कवर उपलब्ध है, जो पूर्व की सुपर टॉप अप योजना (₹15 लाख कवर एवं ₹2 लाख डिडक्टिबल) का उन्नत संस्करण है। डिडक्टिबल राशि पूर्ण होने के पश्चात पात्र अस्पताल व्यय बीमित राशि तक कवर किए जाते हैं। यह योजना वयस्कों (18–65 वर्ष) एवं बच्चों (91 दिन–21 वर्ष) हेतु 1 वर्ष की पॉलिसी अवधि के साथ उपलब्ध है।

सामाजिक उद्देश्य हेतु संचालित अभियान:

सामाजिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने हेतु मासिक अभियान संचालित किए गए, जिनमें चैनल पार्टनर द्वारा प्राप्त प्रीमियम के विरुद्ध सीएसआर गतिविधियों में योगदान किया जाता है, जिसका उपयोग बैंक द्वारा सुझाए गए अवसरों पर किया जाता है।

धार्मिक संस्थानों हेतु ई-हुंडी

- मंदिर, चर्च, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक संस्थानों में श्रद्धालुओं को डिजिटल माध्यम से चढ़ावा देने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक द्वारा ई-हुंडी स्टैंड स्थापित किए जा रहे हैं।

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न धार्मिक संस्थानों में **514** ई-हुंडी स्थापित किए गए (**स्थापना से अब तक कुल 755 ई-हुंडी स्थापित**)। इस पहल को क्षेत्रीय भाषाओं के मीडिया एवं समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार मिला।

- 31.03.2026 तक विभिन्न धार्मिक संस्थानों में स्थापित क्यूआर कोड स्टैंड्स के माध्यम से **₹35.36 करोड़** की भेंट/चढ़ावा राशि प्राप्त हुई, जिसे संबंधित संस्थानों के खातों में सुरक्षित रखा गया है।

आइओबी नेस्ट ऐप

आइओबी नेस्ट एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे विशेष रूप से आवासीय फ्लैटों अथवा हाउसिंग यूनिट्स की सोसाइटी/ एसोसिएशनों की सोसाइटी संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन हेतु विकसित किया गया है।

- इस उत्पाद का शुभारंभ 17.10.2025 को किया गया। यह उत्पाद बाजार में एक प्रतिस्पर्धी पेशकश के रूप में उभरकर सामने आया है तथा एससीबी के बीच अपनी तरह का पहला उत्पाद है।

- यह एप विशेष रूप से आवासीय फ्लैट एवं हाउसिंग यूनिट्स की सोसाइटी/एसोसिएशनों के लिए विकसित किया गया है तथा यह माई गेट और अड्डा जैसे प्लेटफॉर्म्स के अनुरूप कार्य करता है।

- आइओबी नेस्ट आवासीय भवन सोसाइटियों और निवासियों के लिए निर्मित एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन है। यह समाधान सोसाइटियों के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के साथ-साथ डिजिटल इंटरैक्शन के माध्यम से उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने का उद्देश्य रखता है।

जुटाए गए आवेदनों	बकाया राशि
210	रु 7.58 करोड़

ग्राहक सेवा

बैंक निर्बाध, विश्वसनीय एवं ग्राहक-केन्द्रिwत सेवाएँ प्रदान करने के अपने संकल्प के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है। ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान देते हुए बैंक निर्धारित टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) के भीतर ग्राहक शिकायतों का त्वरित एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करता रहा है। वर्ष के दौरान बैंक ने उन्नत क्षमताओं वाले आधुनिक ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) सिस्टम को पुनर्गठित एवं लागू कर अपनी शिकायत निवारण प्रणाली को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है। इस पहल के माध्यम से ग्राहक शिकायतों के प्रबंधन, ट्रैकिंग एवं समाधान की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हुई है, जिससे समग्र सेवा गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

बैंक ग्राहकों को शिकायत दर्ज कराने हेतु अनेक सुविधाजनक माध्यम उपलब्ध कराता है, जिनमें बैंक की वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, सोशल मीडिया, ई-मेल, व्हाट्सऐप, एसएमएस तथा कॉन्टैक्ट सेंटर शामिल हैं। ग्राहक अपनी शिकायतों की स्थिति वास्तविक समय में देख सकते हैं, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं तथा संतोषजनक समाधान प्राप्त होने पर शिकायत को बंद भी कर सकते हैं।

शिकायत निवारण तंत्र:

बैंक का सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है, जिसमें जहाँ संभव हो शिकायतों का निस्तारण अगले कार्य दिवस तक करने पर विशेष जोर दिया जाता है। देशभर के क्षेत्रीय कार्यालयों में समर्पित हेल्पडेस्क स्थापित किए गए हैं, जहाँ क्षेत्रीय कार्यालय के द्वितीय पंक्ति के अधिकारी शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें तकनीकी

सहायता हेतु आरसीसी अधिकारी तथा ग्राहक शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए एक डेस्क अधिकारी का सहयोग प्राप्त होता है।

ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्लेटफॉर्म नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्णतः संरेखित है तथा संगठन के विभिन्न स्तरों पर शिकायत संबंधी आँकड़ों तक वास्तविक समय में पहुँच उपलब्ध कराता है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित होता है। इस प्रणाली में संरचित फीडबैक तंत्र भी शामिल है, जिसके माध्यम से ग्राहक शिकायत बंद होने के बाद अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, जिससे निरंतर सुधार को बढ़ावा मिलता है। बैंक के सर्वोच्च स्तर पर आंतरिक लोकपाल भी नियुक्त है, जो अस्वीकृत शिकायतों पर अपने अवलोकन प्रस्तुत कर निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करते हैं।

आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली एवं कॉन्टैक्ट सेंटर के अतिरिक्त बैंक बाह्य शिकायत निवारण माध्यमों — जैसे बैंकिंग लोकपाल (भारतीय रिज़र्व बैंक), सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली) तथा आईएनजीआरएएमएस (उपभोक्ता कार्य विभाग की एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) — से प्राप्त शिकायतों का भी प्रभावी प्रबंधन करता है।

बैंक ने ग्राहक अनुभव को सरल एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से अनेक ग्राहक-अनुकूल पहलें प्रारम्भ की हैं। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं:

- **शिकायत निवारण दिवस:** प्रत्येक माह की 15 तारीख को सभी शाखाओं में यह दिवस आयोजित किया जाता है। यह पहल ग्राहकों को अपनी समस्याएँ एवं सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करती है। प्राप्त फीडबैक एवं सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा कर उन्हें नीतिगत सुधार हेतु निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

- **शिकायत निवारण दिवस:** प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य लंबित शिकायतों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करना तथा सेवा दक्षता एवं निवारण की गति में सुधार करना है।

- **ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम):** बैंक की डिजिटल परिवर्तन यात्रा के अंतर्गत एक एकीकृत सीआरएम आधारित शिकायत प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। यह प्रणाली शिकायत के पंजीकरण, वर्गीकरण, समाधान एवं समापन तक संपूर्ण प्रक्रिया का प्रबंधन करती है, जिससे परिचालन दक्षता, पारदर्शिता एवं ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हुई है।

- **ग्राहक सेवा उत्कृष्टता केंद्र (सीएससीओई)** बंद की गई शिकायतों तथा अन्य उत्पादों पर ग्राहकों से फीडबैक प्राप्त करने हेतु ग्राहक सेवा विभाग के विस्तारित अंग के रूप में सीएससीओई की स्थापना की गई है। प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उसे निदेशक मंडल के समक्ष निगरानी एवं मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

पीएसबी एलायंस डोरस्टेप बैंकिंग:

आईबीए एवं आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक ने पीएसबी एलायंस डोरस्टेप बैंकिंग सेवा को सफलतापूर्वक लागू किया है।

- ऑल इंडिया डीएसबी राष्ट्रीय डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान, पीएसबी अलाइएन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 01.11.2024 से 31.12.2025 तक आयोजित किया गया, जिसके दौरान 202 लेनदेन सफलतापूर्वक संपन्न किए गए।

- ऑल इंडिया डीएसबी अभियान-2, पीएसबी अलाइएन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 05.08.2025 से 04.11.2025 तक आयोजित किया गया, जिसके दौरान 1534 लेनदेन सफलतापूर्वक संपन्न किए गए।

बैंक की उपलब्धियाँ :

वित्तीय वर्ष 2025-26 बैंक की ग्राहक सेवा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ, जिसमें शिकायत निवारण एवं ग्राहक सहभागिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ एवं निरंतर सुधार दर्ज किए गए।

- बैंक ने अपने इतिहास का सर्वाधिक शिकायत निवारण प्रदर्शन दर्ज किया तथा सीपीजीआरएएमएस एवं आईएनजीआरएएमएस के अंतर्गत शून्य शिकायतें बनाए रखने में सफलता प्राप्त की, जो इसके सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

- उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बैंक को 13.02.2026 को वित्तीय सेवा विभाग (डीएफ़एस) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण हेतु प्रतिष्ठित "बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- शाखा स्तर पर सेवाओं तथा समग्र शाखा अनुभव के संबंध में ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु क्यूआर-आधारित फीडबैक प्रणाली शुरू की गई। इस पहल से वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त होती है तथा सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार को बढ़ावा मिलता

- शिकायतों की लंबित संख्या लगभग शून्य स्तर के निकट रही, जो परिचालन दक्षता एवं सक्रिय शिकायत निवारण व्यवस्था को दर्शाती है।

- बैंक ने अपनी त्रैमासिक शैक्षणिक श्रृंखला को जारी रखते हुए शिकायत विश्लेषण एवं मूल कारणों की पहचान के आधार पर 24 परिपत्र जारी किए, जिससे आवर्ती समस्याओं में उल्लेखनीय कमी आई।

- ग्राहक सेवा विभाग के अंतर्गत ईएएसई 8.0 पहल के अनुरूप एक ग्राहक अनुभव उत्कृष्टता केंद्र (सीएससीओई) की स्थापना की गई। यह केंद्र शिकायत निवारण के पश्चात ग्राहकों से संरचित सर्वे कॉल के माध्यम से सेवा गुणवत्ता का आकलन करता है तथा सुधार के क्षेत्रों की पहचान करता है।

- एक मासिक समीक्षा तंत्र स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्वयं 20 नमूना शिकायतों के ग्राहकों से संवाद कर समाधान की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं।

- ग्राहक जागरूकता बढ़ाने हेतु बैंक ने चेन्नै-II (29.07.2025) तथा कांचीपुरम (19.09.2025) क्षेत्रों में टाउन हॉल बैठकें आयोजित कीं, जिनमें पेंशन सेवाएँ, आरबीआई लोकपाल व्यवस्था, नामांकन सुविधा, साइबर धोखाधड़ी तथा डिजिटल सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्रदान की गई।

- वरिष्ठ नागरिकों के साथ सहभागिता सुदृढ़ करने एवं पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के समन्वय से पेंशनर्स मीट का आयोजन किया गया।

- 07.11.2025 को चेन्नै-I, चेन्नै-II, कांचीपुरम एवं वेल्लोर क्षेत्रों के डेस्क अधिकारियों तथा शिकायत-प्रवण शाखाओं के लिए लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन सत्रों का संचालन वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के अधिकारियों, जिनमें निदेशक, डीएफएस भी शामिल थे, द्वारा किया गया, जिससे शिकायत निवारण एवं ग्राहक सेवा संबंधी कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि हुई।

वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई ग्राहक शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
वर्ष की शुरुआत में शिकायतों की संख्या	2610	2017
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	186011	210075
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	188410	209482
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	211	2610
प्रभावी समाधान दर	99.89%	98.77%

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए शिकायतों की श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

शिकायतों की प्रकृति	सभी चैनलों में शिकायतों की कुल संख्या	कुल शिकायतों का %
	गैर-डिजिटल	
सामान्य बैंकिंग	5708	3.07%
ग्राहक सेवा	5520	2.97%
जमाएँ	1222	0.66%
बीमा	538	0.29%
अग्रिम	457	0.25%
सीआइसी	368	0.20%
पीएमजेडीवाई	297	0.16%
अन्य	240	0.13%
एनआरआई सेवाएं	76	0.04%

शिकायतों की प्रकृति	सभी चैनलों में शिकायतों की कुल संख्या	कुल शिकायतों का %
पेंशन	40	0.02%
कुल	**14466**	**7.78%**
	डिजिटल	
गैर-एटीएम	137634	73.99%
एटीएम	33911	18.23%
उप - योग	**171545**	**92.22%**
कुल योग	**186011**	**100.00%**

तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

1. बैंक अपने एनपीए पोर्टफोलियो को कम करने तथा लाभ स्तर में सुधार हेतु निरंतर विभिन्न विधियों एवं वसूली साधनों को अपनाता रहा है। यद्यपि एनपीए वसूली का मूल उद्देश्य लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समस्त संविदात्मक बकाया की वसूली करना है, तथापि व्यवहार में विभिन्न परिस्थितियों के कारण बैंक को आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाहियों के साथ-साथ समझौता निपटान सहित अन्य वैकल्पिक रणनीतियाँ अपनानी पड़ती हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने वसूली कार्य को सुदृढ़ करने तथा वसूली क्षेत्र में समग्र प्रदर्शन सुधारने हेतु अनेक पहलें कीं।

2. बैंक ने सरफेसी प्रक्रिया में डिजिटलीकरण लागू करते हुए सभी डिमांड नोटिस, कब्जा नोटिस तथा बिक्री नोटिस का विकास एवं कार्यान्वयन किया है। खरीदारों को अधिक दृश्यता प्रदान करने हेतु सभी बिक्री नोटिस में क्यूआर कोड भी सम्मिलित किया गया है। साथ ही, बैंक संपूर्ण वसूली प्रक्रिया — जैसे ओटीएस, एनसीएलटी, डीआरटी, लोक अदालत, सिविल वाद आदि — के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में भी है।

3. समीक्षा अवधि के दौरान प्रभावी सिद्ध हुई वसूली रणनीतियों में विशेष ओटीएस योजनाएँ प्रमुख रहीं। विशेष ओटीएस योजनाओं में संशोधन कर गैर-एनसीएलटी खातों के लिए विभिन्न स्तरों के प्राधिकारियों को अधिकार प्रदान किए गए, जिससे लंबी स्वीकृति प्रक्रिया के बिना एनपीए खातों का सरल एवं त्वरित निपटान संभव हो सका तथा उधारकर्ताओं/गारंटरों को शीघ्र सूचना दी जा सकी। इस विशेष ओटीएस योजना को विवेकाधीन एवं भेदभावरहित स्वरूप में लागू किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 31119 खातों में ₹614.86 करोड़ की ओटीएस स्वीकृत की गई, जिसमें से अब तक बैंक ₹493.70 करोड़ की वसूली कर चुका है।

4. बैंक ने मार्च 2026 तक प्रत्येक माह पीएसबी अलाइन्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कब्जे में ली गई संपत्तियों की ई-नीलामी आयोजित की। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 3,992 संपत्तियों को ई-नीलामी हेतु प्रस्तुत किया गया, जिनमें से 671 संपत्तियाँ विक्रय होकर ₹597.22 करोड़ की प्राप्ति हुई। सरफेसी के अंतर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू होने से अनेक एनपीए खातों में ओटीएस, अपग्रेडेशन तथा पूर्ण समापन का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। अधिक खरीदारों को आकर्षित करने हेतु बैंक ने बोलीदाताओं को जुटाने के लिए ऋण वसूली एजेंटों को भी नियुक्त किया। बैंक ने पात्र संपत्तियों का विवरण आइओबी ऑनलाइन पर उपलब्ध कराया है, जहाँ संभावित खरीदार संपत्ति विवरण खोजकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। साथ ही, वेबसाइट पर आने वाले संभावित खरीदारों से लीड प्राप्त करने हेतु बैंक ने एक ट्रिगर टूल भी विकसित किया है।

5. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक द्वारा कुल लगभग ₹3,576 करोड़ की एनपीए वसूली की गई। वसूली पर बैंक का ध्यान पहले की तरह दृढ़ एवं निरंतर बना हुआ है तथा चालू वित्त वर्ष में भी वसूली की गति को सशक्त बनाए रखने हेतु बैंक प्रतिबद्ध है।

आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त याचिकाओं का निपटान

बैंक में आरटीआई आवेदन एवं अपीलों के निस्तारण हेतु एक पृथक एवं विशेष प्रकोष्ठ, जिसे आरटीआई सेल कहा जाता है, कार्यरत है। आरटीआई सेल सहायक महा प्रबंधक, विधि विभाग के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करता है, जिन्हें केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है। बैंक ने आरटीआई आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा (अर्थात आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर) में निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय प्रबंधकों को

केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में भी नामित किया है। बैंक में कुल 53 सीएपीआईओ कार्यरत हैं।

बैंक ने महा प्रबंधक, विधि विभाग को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया है, जो सीपीआईओ एवं सीएपीआईओ के उत्तर से असंतुष्ट अपीलकर्ताओं द्वारा दायर प्रथम अपीलों का निस्तारण करते हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बैंक को कुल **2,097** आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों का निस्तारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीपीआईओ एवं सीएपीआईओ द्वारा विधिवत किया गया।

सीपीआईओ एवं सीएपीआईओ के उत्तर के विरुद्ध अतिरिक्त जानकारी की मांग करते हुए कुल **310** प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं, जिनका निस्तारण प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप गुण-दोष के आधार पर उपयुक्त आदेश पारित करते हुए किया गया।

सीपीआईओ/सीएपीआईओ एवं एफएए के उत्तर से असंतुष्ट अपीलकर्ताओं द्वारा माननीय केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी), नई दिल्ली के समक्ष द्वितीय अपीलें दायर की गईं। बैंक को ऐसी द्वितीय अपीलों के संबंध में कुल **28** नोटिस प्राप्त हुए। सभी मामलों में सीपीआईओ/सीएपीआईओ द्वारा प्रभावी रूप से पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा सूचना आयुक्त द्वारा गुण-दोष के आधार पर उचित आदेश पारित करते हुए सभी द्वितीय अपीलों का निस्तारण किया गया, जिसमें बैंक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम उठाना बैंकिंग व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। बैंक अपनी गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के जोखिम उठाते हैं जबकि अपनी जोखिम क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं। बैंक द्वारा उठाया जाने वाला प्रत्येक लेन-देन बैंक के जोखिम प्रोफाइल को बदलता है। व्यवसाय के सामान्य क्रम में, बैंक को क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम सहित विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम लेने की गतिविधि को प्रतिबंधित या रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जोखिम पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ सचेत रूप से लिया जाए ताकि इसे मापा और कम किया जा सके। ऐसे जोखिमों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और अपने जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, बैंक ने विभिन्न जोखिम प्रबंधन उपायों और प्रक्रियाओं को लागू किया है जिसमें नीतियां, टूल्स, तकनीक, निगरानी तंत्र और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) शामिल हैं।

बैंक का लक्ष्य निरंतर आधार पर जोखिम और रिटर्न के बीच उचित संतुलन प्राप्त करके शेयरधारक मूल्यों को बढ़ाना और अधिकतम करना है। बैंक के जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों में मोटे तौर पर बैंक के समग्र जोखिम दर्शन को स्पष्ट करने के उद्देश्य से जोखिमों की उचित पहचान, माप, निगरानी, नियंत्रण और शमन शामिल हैं। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन रणनीति जोखिमों की समझ और बैंक की जोखिम क्षमता के स्तर पर आधारित है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के निर्धारण के माध्यम से बैंक की जोखिम क्षमता मोटे तौर पर प्रदर्शित होती है।

बैंक ने उचित जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना स्थापित की है। बोर्ड की एक उप-समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस शासन संरचना का समर्थन करने के लिए, बैंक ने निम्नलिखित आंतरिक प्रबंधन समितियों का गठन किया है:

- **ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)**
- **परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) एवं बाजार व चलनिधि जोखिम के लिए निधि समिति**
- **परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और उत्पाद/प्रक्रिया जोखिम न्यूनीकरण समिति (पीआरएमसी)**
- **सूचना सुरक्षा व साइबर प्रबंधन के लिए सूचना सुरक्षा समिति।**

बैंक में सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए बैंक के केंद्रीय कार्यालय में व्यवसाय विभागों से स्वतंत्र, एक पूर्ण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्य कर रहा है। बैंक के मुख्य महा प्रबंधक के पद पर मुख्य जोखिम अधिकारी विभाग (सीआरओ) के प्रभारी हैं, जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के संयोजक हैं। विशेष रूप से विभागों/जोखिम प्रबंधन में मध्य कार्यालय और सामान्य रूप से अन्य कार्यात्मक शाखाएं भी जोखिम प्रबंधन कार्य करती हैं और नीतियों, जोखिम सीमा ढांचे और आंतरिक अनुमोदन के पालन/अनुपालन की निगरानी करती हैं। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के ऋण जोखिम की देखरेख के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम प्रबंधकों को नामित किया गया है। विभिन्न एमआइएस प्रस्तुत करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय के साथ समन्वय करने के अलावा क्षेत्रीय जोखिम प्रबन्धक क्षेत्रीय स्तर की ऋण अनुमोदन समितियों में भाग लेते हैं।

जोखिम को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का मूल दृष्टिकोण इसके उद्भव स्थल पर जोखिम को नियंत्रित करना है। बेसल III

दिशानिर्देश 01.04.2013 से लागू किए गए हैं, और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी बनाए रख रहे हैं। 9% की न्यूनतम पूँजी और 11.50% के समग्र सीआरएआर के साथ 2.5% का पूँजी संरक्षण बफर आरबीआई द्वारा उनके बेसल III में निर्धारित किया गया है।

बेसल- III ढांचा तीन परस्पर सुदृढ़ स्तंभों पर आधारित है।

- स्तंभ I ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए न्यूनतम पूँजी आवश्यकताएं
- स्तंभ II यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास अपने व्यवसाय में सभी जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त पूँजी है
- स्तंभ III विस्तृत प्रकटीकरणों के माध्यम से बाज़ार अनुशासन

बैंक ने दूसरे स्तंभ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू की है। आइसीएएपी फ्रेमवर्क पहले स्तंभ के जोखिमों के तहत विनियामक निर्देशों के अलावा बैंक के समक्ष आने वाले सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का आकलन करना और निरंतर आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूँजी संरचना सुनिश्चित करना है।

बैंक ने 2 दिसंबर 2013 को जारी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप एक तनाव परीक्षण ढांचा तैयार किया है। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण संभावित कमजोरियों का आकलन करने में मदद करते हैं, विशेषकर आर्थिक दबाव की अवधि में, जब अत्यधिक लेकिन संभाव्य घटनाएँ घटित हो सकती हैं। स्वीकृत नीति और मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, बैंक की बैलेंस शीट और प्रमुख पोर्टफोलियो पर समय-समय पर स्ट्रेस टेस्ट किए जाते हैं। इन परीक्षणों के परिणाम एएलसीओ, आरएमसीबी और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा उद्धार योजना लागू है। शून्य डेटा हानि हो इसके लिए 3-वे डेटा केंद्र स्थापित किए गए हैं,

- एमपीएलएस-वीपीएन उच्च बैंडविड्थ कनेक्शन
- विभिन्न वैकल्पिक सेवा / वैकल्पिक प्रदाताओं से दोहरी कनेक्टिविटी
- शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया स्थापित की गई है

फ़ायरवॉल और घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम लागू किए गए हैं। सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए सूचना सुरक्षा विभाग द्वारा एक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया गया है। आवधिक सूचना प्रणाली ऑडिट किए जाते हैं, और त्रैमासिक आधार पर नियमित आपदा पुनर्प्राप्ति अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। नेटवर्क सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाता है बाहरी विशेषज्ञों द्वारा किए गए आवधिक भेद्यता मूल्यांकन और पैठ परीक्षण (वीएपीटी) अभ्यासों के माध्यम से, जो आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं

बैंक ने एकीकृत एएलएम और चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रणाली क्रय की है, जो बाज़ार जोखिम, चलनिधि जोखिम और बेसल पूँजी गणना को कवर करती है। यह प्रणाली बेसल III ढाँचे के अंतर्गत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने को सक्षम बनाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 से, एवं 21 अप्रैल 2025 को जारी संशोधित दिशानिर्देश (1 अप्रैल 2026 से प्रभावी) प्रभावी चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देश में विभिन्न आवृत्तियों पर अलग-अलग देशीय परिचालन और विदेशी परिचालन सहित समेकित बैंक परिचालन की तैयारी और प्रस्तुति शामिल है। बैंक ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में प्रणाली और प्रक्रिया लागू की है।

आरबीआई ने संभावित नकदी व्यवधानों के प्रति बैंकों की अल्पकालिक आघात-सहनीयता सुनिश्चित करने के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की शुरुआत की थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र तनाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) हो। बैंक के लिए 1 जनवरी 2019 से प्रभावी आरबीआई के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता 100% है। बैंक न्यूनतम निर्धारित स्तरों से काफी ऊपर एलसीआर बनाए रख रहा है।

आरबीआई ने बैंकों की लंबी अवधि में आघात-सहनीयता बढ़ाने के लिए निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) की शुरुआत की है, 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी आरबीआई के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर आवश्यकता 100% है। बैंक नियामकीय सीमा से ऊपर एनएसएफआर बनाए रखता है, जो मुख्यतः खुदरा और छोटे व्यवसायों की जमाओं से बनी स्थिर निधि आधार द्वारा समर्थित है।

17 फरवरी 2023 को जारी आरबीआई के गवर्नेंस, मापन और आईआरआरबीबी के प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की गणना करता है। इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) और निवल ब्याज आय (एनआइआइ) पर संभावित प्रभाव को मापा जाता है और आरबीआई को रिपोर्ट किया जाता है। बैंक का आईआरआरबीबी जोखिम अनुमोदित सहनशीलता सीमाओं के भीतर ही रहता है और इसे निरंतर आधार पर निगरानी की जाती है।

बेसल III ने एक सरल, पारदर्शी और गैर-जोखिम आधारित लीवरेज अनुपात शुरु किया है, जिसे जोखिम आधारित पूँजी आवश्यकता के लिए एक विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए कैलिब्रेट किया गया है। बैंक जून 2015 को समाप्त तिमाही से लीवरेज अनुपात पर

नियामक आवश्यकता का अनुपालन कर रहा है और तिमाही आधार पर आरबीआई को रिपोर्ट कर रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बेसल III पूँजी विनियमों के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिन्हें 1 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, इसके तहत बैंकों को 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से बेसल III पूँजी अनुपात का प्रकटीकरण करना होगा। बैंक इसका अनुपालन कर रहे हैं।

बेसल-III ढांचे का तीसरा स्तंभ बाजार अनुप्रशासन से संबंधित है। बाजार अनुप्रशासन का उद्देश्य स्तंभ 1 के तहत विस्तृत न्यूनतम पूँजी आवश्यकताओं और स्तंभ 2 के तहत विस्तृत पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया का पूरक बनना है। इस संदर्भ में और आरबीआई के मार्गदर्शन में बैंक में जोखिम प्रबंधन के संबंध में डीएफ 1 से 11 (संलग्न) में प्रकटीकरण (गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है, जो बाजार सहभागियों को (ए) आवेदन के दायरे (डीएफ-1), (बी) पूँजी पर्याप्तता (डीएफ-2), (सी) ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (डी) ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-4), (ई) ऋण जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-5), (एफ) प्रतिभूतिकरण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (जी) काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-10), (के) पूँजी की संरचना (डीएफ (11), लेखांकन परिसंपत्तियां बनाम लीवरेज अनुपात जोखिम उपाय (डीएफ 17) और लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (डीएफ-18) की सारांश तुलना है। यह बाज़ार सहभागियों को आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा ताकि वे विभिन्न मानकों पर बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकें।

बैंक सतत बैंकिंग प्रथाओं को मजबूत करने तथा अपने रणनीतिक और जोखिम प्रबंधन ढांचे में पर्यावरण, सामाजिक एवं गवर्नेंस (ईएसजी) संबंधी विचारों के एकीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।

बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाले एक महत्वपूर्ण और उभरते जोखिम के रूप में जलवायु जोखिम को पहचानते हुए, बैंक ने जलवायु जोखिम प्रबंधन एवं वित्तपोषित उत्सर्जन के आकलन हेतु एक संरचित दृष्टिकोण अपनाया है। इसी दिशा में, बैंक ने एक विशेषीकृत प्रणाली खरीदी है, जो वर्तमान में कार्यान्वयन के चरण में है और जिसमें पूरे पोर्टफोलियो की जलवायु जोखिम तथा वित्तपोषित उत्सर्जनों को मापने की क्षमता उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने कार्बन लेखांकन वित्त के लिए साझेदारी (पीसीएएफ) द्वारा निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुरूप वित्तपोषित उत्सर्जनों का मापन प्रारंभ किया। वैश्विक स्तर पर स्वीकृत उत्सर्जन लेखांकन मानकों को अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करते हुए, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक कार्बन लेखांकन वित्त के लिए साझेदारी (पीसीएएफ) पर हस्ताक्षर करने का गौरव प्राप्त किया है।

बैंक ने सीईडीए उत्सर्जन कारक (सीईडीए ईएफ) का उपयोग करते हुए वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना प्रारंभ कर दी है, और इस पद्धति तथा इसके परिणामों का आंतरिक सत्यापन और परिष्करण किया जा रहा है। जैसे ही पीसीएएफ द्वारा सीईडीए उत्सर्जन कारकों का आरबीआई बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न (बीएसआर) कोड्स के साथ मानचित्रण पूरा होगा, बैंक अपनी पद्धति को मानकीकृत करने और विकसित होती नियामकीय तथा वैश्विक प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से वित्तपोषित उत्सर्जन का प्रकटीकरण करने की इच्छा रखता है।

क्रेडिट जोखिम आकलन में ईएसजी एकीकरण को सुदृढ़ करने के हिस्से के रूप में, बैंक ने ₹50 करोड़ और उससे अधिक के कुल ऋण जोखिम वाले सभी उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया में ईएसजी स्कोरकार्ड को एक अनिवार्य घटक के रूप में लागू किया है। ईएसजी स्कोरकार्ड ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि बड़े क्रेडिट प्रस्तावों का मूल्यांकन केवल पारंपरिक वित्तीय और व्यावसायिक मानकों पर ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) आयामों पर भी किया जाए, जो दीर्घकालिक उधारकर्ता की लचीलापन, स्थिरता, प्रतिष्ठा और ऋण-योग्यता का आकलन करने में तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

साथ ही, बैंक ने सतत वित्तीय पहलों को समर्थन देने और ग्रीन बिल्डिंग वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के अनुरूप, बैंक ने "आइओबी हरित शुभगृह" योजना शुरू की है, जिसके तहत ग्रीन होम्स के लिए वित्तपोषण किया जाता है, जिससे पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ आवास परियोजनाओं और ग्रीन बिल्डिंग प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहन मिलता है।

बैंक के उद्यम-व्यापी जोखिम गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को सुदृढ़ करने के प्रयासों को बाहरी सम्मान भी प्राप्त हुआ है । वर्ष के दौरान, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को जोखिम प्रबंधन में अपनी पहलों के लिए प्रतिष्ठित एसकेओसीएच पुरस्कार प्लेटिनम श्रेणी में प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त, बैंक को उद्यम जोखिम प्रबंधन के लिए आइएसओ 31000:2018 प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जो सुदृढ जोखिम गवर्नेंस, संरचित जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और जोखिम निगरानी तंत्र में निरंतर सुधार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ऋण निगरानी

बैंक ने एसएमए खातों की अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली तथा ऋण की गहन निगरानी के लिए विभिन्न रणनीतियां क्रियान्वित की हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्लिपेज़ को न्यूनतम संभव स्तर पर रखा जा सके।

खातों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लागू किए गए उपाय:

बैंक ने बढ़ती हुए स्लिपेज के संभावित जोखिम को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं,

- **प्रत्येक माह काफी पहले ही महीने के लिए एसएमए और संभावित स्लिपेज रिपोर्टें ऑनलाइन** उपलब्ध करा दी जाती है तथा शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय कार्यालयों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए दैनिक आधार पर अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाती है।

- एसएमए उधारकर्ताओं को नियमित अंतराल पर **एसएमएस अलर्ट** भेजे जाते हैं, जो उन्हें बकाया राशि के चुकौती का स्मरण दिलाते हैं।

- 15 दिनों के भीतर टेलीफोन पर अनुवर्ती कार्रवाई का जवाब नहीं देने वाले एसएमए उधारकर्ता के पास **वैयक्तिक रुप से दौरा** किया जाता है ।

- रुपये 50 लाख और उससे अधिक बकाया वाले **एसएमए खातों** की केन्द्रीय कार्यालय में जीएम समिति द्वारा **मासिक आधार पर समीक्षा** की जा रही है ।

- विदेशी शाखाओं के एसएमए खातों की भी मासिक आधार पर जीएम समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।

- **सिस्टम द्वारा पत्र** भेजने की सुविधा (अतिदेय राशि का उल्लेख तथा शीघ्र नियमितीकरण का अनुरोध करते हुए) को क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं के लिए सक्षम कर दिया गया है।

- खुदरा ऋण और एमएसएमई के एसएमए/संभावित स्लिपेज खातों में अनुवर्तन और वसूली के लिए **आउटबाउंड कॉल सेंटर** की सेवाएं भी ली जाती हैं । कॉल के अलावा **वॉयस ब्लास्ट** सुविधा का उपयोग अतिदेय उधारकर्ताओं को पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेश भेजने के लिए भी किया जाता है, जिससे उन्हें जल्द से जल्द अपना बकाया चुकाने की याद दिलाई जाती है।

- वेब ऐप और मोबाइल ऐप 01.07.2024 को लॉन्च किया गया है और इन ऐप के ज़रिए शाखाओं/आरओ द्वारा एसएमए खातों का अनुवर्तन किया जा रहा है। शाखाओं/आरओ द्वारा अनुवर्तन के लिए एसएमए डेटा को दैनिक आधार पर अद्यतित किया जा रहा है।

बैंक ने 30.10.2025 को **स्टॉक और बही ऋण विवरण** अपलोड करने के लिए एक **ऑनलाइन पोर्टल** शुरू किया है, जिससे ग्राहकों/उधारकर्ताओं द्वारा डिजिटल विवरणों का तेज़ी से प्रस्तुतिकरण संभव हो गया है।

बैंक उपर्युक्त उपायों को अपनाकर वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान स्लिपेज को नियंत्रित करने में सक्षम रहा और एसएमए की वसूली और नियमितीकरण को बढ़ाया गया है।

ऋण समीक्षा तंत्र

- **स्टॉक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं** को उन सभी खातों के लिए सुदृढ़ किया गया है जिनमें ₹5 करोड़ और उससे अधिक की कार्यशील पूँजी (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों) बकाया है । स्टॉक लेखा-परीक्षा समीक्षा नोट केंद्रीय कार्यालय में जीएम समिति के समक्ष रखे जा रहे हैं और समिति की टिप्पणियों को क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखाओं को सूचित किया जा रहा है।

- **विशेष निगरानी (एएसएम) के लिए एजेंसी** बैंक द्वारा उन खातों के लिए आबंटित की जाती है जहां क्रेडिट वर्टिकल्स ने मंजूरी में विभागों द्वारा एएसएम की नियुक्ति अनुबद्ध की गई है। रिपोर्टें केंद्रीय कार्यालय में महा प्रबंधक समिति के समक्ष रखी जा रही हैं तथा समिति की टिप्पणियों को उचित अनुपालन हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखाओं को सूचित किया जा रहा है।

- देशीय खातों के लिए रुपये 50.00 लाख और उससे अधिक के एक्सपोज़र वाले खातों और विदेशी खातों के लिए रुपये 1.00 करोड़ और उससे अधिक के एक्सपोज़र वाले खातों के लिए **क्रेडिट अनुपालन लेखा-परीक्षा** की जा रही है। लेखा-परीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। अनुपालन के स्तर के अनुसार खाते को निम्न/मध्यम/उच्च के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अनुपालन को सुदृढ़ करने और कमियों को दूर करने के लिए खातावार सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

- **पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस):** बैंक के पास एक सुदृढ़ ईडब्ल्यूएस समाधान है। यह समाधान रुपये 3.00 करोड़ या उससे अधिक (निधि और गैर-निधि आधारित दोनों) के एक्सपोज़र वाले गैर-खुदरा खातों और रुपये 50.00 लाख और उससे अधिक एक्सपोज़र वाले खुदरा खातों को कवर करता है, चाहे उधार व्यवस्था कुछ भी हो।

अनुपालन

अनुपालन प्रबंधन को किसी भी कॉरपोरेट इकाई की कॉरपोरेट गवर्नेंस संरचना और सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन अभ्यास के प्रमुख तत्वों में से एक माना जाता है।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एक सुव्यवस्थित अनुपालन नीति बनाई है और अनुपालन कार्यों के प्रबंधन हेतु प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं। नियामकीय दिशानिर्देशों पर आवश्यक परिपत्र/निर्देश समय-समय पर जारी किए जा रहे हैं ।

मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के नेतृत्व में अनुपालन विभाग सीधे प्रबंध निदेशक व सीईओ, बोर्ड और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) को रिपोर्ट करता है, विभिन्न नीतियों की स्वीकृति तथा शासन बैठकों में प्रभावी रूप से भाग लेते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, अनुपालन विभाग ने विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों पर अनुपालन के स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है। अनुपालन विभाग ने नए पहल भी किए हैं और मौजूदा अनुपालन टूल्स का विकास भी किया है।

समग्र अनुपालन स्तर बोर्ड/बोर्ड की ऑडिट समिति को प्रस्तुत किया जाता है। अनुपालन कार्य का वार्षिक समीक्षा और शाखाओं के अनुपालन स्तर में सुधार हेतु किए गए उपाय भी बोर्ड की ऑडिट समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं।

बैंक ने अपने इंट्रानेट पर 'नॉलेज मैनेजमेंट टूल' नामक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया है, जहाँ आरबीआई, सेबी आदि जैसे विभिन्न नियामकों के सभी विनियम और दिशानिर्देश एक ही स्थान पर देखे जा सकते हैं।

अनुपालन संस्कृति को कर्मचारियों के बीच विभिन्न प्रकार के संचार और संवाद के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। बैंक ने भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आइआइबीएफ) के सहयोग से **अनुपालन पर एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू** किया है, जो हमारे कर्मचारियों को अनुपालन आवश्यकताओं का गहन ज्ञान प्रदान करता है और उन्हें निरंतर बदलते नियामकीय वातावरण में आगे बनाए रखता है।

बैंक की अनुपालन नवाचार और शासन उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को हमारे बैंक द्वारा शुरू किए गए अभिनव प्रोजेक्ट **'कॉम्प्लायंस एपेक्सियन'** के लिए प्रतिष्ठित **स्कॉच अवार्ड** से सम्मानित किया गया ।

निरीक्षण व लेखापरीक्षा

बैंक का निरीक्षण और आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग परिचालन उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का आधारस्तंभ बना हुआ है, जो नियामकीय अनुपालन, जोखिम न्यूनीकरण और आंतरिक नियंत्रण ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बैंक ने तीन प्रमुख दायित्वों पर ध्यान केंद्रित किया: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और अन्य वैधानिक निकायों के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना; जोखिम प्रबंधन प्रोटोकॉल की दृढ़ता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना; तथा बैंक की समग्र परिचालन दक्षता और हितधारकों के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए रणनीतिक अवसरों की पहचान करना।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रमुख गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं

वर्ग	उद्देश्य	प्रमुख गतिविधियां एवं मुख्य बिन्दु	प्रभाव/महत्व
समग्र अधिदेश	विनियमक अनुपालन सुनिश्चित करना, जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना	बैंक ने अपनी एक स्वतंत्र आश्वासन तंत्र के रूप में कार्य किया, जो बैंक की परिचालन दृढ़ता और शासन मानकों की सक्रिय रूप से निगरानी करता है ।	विभाग ने एक मजबूत और अनुपालक बैंकिंग वातावरण बनाने में योगदान दिया, सम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की और हितधारकों के विश्वास को सुदृढ किया
जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआइए)	विस्तृत जोखिम आधारित लेखा परीक्षा	सभी नियोजित और अनुमोदित शाखाओं को निर्धारित समय - सीमा के भीतर शामिल करते हुए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आरबीआइए योजना का 100% क्रियान्वयन किया ।	जोखिम प्रोफ़ाइल का विस्तृत मूल्यांकन सक्षम किया गया, जिससे पूरे नेटवर्क में संभावित कमजोरियों का समय पर न्यूनीकरण सुनिश्चित हुआ।

वर्ग	उद्देश्य	प्रमुख गतिविधियां एवं मुख्य बिन्दु	प्रभाव/महत्व
ऑफसाइट निगरानी इकाई (ओएमयू)	प्रारम्भिक जोखिम पहचानने में वृद्धि और उसे कम करना ।	उन्नत विश्लेषण और नियंत्रण-उन्मुख अपवाद रिपोर्टिंग के माध्यम से सुदृढ़ किया गया, ताकि सक्रिय पर्यवेक्षण में सुधार हो सके	उभरते जोखिमों को सक्रिय रूप से पहचानने और उनका समाधान करने की इकाई की क्षमता में सुधार हुआ है। जोखिम प्रबंधन के प्रति अधिक गतिशील और अग्रगामी दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाना, जो विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप हो।
वर्ग	उद्देश्य	प्रमुख गतिविधियां एवं अंश	प्रभाव/महत्व
ऑफसाइट कंट्रोल एंड सर्विलेंस (ओसीएएस)	लेखापरीक्षा के निरीक्षण बिन्दुओं के अनुपालन में सुधार करना	मुख्य नियंत्रण क्षेत्रों और स्थायी टिप्पणियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ऑडिट पैकेज में संशोधन और डैशबोर्ड में सुधार लागू किए गए।	लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन में वृद्धि से बैंक परिचालन में अधिक मजबूत नियंत्रण वातावरण को बढ़ावा मिला
प्रबंधन लेखापरीक्षा	प्रबंधन कार्यों की दक्षता एवं प्रभावशीलता का आकलन करना	प्रबंधन लेखापरीक्षा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में संचालित की गई, जिसमें 50 क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय के 42 विभागों, 7 नोडल लेखापरीक्षा कार्यालयों एवं 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल है।	प्रबंधन प्रथाओं की प्रभावशीलता पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की गई, जिससे समग्र संचालन दक्षता एवं रणनीतिक समन्वयन को बढ़ाने के लिए लक्षित सुधार संभव हो सके ।
समवर्ती लेखापरीक्षा	लेन - देन की वास्तविक समय में निगरानी	749 शाखाओं को शामिल किया गया, जो कुल जमा राशि का 50% और कुल अग्रिमों का 60% दर्शाती हैं।	निरंतर नियंत्रण/निगरानी प्रदान की गई, जिससे पूरे नेटवर्क में अनियमितताओं का शीघ्र पता लगाना और समाधान संभव हुआ।
आइएस लेखापरीक्षा	आइटी प्रणालियों की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करना	सभी आईएस ऑडिट पूरे किए गए; नियामकीय आईटी परीक्षाओं से प्राप्त टिप्पणियों का समाधान किया गया; और आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए रूपरेखा लागू की गई।	संभावित साइबर खतरों को कम किया गया और डेटा सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया। आउटसोर्स की गई प्रौद्योगिकी सेवाओं पर जवाबदेही और गवर्नेंस को बेहतर बनाया गया।
आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आइएफसीओएफआर	वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता सुनिश्चित की गई।	एससीए द्वारा वार्षिक प्रमाणीकरण सक्षम करने के लिए शाखाओं, क्षे.का., के.का. और सिस्टम पर आंतरिक आइएफसीओएफआर का नियंत्रण परीक्षण किया गया।	वित्तीय विवरणों की सटीकता और अखंडता को एक पारदर्शी और सत्यापन योग्य ऑडिट ट्रेल के माध्यम से सुनिश्चित किया गया

आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की उपलब्धि:

- **विस्तृत लेखापरीक्षा कवरेज:** आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य ने सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व विस्तृत लेखापरीक्षा कवरेज के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई, जिससे मजबूत जोखिम प्रबंधन और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित हुआ।

- **सक्रिय जोखिम प्रबंधन:** ओएमयू और विश्लेषण-आधारित निगरानी टूल्स में महत्वपूर्ण सुधार एक फ़ॉरवर्ड-लुकिंग ऑडिट दृष्टिकोण की ओर बदलाव को दर्शाते हैं, जो जोखिमों को उनके वास्तविक रूप लेने से पहले ही पहचानने में सक्षम बनाता है।

- **सुदृढ़ नियंत्रण वातावरण:** कार्यपालक लेखा परीक्षा समिति (एसीई) और क्षेत्रीय ऑडिट समिति (आरएसीई) के माध्यम से बैंक ने उच्च-स्तरीय पर्यवेक्षण बनाए रखा, जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान एसीई की बैठकें **11 बार** आयोजित की गईं, जो नियामकीय मानकों से अधिक थीं ।

- **प्रौद्योगिकी और साइबर दृढ़ता:** आउटसोर्सिंग निगरानी रूपरेखा के सफल एकीकरण और आईएस ऑडिट की पूर्णता बैंक की डिजिटल अवसंरचना को विकसित होते खतरों से सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

- **अनुपालन संस्कृति की स्थिरता:** मार्च 2026 तक की प्रदर्शन समीक्षा ने पुष्टि की कि समग्र नियंत्रण वातावरण स्थिर बना रहा, उच्च-जोखिम शाखाओं को नगण्य स्तर पर रखा गया और ऑडिट अनियमितताओं को अनुमत समयसीमा के भीतर बंद कर दिया गया।

निरीक्षण और ऑडिट कार्य की मजबूत प्रदर्शन ने गवर्नेंस को सुदृढ़ करने और जोखिम प्रबंधन में सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे बढ़ते हुए, बैंक उन्नत डेटा विश्लेषण और प्रौद्योगिकी-आधारित पर्यवेक्षण को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि बदलते वैश्विक बैंकिंग परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखा जा सके।

सतर्कता

वर्ष 2025-26 के दौरान " कारोबार पहले, सतर्कता निवारक हमेशा की " थीम के साथ , बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सतर्कता निवारक और सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न प्रभावी कदम उठाना जारी रखा है ।

1. **निवारक सतर्कता गतिविधियाँ :** वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित सतर्कता निवारक की पहल गई:

    1. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, डीएफएस, सीवीसी, आरबीआई, सीबीआई और अन्य विभिन्न स्रोतों से कुल 219 शिकायतें प्राप्त हुईं। जहां कहीं भी सतर्कता में ओवरटोन देखी गई, ऐसी शिकायतों को सीवीसी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर तार्किक ढंग से समाप्त किया गया और इस समय कोई भी शिकायत 3 महीने से अधिक लंबित वाली नहीं है।

    2. बैंक ने 24 सीटीई प्रकार के निरीक्षणों की जांच की है और सूचना प्रौद्योगिकी, सामान्य प्रशासन विभाग और अनुषंगी आरआरबी ओडिशा ग्रामीण बैंक द्वारा रखे गए विभिन्न खरीद आदेशों/सेवा आदेशों की जांच की है ।

    3. विभिन्न मामलों पर विषयगत निरीक्षणों की एक शृंखला, अभियान अवधि के दौरान स्वीकृत आवास ऋणों का सत्यापन, उच्च अग्रिम विकास करने वाली शाखाएँ, अनुपालन स्तर आदि की जांच के लिए सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष के दौरान औचक निरीक्षण आदि आयोजित किए गए ।

    4. जमीनी स्तर पर सतर्कता तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीवीओ/अधिकारी ने वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के 16 क्षेत्रों एवं ओडिशा ग्रामीण बैंक (ओजीबी) का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान, मुख्य सतर्कता अधिकारी ने सतर्कता निवारक के महत्व के बारे में वेबेक्स/वीडियो कॉन्फ्रेंस पर क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों, चुनिंदा शाखा प्रमुखों और कुछ शाखाओं को इसकी संवेदनशीलता से अवगत करवाया।

    5. वित्तीय वर्ष 2025-16 के दौरान, वीएडब्ल्यू 2025 के आयोजन के क्रम में शाखाओं/क्षे.का. के अधिकारियों के लिए पूरे भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सिस्टम/प्रक्रियाओं और अनुशासनात्मक कार्यवाही को समय पर पूरा करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त, बैंक के अधिकारियों के साथ-साथ कुछ आरवीओ का नामांकन सीवीसी/विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न सतर्कता प्रशिक्षण कार्ययक्रमों के लिए भी किया गया, जिन्होंने वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। उक्त अवधि के दौरान कुल 3920 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया ।

2. **पूर्वानुमानित सतर्कता**: वर्ष 2025-26 के लिए सभी उच्च और मध्यम जोखिम वाली शाखाओं की के.का निरीक्षण रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की वास्तविक समय के आधार पर जांच की गई और सतर्कता दृष्टिकोण से घटनाओं का संज्ञान बैंक द्वारा उचित कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड पर लाया गया एवं जांच की गई रिपोर्ट का विवरण निम्नवत है:

    - वर्ष 2025-26 के दौरान 4132 समवर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच की गई ।
    - वर्ष 2025-26 के दौरान 3045 केंद्रीय कार्यालय निरीक्षण रिपोर्ट की जांच की गई ।
    - वर्ष 2025-26 के दौरान 1313 सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच की गयी।
    - वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 29330 कर्मचारियों को ऋण, पासपोर्ट, विदेश यात्रा, प्रथम पंक्ति की तैनाती आदि के लिए मंजूरी/स्थिति उपलब्ध कारवाई गई।
    - 177 एसएसी फाइलों की जांच की गयी।
    - 47 धोखाधड़ी फाइलों की जांच की गयी।

3. **दंडात्मक सतर्कता:** बैंक द्वारा अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सतर्कता मामलों और गैर-सतर्कता मामलों के निपटान में कमी आयी है। 31.03.2026 तक विभिन्न स्तरों पर केवल 77 सतर्कता मामले प्रक्रियाधीन हैं और उसमें से 35 मामले के लिए चार्जशीट जारी किए गए थे और शेष 45 मामले के लिए चार्जशीट जारी करने की प्रक्रिया सी-डैक द्वारा प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा 36 महीने से अधिक समय वाला कोई भी मामला लंबित नहीं है । दिनांक 31.03.2026 को कुल निलंबन प्रकरणों की संख्या 14 है। साथ ही, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 66 मामले एबीबीएफएफ को भेजे गए थे, जिनमें से 11 मामलों पर विचार-विमर्श किया गया और उसका निष्कर्ष निकाला गया। शेष 55 मामलों पर आगे विचार-विमर्श के लिए प्रक्रियाधीन है।

4. **सहभागी सतर्कता:** सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर आयोग का संदेश "**सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी**" सभी शाखाओं, देश के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय द्वारा अच्छे से अपनाया गया। ईमानदार और पारदर्शी बने रहने के लिए तथा हमारे कर्मचारियों, ग्राहकों, हितधारकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सतर्कता विभाग ने विभिन्न आंतरिक और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया है। अभियान अवधि के दौरान क्षमता निर्माण, प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन, परिपत्र/दिशानिर्देशों/ मैनुअल का अद्यतन, 30.06.2025 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान गतिशील डिजिटल उपस्थिती पर विशेष ध्यान और व्यापक प्रचार किया गया । हमने आम तौर पर आम जनता को भ्रष्टाचार उन्मूलन और सत्यनिष्ठा को गले लगाने के लिए प्रेरित किया।

संगठन के भीतर आयोजित गतिविधियों/कार्यक्रमों का सार:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडबल्यू) –27.10.2025 से 02.11.2025 तक केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार मनाया गया । सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2025 के दौरान बैंक द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गई ।

आंतरिक सतर्कता जागरूकता गतिविधियां:

ए . सामूहिक प्रतिज्ञा: 27 अक्टूबर 2025 को सामूहिक प्रतिज्ञा केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै में पूर्वाह्न 11:00 बजे लिया गया, जिसमें प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने कार्यपालक निदेशकों, मुख्य सतर्कता अधिकारी, महा प्रबंधकों और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में अंग्रेजी में शपथ दिलाई। हिन्दी में शपथ मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री राजीव कुमार द्वारा दिलवायी गयी। इसी तरह, पूरे भारत में शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों के सभी कर्मचारियों ने एक ही समय में शपथ ली ।

बी. ई-सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा: समय 16 अगस्त 2025 से 15 नवंबर 2025 तक, 1,37,882 से अधिक ग्राहकों ने हमारे साथ खाता खोलते पूरे भारत में हमारी शाखाओं के माध्यम से सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा ली।

सी. ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता: बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों के लिए **15 अक्टूबर, 2025 से 19 अक्टूबर 2025** तक एक अखिल भारतीय ऑनलाइन क्विज़ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी:

डी. कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता: 6 अक्टूबर, 2025 से 18 अक्टूबर, 2025 तक बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से **सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी** विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

ई. धोखाधड़ी की रोकथाम पर सेमिनार: 29 अक्टूबर 2025 को, पूरे भारत में डॉ. संदीप मित्तल, आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी), साइबर अपराध शाखा, तमिलनाडु को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करके एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। भारत के सभी क्षेत्रीय प्रमुख, क्षेत्रीय क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी और क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं के अन्य स्टाफ सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।

वीएडब्ल्यू 2025 के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में संगोष्ठियों व कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सीबीआई, पुलिस आदि की प्रतिष्ठित हस्तियों को आमंत्रित किया गया।

एफ.आइओबी विजिल (त्रैमासिक पत्रिका) का सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 विशेष संस्करण का प्रकाशन: सतर्कता विभाग ने सतर्कता निवारक गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए त्रैमासिक गृह पत्रिका आइओबी विजिल का सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 विशेष संस्करण प्रकाशित किया, जो कार्य प्रोफ़ाइल के सभी स्टाफ सदस्यों के लिए सहायक होगी।

जी. सतर्क आइओबियनों को पुरस्कार एवं सम्मान: 16.08.2024 से 15.08.2025 की अवधि के दौरान बैंक को धोखाधड़ी/हानि से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी कर्मचारियों के लिए पुरस्कार एवं मान्यता हेतु विशेष अभियान शुरू किया गया। अभियान अवधि के दौरान 04 कर्मचारियों को पुरस्कार और प्रशंसा-पत्र प्रदान किए गए।

ii. आउटरीच गतिविधियाँ :

1. **स्काई विज्ञापन**: 27 अक्टूबर, 2025 को एमडी, ईडी व सीवीओ द्वारा केंद्रीय कार्यालय तथा स्टाफ कॉलेज भवन के छत पर तमिल और अंग्रेजी में वीएडब्ल्यू थीम तथा आइओबी के लोगो के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम पर एक स्काई विज्ञापन बलून 40 फीट ऊंचा लगाया गया ।

2. **एअर विज्ञापन**: सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत वीएडब्ल्यू 2025 थीम पर तैयारी की गई जिंगल्स को 7 दिन (27.10.2025 से 02.11.2025 तक) रेडियो चैनलों (बिग एफएम, रेडियो सिटी और रेडियो मिर्ची) पर अंग्रेजी व तमिल में प्रसाारित की गई ।

3. **सीवीओ का रेडियो साक्षात्कार**: मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) का **पाँच** मिनट (300 सेकंड) का साक्षात्कार 30 – 30 सेकंड के दस भागों में विभाजित कर 02.11.2025 को रेडियो में प्रसारित किया गया ।

4. **स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम**: देश भर में वीएडब्ल्यू गतिविधियों में 253 स्कूलों में 19561 छात्र और 64 कॉलेजों में 4986 छात्रों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह में भााग लिया और सामूहिक शपथ ली। इन स्कूलों में आशुभाषण, वाद-विवाद, चित्रकला आदि प्रतियोगिताएं और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गए ।

5. **जागरूकता ग्राम-सभाएँ :** सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान देश भर में 12838 लोगों को शामिल करते हुए 512 ग्रामसभाएं आयोजित की गई और सामूहिक शपथ ली गई ।

6. **संगोष्ठी/कार्यशालाएँ** : देश भर में वीएडब्ल्यू गतिविधियों पर कुल 66 संगोष्ठी/कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें लगभग 3491 लोगों ने भाग लिया और सामूहिक प्रतिज्ञा ली ।

7. **वॉकथॉन**: चेन्नै के मेट्रो और गैर-मेट्रो क्षेत्रीय कार्यालय ने केंद्रीय कार्यालय के सहयोग से 25.10.2025 को बेसेंट नगर बीच-चेन्नै में एक मेगा वॉकथॉन का आयोजन किया।

सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बैंक भर में स्वचालन, प्रणाली एकीकरण, डिजिटल सक्षमता, नियामकीय अनुपालन और परिचालन दक्षता में वृद्धि को लक्षित करते हुए कई रणनीतिक पहलें कीं। लागू की गई प्रमुख पहलों का सारांश निम्नलिखित है:

कोर बैंकिंग आधुनिकीकरण:

पिछले कुछ वर्षों में बैंक ने अपनी कोर बैंकिंग समाधान को सुदृढ़ करने हेतु सचेत रूप से निवेश किया है, ताकि उच्च प्रसंस्करण क्षमता, मिडलवेयर इंटीग्रेशन लेयर्स, डिजिटल चैनल रिडंडेंसी और आपदा पुनर्प्राप्ति तत्परता सुनिश्चित की जा सके। हमारी वर्तमान संरचना केवल मौजूदा लेन-देन मात्रा के लिए ही नहीं, बल्कि खुदरा और डिजिटल वृद्धि से अपेक्षित उल्लेखनीय रूप से अधिक लेन-देन तीव्रता को संभालने के लिए भी डिज़ाइन की गई है।

डेटा सेंटर आधुनिकीकरण:

बैंक ने अब सफलतापूर्वक अपने परिचालन को एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर में स्थानांतरित कर लिया है, जिसे सुरक्षित, विश्वसनीय और भविष्य-उन्मुख डिजिटल अवसंरचना प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह परिवर्तन बैंक की इस प्रतिबद्धता पर बल देता है कि वह निर्बाध बैंकिंग सेवाएँ , उन्नत परिचालन आघात सहनीयता और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करे।

प्राइवेट क्लाउड ट्रांसफ़ॉर्मेशन:

बैंक ने अपने निजी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म आइओबी मेघाद्रि को उन्नत करके अपनी डिजिटल अवसंरचना को और मजबूत किया है, ताकि ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकताओं और बैंक के विस्तृत होते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन किया जा सके। यह उन्नत प्लेटफ़ॉर्म अधिक विस्तार क्षमता, लचीलापन और परिचालन दक्षता प्रदान करता है, जिससे डिजिटल सेवाओं की तेज़ तैनाती और विभिन्न चैनलों पर बेहतर ग्राहक अनुभव संभव हो पाता है।

उन्नत कंप्यूटिंग क्षमताओं और भविष्य-उन्मुख अवसंरचना के साथ, यह प्लेटफ़ॉर्म बैंक की नवाचार पहलों का समर्थन करेगा, जिनमें उन्नत विश्लेषण और एआई-आधारित सेवाएँ शामिल हैं, साथ ही सुरक्षित, निर्बाध और निरंतर परिचालन सुनिश्चित करेगा। यह आधुनिकीकरण परिचालन चपलता और लागत दक्षता को भी बेहतर बनाता है, जिससे बैंक की विश्वसनीय, प्रौद्योगिकी-आधारित बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने और दीर्घकालिक डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन यात्रा को तेज़ करने की प्रतिबद्धता और मजबूत होती है।

विकसित होती व्यावसायिक आवश्यकताओं को समर्थन देने के लिए निर्मित यह डेटा सेंटर उच्च उपलब्धता, विस्तार क्षमता और व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करता है, जिससे बैंक के दीर्घकालिक डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन और विकास की रणनीति के लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है।

जन सुरक्षा नवीनीकरण स्वचालन एवं एपीआई एकीकरण:

जन सुरक्षा योजनाओं का नवीनीकरण और मिलान सुदृढ़ एपीआई एकीकरण के माध्यम से स्वचालित किया गया, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप में उल्लेखनीय कमी आई और प्रीमियम प्रसंस्करण की सटीकता तथा विभिन्न प्रणालियों में डेटा का निर्बाध समन्वय सुनिश्चित हुआ।

निवा बूपा सुपर टॉप अप इंश्योरेंस एकीकरण (आइएनएसपीआरएम):

नए स्वास्थ्य बीमा सुपर टॉप अप उत्पादों को कोर प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया, जिससे प्रीमियम की स्वचालित डेबिटिंग और सरल नामांकन संभव हुआ। इससे ग्राहकों का शीघ्र ऑनबोर्डिंग हुआ और परिचालन दक्षता में सुधार हुआ।

ट्रेडस – बिलों का स्वचालित वसूली:

प्रणाली एकीकरण के माध्यम से ट्रेडस बिलों का स्वचालित प्रस्तुतिकरण और निस्तारण सक्षम किया गया, जिससे प्रसंस्करण समय कम हुआ, मैनुअल हस्तक्षेप समाप्त हुआ और सटीकता एवं दक्षता में वृद्धि हुई।

राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना (एनएससीटीडी):

सरकार समर्थित राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना को प्रणाली में सक्षम किया गया, जिससे ग्राहकों को सुरक्षित निवेश विकल्प उपलब्ध हुए जो लागू सुनिश्चित रिटर्न के साथ-साथ कर लाभ भी प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा योजना (एनएसआरडी):

राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा योजना शुरू की गई, जिससे ग्राहकों को नियमित अंशदान के माध्यम से बचत कराने का अवसर मिला, साथ ही लचीले किस्त विकल्प भी उपलब्ध कराए गए।

जीएसटी चालान अपलोड प्रणाली:

भुगतान से जुड़ी अनिवार्य जीएसटी चालान अपलोड व्यवस्था लागू की गई, जिससे वैधानिक जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित हुआ और पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट की हानि रोकी जा सकी।

एनएससीसीएल से लिंक्ड ई-एफडीआर योजना:

संपार्श्विक प्रबंधन हेतु नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक सावधि जमा (ई-एफडीआर) योजना शुरू की गई, जिसमें प्रणाली सत्यापन, धारणाधिकार मार्किंग और एनएससीसीएल के साथ निर्बाध एकीकरण शामिल है।

दिव्यांगजन स्टाफ हेतु ईज़ सर्वेक्षण:

कार्यस्थल की सुगमता पर दिव्यांगजन स्टाफ से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक विशेष सर्वेक्षण मॉड्यूल लागू किया गया, जिससे अवसंरचना और सुविधाओं में सुधार संभव हुआ।

ई-नीलामी क्यूआर कोड जेनरेटर:

संपत्ति नीलामी सूचीकरण हेतु एक क्यूआर कोड जनरेटिंग टूल विकसित किया गया, जिससे 'स्कैन और व्यू' की त्वरित सुविधा उपलब्ध हुई और हितधारकों के लिए पारदर्शिता तथा सूचना तक पहुँच की सुगमता में सुधार हुआ।

सीआरईडबल्यूआइएन – क्रेडिट कार्ड कैनवसिंग टूल:

क्रेविन, एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड कैनवसिंग प्लेटफ़ॉर्म लागू किया गया, जिससे संरचित ग्राहक ऑनबोर्डिंग संभव हुआ, सहमति प्राप्ति, बिल्ट इन वेलिडेशन और ऑडिट-तैयार ट्रैकिंग तंत्र सुनिश्चित हुए।

मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट (एमएनआरएल) सत्यापन:

मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट (एमएनआरएल) के प्रति प्रणाली स्तर पर सत्यापन शुरू किया गया, जिससे जोखिमपूर्ण मोबाइल नंबरों को चिन्हित किया जा सके और ग्राहक डेटा अद्यतन के दौरान समुचित सावधानी लागू की जा सके।

किसान एवं ऋण वर्गीकरण संवर्धन:

स्वचालित किसान श्रेणीकरण और गतिविधि मानचित्रण के माध्यम से कृषि ऋण वर्गीकरण को सुदृढ़ किया गया, जिससे एमआईएस की सटीकता में सुधार हुआ और नियामकीय रिपोर्टिंग बेहतर हुई।

ट्रेड्स बिल वसूली का स्वचालित सत्यापन:

एनएसीएच क्रेडिट डेटा का उपयोग करके बिलों की पहचान, वसूली और सत्यापन को स्वचालित करने हेतु ट्रेड्स एकीकरण को और उन्नत किया गया, जिससे मैनुअल सत्यापन प्रयासों में कमी आई और डेटा की सटीकता में सुधार हुआ।

निवा बूपा सुपर टॉप अप बीमा का एकीकरण :

नई स्वास्थ्य बीमा सुपर टॉप अप योजना को कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया जिससे प्रीमियम की स्वचालित कटौती तथा नामांकन प्रक्रिया का सरलीकरण संभव हुआ, इससे ग्राहकों को तीव्रता से जोड़ने में सुविधा हुई तथा परिचालन दक्षता में सुधार हुआ ।

एपीआई के माध्यम से निवा बूपा एसएचजी नामांकन:

नई स्वास्थ्य बीमा सुपर टॉप उप उत्पाद के साथ कोर पद्धति स्वत किस्त डेबिट समर्थित और सरलीकृत पंजीयन एकीकृत है, जिससे डेटा का स्वतः भरण और त्वरित पॉलिसी जनरेशन संभव हुआ।

अन्य बैंक खातों में एफडी ब्याज जमा:

अन्य बैंकों में रखे खातों में मीयादी जमा (एफडी) ब्याज क्रेडिट करने की सुविधा उचित सत्यापन नियंत्रणों के साथ सक्षम की गई, जिससे ग्राहक सुविधा बढ़ी और मैनुअल प्रसंस्करण न्यूनतम हुआ।

डिजिटल बैंकिंग:

समकालीन बैंकिंग परिदृश्य में, निर्बाध डिजिटल एकीकरण और वास्तविक समय पर आधारित डेटा-प्रेरित समाधान श्रेष्ठ ग्राहक अनुभव के मानक बन गए हैं। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अपने ग्राहकों को हर संपर्क बिंदु पर सहज और निर्बाध बैंकिंग का आनंद दिलाने हेतु विश्वस्तरीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की प्रतिबद्धता पर दृढ़ है।

हमारे वैकल्पिक वितरण चैनलों (एडीसी 'यों) का सुदृढ़ नेटवर्क हमारी 24/7 सेवा उपलब्धता की रीढ़ है, जो पारंपरिक ईंट-गारे आधारित बैंकिंग की सीमाओं से परे है। यह डिजिटल कोर उच्च-प्रौद्योगिकी एटीएम और कैश रीसाइक्लरों की विस्तृत शृंखला द्वारा समर्थित है, जिसे बहु-कार्यात्मक कियॉस्क और उच्च मांग वाली सेवाओं के एक समूह द्वारा पूरक किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

- **नेक्स्ट-जेन प्लेटफ़ॉर्म:** उन्नत इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग इंटरफेस।
- **त्वरित भुगतान:** एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और भीम आइओबी यूपीआई ऐप के माध्यम से निर्बाध भुगतान।
- **मर्चेंट समाधान:** उन्नत पीओएस पारिस्थितिकी तंत्र, वॉयस-आधारित क्यूआर तकनीक और आइओबी पे।
- **गतिशीलता एवं लॉजिस्टिक्स**: फास्टैग और डिजिटल ट्रांज़िट समाधानों का एकीकरण किया गया। हमारे बैंक ने विशेष रूप से ट्रांज़िट उद्देश्यों के लिए मोबाइल ऐप – आइओबी यात्रा भी लॉन्च किया।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अपने 'डिजिटल-फर्स्ट' दर्शन के माध्यम से बैंकिंग नवाचार और व्यवसायिक विस्तार को नई दिशा देने में अग्रणी रहा है। हमने उन्नत डू-इट-योरसेल्फ (डीआइवाई) प्रक्रियाओं के जरिए ग्राहक जीवनचक्र को सफलतापूर्वक स्वचालित किया है, जिससे तत्काल खाता खोलना, डिजिटल ऋण सुविधा, तथा क्रेडिट कार्ड और पैरा-बैंकिंग सेवाओं की रियल-टाइम स्वीकृति संभव हो पाई है।

बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अपनी चल रही डिजिटल यात्रा को एक नए उच्च स्तर तक पहुंचाया है और आगामी वित्त 2026-27 में भी इसे और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है । हमारा ध्यान उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ग्राहक सहभागिता को घनिष्ठ करने, डिजिटल ऑनबोर्डिंग को अनुकूलित करने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि आइओबी भारत की डिजिटल बैंकिंग क्रांति के अग्रणी मोर्चे पर बना रहे।

बैंक द्वारा प्रदान प्रदत्त विभिन्न डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का सारांश इस प्रकार है:

बैंक की एटीएम, कैश रिसाइक्लर और पासबुक कियॉस्क सेवाएं:

31.03.2026 तक बैंक के पास कुल 3651 कैश मैनेजमेंट मशीनों का नेटवर्क है, जिनमें 805 एटीएम और 2846 कैश रिसाइक्लर शामिल हैं। इन मशीनों में से 2916 ऑनसाइट स्थित है, जबकि शेष 735 ऑफसाइट स्थित है । बैंक सुनिश्चित करता है कि उसके सभी एटीएम और कैश रिसाइकलरों में पर्याप्त नकदी उपलब्ध हो, ताकि ग्राहकों को 24x7 निरंतर एटीएम सेवाएँ मिलती रहे ।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1200 नए मल्टीफंक्शनल कियोस्क और 600 नए कैश रीसाइक्लर स्थापित किए। पासबुक कियोस्क पर कई अतिरिक्त गैर-वित्तीय सेवाएँ लागू की गईं, जिससे वे बहु-कार्यात्मक बन गए। पासबुक प्रिंटिंग के अलावा, ग्राहक इन कियोस्क का उपयोग बैलेंस इन्क्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ईमेल के माध्यम से अकाउंट स्टेटमेंट, सामान्य खाता जानकारी, बचत बैंक खाता जानकारी, चालू खाता जानकारी, सावधि जमा खाता जानकारी, ऋण खाता जानकारी, डेबिट कार्ड और चेकबुक अनुरोध सेवाओं आदि के लिए भी कर सकते हैं।

कॉरपोरेट वेबसाइट:

बैंक ने अपने 90वें स्थापना दिवस 10.02.2026 पर नया कॉरपोरेट वेबसाइट लॉन्च किया। इस नए वेबसाइट में उच्च गुणवत्ता वाला यूज़र इंटरफ़ेस और यूज़र एक्सपीरियंस है तथा त्वरित प्रतिक्रिया और बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया गया है।

डेबिट एवं प्रीपेड कार्ड्स:

- एटीएम, पीओएस मशीनों और ऑनलाइन माध्यम से वित्तीय लेन-देन करने के लिए डेबिट कार्ड एक प्रमुख माध्यम है।
- ग्राहकों की अनिश्चितताओं को पूरा करने के लिए, बैंक रुपे, वीज़ा और मास्टरकार्ड ब्रांडों के तहत दस से अधिक विभिन्न प्रकार उपलब्ध है।
- कार्ड के प्रत्येक प्रकार को विशिष्ट ग्राहक वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्ड के प्रकारों

में क्लासिक, गोल्ड, प्लैटिनम, सिग्नेचर, सेलेक्ट आदि शामिल है। सभी प्रकार के कार्ड एनसीएमसी सक्षम एनएफसी कार्ड हैं।

- सरकारी योजना से संबंधित विशिष्ट कार्ड जैसे पीएमजेडीवाई कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड आदि भी ग्राहक के लिए उपलब्ध हैं ।
- इंस्टा कार्ड (ग्राहक के नाम के बिना) और वैयक्तिकृत कार्ड (ग्राहक के नाम के साथ) दोनों ग्राहकों की पसंद के अनुसार उपलब्ध करवाए जाते हैं।
- उपयोग में आसानी के लिए ग्राहकों द्वारा डेबिट कार्ड का स्व-सक्रियण, विभिन्न चैनलों के माध्यम से ग्रीन पिन जेनरेशन (पीएमजेडीवाई, केसीसी, एनआरओ सहित सभी प्रकार के कार्डों के लिए) के माध्यम से पिन बदला जा सकता है।
- इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आइओबी वेबसाइट, संपर्क केंद्र और बैंक की शाखाओं के माध्यम से कार्ड धारकों के लिए विभिन्न स्वयं-सेवा सुविधाएं जैसे ई-कॉम को सक्षम/अक्षम करना, अंतरराष्ट्रीय लेन-देन को सक्षम/अक्षम करना, विभिन्न प्रकार के लेनदेन के लिए अलग-अलग कार्ड सीमा निर्धारित करना, डेबिट कार्ड को ब्लॉक के सुविधा उपलब्ध है ।
- फ़ाइल पर कार्ड (टोकनीकरण) सक्षम है।
- संपर्क रहित लेन-देन के लिए रुपे की नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सुविधाा के साथ कार्ड जारी किए जाते हैं ।
- कार्ड धारकों को नेट बैंकिंग और आइओबी एटीएम के माध्यम से कार्ड सक्रिय करने की सुविधा प्रदान की गई है ।
- ग्रीन पिन पीएमजेडीवाई/केसीसी/एनआरओ/एनआरई और इंस्टा कार्ड ग्राहकों सहित सभी प्रकार के खातों के लिए सक्षम है ।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने मास्टरकार्ड के दो नए वेरिएंट — मास्टर प्लेटिनम और वर्ल्ड — पेश किए।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने एक नए प्रीपेड कार्ड सेवा प्रदाता को ऑनबोर्ड किया और चेन्नै मेट्रो तथा मद्रास ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में केवल ट्रांज़िट हेतु नो केवाईसी एनसीएमसी कार्ड जारी करना शुरू किया।
- बैंक ने आइओबी ईसीओ योजना के अंतर्गत पर्यावरण-अनुकूल डेबिट कार्ड और दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड पेश किए।
- एटीएम के माध्यम से फरगॉट पिन और री-केवाईसी की सुविधा लागू की गई।
- ग्राहक शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु यूडीआइआर को लागू किया गया।
- हमारे बैंक ने वीज़ा ब्रांड के अंतर्गत बिज़नेस कार्ड लॉन्च किया।

क्रेडिट कार्ड

- क्रेडिट कार्ड वित्तीय लेन-देन करने का एक प्रमुख साधन है, जिसका उपयोग पीओएस मशीनों, ऑनलाइन लेन-देन और एटीएम नकद निकासी में किया जाता है।
- बैंक रूपे और वीज़ा प्रकार के क्रेडिट कार्ड जारी करता है, जिनमें क्लासिक, प्लेटिनम, सिग्नेचर और सेलेक्ट वेरिएंट शामिल हैं।
- बैंक अब प्री-अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड और फिक्स्ड डिपॉज़िट समर्थित क्रेडिट कार्ड ग्राहक सेल्फ-ऑनबोर्डिंग के माध्यम से जारी कर रहा है।
- फिक्स्ड डिपॉज़िट के प्रति सह-ब्रांडेड सुरक्षित क्रेडिट कार्ड का निर्गम किया गया है।
- अब कार्ड ग्राहकों के पते पर भेजे जाते हैं और कार्ड सक्रियण एसएमएस के माध्यम से किया जा सकता है।
- रूपे क्रेडिट कार्ड के लिए यूपीआई पर ऐड-ऑन कार्ड की सुविधा सक्षम की गई है।
- बैंक अब पीएम-स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी जारी कर रहा है।

मोबाइल बैंकिंग:

- आइओबी मोबाइल बैंकिंग ऐप उपयोगकर्ता के अनुकूल और व्यापक एमबी ऐप्स में से एक है ।
- यह एंड्रॉयड और आइओएस दोनों उपकरणों में उपलब्ध है ।
- उत्पाद में सभी उन्नत विशेषताएं हैं, जैसे:

  ए) शाखा में आए बिना स्व-पंजीकरण

  बी) बढ़ी हुई सुरक्षा और पहुंच के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण/ फेस रिकग्निशन (आइओएस) का उपयोग करके लॉग इन करें ।

  सी) सक्रिय डेबिट कार्ड विवरण या आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से एम-पिन सेट करें।

  डी) व्यापक फंड ट्रांसफर मॉड्यूल लागू किया गया है, जो सभी चैनलों को कवर करता है — इंट्रा बैंक, आइएमपीएस,

एनईएफटी और आरटीजीएस, जिसमें लाभार्थी जोड़ने के लिए 'कूलिंग पीरियड' भी शामिल है ।

ई) 360° यूपीआई सुविधा लागू की गई है, जिसमें कलेक्ट रिक्वेस्ट और यूपीआई लाइट शामिल हैं।

एफ) ग्राहक अपने अन्य बैंक खातों को जोड़कर खाता विवरण और लेन-देन देख सकते हैं।

जी) आरडी और ऋण खातों के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन/ऑटो पेमेंट सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

एच) इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के बीच आदाता सिंक करने की सुविधा सक्षम की गई है।

आई) डेबिट कार्ड के लिए आवेदन, रिप्लेसमेंट, अपग्रेड, प्रबंधन, नया पिन सेट/रीसेट और पुराना पिन बदलने की सुविधा उपलब्ध है।

जे) एएसबीए – आईपीओ आवेदन की सुविधा लागू की गई है, जिसमें ग्राहक अपने लगाए गए आइपीओ को देख और वापस ले सकते हैं।

के) ऋण पुनर्भुगतान और व्यापक बिल भुगतान विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।

एल) क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान और क्रेडिट कार्ड एसडीके इंटीग्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

एम) पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई बीमा नामांकन की सुविधा शुरू की गई है।

एन) एमपासबुक सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से ग्राहक खाता विवरण देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

ओ) जमा खातों का खोलना, बंद करना और नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध है।

पी) 444 दिनों की अवधि सहित जमा खोलना, नवीनीकरण, प्री-क्लोज़र और क्लोज़र की सुविधा दी गई है।

क्यू) ग्राहक अपने खातों से संबंधित सभी विवरण जनरेट कर सकते हैं।

आर) एईपीएस लेन-देन को सक्षम/अक्षम करने की सुविधा उपलब्ध है।

एस) मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन अब 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।

टी) मोबाइल बैंकिंग के साथ स्केन एंड पे सुविधा एकीकृत की गई है।

यू) शिकायत और धोखाधड़ी रिपोर्टिंग की सुविधा उपलब्ध है।

वी) स्वयं संचालित बचत बैंक खातों में नामिनी जोड़ने और नामिनी विवरण देखने की सुविधा दी गई है।

डबल्यू) स्टेप-अप आरडी खोलने की सुविधा उपलब्ध है।

एक्स) पीपीएफ, एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई जैसी सरकारी योजनाएँ खोलने की सुविधा दी गई है।

वाई) आइओबी सुरक्षा ऑनबोर्डिंग की सुविधा शुरू की गई है।

ज़ेड) ग्राहक अपने पसंदीदा स्टोर पर कपड़े, एक्सेसरीज़, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत कुछ खरीद सकते हैं, साथ ही अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट्स भी प्राप्त कर सकते हैं।

इंटरनेट बैंकिंग

वर्तमान में हमारा बैंक अत्याधुनिक इंटरनेट बैंकिंग सुविधाओं की ओर माइग्रेशन चरण में है, जो ग्राहकों को निर्बाध अनुभव प्रदान करती हैं।

- जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, बैलेंस पूछताछ, लेनदेन विवरण, एनईएफटी/आरटीजीएस/आइएमपीएस आदि का उपयोग करके फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन टैक्स और यूटिलिटी बिल भुगतान, बिल भुगतान, प्रीपेड कार्ड का टॉप अप और क्रेडिट कार्ड भुगतान करना ।
- इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है ।
- जमा राशि पर डिमांड ऋण प्राप्त करने की सुविधा।
- इंटरनेट बैंकिंग में सिंगापुर के लिए विदेशी जावक प्रेषण सक्षम ।
- शाखा में जाए बिना पीपीएफ खाता खोलें ।
- डेबिट कार्ड (खुदरा) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और स्व-सक्रियण।
- जमाओं को खोलना/बंद करना/उनका नवीनीकरण करना।
- अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक/अनब्लॉक/अपग्रेड/ग्रीन पिन सेट करें/अधिकतम सीमा बदलें ।
- एनपीएस, एसजीबी, पीपीएफ आदि सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करें/स्थिति देखें।

- खुदरा और कॉरपोरेट दोनों के लिए आइपीओ (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश) के लिए आवेदन करें ।
- ई-स्टेटमेंट, जमा/ऋण ब्याज प्रमाणपत्र आदि डाउनलोड करें ।
- एइपीएस सक्षम/अक्षम करें ।
- नेट बैंकिंग के माध्यम से वीएएन आइडी (मेरा नाम ही मेरी खाता संख्या) में निधि अंतरण ट्रांसफर करें।

भीम आइओबी यूपीआई

- बैंक ने वर्ष 2016 में अपना भीम आइओबी यूपीआइ ऐप शुरू किया।
- बैंक ने भीम आइओबी यूपीआइ (2017 में यूपीआइ 1.0 और 2021 में यूपीआइ 2.0 के साथ) लॉन्च किया ।
- वित्त वर्ष 2023-24 में बैंक ने भीम आइओबी यूपीआइ ऐप के अभिन्न अंग के रूप में यूपीआइ लाइट ऐप पेश किया; यूपीआइ लाइट ऐप का उपयोग करके ग्राहक तुरंत 1000 रुपये तक का प्रति भुगतान बिना यूपीआइ पिन के कर सकते हैं।
- संशोधित भीम आइओबी यूपीआइ एप्लिकेशन को सरलीकृत यूजर इंटरफेस और बेहतर डिजिटल अनुभव के साथ अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया ।
- यूपीआइ आइडी, खाता संख्या और आइएफएससी का उपयोग करके और किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान करें ।
- यूपीआइ नंबर कार्य क्षमता वाले किसी भी मोबाइल नंबर से भुगतान करें।
- राशि प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट मनी सुविधा का उपयोग करें।
- आवर्ती भुगतान के लिए यूपीआइ स्थायी निर्देश देने की सुविधा ।
- डेबिट कार्ड या आधार कार्ड का उपयोग करके यूपीआइ पिन सेट/रीसेट करें।
- एकाधिक खातों के मामले में स्व-अंतरण सुविधा ।
- तेजी से भुगतान के लिए आदाता जोड़ें।
- व्यापारी की दैनिक गतिविधियों को सरल बनाने के लिए 2023 में बहुभाषी साउंड बॉक्स सुविधा और आइओबी यूपीआइ व्यापार एप्लिकेशन लॉन्च किया गया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागू की गई नई सुविधाएँ और उन्नयन:

- यूपीआई वित्तीय लेन-देन को अपग्रेडेड यूपीआई इशूअर स्विच वर्ज़न 4.0 पर माइग्रेट किया गया।
- यूपीआई पर क्रेडिट लाइन को इश्यूअर के रूप में शुरू किया गया।
- मुंबई मेट्रो लाइन 1 के 12 स्टेशनों पर यूपीआई मर्चेंट क्यू कोड लाइव किए गए।
- मुंबई मेट्रो के लिए आइओबी यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया।
- आइओबी कनेक्ट ऐप में रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई पर एक्वायर के रूप में सक्षम किया गया।
- आइओएस उपयोगकर्ताओं के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ आइओबी यूपीआई व्यापर एप्लिकेशन लॉन्च किया गया।
- यूपीआई के माध्यम से एनसीपीसी प्रीपेड कार्ड रिचार्ज की सुविधा शुरू की गई।
- ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 उत्पादों के पायलट लॉन्च में साझेदारी की गई।
- कई संस्थाओं के साथ डायनेमिक/स्टैटिक क्यूआर का एकीकरण किया गया।

आरटीजीएस/एनईएफ़टी

- ग्राहक और इंटर बैंक लेन-देन के लिए उपलब्ध है।
- ग्राहक मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी चैनल और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी और आरटीजीएस का लाभ उठा सकते हैं।
- एनईएफटी और आरटीजीएस चैनल 24 X 7 कार्यरत है।
- बचत खाता ग्राहक के लिए ऑनलाइन मोड (अर्थात इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग) के माध्यम से शुरू किए गए

एनईएफटी लेन-देन के लिए एनईएफटी को शुल्क रहित कर दिया गया है।

आइओबी पे

- यह एक एकीकृत ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है जो शुल्क भुगतान, मर्चेंट भुगतान, धर्मार्थ संस्थानों के लिए दान आदि प्रदान करती है। यह हमारे बैंक के मर्चेंट ग्राहकों के लिए भुगतान एकत्र करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है।

- सेवाएँ एकीकृत एग्रीगेटर्स के साथ देशीय विकसित उत्पादों के माध्यम से/सीधे पीजी एग्रीगेटर्स के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

- बैंक ने हाल ही में हमारे बैंक के व्यापारी ग्राहकों को भुगतान गेटवे प्रदान करने के लिए ईओआइ प्रक्रिया के माध्यम से 10 (दस) पीजी एग्रीगेटर्स को सूचीबद्ध किया है। इससे बैंक को कॉरपोरेट मर्चेंट को वेबसाइट/बिना वेबसाइट के अनुकूलित मोबाइल एप्लिकेशन/ईआरपी आदि प्रदान करके उद्योग मानक भुगतान गेटवे समाधान प्रदान करने में मदद मिलेगी ।

- 31.03.2026 तक आइओबी पे के लिए 1717 व्यापारियों को ऑनबोर्ड किया गया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 30 शीर्ष सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बैंक द्वारा आइओबी पे के लिए ऑनबोर्ड किया गया है। इनमें देश के विभिन्न राज्यों से ग्रेटर चेन्नै कॉरपोरेशन, भारत सरकार का आइसीईजीएटीई पोर्टल, भारत सरकार का जीएसटी पोर्टल, भारत सरकार का सीबीडीटी पोर्टल, लखनऊ विकास प्राधिकरण, पुणे महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदि शामिल हैं।

- बैंक कई अन्य डिजिटल बैंकिंग भुगतान समाधान भी प्रदान करता है, जैसे प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीन (पीओएस), नए ग्राहकों को रेडी टू यूज़ क्यूआर कोड के माध्यम से क्यूआर कोड सक्षम भुगतान, वॉयस मैसेज आधारित क्यूआर कोड हैंडसेट, राजमार्ग टोल के लिए प्रीपेड स्टिकर के लिए आइओबी फास्टैग के मध्यम से शुल्क भुगतान आदि ।

समग्र डिजिटल पैठ:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कुल मिलाकर 98.38% लेन-देन डिजिटल चैनलों के माध्यम से संपन्न हुए। साथ ही, डिजिटल लेन-देन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 28% बढ़े हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियाँ :

1. नया उपयोगकर्ता-अनुकूल, व्यापक एवं यूपीआई समर्थित मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन –आइओबी कनेक्ट एंड्रॉइड और आइओएस दोनों में लॉन्च किया गया।
2. अत्याधुनिक कॉरपोरेट वेबसाइट का शुभारंभ किया गया।
3. ग्राहक सुविधा को बढ़ाने हेतु 1200 बहु-कार्यात्मक कियोस्क स्थापित किए गए, जिनमें पासबुक प्रिंटिंग, स्टेटमेंट अनुरोध, डेबिट कार्ड सेवाएँ, चेकबुक सेवाएँ आदि जैसी विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं।
4. साथ ही, विभिन्न स्थानों पर नए कैश रीसाइक्लर्स स्थापित करके हमारे एटीएम नेटवर्क को और सुदृढ किया गया।
5. ग्राहक सुविधा के लिए क्रेडिट कार्ड एप्लिकेशन में नए डीआइवाई जर्नी लॉन्च किए गए।
6. एनसीएमसी श्रेणी के अंतर्गत ट्रांज़िट प्रीपेड कार्ड पेश किया गया।

आगे की डिजिटली राह:

वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत मौजूदा उत्पादों की कार्यक्षमताओं के उन्नयन से होगी, ताकि हमारे वैकल्पिक वितरण चैनलों के ग्राहकों को नई और आकर्षक सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

बैंक यूपीआई एक्वायर स्विच पर अपग्रेड करने, भीम आइओबी यूपीआई और आइओबी यूपीआई व्यापार एप्लिकेशन के नए और उन्नत संस्करण लॉन्च करने तथा यूपीआई के साथ पीए/पीजी इंटीग्रेशन की योजना बना रहा है।

इस वर्ष आइओबी कनेक्ट मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन कॉरपोरेट मोबाइल बैंकिंग को भी सपोर्ट करेगा।

ग्राहकों की सुविधा के लिए इस वर्ष भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त 1069 कैश रीसाइक्लर और 450 पासबुक कियोस्क स्थापित किए जाएंगे।

बैंक प्रीपेड कार्ड समाधान को और बेहतर बनाएगा, जिसके अंतर्गत ग्राहकों को पूर्ण केवाईसी वाले प्रीपेड कार्ड वर्तमान नो केवाईसी कार्ड के अतिरिक्त भी जारी किए जा सकेंगे, । बैंक ने कई फिनटेक कंपनियों के साथ एकीकरण किया है ताकि सुरक्षित क्रेडिट कार्ड ऑनबोर्डिंग यात्राएँ प्रदान की जा सकें और क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को अधिक ऑफ़र उपलब्ध कराए जा सकें।

बैंक के कुल आईटी बजट में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा डिजिटल भुगतान समाधानों में निर्बाध अनुभव प्रदान करने और विभिन्न शाखा उत्पादों के डिजिटलीकरण के लिए निर्धारित किया गया है। चूँकि डिजिटल अनुभव ग्राहकों के विश्वास और आत्मविश्वास के साथ होना चाहिए, इसलिए डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा में निरंतर अनुसंधान एवं विकास किया जाएगा और इस संबंध में आवश्यक पूँजी और राजस्व निवेश भी किए जाएंगे।

उद्यम डेटा प्रबंधन

दिसम्बर 2024 में, बैंक में एक नया विभाग उद्यम डाटा प्रबंधन के रूप में स्थापित किया, जो आइबीए परिचालन समिति की सिफारिशों के अनुरूप और बैंक की डेटा गवर्नेंस नीति के अनुपालन में की गई। इस विभाग को डेटा प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने और डेटा प्रबंधन पहलों के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए कार्यप्रणालियाँ प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, ईडीएमडी बैंक में डेटा प्रबंधन मानकों को लागू करने, उनका पालन सुनिश्चित करने और उन्हें सुगम बनाने के लिए उत्तरदायी है।

उद्यम डेटा प्रबंधन विभाग (ईडीएम) विभाग ने अप्रैल–मई 2025 में परिचालन प्रारंभ किया। इसे बैंक के डेटा को 25 पहचाने गए मानकों पर शुद्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया, जिन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: ग्राहक, जमा और ऋण । 31 मई 2025 तक लंबित अभिलेखों की कुल संख्या 46.73 लाख थी। इस पहल का समर्थन करने के लिए, ईडीएमडी ने मेसर्स बॉस्टर कंसल्टिंग ग्रुप के सहयोग से एक समर्पित डेटा क्वालिटी इंडेक्स (डीक्यूआई) यूटिलिटी विकसित की, जिसके बाद इसे बैंक के आइओबी ऑनलाइन में अपलोड किया गया।

सभी शाखा और क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) उपयोगकर्ताओं को डीक्यूआई यूटिलिटी तक पहुँचने के लिए वैयक्तिक लॉगिन प्रदान किए गए। शाखाओं द्वारा सुधार हेतु कुल 46.73 लाख अभिलेख पोर्टल पर अपलोड किए गए। वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंत तक, अर्थात् 31 मार्च 2026 तक, लंबित अभिलेखों में से 99.25% का सफलतापूर्वक सुधार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बैंक के समग्र डेटा गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

बैंक की डेटा गवर्नेंस नीति के संरक्षक के रूप में, एंटरप्राइज डेटा मैनेजमेंट विभाग (ईडीएमडी) इसके कार्यान्वयन को सुगम बनाता है और उपयोगकर्ता विभागों, आईटी विभाग, निरीक्षण विभाग तथा सूचना सुरक्षा विभाग जैसे प्रमुख हितधारकों के सहयोग से अनुपालन सुनिश्चित करता है। डेटा गवर्नेंस की निगरानी और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने के लिए एक बहु-स्तरीय समिति संरचना स्थापित की गई है, जिसमें **क्षेत्रीय स्तर डेटा गवर्नेंस समिति (आरएलडीजीसी)** क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय प्रमुखों द्वारा संचालित होती है, **केंद्रीय कार्यालय स्तरीय डेटा गवर्नेंस समिति (एसएलसीडीजीसी)** केंद्रीय कार्यालय में वरिष्ठतम जीएम–क्रेडिट वर्टिकल द्वारा संचालित होती है और **शीर्ष स्तर डेटा गवर्नेंस समिति (एलडीजीसी)** शीर्ष स्तर पर कार्यपालक निदेशक द्वारा संचालित होती है। इन समितियों की बैठकें नीति ढांचे के अनुसार क्रमशः मासिक, द्वि-मासिक और त्रैमासिक रूप से आयोजित की जाती हैं। यह संरचित गवर्नेंस तंत्र बैंक के डेटा गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने में सहायक सिद्ध हुआ है।

सूचना सुरक्षा

- बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूचना सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति, डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण नीति, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन नीति, साइबर संकट प्रबंधन योजना, व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा पुनर्प्राप्ति योजना लागू है।
- बैंक का सूचना सुरक्षा विभाग आईएसओ 27001:2022 से प्रमाणित है जो सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए एक मान्य मानक है।
- बैंक ने पीसीआई-डीएसएस 4.0 प्रमाणन प्राप्त किया है। पीसीआई डीएसएस का अर्थ है भुगतान कार्ड उद्योग डेटा सुरक्षा मानक। यह सुरक्षा मानकों का एक सेट है जिसे कार्डधारकों के भुगतान कार्ड डेटा की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है और भुगतान कार्ड डेटा को संसाधित, संग्रहीत या संचारित करने वाले संगठनों द्वारा कार्डधारक की जानकारी के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करता है।
- अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों के साथ निवारक और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए एक सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) 24*7*365 दिन संचालित रहता है।
- उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तिमाही में नियमित डीआर अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं।
- बैंक ने ग्राहकों, कर्मचारियों और वेंडर्स के लाभ के लिए बैंक की वेबसाइट, आंतरिक परिपत्रों, पोस्टरों, एसएमएस, एटीएम कियॉस्क, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और सोशल मीडिया हैंडल (फेसबुक, ट्विटर आदि) के माध्यम से शैक्षणिक शृंखलाओं के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता का प्रसार किया है।
- बैंक ने ग्राहक, कर्मचारियों और वेंडर्स के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बैंक की वेबसाइट, सोशल मीडिया खातों जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि में साइबर सुरक्षा जागरूकता वीडियो भी अपलोड किए हैं।
- बैंक ने सभी स्टाफ सदस्यों और तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं को साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण दिया है।
- बैंक के पास सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत बीसीपी/डीआर के साथ एक आकस्मिक योजना है।
- बैंक ने बैंक के आईटी वातावरण को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर गहन सुरक्षा को लागू किया है।

सरकारी लेखा

केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सरकारी एजेंसी व्यवसाय व्यवस्था हेतु मान्यता

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, हमारे बैंक को निम्नलिखित केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/संस्थानों द्वारा सरकारी एजेंसी व्यवसाय संभालने हेतु मान्यता प्रदान की गई:

1. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)
2. महालेखाकार (सीजीए)
3. सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान (आइएनजीएएफ)

उपरोक्त मान्यताओं के अनुसार, हमारे बैंक ने एमओएचयूए के लिए एजेंसी बैंकिंग परिचालन 01.12.2025 से तथा सीजीए एवं आइएनजीएएफ के लिए 01.03.2026 से प्रारंभ कर दिए हैं।

प्रत्यक्ष कर संग्रह:

बैंक प्रत्यक्ष करों की वसूली के लिए अधिकृत बैंक है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, हमारे बैंक ने पेमेंट गेटवे (पीजी) के माध्यम से प्रत्यक्ष करों के भुगतान की सुविधा 16.12.2025 से सक्षम की है। तदनुसार, अब हमारे बैंक में प्रत्यक्ष कर संग्रहण की सुविधाएँ निम्नलिखित माध्यमों से उपलब्ध हैं:

- इंटरनेट बैंकिंग
- काउंटर पर (ओटीसी) मोड सभी शाखाओं में
- पेमेंट गेटवे (पीजी) मोड

वर्ष के दौरान, बैंक ने कुल ₹12,549.65 करोड़ के लेन-देन निपटाए और ₹1.22 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।

अप्रत्यक्ष कर संग्रह:

बैंक अप्रत्यक्ष करों जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर की वसूली (जीएसटी) के लिए अधिकृत बैंक है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के भुगतान की सुविधा पेमेंट गेटवे के माध्यम से 19.08.2025 से सक्षम की तथा जीएसटी के लिए पीजी सुविधा 17.10.2025 से प्रारंभ की।

तदनुसार, अब हमारे बैंक में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण की सुविधाएँ निम्नलिखित माध्यमों से उपलब्ध हैं:

- इंटरनेट बैंकिंग
- काउंटर पर (ओटीसी) मोड (केवल जीएसटी हेतु) सभी शाखाओं में
- पेमेंट गेटवे (पीजी) मोड

वर्ष के दौरान, बैंक ने कुल ₹15,356.18 करोड़ के अप्रत्यक्ष कर लेन-देन प्रबंधित किए और ₹1.06 करोड़ का कमीशन आय अर्जित किया।

पेंशन का भुगतान:

बैंक केंद्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे, पोस्टल स्टेट सिविल, टीएनईबी, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट, टीएनएसटीसी तमिलनाडु के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा और मलेशियाई सरकार पेंशन से संबंधित पेंशनभोगियों को सेवा प्रदान कर रहा है।

उपर्युक्त में से, हमारा केंद्रीयकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी), केंद्रीय सरकार के विभागों जैसे सिविल, रक्षा, रेलवे, और पोस्टल के साथ पॉण्डिचेरी स्टेट सरकार पेंशनर्स के लिए संवितरित करता है। जिसमें 31.03.2026 तक पेंशन खातों की कुल संख्या 33,255 है। बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसी पेंशन के लगभग रु. 1,445.45 करोड़ रुपये वितरित किए हैं । वर्ष के दौरान बैंक ने 3.65 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया है।

अन्य ट्रेज़री एवं संचालित सेवाएं:

बैंक विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से राजस्व संग्रहण के लिए अधिकृत है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने ₹6,184.87 करोड़ का राज्य सरकार राजस्व संग्रहित किया। इसके अतिरिक्त, हमारा बैंक योजना आयोग और दूरसंचार विभाग के खातों का संचालन करता है।

साथ ही, बैंक तमिलनाडु में डाकघर विभाग की ओर से एजेंसी बैंकिंग व्यवसाय भी संचालित कर रहा है, जिसके अंतर्गत 90 शाखाओं के माध्यम से आहरण और जमा परिचालन की सुविधा प्रदान की जा रही है।

लघु बचत योजनाएँ:

बैंक भारत सरकार की लघु बचत योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004, लोक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और वर्ष 2025-26 के दौरान हमारे बैंक ने 53124 नए खाते खोलें ।

हमारे बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान निम्नलिखित पाँच लघु बचत योजनाएँ लागू की हैं:

1. किसान विकास पत्र (केवीपी)
2. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)

3. राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा

4. राष्ट्रीय बचत सावधि जमा

5. राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, हमारे बैंक ने लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत लगभग **₹2,060.32 करोड़** की सदस्यता का योगदान किया।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:

हमारे बैंक की सभी शाखाओं को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत ऑनबोर्डिंग और सदस्यता के लिए सक्षम किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने कुल 25,981 नए एनपीएस खाते खोले, जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा निर्धारित 15,000 खातों के लक्ष्य से कहीं अधिक है। हमारे बैंक ने ट्रिपल ई अभियान (20.05.2025 से 31.07.2025) में पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 124% और एनपीएस दिवस – एनपीएस ज़रूरी है अभियान (16.09.2025 से 18.10.2025) में 117% लक्ष्य हासिल किया।

सरकारी कारोबार कक्ष

बैंक ने सभी प्रमुख राज्य राजधानियों में सरकारी व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से 23 सरकारी कारोबार कक्ष स्थापित किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, जीबीसी टीमों ने सफलतापूर्वक ₹4,369 करोड़ का सरकारी कारोबार संचालित किया।

मानव संसाधन विकास

हमारे बैंक की सबसे बड़ी संपत्ति हमारे कर्मचारी हैं, जो निरंतर व्यवसायिक वृद्धि सुनिश्चित करते हैं। बैंक में लगभग 21,000+ कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने और ग्राहक संतोष सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, बैंक ने विभिन्न मानव संसाधन पहल अपनाई है, जिनका ध्यान निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित है जैसे जनशक्ति अनुकूलन, क्षमता निर्माण, सीखने और विकास के माध्यम से मानव पूँजी विकास, नेतृत्व विकास, कर्मचारी कल्याण, समावेशी कार्यस्थल वातावरण | यह पहलें बैंक को न केवल व्यवसायिक वृद्धि में सहायक बनाती है, बल्कि कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणादायी और सहयोगी कार्यस्थल भी सुनिश्चित करती है।

1. भर्ती और कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च, 2026 तक बैंक के कर्मचारियों की संख्या **21034** थी, जिसमें **13022** अधिकारी, **6705** लिपिक और **1307** अधीनस्थ कर्मचारी शामिल थे।

- वर्ष 2025-26 के दौरान, हमने **390** स्थानीय बैंक अधिकारी स्वप्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किए और **246** परिवीक्षाधीन अधिकारी और 40 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती की, जो की जेएमजी स्केल 1 में नियुक्त हुए । उपरोक्त के अतिरिक्त,178 ग्राहक सेवा सहयोगी, आइबीपीएस कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस (सीआरपी) XIV के माध्यम से हमारे बैंक की सेवाओं में शामिल हुए हैं। साथ ही, हमारे बैंक की सेवा में लेटरल भर्ती के माध्यम से 01 अधिकारी ने ज्वाइन किया ।

कुल कर्मचारियों में से **4053** सदस्य एससी श्रेणी के, **1567** एसटी श्रेणी के और **7292** ओबीसी श्रेणी से हैं । कर्मचारियों की संख्या में **7803** महिला कर्मचारी, **715** भूतपूर्व सैनिक और **531** दिव्यांग सदस्य शामिल हैं।

2. अभिप्रेरण

मेंटरिंग

हमारे बैंक ने स्केल-I के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए एक मेंटरिंग पहल शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नए परिवीक्षाधीन अधिकारियों को मार्गदर्शन, परामर्श और सहयोग प्रदान करना है। परामर्शदाता अनुभवी संकाय सदस्य हैं, जो उन्हें निरंतर सहायता प्रदान करेंगे और उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। यह प्रक्रिया दो वर्षों तक जारी रहेगी। बैंक ने यह पहल इस उद्देश्य से की है कि नए परिवीक्षाधीन अधिकारी सहज महसूस करें और नए बैंकिंग वातावरण में उन्हें उचित मार्गदर्शन मिले। हमारी यह पहल हमारे नियामकों/हितधारकों द्वारा सराहना प्राप्त कर रही है।

प्रोजेक्ट लक्ष्य – एचआर ट्रांसफोर्मेशन

बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में उद्योग के रुझानों के साथ तालमेल बिठाने और कर्मचारियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी प्रमुख डिजिटल एचआर ट्रांसफोर्मेशन प्रोजेक्ट लक्ष्य शुरू किया है।

एचआर ट्रांसफोर्मेशन चरण-2 के रूप में, क्षमता निर्माण, बैंक ने विस्तृत और वृहद डिजिटल वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धति क्रियान्वित किया जो की उद्देश्यपरक, सिस्टम जनित और विकासोन्मुख भी है । द्वितीय वर्ष के कार्यक्रम में , सीखने और विकास और नेतृत्व विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

इस पहल के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए समाधान निम्नलिखित को बढ़ावा देने की अपेक्षा रखते हैं:

- सही लोगों को उचित ढंग से प्रशिक्षित करना
- भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करना
- कर्मचारी कल्याण

- कर्मचारियों के बीच सामाजिक जुड़ाव

मानव संसाधन (एचआर) कार्यों का डिजिटल ट्रांस्फॉर्मेशन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) में दक्षता बढ़ाने, भविष्य के नेताओं की पहचान करने और कर्मचारी संतुष्टि में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बैंक ने **250 भविष्य के नेताओं** को नौ महीने के व्यापक नेतृत्व विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया है, जिसमें **लाइव प्रोजेक्ट्स** शामिल थे। इस नेतृत्व कार्यक्रम का हिस्सा रहते हुए, **वन-टू-वन कोचिंग सत्र** भी आयोजित किए गए।

कर्मचारियों में बैंकिंग उद्योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, हमारे बैंक ने कर्मचारी पोर्टल में एक विशेष सुविधा विकसित की है, जिसके माध्यम से बैंकिंग उद्योग से संबंधित दैनिक समाचार प्रदर्शित किए जाएंगे।

कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण का आकलन करने हेतु एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण आयोजित किया गया। इस सर्वेक्षण के माध्यम से उन कर्मचारियों को आवश्यक सहायता बैंक के द्वारा प्रदान की गई जिन्हें इसकी आवश्यकता थी। यह पहल सुनिश्चित करती है कि हमारे कर्मचारी स्वस्थ और प्रसन्न रहें।

परिणामस्वरुप, हमारे बैंक की एचआर प्रणालियों में अपनाए गए ये डिजिटल टूल्स न केवल ज्ञान को बढ़ाते हैं बल्कि एक अधिक सक्रिय, उत्पादक और संतुष्ट कार्यबल को भी प्रोत्साहित करते हैं। यह समग्र दृष्टिकोण हमारे बैंक को प्रतिस्पर्धी, तत्पर और भविष्य के लिए तैयार बनाए रखने में सहायक होगा।

3. क्षमता निर्माण

उत्तराधिकार की योजना बनाने और चिन्हित महत्वपूर्ण पदों के लिए चिन्हित अधिकारियों को सुसज्जित करने के लिए, बैंक ने स्टाफ सदस्यों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप क्षमता निर्माण पर एक नीति तैयार की है।

कर्मचारियों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए उन क्षेत्रों में प्रमाणन प्राप्त करने के लिए सूचना दी गई है।

प्रेरणात्मक उपाय के रूप में, बैंक क्षमता निर्माण के अंतर्गत पहचाने गए प्रमाणपत्रों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति कर रहा है और पदोन्नति प्रक्रिया में इसके लिए उचित महत्व भी दे रहा है।

हमारे बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत बैंक ने सभी कर्मचारियों के लिए ई-लर्निंग मोड के माध्यम से एमएसएमई पर एक विशेष प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है।

साथ ही, हमने अपने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित कोर्स भी शामिल किए हैं, क्योंकि कर्मचारियों को एआइ के बारे में जागरूक होना आवश्यक है। भविष्य में बैंकिंग की दिशा और स्वरूप को एआइ महत्वपूर्ण रूप से बदलने वाला है।

4. पुरस्कार एवं सम्मान:

हमारे बैंक ने पुरस्कार और सम्मान प्रणाली को उन्नत किया है, जिसके अंतर्गत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को त्रैमासिक आधार पर रिवार्ड प्वाइंटस प्रदान किए जाते हैं। संचित अंकों को कर्मचारी एक्स्टर्नल/ विदेशी प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि के लिए भुना सकते हैं। यह पहल कर्मचारियों को निरंतर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

इसके अतिरिक्त, विजेताओं के लिए बैंक ने फैब **50** अभियान के **71** शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं ; सुपर 88 अभियान के **255** शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं; गोल्डन लीग चेम्पियन अभियान के **77** शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं ।

5. आचार नीति

सार्वजनिक आचरण, बैंक के साथ संचार, मीडिया सहित बाहरी संस्थाओं के साथ बातचीत और सहकर्मियों के साथ व्यवहार के संबंध में कर्मचारियों के बीच सहयोग की संस्कृति बनाने के लिए, बैंक के सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए आचार नीति लागू की गई है।

नीति आचरण के मानकों को परिभाषित करती है जो सभी कर्मचारियों से अपेक्षित है ताकि बैंक में विभिन्न कार्यों में भूमिका और जिम्मेदारियों को निभाने में सही निर्णय लिए जा सकें।

उक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए, एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाई गई है, जिसमें आचार नीति में विस्तृत रूप से वर्णित आचार संहिता के पालन की पुष्टि करने वाले सभी कर्मचारियों से वार्षिक आधार पर ऑनलाइन पुष्टि प्राप्त की जाती है।

6. जॉब फैमिली

अधिकारियों के लिए जॉब फैमिली ढांचा निर्मित है जिसमें 14 फैमिली शामिल हैं। मानव संसाधन ट्रांसफोर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत समान प्रकृति के कार्यों/व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों तथा संबंधित विभागों/कक्ष/क्षेत्रों आदि को एक परिवार के अंतर्गत समूहीकृत करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया है। अधिकारियों को विशिष्ट पदोन्नति मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए और अधिकारियों तथा बैंक को पेशा में तरक्की और कौशल विकास में मदद करता है ।

संबंधित विभागों/व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में अनुभव/कार्य करने वाले तथा जॉब फैमिली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अपेक्षित योग्यता रखने वाले सभी अधिकारियों को समूहीकृत/वर्गीकृत किया गया है।

7. प्रशिक्षण

बैंक को ग्राहक केंद्रित बनाने के कॉरपोरेट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आंतरिक तथा बाह्य मोड के माध्यम से बैंकिंग के बुनियादी क्षेत्रों के अतिरिक्त बैंकिंग के समसामयिक मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, क्रेडिट मूल्यांकन/क्रेडिट निगरानी, लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तपोषण, सतर्कता के क्षेत्र में बैंकिंग विषयों पर अधिकारियों तथा लिपिकों को नियमित प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही, सभी स्टाफ सदस्यों के लिए ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्रथम पंक्ति तथा द्वितीय पंक्ति प्रबंधकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अधीनस्थ से लिपिक संवर्ग, क्लर्क से जेएमजीएस I, जेएमजीएस I से एमएमजीएस II और एमएमजीएस II से एमएमजीएस III में पदोन्नति के लिए पात्र एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच सदस्यों के लिए पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था।

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और क्लर्कों के लिए पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

आंतरिक प्रशिक्षण

हमारे बैंक की आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली में एक स्टाफ कॉलेज, चेन्नै में और पूरे भारत में 12 स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिए गए आंतरिक प्रशिक्षण के आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

विवरण	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ	कुल	एससी (कुल में से)	एसटी (कुल में से)
व्यक्तिगत स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया (दिए गए प्रशिक्षणों की संख्या की परवाह किए बिना)	12119	6793	1168	**20080**	3923	1522
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दिये जाने वाला प्रशिक्षण (सदस्यों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षणों की कुल संख्या के आधार पर)	25622	13797	2107	**41526**	8582	3513

बाह्य प्रशिक्षण

हमने आईडीआरबीटी-हैदराबाद, एनआईबीएम-पुणे, प्रशासन स्टाफ कॉलेज़ ऑफ इण्डिया एएससीआई-हैदराबाद, सीएबी-पुणे, सेंटर फॉर ऑर्गनाइज़ेशन (सीओडी), कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) पुणे, भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई, राइट्स ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग एलएलपी, स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप (एसबीआईएल), उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (काफराल) – मुंबई, भारतीय बैंक संस्थान (आइबीए), उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अधिगम केंद्र (आइआइबीएफ), बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बीआईआरडी), भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान (आईआरआईटीएम), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), भारत की स्थिर आय मुद्रा बाज़ार एवं डेरिवेटिव्स संघ (एफआईएमएमडीए), इण्डियन बैंक, राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास अकादमी (एनएएचआरडी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अकादमी, राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी), युनियन बैंक ऑफ इंडिया, water.org, ज़ेवियर प्रबंधन विद्यालय (एक्सएलआरआई) – जमशेदपुर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 4233 कार्यपालकों/अधिकारियों/ग्राहक सेवा सहयोगियों को भी प्रतिनियुक्त किया ।

सामान्य और चयनित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, हमारे बैंक ने 97 कार्यपालकों/अधिकारियों को विभिन्न नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया है, जिन्हें एनआइबीएम, (एक्सएलआरआई) जमशेदपुर, एस. पी जैन प्रबंधन संस्थान जैसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित किया गया।

साथ ही, हमारे बैंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड (आइआइएमके) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। इस पहल के अंतर्गत भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं की व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सीखने की पहल शुरू की गई है।

ई-पाठशाला - ऑनलाइन ई-लर्निंग पोर्टल:

हमारे बैंक के ऑनलाइन मॉड्यूल में सभी स्टाफ सदस्यों के लिए ई-पाठशाला उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान क्रेडिट, एनपीए, ट्रेज़री, विदेशी मुद्रा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर 85 मॉड्यूल शामिल थे। इन मॉड्यूल का लक्ष्य स्टाफ सदस्यों के ज्ञान को बढ़ाना और अद्यतन करना था, जिससे हमारी ऑनलाइन शिक्षण पहल (ई-पाठशाला) का विस्तार हो सके। उक्त पोर्टल को हमारे स्टाफ कॉलेज के संकाय द्वारा नियमित आधार पर अपडेट और रखरखाव किया जाता है। कुल 8458 कर्मचारियों ने ई-पाठशाला के तहत सभी छह अनिवार्य मॉड्यूल (85 उपलब्ध मॉड्यूल में से) पूरे किए।

मानक कर्मचारी शिकायत निवारण प्रणाली (एसईजीआरएस):

हमारे स्टाफ सदस्यों के लिए एक औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र बनाने के लिए,स्टाफ सदस्यों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक मानक कर्मचारी शिकायत निवारण प्रणाली (एसईजीआरएस) ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। शिकायतों/व्यथा संबंधी मुख्य क्षेत्रों को सुविधाओं, व्यवहार, भत्ते आदि से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

इन शिकायतों का निवारण दो स्तरों पर किया जाता है - क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय। शिकायतों को समयबद्ध आधार पर अगले स्तर पर भेजा जाता है और तदनुसार निवारण किया जाता है।

औद्योगिक संबंध

पूरे वर्ष संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, बैंक में औद्योगिक संबंध विषयक वातावरण सौहार्दपूर्ण और अनुकूल रहा।

बैंक के सभी कार्यालयों/शाखाओं में औद्योगिक संबंधों के अच्छे माहौल की निगरानी और उसे बनाए रखने के लिए समय-समय पर अनुशासन लागू करने और पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों/नीतियों आदि के बारे में परिपत्र/दिशा-निर्देश जारी किए गए।

बैंक में अनुशासन और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को लागू करने के लिए जिन कर्मचारियों के विरुद्ध आईआर प्रकृति की शिकायतें/मामले सामने आए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई । अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु की गई।

साथ ही, कर्मचारियों के मामलों के संबंध में वित्त मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों को हमारे कर्मचारियों के लाभ के लिए परिपत्र जारी करके शीघ्रता से लागू किया गया।

एचआरएमडी-आईआर अनुभाग, केंद्रीय कार्यालय ने स्टाफ लाभ/आईआर मुद्दों आदि के बारे में स्टाफ सदस्यों की शिकायतों के निवारण के लिए अधिकारी संघ/कर्मचारी संघ के साथ विचार-विमर्श किया।

वितीय वर्ष के दौरान, कर्मचारी आवास ऋण योजना में संवर्धन किए गए जिसमें ऋण की राशि में वृद्धि,ब्याज दरों में कमी और ऋण चुकौती की आयु सीमा को बढ़ाना शामिल है।

बैंक के सभी पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए देय लीज आवास के किराये में बढोत्तरी की गई। परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भी लीज आवास सुविधा के लिए पात्र बनाया गया।

ऑन ड्यूटी यात्रा करने वाले अधिकारियों के होटल खर्चों की प्रतिपूर्ति में भी बढोत्तरी की गई।

कर्मचारियों द्वारा पीएफ ऋण प्राप्त करने की सुविधा में और सुधार किए गए हैं, जिसके तहत अब ऑनलाइन माध्यम से आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की गई है।

इसी तरह, वार्षिक चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य व्यय,वार्षिक नेत्र जाँच आदि जैसे कल्याणकारी लाभों की राशि को "स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग" के माध्यम से क्रेडिट किया गया, जिससे कर्मचारियों को तत्काल लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए,यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रशासनिक कार्यालयों (केंद्रीय/क्षेत्रीय कार्यालयों) में आंतरिक शिकायत समितियाँ गठित की गई हैं। पीओएएसएच के तहत प्राप्त शिकायत के संबंध में जीरो टोलरेंस नीति अपनायी जाती है और आंतरिक समिति ऐसी किसी भी शिकायत पर प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करती है।

स्टाफ सदस्यों द्वारा सहायक श्रम आयुक्त सहित विभिन्न न्यायालयों में कर्मचारियों द्वारा दर्ज किए औद्योगिक विवादों/न्यायालयी मामलों की समीक्षा शीर्ष स्तर पर की जाती है और न्यायालयीन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के प्रयास किए जाते हैं।

आचरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई कक्ष

अनुशासनात्मक कार्यवाही:

वितीय वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान, अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के लिए प्रभावी कदम उठाए गए और हमने 647 मामलों का निपटारा किया।

मामलों को औसतन 160 दिनों के समय सीमा में बंद किया जा रहा है, जो कि सीवीसी द्वारा निर्धारित 270 दिनों के समय सीमा के भीतर है।

उन अनुशानात्मक कार्यवाहियों को पूरा करने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है जहां कर्मचारी निलंबित है।

जाँच प्रक्रिया को तेज करने के लिए जहां शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, वहां वेबेक्स या वीडियो कॉनफ्रेंसिंग जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है।

सीडीएसी ने सभी जाँच अधिकारियों और प्रस्तुतीकरण अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और सुचारू जाँच के लिए आवश्यक सामग्री और दिशा-निर्देश प्रदान किए। ग्रेड एमएमजी III तक के अधिकारियों से जुड़े मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए केंद्रीय कार्यालय में एक डीजीएम की अध्यक्षता में एक समर्पित अनुशासन प्राधिकरण कक्ष (डीए कक्ष) का गठन किया गया।

बैंक के आईआर सेल और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, विशेष रूप से सीडैक के अनुशासनात्मक मामलों की जांच करने के लिए सात नोडल लेखा परीक्षा कार्यालयों में, जांच कार्यवाही में तेजी लाने के लिए जांच कक्ष का गठन किया गया, जिसमें एक एजीएम जांच प्राधिकारी के रूप में और एक मुख्य प्रबंधक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं।

अनुशासनात्मक अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी करने के लिए जागरूक किया गया।

एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

पदों की श्रेणी	31.03.2026 तक कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी'यों की संख्या	एससी'यों का %	एसटी'यों की संख्या	एसटी'यों का प्रतिशत	ओबीसी'यों की संख्या	ओबीसी'यों का %	सामान्य वर्ग'ओं की संख्या	सामान्य वर्गों का प्रतिशत
अधिकारी	13022	2241	17.21	1177	9.04	4408	33.85	5196	39.90
लिपिक	6705	1312	19.57	347	5.17	2428	36.21	2618	39.05
अधीनस्थ	1192	451	37.83	40	3.36	411	34.48	290	24.33
सफाई कर्मचारी	115	49	42.61	3	2.61	45	39.13	18	15.62
कुल	**21034**	**4053**	**19.27**	**1567**	**7.45**	**7292**	**34.67**	**8122**	**38.61**

रोस्टर:

मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय में भर्ती और पदोन्नति रोस्टर बनाए गए। रोस्टर का निरीक्षण नियमित आधार पर किया जाता है। कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए रोस्टर रजिस्टर को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग, नई दिल्ली द्वारा सत्यापित किया गया है और हमारी आइओबी वेबसाइट (www.iob.bank.in) पर ऑनलाइन अपलोड किया गया।

प्रशिक्षण:

पदोन्नति परीक्षा शुरू होने से पहले एससी/एसटी/ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

आरक्षण मानदंडों, रोस्टर और अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएलओ और एससी/एसटी और ओबीसी कल्याण संघों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों का कल्याण:

भारत सरकार के तहत बैंकों के एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू आरक्षण नीति, हमारे बैंक पर भी लागू है। डीएफएस के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आरक्षण कक्ष मुख्य संपर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में काम कर रहा है जो आरक्षण के नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। यह कक्ष एससी/एसटी/ओबीसी/भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांग कर्मचारियों की शिकायतों का निराकरण करता है।

हमारे एससी/एसटी कर्मचारियों की शिकायतों/सेवा मामले/कल्याण से संबंधित मुद्दों की सुलह करने के लिए अधिकतम ओबीसी कल्याण संघ के साथ नियमित अंतराल पर तिमाही बैठक आयोजित की जाती है।

ओबीसी कर्मचारियों का कल्याण:

भारत सरकार के अधीन बैंकों के लिए लागू ओबीसी के लिए आरक्षण नीति इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पर भी लागू है।

बैंक के केंद्रीय कार्यालय में आरक्षण कक्ष है, जो मुख्य संपर्क अधिकारी की सीधी निगरानी में है। आरक्षण कक्ष के माध्यम से मुख्य संपर्क अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक में सरकारी दिशा-निर्देशों को लागू किया जाए ।

हमारे ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों/सेवा मामलों/कल्याण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए अधिकतम ओबीसी कल्याण संघ के साथ तिमाही बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है।

एससी/एसटी लाभार्थियों के लिए ऋण सुविधाएं:

हमारे बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उत्थान के लिए सीईजीएसएससी और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाएं हैं और हमारे बैंक की अन्य सभी ऋण सुविधाएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करती हैं।

सीईजीएसएससी (अनुसूचित जातियों के लिए क्रेडिट वृद्धि गारंटी योजना): अनुसूचित जाति के उधारकर्ताओं को पांच करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए गारंटी कवर प्रदान करती है।

सुरक्षा

केंद्रीय कार्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी सभी शाखाओं,एटीएम,करेंसी चेस्ट और प्रशासनिक कार्यालयों के सुरक्षा पहलुओं के समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।

सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य निधि, संपत्तियों और ग्राहकों को किसी भी प्रकार के भौतिक खतरे से बचाना है।विभाग नियमित रूप से निवारक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।इस प्रकार स्थानीय कानून व्यवस्था की स्थिति,अपराध दर और बैंकों में अपराधों की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए,सभी शाखाओं, एटीएम और प्रशासनिक कार्यालयों की सुरक्षा और एहतियाती उपाय, जहाँ भी आवश्यक हो, अनिवार्य और सुझाए गए उपायों की समीक्षा, और कार्यान्वयन किया गया।

बैंक ने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए निवारक उपायों और कर्मचारियों के बीच अग्नि रोकथाम और सुरक्षा चेतना को विकसित करने पर जोर देना जारी रखा।क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी शाखाओं के निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों को असामाजिक तत्वों द्वारा अपनाए जाने वाले नवीनतम कार्यप्रणाली और अग्नि तथा सुरक्षा जोखिमों को रोकने के लिए शुरू किए जाने वाले निवारक उपायों के बारे में जानकारी देना सुनिश्चित करते हैं।

निवारक और बचाव कार्रवाई के रूप में शाखाओं को प्रदान की जाने वाली सहायता प्रणालियों को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए।

1) सभी कर्मचारियों को सुरक्षा जागरूकता के बारे में शिक्षित किया गया।

2) सभी प्रकार की आग से बचाव के लिए दो नए पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र मौजूदा अग्निशामक यंत्र के साथ शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में प्रदान किए गए।

3) शाखाओं में मौजूदा बर्गलर अलार्म सिस्टम को स्मार्ट इंटीग्रेटेड फायर कम बर्गलर अलार्म सिस्टम से बदल दिया गया है, जिसमें आपात स्थिति में स्टाफ सदस्यों को सूचित करने की व्यवस्था है।

4) सभी शाखाओं में सीसीटीवी प्रणालियों को डीवीआर आधारित प्रणालियों से एनवीआर आधारित सीसीटीवी प्रणाली में बदला जा रहा है।

5) सुरक्षा उपकरण जैसे सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम लगे हुए हैं जो 24*7*365 दिन कार्य करता है।

6) संवेदनशील एटीएम और शाखाओं में एकीकृत अलार्म प्रणाली और आउटसोर्स किए गए चौकीदार/सशस्त्र गार्ड उपलब्ध कराए गए।

7) अधिकांश करेंसी चेस्टों को नकदी के सुरक्षित परिवहन के लिए दो सशस्त्र गार्डों के साथ आउटसोर्स किए गए फोर्टिफाइड कैश वैन स्वीकृत किए गए हैं और कैश वैन के प्रदर्शन की समीक्षा केंद्रीय कार्यालय के सुरक्षा विभाग द्वारा की जाती है।

केंद्रीय कार्यालय द्वारा निम्नलिखित पहलुओं को कवर किया जाता है:

1) शाखाओं के कामकाज के लिए सुरक्षित वातावरण के प्रावधान हेतु क्षेत्रों को सहायता देने के अतिरिक्त केंद्रीय कार्यालय परिसर के भीतर इमारतों में सभी सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

2) केंद्रीय कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को फ्लोर-वार अग्नि सुरक्षा व्याख्यान,निकासी,असेंबली प्वाइंट पर एकत्रित होने और पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों के उपयोग के व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से उनके संबंधित कार्यालयों सुनिश्चित किए जाने वाले अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी गई है।

3) केंद्रीय कार्यालय अपनी सभी शाखाओं को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए क्षेत्रों हेतु बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

4) बैंक के प्रति अपराध या आग लगने की स्थिति में, विभाग यह सुनिश्चित करता है कि घटना की रिपोर्ट कानून प्रवर्तन एजेंसियों को की जाए और एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचा जाए।

स्टाफ कॉलेज में अखिल भारतीय स्तर पर सभी क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों(आरएसओ) का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सभी आरएसओ ने सुरक्षा उपकरणों,तिजोरियों और स्ट्राँग रूम के दरवाजों,विभिन्न आपात स्थितियों के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और बैंकों के विरुद्ध अपराध की कार्यप्रणाली सहित विभिन्न सुरक्षा मापदंडों पर सत्रों में भाग लिया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बैंकों द्वारा अपनाई गई सुरक्षा विशेषताओं के बारे में जानकारी साझा करना था।

बैंकिंग के लिए एक सुरक्षित वातावरण तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब सुरक्षा विभाग और सुरक्षा उपकरणों के साथ-साथ सभी स्तरों पर कर्मचारियों की भी भागीदारी हो।

राजभाषा

बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। साथ ही, बैंक ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित वार्षिक कार्यक्रम के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्रशासनिक कार्यालयों और शाखाओं के सभी कंप्यूटरों में हिंदी यूनिकोड फ़ॉन्ट प्रतिष्ठापित किया है। हमारी गृह हिंदी पत्रिका "वाणी" प्रिंट के साथ-साथ डिजिटल रूप में चार संस्करण प्रकाशित हुए हैं। बैंक ने 21 और 22 जुलाई 2025 दिल्ली में हमारे राजभाषा अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और संगोष्ठी का आयोजन किया । उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे एमडी व सीईओ ने की और मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार, गृह मंत्रालय की सचिव सुश्री अंशुली आर्या, भी शामिल हुईं । राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को राजभाषा शील्ड योजना के तहत पुरस्कृत किया गया। साथ ही, जिन क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-पत्रिका का प्रकाशन उत्कृष्ट हुआ था, उन्हें उक्त सम्मेलन में पुरस्कृत किया गया।

हमारे बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए गए प्रयासों के प्रमाणन के रूप में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्रतिष्ठित **'राजभाषा कीर्ति - प्रथम पुरस्कार'** प्राप्त हुआ, जिसे बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने ग्रहण किया। हमें यह उल्लेख करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वितीय वर्ष 2024-25 के लिए हमारे केंद्रीय कार्यालय को **वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार (डीएफएस)** से राजभाषा कार्यान्वयन के लिए **प्रथम पुरस्कार** प्राप्त हुआ है। साथ ही, हमारे केंद्रीय कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन हेतु **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास),चेन्नै** से **प्रथम पुरस्कार** प्राप्त किया । हम सहर्ष उल्लेख करते हैं कि हमारे 53 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ शाखाओं को संबंधित नराकास से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।संबंधित नराकास से किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुए पुरस्कारों की यह संख्या अब तक की सर्वाधिक है। राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में हमारे 25 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन हेतु संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने विभिन्न तिथियों पर क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी,क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, क्षेत्रीय कार्यालय मैसुरु, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता-2, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी और क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना का निरीक्षण किया। संबंधित समिति ने उक्त केंद्रों में राजभाषा कार्यान्वयन विषयक कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। इसके साथ राजभाषा कार्यान्वयन हेतु संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य समिति ने विभिन्न तिथियों को क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता-1, क्षेत्रीय कार्यालय पाँडिचेरी, क्षेत्रीय कार्यालय एर्णाकुलम, अरियालूर शाखा(तंजावुर क्षेत्र), आलप्पुळा शाखा(एर्णाकुलम क्षेत्र) का निरीक्षण किया संबंधित समिति ने उक्त क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं में राजभाषा कार्यान्वयन विषयक कार्यों पर संतोष व्यक्त किया।

हमारा बैंक हिंदी साहित्य के संरक्षण और कर्मचारियों के ज्ञानवर्धन के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु समर्पित रूप से प्रकाशन कार्य कर रहा है। इस संबंध में, हमने **'साहित्यकार महाकुंभ'** नामक एक विशिष्ट पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें विभिन्न संघ राज्यों के उन महान लेखकों के योगदान को संकलित किया गया है जिन्होंने साहित्य के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने 26 जून 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राजभाषा विभाग के हीरक जयंती समारोह के दौरान किया था। हमने एक अन्य प्रख्यात पुस्तक **'ज्ञान क्षितिज पर हिंदी'** भी प्रकाशित की, जिसमें समसामयिक विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का संकलन किया गया है। उक्त पुस्तक का विमोचन भी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर 2025 को महात्मा कन्वेंशन सेंटर, गांधीनगर, गुजरात में किया था।

बैंक ने हिंदी दिवस समारोह-2025 के अवसर पर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय में हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। 15 सितंबर 2025 को हमने अपने स्टाफ सदस्यों के लिए अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। बैंक ने फरवरी 2026 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए अंतर-बैंक अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। उक्त प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेता आलेखों को संकलित करके **"निबंध संचय भाग-4"** नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। 10 जनवरी 2026 को केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय

कार्यालयों में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 10 फरवरी 2026 को बैंक के 90वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बैंक ने 21 फरवरी 2026 को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी मनाया, इस दिन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं और सेमिनार का आयोजन किया गया।

जनवरी 2021 से हमारे बैंक ने राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन में योगदान देने वाले कर्मचारियों के लिए नकद प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने वाले कर्मचारियों को 1,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जा रहा है और साथ ही केंद्रीय कार्यालय से 12 कर्मचारियों, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय से 3 कर्मचारियों और उनके अधीनस्थ में आने वाली शाखाओं से 6 कर्मचारियों को प्रति छह महीने में प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रावधान है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, इस योजना के तहत कुल 622 कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

हमारे बैंक में आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की स्थिति

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक में आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की स्थिति बैंक आईएनडी एएस (भारतीय लेखा मानक) को लागू करने की प्रक्रिया में है। आरबीआई ने 22 मार्च 2019 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 के माध्यम से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आईएनडी एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। हालांकि, आरबीआई को सभी बैंकों से आईएनडी एएस प्रोफार्मा वित्तीय विवरणी अर्ध वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है । आरबीआई के निर्देशानुसार, बैंक में इंड एएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना संचालन समिति(पीएससी) का गठन किया गया है। परियोजना संचालन समिति के अनुमोदन के पश्चात बैंक नियमित रूप से अर्धवार्षिक आधार पर आरबीआई को आईएनडी एएस प्रोफार्मा वित्तीय विवरणी प्रस्तुत कर रहा है।

पीएसबीएस - सुधार एजेंडा - ईएएसई – एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस

ईएएसई सुधार एजेंडा को 2018 में आईबीए द्वारा डीएफएस के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था। ईएएसई सुधार एजेंडा का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच परिचालन और क्षमता संबंधी अंतर को कम करना था। ईएएसई कार्यक्रम हर साल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक समान सुधार एजेंडा निर्धारित करता है। ईएएसई का लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में लाभप्रदता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, ग्राहक सेवा और डिजिटल क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए नए युग के सुधारों को बढ़ावा देना है। उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) कार्यक्रम ने डेटा विश्लेषण, स्वचालन, डिजिटलीकरण, प्रौद्योगिकी, परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधार, परिणाम-केंद्रित मानव संसाधन और पूर्णत: सुशासन पर जोर दिया। ईएएसई सुधार एजेंडा ने सभी पीएसबी में प्रदर्शन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

ईएएसई 8.0: सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना

भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के मार्गदर्शन में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा शुरू किया गया **उन्नत पहुँच और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) सुधार एजेंडा**, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के आधुनिकीकरण में एक परिवर्तनकारी शक्ति बना हुआ है। ईएएसई 8.0 फ्रेमवर्क को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए थीम: **जोखिम एवं आघात सहनियता। नवाचार। सामाजिक-आर्थिक प्रभाव। उत्कृष्टता।** के साथ प्रस्तुत किया गया है।

ईएएसई 8.0 निम्नवत कार्य बिंदुओं पर केंद्रित है:

- **डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच:** सभी ग्राहक वर्गों को निर्बाध और उपयोगकर्ता के अनुकूल सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिजिटल बैंकिंग चैनलों को मजबूत करना।
- **उन्नत ऋण वितरण:** विशेष रूप से एमएसएमई,कृषि और खुदरा क्षेत्रों के लिए समय पर और कुशल ऋण सहायता पर ध्यान केंद्रित करना।
- **ग्राहक केंद्रित सेवाएँ:** संतुष्टि और प्रतिधारण में सुधार के लिए वैयक्तिक और तकनीक-संचालित समाधान लागू करना।
- **परिचालन उत्कृष्टता:** दक्षता बढ़ाने और काम पूरा होने में लगने वाले समय को कम करने के लिए स्वचालन और एआई के माध्यम से प्रक्रियाओं को आसान बनाना।
- **जोखिम और अनुपालन:** उन्नत विश्लेषिकी का उपयोग करके जोखिम प्रबंधन और अनुपालन ढांचे को मजबूत करना।
- **स्थिरता और समावेशिता:** ईएएसई 8.0 के लक्ष्यों के अनुरूप हरित बैंकिंग और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

बैंक ने परिचालन उत्कृष्टता, डिजिटल परिवर्तन और ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए **ईएएसई सुधार सूचकांक में नियमित रुप से प्रगति को प्रदर्शित** किया है। बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र की उभरती जरूरतों के साथ स्वयं को संरेखित करते हुए **ग्राहक अनुभव, गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जोखिम प्रबंधन और सेवा वितरण** में सुधार लाने के लिए रणनीतिक पहलों को सक्रिय रूप से लागू किया है। इन ठोस प्रयासों के माध्यम से, आइओबी नवाचार, आघात सहनियता और बेहतर सेवा मानकों के लिए प्रतिबद्ध एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखता है।

योजना और आर्थिक डेस्क

योजना कार्य क्षेत्रवार मासिक लाभ और हानि गतिविधि की निगरानी, कॉरपोरेट के बजट, शीर्ष प्रबंधन को अनंतिम दैनिक एमआईएस की रिपोर्टिंग और विभिन्न अध्ययन विश्लेषण की दिशा में उपयोगी परिणाम प्राप्त करना जारी रखता है।

आर्थिक डेस्क नियमित अंतराल पर सरकार/आरबीआई की नीतियों का विश्लेषण करने के अलावा अर्थव्यवस्था में दिन-प्रतिदिन के विकास से शीर्ष प्रबंधन को अवगत कराता है।

ग्राहक ऑन बॉर्डिंग

वित्तीय वर्ष **2025-26** के दौरान, बैंक ने ग्राहक बनाने में अपनी मजबूत गति को बरकरार रखा और पिछले वर्ष के **39.91 लाख ग्राहकों की तुलना** में इस वर्ष सफलतापूर्वक **42.02 लाख कासा ग्राहकों** को अपने साथ जोड़ा। इसके साथ, बैंक ने **वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26** तक पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल **1.06 करोड़ कासा ग्राहकों** को अपने साथ जोड़ा है। **31 मार्च 2026 तक**, इन नए जुड़े ग्राहकों ने **₹32,744 करोड़ की कासा जमा, ₹37,911 करोड़ की सावधि जमा** और **कुल ₹70,655 करोड़ की जमा राशि** में योगदान दिया। इसके अलावा, इन ग्राहकों ने **₹1,08,092 करोड़ के क्रेडिट पोर्टफोलियो** में योगदान दिया, जिसमें **₹11,165 करोड़ के आवास ऋण** शामिल हैं। कुल मिलाकर, बैंक ने इन नए ग्राहकों से प्रभावशाली **₹1.79 लाख करोड़ का कुल कारोबार** जुटाया, जो बैंक की ग्राहक बनाने की रणनीति, क्रॉस-सेलिंग क्षमताओं और बढ़ते डिजिटल इकोसिस्टम की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

नए विकास

शाखाओं की मांग और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और बाजार में अन्य बैंकों की पेशकश के अनुरूप एवं अपने उत्पाद को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, हमने इनपुट एकत्र किए हैं तथा उपयुक्त संशोधन किए हैं और देयता योजनाओं को पेश और संशोधित किया है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी उत्पाद के रूप में बाजार में आगे बढ़ाया जा सके।

आइओबी इको बचत खाते का शुभारंभ:

इस वर्ष के दौरान, बैंक ने पर्यावरण के अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल बचत खाता, **आइओबी इको बचत खाता** लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सतत् बैंकिंग अभ्यास को बढ़ावा देना है। यह उत्पाद वीकेवाईसी और टीएबी बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन खाता खोलने के साथ पेपरलेस बैंकिंग, नवीकरणीय पीवीसी डेबिट कार्ड, मुफ्त डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवरेज और इलेक्ट्रिक वाहन ऋण जैसे हरित वित्तपोषण उत्पादों में छूट प्रदान करता है, जिसके द्वारा बैंक की ईएसजी और डिजिटल परिवर्तन पहलों को समर्थन मिलता है।

आइओबी परिवार का शुभारंभ – परिवार बचत खाता:

बैंक ने **आइओबी परिवार**, एक अभिनव पारिवारिक बैंकिंग योजना शुरू की है, जिसके तीन संस्करण हैं: आइओबी आदर्श परिवार, आइओबी लेगेसी परिवार और आइओबी रॉयल परिवार। यह योजना परिवार के सदस्यों को समूह स्तर पर त्रैमासिक औसत शेष बनाए रखने और साथ ही उन्नत बैंकिंग लाभों का आनंद लेने में सक्षम बनाती है, जिससे ग्राहकों की सुविधा बढ़ती है, संबंध मजबूत होते हैं और जमा राशि बनाए रखने में बढ़ावा मिलता है।

आइओबी प्रीमियम का शुभारंभ – कॉरपोरेट सैलरी स्कीम:

वेतन खाता पोर्टफोलियो को मजबूत करने और कम लागत वाली जमा योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने उच्च आय वाले वेतनभोगी ग्राहकों को लक्षित करते हुए **आइओबी प्रीमियम** योजना शुरू की है। यह योजना बेहतर बीमा कवरेज, अस्पताल नकद लाभ, साइबर बीमा, उच्च ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ और अन्य प्रीमियम बैंकिंग लाभ प्रदान करती है, जिससे बैंक की वेतन संबंधी योजनाएँ बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाती है।

तमिलनाडु राज्य सरकार सैलरी पैकेज:

इस वर्ष के दौरान, बैंक ने **तमिलनाडु सरकार** के कर्मचारियों के लिए एक विशेष सैलरी पैकेज भी शुरू की, जिसमें बेहतर बीमा कवरेज, रियायती ऋण प्रसंस्करण शुल्क, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं और अन्य मूल्यवर्धित लाभों के साथ अनुकूलित बैंकिंग समाधान प्रदान किए गए हैं, जिससे बैंक के मुख्य बाजार में सैलरी खाता फ्रैंचाइजी को और मजबूती मिली है।

केंद्र सरकार का सैलरी पैकेज:

इसके अलावा, बैंक ने **भारत सरकार** के कर्मचारियों के लिए श्रेणी ए, बी और सी के अंतर्गत एक विशेष सैलरी खाता पैकेज शुरू की है, जिसमें बेहतर बीमा कवरेज, ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ, पारिवारिक बैंकिंग लाभ और प्रीमियम डेबिट कार्ड सुविधाएँ शामिल हैं। इसका उद्देश्य सरकारी सैलरी सेगमेंट में बैंक की उपस्थिति को बढ़ाना है और उसका कासा वृद्धि में सहयोग लेना है।

एनएसई प्लेटफॉर्म पर आइओबी ई-एफडीआर सुविधा का शुभारंभ:

बैंक ने **भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसटी)** के प्लेटफॉर्म पर **आइओबी ई-एफडीआर सुविधा** शुरू की है, जिससे ट्रेडिंग सदस्य, क्लियरिंग सदस्य और ब्रोकर सुरक्षित और कागजी कार्रवाई रहित वातावरण में इलेक्ट्रॉनिक सावधि जमा रसीदें (ई-डिपॉजिट) गिरवी रख सकते हैं। यह पहल परिचालन दक्षता बढ़ाती है, भौतिक दस्तावेजीकरण को कम करती है और संस्थागत जमा जुटाने का एक नया मार्ग खोलती है।

एनआरआई एसबी डिपॉजिट वेरिएंट्स का शुभारंभ:

एनआरआई जमा जुटाने को मजबूत करने के लिए, बैंक ने उन्नत सुविधाओं और ग्राहक-केंद्रित लाभों के साथ एनआरई/एनआरओ बचत योजनाओं के तीन नए वेरिएंट पेश किए हैं। इससे बैंक के एनआरआई उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी और बाजार चलन के अनुरूप बन गए हैं, जिससे विदेशी जमा कारोबार में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

वैयक्तिक ग्राहकों के लिए टैब-आधारित चालू खाता खोलना:

अपने डिजिटल परिवर्तन के अंतर्गत, बैंक ने आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से वैयक्तिक ग्राहकों के लिए टैब आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। इससे प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी कम हो गया है, ग्राहकों को सुविधा मिली है और घर बैठे बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो रही है।

एकल स्वामित्व वाली फर्मों के लिए टैब आधारित चालू खाता खोलना:

डिजिटल ऑनबोर्डिंग क्षमताओं को और मजबूत करते हुए, बैंक ने एकल स्वामित्व वाली फर्मों के लिए टैब आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। इसमें आधार प्रमाणीकरण, पैन सत्यापन, जीएसटी/उद्यम सत्यापन और डिजिटल दस्तावेज़ कैप्चर जैसी एकीकृत सुविधाएं शामिल हैं। इससे एमएसएमई ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो गई है और परिचालन दक्षता में सुधार हुआ है।

आइओबी स्टेप-अप आरडी योजना का शुभारंभ:

बैंक ने **आइओबी स्टेप-अप** आरडी योजना शुरू की है, जो एक आघात सहनियता आवर्ती जमा योजना है। इसके अंतर्गत ग्राहक आकर्षक जमा दरों का लाभ उठाते हुए कई बार जमा राशि बढ़ाकर अपनी मासिक किस्त बढ़ा सकते हैं। यह योजना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पूर्ण डिजिटल संचालन की सुविधा भी प्रदान करती है।

आइओबी डिजिटल जमा योजना का शुभारंभ:

बैंक ने नए ग्राहकों के लिए **आइओबी डिजिटल डिपॉजिट** योजना शुरू की है, जिससे वे बिना शाखा जाए ही पूर्णतः डिजिटल तरीके से सावधि जमा शुरू सकते हैं। यह योजना सुगम डिजिटल ऑनबोर्डिंग, सुरक्षित लेनदेन और ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करती है, जो बैंक की डिजिटल जमा जुटाने की रणनीति का समर्थन करती है।

जनसंपर्क

ए) प्रेस विज्ञप्ति और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरेक्शन

- बैंक ने पीआर एजेंसी के साथ समन्वय में से **40 स्टैंडअलोन प्रेस विज्ञप्तियाँ** प्रसारित कीं और **25 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरेक्शन** आयोजित किए, जिससे **मीडिया में लगभग 2000+ कवरेज** प्राप्त हुए।

मीडिया कवरेज: -

प्रिंट मीडिया	ऑनलाइन मीडिया	इलेक्ट्रानिक मीडिया	कुल
1042	**1061**	**25**	**2128**

बी) विज्ञापन, प्रचार और अन्य गतिविधियाँ

बैंक ने विज्ञापन और प्रचार के लिए विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया, जिसमें प्रिंट, ऑनलाइन विज्ञापन, एफएम रेडियो, चेन्नै मेट्रो ट्रेन, चेन्नै, चंडीगढ, पंजाब, आगरा और कानपुर में बस पर ब्रांडिंग और रैपिंग, मुंबई मेट्रो ट्रेन ब्रांडिंग,लालबाग एक्सप्रेस ट्रेन ब्रांडिंग,ऑडियो जिंगल्स रेलवे स्टेशन,चेन्नै सेंट्रल रेलवे स्टेशन, आउटडोर होर्डिंग शामिल हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने **विज्ञापन (विनियामक) पर 2,86,14,365.26 रुपये और विज्ञापन (गैर-विनियामक) तथा प्रचार पर 13,00,48,231.40** रुपये खर्च किया।

सी) डीएफएस के निर्देशानुसार, बैंक द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों का केंद्रीय रूप से आयोजन किया गया:

- **07 अप्रैल 2025** - बैंक ने "बाल विवाह मुक्त भारत अभियान" पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और हमारे कार्यपालकों द्वारा शपथ लिया गया ।

- **25 अप्रैल 2025** - बैंक ने बी. एस. अब्दुर रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वंडलूर, चेन्नै में आइओबी साइबरनोवा – "पीएसबी हैकाथॉन सीरीज 2025 – डेमो डे" का आयोजन किया।

- **09 मई 2025** - बी.एस. अब्दुर रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वंडलूर में आइओबी साइबरनोवा 2025 हैकाथॉन का भव्य समापन समारोह आयोजित किया। हमारी सरकारी नामित निदेशक सुश्री नीलम अग्रवाल, आईआरएस निदेशक, डीएफएस निदेशक, बैंक के शीर्षस्थ कार्यपालक और अन्य स्टाफ एवं छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

- **25 सितंबर 2025** – बैंक ने केंद्रीय कार्यालय में "स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का आयोजन "श्रमदान और स्वच्छता एक दिन, एक घंटा, एक साथ" थीम के साथ किया। जिसमें हमारे शीर्षस्थ कार्यपालकों ने भाग लिया।

- **22 अक्तूबर 2025-** बैंक द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें हमारे बैंक के प्रबंधन ने शपथ दिलवाई।

- **31 अक्तूबर 2025** – बैंक द्वारा श्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 वीं जयंती के अवसर पर "राष्ट्रीय एकता दिवस" की शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। जिसमें हमारे बैंक के प्रबंधन ने शपथ दिलवाई।

- **26 नवंबर 2025** – बैंक द्वारा "संविधान दिवस" के अवसर पर शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। जिसमें हमारे बैंक के प्रबंधन ने शपथ दिलवाई।

- **27 फरवरी 2026** – बैंक ने 'विकसित भारत' के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार, और वित्त पर "पोस्ट बजट वेबिनार" के रूप में विचार-मंथन सत्रों के संबंध में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय किया।

सी) बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित निम्नलिखित संसदीय (लोकसभा और राज्यसभा) समिति की बैठकों की मेजबानी की/उनमें भाग लिया

- **23 अगस्त 2025** – चेन्नै में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल समिति का दौरा।

- **15 अगस्त 2025** – तिरुपति में महिला सशक्तिकरण समिति का अध्ययन दौरा।

- **15 अगस्त 2025** – भुवनेश्वर में लोक लेखा समिति(2025-26) का अध्ययन दौरा कार्यक्रम।

- **19 सितंबर 2025** – चेन्नै में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति का अध्ययन दौरा।

- **20 सितंबर 2025** – जयपुर(राजस्थान) में सरकारी आश्वासनों पर समिति, राज्यसभा का दौरा।

- **04 नवंबर 2025** – पंचमढ़ी में आयोजित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति का अध्ययन दौरा।

- **14 नवंबर 2025** – हैदराबाद में उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति का दौरा।

- **27 दिसंबर 2025** – कोच्चि में उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा।

- **27 दिसंबर 2025** - हैवलॉक में अनुमान समिति का अध्ययन दौरा।

- **29 दिसंबर 2025** – तिरुवनंतपुरम में महिली सशक्तिकरण पर संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा।

- **03 जनवरी 2026** – रामेश्वरम में कृषि पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा

- **03 जनवरी 2026** – मदुरै में याचिकाओं पर समिति का अध्ययन दौरा।

- **06 जनवरी 2026** – पॉडिचेरी में उपभोक्ता मामले,खाद्य और सार्वजनिक वितरण पर संसदीय समिति(2025-26) का अध्ययन दौरा।

- **07 जनवरी 2026** – चेन्नै में वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा।

- **21 जनवरी 2026** – कोच्चि में सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति(2025-26) का अध्ययन दौरा।

- **24 फरवरी 2026** - बेंगलुरु में वित्त पर स्थायी समिति(2025-26) का अध्ययन दौरा।

- **24 फरवरी 2026** – बेंगलुरु में सरकारी आश्वासनों पर समिति(2025-26) का अध्ययन दौरा।

डी) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

वित्त वर्ष **2025-26** के दौरान, बैंक ने कुल रु. **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व** (सीएसआर) पर **8.74** करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिससे लगभग **5,85,083 लाभार्थी** लाभान्वित हुए।

वित्त वर्ष 2025- 26 के लिए बैंक द्वारा करेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर खर्च

क्रमांक	श्रेणी	स्वीकृत राशि (लाखों में जीएसटी रहित)	लाभार्थी				
			एसटी	एससी	ओबीसी	सामान्य	कुल
1	शिक्षा	**163.27**	5326	11242	24257	18341	**59162**
2	महिला एवं वरिष्ठ नागरिक सशक्तिकरण	**46.21**	1695	3636	7796	5826	**18953**
3	पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कारण	**209.16**	16324	34461	74351	56226	**181375**
4	स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	**54.44**	1654	3491	7532	5695	**18370**
5	परंपरा एवं विरासत का संरक्षण	**137.86**	22139	46738	100854	76256	**245985**
6	ग्रामीण कल्याण पहल और आपदा प्रबंधन	**79.15**	1879	3881	8350	6313	**20423**
7	कौशल प्रशिक्षण/प्रशिक्षुता प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	**67.54**	1218	2571	5548	4195	**13530**
8	खेल	**96.92**	782	1651	3561	2693	**8685**
9	प्रौद्योगिकी और अनुसंधान	**8.39**	1216	2565	5535	4185	**13500**
10	वार वेटरन और दान	**12.00**	459	969	2091	1581	**5100**
कुल योग		**874.94**	**52692**	**111205**	**239875**	**181311**	**585083**

ई) सोशल मीडिया

बैंक के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बैंक की ब्रांड छवि को बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। हमारी ब्रांड छवि को और बढ़ाने और बनाने के लिए एक समर्पित सोशल मीडिया टीम बनाई गई है।

बैंक के कुल सब्सक्राइबर की संख्या 30 लाख का आँकड़ा पार कर चुकी है और 31 मार्च 2026 तक अब यह संख्या 30.46 लाख हो गई है।

क्रं.सं.	प्लेटफॉर्म	31.03.2025 तक	31.03.2026 तक	31 मार्च 2025 तक वृद्धि	31 मार्च 2025 तक % वृद्धि
1	यूट्युब	842294	1512616	670322	**79.58**
2	फेसबुक	352958	757668	404710	**114.66**
3	इंस्टाग्राम	273139	602472	329333	**120.57**
4	एक्स (ट्वीटर)	56914	88152	31238	**54.89**
5	लिंक्डइन	41039	53142	12103	**29.5**
6	थ्रेड्स	12933	32312	19379	**149.84**
	कुल	**1579277**	**3046362**	**1467085**	**92.90**

बोर्ड के निर्देशानुसार, बैंक के सब्सक्राइबर की संख्या 30 लाख के पार हो गई है, और सब्सक्राइबर की संख्या 30.46 लाख तक पहुंच गई है, जो 31 मार्च, 2025 के आँकड़ों की तुलना में 92.90% की वृद्धि है।

- इसके अतिरिक्त, हम अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में पोस्ट के साथ अपने सोशल मीडिया चैनलों को नियमित रूप से अपडेट करने, अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को शिक्षित करने और अपने बैंक की मार्केटिंग दृश्यता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए 736 पोस्टर/फ्लायर्स/वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त **1629 ग्राहक की शिकायतों** का सावधानीपूर्वक निपटान किया गया और 48 घंटों के भीतर उनका समाधान किया गया।

कॉल सेंटर और लीड जेनेरेशन

बैंक **ग्राहकों के अनुरोध,पूछताछ और शिकायतों** को संभालने के लिए टोल-फ्री इनबाउंड सेवाओं के साथ एक आउटसोर्स ग्राहक संपर्क केंद्र संचालित करता है। ये सेवाएँ समर्पित ग्राहक सेवा सहयोगियों(सीएसए) के माध्यम से **24X7X365,** प्रदान की जाती है, जिससे ग्राहकों की समस्याओं का समय पर निवारण और पंजीकरण सुनिश्चित होता है। ग्राहकों को एक **इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) सिस्टम के माध्यम से स्व-सेवा सुविधाएं** भी प्रदान की जाती है।

ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए, **जून 2025** से **'नेक्स्ट-जेनेरेशन कॉन्टैक्ट सेंटर'** को क्रियान्वित किया गया, जो सेवा की गुणवत्ता में सुधार और ईएएसई मैट्रिक्स प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवीनतम **एआई-सक्षम तकनीकों और ओमनी-चैनल क्षमताओं** का लाभ उठाता है।

प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवाएँ

1. **इनबाउंड सेवाएँ**
   - टोल-फ्री नंबर: **1800 425 4445** और **1800 890 4445**
2. **आउटबाउंड सेवाएँ**
   - एसएमए रिकवरी
   - लीड जेनेरेशन कॉलिंग और फॉलो-अप
   - ग्राहकों के निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए कॉल करना ।
3. **अभियान कॉलिंग**
4. **वॉइस ब्लास्ट सेवाएँ**
5. **एआई-आधारित चैटबॉट सेवाएँ**

लीड जेनेरेशन

संपर्क केंद्र सुनियोजित लीड जनरेशन गतिविधियों के माध्यम से बैंक के कारोबारी विकास में सक्रिय रूप से सहयोग करता है। **बैंक के सीआरएम**

सिस्टम में उपलब्ध वास्तविक समय की लीड्स और विभिन्न विभागों द्वारा साझा किए गए लीड डेटा के आधार पर ग्राहकों से संपर्क किया जाता है।

लीड्स विभिन्न सोर्सेज से जेरनेट होती है, जिसमें शामिल हैं:

- सिबिल ट्रीगर
- आईवीआर इंटरेक्शन
- बैंक की वेबसाइट
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस
- संपर्क केंद्र-जनित इंटरेक्शन

सभी संभावित ग्राहकों को बैंक के सीआरएम सिस्टम में विधिवत टैग किया जाता है और उन्हें वास्तविक समय में संपर्क केंद्र को उपलब्ध कराया जाता है। ग्राहक सेवा सहयोगी एक स्वचालित डायलर सिस्टम के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करते हैं, उपयुक्त कारोबारी अवसरों की पहचान करते हैं और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार योग्य संभावित ग्राहकों को सीआरएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से संबंधित शाखाओं तक सुचारू रूप से पहुंचाते हैं ताकि उन्हें आगे कारोबार रूप से परिवर्तित किया जा सके।

एआई – आधारित चैटबॉट एप्लिकेशन - आइओबी बडी

बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर **एआई-आधारित चैटबॉट एप्लिकेशन** सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह चैटबॉट एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है, जिसे ग्राहकों की पूछताछ का जवाब देकर, बैंकिंग प्रक्रियाओं में उनका मार्गदर्शन करके और चुनिंदा सेवा लेन-देन को वास्तविक समय में सुगम बनाकर उनकी सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है।

मुख्य विशेषताएं

- बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए स्वचालित जवाब
- चुनिंदा खाता संबंधी सेवाएं, जिनमें शामिल हैं:
    - खाता शेष की जानकारी
    - पिछले पांच लेन-देन
    - खाता विवरण तैयार करना
    - एटीएम कार्ड ब्लॉक करना
    - ऋण अनुरोध
- चैटबॉट इंटरफेस के माध्यम से कॉल सेंटर एजेंटों के साथ लाइव चैट शुरू करने की सुविधा
- नियमित बैंकिंग समय के बाद भी तत्काल सहायता के लिए 24×7 उपलब्धता
- बार-बार आने वाली और नियमित पूछताछों को प्रभावी ढंग से संभालकर मानवीय प्रतिनिधि पर परिचालन भार में कमी

आउटबाउंड कॉलिंग पर आरबीआई/टीआरएआई दिशानिर्देशों का अनुपालन

वॉयस कॉल और एसएमएस के माध्यम से होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए आरबीआई और टीआरएआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने आउटबाउंड कॉल के लिए निर्धारित नंबरिंग श्रृंखला लागू की है। आरबीआई परिपत्र संदर्भ संख्या आरबीआई/2024-25 सीईपीडी.सीओ.ओबीडी.सं.एस1270/50-01- 001/2024-25 दिनांक 17.01.2025 के अनुसार:

- **प्रचार संबंधी वॉइस कॉल 1400xx** श्रृंखला से शुरू होती है।
- **लेनदेन और सेवा संबंधी** कॉल **1600xx** श्रृंखला से शुरू होती हैं।

बैंक ने निर्धारित समय सीमा के भीतर, यानी **31.03.2025** को या उससे पहले, आवश्यक कार्यान्वयन पूरा किया और निम्नलिखित नंबर प्राप्त किए:

- **लेनदेन और सेवा संबंधी कॉल:** 1600 118 119, 1600 300 418, 1600 118 119, 1600 318 418
- **प्रचार संबंधी कॉल:** 140 9686 440 से 140 9686 469

डिजिटल मौजूदगी

बैंक की अधिकारिक वेबसाइट पर ग्राहक सेवा मेनू के अंतर्गत संपर्क केंद्र की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, ताकि ग्राहकों के लिए इस तक पँहुचना आसान हो सके।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र वित्त वर्ष 2026-27 में मजबूत स्थिति में प्रवेश कर रहा है, जिसे स्वस्थ पूँजीकरण, बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता, मजबूत लाभप्रदता और **खुदरा, कृषि, एमएसएमई, अवसंरचना और सेवा क्षेत्रों** में निरंतर ऋण मांग प्रायोजित है। भारत के मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे, बढ़ते निवेश, अवसंरचना-आधारित विकास, डिजिटल अपनाने और बढ़ते वित्तीय समावेशन से बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कारोबारी अवसर प्राप्त होने की उम्मीद है।

साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो-लिंक्ड ऋण पोर्टफोलियो पर नीतिगत ब्याज दरों में कटौती के प्रभाव और कम लागत वाली जमा राशि जुटाने में प्रतिस्पर्धी दबावों के कारण, इस क्षेत्र को निकट भविष्य में **निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)** पर निकट अवधि के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, एससीबी ऋण में **13.8% की वार्षिक वृद्धि** के साथ, जो अद्यतित डेटा के अनुसार **जमा वृद्धि 10.8% से अधिक है**, बैंकों से उम्मीद की जाती है कि वे ग्रेनुलर जमा संग्रहण, डिजिटल बैंकिंग, वेतन खातों, उत्पाद नवाचार और परिचालन दक्षता पर अपना ध्यान केंद्रित करें।

मजबूत पूँजीगत सुरक्षा, बेहतर जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, त्वरित डिजिटल परिवर्तन और निरंतर नियामक समर्थन के साथ, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र निकट भविष्य की चुनौतियों से निपटने और देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 21-05-2026

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

वर्ष 2025-26 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1) अनिवार्य आवश्यकताएं

1. कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बैंक का दर्शन

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों और महत्व को पहचानता है और न केवल वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है, बल्कि स्वैच्छिक रूप से मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रक्रियाओं का एक सेट तैयार कर उसका पालन भी कर रहा है। बैंक ने हमेशा अपने सभी हितधारकों अर्थात शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समाज के हितों की सर्वोत्तम सेवा करने का प्रयास किया है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बैंक का विचार सभी स्तरों पर प्रदर्शन के लिए पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के उच्च मानक प्रदान करना और व्यावसायिकता, सामाजिक जवाबदेही, सुदृढ़ व्यवसाय प्रक्रियाओं और इष्टतम दक्षता के माध्यम से उत्कृष्टता सुनिश्चित करना और प्राप्त करना है। इसके बदले में बैंक को शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए उच्च स्तर की व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखने में सक्षम बनाया है।

बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। हालाँकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, बल्कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत एक निगमित निकाय है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। बैंक सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आपेक्षाएँ) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट सीमा में उल्लिखित कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है यह बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और इस संबंध में भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों, निर्देशों आदि का अनुपालन करता है।

2. निदेशक मंडल:

बैंक का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, (राष्ट्रीयकरण अधिनियम) के तहत किया गया है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। निदेशक मंडल की संरचना राष्ट्रीयकरण अधिनियम, यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा शासित होती है।

बोर्ड की जिम्मेदारियों में बैंक के समग्र कामकाज की निगरानी करना शामिल है, जिसमें व्यवसाय संचालन के लिए नीतियों का अनुमोदन, व्यवसाय समीक्षा, लेखा परीक्षा और जोखिम कार्य की स्वतंत्रता का आकलन, तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत जांच, एनपीए प्रबंधन और प्रावधान की प्रमाणिकता, नियामक और वैधानिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधनों का समग्र पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं। बोर्ड ने विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है और बोर्ड की समितियों को विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए अपनी शक्तियाँ सौंपी हैं। बोर्ड और इसकी समितियाँ समय-समय पर बैठकें आयोजित करती हैं।

क) संघटन:

बैंक का व्यवसाय निदेशक मंडल के अधीन है। एमडी व सीईओ तथा ईडी बोर्ड के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं। 31.03.2026 तक बोर्ड में 10 निदेशक हैं, जिनमें 3 पूर्णकालिक निदेशक, 2 गैर-कार्यपालक निदेशक, 4 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा शेयरधारकों में से उनके हितों का विधिवत प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया 1 निदेशक शामिल है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई) और 9(3)(एफ) के तहत भारत सरकार द्वारा कामगार कर्मचारी निदेशक और अधिकारी कर्मचारी निदेशक के पदों को नामित किया जाना आवश्यक है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के अनुसार, बोर्ड में एक निदेशक होगा जो कम से कम पंद्रह वर्षों तक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हो, जिसे रिज़र्व बैंक के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट निदेशक का पद 25.07.2019 से रिक्त है।

बैंक बोर्ड स्तर पर विभिन्न रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए मामला वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संज्ञान में लाया है तथा केंद्र सरकार अन्य निदेशकों को नामित करने की प्रक्रिया में है। भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति किए जाने पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पद धारण करने वाले निदेशकों का विवरण:

निदेशक का नाम	पद का नाम	निदेशक पद की प्रकृति	नियुक्तियों की तिथि	सेवानिवृत्ति/वर्ष के दौरान पद से हटने
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर कार्यपालक	21.02.2024	--
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक/पूर्णकालिक	01.01.2023	--
श्री जयदीप दत्ता रॉय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक/पूर्णकालिक	30.01.2024	--
श्री धनराज टी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक/पूर्णकालिक	10.03.2024	--
सुश्री नीलम अग्रवाल	सरकारी नामिती निदेशक	आधिकारिक – गैर-कार्यपालक	05.08.2024	--
सुश्री सोनाली सेन गुप्ता	आरबीआई नामिती निदेशक	आधिकारिक– गैर-कार्यपालक	14.07.2023	03.03.2026
श्री थॉमस मैथ्यू	आरबीआई नामिती निदेशक	आधिकारिक – गैर-कार्यपालक	03.03.2026	--
श्री सुरेश कुमार रुंगटा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर-कार्यपालक	11.04.2025	--
श्री बी चंद्रा रेड्डी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर-कार्यपालक	11.04.2025	--
श्री दीपक शर्मा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर-कार्यपालक	11.04.2025	--
श्री संजया रस्तोगी	शेयरधारक निदेशक	गैर-कार्यपालक	03.12.2022	02.12.2025
श्री जी वेंकटरमणन	शेयरधारक निदेशक	गैर-कार्यपालक	03.12.2025	--

31.03.2026 तक बैंक के निदेशकों की प्रोफ़ाइल **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

निदेशकों के बीच आपसी रिश्ते का प्रकटीकरण: यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं है।

बोर्ड ने निदेशकों के लिए एक आचार संहिता अपनाई है, तथा एमडी व सीईओ से एक घोषणा प्राप्त की गई है, जिसमें आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है तथा घोषणा निम्नानुसार है

"यह पुष्टि की जाती है कि बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है और उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।"

बैंक के बोर्ड के निदेशकों ने यह भी पुष्टि की है कि "बैंक के स्वतंत्र निदेशकों सूचीगत बाध्यताओं में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।"

श्री प्रणय कुमार, उप महा प्रबंधक, बोर्ड के सचिव थे।

बैंक के व्यवसाय और क्षेत्रों के संदर्भ में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए पहचाने गए आवश्यक मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यताएं	बोर्ड के पास उपलब्ध मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यताएं
बैंकिंग	हाँ
वित्त	हाँ
अर्थशास्त्र	हाँ
मानव संसाधन प्रबंधन	हाँ
सूचना प्रौद्योगिकी	हाँ
ट्रेज़री प्रबंधन	हाँ
विपणन	हाँ
जोखिम प्रबंधन	हाँ

ग) निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता का विवरण:

निदेशक का नाम	बोर्ड के पास उपलब्ध कोर स्किल/एक्सपर्टीज़/कॉम्पिटेंसीज़
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	लेखांकन, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान एवं समायोजन प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, कारोबार प्रबंधन
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	कृषि और ग्रामीण अर्थशास्त्र, बैंकिंग, सहकारिता, लघु उद्योग, भुगतान एवं समायोजन प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, कारोबार प्रबंधन, ऋण एवं वित्त।
श्री जयदीप दत्ता रॉय	बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, विधि, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, कारोबार प्रबंधन, ऋण एवं वित्त।
श्री धनराज टी	कृषि और ग्रामीण, बैंकिंग, कॉरपोरेट-परिचालन, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन
सुश्री नीलम अग्रवाल	सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, मानव संसाधन
श्री थॉमस मैथ्यू	अर्थशास्त्र और वित्त
श्री सुरेश कुमार रुंगटा	वित्त और अर्थशास्त्र
श्री बी चंद्रा रेड्डी	लेखां शास्त्र
श्री दीपक शर्मा	विधि
श्री जी वेंकटरमणन	मानव संसाधन, विपणन और कारोबार प्रबंधन

घ) बोर्ड की बैठकें:

बैठक की तिथि और स्थान तथा एजेंडा पेपर सभी निदेशकों को पहले ही सूचित कर दिए जाते हैं। निदेशकों को एजेंडे पर सभी अतिरिक्त जानकारी तक पहुँच होती है। बैंक के अधिकारियों को भी आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड की बैठकें 14 बार आयोजित की गईं, जबकि एक तिमाही में कम से कम एक बार तथा वर्ष में कम से कम छह बार बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता थी।

बैंक ने 2012-13 से एक वेब आधारित ऑनलाइन कार्यक्षेत्र बोर्ड पोर्टल के उपयोग के माध्यम से बोर्ड के सदस्यों को सूचना तक समय पर और निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करके बोर्ड और समिति की बैठकों के ई-संचालन के लिए ई-गवर्नेंस पहल को बढ़ावा दिया है। इसके बाद, वेब-आधारित पोर्टल को वित्त वर्ष 2024-2025 से आइओबी ऑनलाइन समिति मॉड्यूल में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह पोर्टल निदेशकों को एजेंडा पत्रों तक रियल टाइम के आधार पर आइपैड पर गोपनीय ई-एक्सेस प्रदान करता है। इस पहल ने बैठकों के संचालन के तरीके को बदल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप लागत, समय और संसाधनों में पर्याप्त बचत हुई है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित तिथियों और स्थानों पर 14 बार बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं:

बैठक की तिथि	आयोजित स्थान
02.05.2025	चेन्नै
24.05.2025	चेन्नै
05.07.2025 (स्ट्रेटजी बोर्ड)	कोडैकनाल
05.07.2025	कोडैकनाल
17.07.2025	चेन्नै
18.07.2025	चेन्नै
22.08.2025	चेन्नै
15.10.2025	चेन्नै
16.10.2025	चेन्नै
28.11.2025 (स्ट्रेटजी बोर्ड)	कोवलम
29.11.2025	कोवलम
14.01.2026	चेन्नै
27.02.2026	चेन्नै
25.03.2026	चेन्नै

सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं। जहां भी निदेशकों द्वारा अनुपस्थिति हेतु अनुमति मांगी जाती है, अनुपस्थिति की अनुमति चिह्नित की जाती है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सभी बैठकें आंशिक/पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोड में हुई हैं।

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	14	14
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	14	13
श्री जयदीप दत्ता रॉय	14	12
श्री धनराज टी	14	14
सुश्री नीलम अग्रवाल	14	11
श्री थॉमस मैथ्यू	01	01
सुश्री सोनाली सेन गुप्ता	13	10
श्री सुरेश कुमार रुंगटा	14	14
श्री बी चंद्रा रेड्डी	14	14
श्री दीपक शर्मा	14	14
श्री संजया रस्तोगी	11	11
श्री जी वेंकटरमणन	03	03

31.03.2026 तक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण:

निदेशक का नाम	शेयर की संख्या
श्री जी वेंकटरमणन	150

किसी अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक के पास आइओबी का कोई शेयर नहीं है।

ङ) अन्य बोर्ड या बोर्ड समितियों की संख्या जिसमें निदेशक सदस्य/अध्यक्ष है:

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों और आइओबी को छोड़कर) जिनमें वह बोर्ड का सदस्य/अध्यक्ष है (वैकल्पिक/नामित निदेशक को छोड़कर)	समितियों की संख्या (आइओबी के अलावा) जिसमें एक सदस्य
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	1. ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड 2. यूटीआई ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	**ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड** 1. लेखा परीक्षा समिति - अध्यक्ष के रूप में 2. जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष के रूप में। **यूटीआई ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड** 1. जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष के रूप में
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी	--
सुश्री नीलम अग्रवाल	1. राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड. 2. पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक	--
श्री सुरेश कुमार रुंगटा	स्वदेशी प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	--

च) समितियों में सदस्यता:

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति तथा हितधारक संबंध समिति, धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए गठित बोर्ड की विशेष समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की जाती है। आरबीआई/एसईबीआई/डीएफएस के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, समितियों का पुनर्गठन मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

3. बोर्ड की समितियाँ:

निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, बोर्ड ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है और उन्हें विशिष्ट शक्तियाँ सौंपी हैं। प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को बाद में पुष्टि के लिए समिति की अगली बैठक में रखा जाता है। कार्यवृत्त को रिकॉर्डिंग के लिए बोर्ड बैठक में भी रखा जाता है।

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
4. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
5. अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांच की समीक्षा के लिए समिति (सीआरडीसी)
6. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)
7. मानव संसाधन पर बोर्ड स्तरीय संचालन समिति (बीएलएससीएचआर)
8. एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसीएमआरएनपीए)

9. अपील पर विचार के लिए बोर्ड की समिति (सीबीसीए)
10. बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)
11. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
12. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)
13. विलफुल डिफॉल्टर्स और असहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति (आरसीडबल्यूडीएनसीबी)
14. कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (बीसीपीई)
15. ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)
16. समझौता निपटान के लिए बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसीसीएस)

3.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 21

बैठकों के आयोजन की तिथि: 17.04.2025, 03.05.2025, 16.05.2025, 04.06.2025, 26.06.2025, 10.07.2025, 23.07.2025, 08.08.2025, 28.08.2025, 17.09.2025, 08.10.2025, 24.10.2025, 15.11.2025, 04.12.2025, 19.12.2025, 08.01.2026, 27.01.2026, 16.02.2026, 05.03.2026, 16.03.2026 और 24.03.2026.

एमसीबी का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। एमसीबी के कार्य एवं कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

क) बोर्ड द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार ऋण प्रस्तावों (वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित) को मंजूरी देना

ख) ऋण एवं ब्याज समझौता/बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव - बोर्ड द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार।

ग) पूँजीगत एवं राजस्व व्यय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव

घ) परिसर के अधिग्रहण और किराये से संबंधित प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण और किराये के मानदंडों से विचलन भी शामिल है।

ङ) मुकदमे/अपील दायर करना, उनका बचाव करना आदि।

च) सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों और डिबेंचर में निवेश, जिसमें हामीदारी अंकन भी शामिल है।

छ) दान

ज) बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित कोई अन्य मामला।

मद (क) से (छ) एमडी व सीईओ की विवेकाधीन शक्तियों/क्रेडिट अनुमोदन समिति की शक्तियों से परे प्रस्तावों के संबंध में होंगे, जैसा भी लागू हो।

समिति के अध्यक्ष बैंक के एमडी व सीईओ हैं। समिति ने वर्ष के दौरान 21 बार बैठक की। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

01.04.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि के दौरान पद धारण करने वाले सदस्य और प्रत्येक समिति सदस्य द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान भाग ली गई बैठकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (अध्यक्ष)	01.01.2023	--	21	21
श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	--	21	20
श्री धनराज टी	10.03.2024	--	21	21
सुश्री सोनाली सेन गुप्ता	14.07.2023	02.03.2026	18	04
श्री थॉमस मैथ्यू	03.03.2026		03	03
श्री सुरेश कुमार रुंगटा	03.12.2025		08	08
श्री संजया रस्तोगी	24.12.2024	02.12.2025	13	13

3.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 07

बैठक की तिथियां: 02.05.2025, 17.07.2025, 18.07.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 13.01.2026 और 14.01.2026

भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) में केवल गैर-कार्यपालक निदेशक (एनईडी) शामिल हैं। बोर्ड का अध्यक्ष एसीबी का सदस्य नहीं है। एसीबी की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है जो बोर्ड की किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं। एसीबी का अध्यक्ष बोर्ड की किसी भी समिति का सदस्य नहीं है जिसे ऋण जोखिम को मंजूरी देने का अधिदेश प्राप्त है। सभी सदस्यों के पास सभी वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उनसे जुड़े नोट्स/रिपोर्ट को समझने की क्षमता है और कम से कम एक सदस्य के पास वित्तीय लेखांकन या वित्तीय प्रबंधन में अपेक्षित पेशेवर विशेषज्ञता/योग्यता है [जैसे लेखांकन मानकों और प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग में अनुभव, इसके आस-पास आंतरिक नियंत्रण सहित]।

कार्यपालक निदेशकगण बैठक में आमंत्रित व्यक्ति के रूप में शामिल हो रहे हैं जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

एसीबी के प्रत्यायोजित कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

- बैंक में संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्य के संचालन की देखरेख के साथ-साथ दिशा-निर्देश प्रदान करना। संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्य का तात्पर्य बैंक के भीतर आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण के संगठन, संचालन और गुणवत्ता नियंत्रण से है और बैंक के वैधानिक/बाहरी लेखापरीक्षा और आरबीआई के निरीक्षणों का अनुसरण करना है।
- बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य, प्रणाली, अनुवर्ती कार्रवाई के संदर्भ में इसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता तथा विशेषीकृत एवं अतिरिक्त बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करना।
- विदेशी शाखाओं के संबंध में मेजबान देशों में नियामकों की नियामक आवश्यकता के अनुपालन पर अनुपालन विभाग से त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना और उसकी समीक्षा करना।
- एसीबी/बोर्ड/आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों पर अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करना।
- वैधानिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और दीर्घ प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय विवरणों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखापरीक्षकों के साथ बातचीत करना।
- आरबीआई की निरीक्षण रिपोर्ट अर्थात आरएआर/आरएमपी आदि में उठाए गए सभी मुद्दों/चिंताओं की समीक्षा करना और उनका अनुसरण करना।
- संवेदनशील क्षेत्रों, अर्थात पूँजी बाजार एवं रियल एस्टेट में जोखिम की समीक्षा।
- केवाइसी/एएमएल दिशानिर्देशों की समीक्षा - (i) कार्यान्वयन की समीक्षा (ii) शाखाओं में केवाइसी/एएमएल दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों के अनुपालन की समीक्षा।
- विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किए गए उल्लंघनों की सूचना की समीक्षा।
- इसे अपनी बैठक में बोर्ड के अनुमोदन हेतु बैंक के निरीक्षण और लेखा परीक्षा/लेखा/शासन आदि के संबंध में विभिन्न नीतियों की सिफारिश करनी चाहिए।
- एसीबी द्वारा अनुमोदित कैलेंडर नोट्स की समीक्षा करना।

यह समिति विशेष रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करती है:

- अंतर-शाखा समायोजन खाते
- उचंत, विविध, ट्रांजिट फंड, क्लियरिंग इंटर-बैंक खाते, नोस्ट्रो खाते आदि में लंबे समय से लंबित असंगत प्रविष्टियां
- धोखाधड़ी और हाउस-कीपिंग के अन्य सभी प्रमुख क्षेत्र,
- फ़िशिंग हमलों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी वाले लेनदेन पर विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें विशेष रूप से मौजूदा प्रणालियों की कमियों और ऐसे मामलों को रोकने के लिए आयकर विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की ओर इशारा किया गया है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सुझावों के अनुरूप, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के दायरे को विस्तृत किया गया, जिसमें बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित विशिष्ट जोखिम स्तरों पर खातों की निम्नलिखित समीक्षाएं शामिल की गईं:

1. आवश्यकतानुसार संभावित एनपीए/दबाव मामले।
2. उच्च मूल्य के ऋण जो किसी ऐसी प्रतिभूति के विरुद्ध दिए गए हों जो ऋणभार से मुक्त न हो
3. उच्च मूल्य के ऋणों से संबंधित एकमुश्त निपटान के मामले

4. उच्च मूल्य खाते - ऋण के विरुद्ध प्रदान की गई सुरक्षा/संपार्श्विक (मूर्त और विशेष रूप से अमूर्त दोनों) के मूल्य और गुणवत्ता का मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन करने के लिए।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सेबी समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार एसीबी को निम्नलिखित अतिरिक्त भूमिका कार्य/शक्तियां सौंपी गई हैं:

- अपने संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत किसी भी गतिविधि की जांच करना।
- किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगना।
- बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
- यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी वैयक्तिक की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में मौजूदा भूमिका के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी शामिल होंगे:

- बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की देखरेख करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।
- लेखांकन नीतियों और प्रक्रियाओं, लेखांकन मानकों के अनुपालन और वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य कानूनी आवश्यकताओं पर विशेष जोर देते हुए प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
- प्रबंधन, बाह्य एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- ऐसे मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता हो तथा मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।
- लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे पर चर्चा करना, साथ ही लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करके चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाना।
- लेखापरीक्षा योजना की समीक्षा और उसकी उपलब्धि की स्थिति।
- बैंक की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आपेक्षाएँ) विनियम, 2015 भाग सी के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति की भूमिका परिभाषित की गई है जो कॉरपोरेट गवर्नेंस नीति का हिस्सा है।

वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की 7 बार बैठक हुई।

सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान पद धारण करने वाले सदस्य तथा वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्रतिभागिता की गई बैठकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री बी चंद्रा रेड्डी (अध्यक्ष)	22.04.2025	--	07	07
सुश्री सोनाली सेन गुप्ता	14.07.2023	02.03.2026	07	07
श्री सुरेश कुमार रुंगटा	22.04.2025	02.12.2025	05	05
श्री दीपक शर्मा	22.04.2025	--	07	07
श्री जी वेंकटरमणन	03.12.2025	--	02	02

3.3 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 06

बैठक की तिथियां: 20.06.2025, 21.08.2025, 21.11.2025, 23.12.2025, 28.01.2026 और 25.03.2026

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जानी चाहिए जो बोर्ड या बोर्ड की किसी अन्य समिति का अध्यक्ष न हो। बोर्ड का अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य तभी हो सकता है जब उसके पास अपेक्षित जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता हो। आरएमसीबी की भूमिका और कार्य बैंक द्वारा उठाए गए समग्र जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करना है। समिति क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम से संबंधित एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति की देखरेख करेगी। समिति 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान 6 बार मिली। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठेकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री सुरेश कुमार रुंगटा	22.04.2025		06	06
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	12.03.2024		06	06
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023		06	06
श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024		06	05
श्री धनराज टी	10.03.2024		06	06
श्री बी चंद्रा रेड्डी	22.04.2025		06	06
श्री दीपक शर्मा	22.04.2025		06	06

3.4 धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)

आयोजित बैठकों की संख्या: 04

बैठक की तिथियां: 04.06.2025, 21.08.2025, 21.11.2025 और 25.03.2026

एससीबीएमएफ बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की देखरेख करेगा। एससीबीएमएफ मूल कारण विश्लेषण सहित धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा और निगरानी करेगा और आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए उपाय सुझाएगा। ऐसी समीक्षाओं की कवरेज और आवधिकता बैंक के बोर्ड द्वारा तय की जाएगी । गैर-कार्यपालक अध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं । समिति की 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान 4 बार बैठक हुई। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठेकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	06.11.2024	--	04	04
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	06.11.2024	--	04	04
श्री जयदीप दत्ता रॉय	06.11.2024	--	04	03
श्री धनराज टी	06.11.2024	--	04	04
श्री बी चंद्रा रेड्डी	22.04.2025	--	04	04
श्री जी वेंकटरमणन	03.12.2025	--	01	01
श्री संजया रस्तोगी	19.03.2025	02.12.2025	03	03

3. 5 ग्राहक सेवा समिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 04

बैठक की तिथियां: 19.06.2025, 21.08.2025, 21.11.2025 और 25.03.2026

उदाहरणार्थ, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- व्यापक जमा नीति का निर्माण
- जमाकर्ता की मृत्यु के बाद उसके खाते के परिचालन के लिए किए जाने वाले उपचार जैसे मुद्दे
- उपयुक्तता और औचित्य की दृष्टि से उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया
- जमाकर्ता संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण
- ऐसी सेवाओं का त्रैवार्षिक लेखा-परीक्षण। इसके अलावा, समिति ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर असर डालने वाले किसी अन्य मुद्दे की भी जांच कर सकती है।
- बैंक में ग्राहक सेवाओं के स्तर का मूल्यांकन और समीक्षा करना। ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए नए उपायों पर भी विचार किया जाएगा।

एमडी व सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान समिति की 4 बार बैठक हुई। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठेकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023	--	04	04
श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	--	04	03
श्री धनराज टी	10.03.2024	--	04	04
श्री बी चंद्रा रेड्डी	22.04.2025	--	04	04
श्री दीपक शर्मा	03.12.2025	--	01	01
श्री संजया रस्तोगी	19.03.2025	02.12.2025	03	03

3.6 अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा और विभागीय जांच के लिए समिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 04

बैठक की तिथियां: 19.06.2025, 22.08.2025, 21.11.2025 और 25.03.2026

यह तिमाही आधार पर सतर्कता/गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक और विभागीय जांच की समीक्षा करता है और 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामलों में कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच के लिए तिमाही प्रगति की समीक्षा करता है। एमडी व सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान समिति की 4 बार बैठक हुई। सभी बैठकें सही कोरम के साथ और बिना किसी रोक-टोक के हुईं।

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रतिभागिता की गई बैठकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023	--	04	04
श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	--	04	04
श्री धनराज टी	10.03.2024	--	04	04
सुश्री नीलम अग्रवाल	05.08.2024	--	04	03
सुश्री सोनाली सेन गुप्ता	14.07.2023	02.03.2026	03	02
श्री थॉमस मैथ्यू	03.03.2026	--	01	01

3.7 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 01

बैठक की तारीख: 05.11.2025

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) आवश्यक समुचित सावधानी बरत रही है और आरबीआई मास्टर डायरेक्शन डीबीआर.एएट.सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 में निर्दिष्ट और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आपेक्षाएँ) विनियम, 2015, भाग डी के अनुसार निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड पर पहुंच रही है। यह मौजूदा पारिश्रमिक समिति का कार्य भी कर रही है। एनआरसी का गठन केवल गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) के साथ किया जाता है। एनआरसी की बैठक की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं। बोर्ड का अध्यक्ष एनआरसी की अध्यक्षता नहीं कर रहा है। एनआरसी की बैठक आवश्यकता पड़ने पर आयोजित की जाती है। समिति में 3 गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं।

समिति की बैठक वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एक बार 05.11.2025 को हुई। बैठक सही कोरम के साथ और बिना किसी रोक-टोक के हुई।

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रतिभागिता की गई बैठकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	को		
श्री दीपक शर्मा	22.04.2025	--	01	01
श्री सुरेश कुमार रुंगटा	22.04.2025	--	01	01
श्री बी चंद्रा रेड्डी	22.04.2025	--	01	01

3.8 सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 05

बैठक की तिथियां: 19.06.2025, 21.08.2025, 23.12.2025, 28.01.2026 और 11.02.2026।

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) है व्यवसाय में सुधार के लिए आइटी में विकास का लाभ उठाने के लिए बैंक द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने की आइटी नीति पर विचार-विमर्श करना। यह बैंक की प्रमुख आइटी सक्षम व्यावसायिक पहलों और तकनीकी वास्तुकला की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस नीति में विस्तृत भूमिका और कार्य परिभाषित किए गए हैं। समिति की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान में, श्री

श्रीनिवासन श्रीधर, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और गैर-कार्यपालक अध्यक्ष समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान समिति की 5 बार बैठक हुई। सभी मीटिंग्स सही कोरम के साथ और बिना किसी रोक-टोक के हुईं।

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रतिभागिता की गई बैठकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	को		
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	12.03.2024	--	05	05
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023	--	05	05
श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	--	05	05
श्री धनराज टी	10.03.2024	--	05	05
सुश्री नीलम अग्रवाल	05.08.2024	--	05	02
श्री दीपक शर्मा	22.04.2025	--	05	05

3.9 मानव संसाधन संबंधी बोर्ड स्तरीय संचालन समिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 05

बैठकों की तिथियाँ: 19.06.2025, 17.09.2025, 21.11.2025, 25.11.2025 and 27.01.2026.

समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाती है। समिति की बैठकें दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान 05 बार आयोजित की गईं। सभी बैठकें नियमानुसार आवश्यक कोरम के साथ एवं बिना किसी स्थगन के संपन्न हुईं।

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रतिभागिता की गई बैठकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023	--	05	05
श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	--	05	05
श्री धनराज टी	10.03.2024	--	05	05
सुश्री नीलम अग्रवाल	05.08.2024	--	05	03
श्री संजया रस्तोगी	29.12.2022	02.12.2025	04	04
श्री जी वेंकटरमणन	03.12.2025	--	01	01
डॉ टी टी राम मोहन **	--	--	05	05

** वे नियुक्त निदेशक नहीं है। उन्हे डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुरूप मानव संसाधन पेशेवर (पूर्व आईआईएम प्रोफेसर) के रूप में इस समिति के लिए नामित किया गया है।

3.10 इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 06

बैठकों की तिथियाँ: 20.06.2025, 21.08.2025, 23.09.2025, 23.12.2025, 11.02.2026 and 16.03.2026.

आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार 13.08.2024 से एमडी व सीईओ इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान समिति की 6 बार बैठक हुई। सभी बैठकें नियमानुसार आवश्यक कोरम के साथ एवं बिना किसी स्थगन के संपन्न हुईं।

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	13.08.2024	--	06	06
श्री सुरेश कुमार रुंगटा	22.04.2025	--	06	06
श्री दीपक शर्मा	22.04.2025	--	06	06

3.11. हितधारक संबंध समिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 04

बैठकों की तिथियाँ: 24.05.2025, 21.08.2025, 21.11.2025 and 25.03.2026

हितधारक संबंध समिति की भूमिका, सेबी एलओडीआर 2015 की अनुसूची-II के भाग-डी में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

- सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का निवारण करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त न होना, घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करना, आम बैठकों आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
- शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग हेतु किए गए उपायों की समीक्षा करना।
- रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा।
- सूचीबद्ध इकाई द्वारा अप्राप्त लाभांश की राशि को कम करने तथा कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश वारंट/वार्षिक प्रतिवेदन/वैधानिक सूचनाएँ समय पर प्राप्त हों, यह सुनिश्चित करने हेतु किए गए विभिन्न उपायों एवं पहलों की समीक्षा करना।

01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठक हुई। सभी बैठकें नियमानुसार आवश्यक कोरम के साथ एवं बिना किसी स्थगन के संपन्न हुईं।

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या में भाग लिया
	से	तक		
श्री संजया रस्तोगी	29.12.2022	02.12.2025	03	03
श्री जी वेंकटरमणन	03.12.2025		01	01
श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	--	04	02
श्री धनराज टी	10.03.2024	--	04	04
श्री सुरेश कुमार रुंगटा	22.04.2025	--	04	04
श्री दीपक शर्मा	22.04.2025	--	04	04

3.12 एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 08

बैठक की तिथियां: 24.05.2025, 19.06.2025, 23.07.2025, 17.09.2025, 21.11.2025, 23.12.2025, 28.01.2026 and 25.03.2026.

एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसीएमआरएनपीए) सभी एनपीए खातों में वसूली की समीक्षा और निगरानी कर रही है। यह एनपीए प्रबंधन की भी समीक्षा करती है और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों/निर्देशों पर प्रगति/कार्रवाई रिपोर्ट भी देती है। एमडी व सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान समिति की 8 बार बैठक हुई। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

3.13 निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति:

आयोजित बैठकों की संख्या: 02

बैठक की तिथियां: 19.06.2025 and 21.11.2025

पूर्णकालिक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन करना और डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक नियंत्रण (जैसे निरीक्षण और लेखा परीक्षा, अनुपालन और जोखिम) के प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक/महा प्रबंधक होंगे। समिति की वर्ष 2025-26 के दौरान 02 बैठकें आयोजित की गईं। दोनों बैठकें विधिवत गणपूर्ति (कोरम) के साथ तथा बिना किसी स्थगन के संपन्न हुईं। सभी सदस्य बैठकों में उपस्थित रहे।.

3.14 अपील पर विचार के लिए बोर्ड की समिति:

बोर्ड की अपील विचार समिति, उन मामलों में अपीलीय प्राधिकारी/ पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है, जहाँ कार्यपालक अधिकारियों को दंड/अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रदान की गई हो तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) अनुशासनात्मक प्राधिकारी (डीए) हों अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक अनुशासनात्मक प्राधिकारी हों। जिन मामलों में एमडी एवं सीईओ अनुशासनात्मक प्राधिकारी होते हैं, उन मामलों में वे अपील एवं पुनरीक्षण समिति के सदस्य नहीं होंगे। वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.15 बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 20

बैठक की तिथियां:16.04.2025, 30.04.2025, 16.05.2025, 04.06.2025, 24.06.2025, 14.07.2025, 24.07.2025, 07.08.2025, 02.09.2025, 23.09.2025, 21.10.2025, 10.11.2025, 20.11.2025, 05.12.2025, 20.12.2025, 31.01.2026, 11.02.2026, 23.02.2026, 10.03.2026 and 30.03.2026.

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 में संशोधन के अनुसार दिनांक 5 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना संख्या एस.0.2736(ई) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा 25.02.2012 को ऋण स्वीकृति समिति का गठन किया गया था।. समिति को ऋण प्रस्तावों को मंजूरी देने तथा ऋण समझौता/बट्टे खाते में डालने के लिए विशिष्ट वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। तत्पश्चात सीएसी के संबंध में विभिन्न निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसके आधार पर, मंडल द्वारा समिति का अंतिम पुनर्गठन 25.06.2020 को किया गया था।

समिति के अध्यक्ष बैंक के एमडी व सीईओ हैं। 01.04.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि के दौरान 20 बार सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

3.16 समझौता निपटान के लिए बोर्ड स्तरीय समिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 02

बैठक की तिथियां: 04.06.2025 and 23.09.2025.

समझौता निपटान और तकनीकी राइट-ऑफ के लिए आरबीआई फ्रेमवर्क दिनांक 08.06.2023 के आधार पर, समझौता निपटान के लिए बोर्ड स्तरीय समिति का गठन 23.07.2024 को किया गया। समिति के अध्यक्ष बैंक के एमडी व सीईओ हैं।. समिति की बैठक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि के दौरान 02 बार सभी बैठकों उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

4. वरिष्ठ प्रबंधन:

वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से उसमें हुए परिवर्तन शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1	श्री नटराज कर्यमपुडी	मुख्य महा प्रबंधक व मुख्य अनुपालन अधिकारी
2	श्री अरबिंद्र मोहन बनर्जी	मुख्य महा प्रबंधक
3	श्री गोपाल एस	मुख्य महा प्रबंधक
4	श्री कौस्तुभ मजूमदार	महा प्रबंधक व मुख्य जोखिम अधिकारी
5	श्री सत्या नारायणन बी	महा प्रबंधक व मुख्य सूचना अधिकारी
6	श्री सुधीर प्रसाद ठाकुर	महा प्रबंधक
7	श्री दिलीप कुमार बारिक	महा प्रबंधक
8	सुश्री सेल्वारानी वी	महा प्रबंधक
9	श्री सुबोध कुमार	महा प्रबंधक
10	श्री एस अलगरसामी	महा प्रबंधक
11	श्री नितेश कुमार सिन्हा	महा प्रबंधक
12	श्री चन्द्र मोहन आचारी	महा प्रबंधक
13	श्री अनिल कुमार	महा प्रबंधक
14	सुश्री विजया एन	महा प्रबंधक
15	श्री वेलायुदम के	महा प्रबंधक
16	श्री श्रीराम जी	महा प्रबंधक
17	श्री सिकरीलाल वी.एल.	महा प्रबंधक
18	श्री संजय कुमार सिंह	महा प्रबंधक
19	श्री संजय किशोर	महा प्रबंधक
20	श्री गौरव भारद्वाज	महा प्रबंधक
21	श्री रंजय कुमार मिश्रा	महा प्रबंधक
22	श्री माधव चंद्र झा	उप महा प्रबंधक व मुख्य वित्त अधिकारी
23	श्री दीपक कुमार त्रिपाठी	उप महा प्रबंधक

4. वरिष्ठ प्रबंधन: (Contd.)

क्र. सं.	नाम	पदनाम
24	सुश्री संगीता के	उप महा प्रबंधक
25	श्री प्रेम कुमार एस	उप महा प्रबंधक
26	श्री राधाकृष्णन एस	उप महा प्रबंधक व मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी
27	श्री हरीश पटेल	उप महा प्रबंधक
28	श्री पूर्ण चन्द्र सतपति	उप महा प्रबंधक
29	सुश्री शशिकला बी प्रभु	उप महा प्रबंधक
30	श्री राजेश एमएस	उप महा प्रबंधक
31	श्री अमित कुमार	उप महा प्रबंधक
32	श्री परविन्द्र कुमार कोचर	उप महा प्रबंधक
33	श्री नारायण प्रसाद नायक	उप महा प्रबंधक
34	श्री अमित श्रीवास्तव	उप महा प्रबंधक
35	श्री अतुल सिंह	उप महा प्रबंधक
36	श्री विक्रम खेड़ा	उप महा प्रबंधक
37	श्री रघुराम मल्लेला	उप महा प्रबंधक व कंपनी सचिव (दिनांक 27.02.2026 से प्रभावी)
38	श्री लक्ष्मी वेंकटेश आर	महा प्रबंधक (30.04.2025 को अधिवर्षिता पर कार्यालय से सेवानिवृत्त)
39	श्री एम मोहन	महा प्रबंधक (31.05.2025 को अधिवर्षिता पर कार्यालय से सेवानिवृत्त)
40	श्री सुरेश पी	महा प्रबंधक (31.10.2025 को अधिवर्षिता पर कार्यालय से सेवानिवृत्त)

5. निदेशकों को पारिश्रमिक:

वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पूर्णकालिक निदेशक का नाम	पारिश्रमिक * (2025-26)
1	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (एमडी व सीईओ)	66,55,812.00
2	श्री जयदीप दत्ता रॉय (ईडी)	58,18,092.00
3	श्री धनराज टी (ईडी)	74,15,522.72

* पारिश्रमिक में वेतन एवं भत्ते, वेतन बकाया, कार्य निष्पादन प्रोत्साहन, अवकाश नकदीकरण बकाया और ग्रेच्युटी बकाया शामिल हैं।.

6. निदेशकों को बैठक शुल्क:

बैंक द्वारा गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक देय नहीं है। बैठक शुल्क को निदेशक मंडल द्वारा अपनी दिनांक 29.11.2025 को आयोजित बैठक में, डीएफ़एस के अधिसूचना सं. 15/1/2011- बीओ.1 दिनांक 28.10.2025 के अनुरूप संशोधित एवं निर्धारित किया गया है, जो प्रति निदेशक मंडल बैठक रु 60000/- तथा प्रति समिति बैठक रु 30000/- है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करने हेतु रु 15000/- तथा निदेशक मंडल समिति की बैठक की अध्यक्षता करने हेतु रु 7500/- का अतिरिक्त शुल्क देय है।

वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	2025-26
1	श्री श्रीनिवासन श्रीधर	12,77,500
2	श्री सुरेश कुमार रुंगटा	14,77,500
3	श्री बी चंद्रा रेड्डी	12,00,000
4	श्री दीपक शर्मा	15,15,000
5	श्री संजया रस्तोगी (02.12.2025 तक)	11,35,000
6	श्री जी वेंकटरमणन (03.12.2025 से प्रभावी)	3,67,500
7	श्री थॉमस मैथ्यू (03.03.2026 से प्रभावी)	1,50,000

7. सामान्य सभा की बैठक:

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित आम सभा की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	बैठक की प्रकृति	बैठक की तिथि, दिन एवं समय	स्थान	सम्पन्न कार्य
01	23वीं एजीएम	07.07.2023 शुक्रवार 11.00 बजे पूर्वाह्न	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002 (बैठक का स्थान) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से।	ए) बैंक के 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानी खाते का, उस पर निदेशकों की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित। (साधारण संकल्प) बी) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव की प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति। (साधारण संकल्प) सी) श्री संजय विनायक मुदलियार का कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति। (साधारण संकल्प) डी) (क्यूआईपी/एफ़पीओ/अधिकार निर्गम/ईएसपीएस आदि) जैसे उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के माध्यम से रु 1000 करोड़ की चुकता इक्विटि पूँजी जुटाने हेतु। (विशेष संकल्प)

7. सामान्य सभा की बैठक: (Contd.)

क्र. सं.	बैठक की प्रकृति	बैठक की तिथि, दिन एवं समय	स्थान	सम्पन्न कार्य
02	24वीं एजीएम	02.07.2024 मंगलवार 11.00 बजे पूर्वाह्न	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002 (बैठक का स्थान) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से।	ए) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखा-परीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, बहियों में कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और बैलेंस शीट और खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट। (साधारण संकल्प) बी) श्री श्रीनिवासन श्रीधर की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति (साधारण संकल्प) सी) श्री जयदीप दत्ता रॉय की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति (साधारण संकल्प) डी) श्री धनराज टी की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति (साधारण संकल्प) इ) श्री कार्तिकेय मिश्रा की बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में नियुक्ति (साधारण संकल्प) एफ) सुश्री सोनाली सेन गुप्ता की बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (आरबीआई नामित निदेशक) के रूप में नियुक्ति। (साधारण संकल्प) अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव/राइट्स निर्गम/योग्य संस्थागत प्लेसमेंट/ सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के अंतर्गत कर्मचारियों को शेयर जारी करना/एलआईसी और अन्य बीमा कंपनियों/म्यूचुअल फंड/क्यूआईबी को तरजीही आधार पर शेयर जारी करना या किसी अन्य तरीके या इनके संयोजन के माध्यम से एक या एक से अधिक किस्तों में रुपये 5000 करोड़ तक की चुकता इक्विटी पूँजी जुटाना। (विशेष संकल्प)
03	25 वीं एजीएम	02.07.2025 बुधवार 11.00 बजे पूर्वाह्न		ए) 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बैंक के लेखा परीक्षित एकल एवं समेकित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु एकल एवं समेकित लाभ एवं हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरणी, लेखों द्वारा आच्छादित अवधि के लिए बैंक के कार्यकलापों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलाल पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अंगीकरण (साधारण संकल्प) बी) सुश्री नीलम अग्रवाल की बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकार नामित निदेशक) के रूप में नियुक्ति । (साधारण संकल्प)

7. सामान्य सभा की बैठक: (Contd.)

क्र. सं.	बैठक की प्रकृति	बैठक की तिथि, दिन एवं समय	स्थान	सम्पन्न कार्य
				सी) श्री दीपक शर्मा की बैंक की अंश-कालिक गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनर्नामांकन) (विशेष संकल्प) डी) श्री बी. चंद्रा रेड्डी की बैंक की अंश-कालिक गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनर्नामांकन) (विशेष संकल्प) इ) श्री सुरेश कुमार रुंगटा की बैंक की अंश-कालिक गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति (पुनर्नामांकन) (विशेष संकल्प) एफ) मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन व एसोसियट, कंपनी सचिवों, की बैंक के सचिवी लेखा परीक्षक के रूप में वित्त वर्ष 2025 -26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक की 5 वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि हेतु नियुक्ति। जी) वित्त वर्ष 2025 – 26 के दौरान अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ/अधिकार निर्गम/योग्य संस्थागत नियोजन/क्यूआईपी/ सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं स्वेट इक्विटि) विनियम, 2021 के अंतर्गत कर्मचारियों को शेयर जारी करने/एलआईसी एवं अन्य बीमा कंपनियों/म्यूचुअल फंडों/क्यूआईबी को अधिमान्य आधार पर शेयर जारी करने अथवा किसी अन्य माध्यम या इनके संयोजन द्वारा, एक या अधिक किश्तों में, रु 4000 करोड़ तक की इक्विटि शेयर पूँजी (यदि कोई हो तो शेयर प्रीमियम सहित) जुटाने हेतु। (विशेष संकल्प) एच) वित्त वर्ष 2025-26 हेतु बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पूँजी जुटाने की योजना के अनुसार, रु 4000 करोड़ (यदि कोई हो तो शेयर प्रीमियम सहित) के कुल निर्गम आकार के अंतर्गत रु 10 अंकित मूल्य वाले इतने इक्विटि शेयर सृजन, अनुदान, प्रस्ताव, निर्गमन एवं आबंटन, एक या अधिक किश्तों में, भारत अथवा भारत के बाहर कार्यरत ऐसे स्थायी कर्मचारियों को कर्मचारी शेयर खरीद योजना, जिसे "आइओबी ईएसपीएस 2025-26" कहा जाएगा, के अंतर्गत करने हेतु। (विशेष प्रस्ताव)

- एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए ईजीएम 20.11.2025 को आयोजित होने वाली थी और इस रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक मतपत्रों के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

दिनांक 02.07.2025 को आयोजित बैंक की पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्री श्रीनिवासन श्रीधर	अध्यक्ष
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3	श्री जयदीप दत्ता रॉय	कार्यपालक निदेशक
4	श्री धनराज टी	कार्यपालक निदेशक
5	श्री दीपक शर्मा	स्वतंत्र निदेशक
6	श्री चंद्रा रेड्डी बी	स्वतंत्र निदेशक
7	श्री संजया रस्तोगी	शेयरधारक निदेशक

8. संचार के साधन:

- बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से बैंक से संबंधित जानकारी प्रदान करता है जिसमें कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित खाते, नकदी प्रवाह विवरण आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को समाचार पत्रों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना, प्रेस विज्ञप्ति, विश्लेषकों को प्रस्तुतीकरण और www.iob.bank.in पर वेबसाइट के माध्यम से इसके प्रदर्शन की जानकारी दी जाती है। बैंक अपनी वेबसाइट पर आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ, संस्थागत निवेशकों, विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुतियाँ भी प्रदर्शित करता है।

- तिमाही वित्तीय परिणाम सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 (एलओडीआर) के विनियम 47 के अनुसार एक राष्ट्रीय दैनिक, हिंदी दैनिक और एक क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक में प्रकाशित किए जाते हैं। विवरण और प्रकाशन की तिथियाँ इस प्रकार हैं:

तिमाही समाप्त	हिन्दी दैनिक	तमिल दैनिक	अंग्रेजी दैनिक	प्रकाशन तिथि
30.06.2025	जनसत्ता	दिनकरन	इक्नोमिक्स टाइम्स	19.07.2025
30.09.2025	बिज़नस स्टैंडर्ड	दिनकरन	बिज़नस स्टैंडर्ड	17.10.2025
31.12.2025	बिज़नस स्टैंडर्ड व जनसत्ता	दिनकरन	बिज़नस स्टैंडर्ड व फाइनेंसियल एक्सप्रेस	15.01.2026
31.03.2026	राजस्थानी पत्रिका	दिनमलर	इक्नोमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया व मिंट	30.04.2026

9. सामान्य शेयरधारक जानकारी:

ए) एजीएम: दिनांक, समय एवं स्थान:

दिनांक	07 जुलाई 2026 (मंगलवार)
समय	11.00 बजे पूर्वाह्न
स्थान	वर्चुअल मोड (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)

बी) वित्तीय वर्ष:

01 अप्रैल 2025 to 31 मार्च 2026.

सी) लाभांश भुगतान तिथि:

लागू नहीं

डी) अदत्त लाभांश:

बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 ने बैंकों के अदत्त लाभांश पर बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में एक नई धारा 10(ख) को शामिल किया है तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अदत्त लाभांश राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आइईपीएफ) में स्थानांतरित करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए सूचित किया था।

तदनुसार, पिछले वर्षों के अदत्त लाभांश को आइओबी के अदत्त लाभांश खाते/खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है और इसलिए ऐसी धनराशि, जो सात वर्षों की अवधि के लिए अवैतनिक या दावा न की गई हो, आइईपीएफ में स्थानांतरित कर दी जाएगी:

वर्ष के लिए लाभांश	अदत्त लाभांश खाते में स्थानांतरण की तिथि	सरकार को हस्तांतरित करने की अंतिम तिथि (आइईपीएफ़)
शून्य		

ई) बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड मंजिल 1, पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400 001	**नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड** एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1 ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051

वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क निर्धारित तिथियों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को भुगतान कर दिया गया है।

एफ) रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट:

कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड (यूनिट-आइओबी)
सुब्रमण्यम बिल्डिंग,
पंचम तल, नं.1 क्लब हाउस रोड,
चेन्नै-600 002
टेलीफ़ोन: 044-28460395
फैक्स: 28460129
ई-मेल: cameo@cameoindia.com

जी) 31.03.2026 तक शेयरधारिता का वितरण:

क्र.सं.	वर्ग	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	धारिता %
प्रमोटर होल्डिंग				
1	भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति)	01	17,80,04,88,299	92.44
	उप-योग (1)	**01**	**17,80,04,88,299**	**92.44**
गैर-प्रमोटर होल्डिंग				
2	संस्थागत निवेशक (देशीय)			
	म्यूचुअल फंड्स	16	4,19,44,173	0.22
	बैंक, वित्तीय संस्थान	09	4,34,09,687	0.23
	बीमा कंपनी	05	71,68,81,177	3.72
	अन्य वित्तीय संस्थाएँ	03	2,18,60,991	0.11
	वैकल्पिक निवेश निधि	01	1,212	0.00
	उप-योग (2)	**34**	**82,40,97,240**	**4.28**
3	संस्थागत निवेशक (विदेशी)			
	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	45	8,31,69,620	0.43
	उप-योग (3)	**45**	**8,31,69,620**	**0.43**
4	गैर- संस्थागत निवेशक			
	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	01	5,401	0.00
	वैयक्तिक	9,49,468	46,21,65,870	2.41
	एनआरआई	5,319	1,14,48,273	0.06
	कॉरपोरेट निकाय	1,076	2,05,89,903	0.11
	विदेशी कॉरपोरेट निकाय	01	48,000	0.00
	ईएसओपी/ईएसओएस/ईएसपीएस	7,595	3,71,85450	0.19
	एचयूएफ	4,656	1,41,03,458	0.07
	न्यास	19	6,35,802	0.00
	निदेशक और उनके रिश्तेदार	04	24,262	0.00
	समाशोधन सदस्य	04	27,917	0.00
	एलएलपी	74	25,98,800	0.01
	अन्य	01	1,500	0.00
	उप-योग (4)	**9,68,218**	**54,88,34,636**	**2.84**
कुल योग		**9,68,298**	**19,25,65,89,795**	**100.00**

एच) शेयरधारिता का वितरण:

i. 31.03.2026 तक वितरण अनुसूची (डीपी आइडी/क्लाइंट आइडी और फोलियो संख्या के आधार पर)

शेयरों की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों की संख्या का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
10 - 5000 के बीच	8,23,433	85.03	8,53,46,756	0.44
5001 10000 के बीच	68,975	7.12	5,58,02,384	0.29
10001 – 20000 के बीच	36,,012	3.72	5,37,98,023	0.28
20001 – 30000 के बीच	12636	1.30	3,22,52,929	0.17
30001 – 40000 के बीच	5,831	0.60	2,08,45,833	0.11
40001 – 50000 के बीच	4,986	0.51	2,35,67,513	0.12
50001 -100000 के बीच	10,238	1.06	7,67,18,036	0.40
100001- और अधिक	6,254	0.65	18,90,82,58,321	98.19
कुल	**9,68,365**	**100.00**	**19,25,65,89,795**	**100.00**

ii. "सार्वजनिक" श्रेणी से संबंधित और कुल शेयरों की संख्या का 1% से अधिक शेयर रखने वाले व्यक्तियों की शेयर-धारिता:

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर-धारिता का %
भारतीय जीवन बीमा निगम	71,22,77,549	3.70

iii. "सार्वजनिक" श्रेणी से संबंधित और कुल शेयरों की संख्या के 5% से अधिक शेयर रखने वाले व्यक्तियों की शेयर-धारिता:

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर-धारिता का %
शून्य		

iv. लॉक-इन शेयरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण:

शेयरधारक का नाम	लॉक-इन शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की संख्या के प्रतिशत के रूप में लॉक-इन शेयर
शून्य		

v. 31.03.2026 तक विदेशी शेयरधारिता:

क्र.सं.	वर्ग	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
		शेयरों की संख्या	कुल पूँजी में %	शेयरों की संख्या	कुल पूँजी में %
1	विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ओसीबी	48,000	0.00	48,000	0.00
3	एनआरआई	1,14,48,273	0.01	89,33,984	0.01
4	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	8,31,69,620	0.04	4,25,85,060	0.02
कुल		**9,46,65,893**	**0.05**	**5,15,67,044**	**0.03**

vi. 31.03.2026 तक बैंक के शीर्ष दस शेयरधारक:

क्र.सं	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर-धारिता का %
1	भारत के राष्ट्रपति	17,80,04,88,299	92.44
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	71,22,77,549	3.70
3	वैनगार्ड इमरजिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फ़ंड, ए सिरीज़ ऑफ वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटि इंडेक्स फ़ंड	2,02,38,951	0.11
4	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फ़ंड	1,68,89,358	0.09
5	निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लि-ए/सी निप्पॉन इंडिया ईटीएफ़ निफ्टी पीएसयू बैंक बीईईएस	1,59,59,254	0.08
6	यूको बैंक	1,37,15,553	0.07
7	एनपीएस ट्रस्ट – ए/सी एलआईसी पेंशन फ़ंड स्कीम – राज्य सरकार	1,35,07,486	0.07
8	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,24,38,977	0.06
9	वैनगार्ड फ़िडिसरी ट्रस्ट कंपनी इंस्टीट्यूशनल टोटल इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट इंडेक्स ट्रस्ट II	1,05,95,361	0.06
10	गवर्नमेंट पेंशन फ़ंड ग्लोबल	1,05,36,482	0.05
कुल		**18,62,66,47,270**	**96.73**

आइ) शेयरों का अभौतिकीकरण:

बैंक के शेयरों का कारोबार अनिवार्य रूप से डीमैट फॉर्म में किया जा रहा है। बैंक ने शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए पहले ही दोनों डिपॉजिटरीज यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ समझौता किया है।

31.03.2026 को शेयर धारकों (डीपी आइडी/क्लाइंट आइडी एवं फोलियो संख्या के आधार पर) के द्वारा डीमेट एवं भौतिक रूप में धारित शेयरों का विवरण (डीपी आइडी/ग्राहक आइडी और फोलियो संख्या के आधार पर) निम्नानुसार है:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरो की संख्या	कुल भुगतान %
सीडीएसएल	7,18,348	18,10,13,86,739	94.00
एनएसडीएल	1,95,969	1,13,20,65,056	5.88
भौतिक	73,496	2,31,38,000	0.12
कुल	**9,87,813**	**19,25,65,89,795**	**100.00**

बैंक द्वारा उन शेयरधारकों को अपने शेयरों को डीमैट रूप में परिवर्तित करने हेतु समय-समय पर सूचित किया गया है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2025-26 के दौरान 1610 शेयरधारकों ने अपने भौतिक 7,16,700 शेयरों को डीमैट में परिवर्तित कर लिया है।

हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने भौतिक होल्डिंग को डीमेट में परिवर्तित करें। अभौतिकीकरण के लिए,शेयरधारक अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे डीमैट खाते रखते हैं।

प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण के लाभ निम्नलिखित है:

- निर्बाध अंतरण
- शेयर प्रमाण पत्र खोने का कोई खतरा नहीं।
- लाभांश/कॉरपोरेट लाभ का प्रत्यक्ष और शीघ्र क्रेडिट
- नामांकन सुविधा
- एएसबीए/आइपीओ आदि के माध्यम से सीधा आवेदन

भौतिक/डीमैट रूप में शेयर रखने वाले और अभी तक अपनी ई-मेल आइडी पंजीकृत नहीं कराने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे हरित पहल का समर्थन करने के लिए बैंक के आरटीए/अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ई-मेल आइडी पंजीकृत कराएं।

पैन,केवाइसी,बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मापदंड:

सेबी ने 3 नवंबर 2021 के सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 16.03.2023 के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाइसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दूसरे शब्दों में, सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए अपने संबंधित फोलियो नंबर के लिए पैन,नामांकन,संपर्क विवरण,बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित परिपत्रों में से वैध पैन, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत आरटीए को प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	रूप	उद्देश्य
1	फॉर्म आइएसआर-1	पैन,केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए
2	फॉर्म आइएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करना
3	फॉर्म आइएसआर -3	नामांकन फॉर्म को रद्द करने के लिए घोषणा पत्र
4	फॉर्म एसएच-13	नामांकन फॉर्म
5	फॉर्म एसएच-14	नामांकन रद्द करना या बदलाव करना (यदि कोई हो)

डीमैट खाते में रखे गए अदावाकृत शेयर:

दावा न किए गए उचंत खाते में धारित शेयरों की स्थिति का उल्लेख नीचे किया गया है:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
दिनांक 01.04.2025 की शुरुआत में दावा न किए गए उचंत खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	218	54,400
वर्ष के दौरान दावा न किए गए उचंत खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	0	0
उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें दावा न किए गए उचंत खाते से शेयर हस्तांतरित किए गए थे	0	0
दिनांक 31.03.2026 के अंत में दावा न किए गए उचंत खाते में पड़े शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	218	54,400

इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरोधित रहेंगे जब तक ऐसे शेयरों के असली मालिक शेयरों का दावा नहीं करते।

जे) शेयर पूँजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का समाधान:

सेबी द्वारा निर्धारित अनुसार, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीएसटीएल) के साथ कुल स्वीकृत पूँजी और बैंक की कुल जारी और सूचीबद्ध पूँजी का मिलान करने के लिए लेखापरीक्षा करता है। यह लेखापरीक्षा हर तिमाही में किया जाता है और उस पर रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती है जहां बैंको के शेयर सूचीबद्ध हैं। लेखा परीक्षा पुष्टि करता है कि कुल सूचीबद्ध पूँजी और चूकता पूँजी डीमैटरीयलाइज्ड फॉर्म (एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ रखे गए) में कुल शेयरों की संख्या और भौतिक रूप में शेयरों की संख्या के योग के अनुरूप है।

के) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है।

एल) बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर/वचनपत्रों से संबंधी गैर परिवर्तनीय बॉण्ड जारी किए हैं। दिनांक 31.03.2026 तक बकाया ऐसे बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

शृंखला	आबंटन की तिथि	साइज (रुपये करोडों में)	अवधि (महीनों में)	कूपन(%)	शोधन की तिथि
		बेसल III टीयर II बॉण्ड			
III	24.09.2019	500.00	120	9.0802	24.09.2029
IV	31.03.2022	665.00	120	8.60	31.03.2032#
V	24.03.2023	1000.00	120	9.00	24.03.2033#
VI	23.01.2026	1000.00	120	7.80	23.01.2036#

#5 साल के अंत में और बाद में कूपन भुगतान तिथि पर (आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के साथ) कॉल विकल्प उपलब्ध है।

एम) निर्गम के डिबेंचर ट्रस्टी:

बैंक ने आइडीबीआई ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई के सीरीज III, सीरीज IV और सीरीज VI बॉण्ड इश्यु के लिए और एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, मुंबई सीरीज V बॉण्ड जारी करने हेतु बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि बॉण्ड के निवेशकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा की जा सके। ट्रस्टी का पता निम्नवत है –

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड,
एशियन बिल्डिंग, 17 आर कनमणि रोड, बैलार्ड एस्टेट,
फोर्ट, मुंबई-400 001
संपर्क विवरण: श्री कृष्णकांत
वरिष्ठ प्रबंधक
022-40807000

एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
मिस्त्री भवन, चौथी मंजिल,
122 दिनशॉ वाचा रोड,
चर्चगेट, मुंबई-400020
संपर्क विवरण:आदित्य कपिल
022 4302 5500/5566
022 43025525
www.sbicaptrustee.com

एन) क्रेडिट रेटिंग

- **बेसल III टीयर II बॉन्ड, दिनांक 31.03.2026**

रेटिंग एजेंसी का नाम	बेसल II टीयर II बॉन्ड			
	शृंखला III आइएनई 565ए08035 रु.500 करोड़	शृंखला IV आइएनई 565ए08043 रु.665 करोड़	शृंखला V आइएनई 565ए08050 रु. 1000 करोड़	शृंखला VI आइएनई 565ए08068 रु.1000 करोड़
क्रिसिल लिमिटेड	एए/स्थिर			
आईसीआरए			एए/स्थिर	एए/स्थिर
इंडिया रेटिंग	एए/पॉजिटिव	एए/पॉजिटिव		
केयर रेटिंग		एए/स्थिर	एए/स्थिर	एए/स्थिर

सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बेसल III टीयर II बॉन्ड की सभी श्रृंखलाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पिछली क्रेडिट रेटिंग एए/स्थिर है।

- **जमा प्रमाणपत्र**

रेटिंग एजेंसी का नाम	लिखत का प्रकार	राशि	रेटिंग
केयर रेटिंग	जमा प्रमाणपत्र	रु.20000 करोड़	केयर ए1+ (ए वन प्लस)

- **दीर्घकालिक निर्गमकर्ता रेटिंग**

रेटिंग एजेंसी का नाम	रेटिंग
इंडिया रेटिंग	एए/पॉजिटिव

- **वैश्विक ऋण रेटिंग -मेसर्स फिट्च रेटिंग**

प्रमुख रेटिंग घटक	रेटिंग
निर्गमकर्ता की दीर्घकालिक चूक रेटिंग	बी बी बी-/स्थिर/ एफ3
व्यर्हायता रेटिाग	बी बी

- **वैश्विक ऋण रेटिंग -मेसर्स एस एवं पी वैश्विक रेटिंग सिंगपूर पीटीई**

प्रमुख रेटिंग घटक	रेटिंग
निर्गमकर्ता क्रेडिट रेटिंग	बी बी बी/स्थिर/ए2
स्वतंत्र ऋण प्रोफाइल (एस ए सी पी)	बी बी बी-

ओ) पत्राचार के लिए पता:

शेयर हस्तांतरण लाभांश भुगतान और अन्य सभी निवेशक संबंधी गतिविधियों कैमियो सर्वीसेज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रासंफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है और संसाधित की जाती है। शेयरधारक उनके पते पर दस्तावेज परिवाद और शिकायातें दर्ज करा सकते हैं:

कैमियो कॉरपोरेट सर्वीसेज लिमिटेड
(यूनिट इण्डियन ओवरसीज बैंक)
सुब्रमणियन बिल्डिंग,
पंचम तल, नं 1 क्लब हाउस रोड, चेन्नै-600 002
दूरभाष:044-4002 0700
ऑनलाइन निवेशक पोर्टल: https://wisdom.cameoindia.com
वेबसाइट: www.cameoindia.com
बैंक के केंद्रीय कार्यालय में एक निवेशक संबंध कक्ष है जो शेयरधारकों की शिकायतों और सेवा आवश्यकताओं को निम्नलिखित पते पर है:

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निवेशक संबंध कक्ष
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै
चेन्नै -600 002
दूरभाष: 044-2888 9221, 7172 9791, 2888 9360
ई मेल: investor@iob.bank.in

10. अन्य प्रकटीकरण:

- बैंकिंग कारोबार के सामन्य क्रम के अलावा, बैंक ने अपने प्रमोटर/निवेशकों, प्रबंधन, उनके रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेनेदेन नहीं किया है, जिससे बैंक के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है।

- बैंक ने अपने शेयरों की लिस्टिंग के बाद से पूँजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूँजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या केसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

- राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक होने के नाते बैंक ने सेबी सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियम 2015 की आवश्यकताओं का लागू सीमा तक अनुपालन किया है।

- बैंक सत्यनिष्ठा और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है और बैंक में कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार और अधिकार के दुरुपयोग को जड़ से समाप्त करने के लिए परिभाषित प्रणालियॉं और प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं। बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों, ग्राहकों और बैंक के संपर्क में आने वाले आम लागों के बीच काम करने और व्यवहार की एक खुली और पारदर्शी प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग के दायरे में आता है। इस प्रकार, बैंक ने इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई गई है। व्हिसल ब्लोअर नीति नामक नीति का उद्देश्य विचलनों को शीघ्रता से पहचानना और यथासंभव कम समय में उनेस निपटना है। इसे बैंक के कर्मचारियों ओर अधिकारियों के बीच प्रसारित किया गया है ताकि उनके नामों के प्रकटीकरण के विरुद्ध उनकी पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके और व्हिसल ब्लोअर को किसी भी व्यक्तिगत प्रतिशोधात्मक कार्रवाई जैसे अपमान, उत्पीडना या किसी अन्य प्रकार के अनुचित व्यवहार या उसके सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के कारण किसी भी प्रकार की हानि के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जा सके।

- नीति का विषय -वस्तु बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है: https://www.iob.bank.in/en/disclosures-under-regulation-46-62--of-the-lodr-regulations

- बैंक के किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहूंच से वंचित नहीं किया गया है।

- बैंक ने नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। आरबीआई/वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए दंडों का विवरण खातों के नोटों में प्रकट किया गया है।

- कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों से संबंधित नीतियां (कॉरपोरेट गवर्नेंस नीति और संबंधित पक्ष लेनदेन नीति) बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं और इन्हें निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: https://www.iob.bank.in/en/disclosures-under-regulation-46-62--of-the-lodr-regulations

- 31.03.2026 तक बैंक की कोई भी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है।

  सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के दौरान किए गए लेन-देन को छोड़कर, बैंक ने किसी भी संबंधित पक्ष के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया है, जिससे बैंक के समग्र हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। बैंक में यह स्थापित प्रथा है कि निदेशक मंडल तथा उसकी अन्य उप-समितियों की बैठकों में, जब उनसे संबंधित अथवा उनके रिश्तेदारों/फर्मों/कंपनियों से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाती है, जिनमें उनकी रुचि हो, तब संबंधित निदेशक विचार विमर्श में भाग नहीं लेते हैं।

- सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के दौरान किए गए लेन देन तथा बैंक के निदेशक मंडल एवं उसकी समितियों की बैठकों में उनकी उपस्थिति के लिए बैंक द्वारा उन्हें दी जानेवाली बैठक शुल्क के सिवाय बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशकों का बैंक के साथ कोई वित्तीय संबंध अथवा या लेन-देन नहीं है।

- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2029-2030 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट तैयार करने हेतु मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को नियुक्त किया है। वार्षिक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होगी।

- मेसर्स श्रीनिधि श्रीधरन एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि बैंक के निदेशक मंडल में से किसी को भी सेबी/ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी भी ऐसे वैधानिक/ नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा साथ संलग्न है।

- सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनिमय, 2015 के **अनुलग्नक-V** के उप-पैरा (2) से (10) तक की कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की किसी भी आवश्यकता का अनुपालन न करना: शून्य

- कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियां - लागू नहीं।

- योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से बैंक द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग: शून्य।

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बेसल III टीयर II बॉन्ड जारी करके 1000 करोड़ रुपये की पूँजी जुटाई, जिसे योग्य संस्थागत खरीदारों ने सब्सक्राइब किया।

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं था, जहां बोर्ड ने बोर्ड समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। अनिवार्य रूप से आवश्यक सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

- सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनिमय, 2015 के विनिमय 33(2) के साथ पठित विनिमय 17(8) के तहत निर्धारित बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र प्रत्येक तिमाही के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया है तथा इसे बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न किया जाएगा।

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई कुल व्यवसायिक शुल्क और अन्य व्यय 50,73,70,343.94.

- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप, बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक नीति तैयार की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान

विवरण	नं
वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	01
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	0
वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	01

- बैंक के वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनिमय, 2015 के अनुसार कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में होगा और इसे बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।

- विनियमों के अनुसरण में, बैंक ने नामित कर्मचारियों और निदेशकों के लिए बैंक के शेयरों में लेन-देन करने हेतु भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता तैयार की है। इन विनियमों के अनुसार, नामित कर्मचारियों और बैंक के निदेशकों से समय-समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रपत्र तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक के शेयरों में लेन-देन के लिए ट्रेडिंग विंडो को बैंक के निदेशकों और नामित कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार बंद रखा गया था:

ट्रेडिंग विंडो बंद होने की तिथियाँ	बंद होने का उद्देश्य
1 अप्रैल 2025 से 4 मई 2025 तक	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय परिणामों की घोषणा।
1 जुलाई 2025 से 20 जुलाई 2025 तक	30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा।
1 अक्टूबर 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक	30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा।
1 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 तक	31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय परिणामों की घोषणा

- इस रिपोर्ट में संबंधित मदों के सामने बताए गए अनुसार गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया गया है।

- बैंक की लाभांश वितरण नीति वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है और बैंक की वेबसाइट https://www.iob.bank.in/documents/d/guest/dividend-distribution-policy पर उपलब्ध है।

- निदेशकों के लिए परिचयात्मक कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.iob.bank.in/en/fpiid पर उपलब्ध है।

- हमने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, संशोधित के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

- इन विनियमों की अनुसूची III के भाग A के पैराग्राफ A के खंड 5A के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं पर बाध्यकारी कुछ प्रकार के समझौतों का खुलासा: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऐसे कोई समझौते नहीं किए गए।

11. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 27(1) की विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा निम्नानुसार है:

क्रम सं	विवेकाधीन आवश्यकताएँ	कार्यान्वयन की स्थिति
1	**बोर्ड:** एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखने का हकदार होगा और उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी जा सकती है।	जी हाँ।
2	शेयरधारकों के अधिकार	वित्तीय परिणाम हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
3	लेखापरीक्षा अर्हता	बैंक के पास अप्रतिबंधित वित्तीय विवरण हैं।
4	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या सीईओ के लिए अलग पद।	भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को दो भागों में विभाजित किया है: एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष होगा जो बैंक को समग्र नीतिगत दिशा प्रदान करेगा तथा दूसरा पूर्णकालिक कार्यपालक प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो बैंक के दैनिक कामकाज की देखरेख करेगा।
5	आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग	आंतरिक लेखा परीक्षक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है।

निदेशक मंडल की ओर से

(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

परिशिष्ट-1

बैंक के वर्तमान निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

1. श्री श्रीनिवासन श्रीधर, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि: 03.05.1960)

श्री श्रीनिवासन श्रीधर ने 21.02.2024 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री श्रीनिवासन श्रीधर 2018 से लेकर अपने वर्तमान पदभार ग्रहण करने तक बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारक निदेशक के रूप में बोर्ड में कार्यरत थे। श्री श्रीनिवासन श्रीधर दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) स्नातक हैं और एक अर्हता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं।

श्री श्रीनिवासन श्रीधर वित्तीय सेवाओं के विशेषज्ञ हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भारत में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वे 28 वर्षों तक सिटीग्रुप के साथ जुड़े रहे और एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 6 देशों में काम कर चुके हैं। सिटीग्रुप में उन्होंने कई नेतृत्वकारी पदों पर कार्य किया, जिनमें तीन देशों के सीईओ, भारत के कॉरपोरेट बैंक प्रमुख, अफ्रीका के ट्रांजैक्शन सर्विसेज प्रमुख और मध्य, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के बैंक सर्विसेज ग्रुप प्रमुख शामिल हैं। उनके पास कॉरपोरेट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उत्पाद प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, शासन और विनिमायक अनुपालन जैसे क्षेत्रों में दुनिया भर का गहन बैंकिंग अनुभव और उत्कृष्ट कार्य अनुभव भी है।

- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में उनकी शेयरधारिता शून्य है।
- अन्य निदेशक पद: ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड और यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड।

2. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जन्म तिथि: 15.10.1967)

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने 09.10.2017 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के पश्चात 01.01.2023 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं।

उन्होंने 1991 में इलाहाबाद बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत की, जहाँ उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में कई पदों पर कार्य किया। वे एक कुशल और अनुभवी बैंकर हैं, जिन्हें व्यापक जमीनी अनुभव प्राप्त है और इलाहाबाद बैंक में वरिष्ठ स्तर पर रहते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है।

इलाहाबाद बैंक में लगभग 27 वर्षों की सफल सेवा के बाद, भारत सरकार द्वारा उन्हें कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्होंने 9 अक्टूबर 2017 को इण्डियन ओवरसीज बैंक में कार्यभार संभाला।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में उनका सफर बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। बैंक 2014 से घाटे में चल रहा था, 2015 से पीसीए में था और कई अन्य चुनौतियों के अलावा वित्तीय स्थिति भी बेहद खराब स्थिति में थी। उन्होंने प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र के लिए रणनीतियां बनाईं और बोर्ड के सहयोग से उन्हें जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया। उन्होंने पांच वर्षों से अधिक समय तक बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया और इस दौरान सभी विभागों और पोर्टफोलियो का प्रबंधन किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने मार्च 2020 में बैंक को घाटे से बाहर निकालने और सितंबर 2021 में पीसीए से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, वे 2020-2021 के दौरान लगभग 14 महीनों तक बैंक में एकमात्र कार्यपालक निदेशक थे।

वे भारत सरकार द्वारा संचालित इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आइआइएफसीएल) के निदेशक मंडल में दो वर्षों तक निदेशक भी रहे। उन्होंने अपने पूर्व बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक मंडल में भी कार्य किया है।

- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता: उनके पास हमारे बैंक के 8,182 शेयर हैं।
- अन्य निदेशक पद: यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

3. श्री जयदीप दत्ता रॉय, कार्यपालक निदेशक (जन्म तिथि: 01.07.1972)

श्री जयदीप दत्ता रॉय ने 31.01.2024 से इण्डियन ओवरसीज बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। लगभग 28 वर्षों के बैंकिंग अनुभव के बाद, उन्होंने वर्ष 1996 में बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यभार संभाला।

बैंक ऑफ बड़ौदा में मानव संसाधन प्रमुख, बैंक के देहरादून और बरेली क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रमुख, और पूर्ववर्ती देना और विजया बैंकों के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के समय एकीकरण प्रमुख के रूप में सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद, उन्हें मुख्य महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया और बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्यालय में तैनात किया गया। मुख्य महाप्रबंधक के रूप में, वे बैंक में रणनीति निर्माण और कार्यान्वयन के प्रभारी थे और बैंक स्तर और वर्टिकल स्तर की

समीक्षा करने के अलावा बैंक की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का प्रबंधन भी करते थे, जिसके बाद, उन्हें भारत सरकार द्वारा 21.10.2021 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में, उन्होंने बैंक के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार संभाला है, जिनमें रिटेल बैंकिंग व्यवसाय (परिसंपत्ति और देयताएँ), धन प्रबंधन और एनआरआई व्यवसाय, जोखिम, वित्त और योजना कार्य, मानव संसाधन प्रबंधन, आईटी और डिजिटल, निरीक्षण और लेखापरीक्षा, अनुपालन, क्रेडिट निगरानी, संग्रह, सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम, संचालन और सेवाएं, एंटरप्राइज डेटा प्रबंधन आदि शामिल हैं।

उन्होंने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल), पीएसबी एलायंस लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द नैनीताल बैंक लिमिटेड, बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड, बीओबी कार्ड्स लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा तंजानिया लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी कार्य किया है। इसके अलावा, वे बड़ौदा-बीएनपी परिबास एसेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष भी रहे हैं।

श्री जयदीप दत्ता रॉय ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की है। वे लॉ ग्रेजुएट भी हैं और मुंबई के नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए भी कर चुके हैं।

- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता: उनके पास हमारे बैंक के 8,096 शेयर हैं।
- अन्य निदेशक पद: शून्य।

4. श्री टी. धनराज, कार्यपालक निदेशक (जन्म तिथि: 20.05.1970)

श्री टी. धनराज ने 10 मार्च 2024 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले वे इंडियन बैंक में मुख्य महाप्रबंधक (सीडीओ/सीएलओ) थे। श्री टी. धनराज ने 1994 में ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में इंडियन बैंक में कार्यभार संभाला था।

बैंकिंग उद्योग में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने ग्रामीण एवं कॉरपोरेट शाखाओं, कृषि ऋण, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और मानव संसाधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शाखा प्रमुख के रूप में विविध अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने इलाहाबाद बैंक के इंडियन बैंक में विलय के दौरान मानव संसाधन संबंधी सभी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकीकृत इकाई में मानव संसाधन प्रमुख के रूप में, उन्होंने दक्षता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) को लागू करके मानव संसाधन प्रक्रियाओं में सुचारु परिवर्तन किया।

ग्रामीण बैंकिंग विभाग के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कृषि स्टार्टअप्स के वित्तपोषण के लिए कृषि इन्क्यूबेशन हेतु आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कृषि सह-ऋण मॉडल की शुरुआत की। आरआरबी के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने पल्लवन ग्राम बैंक और पांडियन ग्राम बैंक के विलय को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो बाद में तमिलनाडु ग्राम बैंक के नाम से जाना जाने लगा। वे नाबार्ड की सहायक कंपनी नबकिसान और इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी सप्तगिरि ग्रामीण बैंक के निदेशक मंडल में भी थे।

श्री टी. धनराज ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी की डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा, उनके पास सीएआईआईबी और आईआईएम बैंगलोर द्वारा आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नेताओं के लिए 'नेतृत्व विकास कार्यक्रम' प्रबंधन पाठ्यक्रम जैसी अन्य पेशेवर योग्यताएं भी हैं। उन्होंने आईआईएम, लखनऊ से 'मानव संसाधन विश्लेषण में कार्यकारी कार्यक्रम' (ईपीएचआरए) भी पूरा किया है।

- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता: उनके पास हमारे बैंक के 7,834 शेयर हैं।
- अन्य निदेशक पद: शून्य।

5. सुश्री नीलम अग्रवाल, सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक (जन्म तिथि: 07.11.1979)

सुश्री नीलम अग्रवाल भारतीय राजस्व सेवा की 2008 बैच की अधिकारी हैं। उन्हें 05.08.2024 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सुश्री नीलम अग्रवाल वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में निदेशक के पद पर तैनात हैं। उन्हें आयकर विभाग में विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्यों को संभालने का एक दशक से अधिक का व्यापक अनुभव है। सुश्री नीलम अग्रवाल रांची विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। भारतीय राजस्व सेवा में शामिल होने से पहले, उनका चयन झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ था और उन्होंने झारखंड राज्य में कुछ वर्षों तक सेवा की।

- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में हिस्सेदारी शून्य है।
- अन्य निदेशक पद: नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड और पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक।

6. श्री थॉमस मैथ्यू, आरबीआई के मनोनीत निदेशक (जन्म तिथि: 13.11.1965)

श्री थॉमस मैथ्यू नवंबर 2025 के अंत में भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रधान मुख्य महा प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के समय, वे केरल और लक्षद्वीप के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक थे। इससे पहले, श्री थॉमस मैथ्यू आरबीआई के विनियमन विभाग (डीओआर) में मुख्य महा प्रबंधक थे और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक भी रह चुके थे। उन्होंने 1990 में ग्रेड बी अधिकारी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यभार संभाला और विभिन्न कार्यालयों और आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में मुद्रा प्रबंधन (निर्गम विभाग), क्लियरिंग हाउस, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग आदि सहित विभिन्न विभागों में कार्य किया है। इससे पहले वे भारतीय केंद्रीय बैंक के बोर्ड में भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में हिस्सेदारी शून्य है।
- अन्य निदेशक पद: शून्य।

7. श्री सुरेश कुमार रुंगटा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि: 07.07.1956)

श्री सुरेश कुमार रुंगटा को 11.04.2025 को इंडियन ओवरसीज बैंक के निदेशक के रूप में पुनः मनोनीत किया गया है। उन्होंने कोषाध्यक्ष के रूप में बिहार राज्य में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। वे बिहार वैट सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं (2005 से)। इसके अलावा, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं।

वे बिहार के आर्थिक, ग्रामीण विकास और कृषि संबंधी मुद्दों पर आज, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर आदि प्रमुख हिंदी दैनिकों में नियमित रूप से लेख लिखते रहे हैं।

- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता: शून्य।
- अन्य निदेशक पद: स्वदेशी प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

8. श्री बी. चंद्रा रेड्डी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि: 14.04.1958)

श्री बी. चंद्रारेड्डी को 11.04.2025 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में पुनः मनोनीत किया गया है। उन्हें लेखापरीक्षा का व्यापक अनुभव है। इससे पहले वे 2020-2021 के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वैधानिक बैंक लेखापरीक्षक थे। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता: शून्य।
- अन्य निदेशक पद: शून्य।

9. श्री दीपक शर्मा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि: 31.07.1976)

श्री दीपक शर्मा को 11.04.2025 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में पुनः मनोनीत किया गया है। उन्हें रियल एस्टेट उद्योग में व्यापक अनुभव है। इसके अलावा, उन्हें वित्त, कानूनी एवं अनुपालन, नेतृत्व कौशल, परियोजना प्रबंधन और संचालन के अनूठे संयोजन का प्रासंगिक अनुभव है। उन्होंने विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता: शून्य।
- अन्य निदेशक पद: शून्य।

10. श्री जी. वेंकटरमणन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि: 24.07.1965)

श्री जी. वेंकटरमनन को 03.12.2025 से भारत सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हुए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री जी. वेंकटरमनन एक अनुभवी कार्यपालक हैं जिन्हें मुख्य रूप से जीवन बीमा क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है, जिसमें विभिन्न परिचालन और रणनीतिक क्षेत्र शामिल हैं। उनके नेतृत्व ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) के दक्षिणी क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह कई व्यावसायिक क्षेत्रों, विशेष रूप से बैंक बीमा, समूह व्यवसाय और ग्राहक सेवा में अग्रणी बन गया।

दावा निपटान सहित संबंध प्रबंधन। उनके नेतृत्व में, ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ऑनबोर्डिंग से लेकर दावा निपटान तक कई अग्रणी पहलें शुरू की गईं। इन पहलों को सशक्त डेटा विश्लेषण और ग्राहक आधार की जानकारियों का समर्थन प्राप्त था, जिससे ग्राहक सहभागिता और सेवा वितरण में वृद्धि हुई। श्री जी वेंकटरामनन 31 जुलाई 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम से कार्यकारी निदेशक के पद पर चेन्नई स्थित दक्षिण क्षेत्र के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 1989 में एक डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर के रूप में एलआईसी में कार्यभार संभाला। अपने करियर के

दौरान, उन्होंने दक्षिण जोन के लिए मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के प्रमुख सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया और एलआईसी के कॉरपोरेट कार्यालय में मार्केटिंग विभाग में भी सेवाएं दीं।

उनका एलआईसी की विदेशी शाखा में भी कार्यकाल रहा है, जहां उनकी जिम्मेदारियों में नए आईटी सिस्टम के कार्यान्वयन के संबंध में परिचालन प्रक्रियाओं को मजबूत करना, परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए निधि प्रबंधन में सुधार करना और नियामक के साथ संपर्क स्थापित करना शामिल था। श्री वेंकटरमनन के पास गणित में डिग्री है और वे भारतीय बीमा संस्थान के एसोसिएट हैं।

- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता: उनके पास हमारे बैंक के 150 शेयर हैं।
- अन्य निदेशक पद: शून्य।

11. सुश्री सोनाली सेन गुप्ता, आरबीआई नामित निदेशक (03.03.2026 तक)

सुश्री सोनाली सेन गुप्ता वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बेंगलुरु में कर्नाटक के लिए क्षेत्रीय निदेशक हैं। आरबीआई में अपने लगभग तीन दशकों के करियर में, उन्होंने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में वित्तीय समावेशन और विकास विभाग के प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक के रूप में और राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (परिवर्तन), मुंबई के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है । उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र केंद्रीय कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण और मानव संसाधन विकास है। उन्होंने केंद्रीय कार्यालय के साथ-साथ चंडीगढ़, कोलकाता और रिजर्व बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों में भी काम किया है।

वह 14.07.2023 से आरबीआई नामित निदेशक के रूप में हमारे बैंक से जुड़ीं और दिनांक 03.03.2026 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ ।

उन्होंने 'कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए आंतरिक कार्य समूह' के सदस्य सचिव के रूप में कार्य किया और 2019 में स्थापित 'एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति' को सचिवीय सहायता प्रदान करने वाली टीम का नेतृत्व किया। वह विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 के तहत स्थापित रिटर्न/विवरणों के युक्तिकरण पर विशेष समिति का भी हिस्सा थीं।

भारतीय जी-20 प्रेसीडेंसी के दौरान, वह जी-20 के वित्त ट्रैक के तहत एक कार्य समूह, वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआई) के लिए आरबीआई लीड रही हैं।

उनके पास कॉमर्स (ऑनर्स) में स्नातक की डिग्री है और बैंकिंग और वित्त में मास्टर डिग्री है । वह भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (सीएआइआइबी) की प्रमाणित एसोसिएट भी हैं।

- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता शून्य है।
- अन्य निदेशक पद: शून्य।

12. श्री संजया रस्तोगी, शेयरधारक निदेशक (02.12.2025 तक)

श्री संजया रस्तोगी 1987 में भारतीय जीवन बीमा निगम में सीधी भर्ती के माध्यम से शामिल हुए। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की।

श्री संजया रस्तोगी को 03.12.2022 को हमारे बैंक में शेयरधारक निदेशक के रूप में नामित किए गए और दिनांक 02.12.2025 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ ।

अपने लंबे शानदार करियर में, उन्होंने एलआइसी में मार्केटिंग मैनेजर, मुंबई डीओ । और III के सीनियर डिवीजनल मैनेजर के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं। उन्होंने पेंशन और समूह योजना विभाग और एलआइसी एचएफएल में काम किया है। कार्यपालक निदेशक (एमबीएसी) के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने एलआईसी के उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली में क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन) के रूप में काम किया। वे 31.01.2023 को अधिवर्षिता पर एलआइसी आई के कार्यपालक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

बैंक में शेयरधारिता : उनके पास हमारे बैंक के 100 शेयर हैं।

अन्य निदेशक पद: शून्य।

परिशिष्ट-2

सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 17(8) के अनुसार विनमय, 2015 (एलओडीआर) यथा संशेधित

सेवा में,

निदेशक मंडल

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हमने वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है।

1) इन विवरणों में कोई भी महत्वपूर्ण असत्य कथन शामिल नहीं है, न ही इनमें किसी महत्वपूर्ण तथ्य को लोप है और न ही इनमें ऐसे कथन हैं जो भ्रामक हो सकते हैं।

2) ये विवरण संयुक्त रूप से बैंक के कार्यों की सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा प्रचलित लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनिमयों के अनुरुप हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण,अवैध हो या सूचीबद्ध इकाई की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग) हम वित्तीय प्रतिवेदन के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तथा यह भी कि हमने वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमने ऐस आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में विद्यमान कमियों यदि कोई हों जिनकी हमें जानकारी है, उनके संबंध में लेखा परीक्षाकों एवं लेखा परीक्षा समिति को अवगत कराया है, तथा इन कमियों को दूर करने हेतु उठाए गए या प्रस्तावति कदमों की जानकारी भी दी है।

हमने लेखा परीक्षाकों तथा लेखा परीक्षा समिति को सूचति किया है:

1) वर्ष के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रणों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन।

2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों तथा यह कि उन्हें वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रकट किया गया है।

3) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की वे घटनाएँ जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है, तथा उनमें, यदि कोई हो, प्रबंधन या ऐसे कर्मचारी की संलिप्तता जो वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखता हो।

माधव चंद्र झा
उप महा प्रबंधक व सीएफओ

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29.04.2026

कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन संबंधी लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

प्रति

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

के सदस्यों को

हमने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ("बैंक") द्वारा 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है, जैसा कि संशोधित सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के विनियम 17 से 27, विनियम 46(2) के खंड (बी) से (i) तथा अनुसूची V के पैरा सी एवं डी में निर्धारित किया गया है ।

कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है । भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार किए गए हमारे परीक्षण का दायरा केवल उन प्रक्रियाओं तथा उनके क्रियान्वयन तक सीमित था, जिन्हें बैंक द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु अपनाया गया है । यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर कोई अभिमत व्यक्त करता है ।

प्रासंगिक अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर तथा हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17 से 27, विनियम 46(2) के खंड (बी) से (i) तथा अनुसूची V के पैरा सी एवं डी में निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है, निम्नलिखित के अधीन —

क) समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में एक स्वतंत्र महिला निदेशक सम्मिलित नहीं थीं।

ख) बैंक के निदेशक मंडल की संरचना सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि 01 अप्रैल 2025 से 10 अप्रैल 2025 की अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से कम रही ।

ग) सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार 01 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 की अवधि के लिए निदेशक मंडल की लेखा परीक्षण समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति विधिवत गठित नहीं थीं। तथापि, बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त अवधि के दौरान इन समितियों को सामान्यतः सौंपे जाने वाले कार्यों का निर्वहन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1980 के पैरा 14ए के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया गया ।

घ) हमने यह अवलोकन किया है कि बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार निदेशक मंडल में निम्नलिखित रिक्तियाँ विद्यमान थीं

- धारा 9(3)(ई): बैंक के कर्मचारियों में से, जो कर्मचारी श्रेणी में आते हैं, उनमें से एक निदेशक की नियुक्ति ।
- धारा 9(3)(एफ): बैंक के कर्मचारियों में से, जो कर्मचारी श्रेणी में नहीं आते हैं, उनमें से एक निदेशक की नियुक्ति ।
- धारा 9(3)(जी): ऐसे एक निदेशक की नियुक्ति, जो कम से कम पंद्रह वर्षों से सनदी लेखाकार रहे हों, जिसका नामांकन केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के पश्चात किया जाना है ।

हमें बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि बैंकों के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) द्वारा की जाती है । बैंक द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त नियुक्तियों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने आवश्यक कदम उठाए तथा डीएफएस के साथ पत्राचार/संपर्क किया है ।

हम आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही इस बात का प्रमाण है कि प्रबंधन द्वारा बैंक के कार्यों का संचालन किस दक्षता या प्रभावशीलता के साथ किया गया है ।

यह प्रमाणपत्र केवल बैंक को लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन में सक्षम बनाने के उद्देश्य से बैंक के सदस्यों को संबोधित एवं प्रदान किया गया है तथा इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए । तदनुसार, इस प्रमाणपत्र को हमारे पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को प्रदर्शित किए जाने अथवा उसके हाथों में आने की स्थिति में हम किसी प्रकार की देयता या उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करते । इस प्रमाणपत्र की तिथि के पश्चात उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना या परिस्थिति के संबंध में इस प्रमाणपत्र को अद्यतन करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

कृते तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार
आईसीएआई पं सं: 304124ई

सीए बी. विजय
पार्टनर आईसीएआई ज्ञा सं 214678
यूडीआईएन: 26214678एक्ससीएचजीवाईए7632

12-05-2026

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है]

सदस्यगण
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

हमने 31 मार्च 2026 समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** (इसके बाद "बैंक" कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर कॉरपोरेट आचरण के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षा की है । सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से आयोजित की गई जिसने हमें कॉरपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने व उस पर अपने अभिमत व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, फार्मस और फाइल किए गए रिटर्नों, बैंक द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों और बैंक द्वारा और उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी पर हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, बैंक ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षा अवधि के दौरान और बड़े पैमाने पर सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र है व इसके बाद बैंक द्वारा की गई रिपोर्टिंग के अधीन:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा रखे गए बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, फार्मस तथा दाखिल किए गए रिटर्न व अन्य अभिलेखों की जाँच की है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम बैंक पर लागू होंगे।

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन नियम।

iii. निपेक्षागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपविधि ;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक; (समीक्षाधीन अवधि के लिए बैंक पर लागू नहीं) ।

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी जारी करना और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2021;

साथ ही हम उल्लेख करते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसरण में कोई घटना/कार्रवाई नहीं हुई:

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम जन्य इक्विटी) विनियम, 2021;

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में (लागू नहीं है क्योंकि बैंक समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता के रूप में पंजीकृत नहीं है);

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; और

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी - खरीद) विनियम, 2018

(vi) हमने विभिन्न कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा स्थापित प्रणालियों और तंत्रों की समीक्षा की है जो विशेष रूप से

बैंक पर लागू होते हैं और निम्नलिखित प्रमुख शीर्ष/समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं:

ए) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी अधिसूचनाएँ और परिपत्र और उसके संशोधन

बी) बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और उसके संशोधन

सी) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2008

डी) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970.

ई) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जारी मास्टर निर्देश

एफ) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934.

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारा मानना है कि बैंक द्वारा स्थापित प्रणालियाँ और तंत्र उक्त वर्णित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों/विनियमों के अनुपालन की भी जाँच की है:

(i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) (संशोधित) के संबंध में सचिवीय मानक और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों और सामान्य बैठकों (संशोधित) पर मार्गदर्शन नोट। (बैंक पर लागू नहीं)

(ii) सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया यूनिफ़ॉर्म लिस्टिंग समझौता। (जिसे आगे "सूचिबद्ध विनियमन" कहा जाएगा)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने सामान्यत: निम्नलिखित के अलावा, उपर्युक्त वर्णित कानूनों का अनुपालन किया है:

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में एक स्वतंत्र महिला निदेशक शामिल नहीं थीं।

2. अप्रैल 2025 से 10 अप्रैल 2025 की अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से कम होने के कारण बैंक के निदेशक मंडल की संरचना सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के अनुरूप नहीं थी।

3. 1 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 की अवधि के दौरान, निदेशक मंडल की ऑडिट समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, विधिवत नहीं किया गया था। तथापि, बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त अवधि के दौरान इन समितियों को सामान्यतः सौंपे गए कार्यों का निर्वहन निदेशक मंडल द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के पैरा 14A के अंतर्गत किया गया।

4. बैंक ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है:

ए) धारा 9(3)(ई) - बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से एक निदेशक की नियुक्ति जो वर्कमेन हैं।

बी) धारा 9(3)(एफ) - बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से एक निदेशक की नियुक्ति जो वर्कमेन नहीं हैं।

सी) धारा 9(3)(जी): एक निदेशक की नियुक्ति, जो कम से कम पंद्रह वर्षों से सनदी लेखाकार रहा हो, जिसे रिज़र्व बैंक के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

हमें बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि बैंकों के निदेशकों की नियुक्ति वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), भारत सरकार द्वारा की जाती है। बैंक द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त नियुक्तियों के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और डीएफएस को इसकी जानकारी दी है।

साथ ही हम रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के निदेशक मंडल की नियुक्ति, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित), भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-गवर्नेंस) निर्देश, 2025 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 9(3) के अनुसार विधिवत

की गई है। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों तथा शेयरधारक निदेशक के उपयुक्त संतुलन के साथ किया गया है, सिवाय इसके कि ऊपर उल्लेखित अपवाद हैं। हमें सूचित किया गया है कि बैंक ने रिक्त पदों को भरने हेतु निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के समक्ष यह विषय रखा है ।

साथ ही हम रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

साथ ही हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित कार्यक्रम/कार्रवाई की है:

1. निदेशक मंडल की 02 मई 2025 को आयोजित बैठक में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार, निजी स्थानन पर ₹1000 करोड़ की राशि के लिए गैर-परिवर्तनीय, सूचीबद्ध, पूर्ण रूप से चुकता बेसल III अनुरूप टीयर II बॉन्ड्स श्रृंखला VI, डिबेंचर के रूप में जारी किए गए।

2. अहर्ताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव/राइट्स इश्यू/ईएसपीएस/अधिमानी इश्यू या किसी अन्य तरीके से इक्विटी शेयर जारी करके एक या अधिक किस्तों में 4000 करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर पूँजी जुटाने के प्रस्ताव के लिए 02 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त किया।

3. 02 जुलाई 2025 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों से ₹4000 करोड़ मूल्य के शेयरों के सृजन, अनुदान, प्रस्ताव, निर्गम और आवंटन हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया, जो कर्मचारियों को कर्मचारी शेयर क्रय योजना (आइओबी ईएसपीएस 2025-26) के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे।

4. श्री जी. वेंकटरामनन को 03 दिसंबर 2025 से प्रभावी रूप से गैर-कार्यपालक स्वतंत्र शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया। प्रारंभ में इस नियुक्ति को शेयरधारकों के समक्ष एक असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रस्ताव था। चूँकि उक्त पद के लिए केवल एक नामांकन प्राप्त हुआ, प्रस्तावित ईजीएम को रद्द कर दिया गया और निदेशक को लागू प्रावधानों के अनुसार निर्वाचित किया गया।

5. बैंक के प्रवर्तक अर्थात भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए, ने 17 और 18 दिसंबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से बैंक के इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव किया। इसके परिणामस्वरूप बैंक में प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की हिस्सेदारी घटकर 92.44% रह गई तथा बैंक में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़कर 7.56% हो गई।

6. बैंक को भारत इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद, जो एक संयुक्त उपक्रम है जिसमें बैंक की 35% हिस्सेदारी थी, की सदस्य स्वैच्छिक परिसमापन (एमवीएल) के अंतर्गत अंतरिम पूँजी प्रत्यावर्तन हेतु परिसमापक से यूएसडी 25,717,298.33 प्राप्त हुए।

कृते श्रीनिधि श्रीधरन व एसोसिएट्स
कंपनी सचिव (ओं)

सीएस श्रीनिधि श्रीधरन
सीपी सं. 17990
एफसीएस सं. 12510
पीआर सं.: 6279/2024
यूआईएन: एस2017टीएन472300
यूडीआईएन:एफ012510एच000232114

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29.04.2026

नोट: यह रिपोर्ट हमारे पत्र के समसंख्यक तिथि के साथ पढ़ा जाना है, जो कि **अनुबंध- ए** एवं प्रारूप के रूप में संलग्न हैं एवं वे रिपोर्ट के अभिन्न अंग हैं ।

अनुलग्नक 'ए'

सदस्यगण
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक,

इस पत्र के साथ सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अभिमत व्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा मानकों (सीएसएएस-1 से सीएसएएस-4) और आईसीएसआई लेखापरीक्षा मानकों पर मार्गदर्शन नोट और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन, परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता के साथ-साथ विभिन्न प्रकटीकरणों और विवरणों में बताए गए मूल्यों और आंकड़ों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया है, जिन्हें निर्दिष्ट कानूनों के तहत बैंक द्वारा दाखिल किया जाना आवश्यक है।

4. जहाँ भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. बैंक के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि वह कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम करती हैं। हमारी जाँच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29.04.2026

कृते श्रीनिधि श्रीधरन व एसोसिएट्स
कंपनी सचिव (ओं)

सीएस श्रीनिधि श्रीधरन
सीपी सं. 17990
एफसीएस सं. 12510
पीआर सं.: 6279/2024
यूआईएन: एस2017टीएन472300
यूडीआईएन:एफ012510एच000232114

निदेशकों की गैर - अयोग्यता का प्रमाण-पत्र

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद -सी उप-खंड (10) (i) के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 34 (3) के अनुक्रम में

निदेशक मंडल
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
763, अण्णा सालै
चेन्नै, तमिलनाडु – 600002

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद -सी उप-खंड (10) (i) के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 34 (3) के अनुसरण में इस प्रमाण-पत्र के निर्गमन के उद्देश्य से **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक,** जिसका पंजीकृत कार्यालय 763, अण्णा सालै , चेन्नै तमिलनाडु -600002 स्थित है, (जिसे आगे से "बैंक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों द्वारा हमें प्रस्तुत सभी संबंधित पंजियों , रिकॉर्डों, प्रारूपों, विवरणियों की हमारे द्वारा जाँच की गयी ।

हमारे अभिमत और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और सत्यापनों (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित के अनुसार और जांच के साथ-साथ हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस प्रमाण पत्र को जारी करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और ऐसे सत्यापन के आधार पर जिसे आवश्यक समझा गया, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2026 तक बैंक के बोर्ड में शामिल निम्नवत किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने अथवा जारी रहने से ना तो वर्जित किया गया है और ना ही अयोग्य ठहराया गया है।

क्रम सं.	डीआईएन	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1	07240718	श्री श्रीनिवासन श्रीधर	अध्यक्ष एवं गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	21.02.2024
2	08946309	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक, सीईओ-एमडी	01.01.2023
3	08055872	श्री जयदीप दत्ता रॉय	कार्यपालक निदेशक	30.01.2024
4	--	श्री धनराज टी	कार्यपालक निदेशक	10.03.2024
5	--	सुश्री नीलम अग्रवाल	गैर-कार्यपालक नामित निदेशक	05.08.2024
6	--	श्री थॉमस मैथ्यू	गैर-कार्यपालक नामित निदेशक	03.03.2026
7	--	श्री सुरेश कुमार रुंगटा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	21.12.2021
8	--	श्री बी. चंद्रा रेड्डी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	21.12.2021
9	--	श्री दीपक शर्मा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	21.12.2021
10	--	श्री जी. वेंकटरमणन	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	03.12.2025

बोर्ड के किसी भी निदेशक की नियुक्ति/उनकी सेवाओं को जारी रखने संबंधी पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी जाँच के आधार पर हम उसके बारे में अपना अभिमत व्यक्त करें ।

यह प्रमाण पत्र ना तो न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के संबंध में, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29.04.2026

कृते श्रीनिधि श्रीधरन व एसोसिएट्स
कंपनी सचिव (ओं)

सीएस श्रीनिधि श्रीधरन
सीपी सं. 17990
एफसीएस सं. 12510
पीआर सं.: 6279/2024
यूआईएन: एस2017टीएन472300
यूडीआईएन:एफ012510एच000232114

31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन तुलन-पत्र

(₹ हजार में)

	अनुसूचियाँ	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
पूँजी और देनदारियां			
पूँजी	01	19256 58 98	19256 58 98
आरक्षितियां और अधिशेष	02	18258 74 23	13284 32 95
जमा	03	368191 25 42	311204 17 55
उधार	04	51602 57 20	42227 66 32
अन्य देयताएं और प्रावधान	05	16010 69 90	9044 20 83
कुल		**473319 85 73**	**395016 96 63**
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष	06	16605 92 89	18115 54 82
बैंकों में अतिशेष एवं मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	07	8616 64 50	2954 71 60
निवेश	08	119809 53 33	111044 83 64
अग्रिम	09	306621 81 47	245555 16 84
अचल संपत्तियां	10	5074 54 35	4654 82 10
अन्य परिसंपत्तियां	11	16591 39 19	12691 87 63
कुल		**473319 85 73**	**395016 96 63**
आकस्मिक देयताएं	12	153282 73 84	159405 16 51
संग्रहण के लिए बिल		18383 96 22	17088 33 51

मूल लेखांकन नीतियाँ 17

लेखों पर टिप्पणियाँ 18

अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अंग है ।

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

माधव चंद्र झा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व सीईओ

श्रीनिवासन श्रीधर
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

नीलम अग्रवाल
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

वेंकटरमणन जी
निदेशक

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29.04.2026

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ और हानि खाता

(₹ हजार में)

	अनुसूचियाँ	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
आय			
अर्जित ब्याज	13	31895 67 85	28131 00 87
अन्य आय	14	5636 47 04	5545 06 84
कुल		**37532 14 89**	**33676 07 71**
व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	19322 04 24	17240 80 29
परिचालन खर्च	16	8183 97 89	7747 26 38
प्रावधान और आकस्मिकताएँ		4818 09 40	5353 30 54
कुल		**32324 11 53**	**30341 37 21**
लाभ/हानि (-)			
वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि (-)		5208 03 36	3334 70 50
अग्रणित लाभ/हानि (-)		(12533 32 52)	(14469 29 17)
कुल		**(7325 29 16)**	**(11134 58 67)**
विनियोजन			
राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण		1302 00 84	833 67 63
अन्य आरक्षितियों में अंतरण		38 61 55	421 37 16
पूँजी आरक्षितियों में अंतरण		67 42 68	43 69 06
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षितियों में अंतरण		0	100 00 00
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)		0	0
तुलन-पत्र में अग्रेषित शेष राशि		(8733 34 23)	(12533 32 52)
कुल		**(7325 29 16)**	**(11134 58 67)**
मूल एवं घटाए गए शेयर अर्जन (रु.)		2.70	1.76
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)		10.00	10.00

कृते आर देवेंद्र कुमार व एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207डब्ल्यू

आनंद गोलास
साझेदार
एम. नं.: 400322
यूडीआइएन 2640322डब्ल्यूएफएफबीटीएन7506

कृते लक्ष्मी तृप्ति व एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009189सी

एल एन अग्रवाल
साझेदार
एम. नं.: 078427
यूडीआइएन: 26078427एलसीटीएलबीजे3787

कृते तेज राज व पाल
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 304124ई

दिनकर मोहंती
साझेदार
एम. नं.: 059390
यूडीआइएन: 26059390आईयूओवीएसआई5022

कृते संजीव ओमप्रकाश गर्ग व कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:008773सी

विकास मित्तल
साझेदार
एम. नं.:407833
यूडीआइएन: 26407833डीओआरजीआरबी7060

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29.04.2026

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवल लाभ/(हानि)	5208 03 36	3334 70 50
करों हेतु प्रावधान	1059 99 75	1177 01 09
आयकर से पहले निवल लाभ/(हानि)	**6268 03 11**	**4511 71 59**
के लिए समायोजन:		
एचटीएम निवेशों के लिए परिशोधन	102 71 76	82 06 53
निवेश के पुनर्मूल्यांकन से हुई (लाभ)/हानि (निवल)	(5 26 30)	0
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	521 17 57	394 45 57
आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (निवल)	(2 02 29)	(1 79 59)
एनपीए के लिए प्रावधान	833 24 30	824 58 65
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2726 48 75	3585 27 83
निवेश पर मूल्यह्रास (एनपीआई के लिए निवल प्रावधान)	(8 53 10)	(24 53 74)
उतार-चढ़ाव के कारण मूल्यह्रास प्रावधान	1 97 04	(69 43 61)
अन्य मदों के लिए प्रावधान	207 56 35	(197 19 89)
	4377 34 07	**4593 41 75**
के लिए समायोजन:		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	56930 82 31	26033 44 57
उधारियों में वृद्धि/(कमी)	9374 90 87	11840 49 77
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	2842 00 93	(2466 85 49)
निवेश में (वृद्धि)/कमी	(8853 62 04)	(11470 41 31)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(61899 88 93)	(33060 94 56)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(2994 12 90)	831 64 97
	(4599 89 75)	**(8292 62 05)**
प्रत्यक्ष कर (निवल)	(543 97 17)	1958 08 56
परिचालन गतिविधियों से/(प्रयुक्त हेतु) निवल नकदी प्रवाह (क)	**5501 50 26**	**2770 59 85**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	6 96 61	49 79 23
अचल आस्तियों की खरीद	(645 88 67)	(614 95 90)
निवेश गतिविधियों से सृजित/(प्रयुक्त हेतु) निवल नकदी प्रवाह (ख)	**(638 92 06)**	**(565 16 67)**

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वित्त पोषित गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
टीयर I और टीयर II बॉन्डों का मोचन/अन्य उधार/पूँजी में वृद्धि	0	1432 77 71
पूँजी लिखत जारी करना (बेसल III, टीयर 1, टीयर II बॉन्ड का निर्गम)	0	0
आरक्षितियों/पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों में परिवर्तन	(862 59 90)	(987 51 09)
पूँजी लिखत पर देय ब्याज (आइओबी बॉन्ड्स, टीयर II बॉन्ड्स)	152 32 67	(134 85 24)
वित्त पोषित गतिविधियों से सृजित/(प्रयुक्त हेतु) निवल नकदी प्रवाह (ग)	**(710 27 23)**	**310 41 38**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क) + (ख) + (ग)	**4152 30 97**	**2515 84 56**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
आरबीआई के पास नकदी और शेष	18115 54 82	16904 56 29
बैंकों के पास शेष और मांग-द्रव्य	2954 71 60	1649 85 57
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		
आरबीआई के पास नकदी और शेष	16605 92 89	18115 54 82
बैंकों के पास बैलेंस और मांग-द्रव्य	8616 64 50	2954 71 60
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	**4152 30 97**	**2515 84 56**

नोट्स:

1. यह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है ।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के निष्पादन और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार पुष्टि करने के लिए पुन: समूहीकृत किया गया है ।

अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अंग है ।

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

माधव चंद्र झा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व सीईओ

श्रीनिवासन श्रीधर
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

नीलम अग्रवाल
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

वेंकटरमणन जी
निदेशक

समतिथि को हमारी रिपोर्ट के जरिए
सनदी लेखाकार के लिए एवं उनकी ओर से

आर.देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स
एफआरएन 114207डब्ल्यू

तेज राज एंड पाल
एफआरएन 304124ई

(आनंद गोलास)
साझेदार
एम नं:400322

(दिनकर मोहंती)
साझेदार
एम नं:059390

लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
एफआरएन 009189सी

संजीव ओमप्रकाश गर्ग
एंड कंपनी
एफआरएन: 008773सी

(एल.एन. अग्रवाल)
साझेदार
एम नं:078427

(विकास मित्तल)
साझेदार
एम नं:407833

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29.04.2026

अनुसूची - 1 पूँजी

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
अधिकृत पूँजी		
प्रत्येक रुपये 10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये (विगत वर्ष प्रत्येक रुपये 10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर)	25000 00 00	25000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी		
प्रत्येक 10/- रुपये के 1925,65,89,795 इक्विटी शेयर है । (इसमें प्रत्येक 10/- रुपये भारत सरकार द्वारा धारित 1780,04,88,299 इक्विटी शेयर के शामिल है)	19256 58 98	19256 58 98
विगत वर्ष 10/- रुपये प्रति शेयर मूल्य के 1925,65,89,795 इक्विटी शेयर है । (भारत सरकार द्वारा धारित रु. 10/- प्रति शेयर मूल्य के 1821,83,26,570 इक्विटी शेयर शामिल है)		

अनुसूची - 2 आरक्षितियाँ और अधिशेष

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
I. सांविधिक आरक्षितियाँ		
अथ शेष	5584 31 09	4750 63 46
जोड़ें: परिवर्धन	1302 00 84	833 67 63
घटाएँ: कटौतियाँ	0	0
योग-I	**6886 31 93**	**5584 31 09**
II. पूँजी आरक्षिति		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति		
अथ शेष	3372 97 05	2722 63 49
जोड़ें: परिवर्धन	301 92 50	672 99 16
घटाएँ: कटौतियाँ	241 00 70	22 65 60
योग-अ	**3433 88 85**	**3372 97 05**
आ. संपत्तियों की बिक्री पर		
अथ शेष	2213 44 82	2169 75 76
जोड़ें: परिवर्धन	67 42 68	43 69 06
घटाएँ: कटौती	0	0
योग-आ	**2280 87 50**	**2213 44 82**
इ. अन्य		
अथ शेष	153 28 31	153 24 38
जोड़ें: परिवर्धन	13 41	3 93
घटाएँ: कटौती	0	0
योग-इ	**153 41 72**	**153 28 31**
योग -II (अ, आ व इ)	**5868 18 07**	**5739 70 18**

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
III. शेयर प्रीमियम		
अथ शेष	9636 50 05	8557 90 11
जोड़ें: परिवर्धन	0	1078 59 94
घटाएँ: कटौती	0	0
योग-III	**9636 50 05**	**9636 50 05**
IV. राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ		
अ. अन्य राजस्व आरक्षितियाँ		
अथ शेष	3739 58 55	3683 14 78
जोड़ें: परिवर्धन	197 94 89	56 43 77
घटाएँ: कटौती	0	0
योग - अ	**3937 53 44**	**3739 58 55**
आ. निवेश आरक्षिति खाते		
अथ शेष	0	97 95 58
जोड़ें: परिवर्धन	0	0
घटाएँ: कटौतियाँ	0	97 95 58
योग-आ	**0**	**0**
इ. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति		
अथ शेष	1129 56 05	983 90 47
जोड़ें: परिवर्धन	327 05 31	152 35 93
घटाएँ: कटौती	0	6 70 35
योग-इ	**1456 61 36**	**1129 56 05**
ई. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति खाता		
अथ शेष	490 00 00	390 00 00
जोड़ें: परिवर्धन	0	100 00 00
घटाएँ: कटौतियाँ	0	0
योग-ई	**490 00 00**	**490 00 00**
उ. सामान्य आरक्षितियाँ-ट्रेज़री		
अथ शेष	(1315 57 17)	0
जोड़ें: परिवर्धन	0	(1315 57 17)
घटाएँ: कटौतियाँ	0	0
योग-उ	**(1315 57 17)**	**(1315 57 17)**
ऊ. एएफएस आरक्षिति निधि		
अथ शेष	392 19 56	0
जोड़ें: परिवर्धन	7 37	392 19 56
घटाएँ: कटौतियाँ	691 23 65	0
योग-ऊ	**(298 96 72)**	**392 19 56**

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
ए. विशेष आरक्षितियाँ - सरकारी गारंटीकृत एस.आर.		
अथ शेष	421 37 16	0
जोड़ें: परिवर्धन	38 61 55	421 37 16
घटाएँ: कटौतियाँ	128 51 21	0
योग-ए	**331 47 50**	**421 37 16**
योग - IV (अ,आ,इ,ई,उ,ऊ एवं ए)	**4601 08 41**	**4857 14 15**
V. लाभ और हानि खाता	(8733 34 23)	(12533 32 52)
योग (I, II, III, IV एव V)	**18258 74 23**	**13284 32 95**

अनुसूची - 3 जमाएँ

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
अ. I. मांग जमाएँ		
i) बैंकों से	757 70 49	1558 27 74
ii) अन्यों से	25613 11 37	25833 69 75
योग - I	**26370 81 86**	**27391 97 49**
II. बचत बैंक जमाएँ	**124564 77 42**	**108034 82 03**
III. सावधि जमाएँ		
i) बैंकों से	3 79	3 64
ii) अन्यों से	217255 62 35	175777 34 39
योग - III	**217255 66 14**	**175777 38 03**
योग - अ (I,II एवं III)	**368191 25 42**	**311204 17 55**
आ. i) भारत की शाखाओं में जमाएँ	359032 20 45	302760 42 00
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाएँ	9159 04 97	8443 75 55
योग - आ	**368191 25 42**	**311204 17 55**

(पुनर्ग्रहणाधिकार के अधीन जमाएँ - नोट क्रमांक 21 का संदर्भ लें)

अनुसूची - 4 लिए गए उधार

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
I. भारत में लिए गए उधार		
भारतीय रिज़र्व बैंक	0	1946 00 00
अन्य बैंकों से	2560 54 50	3366 95 00
अन्य संस्थान और एजेंसियां	28086 77 12	20599 66 34
नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	0	0
बॉन्ड के तौर पर जारी हाइब्रिड कर्ज पूँजी लिखत	0	0
गौण कर्ज	3165 00 00	2165 00 00
योग (I)	**33812 31 62**	**28077 61 34**
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	17790 25 58	14150 04 98
योग (I एवं II)	**51602 57 20**	**42227 66 32**
ऊपर I और II में सम्मिलित प्रतिभूति उधार	30647 31 62	25912 61 34

अनुसूची - 5 अन्य देयताएं एवं प्रावधान

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
I. देय बिल	1397 62 06	628 52 03
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
III. उपचित ब्याज	1099 79 25	1003 72 14
IV. अन्य (प्रावधानों सहित)	13513 28 59	7411 96 66
योग	**16010 69 90**	**9044 20 83**

अनुसूची - 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट सम्मिलित है)	**1436 99 22**	**1235 14 95**
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि		
i) चालू खाते में	9166 41 90	11784 32 27
ii) अन्य खातों में	6002 51 77	5096 07 60
योग (I एवं II)	**16605 92 89**	**18115 54 82**

अनुसूची - 7 बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
क) चालू खातों में	33 99 55	13 70 82
ख) अन्य जमा खातों में	268 55 24	244 79 31
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
क) बैंकों के साथ	0	0
ख) अन्य संस्थानों के साथ	0	0
योग - (i एवं ii)	**302 54 79**	**258 50 13**
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	1248 82 10	846 21 62
ii) अन्य जमा खातों में	5356 66 68	535 64 68
iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	1708 60 93	1314 35 17
योग (i,ii एवं iii)	**8314 09 71**	**2696 21 47**
योग (I एवं II)	**8616 64 50**	**2954 71 60**

अनुसूची - 8 निवेश

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	109602 65 65	101565 84 30
ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	0	0
iii) शेयर	1161 19 18	1151 71 97
iv) डिबेंचर और बॉन्ड	3179 98 16	3072 22 98
v) अनुषंगी/संयुक्त उद्यम	1219 36 60	615 64 72
vi) अन्य निवेश (म्यूचुअल फंड, जमाओं की वेंचर पूँजी फंड में निवेश और कमर्शिअल पेपर)	567 23 79	613 69 58
योग - I	**115730 43 38**	**107019 13 55**

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
II. भारत के बाहर निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	3931 15 18	3699 98 63
ii) अनुषंगी/संयुक्त उद्यम	0	193 44 19
iii) अन्य निवेश	147 94 77	132 27 27
योग - II	**4079 09 95**	**4025 70 09**
योग (I एवं II)	**119809 53 33**	**111044 83 64**
भारत में सकल निवेश	116229 05 70	107978 78 29
घटाएँ: मूल्यह्रास	498 62 32	959 64 74
घटाएँ: पुनर्संरचित निवेशों पर ब्याज	0	0
निवल निवेश	115730 43 38	107019 13 55
भारत के बाहर सकल निवेश	4079 09 95	4032 30 00
घटाएँ: मूल्यह्रास	0	6 59 91
निवल निवेश	4079 09 95	4025 70 09
कुल निवल निवेश	**119809 53 33**	**111044 83 64**

अनुसूची - 9 अग्रिम

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
अ. I) क्रय एवं भुनाए गए बिल	9251 11 41	10869 40 73
ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार	172782 24 76	92080 18 05
iii) सावधि उधार	124588 45 30	142605 58 06
योग	**306621 81 47**	**245555 16 84**
आ.I) मूर्त आस्तियों पर प्रतिभूति (बहिगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)	246715 37 96	177081 13 42
ii) बैंक/सरकार की प्रतिभूति द्वारा संरक्षित	38201 29 77	40744 07 61
iii) अप्रतिभूत	21705 13 74	27729 95 81
योग	**306621 81 47**	**245555 16 84**
इ. I) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	156335 97 44	113583 52 65
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	21974 47 78	17280 15 88
iii) बैंक	0	0
iv) अन्य	113447 55 84	99292 50 13
योग	**291758 01 06**	**230156 18 66**

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
II) भारत के बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से देय	0	0
ii) अन्यों से देय		
क) क्रय और डिस्काउंट किए गए बिल	1707 89 55	4162 81 04
ख) संघबद्ध उधार	5453 06 69	5739 25 15
ग) अन्य	7702 84 17	5496 91 99
योग	**14863 80 41**	**15398 98 18**
योग (इ I एवं इ-II)	**306621 81 47**	**245555 16 84**

अनुसूची - 10 अचल आस्तियां

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
I. परिसर		
वर्ष के आरंभ में/पुनर्मूल्यांकित लागर पर	5500 73 30	4576 16 08
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन *	235 06 64	924 86 81
उप-योग	**5735 79 94**	**5501 02 89**
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन *	10 24 21	29 59
	5725 55 73	**5500 73 30**
अद्यतित मूल्यह्रास	1501 97 84	1415 42 71
योग -I	**4223 57 89**	**4085 30 59**
II. पूँजीगत चालू कार्य	67 35 41	74 23 85
योग - II	**67 35 41**	**74 23 85**
III. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुड़नार शामिल है)		
वर्ष के आरंभ में लागत	3179 85 69	2955 66 67
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	719 62 98	291 63 71
उप-योग	**3899 48 67**	**3247 30 38**
वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	406 64 96	67 44 69
	3492 83 71	**3179 85 69**
अद्यतित मूल्यह्रास	2709 22 66	2684 58 03
योग - III	**783 61 05**	**495 27 66**
योग (I, II एवं III)	**5074 54 35**	**4654 82 10**

* इसमें 31.03.2026 को विनिमय दर संबंधी विदेशी शाखाओं से संबंधित बदलाव पर समायोजन शामिल है ।

अनुसूची - 11 अन्य आस्तियां

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	1596 09 59	174 68 35
ii) उपचित ब्याज	6609 41 49	5149 12 43
iii) अग्रिम रूप से प्रदत्त कर (निवल प्रावधान)	1799 41 97	2315 44 55
iv) लेखन-सामग्री व स्टॉम्प	3 65 85	3 49 09
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	0	16
vi) अन्य (नाबार्ड के पास रखी जमा राशि शामिल है)	6582 80 29	5049 13 05
योग	**16591 39 19**	**12691 87 63**

अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i) बैंक के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	8 95 99	8 03 15
ii) अंशत: संदत्त निवेशों के लिए देयता	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	114841 40 25	129706 60 38
iv) घटकों की ओर से दी गई गारंटी		
क) भारत में	21776 12 46	14713 15 35
ख) भारत के बाहर	323 56 67	179 63 06
v) सकार, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	7097 38 34	6074 74 57
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
क) पूँजीगत खातों पर निष्पादित शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	150 11 18	454 38 14
ख) करेंसी स्वैप के तहत बैंकों की देयताएं	0	0
ग) ब्याज दर स्वैप (यूएसडी)	0	0
घ) ब्याज दर स्वैप (आईएनआर)	0	0
ङ) करेंसी ऑप्शन के तहत बैंक की देयताएं	0	0
च) क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप/एफआरए/प्राप्य प्रभार	0	0
छ) आरबीआई के पास डीईएएफ में राशि	2541 87 92	2311 24 26
ज) अन्य	6543 19 43	5957 26 00
योग	**153282 73 84**	**159405 16 51**

अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i) ब्याज/अग्रिम बट्टा/बिल	23935 33 93	20182 12 52
ii) निवेशों पर आय	7518 35 48	7037 88 37
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर-बैंक निधियों के पास शेष राशि पर ब्याज	295 33 12	175 87 51
iv) अन्य	146 65 32	735 12 47
योग	**31895 67 85**	**28131 00 87**

अनुसूची - 14 अन्य आय

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i) कमीशन, विनिमय और दलाली	1737 65 60	1502 38 67
ii) निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि	423 05 48	523 61 89
iii) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि	5 26 30	0
iv) भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ	2 02 29	1 79 59
v) विनिमय लेन-देन पर लाभ/हानि	5 68 51	38 75 84
vi) विविध आय	3462 78 86	3478 50 85
योग	**5636 47 04**	**5545 06 84**

अनुसूची - 15 खर्च किया गया ब्याज

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i) जमाओं पर ब्याज	16576 69 84	15008 49 31
ii) भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज	2745 33 91	2232 24 75
iii) अन्य	49	6 23
योग	**19322 04 24**	**17240 80 29**

अनुसूची - 16 परिचालन खर्च

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	4688 77 37	4666 39 60
ii) किराया, कर और विद्युत	617 65 03	558 84 23
iii) मुद्रण और लेखन-सामग्री	24 83 86	34 97 10
iv) विज्ञापन और प्रचार	25 15 34	10 42 05
v) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	521 17 57	394 45 57
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	1 40 96	1 00 29
vii) लेखा परीक्षकों की फीस और खर्च (शाखा लेखा परीक्षक सहित)	50 73 70	41 35 85
viii) कानूनी व्यय	31 56 38	29 93 75
ix) डाक, तार, टेलीफोन, आदि	92 41 71	63 86 40
x) मरम्मत और रख-रखाव	38 66 90	45 71 11
xi) बीमा	431 12 73	410 70 86
xii) अन्य व्यय	1660 46 34	1489 59 57
योग	**8183 97 89**	**7747 26 38**

अनुसूची -17

बैंक की प्रमुख लेखांकन नीतियाँ – स्टैंडआलोन

1. तैयारी का आधार

1.1. बैंक का वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत उपचित अवधारणा एवं कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। यह भारत में सामान्तया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं । विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित विदेशी देशों में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और प्रथाओं का अनुपालन किया जाता है।

आकलन का प्रयोग

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को ऐसे आकलन व अनुमान लगाने होते हैं जितने वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व चिन्हित करना और व्यय लेखांकन

2.1 चालू परिसंपत्तियों पर आय उपार्जन के आधार पर मान्यता प्राप्त होती है।

अनर्जक परिसंपत्तियों की वसूली पहले मूलधन की ओर और शेष राशि (यदि कोई हो) ब्याज और प्रभारों की ओर समायोजित की जाती है।

मुकदमे में दायर खातों की वसूली मूलधन की ओर या संबंधित न्यायालय के निर्देशों के अनुसार समायोजित की जाएगी।

एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के तहत वसूली मूलधन की ओर समायोजित की जाएगी और मूलधन से अधिक राशि ब्याज में समायोजित की जाएगी।

यदि किसी उधारकर्ता खाते को पिछली तिथि से अनर्जक (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो वर्गीकरण की वर्तमान तिथि तक की कोई भी वसूली पहले ब्याज की ओर और शेष राशि (यदि कोई हो) मूलधन की ओर समायोजित की जाएगी। ऐसी अनर्जक परिसंपत्तियों में की गई बाद की वसूली पहले मूलधन की ओर और शेष राशि (यदि कोई हो) ब्याज और प्रभारों की ओर समायोजित की जाएगी।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को बेची गई परिसंपत्तियों के मामले में, आय विक्रय प्रतिफल के नकद घटक की सीमा तक चिन्हित होती है, जहां विक्रय प्रतिफल निवल बही मूल्य (अर्थात बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) से अधिक होता है।

एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत खातों को मुकदमे में दायर खातों के समान माना जाएगा और इन एनसीएलटी खातों में वसूली की गई राशि, चाहे वह कॉरपोरेट देनदार या गारंटर के विरुद्ध शुरू की गई प्रक्रिया से हो, मुकदमे में दायर खातों के समान ही समायोजित की जाएगी।

एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना में डिबेंचर/इक्विटी/अन्य ऋण या इक्विटी या अर्ध-इक्विटी टूल्स आदि के माध्यम से वसूली गई राशि को नकद वसूली के रूप में उसी प्रकार समायोजित किया जाएगा जैसे मुकदमे में दायर खातों में किया जाता है, अर्थात् पहले मूलधन और शेष राशि ब्याज के लिए।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन(साख पत्र/गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार/बीमा को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की परेषण बिक्री से प्राप्त आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में गणना में लिया जाता है ।

2.4 खर्चों को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है,जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.5 निष्क्रिय बचत बैंक खाते,अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाता है ।

2.6 वाद दायर खातों के संबंध में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है ।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान/हिसाब देश में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है ।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

3.1 विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन-देन का लेखांकन, लेखा मानक (एएस)11 के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव" के अनुसरण में किया जाता है ।

3.2 ट्रेज़री के संबंध में लेन-देन (विदेशी):

क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा रक़म पर लागू कर के रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्समय पर लागू एफईडीएआई की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में इति शेष को समापन दरों पर दिखाया जाता है। सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू एफईडीएआई की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार दिखाया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेन-देन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।

ग) एफईडीएआई द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को ''अन्य देयताएँ व प्रावधान' '/''अन्य आस्ति खाता' में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहित राजस्व के अंतर्गत रखा जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों को छोड़कर जहाँ खातों का समायोजन अंतिम दरों पर किया जाता है ।

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा बहियों में उनके लेन-देन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन:

क. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्धारित है, सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न परिचालन माना जाता है।

ख. परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देनदारियों सहित) को हर तिमाही के अंत में के भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित अंतिम स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ग. प्रत्येक तिमाही के अंत में आय और व्यय को एफईडीएआई द्वारा सूचित त्रैमासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

घ. परिणामी विनिमय के अंतर को अवधि के लिए आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन इसे निवल निवेश के निपटान तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती'' नामक अलग खाते में जमा किया जाता है ।

4. निवेश

4.1 आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश को छोड़कर) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा: परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत एक अलग निवेश उप-श्रेणी होगी।

प्रत्येक प्रतिभूति (एनपीआई को छोड़कर) के अंकित मूल्य की तुलना में अधिग्रहण लागत पर लागू प्रीमियम/छूट, यदि कोई हो, को परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा विधि से परिशोधित/उपार्जित किया जाएगा।

निवेशों का प्रकटीकरण छह श्रेणियों के अंतर्गत किया जाता है, जैसे:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर

घ) बांड एवं डिबेंचर

ङ) सहायक कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम और

च) अन्य (निर्दिष्ट किए जाने वाले)।

4.2 म्युचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।

4.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

4.3.1. लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीटीपीएल) और बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों की श्रेणियों का बाजार मूल्य त्रैमासिक अंतराल पर निर्धारित किया

जाता है। एचएफ़टी के अंतर्गत आने वाली प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य दैनिक आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एफ़वीटीपीएल में धारित अर्जक प्रतिभूतियों का उचित मूल्य निर्धारित किया जाएगा और इस मूल्यांकन से प्राप्त निवल लाभ या अर्जित हानि को सीधे लाभ-हानि खाते में जमा या आहरित किया जाएगा।

केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यांकन एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग/उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। उद्धृत भाव वाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार दरों पर किया जाता है तथा गैर उद्धृत भाव वाले ईक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्य/एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यांकन रु.1/-प्रति कंपनी/निधि के हिसाब से किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्र को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को बाज़ार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू के क्रम में उपलब्धता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है ।

पीडीएआइ (भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ)/ एफबीआईएल द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) दर पर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है ।

उपरोक्त मूल्यांकनों के आधार पर, एएफएस के अंतर्गत धारित सभी अर्जक निवेशों (वर्गीकरण की परवाह किए बिना, जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, बांड और डिबेंचर आदि) के मूल्यांकन लाभ और हानि को जोड़ा जाएगा। लागू करों की कटौती के बाद, मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास को सीधे एएफएस-आरक्षितियाँ नामक आरक्षित निधि में जमा या आहरित किया जाएगा।

खातों में निर्धारित अंतरालों पर मूल्यांकन के कारण व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में परिवर्तन होगा।

4.3.2. "परिपक्वता तक धारित": ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत/अमूर्तिकरण लागत/वहन मूल्य पर दर्ज किया जाता है।

सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं और प्रायोजित संस्थानों में निवेशों का मूल्यांकन हानि की जांच के बाद वहन लागत पर किया जाता है।

4.4 निवेश, एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान/आय की अनभिज्ञान के अधीन है। अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों/बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और तदनुसार, जहाँ कहीं लागू हो, प्रावधान किया जाता है।

4.5 किसी भी श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि (अर्थात व्यापार के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और एफवीटीपीएल) को आरबीआई के मौजूदा मास्टर दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

"परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ होने की स्थिति में, करों के बाद का निवल लाभ और वैधानिक आरक्षित निधि में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को "पूँजी आरक्षित खाते" में विनियोजित किया जाता है।

एएफएस श्रेणी में ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस-आरक्षित में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि और आस्थगित कर देयता (डीटीएल) को एएफएस-आरक्षित से डीटीएल सहित (यदि लागू हो) लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

प्रारंभिक मान्यता के समय एएफएस के तहत नामित इक्विटी टूल्स के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि एएफएस-आरक्षित से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित नहीं की जाएगी। इसके बजाय, ऐसा लाभ या हानि एएफएस-आरक्षित से पूँजी आरक्षित में स्थानांतरित की जाएगी।

4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज, प्रोत्साहन/ प्रारम्भिक शुल्क (फ्रण्ट-एण्ड-फीस) आदि को लाभ-हानि खाते में लिया जाता है। ट्रेज़री बिलों के मामले में खंडित अवधि ब्याज नहीं होता है। आय का लेखांकन होल्डिंग लागत और फेस वैल्यू यानि डिस्काउंट आय के अंतर के आधार पर किया जाता है।

4.7 रेपो/रिवर्स रिपो लेन-देन का भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखा – जोखा किया जाता है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.9 सभी निवेशों को वेटेड ऐवरेज प्राइसिंग विधि को अपनाकर धारित किया गया है ।

4.10 सभी निवेश सेटलमेंट तिथि के आधार पर बही में धारित किया जाता है ।

4.11 निवेश पर डिविडेंड आय का हिसाब नकदी आधार पर किया जाता है ।

4.12 तुलन-पत्र में निवेशों को अनर्जक निवेशों के संबंध में धारित नेट ऑफ प्रावधान के आधार पर दर्शाया जाता है।

4.13 भुगतान हेतु परिपक्व निवेशों को "अन्य आस्तियों" के तहत दर्शाया जाता है । अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधान भी उन निवेशों से नेट किया गया है ।

4.14 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नंबर बीपी बीसी. 102/21.04.0489/2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्ष 2018-19 से एक इनवेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) बनाया जाना है ताकि भविष्य में प्रतिफल में वृद्धि के प्रति बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रिज़र्व तैयार किया जा सके।

निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) में स्थानांतरण निम्नरूप में होना चाहिए:

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

बी) वर्ष के लिए निवल लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है ,

जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का 2% न हो जाए।

4.15 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबी) के परिपत्र संख्या: आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 72/21.04.048/2024-25 दिनांकित 29 मार्च, 2025 के अनुसार, सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) के लिए संशोधित मानदंडों के अनुसार, सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियों का लेखांकन निम्नानुसार किया जाएगा:

यदि किसी ऋण को निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर एआरसी को हस्तांतरित किया जाता है और यदि विक्रय प्रतिफल में केवल नकद और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हैं , तो हस्तांतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त प्रावधान को वापस कर दिया जाएगा ।

सरकारी गारंटीकृत एसआर का मूल्यांकन एआरसी द्वारा घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके समय-समय पर किया जाएगा, जो ऐसे टूल्स के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग पर आधारित होगा। हालांकि, ऐसे निवेशों के उचित मूल्यांकन के कारण लाभ-हानि खाते में दर्ज किए गए किसी भी अप्राप्त लाभ को सीईटी 1 पूँजी से घटाया जाएगा, और ऐसे अप्राप्त लाभों में से कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा।

सरकारी गारंटी के अंतिम निपटान या गारंटी अवधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, के बाद बकाया किसी भी एसआरएस का मूल्य एक रुपया (₹1) होगा।

5. अग्रिम

5.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार समय-समय पर ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है । विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

5.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्रचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाते हैं, जिसके अनुसार संबंधित ऋणों/अग्रिमों खातों प्रावधानीकरण के अतिरिक्त ऋण/अग्रिम की पुनर्संरचना के पूर्व व बाद के उचित मूल्य को घटाया जाता है । उचित मूल्य में कमी और उपरोक्त से उत्पन्न ब्याज में कमी , यदि कोई हो, के प्रावधान को अग्रिमों से घटा दिया जाता है।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक खाते को निष्पादन परिसंपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

6. डेरिवेटिव्स

6.1. ब्याज सहित आस्तियों/देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2. प्रतिरक्षा उद्देश्यों से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों/देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की जाती है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित की गयी है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ति/देयता जो भी पहले हो,पर इसकी पहचान की गयी है। ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं

की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति/देयता के साथ नामित किया जाता है जिसे भी बाजार को चिन्हित किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति/देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज किया जाता है।

6.3. उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ-हानि खाते में पहचाना/मान्य किया जाता है। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है । कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

7. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र व उपकरण)

7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है ।

7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

क्रम संख्या	फर्नीचर प्रकार	मूल्यह्रास %
i)	परिसर	2.50%
ii)	फर्नीचर एवं जुड़नार (धातु एवं लकड़ी)	10%
iii)	विद्युत संस्थापना	20%
iv)	वाहन	20%
v)	कम्प्यूटर्स	33.33%
vi)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	33.33%
vii)	अग्निशामक यंत्र एवं परिसंपत्तियाँ जिनका मूल्य रूपये 1000/- अधिक है किन्तु रूपये 5000/- से कम है ।	100%

अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है, और समतुल्य राशि पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में स्थानांतरित की जाती है। पुनर्मूल्यांकित परिसर पर पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास लगाया जाता है, जो ऊपर निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन है।

7.3 वस्तुओं की प्रकृति और उपयोग को ध्यान में रखते हुए फर्नीचर/फिक्स्चर का पूँजीकरण किया जा सकता है।

7.4 संपत्तियों का मूल्यह्रास अधिग्रहण/पुनर्मूल्यांकन की तिथि के बावजूद पूरे वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। (सीधी रेखा विधि के अंतर्गत)

7.5 संपत्तियों का मूल्यह्रास तभी अनुमत है जब संपत्ति खरीद के वर्ष में उपयोग में लाई गई हो।

7.6 यदि किसी एक संपत्ति का मूल्य 1000 रुपये से कम या उसके बराबर है, तो बैंक संपत्ति का पूँजीकरण नहीं करेगा और संपत्ति को राजस्व व्यय मानेगा। अतः, इस स्थिति में, संपत्ति पूँजीकरण के लिए पात्र नहीं होगी।

7.7 यदि किसी एक परिसंपत्ति का मूल्य 1000 रुपये से अधिक लेकिन 5000 रुपये से कम है, तो वह पूँजीकरण के लिए पात्र होगी। हालांकि, वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्ति के मूल्य के 100% तक मूल्यह्रास लागू होगा। इसके बाद, इसे बही-खातों में 1 रुपये के रूप में दर्ज किया जाएगा।

7.8 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।

7.9 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुकतान किया गया है।

7.10 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून पद्धति के अनुसार प्रावधान किया गया है।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

8.1 भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन पद्धति के अंशदान के लिए लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है ।

8.2 उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है। सेवानिवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर सीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

8.3 विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

9. आय पर कर:

बैंक द्वारा आयकर व्यय मौजूदा कर व आस्थगित कर व्यय की कुल राशि अदा की गई है । मौजूदा कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण, विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए कर , जो कि संबंधित न्यायाधिकार क्षेत्र के कर नियमों पर आधारित होता है , को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम 1961 व " आय पर करों के लेखांकन" से संबंधित लेखांकन मानक 22 के तहत किया जाता है। आस्थगित कर समायोजन में आस्तिगत

कर आस्ति या देयता में वर्ष के दौरान होने वाले बदलाव शामिल हैं। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की गणना वर्तमान वर्ष में कर योग्य आय एवं लेखांकन आय के बीच समयांतर के प्रभाव और अगले लाभ से घाटा-पूर्ति को विचार में लेकर की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिन्हें तुलन-पत्र की तारीख में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान की जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनका पुनर्मूल्यांकन, प्रबंधन के निर्णय के आधार पर कि उनकी वसूली यथोचित रूप से निश्चित मानी जाए या नहीं। आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य में होने वाले लाभ से कर घाटा-पूर्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब आभासी निश्चितता के साथ इस बात का पुख्ता सबूत हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के प्रति वसूल किया जा सकता है।

10. प्रति शेयर अर्जन

सनदी लेखाकंन संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 ''(प्रति शेयर अर्जन)'' के अनुसार बैंक प्रति इक्विटी शेयर के आधार पर मूल और डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट करता है। मूल प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है। डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर संभाव्य घटाव को दर्शाता है जो वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण हो सकता है। प्रति ईक्विटी शेयर डाइल्यूटेड आय का परिकलन भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटिव पोटेंशियल ईक्विटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है, सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं।

11. आस्तियों की क्षति

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को यह निर्धारित करता है कि क्या किसी आस्ति में घाटा होने का संकेत है। यदि कोई घाटा हो तो, उसे लाभ एवं हानि खाते में अनुमानित वसूली योग्य रकम से अधिक आस्ति रकम तक दर्शाया गया है।

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग

आरबीआई के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यापार खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीय रिपोर्टिंग खंड के रूप में चिन्हित करता है ।

13. प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए लेखांकन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी "प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों" के अनुसरण में बैंक, प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो, ये भी संभवना है कि जब बाध्यताओं की राशि के लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके तब बाध्यताओं को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह हो सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेन-देनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रकम का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में आकस्मिक आस्ति, यदि कोई हो तो उसे मान्यता नहीं दी गयी है या उसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

अनुसूची 18

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण हेतु लेखों पर टिप्पणियाँ

I. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण:

1. नियामक पूँजी

ए) नियामक पूँजी की संरचना

(राशि रु करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25*
i)	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूँजी (सीईटी – 1) (कटौती के बाद निवल , यदि कोई हो)	33,524.49	27,897.09
ii)	अतिरिक्त टीयर 1 पूँजी	0.00	0.00
iii)	टीयर 1 पूँजी (i + ii)	33,524.49	27,897.09
iv)	टीयर 2 पूँजी	5,619.49	4,408.95
v)	कुल पूँजी (टीयर 1+ टीयर 2)	39,143.98	32,306.04
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडबल्यूए)	1,97,931.60	1,69,666.65
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडबल्यूए प्रतिशत के रूप में)	16.94%	16.44%
viii)	टीयर 1 अनुपात (आरडबल्यूए प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूँजी)	16.94%	16.44%
ix)	टीयर 2 अनुपात (आरडबल्यूए प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूँजी)	2.84%	2.60%
x)	पूँजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडबल्यूए प्रतिशत के रूप में कुल पूँजी)	19.78%	19.04%
xi)	लीवरेज अनुपात	6.60%	6.64%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	92.44%	94.61%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई भुगतान की गई इक्विटी पूँजी की राशि	शून्य	354.18
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टीयर 1 पूँजी की राशि	शून्य	शून्य
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टीयर 2 पूँजी की राशि, (बेसल III अनुपालक टीयर II बॉन्ड)	1,000.00	शून्य

(*) आरबीआई आईएसई 2025 के दौरान विचलन संबंधी टिप्पणियों के आधार पर सीईटी1 तथा लीवरेज अनुपात की पुनर्गणना की गई है।

बी) पूँजी और आरिक्षतियाँ :

- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने न तो इक्विटी पूँजी जुटाई है और न ही कोई बेसल-III अनुरूप अतिरिक्त टीयर-I बांड जारी किए हैं।
- दिनांक 31 मार्च 2026 को बैंक की चुकता पूँजी ₹19,256.59 करोड़ रही तथा उक्त तिथि पर भारत सरकार की अंशधारिता 92.44% रही।
- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने बेसल-III टीयर-II बांड (सीरीज़-VI) निजी नियोजन के माध्यम से ₹1,000 करोड़ की कुल राशि के लिए जारी किए, जिन्हें पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) द्वारा अभिदत्त किया गया।

सी) 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निम्नलिखित बांड जारी किए गए हैं:

विवरण	जारी करने की तारीख	अवधि	कूपन दर (%)	राशि (₹ करोड़ में)	परिपक्वता तारीख
बेसल-III टीयर-II बांड सीरीज़-VI (आईएनई565A08068)	23.01.2026	10 वर्ष	7.80	1,000.00	23.01.2036

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किसी भी बांड का मोचन नहीं किया गया।

डी) आरक्षितियों से आहरित

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरक्षितियों से आहरित राशि शून्य है।

2. आस्ति देयता प्रबंधन

ए) 31 मार्च 2026 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 दिन – 30 दिन	31 दिन – 2 महीने तक	2 महीने – 3 महीने तक	3 महीने – 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमाएँ	2,587.23	6,319.05	6,098.90	10,280.62	15,019.15	16,283.97	51,490.18	95,466.78	57,484.04	15,547.80	91,613.53	3,68,191.25
अग्रिम(सकल)	3,362.13	3,051.03	3,113.04	4,931.64	8,423.26	7,852.71	23,474.18	71,341.98	93,637.43	31,133.17	60,101.93	3,10,422.50
निवेश (निवल)	25,134.90	1,737.82	1,155.59	3,109.90	4,375.44	4,668.02	13,369.01	23,894.11	16,482.90	4,965.71	20,916.13	1,19,809.53
उधार	0.66	474.18	639.46	4,408.13	2,755.77	3,998.78	8,931.67	16,873.58	10,353.09	501.50	2,665.75	51,602.57
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	3,595.31	9,857.35	1,313.04	2,933.93	2,953.08	7,175.47	3,537.42	6,043.83	4,454.84	2,568.46	2,657.84	47,090.57
विदेशी मुद्रा देयताएँ	2,461.02	1,815.09	2,380.99	4,816.05	2,507.87	4,670.55	5,732.74	13,599.48	4,663.58	35.17	4,408.03	47,090.57

31 मार्च 2025 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 दिन – 30 दिन	31 दिन – 2 महीने तक	2 महीने – 3 महीने तक	3 महीने – 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमाएँ	2,767.49	5,502.45	5,341.41	9,579.20	17,503.43	18,036.21	43,326.62	68,408.86	42,787.04	14,004.94	84,681.18	3,11,938.83
अग्रिम (सकल)	3,119.46	4,681.06	7,616.70	5,098.65	9,518.10	13,795.39	22,976.36	26,370.14	74,811.86	24,744.14	57,286.99	2,50,018.85
निवेश (निवल)	24,956.30	6,558.33	1,338.61	2,931.32	4,201.43	4,587.94	10,702.73	18,021.16	13,153.05	3,910.64	20,683.33	1,11,044.84
उधार	346.4	4,971.25	1,212.16	4,406.46	1,789.93	3,463.92	5,098.00	10,637.36	8,123.44	503.96	1,674.77	42,227.65
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	3,833.26	2,721.74	2,012.01	6,549.99	4,198.58	3,026.47	6,429.34	6,032.64	4,471.43	2,188.03	2,383.13	43,846.62
विदेशी मुद्रा देयताएँ	2,771.40	2,927.90	2,101.96	7,227.34	3,441.13	1,996.46	8,712.32	7,156.68	3,710.33	656.5	3,144.60	43,846.62

बी) तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

आरबीआई ने तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) को परिपत्र संख्या आरबीआई/2014-15/529 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 के माध्यम से पेश किया था । जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) हैं और संभावित चलनिधि व्यवधानों के लिए बैंकों की अल्पकालिक लचीलापन 30 दिनों तक चलने वाले एक तीव्र तनाव परिदृश्य से बचने के लिए है । आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, न्यूनतम एलसीआर की आवश्यकता 100% है।

एलसीआर की परिभाषा:

$$\frac{\text{उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (एचक्यूएलए) का स्टॉक}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी प्रवाह}}$$

एचक्यूएलए की संरचना:

उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक में, परिसंपत्तियों की दो श्रेणियां हैं, अर्थात स्तर 1 और स्तर 2 आस्ति । स्तर 2 आस्ति को उनके मूल्य-अस्थिरता के आधार पर स्तर 2 ए और स्तर 2 बी परिसंपत्तियों में उप-विभाजित किया जाता है । प्रत्येक श्रेणी में शामिल किए जाने वाले परिसंपत्तियां वे हैं जो बैंक के पास तनाव अवधि के पहले दिन मौजूद है । स्तर 1 की आस्ति 0 मार्जिन के साथ है जबकि स्तर 2 में, 2 ए की संपत्ति न्यूनतम 15 मार्जिन और स्तर 2 बी एसेट्स की संपत्ति, न्यूनतम 50% मार्जिन के साथ है ।

एलसीआर के मुख्य कारक:

बैंक ने समेकित आधार पर 31 मार्च, 2026 को समाप्त तीन माह की अवधि के दौरान औसत एचक्यूएलए (हेयरकट के पश्चात) ₹94,248.85 करोड़ बनाए रखीं। एचक्यूएलए मुख्यतः न्यूनतम एसएलआर से अधिक धारण की गई सरकारी प्रतिभूतियों, अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के अंतर्गत रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एमएसएफ़ तथा तरलता कवरेज अनुपात हेतु तरलता उपयोग करने की सुविधा के अंतर्गत अनुमत सीमा तक संचालित रहा। इसके अतिरिक्त, नकद राशि तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखा गया अतिरिक्त सीआरआर भी इसमें शामिल रहा। स्तर-2 एचक्यूएलए में मुख्य रूप से एए- एवं उससे उच्च रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड तथा कमर्शियल पेपर सम्मिलित थे।

अवधि के दौरान हुए परिवर्तन एवं समयानुसार परिवर्तन:

समेकित आधार पर एलसीआर मार्च 2026 को समाप्त तिमाही तथा दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए क्रमशः 122.01% एवं 121.98% रहा, जो कि 100% की नियामकीय आवश्यकता के मुकाबले अधिक है। समेकित आधार पर पिछले चार तिमाहियों के औसत एलसीआर का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 समाप्त तिमाही	31 दिसंबर 2025 समाप्त तिमाही	30 सितंबर 2025 समाप्त तिमाही	30 जून 2025 समाप्त तिमाही	31 मार्च 2025 समाप्त तिमाही
एचक्यूएलए	94,248.85	87,621.55	89,244.86	83,331.04	79,145.04
कुल निवल नकदी बहिर्गमन	77,248.10	71,832.60	74,532.41	67,452.57	62,680.15
% में एलसीआर	122.01	121.98	119.74	123.54	126.27

निधि स्रोतों का संकेन्द्रण

महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष से आशय ऐसे एकल प्रतिपक्ष या परस्पर जुड़े/संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह से है, जो सामूहिक रूप से बैंक की कुल देनदारियों के 1% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हों।

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष जमा विद्यमान नहीं था।

महत्वपूर्ण साधन/उत्पाद से आशय ऐसे एकल साधन या उत्पाद अथवा समान साधनों/उत्पादों के समूह से है, जो सामूहिक रूप से बैंक की कुल देनदारियों के 1% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हों। वित्तपोषण साधनों/उत्पादों के उदाहरणों में थोक जमाएँ , जमा प्रमाणपत्र, दीर्घकालिक बॉण्ड आदि शामिल हैं।

एलसीआर में मुद्रा असंतुलन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक को एकल मुद्रा आधार पर पूरा किया जाना आवश्यक है। तथापि, मुद्रा-विशिष्ट संभावित तरलता जोखिमों को बेहतर रूप से परिलक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा में एलसीआर की निगरानी करना आवश्यक है।

तदनुसार, बैंक आईएनआर में दैनिक आधार पर एलसीआर की निगरानी करता है तथा इसकी तुलना नियामकीय आवश्यकता से करता है। इसके अतिरिक्त, अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं के लिए—जिन्हें ऐसी मुद्राएँ परिभाषित किया गया है जिनमें उस मुद्रा में अभिव्यक्त कुल देनदारियाँ बैंक की कुल देनदारियों के 5 प्रतिशत या उससे अधिक हों—भी निगरानी की जाती है। आईएनआर के अतिरिक्त किसी भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्रा में कुल देनदारियाँ बैंक की कुल देनदारियों के 5% से कम हैं।

डेरिवेटिव जोखिम स्थिति एवं संभावित कोलेटरल आह्वान

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार आगामी 30 दिनों के लिए बैंक का औसत शुद्ध डेरिवेटिव नकद बहिर्वाह ₹170.82 करोड़ रहा।

तरलता प्रबंधन के केंद्रीकरण की सीमा एवं समूह संस्थाओं के मध्य पारस्परिक समन्वय

बैंक में तरलता प्रबंधन, बैंक की एएमएल नीति तथा नियामकीय प्रावधानों द्वारा संचालित होता है। बैंक के देशीय एवं विदेशी केंद्र आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) को रिपोर्ट करते हैं। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा एएलसीओ को बैंक की निधि जुटाने की रणनीतियाँ तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया है, ताकि वित्तपोषण के स्रोत पर्याप्त रूप से विविधीकृत रहें तथा बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हों। एएलसीओ के सभी प्रमुख निर्णयों की सूचना समय-समय पर निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को दी जाती है। दैनिक/मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त, बैंक निरंतर आधार पर अपनी तरलता आवश्यकताओं का आकलन करने हेतु दैनिक संरचनात्मक तरलता विवरण भी तैयार करता है।

बैंक की कोई समूह इकाई नहीं हैं। अतः समूह इकाइयों के मध्य पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है। तरलता प्रबंधन बैंक स्तर पर बैंक की एएलएम नीति तथा लागू नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण का अनुलग्नक:

(राशि ₹ करोड़ में)

		जून-25		जून-24		सितंबर-25		सितंबर-24		दिसंबर-25		दिसंबर-24		मार्च-26		मार्च-25	
		कुल अभारित मूल्य [औसत]	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य [औसत]	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य [औसत]	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य [औसत]	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य [औसत]	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य [औसत]	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य [औसत]	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति																	
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति (एच क्यू एल ए)		83,331.04		67,762.45		89,244.86		74,050.96		87,621.55		75,594.21		94,248.85		79,145.04
नकदी बहिर्वाह																	
2	लघु कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमाएं व जमाएं, जिसमें:	2,32,360.42	22,592.14	2,21,886.43	21,638.10	2,34,916.45	22,837.59	2,21,292.57	21,528.27	2,45,583.69	23,862.65	2,24,127.97	21,798.20	2,52,546.91	24,508.77	2,29,543.66	22,319.07
(i)	स्थिर जमाएं	12,877.92	643.89	11,010.78	550.54	13,080.98	654.05	12,019.71	600.99	13,914.49	695.73	12,291.90	614.60	14,918.38	745.92	12,705.96	635.30
(ii)	कम स्थिर जमाएं	21,98,482.50	21,948.25	2,10,875.66	21,087.57	2,21,835.47	22,183.54	2,09,272.86	20,927.29	2,31,669.20	23,166.92	2,11,836.07	21,183.61	2,37,628.53	23,762.85	2,16,837.70	21,683.77
3	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन जिसमें:	75,197.10	48,110.78	62,122.10	39,352.03	79,264.03	50,548.32	59,710.83	37,831.48	80,023.43	48,418.74	53,256.22	33,272.63	89,766.64	55,027.79	67,040.44	41,903.33
(i)	परिचलनात्मक जमाएँ (सभी कॉउंटर पार्टियाँ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर परिचलनात्मक जमाएँ (सभी कॉउंटर पार्टियाँ)	75,197.10	48,110.78	62,122.10	39,352.03	79,264.03	50,548.32	59,710.83	37,831.48	80,023.43	48,418.74	53,256.22	33,272.63	89,766.64	55,027.79	67,040.44	41,903.33
(iii)	अप्रतिभूति ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन	3,780.50	0.00	6,077.30	0.00	386.25	0.00	4,825.51	0.00	2,007.45	4,279.01	6,765.82	0.00	370.38	0.00	4,716.98	0.00
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं, जिसमें से	14,416.27	2,421.18	17,745.67	2,695.20	21,004.02	5,169.52	14,436.70	2,221.14	27,160.08	4,279.01	16,519.01	2,474.17	29,006.42	4,240.22	15,545.40	2,311.43
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्वी अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्वाह	0.61	0.61	432.73	432.73	25.44	25.44	224.39	224.39	113.76	113.76	177.39	177.39	170.82	170.82	6.71	6.71
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीकरण की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधा	14,415.66	2,420.57	17,312.94	2,262.70	20,978.58	5,144.08	14,212.31	1,996.75	27,046.32	4,165.25	16,341.62	2,296.78	28,835.60	4,069.40	15,538.69	2,304.72
6	अन्य संविदागत निधीकरण बाध्यताएं	3,216.17	3,216.17	4,684.05	4,684.05	3,336.35	3,336.35	6,569.72	6,569.72	3,883.23	3,883.23	4,977.98	4,977.98	4,337.54	4,337.54	4,531.35	4,531.35
7	अन्य संभाव्यता वित्तीयन बाध्यताएं	21,725.84	651.78	18,335.03	553.71	23,375.22	701.26	18,924.64	568.16	25,759.99	772.80	19,763.51	592.91	27,839.15	835.17	20,076.63	602.30
8	**कुल नकद बहिर्वाह**		**76,992.05**		**68,923.09**		**82,593.04**		**68,718.77**		**81,216.43**		**63,115.89**		**88,949.49**		**71,667.48**
नकदी प्रवाह																	
9	प्रतिभूत उधार [उदा. रिवर्स रेपो]	0.00	0.00	0.00	0.00	128.16	0.00	0.00	0.00	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	पूर्णता निष्पादित एक्सपोज़र से अंतर्वाह	15,274.62	9,538.78	20,144.10	10,678.66	13,541.15	8,055.48	15,880.94	9,253.13	15,372.11	9,359.09	12,476.21	7,084.96	17,375.03	11,679.14	14,196.48	8,565.75
11	अन्य नकद अंतर्वाह	0.71	0.71	683.68	683.68	5.16	5.16	600.18	600.18	24.74	24.74	503.14	503.14	22.25	22.25	421.58	421.58
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**15,275.33**	**9,538.49**	**20,827.78**	**11,362.34**	**13,674.47**	**8,060.64**	**16,481.12**	**9,853.31**	**15,457.59**	**9,383.83**	**12,979.35**	**7,588.10**	**17,397.28**	**11,701.39**	**14,618.06**	**8,987.33**
13	**कुल एच क्यू एल ए**		**83,331.04**		**67,762.45**		**89,244.86**		**74,050.96**		**87,621.55**		**75,594.21**		**94,248.85**		**79,145.04**

		जून-25		जून-24		सितंबर-25		सितंबर-24		दिसंबर-25		दिसंबर-24		मार्च-26		मार्च-25	
		कुल अभारित मूल्य [औसत]	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य [औसत]	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य [औसत]	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य [औसत]	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य [औसत]	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य [औसत]	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य [औसत]	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
14	कुल निवल नकद प्रवाह		67,452.56		57,560.75		74,532.40		58,865.45		71,832.60		55,527.79		77,248.10		62,680.15
15	तरलता कवरेज अनुपात (%)		123.54%		117.72%		119.74%		125.80%		121.98%		136.14%		122.01%		126.27%

1. अभारित मूल्यों की गणना 30 दिनों के भीतर परिपक्व या कॉल करने योग्य बकाया शेष राशि के रूप में की जाती है (इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए) सिवाय जहां अन्यथा परिपत्र और एलसीआर टेम्पलेट में उल्लिखित है।
2. भारित मूल्यों की गणना संबंधित हेयरकट (एचक्यूएलए के लिए) या इनफ्लो और आउटफ्लो दरों (इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए) को लागू करने के बाद की जाती है।
3. समायोजित मूल्यों की गणना (i) हेयरकट और इनफ्लो और आउटफ्लो दरों और (ii) किसी भी लागू कैप्स (यानी एचक्यूएलए के लिए लेवल 2बी और लेवल 2 एसेट्स पर कैप और इनफ्लो पर कैप) दोनों को लागू करने के बाद की जाती है।
4. वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तीन तिमाहियों से संबंधित प्रकटीकरण प्रबंधन द्वारा संकलित किए गए हैं और लेखा परीक्षकों द्वारा उन पर भरोसा किया गया है ।

सी) निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

आरबीआई निवल स्थिर निवल अनुपात (एनएसएफआर) की शुरुआत की जिससे बैंकों द्वारा अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्त पोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ निधि देने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि के क्षितिज पर लचीलेपन को बढ़ावा दिया जा सके। 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर आवश्यकता 100% है।

एनएसएफआर की परिभाषा:

$$\frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ)}}$$

महत्वपूर्ण/मुख्य कारक:

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण (एएसएफ) को पूँजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक फैली हुई है। किसी विशिष्ट संस्थान की आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) की राशि चलनिधि विशेषताओं और उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ-साथ इसके तुलन पत्र से इतर (ओबीएस) एक्सपोज़र का एक कार्य है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में एनएसएफ़आर में अवधि के दौरान हुए परिवर्तन (चार तिमाहियाँ):

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 समाप्त तिमाही	31.12.2025 समाप्त तिमाही	30.09.2025 समाप्त तिमाही	30.06.2025 समाप्त तिमाही
उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ) (भारित मूल्य)	3,24,340.86	3,03,814.30	2,95,124.43	2,79,680.98
आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) (भारित मूल्य)	2,53,928.94	2,38,857.01	2,26,651.51	2,17,671.34
एनएसएफआर % में	127.73%	127.20%	130.21%	128.49%

बैंक ने **31 मार्च 2026** के लिए एनएसएफआर की गणना की है जो **127.73%** है जो आरबीआई द्वारा निर्धारित 100% की न्यूनतम आवश्यकता से काफी ऊपर है। बैंक का अधिकांश वित्तपोषण खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से होता है, जो फंडिंग की स्थिरता के संबंध में उच्च स्थिरता प्रदान करते हैं। लंबी अवधि के क्षितिज पर निरंतर आधार पर अपनी गतिविधियों को निधि देने के लिए बैंक के पास वित्त पोषण के पर्याप्त स्थिर स्रोत हैं।

विस्तृत मात्रात्मक प्रकटीकरण नीचे दिया गया है

(₹ करोड़ में)

		दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य					मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य
एएसएफ आइटम											
1	पूँजी: (2+3)	31,158.24	0.00	0.00	1,965.00	33,123.24	36,178.98	0.00	0.00	2,965.00	39,143.98
2	विनियामक पूँजी	31,158.24	0.00	0.00	1,965.00	33,123.24	36,178.98	0.00	0.00	2,965.00	39,143.98
3	अन्य पूँजीगत साधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा: (5+6)	1,09,765.04	1,50,330.08	1,676.41	12,944.38	2,49,294.84	1,14,255.33	1,56,307.75	1,369.77	10,353.64	2,55,905.97
5	स्थिर जमा	13,216.11	1,891.18	35.64	621.84	15,007.63	14,331.20	1,896.81	60.72	663.76	16,138.05
6	कम स्थिर जमा	96,548.93	1,48,438.90	1,640.77	12,322.54	2,34,287.22	99,924.13	1,54,410.95	1,309.04	9,689.88	2,39,767.92
7	थोक वित्त पोषण: (8+9)	0.00	29,604.55	11,049.13	115.30	20,384.48	0.00	35,115.58	19,529.68	127.04	27,386.15
8	परिचालन जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक वित्त पोषण	0.00	29,604.55	11,049.13	115.30	20,384.48	0.00	35,115.58	19,529.68	127.04	27,386.15
10	अन्य देनदारियां: (11+12)	30,529.23	53,629.70	957.06	225.38	1,011.73	34,559.32	50,915.21	2,006.20	343.52	1,904.76
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां		146.09	0.00	0.00			227.79	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	30,529.23	53,483.61	957.06	225.38	1,011.73	34,559.32	50,687.42	2,006.20	343.52	1,904.76
13	**कुल एएसएफ (1+4+7+10)**					**3,03,814.30**					**3,24,340.86**
आरएसएफ आइटम											

विस्तृत मात्रात्मक प्रकटीकरण नीचे दिया गया है

(राशि ₹ करोड़ में)

		दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए					मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए				
		एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट					एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)					4,218.33					4,385.47
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां	506.12	62.61	0.00	157.76	174.86	441.35	137.28	0.00	243.33	133.73
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: (17+18+19+21+23)	44,400.98	59,904.57	87,471.03	1,17,074.12	2,04,632.74	45,471.28	55,070.50	92,707.40	1,30,845.22	2,17,166.68
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित प्रदर्शन करने वाले ऋण	785.50	3,494.33	2,350.24	9,083.55	11,538.69	1,493.78	2,943.29	2,024.64	10,339.28	13,188.36
19	गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से:	41,886.91	54,363.41	83,329.60	57,835.97	1,51,529.44	42,373.57	51,706.21	90,031.56	67,501.84	1,62,026.61
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	1,081.67	1,027.32	1,792.61	9,427.06	8,240.64	975.30	1,827.87	871.02	9,921.79	8,432.55
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें से:	35.85	1,670.62	1,540.39	26,027.89	19,304.60	34.53	248.57	12.90	29,455.58	20,196.12
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	35.85	1,367.36	1,314.14	18,471.01	13,370.21	34.53	154.47	12.34	21,548.36	14,112.28
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	1,692.72	376.21	250.79	24,126.71	22,260.02	1,569.40	172.43	638.30	23,548.52	21,755.59
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	1,253.51	846.47	89.71	27,820.92	28,219.58	1,221.36	1,660.82	21.97	27,898.72	29,648.29
25	स्वर्ण सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	0.00				0.00	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान		0.00	0.00	1,241.11	1,054.94		0.00	0.00	1,241.11	1,054.94
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्ति		22.06	0.00	0.00	22.06		20.67	0.00	0.00	20.67
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की मार्जिन से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		7.30	0.00	0.0 0	7.30		11.39	0.00	0.00	11.39
29	अन्य सभी संपत्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	1,253.51	817.11	89.71	26,579.81	27,135.28	1,221.36	1,628.76	21.97	26,657.61	28,561.29
30	तुलन पत्र इतर आइटम		35,012.03	81.17	97.49	1,611.50		54,845.31	70.67	112.23	2,594.77
31	**कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)**					**2,38,857.01**					**2,53,928.94**
32	**निवल स्थिर निधि अनुपात (%)**					**127.20%**					**127.73%**

(राशि ₹ करोड़ में)

		जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए					सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए				
		एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट					एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य
एएसएफ आइटम											
1	पूँजी: (2+3)	31,237.36	0.00	0.00	2,065	33,302.36	31,193.11	0.00	0.00	1,965.00	33,158.11
2	विनियामक पूँजी	31,237.36	0.00	0.00	2,065	33,302.36	31,193.11	0.00	0.00	1,965.00	33,158.11
3	अन्य पूँजीगत साधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा: (5+6)	1,03,503.97	1,42,984.32	1,663.36	6,044.20	2,30,076.72	1,07,102.87	1,48,666.42	1,395.61	10,328.02	2,42,503.39
5	स्थिर जमा	12,019.29	1,848.51	884.23	591.41	14,811.95	12,704.56	1,912.91	73.84	761.42	14,711.83
6	कम स्थिर जमा	91,484.68	1,41,135.81	779.12	5,452.79	2,15,264.77	94,398.31	1,46,753.51	1,321.77	9,566.60	2,27,791.56
7	थोक वित्त पोषण: (8+9)	0.00	23,556.95	6,323.76	110.25	14,995.48	0.00	26,427.94	10,531.10	101.46	18,530.25
8	परिचालन जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक वित्त पोषण	0.00	23,556.95	6,323.76	110.25	14,995.48	0.00	26,427.94	10,531.10	101.46	18,530.25
10	अन्य देनदारियां: (11+12)	35,645.65	45,105.85	1,488.09	13.22	1,306.42	28,271.22	51,398.82	512.87	28.66	932.68
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां		32.19	0.00	0.00			167.94	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	35,645.65	45,073.66	1,488.09	13.22	1,306.42	28,271.22	51,230.88	512.87	28.66	932.68
13	**कुल एएसएफ (1+4+7+10)**					**2,79,680.98**					**2,95,124.43**
आरएसएफ आइटम											
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)					3,992.60					4,297.99
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां	492.74	50.69	0.00	201.07	170.19	487.61	57.01	0.00	307.89	178.64
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: (17+18+19+21+23)	45,136.34	52,812.64	72,507.44	1,03,374.75	1,82,603.67	44,302.38	59,323.71	76,778.46	1,08,943.76	1,91,718.79
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित प्रदर्शन करने वाले ऋण	593.48	3,834.81	2,175.77	8,664.08	10,892.14	459.64	4,059.39	1,881.19	8,741.79	10,721.73
19	गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से:	42,841.15	47,118.36	68,514.18	46,121.79	1,31,409.92	42,108.25	53,177.22	73,281.14	51,321.24	1,40,472.45
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	1,074.67	1,751.51	2,013.09	9,232.00	8,581.63	1,188.62	1,819.35	2,028.94	9,664.21	8,978.48
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें से:	36.88	1,685.02	1,443.75	24,675.32	18,285.89	33.73	1,662.52	1,439.69	25,081.45	18,549.09
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	36.88	1,387.18	1,257.26	17,678.54	12,837.24	33.73	1,367.13	1,246.07	17,990.04	13,022.05

		जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए					सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए				
		एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट					एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	1,664.83	174.45	373.74	23,913.56	22,015.72	1,700.76	424.58	176.43	23,799.27	21,975.53
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	1,164.03	754.91	231.18	29,277.83	29,850.14	1,196.54	871.35	232.73	28,297.51	29,066.60
25	स्वर्ण सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	0.00		0.00			0.00		0.00		
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान		0.00	0.00	1,241.11	1,054.94		0.00	0.00	1,241.11	1,054.94
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव एसेट्स		96.60	0.00	0.00	96.60		23.69	0.00	0.00	23.69
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की मार्जिन से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		4.83	0.00	0.00	4.83		8.40	0.00	0.00	8.40
29	अन्य सभी संपत्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	1,164.03	653.48	231.18	28,036.72	28,693.77	1,196.54	839.26	232.73	27,056.40	27,979.57
30	ऑफ-तुलन पत्र आइटम		23,285.63	57.98	105.53	1,054.74		30,352.67	58.44	110.41	13,89.50
31	**कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)**					**2,17,671.34**					**2,26,651.51**
32	**निवल स्थिर निधि अनुपात (%)**					**128.49%**					**130.21%**

नोट: वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम तीन तिमाहियों से संबंधित प्रकटीकरण प्रबंधन द्वारा संकलित किए गए हैं तथा लेखा परीक्षकों द्वारा उन पर निर्भर किया गया है।

3. निवेश

ए) 31 मार्च 2025 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्तमान वर्ष							पिछला वर्ष						
	एचटीएम		एएफएस	एफवीटीपीएल		सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम		एचटीएम		एएफएस	एफवीटीपीएल		सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	
	लागत पर	उचित मूल्य		एचएफटी	गैर-एचएफटी	लागत पर	उचित मूल्य	लागत पर	उचित मूल्य		एचएफटी	गैर-एचएफटी	लागत पर	उचित मूल्य
I. भारत में निवेश														
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	91,314.11	89,519.62	17,104.39	1,184.16	0.00	0.00	0.00	86,977.44	87,228.94	14,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00
(iii) शेयर	0.00	0.00	777.13	275.74	454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	682.20	365.57	657.25	0.00	0.00
(iv) डिबेंचर और बॉन्ड	1,704.89	1,671.97	655.75	0.00	970.38	0.00	0.00	1,807.67	1,704.56	687.60	0.00	982.31	0.00	0.00
(v) सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,19.37	1,211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.65	615.65
(vi) अन्य	0.00	0.00	0.00	18.23	549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13	598.56	0.00	0.00
कुल	**93,019.00**	**91,191.59**	**18,537.27**	**1,478.13**	**1,975.29**	**1,219.37**	**1,211.45**	**88,785.11**	**88,933.50**	**15,958.20**	**380.70**	**2,239.13**	**615.65**	**615.65**
घटाएं: मूल्य में कमी/एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	88.54	38.41	371.67	0.00	0.00	0.00	0.00	171.72	0.00	787.93	0.00	0.00
निवल	**93,019.00**	**91,191.59**	**18,448.7**	**1,439.70**	**1,603.60**	**1,219.40**	**1,211.45**	**88,785.11**	**88,933.50**	**15,786.48**	**380.70**	**1,451.20**	**615.65**	**615.65**
II. भारत के बाहर निवेश														
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	3,885.62	3,878.43	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.77	3,429.61	244.22	0.00	0.00	0.00	0.00

(ii) सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.57	199.57
(iii) अन्य निवेश	52.67	52.67	42.40	0.00	52.88	0.00	0.00	47.50	47.50	37.58	0.00	47.66	0.00	0.00
कुल	**3,938.29**	**3,931.10**	**87.93**	**0.00**	**52.88**	**0.00**	**0.00**	**3,503.27**	**3,477.11**	**281.80**	**0.00**	**47.66**	**199.57**	**199.57**
घटाएं: मूल्य में कमी/एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	6.13	6.13
निवल	**3,938.29**	**3,931.1**	**87.93**	**0.00**	**52.88**	**0.00**	**0.00**	**3,503.27**	**3,477.11**	**281.33**	**0.00**	**47.66**	**193.44**	**193.44**
कुल निवेश (I+II)	**96,957.29**	**95,122.69**	**18,536.66**	**1,439.7**	**1,656.50**	**1,219.37**	**1,211.45**	**92,288.38**	**92,410.61**	**16,067.81**	**380.70**	**1,498.86**	**809.09**	**809.09**

#बैंक द्वारा हांगकांग शाखा की एनपीआई निवेश श्रेणी के अंतर्गत, अनुसूची-8 (विदेशी निवेश) में, मेसर्स टीसीआई सनमार केमिकल्स एसएई द्वारा जारी इक्विटी एवं एनसीडी धारण किए गए हैं। चूँकि उक्त खाता पुनर्गठित श्रेणी के अंतर्गत है, इसलिए बैंक द्वारा उक्त निवेश जोखिम के विरुद्ध निम्नानुसार प्रावधान रखा गया है:

निवेश के प्रकार	31.03.2026 की स्थिति के अनुसार प्रावधान की राशि (आईएनआर)	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार प्रावधान की राशि (आईएनआर)
टीसीआई सनमार केमिकल्स एसएई – इक्विटी	52,87,54,839.61	47,65,66,190.06
टीसीआई सनमार केमिकल्स एसएई – एनसीडी	34,58,08,199.80	31,18,33,062.60
कुल	**87,45,63,039.41**	**78,83,99,252.66**

उपरोक्त उल्लिखित प्रावधान केंद्रीय कार्यालय की लेखा पुस्तकों में रखा गया है।

बी) तुलन पत्र में उचित मूल्य पर मूल्यांकित निवेश पोर्टफोलियो का उचित मूल्य पदानुक्रम

(₹ करोड़ में)

	वर्तमान वर्ष								पिछला वर्ष							
	एएफएस				एफवीटीपीएल				एएफएस				एफवीटीपीएल			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
I. भारत में निवेश																
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	17,104.39	0.00	0.00	17,104.39	1,184.16	0.00	0.00	1,184.16	14,588.40	0.00	0.00	14,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01
(iii) शेयर	0.00	0.00	777.13	777.13	332.71	144.83	253.09	730.63	0.00	0.00	682.20	682.20	455.72	218.45	348.65	1,022.82
(iv) डिबेंचर और बॉन्ड	406.92	248.83	0.00	655.75	120.90	849.48	0.00	970.38	404.78	282.82	0.00	687.60	142.78	839.53	0.00	982.31
(v) सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	103.75	0.00	463.49	567.23	0.00	0.00	0.00	0.00	65.06	0.00	548.64	613.70
कुल	**17,511.31**	**248.83**	**777.13**	**18,537.27**	**1,741.52**	**994.31**	**717.59**	**3,453.41**	**14,993.18**	**282.82**	**682.20**	**15,958.20**	**663.56**	**1,057.98**	**898.30**	**2,619.84**
II. भारत के बाहर निवेश																
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	45.53	0.00	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	244.22	0.00	0.00	244.22	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) अन्य निवेश	42.40	0.00	0.00	42.40	0.00	0.00	52.88	52.88	37.12	0.00	0.00	37.12	0.00	0.00	47.66	47.66
कुल	**87.93**	**0.00**	**0.00**	**87.93**	**0.00**	**0.00**	**52.88**	**52.88**	**281.34**	**0.00**	**0.00**	**281.34**	**0.00**	**0.00**	**47.66**	**47.66**
कुल निवेश (I+II)	**17,599.24**	**248.83**	**777.13**	**18,625.20**	**1,741.51**	**994.31**	**770.47**	**3,506.29**	**15,274.52**	**282.82**	**682.20**	**16,239.54**	**663.56**	**1057.98**	**945.96**	**2,667.50**

सी) एएफएस रिज़र्व तथा लाभ एवं हानि खाते में चिन्हित स्तर-3 वित्तीय साधनों पर निवल लाभ/(हानि)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
एएफएस रिज़र्व में रिकोग्नैस्ड	320.82	259.48
लाभ एवं हानि खाते में रिकोग्नैस्ड	0.00	0.00

डी) एचटीएम से की गई बिक्री का विवरण:

एचटीएम श्रेणी से की गई बिक्री का विवरण नीचे दिए गए प्रारूप में वित्तीय विवरणों के खातों पर नोट्स में प्रकटीकृत किया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ए	एचटीएम में प्रतिभूतियों का प्रारंभिक वहन मूल्य	92,337.66	89,322.37
बी	वर्ष के दौरान बेची गई सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का वहन मूल्य	6,487.17	4,672.00
सी	घटाएँ: नियामकीय सीमा से छूट प्राप्त परिस्थितियों के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य	5,150.11	680.67
डी	बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य (डी=बी-सी)	1,337.06	3,991.33
ई	एचटीएम में प्रतिभूतियों के प्रारंभिक वहन मूल्य के प्रतिशत के रूप में बेची गई प्रतिभूतियाँ (ई=डी÷ए)	1.51	4.66
एफ	लाभ पर बेची गई एचटीएम प्रतिभूतियों के संबंध में पूँजी आरक्षित में हस्तांतरित राशि	87.88	56.46

ई) निवेशों की श्रेणियों के मध्य पुनर्वर्गीकरण

निवेश की श्रेणियों के मध्य पुनर्वर्गीकरण - शून्य

एफ) गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) हेतु प्रावधानों तथा निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
i) निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु रखे गए प्रावधानों में परिवर्तन		
ए. अथशेष राशि	2,149.54	2,485.55
बी. जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	115.83	100.31
सी. घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का राइट ऑफ/राइट बैक	576.74	436.32
डी. इतिशेष राशि	1,688.63	2,149.54
ii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित में परिवर्तन		
ई. अथशेष राशि	490.00	390.00
एफ. जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए राशि अंतरण	0.00	100.00
जी. घटाएँ: आहरण	0.00	0.00
एच. इतिशेष राशि	490.00	490.00
iii) एएफएस तथा एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) श्रेणी में निवेशों के समापन शेष के प्रतिशत के रूप में निवेश आईएफआर का इतिशेष राशि	**2.23%**	**2.55%**

जी) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
ए)	1 अप्रैल को अथशेष राशि	2,141.94	2,475.50
बी)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	115.83	100.31
सी)	उपरोक्त अवधि के दौरान कमी	570.13	433.87
डी)	31 मार्च को इतिशेष	1,687.64	2,141.94
ई)	धारित कुल प्रावधान	1,775.09	2,220.78

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि		निजी प्लेसमेंट की सीमा		'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूतियों की सीमा		अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा		असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा	
1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		25-26	24-25	25-26	24-25	25-26	24-25	25-26	24-25	25-26	24-25
ए)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	22,558.77	22,594.42	22,509.87	22,529.41	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	60.00
बी)	वित्तीय संस्थाओं	599.86	578.97	589.61	572.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सी)	बैंकों	717.33	782.03	498.12	681.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
डी)	निजी कॉरपोरेट	2,728.69	2,877.12	2,163.63	2,566.40	0.00	0.00	52.61	47.66	52.94	47.50
ई)	सहायक/संयुक्त उद्यम	1,219.37	815.23	1,219.37	615.65	16.88	8.75	16.88	8.75	16.88	8.75
एफ)	अन्य	3,931.15	3,699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जी)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(497.61)	(965.25)	(459.20)	(958.64)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		**31,257.56**	**30,382.51**	**26,521.40**	**26,006.68**	**16.88**	**8.75**	**69.49**	**56.41**	**111.82**	**116.25**

एच) रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य एवं बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष 2025-26 के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष 2025-26 के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष 2025-26 के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च 2026 तक बकाया	
	उचित मूल्य	बाज़ार मूल्य	उचित मूल्य	बाज़ार मूल्य	उचित मूल्य	बाज़ार मूल्य	उचित मूल्य	बाज़ार मूल्य
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां								
ए. सरकारी प्रतिभूतियां	1,932.14	1,887.75	50.00	48.47	41.56	42.14	0.00	0.00
बी. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सी. कोई अन्य प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां								
ए. सरकारी प्रतिभूतियां	20.00	20.71	200.00	197.17	0.60	0.60	0.00	0.00
बी. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सी. कोई अन्य प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य एवं बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष 2024-25 के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष 2024-25 के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष 2024-25 के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च 2025 तक बकाया	
	उचित मूल्य	बाज़ार मूल्य	उचित मूल्य	बाज़ार मूल्य	उचित मूल्य	बाज़ार मूल्य	उचित मूल्य	बाज़ार मूल्य
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां								
सरकारी प्रतिभूतियां	765.00	713.00	10,422.00	1,025.00	2,252.00	2,192.00	1,993.00	1,995.00
कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोई अन्य प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां								
सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोई अन्य प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

आई) 31 मार्च 2026 तक सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेन-देन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेन-देन की कुल मात्रा	31 मार्च 2026 तक बकाया
जीएसएल लेन-देन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन अंतर्गत समपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन अंतर्गत समपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

31 मार्च 2025 तक सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेन-देन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेन-देन की कुल मात्रा	31 मार्च 2025 तक बकाया
जीएसएल लेन-देन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधर ली गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन अंतर्गत समपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन अंतर्गत समपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. आस्ति की गुणवत्ता

ए) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	मानक	गैर निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैर-निष्पादक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
अथशेष राशि	2,44,671.14	923.07	3,274.91	1,149.74	5,347.72	2,50,018.86
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन					1,394.49	
घटाएँ: वर्ष के दौरान मार्जिन					2,332.55	
इतिशेष राशि	3,06,012.83	982.82	2,250.85	1,175.99	4,409.66	3,10,422.49
सकल एनपीए में कमी के कारण:						
i) उन्नयन					209.61	209.61
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					932.88	932.88
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					800.61	800.61
iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना					389.45	389.45
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का अथशेष	2,673.83	396.69	2,857.68	1,006.09	4,260.46	6,934.29
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान						833.00
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान उलटे/बट्टे खाते में डाले गए ऋण						1,428.24
धारित प्रावधानों का इतिशेष	5,386.99	541.69	2,028.54	1,094.99	3,665.22	9,052.21

	मानक	गैर निष्पादित				
	कुल मानक अग्रिम	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैर-निष्पादक अग्रिम	कुल
निवल एनपीए						
अथशेष राशि		515.31	338.00	58.55	911.86	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					423.85	
घटाएँ: वर्ष के दौरान मार्जिन					697.94	
इतिशेष राशि		**440.66**	**146.03**	**51.08**	**637.77**	**637.77**
अस्थायी प्रावधान						
अथशेष राशि						0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरित राशि						0.00
अस्थायी प्रावधानों का इतिशेष						0.00
तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली						
तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों का अथशेष						28,460.32
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना						794.80
घटाएं: पूर्व में वर्ष के दौरान खाते तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालने से की गई वसूली						8,120.41
इतिशेष राशि						21,134.71

अनुपात (प्रतिशत में)	2025-26	2024-25
सकल अग्रिम से हुए सकल एनपीए	1.42%	2.14%
निवल अग्रिम से हुए निवल एनपीए	0.21%	0.37%
प्रावधान कवरेज अनुपात	97.50%	97.30%

बी) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र *	2025-26			2024-25		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
i)	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	97,644.32	1,131.75	1.16%	70,570.35	1,661.73	2.35%
बी)	उद्योग क्षेत्र को प्रदान की गई वे अग्रिम राशियाँ, जो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सेवाएँ के अंतर्गत पात्र हैं।	19,838.35	515.66	2.60%	16,551.74	504.29	3.05%
सी)	सेवाएं	26,900.68	406.73	1.51%	20,452.07	252.81	1.24%
डी)	वैयक्तिक ऋण	11,952.67	194.24	1.63%	8,193.22	303.62	3.71%
	उप-योग (i)	**1,56,336.02**	**2,248.40**	**1.44%**	**1,15,767.38**	**2,722.45**	**2.35%**
ii)	**गैर-प्राथमिकता वाला क्षेत्र**						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	6,176.74	14.83	0.24%	3,975.07	11.07	0.28%
बी)	उद्योग	30,043.71	521.87	1.74%	23,422.14	852.95	3.64%
सी)	सेवाएं	37,116.35	1,289.55	3.47%	51,484.20	1310.66	2.55%
डी)	वैयक्तिक ऋण	79,136.46	335.01	0.42%	54,572.60	450.59	0.83%
ई)	खाद्य साख	1,614.75	0.00	0.00%	797.46	0.00	0.00%
	उप-कुल (ii)	**1,54,088.00**	**2,161.27**	**1.40%**	**1,34,251.47**	**2,625.27**	**1.96%**
	कुल (i + ii)	**3,10,424.02**	**4,409.66**	**1.42%**	**2,50 018.85**	**5,347.72**	**2.14%**

(*कृषि के अंतर्गत पीएसएलसी एसएफ/एमएफ बिक्री सहित एवं आरआइडीएफ, सिडबी व एनएचबी को छोड़कर)

सी) ओवरसीज़ आस्तियाँ , एनपीए और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
कुल आस्ति	30,126.91	29,083.30
कुल एनपीए	1,407.71	1,382.46
कुल राजस्व	1,230.09	1,097.95

डी) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

i) समाधान योजना का विवरण:

जहाँ व्यवहार्य समाधान योजना समीक्षा अवधि के 180 दिनों/365 दिनों के भीतर लागू नहीं की गई है, ऐसे तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान से संबंधित विवरण – विवेकपूर्ण ढांचा के अंतर्गत:

(राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋणों की राशि (ए)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि (बी)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से 31.03.2026 को ऋण की राशि (सी)	31.12.2025 तक धारित प्रावधान राशि (डी)	31.03.2026 को समाप्त तिमाही के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान (ई)	31.03.2026 तक (डी) में से पहले ही किया गया प्रावधान (एफ)
628.52	0.00	0.00	248.97	0.00	238.19

ii) पुनर्गठन प्रक्रिया के अंतर्गत ऋण-से-इक्विटी रूपांतरण के परिणामस्वरूप शेयरों का अधिग्रहण:

31.03.2026 तक

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	अंकित मूल्य	बही मूल्य
पीसी ज्वेलर्स लि.	2,91,65,260	1.00	2.92	0.00
बजाज हिंदुस्तान सुगर लि.	2,52,63,505	1.00	2.53	0.00

31.03.2025 तक

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य(₹ में)	अंकित मूल्य	बही मूल्य
रोडस्टार इन्फ्रा इनवेस्टमेंट ट्रस्ट	82,00,000	10.00	82.00	82.00
जिंदल इंडिया थर्मल पावर लि.	17,59,994	10.00	1.76	0.00
एमएसपी स्टील एंड पावर लि.	71,17,553	10.00	7.12	19.44

ई) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षण प्रक्रिया के संबंध में एनपीए की संपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानों में विचलन संबंधी प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 के अंतर्गत मास्टर निर्देश संख्या आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर.एसीसी.आरईसी. सं.86/21.04.018/2025-26 दिनांक 28.11.2025 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लागू नहीं होता है।

एफ) ऋण एक्सपोज़र के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

i) वर्षांत के दौरान अंतरित अथवा अधिग्रहित किए गए "ऋण जो डिफ़ॉल्ट नहीं किए" के संबंध में।

ए) सह-उधार:

अधिग्रहण का तरीका	कॉरपोरेट		कृषि		खुदरा		एमएसएमई	
	प्रत्यक्ष	असाइनमेंट	प्रत्यक्ष	असाइनमेंट	प्रत्यक्ष	असाइनमेंट	प्रत्यक्ष	असाइनमेंट
अर्जित ऋणों का कुल मूल बकाया (करोड़ में)	शून्य		4,576.81		शून्य		680.00	
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	शून्य		1 वर्ष से कम		शून्य		एक वर्ष से कम	
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (वर्षों में)	शून्य		1 वर्ष से कम		शून्य		शून्य	
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	शून्य		20%		शून्य		20%	
मूर्त सुरक्षा कवरेज (%)	शून्य		175.71		शून्य		156%	
मूल्य के अनुसार अर्जित ऋणों का रेटिंग अनुसार वितरण	शून्य		लागू नहीं		शून्य		आस्तियां रेटिंग रहित	

बी) पूल खरीद:

	कॉरपोरेट		कृषि		खुदरा		एमएसएमई	
अधिग्रहण का तरीका	प्रत्यक्ष	असाइनमेंट	प्रत्यक्ष	असाइनमेंट	प्रत्यक्ष	असाइनमेंट	प्रत्यक्ष	असाइनमेंट
अर्जित ऋणों का कुल मूल बकाया (करोड़ में)	शून्य		शून्य		896.27		शून्य	
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	शून्य		शून्य		1.63		शून्य	
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (वर्षों में)	शून्य		शून्य		0.25		शून्य	
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	शून्य		शून्य		10%		शून्य	
मूर्त सुरक्षा कवरेज (%)	शून्य		शून्य		171.05%		शून्य	
मूल्य के अनुसार अर्जित ऋणों का रेटिंग अनुसार वितरण	शून्य		शून्य		लागू नहीं		शून्य	

ii) अंतरित तनावग्रस्त ऋणों (एनपीए खातों) का विवरण:

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित तनावग्रस्त ऋण का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	एआरसी को				अनुमत हस्तांतरी को		अन्य हस्तांतरी को (कृपया निर्दिष्ट करें)	
	31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष		31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
खातों की संख्या	वैयक्तिक कॉरपोरेट ऋण	28	वैयक्तिक कॉरपोरेट ऋण	08	06	01	शून्य	शून्य
	प्रतिभूति-रहित शैक्षणिक ऋणों का पोर्टफोलिओ	5,042	प्रतिभूति-रहित शैक्षणिक ऋणों का पोर्टफोलिओ	7,445	00	00		
	कुल	5,070	कुल	7,453	06	01		
हस्तांतरित ऋणों की कुल मूलधन बकाया राशि।		2,671.15	1,346.95		446.97	36.83		
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि ।		लागू नहीं*	लागू नहीं*		0.00	3.8 वर्ष		
हस्तांतरण के समय हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य		27.31	0.00		0.00	0.00		
कुल प्रतिफल		831.81	503.88		33.41	27.13		
पूर्व वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल।		0.00	3.47		0.00	0.00		
*** इसमें पोर्टफोलियो आधार पर 99.45% बिक्री सम्मिलित है।**								
वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण								
	एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एनबीएफसी से							
अधिग्रहित ऋणों की कुल मूलधन बकाया राशि।	शून्य							
कुल भुगतान किया गया प्रतिफल								
अर्जित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि								

बैंक ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त प्रावधान की **₹ 483.88 करोड़** रुपये की राशि को वापस कर दिया है ।

ए) अंतरित एसएमए ऋणों का विवरण:

शून्य

बी) अधिग्रहित एसएमए/एनपीए ऋणों का विवरण:

शून्य

iii) 31 मार्च, 2026 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर के वितरण का विवरण।

(राशि ₹ करोड़ में)

रिकवरी रेटिंग	बही मूल्य (31.03.2026)	बही मूल्य (31.03.2025)
आरआर1+ (150% से अधिक)	6,810.83	68.11
आरआर1 (100%-150%)	20,740.30	122.51
आरआर2 (75%-100%)	5,307.76	0.00
आरआर3 (50%-75%)	0.00	0.00
आरआर4 (25%-50%)	0.00	0.00
आरआर5 (0%-25%)	0.00	0.00
आरआर6	0.00	0.00
योजना अवधि के दौरान एसआर-रेटिंग से छूट	0.00	0.00
एसआर-अनरेटेड	0.00	230.75
कुल	**32,858.89**	**421.37**

इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान एसआर पोर्टफोलियो में एक नई सिक्योरिटी रसीद जोड़ी गई है।

सिक्योरिटी रसीदों में निवेश के बही मूल्य का विवरण निम्नानुसार प्रकटीकृत किया जा सकता है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
सिक्योरिटी रसीदों में निवेश का बही मूल्य।		
(i) बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए को अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में समर्थित।	328.59	421.37
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए को अंतर्निहित आस्ति के रूप में समर्थित।	0.00	0.00
कुल	**328.59**	**421.37**

सिक्योरिटी रसीदों में निवेश के बही मूल्य संबंधी अतिरिक्त प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी की गई एसआर	5 वर्ष से अधिक, परंतु पिछले 8 वर्षों के भीतर जारी की गई एसआर	8 वर्ष से अधिक पूर्व जारी की गई एसआर।
(i) बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए को अंतर्निहित आस्ति के रूप में समर्थित एसआर का बही मूल्य।	328.59	0.00	1,174.86
के प्रति धारित प्रावधान (i)	0.00	0.00	1,174.86
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए को अंतर्निहित आस्ति के रूप में समर्थित एसआर का बही मूल्य।	0.00	0.00	0.00
के प्रति धारित प्रावधान (ii)	0.00	0.00	0.00
कुल (i)+(ii)	**328.59**	**0.00**	**1,174.86**

जी) 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान सह-उधर व्यवस्था (सीएलए) संबंधी अतिरिक्त:

विवरण	कॉरपोरेट	कृषि	खुदरा	एमएसएमई
(iii) सीएलए भागीदारों की संख्या।	शून्य	2	शून्य	1
(iv) सीएलए की राशि (₹ करोड़ में)	शून्य	4,576.81	शून्य	680
(v) भारित औसत आरओआई	शून्य	9.38%	शून्य	8.50%
(vi) भुगतान की गई शुल्क(जीएसटी छोड़कर)	शून्य	0.22	शून्य	0.22
(vii) प्रमुख क्षेत्र	शून्य	कृषि	शून्य	स्वर्ण ऋण
(viii)सीएलए के अंतर्गत ऋणों का प्रदर्शन संतोषजनक	शून्य	संतोषजनक	शून्य	हाँ
(ix) डिफॉल्ट लॉस गारंटी का विवरण	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं

एच) धोखाधड़ी खाते

ए) अग्रिम संबंधित धोखाधड़ी:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	30	28
31मार्च 2026 तक उन धोखाधड़ियों में बकाया राशि (कटौती के समायोजन के पश्चात निवल) (राशि ₹ करोड़ में)	466.96*	30.51
31 मार्च 2026 को किए गए प्रावधान की मात्रा	466.96*	30.51
वर्ष के अंत तक 'अन्य आरक्षित निधियों' से नामे की गई अप्रशोधित प्रावधान की राशि	0.00	0.00

*₹423.39 करोड़ की राशि वाले 6 खाते पुनर्वर्गीकृत किए गए खाते हैं ।

बैंक ने 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में धोखाधड़ी से संबंधित देयता के लिए चार तिमाहियों में विभाजित करने के बजाय एकमुश्त पूर्ण प्रावधान करने का निर्णय लिया है ।

बी) अग्रिम संबंधित धोखाधड़ी के अलावा:

(राशि ₹ करोड़ में)

	2025-26	2024-25
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	21	20
31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार ऐसे धोखाधड़ी मामलों में संभावित हानि	8.64	0.76
31 मार्च को किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)	8.64	0.76
वर्ष के अंत तक 'अन्य आरक्षित निधियों' से नामे की गई अप्रशोधित प्रावधान की राशि	0.00	0.00

बैंक ने 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में धोखाधड़ी से संबंधित देयता के लिए चार तिमाहियों में विभाजित करने के बजाय एकमुश्त पूर्ण प्रावधान करने का निर्णय लिया है ।

सी) डिजिटल एवं यूपीआई:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	49	1,875
31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार ऐसे धोखाधड़ी मामलों में संभावित हानि (₹ करोड़ में)	0.00	0.003
31 मार्च को किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)	0.00	0.003
वर्ष के अंत तक 'अन्य आरक्षित निधियों' से नामे की गई अप्रशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)	0.00	0.00

बैंक ने 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में धोखाधड़ी से संबंधित देयता के लिए प्रावधानों को चार तिमाहियों में विभाजित करने के बजाय एकमुश्त पूर्ण प्रावधान करने का चुना लिया है।

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान डिजिटल धोखाधड़ी श्रेणी के अंतर्गत 49 धोखाधड़ी मामलों की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को दी गई, जिनमें संभावित हानि ₹0 है

i) परियोजना वित्त से संबन्धित प्रकटीकरण:

क्र. सं.	मद का विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़ में)
1	तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के खातों की संख्या	63	2,740.32
	तिमाही के दौरान संवितरण		538.30
	पुनर्भुगतान		83.38
	निवल वृद्धि		454.92
2	तिमाही के दौरान स्वीकृत कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के खातों की संख्या।	12	237.89
3	तिमाही के दौरान जिन कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के खातों में डीसीसीओ प्राप्त किया गया	1	89.85
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के खाते (1+2-3)	74	3,278.28
5	'4' में से – ऐसे खाते जिनके संबंध में मूल अथवा विस्तृत डीसीसीओ में विस्तार से संबन्धित समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।	4	431.35
5.1	'5' में से – ऐसे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है ।	4	431.35
5.2	'5' में से – ऐसे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन ।	0	0.00
5.3	'5' में से – ऐसे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना असफल हो गई ।	0	0.00
6	'5' में से, ऐसे खाते जिनके संबंध में परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण मूल अथवा विस्तृत डीसीसीओ में विस्तार से संबन्धित समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ की गई ।	1	150.34
7	'5' में से, ऐसे खाते जिनमें मूल अथवा विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से संबन्धित लागत में वृद्धि का वित्तपोषण किया गया	0	0.00
7.1	'7' में से, ऐसे खाते जिनमें वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ़ स्वीकृत किया गया था और जिसका निरंतर नवीनीकरण किया गया ।	0	0.00
7.2	'7' में से, ऐसे खाते जिनमें एसबीसीएफ़ पूर्व स्वीकृत नहीं किया गया था या जिसका निरंतर नवीनीकरण नहीं किया गया ।	0	0.00
8	'4' में से – ऐसे खाते जिनके संबंध में मूल अथवा विस्तृत डीसीसीओ में शामिल नहीं करते हुए समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ की गई	0	0.00
8.1	'8' में से – ऐसे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई ।	0	0.00
8.2	'8' में से – ऐसे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है	0	0.00
8.3	'8' में से – ऐसे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना असफल हो गई है	0	0.00

जे) कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण (राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोज़र- पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए)	(ए) में से कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए हुए हैं	(ए) में से छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) में से छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोज़र – यथास्थिति इस छमाही के अंत में
वैयक्तिक ऋण	209.77	6.95	0.00	16.09	186.73
कॉरपोरेट व्यक्ति *	603.98	0.70	0.00	42.11	561.17
जिनमें से एमएसएमई	350.37	0.70	0.00	36.11	313.56
अन्य	283.71	11.05	0.00	58.06	214.60
कुल	**1,097.46**	**18.70**	**0.00**	**116.26**	**962.50**

* इसमें वे खाते शामिल हैं जिन्हें पिछले 12 महीनों में नियमित पुनर्भुगतान के कारण पुनर्गठित श्रेणी से हटा दिया गया था ।

के) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा "वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत अथवा छूट प्राप्त एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत" संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार, दिनांक 31.03.2026 की स्थिति में पुनर्गठित एमएसएमई खातों का विवरण निम्नानुसार है:

खातों की संख्या	31 मार्च 2026 तक कुल एक्सपोज़र (₹ करोड़ में)
548	62.91

एल) भारतीय रिज़र्व बैंक के "रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क – 2.0: व्यक्तियों एवं लघु व्यवसायों पर कोविड-19 से संबंधित वित्तीय तनाव के समाधान" संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन उधारकर्ता खातों में संशोधन स्वीकृत एवं लागू किया गया, ऐसे खातों की संख्या तथा उन उधारकर्ताओं के प्रति कुल एक्सपोज़र का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ताओं की संख्या	31 मार्च 2026 तक कुल एक्सपोज़र
5,043	656.52

एम) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरणों के अनुसार, उन खातों की संख्या एवं उन खातों में निहित राशि, जिनमें समाधान अवधि का विस्तार किया गया है, का विवरण 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है।:

	2025-26
खातों की संख्या जिनमें समाधान योजना की अवधि बढ़ाई गई	886
संबन्धित राशि (₹ करोड़ में)	58.37

एन) दिनांक 23 जून 2017 के आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.15199/21.04.048/2016-17 तथा दिनांक 28 अगस्त 2017 के परिपत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.1906/21.04.048/2017-18 के अनुसार, आईबीसी - दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले खातों के संबंध में, बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2026 तक ₹ 10,741.76 करोड़ के कुल बकाया आईबीसी स्वीकृत खातों पर ₹10,705.21 करोड़ का प्रावधान धारण किया गया है, जो कुल बकाया का 99.68% है।

5. एक्स्पोज़र

ए) स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	2025-26	2024-25
i) प्रत्यक्ष ऋण	41,495.73	36,777.80
ए) आवासीय बंधक –	37,247.74	33,018.59
उधारकर्ता की उस आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूति उधार जिसमें उधारकर्ता खुद रहता है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जायेगा ।	10,374.83	6,698.19
जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयिक्तक आवास ऋण को पृथक रूप से दिखाया जाएगा। एक्सपोज़र में गैर- निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी)		
बी) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा	3,585.63	2,929.58
वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) इसमें गैर-निधि आधारित (एनबीएफ) सीमाएं भी शामिल होंगी		
सी) अन्य स्थावर संपदा:	662.36	829.63
सीआरई के तहत न आने वाले होटल, अस्पताल एवं लिक्विरेंट		
डी) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिमों में निवेश –	0.00	0.00
i. आवासीय		
ii. व्यावसायिक रियल एस्टेट		
ii) अप्रत्यक्ष ऋण	2,829.26	3,856.02
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार		
कुल स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण	**44,324.99**	**40,633.82**

बी) पूँजी बाजार को ऋण एक्सपोज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
i) उन ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी निधि का निवेश विशिष्टत: कॉरपोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	891.44	863.20
ii) शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए शेयरों/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष आधार पर अग्रिम;	0.00	0.00
iii) किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए वे अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडो की यूनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	0.14	0.00
iv) प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती, वहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत कर किन्हीं अन्य उदेश्यों के लिए प्रदत्त अग्रिम;	411.16	362.69
v) स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित व असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ;	0.00	0.00
vi) संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटरों के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के प्रति या निर्बन्ध आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण;	0.00	0.00
vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण;	0.00	0.00
viii) शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंड की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	0.00	0.00
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना;	0.00	0.00
x) उद्यम पूँजीगत निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों ही) के प्रति सभी ऋण	73.07	71.30
पूँजी बाजार को कुल उधार	**1,375.81**	**1,297.19**

पूँजी बाजार में ₹ 1,375.81 करोड़ का कुल एक्सपोज़र ₹ 9,159.32 करोड़ की निर्धारित सीमा के भीतर है (अर्थात 31 मार्च 2025 को बैंक की ₹ 22,898.30 करोड़ की नेटवर्थ का 40%)।

पूँजी बाजार में ₹ 964.52 करोड़ का प्रत्यक्ष एक्सपोज़र ₹ 4,579.66 करोड़ की निर्धारित सीमा के भीतर है (अर्थात 31 मार्च 2025 को बैंक की ₹ 22,898.30 करोड़ की नेटवर्थ का 20%)।

पुनर्गठन प्रक्रिया के अंतर्गत ऋण को इक्विटी में रूपान्तरण के ऐसे विवरण, जिन्हे सीएमई सीमा से छूट प्राप्त है, निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2026		वित्तीय वर्ष 2025	
खातों की सं.	राशि (करोड़ में)	खातों की सं.	राशि (करोड़ में)
40	421.63	41	553.19

सी) जोखिम वर्ग वार देशीय ऋण (राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम वर्ग	31.03.2026 तक (निवल) अग्रिम	31.03.2026 तक धारित प्रावधान	31.03.2025 तक (निवल) अग्रिम	31.03.2025 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	15,231.70	0.00	11,598.54	5.03
कम	7,294.48	0.00	4,271.84	0.00
सामान्य रूप से कम	70.86	0.00	2,660.89	0.00
सामान्य	112.27	0.00	493.25	0.00
सामान्य रूप से उच्च	101.16	0.00	574.33	0.00
उच्च	1,419.16	0.00	2.56	0.00
उच्चतर	1.16	0.00	645.96	0.00
कुल	**24,230.79**	**0.00**	**20,247.37**	**5.03**

डी) अप्रतिभूत अग्रिम

बैंक द्वारा अग्रिम की कुल राशि का प्रकटीकरण किया जाएगा जिसके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर शुल्क जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों की गणना की जाएगी और साथ ही निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार ऐसी अमूर्त संपार्श्विक के अनुमानित मूल्य का भी प्रकटीकरण किया जाएगा:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	46,549.28	48,300.03
उक्त में से,अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल रकम जैसे अधिकार, लाइसेंस प्राधिकार पर किए गए प्रभार आदि	12,779.75	4,353.71
ऐसी अमूर्त संपार्श्विकों का आकलित मूल्य	12,779.75	4,353.71

ई) फैक्टरिंग एक्सपोज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
फैक्टरिंग के अंतर्गत हमारे बैंक का जोखिम	7,822.18	9,242.51

एफ) इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
i. इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य
ii. शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य
iii. उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र के इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का प्रतिशत	शून्य	शून्य
iv. इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र पर सीमा विच्छेद के विवरण और उन पर की गई नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	शून्य	शून्य

जी) आरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण

बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप उधारकर्ताओं के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई) से उत्पन्न जोखिमों के प्रबंधन हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति लागू की हुई है। यह नीति मुद्रा विनिमय दर से उत्पन्न ऋण जोखिम की पहचान, मापन तथा निगरानी के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है, जिसमें एफईडीएआई द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से संभावित हानि तथा उधारकर्ताओं की आय (ईबीआईडी) पर उसके प्रभाव का आकलन शामिल है। बैंक उधारकर्ताओं से त्रैमासिक आधार पर यूएफसीई घोषणाएँ प्राप्त करता है तथा उनका वार्षिक प्रमाणीकरण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही, उपलब्ध वित्तीय एवं प्राकृतिक हेजिंग की सीमा का मूल्यांकन भी किया जाता है। अनहेज्ड एक्सपोज़र के स्तर तथा ईबीआईडी पर संभावित हानि के आधार पर नियामकीय मानदंडों के अनुरूप अतिरिक्त प्रावधान (अधिकतम 80 बेसिस पॉइंट तक) तथा अतिरिक्त पूँजी आवश्यकताओं की गणना कर उनका अनुरक्षण किया जाता है। बैंक विनिमय दर में अधिक उतार-चढ़ाव की अवधि के दौरान अधिक आवृत्ति से समीक्षा सहित नियमित निगरानी भी करता है, जिससे मुद्रा-जनित ऋण जोखिम का विवेकपूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
अतिरिक्त प्रावधान (देशीय)	13.60	13.80
अतिरिक्त प्रावधान (विदेशी)	5.52	3.32
कुल अतिरिक्त प्रावधान	19.12	17.12
अतिरिक्त आरडबल्यूए	313.99	566.34

उपलब्ध वित्तीय परिणामों तथा उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणाओं के आधार पर, बैंक ने दिनांक 28 नवम्बर 2025 के आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/डीओआर/2025-26/157.डीओआर.सीआरई.आरईसी.76/07-02-001/2025-26 के अनुसार अपने उधारकर्ताओं के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के संबंध में देयता का आकलन किया है तथा दिनांक 31 मार्च 2026 तक बैंक द्वारा ₹ 19.12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

6. जमाओं, अग्रिमों, उधारों व अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

ए) जमाओं का केंद्रीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	17,398.50	12,704.14
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	4.73%	4.07%

बी) अग्रिमों का केंद्रीकरण *

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त कुल अग्रिम	38,672.27	37,164.75
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिमों का प्रतिशत	12.46%	14.86%

*अग्रिमों की गणना ऋण जोखिम के आधार पर की जाएगी, अर्थात वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित सीमाएँ , जिसमें लागू होने पर व्युत्पन्न जोखिम भी शामिल हैं। स्वीकृत सीमा या बकाया, जो भी अधिक हो, उसे गिना जाएगा। हालाँ कि, पूरी तरह से निकाले गए टर्म लोन के मामले में, जहाँ स्वीकृत सीमा के किसी भी हिस्से को फिर से निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है , बैंक बकाया को ऋण जोखिम के रूप में मान सकते हैं। 31.03.2026 तक सकल अग्रिम – ₹ 3,10,422.50 करोड़

सी) एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण (उधार और निवेश एक्सपोज़र)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	48,840.77	44,505.78
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत	10.20%	11.99%

** अग्रिमों की गणना लागू भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमन के आधार पर की जाएगी।

डी) अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र	1,543.48	1,466.51
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोज़र के एक्सपोज़र का प्रतिशत.	35.00%	27.42%

7. डेरिवेटिव्स

ए) डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का विवरण

	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
डेरिवेटिव्स ब्याज दर						
एमटीएम – आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एमटीएम – देयताएँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डेरिवेटिव्स विनिमय दर						
एमटीएम – आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एमटीएम – देयताएँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डेरिवेटिव्स ऋण जोखिम						
एमटीएम – आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एमटीएम – देयताएँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डेरिवेटिव्स अन्य (निर्दिष्ट)						
एमटीएम – आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एमटीएम – देयताएँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बी) फॉरवर्ड रेट एग्रीमंट/ब्याज दर स्वैप

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
i) स्वैप अनुबंधों की नाममात्र मूलधन राशि	शून्य	शून्य
ii) यदि प्रतिपक्ष समझौतों के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो होने वाली संभावित हानियाँ ।		
iii) स्वैप अनुबंध में प्रवेश करते समय बैंक द्वारा आपेक्षित प्रतिभूति		
iv) स्वैप अनुबंधों से उत्पन्न ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण		
v) स्वैप पोर्टफोलियो का उचित मूल्य		
vi) तुलनपत्र तिथि के अनुसार अनुबंध ट्रेडिंग स्वैप के लिए उचित मूल्य उसका मार्क टू मार्केट मूल्य माना जाएगा ।		

सी) विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम (लिखत वार)	शून्य	शून्य
ii)	31 मार्च 2026 तक विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो ''ज्यादा प्रभावी '' नहीं(लिखत वार)	शून्य	शून्य
iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम जो ''ज्यादा प्रभावी '' नहीं (लिखत वार)	शून्य	शून्य

ग. डेरिवेटिव्स में जोखिम ऋण पर प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से हेजिंग के लिए ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) मुद्रा स्वैप व सुरक्षा उद्देश्य उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करता है। इस तरह के लेन-देन केवल उन्हीं ग्राहकों और बैंकों के साथ किए जाते हैं जिनके साथ पहले से समझौते मौजूद हों।

अ) विदेशी उधार/एफ़सीएनआर(बी) पोर्टफोलियो/आस्ति देयता के असंतुलन के कारण ब्याज/विनिमय दरों में उत्पन्न होने वाली जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी खाताओं आदि के निधियन हेतु बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ अनुमति देती हैं।

आ) डेरिवेटिव्स एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्तिगत ग्राहकों की निवल साख एवं प्रतिभूति समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में लेते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों के निष्पादन के लिए समुचित उधार श्रेणियाँ प्रस्तुत करने की भी प्रणाली है।

इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुड़े जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है और डेरिवेटिव लेन-देन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित ऋण सीमा के तहत डेरिवेटिव्स लेन-देन सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी के साथ किए गए।

ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति का निरंतर प्रबोधन किया जाता है।

उ) बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के परिणामी एक्सपोज़र के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की अलग प्रणाली है।

ऊ) डेरिवेटिव्स का प्रयोग बैंक के तुलन पत्र के एक्सपोज़र को हेज़ करने हेतु किया जाता है ।

ऋ) इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आयु के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि लेखे में लिया गया है। तुलन पत्र प्रबंधन हेतु किए गए स्वैप के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों से प्राप्त आय अदला बदली की शेष संविदात्मक अवधि आयु या आस्तियों/देयताओं की अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी।

ए) सभी प्रतिरक्षा लेन देन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं। बकाए संविदाओं का मूल्यांकन बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया। बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेन देन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है ।

ऐ) डेरिवेटिव्स लेन देन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं ।

डेरिवेटिव से संबंधित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ , जिसमें डेरिवेटिव के उपयोग की सीमा, उससे जुड़े जोखिम और व्यवसायिक उद्देश्यों का विशेष संदर्भ है । साथ ही, इसमें शामिल है

1) डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन ।

2) जोखिम मापन, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणालियों का दायरा और प्रकृति ।

3) हेजिंग और/या जोखिम को कम करने के लिए नीतियां तथा हेजिंग/न्यूनीकरण उपायों की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियां और प्रक्रियाएं; तथा

4) हेज और नॉन-हेज लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की पहचान; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम शमन ।

बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज दर जोखिम को कम करने और अधीनस्थ ऋण की लागत को कम करने के लिए हेजिंग उद्देश्य के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) का उपयोग करता है। इसके अलावा, बैंक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित नीति के अनुसार व्यापार उद्देश्यों के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप भी करता है । स्वैप लेनदेन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जाते हैं जिनके साथ आईएसडीए समझौते gsलागू होते हैं। ।

क) बैंक ने जोखिम प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त संरचना और संगठन स्थापित किया है, जिसमें ट्रेज़री विभाग, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति शामिल हैं।

ख) व्युत्पन्न लेन-देन में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्रतिकूल संचलन के कारण उत्पन्न), उधार जोखिम (संभावित काउंटर पार्टी चूकने से उत्पन्न) तरलता जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेन-देन निष्पादित करने हेतु या निधियों की जरूरत की पूर्ति करने से चूकने पर उत्पन्न), परिचालनगत जोखिम, विनियामक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम शामिल रहता है। बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियां स्थापित कर रखी हैं और व्युत्पन्न लेन देनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबोधन करने हेतु उचित जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है । आइ आर एस लेन देन केवल बैंकों के साथ प्रतिपार्टी के रूप में किए जाते हैं और हर पार्टी के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के तहत होते हैं।

ग) बैंक द्वारा ट्रेडिंग और) प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव का उपयोग किया जाता है। बैंक में व्युत्पन्न के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएं नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है। केवल दुतरफा आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षाओं अथवा बैंक के तुलन पत्र की प्रतिरक्षा का मूल्य व परिपक्वता ने ऋण के मूलाधार का अधिगमन नहीं किया है ।

घ) व्युत्पन्न के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (नीति संख्या 6) में प्रकट किए अनुसार तैयार की गयी है ।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्रम.सं.	विवरण	2025-26		2024-25	
		मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम) 1) हेजिंग के लिए 2) ट्रेडिंग के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति क) आस्तियाँ (+) ख) देयताएँ (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	एक्सपोज़र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के परिवर्तन (100*पीवी01) क) हेजिंग डेरिवेटिव्स पर ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V)	वर्ष के दौरान देखे गए 100* पीवी01 का न्यूनतम और अधिकतम (क) हेजिंग पर (ख) ट्रेडिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

घ. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप

क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप : शून्य

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(संख्या/राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 31 2026	मार्च 31 2025
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेन-देन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र से संबंधित एसपीवी यहां रिपोर्ट की जाएगी)	शून्य	शून्य
2.	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि	शून्य	शून्य
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रक्षित किए गए एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य
	क) तुलन पत्र से बाह्य एक्सपोज़र • पहली हानि • अन्य ख) तुलनपत्र पर एक्सपोज़र • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य

क्रम सं.	विवरण	मार्च 31 2026	मार्च 31 2025
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेन-देन के लिए एक्सपोज़र की राशि	शून्य	शून्य
	क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोज़र i) स्वयं की प्रतिभूतियों का एक्सपोज़र • पहली हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोज़र • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
	ख) तुलन पत्र के अनुसार एक्सपोज़र i) स्वयं की प्रतिभूतियों का एक्सपोज़र • पहली हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोज़र • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
5.	प्रतिभूत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	शून्य	शून्य
6.	लिक्विडिटी सपोर्ट, पोस्ट-सिक्योरिटाइजेशन एसेट सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रारूप और मात्रा (बकाया मूल्य)।	शून्य	शून्य
7.	प्रदान की गई सुविधा का निष्पादन । कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि के लिए प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। (ए) भुगतान की गई राशि (बी) चुकौती प्राप्ति (सी) बकाया राशि	शून्य	शून्य
8.	पूर्व में देखी गई पोर्टफोलियो की औसत डिफ़ॉल्ट दर । कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें।	शून्य	शून्य
9.	समान अंतर्निहित परिसंपत्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग सीएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें ।	शून्य	शून्य
10.	निवेशकों की शिकायतें (ए) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (बी) अनिर्णित शिकायतें	शून्य	शून्य

8. तुलन पत्र इतर प्रायोजित एसपीवी

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	विदेशी
शून्य	शून्य

9. जमाकर्ता शैक्षिक एवं जागरूकता निधि को अंतरण (डीईएएफ निधि)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	2,311.24	2,003.50
जोड़े: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	389.42	361.54
घटाएँ: दावे की ओर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	158.79	53.80
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंतिम शेष	2,541.87	2,311.24

*यह राशि आकस्मिक देनदारियों - अन्य मदों के रूप में दर्शाई गई है, जिनके लिए बैंक 31.03.2026 की वित्तीय विवरणों की अनुसूची 12 के तहत आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।

10. शिकायतों का प्रकटीकरण:

क. बैंक को ग्राहकों एवं लोकपाल कार्यालय से प्राप्त शिकायतों की सूचना का सार

क्रम सं	विवरण	2025-26	2024-25
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायत			
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	2,610	2,017
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1,86,011	2,10,075
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1,88,410	2,09,482
3.1	जिसमें, बैंक द्वारा खारिज किए गए शिकायतों की संख्या	2,669	1,324
4	वर्ष के समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	211	2,610
बैंक को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें			
5	बीओ कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का बैंक द्वारा सुलझाने की संख्या	2,298	1,508
5.1	5 के, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में सुलझाए गए शिकायतों की संख्या	1,019	611
5.2	5 के, बीओ द्वारा समाधान/मध्यस्थता/जारी सलाहकार के माध्यम से सुलझाव गए शिकायतों की संख्या	1,278	897
5.3	5 के, बैंक के प्रति बीओ द्वारा अवार्ड पारित करने के बाद निपटाए गए शिकायतों की संख्या	1	0
6	निर्धारित समय सीमा के भीतर अवार्ड कार्यान्वित न करने की संख्या (जिनका अपील किया गया है, उसे छोड़कर)	0	0

नोट: स्वीकार्य शिकायतों से तात्पर्य उन शिकायतों से है जो एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर की गई हैं और योजना के दायरे में आती हैं।

आ. ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के पाँच शीर्ष आधार

शिकायत के आधार, (अर्थात्, इससे संबंधित शिकायतें)	वर्ष के शुरुआत से लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोत्तरी/ कमी का %	वर्ष के अंत के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या।
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष (वि.वर्ष 2025-26)					
इंटरनेट/मोबाइल/ इलेक्ट्रानिक बैंकिंग	608	91,212	(5.28%)	37	0
एटीएम/डेबिट कार्ड	806	33,911	(26.67%)	26	0
क्रेडिट कार्ड	144	1,939	110.30%	5	0
ऋण और अग्रिम	43	1,451	147.19%	12	0
चेक/ड्राफ्ट/बिल	7	1,052	(7.56%)	0	0
अन्य	1,002	56,446	(13.01%)	131	0
कुल	**2,610**	**1,86,011**	**(11.45%)**	**211**	**0**
पिछला वर्ष (वि.वर्ष 2024-25)					
इंटरनेट/मोबाइल/ इलेक्ट्रानिक बैंकिंग	427	96,294	(18.53%)	608	0
एटीएम/डेबिट कार्ड	464	46,244	(36.40%)	806	0
क्रेडिट कार्ड	298	922	(45.31%)	144	0
ऋण और अग्रिम	14	587	(33.52%)	43	0
चेक/ड्राफ्ट/बिल	5	1,138	(58.53%)	7	0
अन्य	809	64,890	+6.03%	1,002	0
कुल	**2,017**	**2,10,075**	**(18.39%)**	**2,610**	**0**

11. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

विवरण	2025-26	2024-25
i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और (iii) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंस होने पर) के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड।	0.95	3.20
वित्तीय वर्ष के दौरान रिवर्स रेपो लेनदेन में चूक के मामलों की संख्या और भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान की गई जुर्माने की राशि।	शून्य	शून्य

12. पारिश्रमिक प्रकटीकरण

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2025-26)	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2024-25)
1.	श्री. अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी व सीईओ) (01.01.2023 से)	66,55,812.00	64,40,736.00
2.	श्री. जयदीप दत्ता रॉय	कार्यपालक निदेशक 31.01.2024 से	58,18,092.00	41,25,174.07
3.	श्री धनराज टी	कार्यपालक निदेशक 10.03.2024 से	74,15,522.72	39,21,601.34

*पारिश्रमिक में वेतन और भत्ते, वेतन बकाया, पीएफ, पीएफ बकाया और निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन शामिल है।

13. अन्य प्रकटीकरण

क. कारोबार अनुपात

विवरण	2025-26	2024-25
i) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय	2.94%	2.94%
ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	1.32%	1.49%
iii) जमा लागत	4.97%	5.08%
iv) निवल ब्याज मार्जिन	3.21%	3.25%
v) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.34%	2.34%
vi) आस्तियों से लाभ	1.23%	0.92%
vii) कारोबार (जमाएँ व अग्रिम) प्रति कर्मचारी (रु. करोडों में)	32.26	26.80
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ों में)	0.25	0.16

1. कार्यशील निधि की गणना वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रपत्र X में रिपोर्ट की गई कुल परिसंपत्तियों (यदि कोई संचित हानि हो तो उसे छोड़कर) के औसत के रूप में की जाती है।
2. शुद्ध ब्याज आय/औसत अर्जित परिसंपत्तियाँ। शुद्ध ब्याज आय = ब्याज आय - ब्याज व्यय
3. परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की गणना औसत कार्यशील निधि (अर्थात संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हो) के संदर्भ में की जाएगी।
4. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा और अग्रिम) की गणना के उद्देश्य से, अंतर-बैंक जमा को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

ख. बैंक बीमा कारोबार

बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंक बीमा व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण।

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप *	2025-26	2024-25
(क)	जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	2.60	2.65
(ख)	गैर जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	40.76	30.10
(ग)	म्युचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	0.54	0.56
(घ)	अन्य - वर्ष के दौरान लेखा में रखे गए पिछले वर्षों से संबंधित	0	1.01
(ङ)	पीएमजेजेबीवाई-प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	1.60	1.37
(च)	पीएमएसबीवाई-प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	0.56	0.44
	कुल	**46.06**	**36.13**

*बैंक द्वारा किए गए बैंकएश्योरेंस कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक ।

ग. विपणन और वितरण

बैंक अपने द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्य (बैंक एश्योरेंस कारोबार को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक के विवरण का प्रकटीकरण करेंगे।

आय की प्रकृति	2025-26	2024-25
विपणन और वितरण व्यवसाय	शून्य	शून्य

घ. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र के संबंध में प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2025-26		2024-25	
		खरीद	बिक्री	खरीद	बिक्री
1	पीएसएलसी कृषि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	पीएसएलसी - एसएफ़/एमएफ़	शून्य	30,588.00	शून्य	21,971.50
3	पीएसएलसी – सूक्ष्म उद्यम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	पीएसएलसी- सामान्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ङ प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(रु. करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
गैर-निष्पादित निवेश/वापसी के लिए प्रावधान	0.09	0.00
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	833.00	834.02
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2,726.49	3,585.28
पुनर्गठित खातों के लिए प्रावधान	(0.43)	(21.26)
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर व संपत्ति कर सहित)	1,059.99	1,177.01
अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएँ	198.95	(221.74)
कुल	**4,818.09**	**5,353.31**

च. आईएफआरएस अभिसरणित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का कार्यान्वयन

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक इंड एएस (भारतीय लेखा मानक) लागू करने की प्रक्रिया में है। आरबीआई ने परिपत्र संख्या डीबीआर. बीपी.बीसी. सं. 29/21.07.001/2018-19 दिनांकित 22 मार्च 2019 के माध्यम से इंड एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। हालाँकि, सभी बैंकों द्वारा आरबीआई को हर छमाही में प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण जमा किया जाना है। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक में इंड एएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। बैंक परियोजना संचालन समिति की मंजूरी के बाद अर्धवार्षिक आधार पर आरबीआई को प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।

छ. डीआइसीजीसी को किस्त का भुगतान

(राशि करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	2025-26	2024-25
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	378.92	337.16
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

ज. बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण परिशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी देनदारियों और व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

1. पेंशन:

31 मार्च 2026 तक अशोध्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन देयताएं शून्य हैं।

2. ग्रेच्युटी:

31 मार्च 2026 को परिशोधित ग्रेच्युटी देयता शून्य है।

अंतिम बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण से संबंधित कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान किया गया है ।

झ. चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

बैंकों को वर्ष के दौरान उनके द्वारा जारी किए गए सभी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसी) का पूरा ब्योरा देना चाहिए, जिसमें उनके मूल्यांकन किए गए वित्तीय प्रभाव, साथ ही उनके द्वारा पूर्व में जारी एलओसी के तहत उनके द्वारा जारी किए गए संचयी वित्तीय दायित्व और बकाया के वित्तीय विवरण, 'नोट्स टू अकाउंट्स' के भाग के रूप में इसके प्रकाशित किया गया है ।

विवरण	वित्त वर्ष 2025-26
वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	-
31.03.2026 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	3
आकलित वित्तीय प्रभाव	-
संचयी आंकलित वित्तीय दायित्व	-

31 मार्च, 2026 तक एलओसी के बकाया की संचयी स्थिति:

1. वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने बैंकॉक शाखा के संबंध में 12% के न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखने और प्रतिधारित आय के प्रति पूँजीगत निधियों में परिवर्तित करने और/या अतिरिक्त पूँजी डालने की व्यवस्था करने के लिए एक चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी किया है जो कि आरबीआई से अनुमोदन के अधीन है । 31.03.2026 को बैंकॉक शाखा की नियत पूँजी टीएचबी 2,20,00,00,000(23%) है।

   सबसे खराब स्थिति में यदि शाखा का संपूर्ण टेक्सटाइल एक्सपोज़र के एनपीए होने पर हमें मानक कपड़ा अनारक्षित के असुरक्षित हिस्से हेतु टीबीएच 1.644 मिओ की सीमा तक का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ सकता है। यदि यह आकस्मिकता उत्पन्न होती है, तो कोई अतिरिक्त पूँजी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मौजूदा आरक्षितियाँ अनारक्षित राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं।

   वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने नेगारा मलेशिया को चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया था । बैंक अन्य संयुक्त उद्यम साझेदारों के साथ मिलकर इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद (आइआइबीएमबी) की निधियन, कारोबार और अन्य मामलों में, जब भी उनकी आवश्यकता होती है सहायता करेगा और सुनिश्चित करेगा कि वो अपने कारोबार परिचालन एवं प्रबन्धन में मलेशियाई कानून, विनिमयनों एवं नीतियों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है। बैंक नेगारा मलेशिया को जारी चुकौती आश्वासन पत्र का वित्तीय प्रभाव एमवाईआर 330 मियो प्रदत्त पूँजी में दिनांक 31.12.2025 तक, हमारी हिस्सेदारी 35% यानी ,एमवाईआर 115,500 मियो है, स्वैच्छिक समापन के तहत आईआईबीएमबी में निवेश का संपूर्ण बही मूल्य प्राप्त कर लिया गया है। अतः हमारे बैंक के बही-खातों में आईआईबीएम अब संयुक्त उद्यम नहीं है।

   मेजबान देश के नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंक ने आइओबी-श्रीलंका शाखा द्वारा किए गए व्यवसाय से उत्पन्न सभी दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने के लिए दिनांक 12.09.2019 को आयोजित बैठक में सीबीएसएल के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है।

ट. हरित जमा से जुटाए गए धन के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तरीय सूचना

विवरण	2025-26	2024-25	संचित *
जुटाई गई कुल हरित जमा राशि (ए)	1.28	2.76	4.30
हरित जमा निधि का उपयोग **			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा	0.50	1.10	1.86
(2) ऊर्जा दक्षता			
(3) स्वच्छ परिवहन	0.78	1.66	2.44
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन			

विवरण	2025-26	2024-25	संचित *
(5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन			
(6) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण			
(7) हरित इमारतें			
(8) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन			
(9) स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण			
आवंटित कुल हरित जमा निधि (बी=1 से 9 का योग)	**1.28**	**2.76**	**4.30**
आवंटित नहीं की गई ग्रीन डिपॉजिट निधि की राशि (सी=ए-बी)	0.00	0.00	0.00
हरित जमा आय के अस्थायी आवंटन का विवरण, पात्र हरित गतिविधियों/ परियोजनाओं के लिए उनका आवंटन लंबित है			

* नोट: हरित जमा योजना 10.02.2024 से शुरू की गई और हमारी विभिन्न क्रेडिट योजनाएं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सूर्या और स्वच्छ परिवहन के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहन हरित जमा की शुरुआत से पहले से अस्तित्व में हैं।

लेखा मानकों के संदर्भ में प्रकटीकरण

1. लेखांकन मानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

वित्तीय विवरणी को उन्हीं लेखांकन नीतियों व पॉलिसियों के आधार पर तैयार किया गया है जिनका पालन 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया था।

वर्ष के दौरान, पूर्व अवधि आय/व्यय मदों की कोई सामग्री नहीं थी ।

2. लेखांकन मानक 9 – राजस्व चिन्हित

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी – अनुसूची 17 में मद सं. 2 में वर्णितानुसार राजस्व को चिन्हित किया गया है ।

3. लेखांकन मानक 11 – विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
अथ शेष	1,129.56	983.90
वर्ष के दौरान क्रेडिट	327.05	152.36
वर्ष के दौरान आहरण	0.00	6.70
इति शेष	**1,456.61**	**1,129.56**

4. लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''कर्मचारियों के लाभ'' संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है।

1. अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि, जैसे कि चिकित्सा लाभ, जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने की अपेक्षा की जाती है, उस अवधि हेतु ही मान्य होती है जब कर्मचारी सेवारत होता है।

2. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है;

परिभाषित लाभ योजनाएँ

(1) बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2026	2025	2026	2025
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	14,355.12	13,465.63	1,647.18	1,494.38
जोड़ें: अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
जोड़ें: ब्याज लागत	988.82	857.34	107.19	104.53
जोड़ें: पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	332.92	314.79	71.75	95.59
घटाएं ; लाभ का भुगतान किया गया	(1,319.01)	(1,262.45)	(89.84)	(97.27)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	823.92	979.81	64.50	49.95
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**15,181.77**	**14,355.12**	**1,800.78**	**1,647.18**

(आ) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2026	2025	2026	2025
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	14,355.12	13,465.63	1,647.18	1,494.38
जोड़ें: अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
जोड़ें: योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	1,019.51	1,003.10	124.22	108.34
जोड़ें: नियोक्ता का योगदान	1,014.53	1,080.15	108.00	105.37
घटाएं: भुगतान किया गया लाभ	(1,319.01)	(1,262.45)	(89.84)	(97.27)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)।	111.62	68.69	11.22	36.36
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	15,181.77	14,355.12	1,800.78	1,647.18
गैर निधिपोषित परिवर्तनीय देयता	-	-	-	-

(इ) तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2026	2025	2026	2025
i) वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	15,181.77	14,355.12	1,800.78	1,647.18
ii) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,181.77	14,355.12	1,800.78	1,647.18
iii) अंतर	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) तुलन पत्र में चिन्हित प्राप्त गैर निधि पोषित निवल देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
v) तुलन पत्र में चिन्हित निधि पोषित निवल आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

(ई) लाभ व हानि में चिन्हित व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2026	2025	2026	2025
i. वर्तमान सेवा लागत	332.92	314.79	71.75	95.59
ii. पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
iii. ब्याज लागत	988.82	857.34	107.19	104.53
iv. योजना आस्ति पर अनुमानित रिटर्न	(1,019.51)	(1,003.10)	(124.22)	(108.34)
v. वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	712.30	911.12	53.28	13.59
vi. वर्ष के दौरान चिन्हित संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ – हानि में चिन्हित खर्च (i+ii+iii+iv+v+vi)	**1,014.53**	**1,080.15**	**108.00**	**105.37**

(उ) पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता:

(% में आंकड़े)

विवरण	पेंशन न्यास		ग्रैच्युटी न्यास	
	2026	2025	2026	2025
क) ऋण लिखतें/केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	3.27	3.40	7.86	8.53
ख) राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	5.95	4.70	10.50	9.25
ग) पीएसयू/पीएफआइ/कॉरपोरेट बॉन्ड्स में निवेश	6.53	6.27	11.26	11.13
घ) ईक्विटी लिखतें	0.86	0.89	1.35	2.06
ड़) अन्य निवेश	83.39	84.74	69.03	69.03
कुल	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

ऊ) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

(%में आंकड़ें)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2026	2025	2026	2025
बट्टा दर	7.22	6.68	7.33	6.69
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00	5.00	5.00	5.00
पलायन दर	1.00	1.00	3.00	3.00
पेंशन वृद्धि	4.00	4.00	-	-
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	7.50	7.50	7.50	7.23
मृत्यु दर	2012-14 संशोधित अंतिम	2012-14 संशोधित अंतिम	2012-14 अंतिम	2012-14 अंतिम
अपनायी गयी प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

ऋ) पेंशन हेतु 5 वर्षों का प्रकटीकरण

i) योजना में अधिशेष/घाटा

तुलन पत्र में चिन्हित राशि		31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक	31.03.2025 तक	31.03.2026 तक
i.	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	10,703.91	11,569.76	13,465.63	14,355.12	15,181.77
ii.	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	10,363.23	11,314.25	13,465.63	14,355.12	15,181.77
iii.	अंतर (ii-i)	(340.68)	(255.51)	0.00	0.00	0.00
iv.	गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	गैर चिन्हित संक्रमण दायित्व	-	-	-	-	-
vi.	तुलन पत्र में चिन्हित राशि (iii-iv-v)	(340.68)	(255.51)	0.00	0.00	0.00

(ए) ग्रेच्युटी हेतु 5 वर्ष का प्रकटीकरण

i) योजना में अधिशेष/घाटा

तुलन पत्र में चिन्हित राशि		31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक	31.03.2025 तक	31.03.2026 तक
i.	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1,200.55	1,302.17	1,494.38	1,647.18	1,800.78
ii.	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,225.20	1,326.82	1,494.38	1,647.18	1,800.78
iii.	अंतर (ii-i)	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00
iv.	गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	गैर चिन्हित संक्रमण दायित्व	-	-	-	-	-
vi.	तुलन पत्र में चिन्हित राशि (iii-iv-v)	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00

i) **परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है:**

बट्टा दर: बट्टा दर को सरकारी बॉन्ड् पर बाजार लाभ के संदर्भ मूल्यांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31.03.2026) के अनुसार तय किया गया है ।

प्रत्याशित वापसी दर: आस्तियों पर कुल मिलाकर प्रत्याशित लाभ दर उस तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्य पर तय की जाती है, जिस अवधि में लागू तिथि पर दायित्वों का निपटारा किया जाना है।

अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाली ग्रैच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु. 64.40 करोड़ है ।

II) परिभाषित योगदान योजना:

बैंक के पास एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जो 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होती है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने 201.59 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 186.95 करोड़ रुपये) का योगदान दिया है।

III) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (बिना वित्तपोषित दायित्व के):

सेवानिवृत्त अवकाश नकदीकरण लाभ

क) देयताओं के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान

(रु. करोड़ में)

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2026	2025
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	869.28	752.15
जोड़ें: ब्याज लागत	56.27	52.28
जोड़ें: पिछली सेवा लागत	-	-
जोड़ें: पूर्व सेवा लागत	-	16.17
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	87.89	85.80
घटाएं: भुगतान किए गए लाभ	(56.43)	(58.17)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	(66.55)	21.05
परिभाषित लाभ दायित्व शेष	**890.46**	**869.28**

(ख) लाभ व हानि खाते में चिन्हित राशि

(रु. करोड़ में)

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2026	2025
i) वर्तमान सेवा लागत	87.89	85.80
ii) पिछली सेवा लागत	-	-
iii) पूर्व सेवा लागत	-	16.17
iv) ब्याज लागत	56.27	52.28
v) योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	0.00	0.00
vi) वर्ष में चिन्हित प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(66.55)	21.05
लाभ व हानि में चिन्हित खर्च	**77.61**	**175.30**

(ग) तुलन पत्र में चिन्हित प्रारंभिक और समापन देयता/(आस्तियों) का समायोजन

(रु. करोड़ों में)

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2026	2025
i) प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	869.28	752.15
ii) निवल अधिग्रहण लागत	-	-
iii) लाभ व हानि में चिन्हित खर्च	77.61	175.30
iv) भुगतान किए गए लाभ	(56.43)	(58.17)
v) तुलन पत्र में चिन्हित निवल देयता	895.04	873.87
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	(66.55)	21.05
शेष परिभाषित लाभ दायित्व	**890.46**	**869.28**

(घ) प्रमुख बीमांकिक अनुमान [भारित औसत के रूप में व्यक्त]

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2026	2025
बट्टा दर	7.33%	6.69%
वेतन वृद्धि का अपेक्षित दर	5.00%	5.00%
पलायन दर	3.00%	3.00%
मृत्यु दर	2012-14 अंतिम	2012-14 अंतिम
अपनायी गई प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

बीमांकिक मूल्यांकन में विचार करने हेतु भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान, योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और कर्मचारी बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता हैं। ऐसे अनुमान बहुत दीर्घकालिक होते हैं और पूर्व के सीमित अनुभव/तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं होते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। उक्त अनुमानों और धारणाओं पर लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में, कर्मचारी लाभ योजनाओं के विषय में , यदि आवश्यक हो तो, जानकारी के अभाव में प्रकटीकरण नहीं किया गया है ।

5. लेखांकन मानक 17 – सेगमेंट रिपोर्टिंग

चिन्हित सेगमेंट

क. प्राथमिक (कारोबार सेगमेंट): बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और लागू लेखा मानकों के अनुपालन में, बैंक ने ट्रेज़री संचालन, कॉरपोरेट/थोक संचालन, खुदरा संचालन और अन्य बैंकिंग संचालन को प्राथमिक कारोबार सेगमेंट्स के रूप में, और देशीय और अंतरराष्ट्रीय को द्वितीयक/भौगोलिक सेगमेंट्स के रूप में वर्गीकृत किया है, ताकि आईसीएआई द्वारा जारी सेगमेंट रिपोर्टिंग पर एएस-17 का अनुपालन किया जा सके।

i. ट्रेज़री: ट्रेज़री सेगमेंट में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों और डेरिवेटिव अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेज़री सेगमेंट का राजस्व मुख्य रूप से व्यापार संचालन से प्राप्त शुल्क, लाभ या हानि और निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय से मिलकर बनता है।

ii. कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग: भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों आरबीआई/2020-21/53, डीओआर. संख्या बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21, दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार, कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग सेगमेंट्स में ₹7.50 करोड़ और उससे अधिक के जोखिम वाले उधारकर्ताओं की ऋण देने की गतिविधियाँ शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग: प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण पर आरबीआई परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2025-26/167, डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं. 86/21.04.018/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुपालन में, खुदरा बैंकिंग में ऐसे एक्सपोज़र शामिल होंगे जो भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूँजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निर्देश, 2025 में निर्धारित खुदरा एक्सपोज़र के लिए अभिविन्यास, उत्पाद, ग्रैन्युलैरिटी और वैयक्तिक एक्सपोज़र के कम मूल्य के चार मानदंडों को पूरा करते हैं। एएस-17 के तहत रिपोर्टिंग के उद्देश्य से वैयक्तिक आवास ऋण भी खुदरा बैंकिंग सेगमेंट का हिस्सा होंगे।

iv. डिजिटल बैंकिंग: लेखा मानक - 17 "सेगमेंट रिपोर्टिंग" के तहत खुदरा बैंकिंग सेगमेंट के सब-सेगमेंट के रूप में डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट की रिपोर्टिंग के लिए, बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट को खुदरा बैंकिंग सेगमेंट के सब-सेगमेंट के रूप में रिपोर्ट किया है।

v. अन्य बैंकिंग परिचालन: उपरोक्त (i) से (iv) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए सेगमेंट इस प्राथमिक सेगमेंट के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं।

ख. द्वितीयक (भौगोलिक सेगमेंट)

i. देशीय परिचालन - भारत में परिचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय।

ii. विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय और भारत में परिचालन करने वाली अपतटीय बैंकिंग इकाइयाँ।

ग. आवंटन का आधार:

i. सेगमेंट परिसंपत्तियों और देनदारियों का आवंटन संबंधित सेगमेंट परिसंपत्तियों के आधार पर किया गया है, जहाँ प्रत्यक्ष आवंटन संभव नहीं है।

ii. सेगमेंट-वार आय और व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से आबंटित नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें प्रबंधन द्वारा उचित समझे गए अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट्स में आवंटित किया गया है।

भाग क: कारोबार सेगमेंट (राशि रु. करोड़ में

कारोबार सेगमेंट	ट्रेज़री		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग						अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
					डिजिटल बैंकिंग		अन्य खुदरा बैंकिंग		कुल खुदरा बैंकिंग					
विवरण	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**
राजस्व	8,885.70	7,917.88	11,036.61	10,066.82	0.49	0.22	16,846.75	14,313.65	16,847.24	14,313.87	613.95	640.60	37,383.50	32,939.17
परिणाम	1,741.20	763.50	3,948.77	1,751.59	-1.15	-1.64	3,895.82	5,100.78	3,894.67	5,099.14	305.08	337.55	9,889.72	7,951.78
अनाबंटित आय													148.66	736.92
अनाबंटित व्यय													136.42	736.23
परिचालनगत लाभ													10,026.14	8,688.01
आय कर													1,060.00	1,177.01
प्रावधान व आकस्मिकताएँ													3,758.11	4,176.29
असाधारण लाभ/हानि													0.00	0.00
निवल लाभ													5,208.03	3,334.71
खण्डवार आस्तियाँ	1,30,264.70	1,20,031.33	1,22,117.97	1,12,917.76	0.88	1.05	2,16,220.80	1,55,808.16	2,16,221.68	1,55,809.21	131.61	74.23	4,68,735.96	3,88,832.53
अनाबंटित आस्तियाँ													4,583.90	6,182.41
कुल आस्तियाँ													4,73,319.86	3,95,014.94
खण्डवार देयताएँ	1,10,733.80	1,06,524.26	1,17,007.36	1,07,128.51	0.88	1.05	2,07,584.70	1,48,219.43	2,07,585.58	1,48,220.48	392.89	530.34	4,35,719.63	3,62,403.59
अनाबंटित देयताएं													84.88	70.43
कुल देयताएं													**4,35,804.51**	**3,62,474.02**

भाग ख - भौगोलिक खंड

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	देशीय		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	2025-26	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**
राजस्व	36,302.05	32,578.13	1,230.10	1,097.94	37,532.15	33,676.07
आस्तियाँ	4,50,805.08	3,75,139.04	22,514.77	19,875.90	4,73,319.86	3,95,014.954

6. लेखांकन मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

अ) संबंधित पार्टियों का नाम व बैंक के साथ उनके संबंध:

क) सहायक कंपनियाँ – लागू नहीं

ख) एसोसिएट्स – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ; ओडिशा ग्रामीण बैंक

ग) एसोसिएट्स – अन्य ; एसीईआर क्रेडिट रेटिंग प्रा.लि.

घ) संयुक्त उद्यम: इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद लिमिटेड (19.12.2025 तक)

ङ) मुख्य प्रबंधन कार्मिक:

(i) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव , प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(ii) श्री जयदीप दत्ता रॉय , कार्यपालक निदेशक

(iii) श्री धनराज टी , कार्यपालक निदेशक

(iv) श्री माधव चंद्र झा, मुख्य वित्तीय अधिकारी

(v) श्री रघुराम मल्लेला, कंपनी सचिव।

आ) 2025-26 व 2024-25 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को वेतन और कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन का विवरण:

(राशि रु. में)

क्र.सं	पूर्णकालिक निदेशक का नाम	पारिश्रमिक राशि (₹) (2025-26)	पारिश्रमिक राशि (₹)* (2024-25)
1.	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (एमडी व सीईओ)	66,55,812.00	64,40,736.00
2.	श्री जयदीप दत्ता रॉय (ईडी)	58,18,092.00	41,25,174.07
3.	श्री धनराज टी (ईडी)	74,15,522.72	39,21,601.34
4	सुश्री एस.श्रीमती (ईडी, 09.03.2024 को सेवा समापन)	--	19,78,160.00
5.	श्री संजय विनायक मुदालियर (ईडी, 30.01.2024 को सेवा समापन)	--	15,32,160.00

* पारिश्रमिक में वेतन और भत्ते, वेतन बकाया, कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन, अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी बकाया शामिल है।

*भारतीय रिज़र्व बैंकेंक के लेखा संबंधी परिपत्र के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कर्मी संबंधित पक्ष प्रकटीकरण हेतु बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक होते हैं।

इ) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन (प्रबंधन द्वारा संकलित):

(राशि रु. करोड़ में)

मदें/संबंधित पार्टी	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक कंपनियों	एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधन कार्मिक@		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		कुल	
			वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम
उधारियाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.54
जमाएँ	लागू नहीं	लागू नहीं	979.97	3,239.64	3.78	4.00	2.52	3.28	986.27	3,246.92
जमा राशियों का स्थानन	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अग्रिम	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था प्रदान की गई	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल संपत्तियों की खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
अचल संपत्तियों की बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
भुगतान किया गया ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	6.21		0.04		0.00		6.25	
प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	101.42		0.20		0.14		101.76	
सेवाओं का प्रतिपादन	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
सेवाओं की प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
प्रबंधन अनुबंध	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	

लेखा मानक (एएस-18) के अनुच्छेद 9 के अनुसार, संबंधित पक्षों के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो "राज्य-नियंत्रित उद्यम" हैं। इसके अलावा, एएस-18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति के लेन-देन का खुलासा नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदारों के साथ किए गए लेन-देन भी शामिल हैं।

वर्ष के दौरान रिपोर्ट करने के लिए कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं हैं।

7. लेखांकन मानक 19: पट्टा

- परिचालन पट्टा मुख्य रूप से कार्यालय परिसर को समाहित करता है, जिसे बैंक के विकल्प पर, सामान्यतः प्रत्येक 10वीं वर्ष के अंत में नवीनीकृत किया जा सकता है।
- उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31.03.2026 तक रद्द न होने योग्य पट्टा: शून्य
- परिचालन पट्टे के लिए लाभ एवं हानि खाते में दर्ज की गई पट्टा भुगतान राशि निम्नानुसार है:

विवरण	चालू वर्ष
पट्टे पर ली गई/किराए पर ली गई संपत्तियों की संख्या	3,240
राशि (करोड़ रुपये में)	378.29

8. लेखांकन मानक 20-प्रति शेयर आय

विवरण	2025-2026	2024-2025
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ों में)	5208.03	3334.71
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	1925,65,89,795	1899,09,56,640
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	2.70	1.76
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	10.00	10.00

9. लेखांकन मानक 22: आय करों का लेखांकन

वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान:

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
आयकर प्रावधान	9.85	17.01
स्थगित कर प्रावधान	1,050.14	1,160.00
निवल प्रावधान	**1,059.99**	**1,177.01**

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के तहत अनुमत कम कर दर व्यवस्था (नई कर व्यवस्था) यानी 25.168% में संक्रमण करने का विकल्प चुना है, जबकि पुरानी कर व्यवस्था के तहत मौजूदा कर दर 34.944% है।तदनुसार, आस्थगित कर परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया गया है।

वर्ष के लिए कर व्यय ₹1,059.99 करोड़ है, जिसमें विदेशी शाखाओं के लिए चालू कर व्यय ₹9.85 करोड़ और आस्थगित कर व्यय ₹1050.14 करोड़ शामिल हैं।

अग्रिम भुगतान किया गया कर (प्रावधानों को घटाकर) मूल्यांकन लंबित/अपील के अधीन/विवादित कर के मद में है। [अनुसूची 11(iii)] देखें।

आस्थगित कर:

बैंक के पास 31 मार्च, 2026 तक ₹2,780.97 करोड़ का निवल आस्थगित कर बकाया है, जिसे पिछली अवधियों में चिन्हित दी गई थी। बैंक ने 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए ₹1,050.14 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्ति को वापस कर दिया है।

डीटीए और डीटीएल के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2026		31.03.2025	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	226.69	0.00	286.86	0.00
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	41.28	0.00	58.51	0.00
अन्य सम्पत्तियों के लिए प्रावधान	101.70	0.00	146.23	0.00
पुन: संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	23.51	0.00	57.43	0.00
सेवाविच्छेद वेतन के लिए आरक्षिती	0.78	0.00	0.96	0.00
एनपीए के लिए प्रावधान	422.82	0.00	1,197.33	0.00
विदेशी मुद्रा अंतरण के लिए प्रावधान	325.09	0.00	390.74	0.00
अन्य	1,639.10	0.00	1 725.92	0.00
कुल	**2,780.97**	**0.00**	**3,863.98**	**0.00**
निवल डीटीएल/डीटीए	**2,780.97**	**0.00**	**3,863.98**	**0.00**

भारत के बाहर सिंगापुर, हांगकांग, कोलंबो और बैंकॉक में बैंक की शाखाएं/कार्यालय हैं। पिलर टू लेजिस्लेशन सभी देशों में अधिनियमित या सारतः अधिनियमित किया जा चुका है, लेकिन श्रीलंका में (कोलंबो शाखा के लिए)अभी तक लागू नहीं हुआ है । वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, इन विदेशी शाखाओं ने पिलर टू लेजिस्लेशन के तहत कोई कर नहीं चुकाया है। बैंक का मानना है कि, चूंकि पिलर टू लेजिस्लेशन मानदंडों के तहत कोई अतिरिक्त कर दायित्व नहीं है, इसलिए बैंक के लाभ का कोई भी हिस्सा पिलर टू आय के दायरे में नहीं आता है।

विवादित कर

अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों, कुछ न्यायिक निर्णयों और कर विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए, आयकर की विवादित और अन्य मांगों के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है, जिनकी कुल राशि ₹4,631.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4061.92 करोड़), सेवा कर की कुल राशि ₹273.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹256.24 करोड़) और वस्तु एवं सेवा कर की कुल राशि ₹1,613.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,615.29 करोड़) है।

10. लेखांकन मानक-23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखांकन

बैंक वर्तमान में नवगठित संस्था "ओडिशा ग्रामीण बैंक" की 35% इक्विटी का धारक है, जो 1 मई, 2025 से प्रभावी है, और इसे "सहयोगी संस्था" के रूप में मान्यता प्राप्त है।

एसोसिएट में निवेश को एएस 23 (एसोसिएट में निवेश का लेखांकन) के अनुसार इक्विटी विधि के तहत लेखांकित किया गया है, और तदनुसार, इक्विटी शेयरों में निवेश की वहन राशि ₹1,195.98 करोड़ को आइओबी की निवल परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी ₹671.50 करोड़ के प्रति समायोजित किया गया है और शेष ₹524.48 करोड़ को रिज़र्व और अधिशेष में शेष राशि के विरुद्ध समायोजित किया गया है ताकि मूल्य में गिरावट को चिन्हित किया जा सके।

बैंक ने 02.07.2025 को मेसर्स एसर क्रेडिट रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड में ₹6.50 करोड़ का नया इक्विटी निवेश किया है, जो कंपनी में 26% शेयरधारिता के बराबर है, जिसके अनुसार कंपनी को लागू लेखांकन मानकों के तहत एक "एसोसिएट" के रूप में मान्यता दी गई है। एसोसिएट में निवेश को एएस 23 (एसोसिएट में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार इक्विटी पद्धति के तहत लेखांकित किया गया है और तदनुसार, इक्विटी शेयरों में निवेश की वहन राशि ₹6.50 करोड़ को आइओबी की निवल परिसंपत्तियों में ₹6.32 करोड़ के हिस्से के विरुद्ध समायोजित किया गया है और ₹0.18 करोड़ के लेखापरीक्षित शेष को मूल्य में वृद्धि को चिन्हित करने के लिए रिज़र्व और अधिशेष में शेष के प्रति समायोजित किया गया है।

11. लेखांकन मानक 24 - परिचालन बंद करना

इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद (आईआईबीएम), बैंक का एक संयुक्त उद्यम था और सदस्यों के स्वैच्छिक परिसमापन (एमवीएल) के तहत था। वर्ष के दौरान, बैंक को पूँजी वितरण/वापसी के रूप में 25,717,298.33 अमेरिकी डॉलर (230.88 करोड़ रुपये के बराबर) प्राप्त हुए, जबकि इसका मूल निवेश 199.58 करोड़ रुपये था। तदनुसार, निवेश का संपूर्ण बही मूल्य प्राप्त कर लिया गया है, और निवेश के प्रति रखा गया ₹ 6.13 करोड़ का प्रावधान रद्द कर दिया गया है। बैंक के बही-खातों में आईआईबीएम अब संयुक्त उद्यम नहीं है।

12. लेखांकन मानक 26 – अमूर्त आस्तियाँ

बैंक द्वारा कोर बैंकिंग सिस्टम और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर को अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूँजीकृत किया जा रहा है और इसका परिशोधन 3 वर्षों में किया जाएगा।

13. लेखांकन मानक 27 –संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग:

इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहाद (आईआईबीएम)) बैंक का एक संयुक्त उद्यम था और यह सदस्यों के स्वैच्छिक परिसमापन (एमवीएल) के तहत था। वर्ष के दौरान,बैंक को पूँजी वितरण/वापसी के रूप में 25,717,298.33 अमेरिकी डॉलर (230.88 करोड़ रुपये के बराबर) प्राप्त हुए, जबकि इसका मूल निवेश 199.58 करोड़ रुपये था। तदनुसार, निवेश का संपूर्ण बही मूल्य प्राप्त कर लिया गया है, और निवेश के प्रति रखा गया ₹6.13 करोड़ का प्रावधान रद्द कर दिया गया है। आईआईबीएम अब बैंक का संयुक्त उद्यम नहीं है।

बैंक की यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 18.06% हिस्सेदारी है। चूंकि कंपनी में शेयरधारिता 25% से कम है, इसलिए आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय परिणामों की तैयारी के लिए इसे संयुक्त उद्यम नहीं माना गया है।

14. लेखांकन मानक 29 – आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों के लिए प्रावधान – तुलन पत्र की अनुसूची संख्या 12 देखें।

इस संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को उचित स्थानों पर शामिल किया गया है ।

क्रमांक	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के प्रति दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में विभिन्न कार्यवाहियों के लिए बैंक एक पक्षकार है। बैंक को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम से बैंक की वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणाम या नकदी प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। बैंक उन विभिन्न कराधान मामलों में भी एक पक्षकार है जिनके संबंध में अपीलें लंबित हैं।
2	आंशिक प्रदत्त निवेशों/ वेंचर फंड्स पर देयताएं	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता के प्रति भुगतान न की गई शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं। बैंक के पास मेसर्स सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 11,055 इक्विटी शेयर (एसएलआर इन्वेस्टमेंट्स) हैं, जिनका अंकित मूल्य 1,000.00 रुपये प्रति शेयर है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: अंकित मूल्य: 1,10,55,000.00 रुपये बही मूल्य: 98,95,000.00 रुपये आज तक कंपनी ने शेष 11,60,000.00 रुपये की पूँजी की मांग नहीं की है। अतः, कंपनी की 11,60,000.00 रुपये की अप्राप्त पूँजी राशि को बैंक द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है और इसे "आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता" शीर्षक के अंतर्गत लेखांकित किया गया है।

3	फॉर्वर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बकाया की वजह से देयता	बैंक अपने सामान्य व्यवसाय के अंतर्गत विदेशी मुद्रा विनिमय करता है ताकि भविष्य की तिथि पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर मुद्राओं का आदान-प्रदान किया जा सके। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट अनुबंधित दर पर भविष्य की तारीख में विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है। काल्पनिक राशियों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन के संबंध में, बैंक आम तौर पर इंटरबैंक बाजार में लेन-देन बंद कर देता है। इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया लेन-देन उत्पन्न होते हैं, और इसलिए पोर्टफोलियो के सकल काल्पनिक मूलधन का एक बड़ा मूल्य होता है, जबकि निवल बाजार में जोखिम कम होता है।
4	घटकों, स्वीकृति, समर्थन और अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटी	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में, बैंक अपने ग्राहक की ओर से दस्तावेजी क्रेडिट और गारंटी जारी करता है। दस्तावेजी ऋण बैंक के ग्राहकों की साख को बढ़ाते हैं। गारंटियां आम तौर पर अपरिवर्तनीय आश्वासन का प्रतिनिधित्व करती हैं कि ग्राहक अपने वित्तीय या प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करने में विफल होने की स्थिति में बैंक भुगतान करेगा।
5	अन्य मद, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	बैंक अपने स्वयं के खाते में और ग्राहकों के लिए अंतर बैंक प्रतिभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, अग्रेषण दर समझौते, मुद्रा स्वैप और ब्याज दर स्वैप में व्यवस्था करते हैं। करेंसी स्वैप निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा में दूसरी मुद्रा के मुकाबले ब्याज/मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह का आदान-प्रदान करने की प्रतिबद्धता है। ब्याज दर स्वैप फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दर कैश फ्लो के आदान-प्रदान की प्रतिबद्धता है। आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज की जाने वाली कल्पित राशियाँ, आमतौर पर अनुबंधों के ब्याज घटक की गणना के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग की जाने वाली राशियाँ हैं। इसके अलावा, इनमें उन अनुबंधों की अनुमानित राशि जिन्हें पूँजी खाते पर निष्पादित किया जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, सहयोगियों और सहायक कंपनियों की ओर से बैंक द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कंफर्ट, जमाकर्ताओं की शिक्षा और जागरूकता निधि के तहत बैंक देयता और अन्य विविध दल देनदारियों भी शामिल हैं ।

16. पुनर्संरचित खातों का विवरण

(राशि रु. करोड़ में)

क्रम संख्या.	पुनर्संरचना का प्रकार / आस्ति वर्गीकरण / विवरण		2025-26																			
			सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार संरचना के अंतर्गत				कॉरपोरेट सहित अन्य					कुल					
			मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल 2024 तक पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7 104.00	1 432.00	12 463.00	160.00	21 159.00	42 043.00	4 614.00	7 416.00	15.00	54 088.00	49 150.00	6 046.00	19 879.00	175.00	75 250.00
		बकाया राशि	108.41	0.00	0.00	0.00	108.41	757.52	50.15	439.18	6.98	1 253.83	2 237.32	134.44	325.98	4.67	2 702.41	3 103.25	184.59	765.16	11.65	4 064.65
		उन पर प्रावधान	9.88	0.00	0.00	0.00	9.88	69.83	18.49	359.38	6.98	454.68	184.69	93.67	222.75	2.29	503.40	264.40	112.16	582.13	9.27	967.96
2	01.04.2025 से 31.03.2026 के दौरान नई संरचना जिसमें मौजूदा खातों हेतु एक्सपोज़र में बढ़ोत्तरी शामिल है	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 254.00	(1 435.00)	1 347.00	88.00	1 254.00	1 254.00	(1 435.00)	1 347.00	88.00	1 254.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.73	(28.06)	18.39	9.67	66.73	66.73	(28.06)	18.39	9.67	66.73
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.07*	0.00	0.00	0.00	321.07*	209.24*	(23.51)	13.83	9.67	209.23	530.31*	(23.51)	13.83	9.67	530.30*
3	01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	(26.00)	(25.00)	0.00	0.00	253.00	(183.00)	(66.00)	(2.00)	2.00	304.00	(209.00)	(91.00)	(2.00)	2.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	(0.63)	(0.16)	0.00	0.00	47.66	(8.94)	(3.52)	(0.07)	35.13	48.45	(9.57)	(3.68)	(0.07)	35.13
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	(0.22)	(0.04)	0.00	0.00	23.09	(4.08)	(2.16)	(0.07)	16.78	23.35	(4.30)	(2.20)	(0.07)	16.78
4	उच्च प्रावधान आकर्षित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम और/या वित्तीय वर्ष के अंत में जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(3 466.00)	0.00	0.00	0.00	(3 466.00)	(3 466.00)	0.00	0.00	0.00	(3 466.00)
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(337.06)	0.00	0.00	0.00	(337.06)	(337.06)	0.00	0.00	0.00	(337.06)
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(33.71)	0.00	0.00	0.00	(33.71)	(33.71)	0.00	0.00	0.00	(33.71)
5	01.04.2025 से 31.03.2026 के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(522.00)	(659.00)	1 032.00	149.00	0.00	(2 651.00)	2 255.00	75.00	321.00	0.00	(3 173.00)	1 596.00	1 107.00	470.00	0.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(16.32)	(14.67)	25.98	5.01	0.00	(90.62)	70.74	(36.26)	49.25	(6.89)	(106.94)	56.07	(10.28)	54.26	(6.89)
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1.77)	(9.92)	13.52	3.82	5.65	(7.81)	48.55	(37.26)	49.25	52.73	(9.58)	38.63	(23.74)	53.07	58.38
6	01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना/ समाप्ति/सीडीआर से निकासी/उसमें वसूली हेतु की जाने वाली कार्रवाई का शुरुआत	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(3 054.00)	(228.00)	(1 550.00)	(5.00)	(4 837.00)	(7 959.00)	(2 846.00)	(2 918.00)	(3.00)	(13 726.00)	(11 013.00)	(3 074.00)	(4 468.00)	(8.00)	(18 563.00)
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(152.74)	(18.47)	(147.25)	(0.66)	(319.12)	(350.30)	(93.66)	(160.90)	(1.25)	(606.11)	(503.04)	(112.13)	(308.15)	(1.91)	(925.23)
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(60.31)	(3.62)	(92.19)	(1.12)	(157.24)	(27.50)	(65.12)	(59.64)	(1.25)	(153.51)	(87.81)	(68.74)	(151.83)	(2.37)	(310.75)
7	31 मार्च 2026 (अंतिम आंकड़े) तक पुनर्संरचित किए गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3 579.00	519.00	11 920.00	304.00	16 322.00	29 468.00	2 405.00	5 854.00	419.00	38 146.00	33 050.00	2 924.00	17 774.00	723.00	54 471.00
		बकाया राशि	114.77	0.00	0.00	0.00	114.77	589.25	16.38	317.75	11.33	934.71	1 197.25	74.52	143.69	62.27	1 477.73	1 901.27	90.90	461.44	73.60	2 527.21
		उन पर प्रावधान	34.60	0.00	0.00	0.00	34.60	329.08	4.73	280.67	9.68	624.16	388.90	49.51	137.52	59.89	635.82	752.58	54.24	418.19	69.57	1 294.58

*इस राशि में पहले की अवधियों के दौरान पुनर्संरचित किए गए मौजूदा कोविड आरएफ 2.0 खातों में अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं, जो प्रारंभिक शेष में शामिल हैं।

2024-25																					
	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार संरचना के अंतर्गत					कॉरपोरेट सहित अन्य					कुल				
क्रम संख्या.	आस्ति वर्गीकरण / विवरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल 2024 तक पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	15 947.00	2 508.00	12 276.00	165.00	30 896.00	57 479.00	1 301.00	3 125.00	14.00	61 919.00	73 429.00	3 809.00	15 401.00	179.00	92 818.00
		बकाया राशि	158.08	0.00	0.00	0.00	158.08	1 736.01	200.96	376.02	8.06	2 321.05	3 210.03	337.46	334.67	2.87	3 885.03	5 104.12	538.42	710.69	10.93	6 364.16
		उन पर प्रावधान	10.92	0.00	0.00	0.00	10.92	161.60	94.58	272.34	8.06	536.58	277.81	232.11	247.22	2.86	760.00	450.33	326.69	519.56	10.92	1 307.50
2	01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान नई संरचना जिसमें मौजूदा खातों हेतु एक्सपोज़र में बढ़ोत्तरी शामिल है	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	(2 130.00)	2 119.00	11.00	18.00	4 357.00	(2 343.00)	3 423.00	2.00	5 439.00	4 375.00	(4 473.00)	5 542.00	13.00	5 457.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.51	(155.06)	154.74	0.32	8.51	152.35	(98.27)	128.47	2.40	184.95	160.86	(253.33)	283.21	2.72	193.46
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	(61.80)	123.72	0.32	62.67	8.57	(45.13)	90.27	0.01	53.72	9.00	(106.93)	213.99	0.33	116.39
3	01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	000	0.00	0.00	0.00	90.00	(45.00)	(44.00)	(1.00)	0.00	428.00	(255.00)	(147.00)	0.00	26.00	518.00	(300.00)	(191.00)	(1.00)	26.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	(2.82)	(4.56)	0.00	0.00	91.98	(15.93)	(7.29)	0.00	68.76	99.36	(18.75)	(11.85)	0.00	68.76
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	(0.27)	(0.41)	0.00	0.00	36.98	(6.78)	(4.93)	0.00	25.27	37.66	(7.05)	(5.34)	0.00	25.27
4	उच्च प्रावधान आकर्षित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम और/या वित्तीय वर्ष के अंत में जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1 978.00)	(2.00)	(1.00)	0.00	(1 981.00)	(3 866.00)	0.00	0.00	0.00	(3 866.00)	(5 844.00)	(2.00)	(1.00)	0.00	(5 847.00)
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(470.09)	0.00	0.00	0.00	(470.09)	(461.52)	0.00	0.00	0.00	(461.52)	(931.61)	0.00	0.00	0.00	(931.61)
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(47.00)	0.00	0.00	0.00	(47.00)	(46.15)	0.00	0.00	0.00	(46.15)	(93.15)	0.00	0.00	0.00	(93.15)
5	01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1 414.00)	1 405.00	9.00	0.00	0.00	(3 962.00)	5 041.00	4.00	0.00	1 083.00	(5 376.00)	6 446.00	13.00	0.00	1 083.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(49.59)	49.42	0.17	0.00	(0.00)	(110.51)	145.48	2.64	0.00	37.61	(160.10)	194.90	2.81	0.00	37.61
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(4.87)	18.00	0.12	0.00	13.25	(4.76)	96.14	0.10	0.00	91.48	(9.63)	114.14	0.22	0.00	104.73
6	01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना/ समाप्ति/सीडीआर से निकासी/उसमें वसूली हेतु की जाने वाली कार्रवाई का शुरुआत	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(5 559.00)	(304.00)	(1 896.00)	(15.00)	(7 774.00)	(8 120.00)	(5 841.00)	(4 203.00)	3.00	(18 161.00)	(13 679.00)	(6 145.00)	(6 099.00)	(12.00)	(25 935.00)
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(474.70)	(42.35)	(87.19)	(1.40)	(605.64)	(256.05)	(170.47)	(94.87)	0.29	(521.10)	(730.75)	(212.82)	(182.06)	(1.11)	(1 126.74)
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(41.01)	(32.13)	(36.39)	(1.40)	(110.93)	(25.91)	(169.04)	(98.46)	0.27	(293.14)	(66.92)	(201.17)	(134.85)	(1.13)	(404.07)
7	31 मार्च 2025 (अंतिम आंकड़े) तक पुनर्संरचित किए गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7 104.00	1 432.00	12 463.00	160.00	21 159.00	42 043.00	4 614.00	7 416.00	15.00	54 088.00	49 150.00	6 046.00	19 879.00	175.00	75 250.00
		बकाया राशि	108.41	0.00	0.00	0.00	108.41	757.52	50.15	439.18	6.98	1 253.83	2 237.33	134.44	325.98	4.67	2 702.42	3 103.26	184.59	765.16	11.65	4 064.66
		उन पर प्रावधान	9.88	0.00	0.00	0.00	9.88	69.83	18.49	359.38	6.98	454.68	184.69	93.67	222.75	2.29	503.40	264.40	112.16	582.13	9.27	967.96

अतिरिक्त प्रकटीकरण:

1. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आरबीआई/डीओआर/2021-22/83डीओआर.एसीसी. संख्या 45/21.04.018/2021-22 दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 के अनुसार, कुल आय के 1% से अधिक "अन्य आय" शीर्षक के अंतर्गत विविध आय का विवरण निम्नानुसार है:

अनुसूची	उपशीर्षक/शीर्षक के अंतर्गत मद	अवधि	राशि करोड़ में	प्रतिशत में राशि
अनुसूची 14 के तहत अन्य आय (सातवीं विविध आय)	अन्य आय जिसमें तकनीकी बट्टे खाते में प्राप्त वसूली भी शामिल है	31.03.2026 को समाप्त तिमाही	703.66	7.19
		वर्ष समाप्ति	2,966.32	7.90

2. ऋण, एलजी, एलसी के प्रति तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा कुर्क की गई जमा राशि के लिए 31.03.2026 तक ग्रहणाधिकार चिह्नित जमा राशि ₹16,603.93 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹5,439.48 करोड़)।

3. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल) और समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के उल्लंघन का विवरण:

देशीय:

- 31.03.2025 तक बैंकों की टीयर 1 पूँजी ₹ 27,897.09 करोड़ है। एलईएफ मानदंडों के अनुसार, 31.03.2025 तक टीयर 1 पूँजी का 20% ₹ 5,579.42 करोड़ और टीयर 1 पूँजी का 25% ₹ 6,974.27 करोड़ है।

- टीयर 1 पूँजी के अनुसार एकल काउंटर पार्टी एक्सपोज़र के तहत कोई उल्लंघन नहीं है, अर्थात् 31.03.2025 को ₹ 27,897.09 करोड़ है।

- समूह प्रतिपक्ष एक्सपोज़र के अंतर्गत किसी भी खाते में टीयर 1 पूँजी के अनुसार कोई उल्लंघन नहीं है, अर्थात् 31.03.2025 तक ₹ 27,897.09 करोड़ और सभी खाते टीयर 1 पूँजी के 25% के अंदर हैं।

विदेशी शाखाएँ

क्रम सं	उधारकर्ता का नाम (शाखा)	एक्सपोज़र सीमा	स्वीकृत सीमा	वह अवधि जिसके दौरान सीमा से अधिक हो गई	निर्धारित अवधि के दौरान बकाया राशि सीमा से अधिक हो गई।	बोर्ड द्वारा स्वीकृत विवरण	31.03.2026 तक की बकाया राशि
1	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (सिंगापुर)	एसबीएल - 60.000 जीबीएल - 85.000	58.000 (एसबीएल इससे अधिक है)	08.06.2023- 17.12.2025 (अंतिम नवीनीकरण की तारीख 24.10.2025)	58.000	बोर्ड से अनुमोदन 24.06.2023 को प्राप्त हुआ।	18.000
2	आरईसी लिमिटेड (सिंगापुर)	एसबीएल - 60.000 जीबीएल - 85.000	65.000 (एसबीएल इससे अधिक है)	21.09.2022- आज तक अंतिम समीक्षा की तारीख 15.11.2025)	65.000	बोर्ड से अनुमोदन 29.12.2022 को प्राप्त हुआ।	65.000
3	किंग एम्पायर ग्रुप लिमिटेड (हांगकांग)	एसबीएल - 60.000 जीबीएल - 85.000	30.000 (जीबीएल इससे अधिक है) *	29.11.2023 – 26.02.2026 (अंतिम समीक्षा की तारीख 27.12.2024)	0.000	बोर्ड से अनुमोदन 20.12.2023 को प्राप्त हुआ।	14.382
4	फाइव एलिमेंट इंडस्ट्री लिमिटेड (हांगकांग)	एसबीएल -60.000 जीबीएल-85.000	55.000 (एसबीएल और जीबीएल दोनों इससे अधिक हैं) *	29.11.2023- 26.02.2026 (अंतिम समीक्षा की तारीख 16.03.2026)	41.789	बोर्ड से अनुमोदन 20.12.2023 को प्राप्त हुआ।	21.781
5	टीसीआई सैनमार केमिकल्स (टीसीआईएस) (हांगकांग)	एसबीएल -60.000 जीबीएल-85.000	45.632 (एसबीएल इससे अधिक है)	30.08.2024- आज तक 26.02.2026 (अंतिम समीक्षा की तारीख 19.12.2025)	5.896	बोर्ड से अनुमोदन 06.11.2024 को प्राप्त हुआ।	45.632

31.03.2026 तक, उपरोक्त खाते एसबीएल और जीबीएल सीमाओं के भीतर हैं, सिर्फ क्रमांक 2 के जो एसबीएल से अधिक है लेकिन जीबीएल सीमा के भीतर है।

4. निवेश:

i. अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर रखे गए निवेशों के संबंध में, वर्ष के दौरान ₹ 102.72 करोड़ का प्रीमियम अमोर्टाइज किया गया (पिछले वर्ष यह ₹ 82.20 करोड़ था)। वित्तीय वर्ष के दौरान, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर रखे गए निवेशों पर ₹ 286.80 करोड़ की छूट प्राप्त हुई (पिछले वर्ष यह ₹ 295.23 करोड़ थी)। भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार इन्हें ब्याज आय में शामिल किया गया है।

ii. इसके अतिरिक्त, ₹ 4,100.00 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के गैर-ब्याज वाले भारत सरकार के पुनर्पूँजीकरण बॉन्ड् मार्च 2031 से मार्च 2036 तक परिपक्व हो रहे हैं और इन्हें 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार इनका मूल्यांकन किया जाता है और मासिक अंतराल पर इन पर छूट दी जाती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, भारत सरकार के इन गैर-ब्याज वाले पुनर्पूँजीकरण बॉन्ड्स पर ₹ 184.74 करोड़ की छूट प्राप्त हुई (पिछले वर्ष यह राशि ₹185.08 करोड़ थी)। 31.03.2026 की तिथि तक इन बॉन्ड्स की वहन लागत ₹ 2,738.68 करोड़ है, जबकि 31.03.2025 की तिथि तक यह ₹ 2,553.94 करोड़ थी।

iii. सीसीआईएल निपटान गारंटी निधि/डिफ़ॉल्ट फंड के लिए ₹ 1,017.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 517.00 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ और टीआरईपीएस/डिफ़ॉल्ट फंड के तहत उधार लेने के लिए गिरवी के रूप में ₹ 12,268.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12,918.00 करोड़) की प्रतिभूतियाँ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा संचालन के लिए डिफ़ॉल्ट फंड के रूप में ₹ 132.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 132.10 करोड़) की प्रतिभूतियाँ और मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए ₹ 15.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 15.00 करोड़) की प्रतिभूतियाँ सीसीआईएल के पास जमा की गई हैं। बैंक ने इंट्राडे उधार लेने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ₹ 3,000.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,000.00 करोड़) अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ रखी हैं। बैंक ने एलएएफ विंडो के तहत उधार लेने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ₹ 7,200.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 17,500.00 करोड़) तक की प्रतिभूतियाँ भी रखी हैं।

iv. बैंक ने वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की, जिसमें सीधी बिक्री और भारतीय रिज़र्व बैंक के खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) के तहत की गई बिक्री दोनों शामिल हैं। ओएमओ के तहत बैंक द्वारा की गई बिक्री ₹ 5,150.11 करोड़ (बीवी) [पिछले वर्ष: ₹ 680.67 करोड़] थी और इससे ₹ 64.83 करोड़ [पिछले वर्ष: ₹ 4.72 करोड़] का लाभ अर्जित हुआ। बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों (ओएमओ को छोड़कर) की बिक्री भी ₹ 1,337.06 करोड़ (बीवी) [पिछले वर्ष ₹ 3,991.33 करोड़] (भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्धारित सीमा 5% के भीतर) तक की है और ₹ 23.05 करोड़ [पिछले वर्ष ₹ 51.74 करोड़] का लाभ दर्ज किया है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते में 87.88 करोड़ रुपये [पिछले वर्ष 56.46 करोड़ रुपये] के रूप में दर्ज किया गया है और बाद में इसे पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित किया गया है (करों और वैधानिक आरक्षित में अंतरित की जाने वाली राशि को घटाकर)।

5. अचल संपत्तियां (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)

वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ ₹2.02 करोड़ था, जिसमें से बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली नियमित प्रथा के अनुसार ₹1.52 करोड़ की राशि पूँजी आरक्षित में अंतरित कर दी गई है।

6. अंतर शाखा मिलान/आंतरिक कार्यालय खाते

शाखाओं और/या केंद्रीय कार्यालय विभागों में अंतर-शाखा लेनदेन और आंतरिक/कार्यालय खातों का मिलान विभिन्न चरणों में चल रहा है। बकाया प्रविष्टियों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर आवश्यक लेखांकन समायोजन किए जाएंगे। तथापि, प्रबंधन को लंबित सुलह और बकाया प्रविष्टियों को हटाने के परिणामस्वरूप किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव की आशंका नहीं है।

7. एमएसएमईडी अधिनियम 2006

बैंक के पास उपलब्ध विक्रेता जानकारी के आधार पर, बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त एमएसएमई इकाइयों को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा से अधिक समय से कोई बकाया राशि देय नहीं है, और वर्ष के दौरान इन पक्षों द्वारा मूलधन या उस पर ब्याज के विलंबित भुगतान की स्वीकृति से संबंधित कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। प्राप्त विक्रेता जानकारी के आधार पर एमएसएमई स्थिति को अद्यतन किया जा रहा है।

8. पुनर्मूल्यांकित परिसर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने पुनर्मूल्यांकित परिसरों पर मूल्यह्रास लगाने की विधि को घोषित लेखांकन नीति के अनुरूप करने और पुनर्मूल्यांकन की तिथि पर निर्धारित शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास प्रदान करने के लिए संशोधित किया है, जो लेखांकन नीति के तहत निर्धारित अधिकतम उपयोगी जीवन के अधीन है, जबकि पहले ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उसमें निर्दिष्ट उपयोगी जीवन पर किया जाता था।

उपरोक्त के अनुसार, वर्ष के लाभ और हानि खाते में ₹13.69 करोड़ का अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है और सकल ब्लॉक के वहन मूल्य और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को तदनुसार समायोजित किया गया है।

9. तुलनात्मक आंकड़ें

जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सभी सदस्यों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) के पृथक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2026 तक के तुलन पत्र के अलावा तत्संबंधी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण व नकद प्रवाहों का विवरण शामिल है । इसके अलावा इसमें संबंधित तिथि हेतु केंद्रीय कार्यालय के संबंध में विनिर्दिष्ट लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण मूलक सूचनाओं के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के प्रति सभी नोट शामिल हैं।

   i. हमारे द्वारा केंद्रीय कार्यालय और 20 शाखाओं का लेखापरीक्षा किया गया,

   ii. सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा 14 अन्य कार्यालयों सहित 1073 देशीय शाखाओं का लेखा परीक्षण किया गया ।

   iii. स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा 4 विदेशी शाखाओं का लेखापरीक्षा किया गया।

   हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों को ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया गया है ।

   इस तुलन-पत्र में 2377 शाखाओं और 56 अन्य कार्यालयों से प्राप्त लाभ व हानि खाते का विवरण और नकद प्रवाह विवरणी शामिल जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं है । ये लेखापरीक्षित शाखाएं अग्रिम के क्षेत्र में 24.27%, जमाओं में 50.79%, ब्याज आय में 11.89% और ब्याज संबंधी खर्चों में 26.56% का अंशदान करती है ।

   हमारे अभिमत और हमारे संज्ञान के अनुसार तथा हमें प्रदत्त किए गए स्पष्टीकरणों के अनुक्रम में उक्त पृथक वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) द्वारा वांछित सूचना प्रदान करते हैं, जो बैंक के लिए आवश्यक है और इस रूप में भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है:

   ए. तुलन पत्र को उसमें दी गई पूरी टिप्पणियों में पूर्ण और उचित तुलन पत्र के सभी आवश्यक ब्योरे निहित हैं, भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2026 को बैंक की वर्तमान स्थिति का ठीक रूप से सही और उचित आकलन किया गया है;

   बी. लाभ और हानि खाता, उस पर नोट्स के साथ पठित वास्तविक लाभ को दर्शाता है; और

   सी. नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है ।

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा विषयक मानकताओं के अनुसार की है । इन मानकताओं के अधीन हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के भाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के तहत विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी नीतिगत संहिता के अनुसार कथित बैंक से संबंध रखे बिना तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से जुडी नीतिगत अपेक्षाओं सहित लेखापरीक्षा की है जिसमें कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक शामिल हैं, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/ दिशानिर्देशों और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश के अनुसरण में तैयार किया गया है और हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया गया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह पर्याप्त और अपने विचार को लिए आधार प्रदान करने के लिए सम्पयुक्त है।

मामलों पर बल

3. हम ध्यान अनुसूची 18 की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 9 (एएस-22) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो ₹2,780.97 करोड़ की स्थगित कर परिसंपत्ति की शेष राशि तथा वर्ष के दौरान अनुमानित आधार पर ₹1,050.14 करोड़ के प्रतिवर्तन से संबंधित है। प्रबंधन ने 31 मार्च 2026 को स्थगित कर परिसंपत्ति की शेष राशि की प्राप्ति योग्यता का आकलन किया है।

   इस संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

4. हमारे व्यवसायिक अभिमत में प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले है जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में अत्यंत

महत्वपूर्ण रहे हैं । इन मामलों पर हमारे अभिमत वित्तीय विवरणों के समावेश रूप में हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में हैं और उन पर हम अलग से कोई अभिमत प्रदान नहीं करना चाहते । निम्नांकित मामलों को हमने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है जो कि बैंक को हमारी रिपोर्ट के साथ संप्रेषित किए गए है।

I. अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और प्रावधान (वित्तीय विवरण की अनुसूची 17 के पैरा 5 का संदर्भ लें)

बैंक की निवल अग्रिम राशि कुल संपत्ति का 64.78 प्रतिशत है, जो वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण भाग है। वे, अन्य बातों के आतिरिक्त, आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अग्रिमों को निष्पादित और गैर-निष्पादित (एनपीए) में वर्गीकृत करने से संबंधित दिशानिर्देश संबन्धित परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं, जो विदेशी कार्यालयों के मामलों के अतिरिक्त जिसमें अग्रिमों का वर्गीकरण और उसका प्रावधान स्थानीय नियमों या आरबीआई के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हो उसके अनुसार किया जाता है। बैंक इन अग्रिमों को अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसीपी मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करता है।

निष्पादित और गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान के लिए उचित तंत्र स्थापित है। बैंक अपने सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेन-देन का हिसाब रखता है, जो यह भी चिन्हित करता है कि अग्रिम निष्पादन योग्य हैं या गैर-निष्पादित।

भारतीय रिज़र्व बैंक ("भारिबैं") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अतिरिक्त, बैंक के पास गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर प्रावधान के लिए कुछ नीतियाँ भी हैं।

यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, आईआरएसीपी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है, तो इन अग्रिमों (प्रावधानों का निवल) का आगामी मूल्य वास्तव में गलत हो सकता है।

लेन-देन की प्रकृति, नियामक आवश्यकताओं, वर्तमान कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और प्रावधानों की गणना में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है।

साथ ही, आहरण शक्ति की गणना के लिए उधारकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा पर निर्भरता, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्ष, भारिबैं द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्गठित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और ब्याज आय की पहचान पर निर्भरता के कारण गैर-निष्पादित अग्रिमों सहित, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में निर्धारित किया है।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

हमने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान करने और उनके प्रावधान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आकलन किया। हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और निम्नलिखित सहित वास्तविक परीक्षण शामिल थे:

ए) हमने सिस्टम में निर्मित नियंत्रणों, भारिबैं के दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में शामिल जाँच और संतुलन व गैर-निष्पादित संपत्तियों की पहचान के लिए संबंधित बैंक की नीतियों, प्रकृति, समय और ठोस प्रक्रियाओं के सीमा निर्धारित करने के प्रावधान के बारे में बैंक से जानकारी प्राप्त की और तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई।

बी) हमें शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आय पहचान, निष्पादित और गैर-निष्पादित अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता जाँच के लिए आबंटित की गई थी। हमने आबंटित शाखाओं में ठोस प्रक्रियाओं को पूरा करने में, हमने बड़े अग्रिमों/तनावग्रस्त अग्रिमों की जांच की है, जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा भी शामिल है।

सी) आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा, क्रेडिट लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता, बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार है।

डी) शाखाओं से प्राप्त रिटर्न को स्वीकार किया गया, जो ऑडिट के अधीन नहीं हैं और उस संबंध में हमने उपलब्ध कराए गए नमूना डेटा की शुद्धता को पुष्टि करने के लिए बैंक के आंतरिक निगरानी तंत्र/प्रणालियों की समीक्षा की और सुनिश्चित किया गया कि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवाद/विचलन/त्रुटियों पर बैंक द्वारा विचार किया गया।

ई) समय-समय पर जारी भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान व प्रावधान और उसके अनुरुप आय के प्रतिवर्तन की जांच की गई।

एफ) एनपीए की पहचान और भारिबैं के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया।

जी) भारिबैं के निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा कार्यान्वित परिसंपत्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया।

एच) हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य देशीय और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए काम को स्वीकार किया है।

आई) नमूना आधार पर चयनित उधारकर्ताओं की फाइलों और ऐसे खातों के परिचालन की समीक्षा की गई।

जे) सुनिश्चित किया गया कि हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों को विधिवत सही किया गया है।

II. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण

बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और सीबीएस से जुड़ी या स्वतंत्र रूप से काम करने वाली अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कामकाज पर अत्यधिक निर्भर है।

हमारा विशेष ध्यान सिस्टम में दिए गए तर्क, डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, पहुंच प्रबंधन और कर्तव्यों का पृथक्करण से संबंधित है। ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि अनुप्रयोगों और डेटा में परिवर्तन उचित, अधिकृत, शुद्ध और मॉनिटर किए गए हैं, जिससे सिस्टम सटीक व विश्वसनीय रिपोर्ट/रिटर्न और अन्य वित्तीय व गैर-वित्तीय जानकारी उत्पन्न कर सके, जिसका उपयोग वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए किया जाता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं दैनिक आधार पर व्यापक मात्रा में होती है और विविध व जटिल लेन-देन की प्रक्रिया होती है जो आईटी प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। यहाँ एक जोखिम रहता है कि स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएं और संबंधित आंतरिक नियंत्रण सटीक रूप से डिज़ाइन व प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हो सकते हैं, जिसके कारण इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का विषय माना जाता है।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों का मूल्यांकन और पहचान शामिल है, और परीक्षण पर प्रणाली जनित रिपोर्ट/रिटर्न और अन्य वित्तीय व गैर-वित्तीय जानकारी के परीक्षण जांच के आधार पर आईटी सिस्टम के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है। हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं शामिल हैं:

ए) बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।

बी) परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, पहुंच नियंत्रण सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई।

सी) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को निष्पादित करने की आवश्यकता की पहचान की, हमने मैन्युअल क्षतिपूर्ति नियंत्रणों पर निर्भरता रखी; जैसे सिस्टम और अन्य सूचना स्रोतों के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त परीक्षण करना; पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने अधिक नमूना जांच की।

डी) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखा परीक्षा के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियों (एमओसी'यों) पर निर्भरता रहती है।

ई) जहां भी उपलब्ध कराया गया हो, बाह्य विक्रेता निरीक्षण रिपोर्ट पर निर्भरता रहती है।

एफ) आईएस ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की और प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की।

III. निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 3 के साथ पढ़ी जाने वाली अनुसूची 17 के पैरा 4 देखें)

निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, सुरक्षा रसीदें और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किया गया निवेश शामिल है।

बैंक की कुल संपत्ति में निवेश 25.31 प्रतिशत है। ये भारिबैं के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। भारिबैं के निर्देश, अन्य बातों के साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की गैर-मान्यता और उसके प्रति प्रावधान के लिए लागू होते हैं।

बाजार की अस्थिरता, विश्वसनीय कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण गैर-उद्धृत निवेश और कम कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है।

तदनुसार, हमारे लेखा-परीक्षण का ध्यान निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान तथा निवेशों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित रहा।

उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारिबैं द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफआईबीआईएल दरों, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरों, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा/जानकारी का संग्रह शामिल हैं।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और निर्णय की सीमा, लेन-देन की मात्रा, उपलब्ध निवेश और नियामक की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

भारिबैं के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की ओर केन्द्रित थी। ट्रेज़री के लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निम्नलिखित पर केंद्रित हैं

ए) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक भारिबैं के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया व उसे समझा ।

बी) उपलब्ध निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने सुरक्षा की प्रत्येक श्रेणी के लिए फिर से मूल्यांकन करके भारिबैं के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया। निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूतियों की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल हैं , सुनिश्चित करने के बाद नमूनों का चयन किया गया।

सी) नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के आधार पर या भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर, गैर-उद्धृत निवेशों के स्वतंत्र रूप से परीक्षण-जाँच की गई।

डी) हमने एनपीआई की पहचान और आय के अनुरूप परिवर्तन और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया।

ई) हमने भारिबैं के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास की स्वतंत्र रूप से पुन: गणना करने के लिए पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अपनाईं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूने का चयन किया और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारिबैं के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान की पुनर्गणना की।

IV. कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 12, अनुसूची 18 के नोट 14 (एएस -29) के साथ पठित अनुसूची 17 के पैरा 13 का संदर्भ ले):

बैंक ने इसके प्रति विवादित दावे किए हैं, जिनमें कर और गैर-कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले भी शामिल हैं, जो विभिन्न अदालतों/मंचों में लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संभावित बहिर्प्रवाह का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने के लिए उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और जहां भी आवश्यक समझा जाए, कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारा लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों और इसमें शामिल कानून के निर्णय/व्याख्या का विश्लेषण करने पर केंद्रित था।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

ए) हमने योजना की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया और कर मुकद्दमेबाजी मामलों पर प्रबंधन के नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है।

बी) हमने संभावित बहिर्प्रवाह और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा की। इन अनिश्चित कर/गैर कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय कानूनी प्राथमिकता और अन्य फैसलों पर विचार किया गया।

सी) इसके अतिरिक्त, हमने ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में प्रबंधन निर्णयों, उद्योग स्तर के विचार-विमर्श और संभावित बहिर्वाह के अनुमान व बैंक के आंतरिक विशेषज्ञों की अभिमत पर विश्वास किया।

डी) प्रमुख विवादित गैर-कर मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा चुनिंदा प्रमुख पत्राचार, आंतरिक/बाह्य कानूनी राय/परामर्श को पढ़ा और उनका विश्लेषण किया।

ई) बैंक/अन्य कॉरपोरेट के मामले में एक-समान मामलों में जहां भी उपलब्ध हो, वहां अन्य कानूनी घोषणाओं की समीक्षा और सत्यापन किया गया।

एफ) उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की गई और प्रावधानों का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित प्रमुख धारणाओं का मूल्यांकन किया गया।

जी) विवादित गैर-कर मामलों के संभावित परिणाम के बारे में प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णयों पर विश्वास किया।

5. अन्य मामले

हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 1073 देशीय शाखाओं, 14 अन्य कार्यालय एवं 4 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2026 तक ₹ 2,45,922.24 करोड़ की कुल संपत्ति को दर्शाती है और उस वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 19,96,056.78 करोड़ है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उल्लिखित है। 31 मार्च 2026 तक इन शाखाओं और प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा अग्रिम का 50.14%, जमा का 44.02% और गैर-निष्पादित आस्तियों का 25.83% और 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 53.18% कवर किया जा रहा है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-जोखा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है और अब तक हमारी राय में यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है जो पूरी तरह से इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।इस संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, प्रमुख वित्तीय संकेतक और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य जानकारी हमें इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 प्रकटीकरण को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी उक्त वर्णित अन्य जानकारी जब यह उपलब्ध हो, को पढ़ना है और इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भौतिक रूप से ग़लत वर्णित गया है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, प्रमुख वित्तीय संकेतक और शेयरधारक की जानकारी पढ़ते हैं, अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई मिथ्य कथन है, तो हमें इस मामले को गवर्नेंस के प्रभारी को सूचित करना आवश्यक होगा ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

7. बैंक का निदेशक मंडल स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ,जिसमें लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण ; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जोकि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, शामिल है ।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की तैयारी में, निदेशक मंडल बैंक की सतत् रूप से संचालित रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो वहाँ 'चालू संस्था" से संबंधित विषयों का प्रकटीकरण करने तथा लेखांकन में 'चालू संस्था' आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल बैंक के परिसमापन या उसके संचालन को बंद करने का इरादा न रखता हो, अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थ विकल्प न हो। निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियां

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएओं के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही किसी सामग्री की गलती के मौजूद होने का पता लगाएगी ।गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री, व्यक्तिगत या समग्र रूप से, माना जाता है । इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं । साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचान कर , उनका आकलन करते हैं , चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादन करते हैं व लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री से गलत विवरण का पता नहीं लगने के कारण जोखिम त्रुटि एक से अधिक रूप में परिणामित हो सकती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को निरस्त करना शामिल हो सकती है।

- परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा-परीक्षण प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखा-परीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना।

- प्रबंधन के द्वारा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते है।

- लेखांकन के आधार पर चालू प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने होगा । हमारे निष्कर्ष लेखा

परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या शर्त बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से वंचित कर सकती हैं।

- समग्र प्रस्तुति, प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु और संरचना के मूल्यांकन सहित इस बात का मूल्याकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में गवर्नेंस के साथ चर्चा करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में लेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं ।

हम उन लोगों को जिन पर गवर्नेंस का प्रभार है , उन्हें भी यह विवरणी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों जो कि हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में संवाद करने के लिए विचार किया जा सकता है।

उन प्रभारों के संबंध में गवर्नेंस को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है, हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दुष्परिणाम स्वरूप संचार जनहित लाभ कम हो जाएंगे।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है।

   उपरोक्त पैराग्राफ 5,7 से 8 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार इसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) बैंक के वे सभी लेन-देन जो कि हमारे संज्ञान में थे बैंक की क्षमता के अधीन हैं; तथा

सी) बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गयी थीं।

10. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.6270/08.91.001/2019-20 दिनांकित 17 मार्च 2020 की आवश्यकताओं के अनुसार" सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए की रिपोर्टिंग उत्तरदायित्व" पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उत्तरवर्ती संसूचना दिनांकित 19 मई, 2020 के साथ पठित, हम उपरोक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं:

ए) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यहाँ तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

बी) वित्तीय लेन-देन या मामलों पर कोई टिप्पणी और अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सी) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती है।

डी) खातो और अन्य मामलों से जुड़े मामलों के अनुरक्षण से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ई) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंकों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध-ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च, 2026 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक अपरिवर्तित अभिमत व्यक्त करती है।

11. हम साथ ही यह रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए बैंक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त खाता बही विवरणियों से प्राप्त की गयी हैं और उन शाखाओं से जिनका हमने दौरा नहीं किया है वहाँ से हमें लेखापरीक्षण के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं।

बी) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी के प्रवाह का विवरण और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ जहां हम नहीं गए, खाता बहियों के साथ हैं।

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा समुचित सावधानी बरती गई है । तथा ;

डी) हमारी राय में, तुलन पत्र , लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते आर देवेंद्र कुमार व एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207डब्ल्यू

आनंद गोलास
साझेदार
एम. नं.: 400322
यूडीआइएन 2640322डब्ल्यूएफएफबीटीएन7506

कृते लक्ष्मी तृप्ति व एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009189सी

एल एन अग्रवाल
साझेदार
एम. नं.: 078427
यूडीआइएन: 26078427एलसीटीएलबीजे3787

कृते तेज राज व पाल
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 304124ई

दिनकर मोहंती
साझेदार
एम. नं.: 059390
यूडीआइएन: 26059390आईयूओवीएसआई5022

कृते संजीव ओमप्रकाश गर्ग व कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:008773सी

विकास मित्तल
साझेदार
एम. नं.:407833
यूडीआइएन: 26407833डीओआरजीआरबी7060

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29.04.2026

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों से संबंधित अनुबंध "ए"

(हमारे सम दिनांकित 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' पैराग्राफ 10 (ई)में संदर्भित)

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") पत्र डॉस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांकित 17 मार्च, 2020 (संशोधित) ("आरबीआई संचार") द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने 31 मार्च, 2026 तक इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के साथ, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण आंतरिक वित्तीय शामिल है ।

हमारी राय में, तथा हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के आधार पर, तथा नीचे "अन्य विषयों" अनुच्छेद में उल्लिखित शाखा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करते हुए, बैंक के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में पर्याप्त हैं। ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2026 को प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, जो "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित मानदंडों" पर आधारित हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक की प्रबंधन संस्थान और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे । लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है ।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और जारी किए गए लेखा परीक्षण (एसएएस) पर मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया, आईसीएआई द्वारा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक किया है । उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो ।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के प्रकरण में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण के लिए बैंक की आंतरिक वित्तीय विषय पर वित्तीय विवरणी से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है । वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है ।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री का गलत विवरण हो सकता है और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है । इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगाड़ सकता है ।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जो 1073 देशीय शाखाओं और 14 अन्य कार्यालयों की वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है जो कि उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं।

इस संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है ।

कृते आर.देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स
एफआरएन 114207डब्ल्यू

(आनंद गोलास)
साझेदार
एम नं: 400322

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
एफआरएन 009189सी

(एल.एन. अग्रवाल)
साझेदार
एम नं: 078427

कृते तेज राज एंड पाल
एफआरएन 304124ई

(दिनकर मोहंती)
साझेदार
एम नं: 059390

कृते संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी
एफआरएन: 008773सी

(विकास मित्तल)
साझेदार
एम नं: 407833

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29.04.2026

31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित तुलन-पत्र

(₹ हजार में)

	अनुसूचियाँ	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
पूँजी और देनदारियां			
पूँजी	01	19256 58 98	19256 58 98
आरक्षितियां और अधिशेष	02	17734 07 77	12976 75 83
जमा	03	368191 25 42	311204 17 55
उधार	04	51602 57 20	42227 66 32
अन्य देयताएं और प्रावधान	05	16010 69 90	9044 80 63
कुल		**472795 19 27**	**394709 99 31**
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष	06	16605 92 89	18115 87 16
बैंकों में अतिशेष एवं मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	07	8616 64 50	3103 76 35
निवेश	08	119284 86 87	110587 96 89
अग्रिम	09	306621 81 47	245555 16 84
अचल संपत्तियां	10	5074 54 35	4654 82 10
अन्य परिसंपत्तियां	11	16591 39 19	12692 39 97
कुल		**472795 19 27**	**394709 99 31**
आकस्मिक देयताएं	12	153282 73 84	159405 16 51
संग्रहण के लिए बिल		18383 96 22	17088 33 51

मूल लेखांकन नीतियाँ	17
लेखों पर टिप्पणियाँ	18

अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अंग है ।

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

माधव चंद्र झा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व सीईओ

श्रीनिवासन श्रीधर
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

नीलम अग्रवाल
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

वेंकटरमणन जी
निदेशक

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29.04.2026

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाता

(₹ हजार में)

	अनुसूचियाँ	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
आय			
अर्जित ब्याज	13	31895 67 85	28143 64 15
अन्य आय	14	5846 90 27	5606 66 67
कुल		**37742 58 12**	**33750 30 82**
व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	19322 04 24	17244 47 60
परिचालन खर्च	16	8183 97 89	7756 26 52
प्रावधान और आकस्मिकताएँ		4818 09 40	5354 06 33
कुल		**32324 11 53**	**30354 80 45**
लाभ/हानि (-)			
वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि (-)		5418 46 59	3395 50 37
अग्रणित लाभ/हानि (-)		(12537 85 33)	(14473 93 34)
कुल		**(7119 38 74)**	**(11078 42 97)**
विनियोजन			
राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण		1302 00 84	833 67 63
अन्य आरक्षितियों में अंतरण		244 51 97	482 05 67
पूँजी आरक्षितियों में अंतरण		67 42 68	43 69 06
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षितियों में अंतरण		0	100 00 00
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)		0	0
तुलन-पत्र में अग्रेषित शेष राशि		(8733 34 23)	(12537 85 33)
कुल		**(7119 38 74)**	**(11078 42 97)**
मूल एवं घटाए गए शेयर अर्जन (रु.)		2.70	1.76
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)		10.00	10.00

नोट : अन्य आय में सहयोगी कंपनियों से प्राप्त लाभ शामिल है ।
अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का अंग है ।

समतिथि को हमारी रिपोर्ट के जरिए
सनदी लेखाकार के लिए एवं उनकी ओर से

आर.देवेंद्र कुमार
एंड एसोसिएट्स
एफआरएन 114207डब्ल्यू

(आनंद गोलास)
साझेदार
एम नं: 400322

लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
एफआरएन 009189सी

(एल.एन. अग्रवाल)
साझेदार
एम नं: 078427

तेज राज एंड पाल
एफआरएन 304124ई

(दिनकर मोहंती)
साझेदार
एम नं: 059390

संजीव ओमप्रकाश गर्ग
एंड कंपनी
एफआरएन: 008773सी

(विकास मित्तल)
साझेदार
एम नं: 407833

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29.04.2026

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवल लाभ/(हानि)	5418 46 59	3395 50 38
करों हेतु प्रावधान	1059 99 75	1177 01 09
आयकर से पहले निवल लाभ/(हानि)	6478 46 34	4572 51 47
के लिए समायोजन:		
एचटीएम निवेशों के लिए परिशोधन	102 71 76	82 19 57
निवेश के पुनर्मूल्यांकन से हुई (लाभ)/हानि (निवल)	(5 26 30)	0
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	521 17 57	394 45 57
आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (निवल)	(2 02 29)	(1 79 59)
एनपीए के लिए प्रावधान	833 24 30	825 34 43
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2726 48 75	3585 27 83
निवेश पर मूल्यह्रास (एनपीआई के लिए निवल प्रावधान)	(8 53 10)	(24 53 74)
उतार-चढ़ाव के कारण मूल्यह्रास प्रावधान	1 97 04	(69 18 66)
अन्य मदों के लिए प्रावधान	207 56 35	(197 19 89)
	4377 34 07	**4594 55 52**
के लिए समायोजन:		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	56930 82 31	25817 34 20
उधारियों में वृद्धि/(कमी)	8374 90 87	11840 49 78
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	2841 41 14	(2466 70 83)
निवेश में (वृद्धि)/कमी	(8785 82 34)	(11451 71 19)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(61899 88 93)	(33050 25 05)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(2994 01 72)	832 78 22
	(5532 58 66)	**(8478 04 87)**
प्रत्यक्ष कर (निवल)	(543 56 01)	1958 06 26
परिचालन गतिविधियों से/(प्रयुक्त हेतु) निवल नकदी प्रवाह (क)	**4779 65 74**	**2647 08 38**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	6 96 61	24 35 69
अचल आस्तियों की खरीद	(645 88 67)	(603 27 37)
निवेश गतिविधियों से सृजित/(प्रयुक्त हेतु) निवल नकदी प्रवाह (ख)	**(638 92 06)**	**(578 91 68)**

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वित्त पोषित गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
टीयर I और टीयर II बॉन्डों का मोचन/अन्य उधार/पूँजी में वृद्धि	0	1432 77 70
पूँजी लिखत जारी करना (बेसल III, टीयर 1, टीयर II बॉन्ड का निर्गम)	1000 00 00	0
आरक्षितियों/पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों में परिवर्तन	(1290 12 47)	(961 35 71)
पूँजी लिखत पर देय ब्याज (आइओबी बॉन्ड्स, टीयर II बॉन्ड्स)	152 32 67	(134 85 24)
वित्त पोषित गतिविधियों से सृजित/(प्रयुक्त हेतु) निवल नकदी प्रवाह (ग)	**(137 79 80)**	**336 56 75**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क) + (ख) + (ग)	**4002 93 88**	**2404 73 45**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
आरबीआई के पास नकदी और शेष	18115 87 16	16905 53 65
बैंकों के पास शेष और मांग-द्रव्य	3103 76 35	1909 36 41
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		
आरबीआई के पास नकदी और शेष	16605 92 89	18115 87 16
बैंकों के पास बैलेंस और मांग-द्रव्य	8616 64 50	3103 76 35
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	**4002 93 88**	**2404 73 45**

नोट्स:

1. यह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है ।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के निष्पादन और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार पुष्टि करने के लिए पुन: समूहीकृत किया गया है ।

अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अंग है ।

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

माधव चंद्र झा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व सीईओ

श्रीनिवासन श्रीधर
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

नीलम अग्रवाल
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

वेंकटरमणन जी
निदेशक

समतिथि को हमारी रिपोर्ट के जरिए
सनदी लेखाकार के लिए एवं उनकी ओर से

आर.देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स
एफआरएन 114207डब्ल्यू

तेज राज एंड पाल
एफआरएन 304124ई

(आनंद गोलास)
साझेदार
एम नं:400322

(दिनकर मोहंती)
साझेदार
एम नं:059390

लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
एफआरएन 009189सी

संजीव ओमप्रकाश गर्ग
एंड कंपनी
एफआरएन: 008773सी

(एल.एन. अग्रवाल)
साझेदार
एम नं:078427

(विकास मित्तल)
साझेदार
एम नं:407833

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29.04.2026

अनुसूची - 1 पूँजी

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
अधिकृत पूँजी		
प्रत्येक रुपये 10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये (विगत वर्ष प्रत्येक रुपये 10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर)	25000 00 00	25000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी		
प्रत्येक 10/- रुपये के 1925,65,89,795 इक्विटी शेयर है । (इसमें प्रत्येक 10/- रुपये भारत सरकार द्वारा धारित 1780,04,88,299 इक्विटी शेयर के शामिल है)	19256 58 98	19256 58 98
विगत वर्ष 10/- रुपये प्रति शेयर मूल्य के 1925,65,89,795 इक्विटी शेयर है । (भारत सरकार द्वारा धारित रु. 10/- प्रति शेयर मूल्य के 1821,83,26,570 इक्विटी शेयर शामिल है)		

अनुसूची - 2 आरक्षितियाँ और अधिशेष

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
I. सांविधिक आरक्षितियाँ		
अथ शेष	5584 31 09	4750 63 46
जोड़ें: परिवर्धन	1302 00 84	833 67 63
घटाएँ: कटौतियाँ	0	0
योग-I	**6886 31 93**	**5584 31 09**
II. पूँजी आरक्षिति		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति		
अथ शेष	3372 97 05	2722 63 49
जोड़ें: परिवर्धन	301 92 50	672 99 16
घटाएँ: कटौतियाँ	241 00 70	22 65 60
योग-अ	**3433 88 85**	**3372 97 05**
आ. संपत्तियों की बिक्री पर		
अथ शेष	2213 44 82	2169 75 76
जोड़ें: परिवर्धन	67 42 68	43 69 06
घटाएँ: कटौती	0	0
योग-आ	**2280 87 50**	**2213 44 82**
इ. अन्य		
अथ शेष	153 28 31	153 24 38
जोड़ें: परिवर्धन	13 41	3 93
घटाएँ: कटौती	0	0
योग-इ	**153 41 72**	**153 28 31**
योग-II (अ, आ व इ)	**5868 18 07**	**5739 70 18**

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
III. शेयर प्रीमियम		
अथ शेष	9636 50 05	8557 90 11
जोड़ें: परिवर्धन	0	1078 59 94
घटाएँ: कटौती	0	0
यो ग-III	**9636 50 05**	**9636 50 05**
IV. राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ		
अ. अन्य राजस्व आरक्षितियाँ		
अथ शेष	3408 20 20	3291 07 93
जोड़ें: परिवर्धन	408 38 12	117 12 27
घटाएँ: कटौती	403 71 34	0
योग - अ	**3412 86 98**	**3408 20 20**
आ. निवेश आरक्षिति खाते		
अथ शेष	0	97 95 58
जोड़ें: परिवर्धन	0	0
घटाएँ: कटौतियाँ	0	97 95 58
योग-आ	**0**	**0**
इ. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति		
अथ शेष	1157 90 09	999 76 63
जोड़ें: परिवर्धन	327 05 31	152 08 45
घटाएँ: कटौती	28 34 04	(6 05 01)
योग-इ	**1456 61 36**	**1157 90 09**
ई. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति खाता		
अथ शेष	490 00 00	390 00 00
जोड़ें: परिवर्धन	0	100 00 00
घटाएँ: कटौतियाँ	0	0
योग-ई	**490 00 00**	**490 00 00**
उ. सामान्य आरक्षितियाँ-ट्रेज़री		
अथ शेष	(1315 57 17)	0
जोड़ें: परिवर्धन	0	(1315 57 17)
घटाएँ: कटौतियाँ	0	0
योग-उ	**(1315 57 17)**	**(1315 57 17)**
ऊ. एएफएस आरक्षिति निधि		
अथ शेष	392 19 56	0
जोड़ें: परिवर्धन	7 37	392 19 56
घटाएँ: कटौतियाँ	691 23 65	0
योग-ऊ	**(298 96 72)**	**392 19 56**

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
ए. विशेष आरक्षितियाँ - सरकारी गारंटीकृत एस.आर.		
अथ शेष	421 37 16	0
जोड़ें: परिवर्धन	38 61 55	421 37 16
घटाएँ: कटौतियाँ	128 51 21	0
योग-ए	**331 47 50**	**421 37 16**
योग - IV (अ,आ,इ,ई,उ,ऊ एवं ए)	**4076 41 95**	**4554 09 84**
V. लाभ और हानि खाता	(8733 34 23)	(12537 85 33)
योग (I, II, III, IV एव V)	**17734 07 77**	**12976 75 83**

अनुसूची - 3 जमाएँ

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
अ. I. मांग जमाएँ		
i) बैंकों से	757 70 49	1558 27 74
ii) अन्यों से	25613 11 37	25833 69 75
योग - I	**26370 81 86**	**27391 97 49**
II. बचत बैंक जमाएँ	124564 77 42	108034 82 03
III. सावधि जमाएँ		
i) बैंकों से	3 79	3 64
ii) अन्यों से	217255 62 35	175777 34 39
योग - III	**217255 66 14**	**175777 38 03**
योग - अ (I,II एवं III)	**368191 25 42**	**311204 17 55**
आ. i) भारत की शाखाओं में जमाएँ	359032 20 45	302760 42 00
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाएँ	9159 04 97	8443 75 55
योग - आ	**368191 25 42**	**311204 17 55**

(पुनर्ग्रहणाधिकार के अधीन जमाएँ - नोट क्रमांक 10 का संदर्भ लें)

अनुसूची - 4 लिए गए उधार

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
I. भारत में लिए गए उधार		
भारतीय रिज़र्व बैंक	0	1946 00 00
अन्य बैंकों से	2560 54 50	3366 95 00
अन्य संस्थान और एजेंसियां	28086 77 12	20599 66 34
नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	0	0
बॉन्ड के तौर पर जारी हाइब्रिड कर्ज पूँजी लिखत	0	0
गौण कर्ज	3165 00 00	2165 00 00
योग (I)	**33812 31 62**	**28077 61 34**
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	17790 25 58	14150 04 98
योग (I एवं II)	**51602 57 20**	**42227 66 32**
ऊपर I और II में सम्मिलित प्रतिभूति उधार	**30647 31 62**	**25912 61 34**

अनुसूची - 5 अन्य देयताएं एवं प्रावधान

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
I. देय बिल	1397 62 06	628 52 04
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
III. उपचित ब्याज	1099 79 25	1003 72 14
IV. अन्य (प्रावधानों सहित)	13513 28 59	7412 56 45
योग	**16010 69 90**	**9044 80 63**

अनुसूची - 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट सम्मिलित है)	1436 99 22	1235 14 95
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि		
i) चालू खाते में	9166 41 90	11784 64 61
ii) अन्य खातों में	6002 51 77	5096 07 60
योग (I एवं II)	**16605 92 89**	**18115 87 16**

अनुसूची - 7 बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
क) चालू खातों में	33 99 55	13 78 82
ख) अन्य जमा खातों में	268 55 24	244 79 31
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
क) बैंकों के साथ	0	0
ख) अन्य संस्थानों के साथ	0	0
योग - (i एवं ii)	**302 54 79**	**258 58 13**
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	1248 82 10	846 39 85
ii) अन्य जमा खातों में	5356 66 68	535 68 11
iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	1708 60 93	1463 10 26
योग (i,ii एवं iii)	**8314 09 71**	**2845 18 22**
योग (I एवं II)	**8616 64 50**	**3103 76 35**

अनुसूची - 8 निवेश

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	109602 65 65	101565 84 30
ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	0	0
iii) शेयर	1161 19 18	820 33 62
iv) डिबेंचर और बॉन्ड	3179 98 16	3072 22 99
v) अनुषंगी/संयुक्त उद्यम	694 70 14	615 64 72
vi) अन्य निवेश (म्यूचुअल फंड, हमाओं की वेंचर पूँजी फंड में निवेश और कमर्शिअल पेपर)	567 23 79	613 69 58
योग - I	**115205 76 92**	**106687 75 21**
II. भारत के बाहर निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	3931 15 18	3699 98 63
ii) अनुषंगी/संयुक्त उद्यम	0	0
iii) अन्य निवेश	147 94 77	200 23 05
योग - II	**4079 09 95**	**3900 21 68**
योग (I एवं II)	**119284 86 87**	**110587 96 89**
भारत में सकल निवेश	**115704 39 24**	**107453 95 75**
घटाएँ: मूल्यह्रास	498 62 32	959 64 73
घटाएँ: पुनर्संरचित निवेशों पर ब्याज	0	0
निवल निवेश	**115205 76 92**	**106494 31 02**
भारत के बाहर सकल निवेश	**4079 09 95**	**4100 25 79**
घटाएँ: मूल्यह्रास	0	6 59 92
निवल निवेश	**4079 09 95**	**4093 65 87**
कुल निवल निवेश	**119284 86 87**	**110587 96 89**

अनुसूची - 9 अग्रिम

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
अ. I) क्रय एवं भुनाए गए बिल	9251 11 41	10869 40 73
ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार	172782 24 76	92080 18 05
iii) सावधि उधार	124588 45 30	142605 58 06
योग	**306621 81 47**	**245555 16 84**

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
आ.I) मूर्त आस्तियों पर प्रतिभूति	246715 37 96	177081 13 42
(बहिगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)		
ii) बैंक/सरकार की प्रतिभूति द्वारा संरक्षित	38201 29 77	40744 07 61
iii) अप्रतिभूत	21705 13 74	27729 95 81
योग	**306621 81 47**	**245555 16 84**
इ. I) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	156335 97 44	113583 52 65
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	21974 47 78	17280 15 88
iii) बैंक	0	0
iv) अन्य	113447 55 84	99292 50 13
योग	**291758 01 06**	**230156 18 66**
II) भारत के बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से देय	0	0
ii) अन्यों से देय		
क) क्रय और डिस्काउंट किए गए बिल	1707 89 55	4162 81 04
ख) संघबद्ध उधार	5453 06 69	5739 25 15
ग) अन्य	7702 84 17	5496 91 99
योग	**14863 80 41**	**15398 98 18**
योग (इ I एवं इ-II)	**306621 81 47**	**245555 16 84**

अनुसूची - 10 अचल आस्तियां

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
I. परिसर		
वर्ष के आरंभ में/पुनर्मूल्यांकित लागर पर	5500 73 30	4576 16 08
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन *	235 06 64	924 86 81
उप-योग	**5735 79 94**	**5501 02 89**
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन *	10 24 21	29 59
	5725 55 73	**5500 73 30**
अद्यतित मूल्यह्रास	1501 97 84	1415 42 71
योग -I	**4223 57 89**	**4085 30 59**

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
II. पूँजीगत चालू कार्य	67 35 41	74 23 85
योग - II	**67 35 41**	**74 23 85**
III. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुड़नार शामिल है)		
वर्ष के आरंभ में लागत	3179 85 69	2969 71 86
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	719 62 98	291 65 99
उप-योग	**3899 48 67**	**3261 37 85**
वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	406 64 96	67 57 18
	3492 83 71	**3193 80 68**
अद्यतित मूल्यह्रास	2709 22 66	2698 53 02
योग - III	**783 61 05**	**495 27 66**
योग (I, II एवं III)	**5074 54 35**	**4654 82 10**

* इसमें 31.03.2026 की विनिमय दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित आंकड़ों के रूपांतरण के कारण समायोजन शामिल है ।

अनुसूची - 11 अन्य आस्तियां

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	1596 09 59	174 68 35
ii) उपचित ब्याज	6609 41 49	5149 12 43
iii) अग्रिम रूप से प्रदत्त कर (निवल प्रावधान)	1799 41 97	2315 85 71
iv) लेखन-सामग्री व स्टॉम्प	3 65 85	3 49 09
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	0	16
vi) अन्य (नाबार्ड के पास रखी जमा राशि शामिल है)	6582 80 29	5049 24 23
योग	**16591 39 19**	**12692 39 97**

अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i) बैंक के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	8 95 99	8 03 15
ii) अंशत: संदत्त निवेशों के लिए देयता	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	114841 40 25	129706 60 38
iv) घटकों की ओर से दी गई गारंटी		
क) भारत में	21776 12 46	14713 15 35

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
ख) भारत के बाहर	323 56 67	179 63 06
v) सकार, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	7097 38 34	6074 74 57
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
क) पूँजीगत खातों पर निष्पादित शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	150 11 18	454 38 14
ख) करेंसी स्वैप के तहत बैंकों की देयताएं	0	0
ग) ब्याज दर स्वैप (यूएसडी)	0	0
घ) ब्याज दर स्वैप (आईएनआर)	0	0
ङ) करेंसी ऑप्शन के तहत बैंक की देयताएं	0	0
च) क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप/एफआरए/प्राप्य प्रभार	0	0
छ) आरबीआई के पास डीईएएफ में राशि	2541 87 92	2311 24 26
ज) अन्य	6543 19 43	5957 26 00
योग	**153282 73 84**	**159405 16 51**

अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i) ब्याज/अग्रिम बट्टा/बिल	23935 33 93	20182 79 36
ii) निवेशों पर आय	7518 35 48	7042 41 37
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर-बैंक निधियों के पास शेष राशि पर ब्याज	295 33 12	183 30 95
iv) अन्य	146 65 32	735 12 47
योग	**31895 67 85**	**28143 64 15**

अनुसूची - 14 अन्य आय

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i) कमीशन, विनिमय और दलाली	1737 65 60	1502 43 11
ii) निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि	423 05 48	524 33 04
iii) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि	5 26 30	0
iv) भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ	2 02 29	1 79 59
v) विनिमय लेन-देन पर लाभ/हानि	5 68 51	38 91 58

vi) विविध आय	3673 22 09	3539 19 35
योग	**5846 90 27**	**5606 66 67**

अनुसूची - 15 खर्च किया गया ब्याज

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i) जमाओं पर ब्याज	16576 69 84	15012 16 63
ii) भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज	2745 33 91	2232 24 75
iii) अन्य	49	6 22
योग	**19322 04 24**	**17244 47 60**

अनुसूची - 16 परिचालन खर्च

(₹ हजार में)

	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	4688 77 37	4669 17 00
ii) किराया, कर और विद्युत	617 65 03	560 38 09
iii) मुद्रण और लेखन-सामग्री	24 83 86	34 98 11
iv) विज्ञापन और प्रचार	25 15 34	10 42 06
v) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	521 17 57	395 22 98
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	1 40 96	1 18 79
vii) लेखा परीक्षकों की फीस और खर्च (शाखा लेखा परीक्षक सहित)	50 73 70	41 57 70
viii) कानूनी व्यय	31 56 38	29 97 65
ix) डाक, तार, टेलीफोन, आदि	92 41 71	63 89 56
x) मरम्मत और रख-रखाव	38 66 90	48 97 21
xi) बीमा	431 12 73	410 87 80
xii) अन्य व्यय	1660 46 34	1489 59 57
योग	**8183 97 89**	**7756 26 52**

अनुसूची 17
बैंक की प्रमुख लेखांकन नीतियाँ - समेकित

1. तैयारी का आधार

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत उपचित अवधारणा एवं कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। यह भारत में सामान्तया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रक्रियाएँ शामिल हैं । विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित विदेशी देशों में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है।

1.1 समेकित वित्तीय विवरणों में बैंक और उसके संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी संस्थाओं के 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधारों पर तैयार किए गए हैं:

1) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (मूल) का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।

2) संयुक्त उद्यम का समेकन - आईसीएआई द्वारा जारी एएस 27 "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार 'आनुपातिक समेकन'।

3) आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन" के अनुसार 'इक्विटी पद्धति' के तहत 'एसोसिएट्स' में निवेश के लिए लेखांकन।

आकलन का उपयोग:

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को ऐसे आकलन व अनुमान लगाने होते हैं जिनने वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व चिन्हित करना और व्यय लेखांकन

2.1 चालू परिसंपत्तियों पर आय उपार्जन के आधार पर मान्यता प्राप्त होती है।

अनार्जक परिसंपत्तियों की वसूली पहले मूलधन की ओर और शेष राशि ब्याज और प्रभारों की ओर समायोजित की जाती है।

मुकदमे में दायर खातों की वसूली मूलधन की ओर या संबंधित न्यायालय के निर्देशों के अनुसार समायोजित की जाएगी।

एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के तहत वसूली मूलधन की ओर समायोजित की जाएगी और मूलधन से अधिक राशि ब्याज में समायोजित की जाएगी।

यदि किसी उधारकर्ता खाते को पिछली तिथि से अनार्जक (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो वर्गीकरण की वर्तमान तिथि तक की कोई भी वसूली पहले ब्याज की ओर और शेष राशि (यदि कोई हो) मूलधन की ओर समायोजित की जाएगी। ऐसी अनार्जक परिसंपत्तियों में की गई बाद की वसूली पहले मूलधन की ओर और शेष राशि (यदि कोई हो) ब्याज और प्रभारों की ओर समायोजित की जाएगी।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को बेची गई परिसंपत्तियों के मामले में, आय विक्रय प्रतिफल के नकद घटक की सीमा तक मान्यता प्राप्त होती है, जहां विक्रय प्रतिफल शुद्ध बही मूल्य (अर्थात बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) से अधिक होता है।

एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत खातों को मुकदमे में दायर खातों के समान माना जाएगा और इन एनसीएलटी खातों में वसूली की गई राशि, चाहे वह कॉरपोरेट देनदार या गारंटर के विरुद्ध शुरू की गई प्रक्रिया से हो, मुकदमे में दायर खातों के समान ही समायोजित की जाएगी।

एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना में डिबेंचर/इक्विटी/अन्य ऋण या इक्विटी या अर्ध-इक्विटी टूल्स आदि के माध्यम से वसूली गई राशि को नकद वसूली के रूप में उसी प्रकार समायोजित किया

जाएगा जैसे मुकदमे में दायर खातों में किया जाता है, अर्थात् पहले मूलधन और शेष राशि ब्याज के लिए।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन(साख पत्र/गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार/बीमा को छोडकर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की प्रेषण बिक्री से प्राप्त आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में गणना में लिया जाता है ।

2.4 खर्चों को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है,जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.5 निष्क्रिय बचत बैंक खाते,अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाता है ।

2.6 वाद दायर खातों के संबंध में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है ।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान/हिसाब देश में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है ।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

3.1 विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन-देन का लेखांकन, लेखा मानक (एएस)11 के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव" के अनुसरण में किया जाता है ।

3.2 ट्रेज़री के संबंध में लेन-देन (विदेशी):

क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा रक़म पर लागू कर के रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्समय पर लागू एफईडीएआई की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में इति शेष को समापन दरों पर दिखाया जाता है। सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू एफईडीएआई की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार दिखाया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेन-देन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।

ग) एफईडीएआई द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को ''अन्य देयताएँ व प्रावधान' '/''अन्य आस्ति खाता' में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहित राजस्व के अंतर्गत रखा जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों को छोड़कर जहाँ खातों का समायोजन अंतिम दरों पर किया जाता है ।

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा बहियों में उनके लेन-देन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन:

क. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्धारित है, सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न परिचालन माना जाता है।

ख. परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देनदारियों सहित) को हर तिमाही के अंत में के भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित अंतिम स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ग. प्रत्येक तिमाही के अंत में आय और व्यय को एफईडीएआई द्वारा सूचित त्रैमासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

घ. परिणामी विनिमय के अंतर को अवधि के लिए आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन इसे निवल निवेश के निपटान तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती'' नामक अलग खाते में जमा किया जाता है ।

4. निवेश

4.1 आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश को छोड़कर) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा: परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत एक अलग निवेश उप-श्रेणी होगी।

प्रत्येक प्रतिभूति (एनपीआई को छोड़कर) के अंकित मूल्य की तुलना में अधिग्रहण लागत पर लागू प्रीमियम/छूट, यदि कोई हो, को परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा विधि से परिशोधित/उपार्जित किया जाएगा।

निवेशों का प्रकटीकरण छह श्रेणियों के अंतर्गत किया जाता है, जैसे:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर

घ) बांड एवं डिबेंचर

ङ) सहायक कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम और

च) अन्य (निर्दिष्ट किए जाने वाले)।

4.2 म्युचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।

4.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

4.3.1. लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीटीपीएल) और बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों की श्रेणियों का बाजार मूल्य त्रैमासिक अंतराल पर निर्धारित किया जाता है। एचएफ़टी के अंतर्गत आने वाली प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य दैनिक आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एफ़वीटीपीएल में धारित अर्जक प्रतिभूतियों का उचित मूल्य निर्धारित किया जाएगा और इस मूल्यांकन से प्राप्त निवल लाभ या अर्जित हानि को सीधे लाभ-हानि खाते में जमा या आहरित किया जाएगा।

केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यांकन एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग/उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। उद्धृत भाव वाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार दरों पर किया जाता है तथा गैर उद्धृत भाव वाले ईक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्य/एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यांकन रु.1/-प्रति कंपनी/निधि के हिसाब से किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्र को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को बाज़ार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू के क्रम में उपलब्धता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है ।

पीडीएआइ (भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ)/ एफबीआईएल द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) दर पर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है ।

उपरोक्त मूल्यांकनों के आधार पर, एएफएस के अंतर्गत धारित सभी अर्जक निवेशों (वर्गीकरण की परवाह किए बिना, जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, बांड और डिबेंचर आदि) के मूल्यांकन लाभ और हानि को जोड़ा जाएगा। लागू करों की कटौती के बाद, मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास को सीधे एएफएस-आरक्षितियाँ नामक आरक्षित निधि में जमा या आहरित किया जाएगा।

खातों में निर्धारित अंतरालों पर मूल्यांकन के कारण व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में परिवर्तन होगा।

4.3.2. "परिपक्वता तक धारित": ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत/अमूर्तिकरण लागत/वहन मूल्य पर दर्ज किया जाता है।

सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं और प्रायोजित संस्थानों में निवेशों का मूल्यांकन हानि की जांच के बाद वहन लागत पर किया जाता है।

4.4 निवेश, एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान/आय की अनभिज्ञान के अधीन है। अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों/बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और तदनुसार, जहाँ कहीं लागू हो, प्रावधान किया जाता है।

4.5 किसी भी श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि (अर्थात व्यापार के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और एफवीटीपीएल) को आरबीआई के मौजूदा मास्टर दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

"परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ होने की स्थिति में, करों के बाद का निवल लाभ और वैधानिक आरक्षित निधि में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को "पूँजी आरक्षित खाते" में विनियोजित किया जाता है।

एएफएस श्रेणी में ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस-आरक्षित में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि और आस्थगित कर देयता (डीटीएल) को एएफएस-आरक्षित से डीटीएल सहित (यदि लागू हो) लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

प्रारंभिक मान्यता के समय एएफएस के तहत नामित इक्विटी टूल्स के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि एएफएस-आरक्षित से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित नहीं की जाएगी। इसके बजाय, ऐसा लाभ या हानि एएफएस-आरक्षित से पूँजी आरक्षित में स्थानांतरित की जाएगी।

4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज, प्रोत्साहन/प्रारम्भिक शुल्क (फ्रण्ट-एण्ड-फीस) आदि को लाभ-हानि खाते में लिया जाता है। ट्रेज़री बिलों के मामले में खंडित अवधि ब्याज नहीं होता है। आय का लेखांकन होल्डिंग लागत और फेस वैल्यू यानि डिस्काउंट आय के अंतर के आधार पर किया जाता है।

4.7 रेपो/रिवर्स रिपो लेन-देन का भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखा – जोखा किया जाता है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.9 सभी निवेशों को वेटेड ऐवरेज प्राइसिंग विधि को अपनाकर धारित किया गया है ।

4.10 सभी निवेश सेटलमेंट तिथि के आधार पर बही में धारित किया जाता है ।

4.11 निवेश पर डिविडेंड आय का हिसाब नकदी आधार पर किया जाता है ।

4.12 तुलन-पत्र में निवेशों को अनर्जक निवेशों के संबंध में धारित नेट ऑफ प्रावधान के आधार पर दर्शाया जाता है।

4.13 भुगतान हेतु परिपक्व निवेशों को "अन्य आस्तियों" के तहत दर्शाया जाता है । अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधान भी उन निवेशों से नेट किया गया है ।

4.14 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नंबर बीपी बीसी. 102/21.04.0489/2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्ष 2018-19 से एक इनवेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) बनाया जाना है ताकि भविष्य में प्रतिफल में वृद्धि के प्रति बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रिज़र्व तैयार किया जा सके।

निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) में स्थानांतरण निम्नरूप में होना चाहिए:

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

बी) वर्ष के लिए निवल लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है ,

जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का 2% न हो जाए।

4.15 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबी) के परिपत्र संख्या: आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 72/21.04.048/2024-25 दिनांकित 29 मार्च, 2025 के अनुसार, सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) के लिए संशोधित मानदंडों के अनुसार, सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियों का लेखांकन निम्नानुसार किया जाएगा:

यदि किसी ऋण को निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर एआरसी को हस्तांतरित किया जाता है और यदि विक्रय प्रतिफल में केवल नकद और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हैं , तो हस्तांतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त प्रावधान को वापस कर दिया जाएगा ।

सरकारी गारंटीकृत एसआर का मूल्यांकन एआरसी द्वारा घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके समय-समय पर किया जाएगा, जो ऐसे टूल्स के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग पर आधारित होगा। हालांकि, ऐसे निवेशों के उचित मूल्यांकन के कारण लाभ-हानि खाते में दर्ज किए गए किसी भी अप्राप्त लाभ को सीईटी 1 पूँजी से घटाया जाएगा, और ऐसे अप्राप्त लाभों में से कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा।

सरकारी गारंटी के अंतिम निपटान या गारंटी अवधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, के बाद बकाया किसी भी एसआरएस का मूल्य एक रुपया (₹1) होगा।

5. अग्रिम

5.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार समय-समय पर ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है । विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान

बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

5.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्रचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाते हैं, जिसके अनुसार संबंधित ऋणों/अग्रिमों खातों प्रावधानीकरण के अतिरिक्त ऋण/अग्रिम की पुनर्संरचना के पूर्व व बाद के उचित मूल्य को घटाया जाता है । उचित मूल्य में कमी और उपरोक्त से उत्पन्न ब्याज में कमी , यदि कोई हो, के प्रावधान को अग्रिमों से घटा दिया जाता है।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक खाते को निष्पादन परिसंपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

6. डेरिवेटिव्स

6.1. ब्याज सहित आस्तियों/देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2. प्रतिरक्षा उद्देश्यों से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों/देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की जाती है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित की गयी है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ति/देयता जो भी पहले हो,पर इसकी पहचान की गयी है। ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति/देयता के साथ नामित किया जाता है जिसे भी बाजार को चिन्हित किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति/देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज किया जाता है।

6.3. उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ-हानि खाते में पहचाना/मान्य किया जाता है। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है । कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

7. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र व उपकरण)

7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है ।

7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

क्रम संख्या	फर्नीचर प्रकार	मूल्यह्रास %
i)	परिसर	2.50%
ii)	फर्नीचर एवं जुड़नार (धातु एवं लकड़ी)	10%
iii)	विद्युत संस्थापना	20%
iv)	वाहन	20%
v)	कम्प्यूटर्स	33.33%
vi)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	33.33%
vii)	अग्निशामक यंत्र एवं परिसंपत्तियाँ जिनका मूल्य रूपये 1000/- अधिक है किन्तु रूपये 5000/- से कम है ।	100%

अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है, और समतुल्य राशि पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में स्थानांतरित की जाती है। पुनर्मूल्यांकित परिसर पर पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास लगाया जाता है, जो ऊपर निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन है।

7.3 वस्तुओं की प्रकृति और उपयोग को ध्यान में रखते हुए फर्नीचर/फिक्स्चर का पूँजीकरण किया जा सकता है।

7.4 संपत्तियों का मूल्यह्रास अधिग्रहण/पुनर्मूल्यांकन की तिथि के बावजूद पूरे वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। (सीधी रेखा विधि के अंतर्गत)

7.5 संपत्तियों का मूल्यह्रास तभी अनुमत है जब संपत्ति खरीद के वर्ष में उपयोग में लाई गई हो।

7.6 यदि किसी एक संपत्ति का मूल्य 1000 रुपये से कम या उसके बराबर है, तो बैंक संपत्ति का पूँजीकरण नहीं करेगा और संपत्ति को राजस्व व्यय मानेगा। अतः, इस स्थिति में, संपत्ति पूँजीकरण के लिए पात्र नहीं होगी।

7.7 यदि किसी एक परिसंपत्ति का मूल्य 1000 रुपये से अधिक लेकिन 5000 रुपये से कम है, तो वह पूँजीकरण के लिए पात्र होगी। हालांकि, वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्ति के मूल्य के 100% तक मूल्यह्रास लागू होगा। इसके बाद, इसे बही-खातों में 1 रुपये के रूप में दर्ज किया जाएगा।

7.8 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।

7.9 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुकतान किया गया है।

7.10 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून पद्धति के अनुसार प्रावधान किया गया है।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

8.1 भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन पद्धति के अंशदान के लिए लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है ।

8.2 उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है। सेवानिवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर सीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

8.3 विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

9. आय पर कर:

बैंक द्वारा आयकर व्यय मौजूदा कर व आस्थगित कर व्यय की कुल राशि अदा की गई है । मौजूदा कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण, विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए कर , जो कि संबंधित न्यायाधिकार क्षेत्र के कर नियमों पर आधारित होता है , को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम 1961 व " आय पर करों के लेखांकन" से संबंधित लेखांकन मानक 22 के तहत किया जाता है। आस्थगित कर समायोजन में आस्तिगत कर आस्ति या देयता में वर्ष के दौरान होने वाले बदलाव शामिल हैं। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की गणना वर्तमान वर्ष में कर योग्य आय एवं लेखांकन आय के बीच समयांतर के प्रभाव और अगले लाभ से घाटा-पूर्ति को विचार में लेकर की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिन्हें तुलन-पत्र की तारीख में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान की जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनका पुनर्मूल्यांकन, प्रबंधन के निर्णय के आधार पर कि उनकी वसूली यथोचित रूप से निश्चित मानी जाए या नहीं। आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य में होने वाले लाभ से कर घाटा-पूर्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब आभासी निश्चितता के साथ इस बात का पुख्ता सबूत हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के प्रति वसूल किया जा सकता है।

10. प्रति शेयर अर्जन

सनदी लेखाकंन संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 ''(प्रति शेयर अर्जन)'' के अनुसार बैंक प्रति इक्विटी शेयर के आधार पर मूल और डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट करता है। मूल प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है। डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर संभाव्य घटाव को दर्शाता है जो वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण हो सकता है। प्रति ईक्विटी शेयर डाइल्यूटेड आय का परिकलन भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटिव पोटेंशियल ईक्विटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है, सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं।

11. आस्तियों की क्षति

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को यह निर्धारित करता है कि क्या किसी आस्ति में घाटा होने का संकेत है। यदि कोई घाटा हो तो, उसे लाभ एवं हानि खाते में अनुमानित वसूली योग्य रकम से अधिक आस्ति रकम तक दर्शाया गया है।

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग

आरबीआई के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यापार खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीय रिपोर्टिंग खंड के रूप में चिन्हित करता है ।

13. प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए लेखांकन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी "प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों" के अनुसरण में बैंक, प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो, ये भी संभवना है कि जब बाध्यताओं की राशि के लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके तब बाध्यताओं को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह हो सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेन-देनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रकम का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में आकस्मिक आस्ति, यदि कोई हो तो उसे मान्यता नहीं दी गयी है या उसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

अनुसूची 18
समेकित वितीय विवरण के खातों पर नोट्स:

I. भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण:

1. नियामक पूँजी

क) नियामक पूँजी की सरंचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2025-26	2024-25*
i)	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूँजी (सीईटी 1) ((कटौतियों के बाद, यदि कोई हो))	33,524.49	27,897.09
ii)	अतिरिक्त टीयर 1 पूँजी	0.00	0.00
iii)	टीयर 1 पूँजी (i + ii)	33,524.49	27,897.09
iv)	टीयर 2 पूँजी	5,619.49	4,408.95
v)	कुल पूँजी (टीयर 1+टीयर 2)	39,143.98	32,306.04
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	1,97,931.60	1,69,666.65
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	16.94%	16.44%
viii)	टीयर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूँजी)	16.94%	16.44%
ix)	टीयर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूँजी)	2.84%	2.60%
x)	पूँजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूँजी)	19.78%	19.04%
xi)	लीवरेज अनुपात	6.60%	6.64%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	92.44%	94.61%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूँजी की राशि	शून्य	354.18
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टीयर 1 पूँजी की राशि	शून्य	शून्य
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टीयर 2 पूँजी की राशि (बेसल III अनुपालक टीयर II बॉण्ड)	1,000.00	शून्य

(*) आरबीआई आई.एस.ई. 2025 के निरीक्षण के दौरान पाए गए विचलनों को ध्यान में रखते हुए सीईटी 1 और लीवरेज अनुपात को पुन: परिकलित किया गया है।

ख) पूँजी और आरिक्षतियाँ :

- वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने न तो कोई इक्विटी पूँजी जुटाई है और न ही बेसल III के अनुरूप कोई अतिरिक्त टीयर 1 बॉण्ड जारी किए हैं।

- 31 मार्च 2026 तक बैंक की चुकता पूँजी ₹ 19,256.59 करोड़ है। 31 मार्च 2026 तक भारत सरकार की शेयरधारिता 92.44% है।

- वितीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने निजी नियोजन के आधार पर पात्र संस्थागत खरीददारों(क्युआईबी) द्वारा अभिदान किए गए कुल 1,000 करोड़ रुपये के बेसल III टीयर II बॉण्ड (श्रृंखला VI) जारी किए हैं।

ग) 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा निम्नलिखित बॉण्ड जारी किए हैं:

विवरण	जारी होने की तारीख	अवधि	कूपन दर (%)	राशि (करोड़ में)	परिपक्वता तिथि
बेसल III टीयर II बॉण्ड (श्रृंखला VI) (आईएनई565ए08068)	23.01.2026	10 वर्ष	7.80	1,000.00	23.01.2036

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने किसी भी बॉण्ड का मोचन नहीं किया है।

घ) आरक्षितियों से आहरित

वितीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरक्षितियों से आहरित राशि शून्य है।

2. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

2.1 लेखांकन मानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

वितीय विवरणी को उन्हीं लेखांकन नीतियों व पॉलिसियों के आधार पर तैयार किया गया है जिनका पालन 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया था।

2.2 लेखांकन मानक 9 – राजस्व चिन्हित

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी – अनुसूची 17 में मद सं. 2 में वर्णितानुसार राजस्व चिन्हित किया गया है।

2.3 लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ (मूल बैंक)

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "कर्मचारियों के लाभ" संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है।

1. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि, जैसे कि चिकित्सा लाभ, जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने की अपेक्षा की जाती है, उस अवधि हेतु ही मान्य होती है जब कर्मचारी सेवारत होता है।

2. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और दीर्घकालीन लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है;

परिभाषित लाभ योजनाएँ

(क) देय दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन(निधिक)		ग्रैच्युटी(निधिक)	
	2026	2025	2026	2025
वर्ष के आरंभ में देय दायित्वों का वर्तमान मूल्य	14,355.12	13,465.63	1,647.18	1,494.38
जोड़ें: अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ें: ब्याज लागत	988.82	857.34	107.19	104.53
जोड़ें: पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	332.92	314.79	71.75	95.59
घटाएं: लाभ का भुगतान किया गया	(1,319.01)	(1,262.45)	(89.84)	(97.27)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	823.92	979.81	64.50	49.95
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,181.77	14,355.12	1,800.78	1,647.18

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)	
	2026	2025	2026	2025
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	14,355.12	13,465.63	1,647.18	1,494.38
जोड़ें: अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ें: योजना परिसंपतियों पर आपेक्षित रिटर्न	1,019.51	1,003.10	124.22	108.34
जोड़ें: नियोक्ता का योगदान	1,014.53	1,080.15	108.00	105.37
जोड़ें: भुगतान किया गया लाभ	(1,319.01)	(1,262.45)	(89.84)	(97.27)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	111.62	68.69	11.22	36.36
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,181.77	14,355.12	1,800.78	1,647.18
गैर निधिपोषित परिवर्तनीय देयता	0.00	0.00	0.00	0.00

ग) तुलन पत्र में चिन्हित रकम:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)	
	2026	2025	2026	2025
i) वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	15,181.77	14,355.12	1,800.78	1,647.18
ii) वर्ष के अंत में योजना परिसंपतियों का उचित मूल्य	15,181.77	14,355.12	1,800.78	1,647.18
iii) अंतर	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) तुलन पत्र में चिन्हित प्राप्त गैर निधि पोषित निवल देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
v) तुलन पत्र में चिन्हित निधि पोषित निवल आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

(घ) लाभ व हानि में चिन्हित व्यय:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)	
	2026	2025	2026	2025
i) वर्तमान सेवा लागत	332.92	314.79	71.75	95.59
ii) पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) ब्याज लागत	988.82	857.34	107.19	104.53
iv) योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(1,019.51)	(1,003.10)	(124.22)	(108.34)
v) वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	712.30	911.12	53.28	13.59
vi) वर्ष के दौरान चिन्हित संक्रमणकालीन दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ या हानि में चिन्हित खर्च (i+ii+iii+iv+v+vi)	**1,014.53**	**1,080.15**	**108.00**	**105.37**

(ड़) पेंशन व ग्रैच्युटी ट्रस्ट द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता:

(% में आंकड़ें)

विवरण	पेंशन ट्रस्ट		ग्रेच्युटी ट्रस्ट	
	2026	2025	2026	2025
क) ऋण लिखतें/केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	3.27	3.40	7.86	8.53
ख) राज्य सरकारें प्रतिभूतियाँ	5.95	4.70	10.50	9.25
ग) पीएसयू/पीएफआई/कॉरपोरेट बॉण्डस में निवेश	6.53	6.27	11.26	11.13
ड़) इक्विटी लिखतें	0.86	0.89	1.35	2.06
च) अन्य निवेश	83.39	84.74	69.03	69.03
कुल	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

(च) तुलन पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त):

(% में आंकड़ें)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)	
	2026	2025	2026	2025
बट्टा दर	7.22%	6.68%	7.33%	6.69%
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
पलायन दर	1.00%	1.00%	3.00%	3.00%
पेंशन वृद्धि	4.00%	4.00%	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	7.50%	7.50%	7.50%	7.23%
मोर्टेलिटी	2012-14 संशोधित अंतिम	2012-14 संशोधित अंतिम	2012-14 अंतिम	2012-14 अंतिम
अपनायी गई प्रक्रिया	अनुमानित इकाई क्रेडिट		अनुमानित इकाई क्रेडिट	

(छ) पेंशन हेतु 5 वर्षों का प्रकटीकरण

i) योजना में अधिशेष/घाटा

(राशि ₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में चिन्हित राशि		31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2026 तक
i.	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	10,703.91	11,569.76	13,465.63	14,355.12	15,181.77
ii.	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	10,363.23	11,314.25	13,465.63	14,355.12	15,181.77
iii.	अंतर (ii-i)	(340.68)	(255.51)	0.00	0.00	0.00
iv.	गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	गैर चिन्हित अपरिवर्तनीय दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi.	तुलन पत्र में चिन्हित राशि (iii-iv-v)	(340.68)	(255.51)	0.00	0.00	0.00

ज) ग्रेच्युटी हेतु पांच वर्ष का प्रकटीकरण

i) योजना में अधिशेष/घाटा

(राशि ₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में चिन्हित राशि		31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2026 तक
i.	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1,200.55	1,302.17	1,494.38	1,647.18	1,800.78
ii.	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,225.20	1,326.82	1,494.38	1,647.18	1,800.78
iii.	अंतर (ii-i)	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00
iv.	गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	गैर चिन्हित अपरिवर्तनीय दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi.	तुलन पत्र में चिन्हित राशि (iii-iv-v)	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00

(झ) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है:

बट्टा दर: मूल्यांकन की तिथि (दिनांक 31.03.2026 की तुलन-पत्र) पर सरकारी बांड पर बाजार प्रतिफल के संदर्भ में बट्टा दर का चयन किया गया है।

प्रत्याशित प्रतिफल दर: परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल की समग्र दर उस तिथि को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित की गई है, जो उस अवधि पर लागू है, जिस पर दायित्व का निपटान किया जाना है।

अगले वितीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाली ग्रैच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन 64.80 करोड़ है।

II) परिभाषित अंशदान योजना:

बैंक के पास एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जो 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होती है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने 201.59 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 186.95 करोड़ रुपये) का योगदान दिया है।

III) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (बिना वितपोषित दायित्व के):

सेवानिवृत अवकाश नकदीकरण लाभ

क) देयताओं के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का समाधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2026	**2025**
वर्ष की शुरूआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	869.28	752.15
जोड़ें: ब्याज लागत	56.27	52.28
जोड़ें: पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
जोड़ें: पूर्व सेवा लागत	0.00	16.17
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	87.89	85.80
घटाएं: भुगतान किए गए लाभ	(56.43)	(58.17)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	(66.55)	21.05
परिभाषित लाभ दायित्व को समाप्त करना	**890.46**	**869.28**

ख) लाभ व हानि खाते में चिन्हित राशि

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2026	**2025**
i) वर्तमान सेवा लागत	87.89	85.80
ii) पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
iii) पूर्व सेवा लागत	0.00	16.17
iv) ब्याज लागत	56.27	52.28
v) योजना परिसंपति पर अपेक्षित रिटर्न	0.00	0.00
vi) वर्ष में चिन्हित प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(66.55)	21.05
लाभ व हानि चिन्हित खर्च	**77.61**	**175.30**

ग) तुलन पत्र में चिन्हित प्रारंभिक और समापन देयता/(आस्तियों) का समाधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2026	2025
i) प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	869.28	752.15
ii) निवल अधिग्रहण लागत	0.00	0.00
iii) लाभ व हानि में चिन्हित खर्च	77.61	175.30
iv) भुगतान किए गए लाभ	(56.43)	(58.17)
v) तुलन पत्र में चिन्हित निवल देयता	895.04	873.87
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	(66.55)	21.05
शेष परिभाषित लाभ दायित्व	**890.46**	**869.28**

घ) प्रमुख बीमांकिक मान्यताएँ (भारित औसत के रूप में व्यक्त)

(% में आंकड़ें)

विवरण	नकदीकरण(गैर-निधिपोषित)	
	2026	2025
बट्टा दर	7.33%	6.69%
वेतन वृद्धि का आपेक्षित दर	5.00%	5.00%
पलायन दर	3.00%	3.00%
मॉर्टेलिटी	2012-14 अंतिम	2012-14 अंतिम
अपनायी गई प्रक्रिया	अनुमानित इकाई क्रेडिट	

बीमांकिक मूल्यांकन में विचार करने हेतु भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान,योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न, मुद्रास्फीति,वरिष्ठता,पदोन्नति और कर्मचारी बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता हैं। ऐसे अनुमान बहुत दीर्घकालिक होते हैं और पूर्व के सीमित अनुभव/तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं होते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। उक्त अनुमानों और धारणाओं पर लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में, कर्मचारी लाभ योजनाओं के संबंध में, यदि आवश्यक हो तो, जानकारी के अभाव में प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

2.2 लेखांकन मानक 17 – समेकित वितीय विवरणों पर सेगमेंट रिपोर्टिंग

सेगमेंट पहचान

क) प्राथमिक (कारोबार सेगमेंट) – बैंक के प्राइमरी सेगमेंट निम्नलिखित है।

आरबीआई के दिशा-निर्देशों और लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन में, बैंक ने ट्रेज़री परिचालन,कॉरपोरेट/थोक परिचालन,खुदरा परिचालन और अन्य बैंकिंग परिचालन को प्राथमिक कारोबार सेगमेंट्स में वर्गीकृत किया गया है। घरेलु एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालन को आईसीएआई द्वारा जारी एएस-17 (सेगमेंट रिपोर्टिंग) के उद्देश्य से द्वितीयक/भौगोलिक सेगमेंट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

1. ट्रेज़री: ट्रेज़री सेगमेंट में संपूर्ण निवेश पॉर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों एवं डेरिवेटिव अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेज़री सेगमेंट के राजस्व में मुख्य रूप से कारोबार परिचालन से प्राप्त शुल्क,लाभ या हानि और निवेश पॉर्टफोलियो पर ब्याज आय शामिल है।

2. कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग: आरबीआई के दिशानिर्देश आरबीआई/2020-21/53, डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 दिनांकित 12 अक्तुबर 2020 के अनुसार, कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग सेगमेंट में उन उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियाँ शामिल है जिनकी ऋण सीमा ₹7.50 करोड़ या उससे अधिक है।

3. खुदरा बैंकिंग: आरबीआई परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2025-26/167.डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.86/21.04.018/2025-26 दिनांकित 28 नवंबर 2025 के अनुपालन में, खुदरा बैंकिंग में वे ऋण शामिल होंगे जो अभिविन्यास,उत्पाद,ग्रैनुलेरिटी और कम मूल्य के मानदंडों को पूरा करते हैं। वैयक्तिक आवास ऋण भी एएस-17 के तहत रिपोर्टिंग के उद्देश्य से खुदरा बैंकिंग सेगमेंट का हिस्सा होंगे।

4. डिजिटल बैंकिंग: एएस-17 के तहत, बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट को रिटेल बैंकिंग सेगमेंट के एक सब-सेगमेंट के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

5. अन्य बैंकिंग परिचालन: वे सेगमेंट जो ऊपर (i) से (iv) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है, उन्हें इस प्राथमिक सेगमेंट के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ख) द्वितीयक (भौगोलिक सेगमेंट्स)

देशीय परिचालन: वे शाखाएं/कार्यालय जिनका परिचालन भारत में है।

विदेशी परिचालन: वे शाखाएं/कार्यालय जिनका परिचालन भारत के बाहर है और भारत में परिचालन करने वाली ऑफशोर बैंकिंग इकाइयां है।

ग) आबंटन का आधार

1. सेगमेंट परिसंपत्तियों और देनदारियों को संबंधित सेगमेंट परिसंपतियों के आधार पर विभाजित किया गया है, जहाँ प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है।

2. सेगमेंट-वार आय और व्यय सीधे जो आबंटन के योग्य नहीं है, उन्हें प्रबंधन द्वारा उचित समझे गए अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट्स में आबंटित किया गया है।

भाग ए: कारोबार सेगमेंट

(₹ करोड़ में)

कारोबार सेगमेंट	ट्रेज़री		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग						अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
					डिजिटल बैंकिंग		अन्य खुदरा बैंकिंग		कुल खुदरा बैंकिंग					
विवरण	**2025-2026**	**2024-2025**	**2025-2026**	**2024-2025**	**2025-2026**	**2024-2025**	**2025-2026**	**2024-2025**	**2025-2026**	**2024-2025**	**2025-2026**	**2024-2025**	**2025-2026**	**2024-2025**
राजस्व	9,096.13	7,991.43	11,036.61	10,067.48	0.49	0.22	16,846.75	14,313.65	16,847.24	14,313.87	613.95	640.60	37,593.93	33,013.38
परिणाम	1,951.63	824.77	3,948.77	1,751.89	(-1.15)	(-1.64)	3,895.82	5,100.78	3,894.67	5,099.14	305.08	337.55	10,100.15	8,013.35
अनाबंटित आय													148.66	736.93
अनाबंटित व्यय													136.41	736.22
परिचालन लाभ/हानि													10,236.56	8,749.57
आय कर													1,059.99	1,177.01
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं													3,758.11	4,177.05
असाधारण लाभ/हानि													-	-
निवल लाभ													5,418.47	3,395.51
खंडवार परिसंपत्तियाँ	1,29,740.04	1,19,712.60	1,22,117.97	1,12,929.51	0.88	1.05	2,16,220.80	1,55,808.16	2,16,221.68	1,55,809.21	131.61	74.23	4,68,211.30	3,88,525.55
अनाबंटित परिसंपत्तियाँ													4,583.90	6,182.41
कुल संपत्ति													**4,72,795.20**	**3,94,707.96**
खंडवार देयताएं	1,10,733.80	1,06,524.86	1,17,007.36	1,07,128.51	0.88	1.05	2,07,584.70	1,48,219.43	2,07,585.58	1,48,220.48	392.89	530.34	4,35,719.65	3,62,404.19
अनाबंटित देयताएं													84.88	70.43
कुल देनदारियों													**4,35,804.53**	**3,62,474.62**

2.5 लेखांकन मानक 18 – संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

क) संबंधित पक्षों का नाम और बैंक के साथ उनका संबंध:

1) सहायक कंपनियां – लागू नहीं
2) एसोसिएट्स – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: ओडिशा ग्रामीण बैंक
3) एसोसिएट्स – अन्य – एसीईआर क्रेडिट रेटिंग प्रा.लि.
4) संयुक्त उद्यम: इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद लिमिटेड (19.12.2025 तक)
5) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:
   (i) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी
   (ii) श्री जयदीप दत्ता रॉय, कार्यपालक निदेशक
   (iii) श्री धनराज टी, कार्यपालक निदेशक
   (iv) श्री माधव चंद्र झा, मुख्य वित्तीय अधिकारी
   (v) श्री रघुराम मल्लेला, कंपनी सचिव

ख) वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए वेतन और कार्य निष्पादन प्रोत्साहन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

पूर्णकालिक निदेशक का नाम*	पारिश्रमिक राशि* (2025-26)	पारिश्रमिक राशि* (2024-25)
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (एमडी व सीईओ)	66,55,812.00	64,40,736.00
श्री जयदीप दत्ता रॉय (ईडी)	58,18,092.00	41,25,174.07
श्री धनराज टी (ईडी)	74,15,522.72	39,21,601.34
सुश्री एस.श्रीमती (ईडी, 09.03.2024 को सेवा समापन)	--	19,78,160.00
श्री संजय विनायक मुदालियर (ईडी, 30.01.2024 को सेवा समापन)	--	15,32,160.00

*पारिश्रमिक में वेतन और भत्ते, वेतन का बकाया, प्रदर्शन प्रोत्साहन, अवकाश नकदीकरण का बकाया और ग्रेच्युटी का बकाया शामिल है।

*संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के लिए खातों के नोट्स पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक होते हैं।

ग) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन (प्रबंधन द्वारा संकलित):

(₹ करोड़ में)

मदें/संबंधित पार्टी	जनक (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक कंपनियां	एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधन कार्मिक		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		कुल	
			वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम
उधार	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.54
जमा	लागू नहीं	लागू नहीं	979.97	3,239.64	3.78	4.00	2.52	3.28	986.27	3,246.92
जमा राशियों का स्थानन	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अग्रिम	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गैर वितपोषित प्रतिबद्धताएँ	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था प्रदान की गई	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल संपतियों की खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
अचल संपतियों की बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
ब्याज का भुगतान किया	लागू नहीं	लागू नहीं	6.21		0.04		0.00		6.25	
प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	101.42		0.20		0.14		101.76	
सेवाएं प्रदान करना	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
सेवाएं प्रदान करना	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
प्रबंधन अनुबंध	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	

लेखांकन मानक (एएस-18) के पैरा 9 के अनुसार, उन संबंधित पक्षों के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो "राज्य-नियंत्रित उद्यम" है। इसके अतिरिक्त, एएस-18 के पैरा 5 के संदर्भ में, बैंकर-ग्राहक संबंधों की प्रकृति वाले लेन-देन का खुलासा नहीं किया गया है, जिनमें मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके रिश्तेदारों के साथ हुए लेन-देन शामिल है।

वर्ष के दौरान रिपोर्ट करने योग्य कोई भी सांयतापूर्ण संबंधित लेन-देन नहीं हुआ है।

(राशि ₹ करोड़ में)

2.6 लेखांकन मानक 20 – प्रति शेयर आय

विवरण	2025-2026	2024-2025
इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर पश्चात उपलब्ध निवल लाभ (₹ करोड़ में)	5,208.03	3,334.71
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	1925,65,89,795	1899,09,56,640
मूल तथा कम किये हुए प्रति शेयर आय (₹ में)	2.70	1.76
प्रति इक्विटी शेयर सामान्य मूल्य (₹ में)	10	10

2.7 लेखांकन मानक (एएस 21) "समेकित वितीय विवरणों के लिए लेखांकन"

समेकित वितीय परिणाम, कंपनी नियमावली 2021, यथासंशोधित के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक 21 "समेकित वितीय परिणामों के लिए लेखांकन", लेखांकन मानक 23 "सहयोगी कंपनियों में निवेश के लिए लेखांकन" और लेखांकन मानक 27 "संयुक्त उद्यमों में हितों की वितीय रिपोर्टिंग" तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किए हैं।

समेकित वितीय परिणामों में इण्डियन ओवरसीज बैंक और बैंक के निम्नलिखित अनुषंगी और संयुक्त उद्यमके वितीय परिणाम शामिल है।

कंपनी का नाम	निवेश का प्रकार	निगमन का देश	होल्डिंग का प्रतिशत	स्टेटस
ओडिशा ग्रामीण बैंक	एसोसिएट	भारत	35%	लेखापरीक्षित
(एसीईआर) क्रेडिट रेटिंग प्रा.लि.	एसोसिएट	भारत	26%	लेखापरीक्षित

2.8 लेखांकन मानक 22: आय पर करों का लेखांकन

वर्ष के दौरान आयकर के लिए किया गया प्रावधान:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
आयकर के लिए प्रावधान	9.85	17.01
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	1,050.14	1,160.00
निवल प्रावधान	**1,059.99**	**1,177.01**

चालू वितीय वर्ष के दौरान, बैंक ने निम्न कर दर व्यवस्था (नई कर व्यवस्था) यानि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के तहत अनुमत: 25.168% को चुनने के विकल्प का प्रयोग किया गया है, जो कि 34.944% की मौजूदा पुरानी कर दर व्यवस्था के विपरित है। तदनुसार आस्थगित कर व्यय शामिल है।

वर्ष के लिए ₹1059.99 करोड़ के कर व्यय में ₹9.85 करोड़ का चालू कर व्यय और ₹1050.14 करोड़ का आस्थगित कर व्यय शामिल है।

अग्रिम में भुगतान किया गया कर (प्रावधानों को घटाकर), उन राशियों के कारण है जिनका आकलन लंबित है/जो अपील के अधीन है/या विवाद के तहत भुगतान किया गया कर है।[अनुसूची 11(iii) देखें]

आस्थगित कर:

बैंक के पास 31 मार्च 2026 तक कुल ₹ 2,780.97 करोड़ का निवल आस्थगित कर का अग्रगामी शेष है, जैसे पिछली अवधियों में चिन्हित किए गए थे। बैंक ने 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए ₹1,050.14 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्ति को वापस ले लिया है।

डीटीए और डीटीएल के मुख्य घटक नीचे दिए गए हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026		31.03.2025	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	226.69	0.00	286.86	0.00
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	41.28	0.00	58.51	0.00
अन्य परिसंपतियों के लिए प्रावधान	101.70	0.00	146.23	0.00
पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान	23.51	0.00	57.43	0.00
सेवानिवृत भुगतान हेतु आरक्षित राशि	0.78	0.00	0.96	0.00
एनपीए के लिए प्रावधान	422.82	0.00	1,197.33	0.00
विदेशी मुद्रा ट्रांसलेसन रिज़र्व	325.09	0.00	390.74	0.00
अन्य	1,639.10	0.00	1,725.92	0.00
कुल	**2,780.97**	**0.00**	**3,863.98**	**0.00**
नेट डीटीए	2,780.97	0.00	3,863.98	0.00

बैंक की भारत के बाहर सिंगापुर,हांगकांग,कोलंबो और बैंकॉक में शाखाएं/कार्यालय हैं। पिलर टू कानून सभी देशों में लागू या मूल रूप से अधिनियमित हो चुका है, लेकिन श्रीलंका(कोलंबो शाखा के लिए) में अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है। वितीय वर्ष 2025-26 के लिए, इन विदेशी शाखाओं ने पिलर टू कानून के तहत किसी भी कर का भुगतान नहीं किया है। बैंक का मानना है कि चूंकि पिलर टू मानदंड के तहत कोई टॉप-अप टैक्स देनदारी नहीं है, इसलिए बैंक के लाभ का कोई भी हिस्सा पिलर टू आय के अधीन नहीं है।

विवादित कर

अपीलीय अधिकारियों के निर्णयों, कुछ न्यायिक घोषणाओं और कर विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए, आयकर की ₹4,631.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4,061.56 करोड़) की कुल विवादित और अन्य मांगों, ₹273.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹256.24 करोड़) के सेवा कर और ₹1,613.47 करोड़ (पिछले वर्ष 1,615.29 करोड़) के वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कोई भी प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

2.9 लेखांकन मानक 23 (एएस 23) "एसोसिएट्स में निवेश का लेखांकन"

ओडिशा ग्रामीण बैंक में किए गए निवेश के संबंध में, जिसे एएस 23(एसोसिएट्स में निवश का लेखांकन) के अनुसार इक्विटी पद्धति के तहत लेखांकित किया गया है, इक्विटी शेयरों में निवेश ₹1,195.98 करोड़ की वहनीय राशि को आइओबी की ₹671.50 करोड़ की निवल संपति के हिस्से के विरुद्ध समायोजित किया गया है। समेकन के दौरान मूल्य में आई गिरावट को दर्ज करने के लिए ₹524.48 करोड़ के शेष को आरक्षित और अधिशेष के विरुद्ध समायोजित किया गया है।

वर्ष के दौरान एसीएआर क्रेडिट रेटिंग प्रा.लि. में किए गए निवेश को भी इक्विटी पद्धति के तहत लेखांकित किया गया है। इसमें ₹6.50 करोड़ की वहनीय राशि को आइओबी के ₹6.32 करोड़ की निवल संपत्ति के हिस्से के विरुद्ध समायोजित किया गया है और मूल्य में वृद्धि को पहचानने के लिए ₹0.18 करोड़ के अंकेक्षित शेष को आरक्षित और अधिशेष के विरुद्ध समायोजित किया गया है।

मैसर्स इंडिया इंटरनेशनल बैंक(मलेशिया),बरहाद(आईआईबीएम), बैंक का एक संयुक्त उद्यम था और वर्तमान में यह सदस्यों के मैम्बरस

वोलेंटरी लिक्विडेशन प्रक्रिया के अधीन है। बैंक को वर्ष के दौरान पूँजी वितरण/प्रत्यावर्तन के रूप में युएसडी 25,717,298.33 (230.88 करोड़ के बराबर) प्राप्त हुए, जो कि ₹199.58 करोड़ के मूल निवेश के विरुद्ध रखे गए ₹6.13 करोड़ के प्रावधान को वापस ले लिया गया है। अब आईआईबीएम बैंक का संयुक्त उद्यम नहीं रहा। बैंक की युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 18.06% की हिस्सेदारी है। चुंकि कंपनी में शेयरधारिता 25% से कम है, इसलिए मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वितीय परिणाम तैयार करने के लिए इसे संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना गया है।

2.10 एएस 24 – परिचालन बंद करना

बैंक का इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया), बरहाद(आईआईबीएम) में 35% प्रतिशत निवेश था, जिसमें प्रत्येक 10 एमवाईआर मूल्य के 1,15,50,000 शेयर थे, जिनका कुल मूल्य ₹199.58 करोड़ था, जो वर्तमान में वोलेंटरी वाइंडिंग अप की प्रक्रिया मे है। 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान, बैंक को अंतरिम पूँजी वितरण/प्रत्यावर्तन के रूप में युएसडी 25,717,298.33 (₹230.88 करोड़ के बराबर) प्राप्त हुई (जो कि बैंक का 35% निवेश था)। इस राशि को ₹199.58 करोड़ को मूल निवेश के विरुद्ध विनियोजित किया गया है और तदनुसार, 31.03.2026 तक, आईआईबीएम में निवेश का पूरा बही मूल्य वसूल कर लिया गया है। अत: आईआईबीएमबी अब बैंक की बहियों में संयुक्त उद्यम नहीं रहा।

2.11 लेखांकन मानक 26 – अमूर्त संपत्ति

कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और 3 साल की अवधि तक परिशोधित किया जाता है ।

2.12 लेखांकन मानक 27 – संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की वितीय रिपोर्टिंग

इंडिया इंटरनेशनल बैंक(मलेशिया) बरहद (आईआईबीएम), बैंक का एक संयुक्त उद्यम था और मैम्बरस वोलेंटरी लिक्विडेशन के अधीन था। इस वर्ष के दौरान, बैंक को अंतरिम पूँजी वितरण/प्रत्यावर्तन के रूप में युएसडी 25,717,298.33 (₹230.88 करोड़ के बराबर) प्राप्त हुई (जो कि बैंक का 35% निवेश था)। इस राशि को ₹199.58 करोड़ को मूल निवेश के विरुद्ध विनियोजित किया गया है और तदनुसार, 31.03.2026 तक, आईआईबीएमबी में निवेश का पूरा बही मूल्य वसूल कर लिया गया है। अत: आईआईबीएमबी अब बैंक की बहियों में संयुक्त उद्यम नहीं रहा।

बैंक की यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 18.06% की हिस्सेदारी है। चुंकि कंपनी की शेयरधारिता 25% से कम है, इसलिए वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वितीय परिणाम तैयार करने के लिए इसे संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना गया है।

2.13 लेखांकन मानक 29 – आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान:

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के प्रति दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में विभिन्न कार्यवाहियों के लिए बैंक एक पक्षकार है। बैंक को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम से बैंक की वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणाम या नकदी प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। बैंक उन विभिन्न कराधान मामलों में भी एक पक्षकार है जिनके संबंध में अपीलें लंबित हैं।
2	आंशिक प्रदत्त निवेशों/वेंचर फंड्स पर देयताएं	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता के प्रति भुगतान न की गई शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं। बैंक के पास सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेसन लिमिटेड के 11055 इक्विटी शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹1000 प्रति शेयर है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अंकित मूल्य ₹1,10,55,000.00 बही मूल्य ₹ 98,95,000.00 आज तक, कंपनी ने ₹11,60,000.00 की शेष पूँजी नहीं मांगी है। इसलिए कंपनी की ₹11,60,000.00 की इस न मांगी गई पूँजी की राशि को बैंक द्वारा आकस्मिक देयता माना गया है और इसे आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेश के लिए देयता के मद के तहत लेखांकित किया गया है।

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
3	फॉर्वर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बकाया की वजह से देयता	बैंक भविष्य की तारीख में एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर मुद्राओं का लेनदेन करने के लिए व्यापार के अपने सामान्य प्रक्रिया में विदेशी एक्सचेंजों में शामिल होता है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट अनुबंधित दर पर भविष्य की तारीख में विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है। काल्पनिक राशियों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन के संबंध में, बैंक आम तौर पर इंटरबैंक बाजार में लेन-देन बंद कर देता है। इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया लेन-देन उत्पन्न होते हैं, और इसलिए पोर्टफोलियो के सकल काल्पनिक मूलधन का एक बड़ा मूल्य होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है।
4	इकाइयों की ओर से दी गई गारंटियां, स्वी का रो क्ति यां , बेचान एवं अन्य दायित्व	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में, बैंक अपने ग्राहक की ओर से दस्तावेजी क्रेडिट और गारंटी जारी करता है। दस्तावेजी ऋण बैंक के ग्राहकों की साख को बढ़ाते हैं। गारंटियां आम तौर पर अपरिवर्तनीय आश्वासन का प्रतिनिधित्व करती हैं कि ग्राहक अपने वित्तीय या प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करने में विफल होने की स्थिति में बैंक भुगतान करेगा।
5	अन्य मद जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	बैंक अपने स्वयं के खाते में और ग्राहकों के लिए अंतर बैंक प्रतिभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, अग्रेषण दर समझौते, मुद्रा स्वैप और ब्याज दर स्वैप में व्यवस्था करते हैं। करेंसी स्वैप निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा में दूसरी मुद्रा के मुकाबले ब्याज/मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह का आदान-प्रदान करने की प्रतिबद्धता है। ब्याज दर स्वैप फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दर कैश फ्लो के आदान-प्रदान की प्रतिबद्धता है। आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज की जाने वाली कल्पित राशियाँ, आमतौर पर अनुबंधों के ब्याज घटक की गणना के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग की जाने वाली राशियाँ हैं। इसके अलावा, इनमें उन अनुबंधों की अनुमानित राशि जिन्हें पूँजी खाते पर निष्पादित किया जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, सहयोगियों और सहायक कंपनियों की ओर से बैंक द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कंफर्ट, जमाकर्ताओं की शिक्षा और जागरूकता निधि के तहत बैंक देयता और अन्य विविध दल देनदारियों भी शामिल है।

अतिरिक्त प्रकटीकरण

1. 31.03.2026 तक ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई जमाराशियों के लिए ग्रहणाधिकार चिह्नित जमाराशि ₹16,603.93 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 5,439.48 करोड़) ऋण, एलजी, एलसी और सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई कुर्क के प्रति है ।

2. अंतर शाखा समाधान/आंतरिक कार्यालय खाते

शाखाओं और/या केंद्रीय कार्यालय के विभागों में अंतर शाखा लेन-देन और आंतरिक/कार्यालय खातों का समाधान विभिन्न चरणों में किया जा रहा है । बकाया प्रविष्टियों को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । यदि कोई आवश्यक लेखांकन समायोजन आवश्यक है तो ऐसी प्रक्रिया पूरी होने पर किया जाएगा। हालाँ कि प्रबंधन लंबित समाधान और बकाया प्रविष्टियों के उन्मूलन के किसी भी भौतिक परिणामी प्रभाव की उम्मीद नहीं करता है।

3. चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने बैंकॉक शाखा के संबंध में न्यूनतम 12% सीआरएआर बनाए रखने और प्रतिधारित आय को पूँजी निधि में परिवर्तित करने और/या सीआरएआर को न्यूनतम 12% पर बहाल करने के लिए आगे पूँजी डालने की व्यवस्था करने के लिए एक लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन के अधीन है। 31 मार्च, 2026 तक बैंकॉक शाखा की निर्धारित पूँजी टीएचबी 2,20,00,00,000 (23%) है ।

सबसे खराब स्थिति में शाखा का पूरा टेक्सटाइल एक्सपोज़र एनपीए बन सकता है। हमें मानक टेक्सटाइल अग्रिमों के असुरक्षित हिस्से के रूप में टीएचबी 1.644 एमआइओ की सीमा तक अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ सकता है। यदि यह आकस्मिकता उत्पन्न होती है, तो कोई अतिरिक्त पूँजी विप्रेषित नहीं की जाएगी क्योंकि मौजूदा रिज़र्व असुरक्षित राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक ने बैंक नेगारा मलेशिया के पक्ष में एक लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया है। बैंक अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों के साथ मिलकर इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद को वित्तपोषण, व्यवसाय और अन्य मामलों में आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि यह अपने व्यावसायिक संचालन और प्रबंधन के संचालन में मलेशियाई कानूनों, विनियमों और नीतियों की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। बैंक नेगारा मलेशिया को जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट का वित्तीय प्रभाव एमवाइआर 330 एमआइओ की चुकता पूँजी के 35% के हमारे हिस्से के बराबर है, यानी, एमवाइआर 115.500 एमआइओ । 31.12.2025 तक, वोलेंटरी वाइंडिंग

अप के हिस्से के रूप में आईआईबीएमबी मेन निवेश का पूरा बही मूल्य वसूल कर लिया गया है। अब हमारे बैंक की बहियों में आईआईबीएमबी एक संयुक्त उद्यम नहीं रहा।

मेजबान देश नियामक के दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंक ने आइओबी कोलंबो शाखा द्वारा किए गए व्यवसाय से उत्पन्न सभी दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने के लिए 12.09.2019 को आयोजित अपनी बैठक में सीबीएसएल के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है।

4. प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
निवेश/बट्टे पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	0.09	0.00
एनपीए के लिए प्रावधान	833.00	834.02
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	2,726.49	3,585.28
पुनर्गठित खातों के लिए प्रावधान	(0.43)	(21.26)
आयकर के लिए प्रावधान किया गया (आस्थगित कर सहित)	1,059.99	1,177.01
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	198.95	(221.74)
कुल	**4,818.09**	**5,353.31**

5. तुलनात्मक आंकड़े

जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सभी सदस्यों को समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है ("मूल"/"बैंक"/"समूह") और इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी जिनमें 31 मार्च, 2026 तक समेकित तुलन-पत्र शामिल है, समेकित लाभ व हानि खाता और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाहों का विवरण शामिल है, और समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरणियां' के रूप में संदर्भित), जिसमें सम्मिलित है:

   ए) बैंक के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;

   बी) सहयोगी संस्थाओं के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण (ओडिशा ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) एवं एसर क्रेडिट रेटिंग प्रा. लि.)

   हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और इस तरह के संयुक्त उद्यम और सहयोगी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, जैसा कि अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया था, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र, दिशानिर्देश और निर्देश ("आरबीआई दिशानिर्देश") और लागू लेखांकन मानक द्वारा इस प्रकार से जानकारी देते हैं जो समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं:

   ए) समेकित तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2026 तक समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष अवलोकन देते हैं;

   बी) समाप्त वर्ष की तिथि के लिए समेकित लाभ व हानि खाते के संदर्भ में समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के वास्तविक लाभ; और

   सी) समाप्त वर्ष की तिथि के लिए समेकित नकदी प्रवाह के संदर्भ में समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष अवलोकन देते हैं।

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा विषयक मानकताओं (एसए' यों) के अनुसार की है । हमारी जिम्मेदारियां इन मानकताओं के अधीन हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों के तहत विस्तृत रूप से दर्शाया गया है । आईसीएआई द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार हम, समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक अपेक्षाएँ जो समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है जिन्हें लेखांकन मानक और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश के अनुसरण में तैयार किया गया है और हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को इन अपेक्षाओं के अनुसार पूरा किया है । हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा नीचे "अन्य मामले" पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार, हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों पर बल

3. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 के निम्नलिखित नोट्स की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं । हम अनुसूचित 18 के संयुक्त वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 2.8 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, जो ₹2780.97 करोड़ की स्थगित कर परिसंपत्ति से संबंधित वहन शेष और वर्ष के दौरान अनुमानित आधार पर ₹1050.14 करोड़ की पुनर्वापसी तथा 31 मार्च, 2026 को स्थगित कर परिसंपत्ति के वहन शेष की प्राप्ति क्षमता के संबंध में प्रबंधन के आकलन से संबंधित है।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारे अभिमत में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

4. प्रमुख लेखापरीक्षा मामले:-

   हमारे व्यवसायिक अभिमत में प्रमुख लेखा परीक्षा मामले, वे मामले हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं । इन मामलो पर हमारे अभिमत वित्तीय विवरणों के समावेश रूप में हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में हैं और उन पर हम अलग से कोई अभिमत प्रदान नहीं करना चाहते । प्रमुख लेखा-परीक्षकों द्वारा चिन्हित प्रमुख लेखापरीक्षा मामलो सहित संबंधित घटक लेखा-परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए निम्नांकित मामलों को हमने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है जो कि बैंक को हमारी रिपोर्ट के साथ संप्रेषित किए गए हैं।

1. अग्रिमों का वर्गीकरण, चिन्हित आय, गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और प्रावधान (वित्तीय विवरण की अनुसूची 9)

बैंक की निवल अग्रिम राशि कुल संपत्ति का 64.78 प्रतिशत है, जो वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण भाग है । वे, अन्य बातों के आतिरिक्त, आय चिन्हित, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक (एनपीए) में वर्गीकृत करने से संबंधित दिशानिर्देश संबन्धित परिपत्रों और निर्देशों द्वारा निगरानी किये जाते हैं, सिर्फ विदेशी कार्यालयों के मामलों के छोड़कर जिसमें अग्रिमों का वर्गीकरण और उसका प्रावधान स्थानीय नियमों या आरबीआई के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हो उसके अनुसार किया जाता है । बैंक इन अग्रिमों को अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसीपी मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करता है।

अर्जक और अनर्जक अग्रिमों को चिन्हित करने के लिए उचित तंत्र स्थापित है। बैंक अपने सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेन-देन का हिसाब रखता है, जो अग्रिम अर्जक है या अनर्जक, उसे भी चिन्हित करता है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ("भारिबैं") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित चिन्हित आय, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अतिरिक्त, बैंक के पास अनर्जक परिसंपत्तियों पर प्रावधान के लिए कुछ नीतियाँ भी हैं ।

यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, आईआरएसीपी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है, तो इन अग्रिमों (प्रावधानों का निवल) का आगामी मूल्य वास्तव में गलत हो सकता है।

लेन-देन की प्रकृति, नियामक आवश्यकताओं, वर्तमान कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और प्रावधानों की गणना में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है।

साथ ही, आहरण शक्ति की गणना के लिए उधारकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा पर निर्भरता, सुरक्षा मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष, भारिबैं द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्गठित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और चिन्हित ब्याज आय की पहचान पर निर्भरता के कारण गैर-निष्पादित अग्रिमों सहित, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में निर्धारित किया है।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

हमने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान करने और उनके प्रावधान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आकलन किया। हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और निम्नलिखित सहित वास्तविक परीक्षण शामिल थे:

ए) हमने सिस्टम में निर्मित नियंत्रणों, भारिबैं के दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में शामिल जाँच और संतुलन व गैर-निष्पादित संपत्तियों की पहचान के लिए संबंधित बैंक की नीतियों, प्रकृति, समय और ठोस प्रक्रियाओं के सीमा निर्धारित करने के प्रावधान के बारे में बैंक से जानकारी प्राप्त की और तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई।

बी) हमें 20 शीर्ष शाखाओं के संबंध में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार चिन्हित आय, निष्पादित और गैर-निष्पादित अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता जाँच के लिए आबंटित की गई थी। हमने आबंटित शाखाओं में ठोस प्रक्रियाओं को पूरा करने में, हमने बड़े अग्रिमों/तनावग्रस्त अग्रिमों की जांच की है, जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा भी शामिल है।

सी) आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा, क्रेडिट लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता, बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार है।

डी) शाखाओं से प्राप्त रिटर्न को स्वीकार किया गया, जो ऑडिट के अधीन नहीं हैं और उस संबंध में हमने उपलब्ध कराए गए नमूना डेटा की शुद्धता को पुष्टि करने के लिए बैंक के आंतरिक निगरानी तंत्र/प्रणालियों की समीक्षा की और सुनिश्चित किया गया कि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवाद/विचलन/त्रुटियों पर बैंक द्वारा विचार किया गया।

ई) समय-समय पर जारी भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान व प्रावधान और उसके अनुरुप आय के प्रतिवर्तन की जांच की गई।

एफ) एनपीए की पहचान और भारिबैं के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया।

जी) भारिबैं के निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा कार्यान्वित परिसंपत्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया।

एच) हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य देशीय और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए काम को स्वीकार किया है।

आई) नमूना आधार पर चयनित उधारकर्ताओं की फाइलों और ऐसे खातो के परिचालन की समीक्षा की गई।

जे) प्रासंगिक विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित करना।

के) ब्याज आवेदन की परीक्षण जांच, अन्य शुल्क लगाना, कमीशन आदि।

एल) सुनिश्चित किया गया कि हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों को विधिवत ठीक किया गया है।

II सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण

बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और सीबीएस से जुड़ी या स्वतंत्र रूप से काम करने वाली अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कामकाज पर अत्यधिक निर्भर है।

हमारा विशेष ध्यान सिस्टम में दिए गए तर्क, डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, पहुंच प्रबंधन और कर्तव्यों का पृथक्करण से संबंधित है। ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि अनुप्रयोगों और डेटा में परिवर्तन उचित, अधिकृत, शुद्ध और मॉनिटर किए गए हैं, जिससे सिस्टम सटीक व विश्वसनीय रिपोर्ट/रिटर्न और अन्य वित्तीय व गैर-वित्तीय जानकारी उत्पन्न कर सके, जिसका उपयोग वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए किया जाता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं दैनिक आधार पर व्यापक मात्रा में होती है और विविध व जटिल लेन-देन की प्रक्रिया होती है जो आईटी प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। यहाँ एक जोखिम रहता है कि स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएं और संबंधित आंतरिक नियंत्रण सटीक रूप से डिज़ाइन व प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हो सकते हैं, जिसके कारण इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का विषय माना जाता है।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों का मूल्यांकन और पहचान शामिल है, और परीक्षण पर सिस्टम से उत्पन्न रिपोर्ट/रिटर्न और अन्य वित्तीय व गैर-वित्तीय जानकारी के परीक्षण जांच के आधार पर आईटी सिस्टम के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है। हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं:

ए) बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।

बी) परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, पहुंच नियंत्रण सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई।

सी) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को निष्पादित करने की आवश्यकता की पहचान की, हमने मैन्युअल क्षतिपूर्ति नियंत्रणों पर निर्भरता रखी; जैसे सिस्टम और अन्य सूचना स्रोतों के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त परीक्षण करना; पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने अधिक नमूना जांच की।

डी) सांविधानिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखा परीक्षा के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियों (एमओसी) पर निर्भरता रहती है।

ई) जहां भी उपलब्ध कराया गया हो, बाह्य विक्रेता निरीक्षण रिपोर्ट पर निर्भरता रहती है।

एफ) आईएस ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की और प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की।

III. निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8)

निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, सुरक्षा रसीदें और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किया गया निवेश शामिल है।

बैंक की कुल संपत्ति में निवेश 25.31 प्रतिशत है। ये भारिबैं के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित किये जाते हैं । भारिबैं के निर्देश, अन्य बातों के साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, अचिन्हित आय और उसके प्रति प्रावधान के लिए लागू होते हैं।

बाजार की अस्थिरता, विश्वसनीय कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण गैर-उद्धृत निवेश और कम कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है।

तदनुसार, हमारा ऑडिट निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित था।

उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारिबैं द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफआईबीआईएल दरों, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरों, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा/जानकारी का संग्रह शामिल हैं।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और निर्णय की सीमा, लेन-देन की मात्रा, उपलब्ध निवेश और नियामक की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

भारिबैं के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की ओर केन्द्रित थी। ट्रेज़री के लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निम्नलिखित पर केंद्रित हैं

ए) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक भारिबैं के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया व उसे स्वीकार किया।

बी) उपलब्ध निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने सुरक्षा की प्रत्येक श्रेणी के लिए फिर से मूल्यांकन करके भारिबैं के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया। निवेश की सभी श्रेणियां (सुरक्षा की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल हैं , सुनिश्चित करने के बाद नमूनों का चयन किया गया।

सी) नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के आधार पर या भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर, गैर-उद्धृत निवेशों के स्वतंत्र रूप से परीक्षण-जाँच की गई।

डी) हमने एनपीआई की पहचान और उसके अनुरुप आय के प्रतिवर्तन और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का आंकलन और मूल्यांकन किया।

ई) हमने भारिबैं के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास की स्वतंत्र रूप से पुन: गणना करने के लिए पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अपनाईं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूने का चयन किया और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारिबैं के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान की पुनर्गणना की।

IV. कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (वित्तीय विवरण की अनुसूची 12)

बैंक ने कर और गैर-कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित शामिल मामले के विरुद्ध विवादित दावे किए हैं, जो विभिन्न अदालतों/मंचों में लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं । प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संभावित बहिर्प्रवाह का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने के लिए उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और जहां भी आवश्यक समझा जाए, कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारा लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों और इसमें शामिल कानून के निर्णय/व्याख्या का विश्लेषण करने पर केंद्रित था।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

ए) हमने योजना की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया और कर मुकद्दमेबाजी मामलों पर प्रबंधन के नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है।

बी) हमने संभावित बहिर्प्रवाह और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा की। इन अनिश्चित कर/गैर कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय कानूनी प्राथमिकता और अन्य फैसलों पर विचार किया गया।

सी) साथ ही, हमने ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में प्रबंधन निर्णयों, उद्योग स्तर के विचार-विमर्श और संभावित बहिर्वाह के अनुमान व बैंक के आंतरिक विशेषज्ञों की अभिमत पर विश्वास किया।

डी) प्रमुख विवादित गैर-कर मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा चुनिंदा प्रमुख पत्राचार, आंतरिक/बाह्य कानूनी राय/परामर्श को पढ़ा और उनका विश्लेषण किया।

ई) बैंक/अन्य कॉरपोरेट के मामले में एक-समान मामलो में जहां भी उपलब्ध हो, वहां अन्य कानूनी घोषणाओं की समीक्षा और सत्यापन किया गया।

एफ) उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की गई और प्रावधानों का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित प्रमुख धारणाओं का मूल्यांकन किया गया।

जी) विवादित गैर-कर मामलों के संभावित परिणाम के बारे में प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णयों पर विश्वास किया।

5. अन्य मामले

समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के ₹210.43करोड़ के निवल लाभ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि एक एसोसिएट के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनकी वित्तीय विवरण/जानकारी का हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं किया गया है । इन वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गई और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत केवल संयुक्त उद्यम और सहयोगी के संबंध में निहित राशि और प्रकटीकरण से पूर्णतः ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी नीचे दी गई रिपोर्ट उपरोक्त मामलों के संबंध में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संदर्भ में संशोधित नहीं है।

इस संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है । अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, प्रमुख वित्तीय संकेतक और शेयरधारक को सूचना शामिल है, लेकिन उसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है । अन्य जानकारी हमें इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराये जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और पिलर 3 प्रकटीकरण को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन संबंधी निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे ।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब अन्य जानकारी उपलब्ध हो, तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है ।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, प्रमुख वित्तीय संकेतक और शेयरधारक की सूचना को पढ़ते हैं और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को गवर्नेंस के प्रभारी तक पहुंचाना आवश्यक होगा ।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी संभालने वालों की ज़िम्मेदारियाँ

7. बैंक का निदेशक मंडल समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ,जिसमें लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार बैंक की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण ; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जोकि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, शामिल है जिनका उपयोग उपरोक्तानुसार बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, एक चालू संस्था के रूप में बने रहने के लिए समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम क्षमता का आकलन करने के लिए समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम सहित ईकाइयों के निदेशक मंडल जिम्मेदार होता है और इससे संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करना व लेखांकन के आधार का उपयोग करना, जब तक कि प्रबंधन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है।

समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम से संबन्धित निदेशक मंडल, समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरण न हो, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही किसी महत्वपूर्ण के गलती के मौजूद होने का पता लगाएगी । गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं । साथ ही हम:

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचान कर उनका आकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादन करते हैं व लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप ,महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता नहीं लगने के कारण जोखिम त्रुटि एक से अधिक रूप में परिणामित हो सकती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को निरस्त करना शामिल हो सकती है।

- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को तैयार किया जा सके ।

- प्रबंधन के द्वारा इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं ।

- प्रबंधन द्वारा चालू प्रतिष्ठान के आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष/निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई में महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने कई क्षमता पर गम्भीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने होगा । हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या शर्त बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से वंचित कर सकती हैं।

- समग्र प्रस्तुति, प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु और संरचना के मूल्यांकन सहित इस बात का मूल्याकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए बैंक और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें । हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के निर्देशन, पर्यवेक्षण और लेखापरीक्षा के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं । समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

हम बैंक के गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी संभालने वालों और उन अन्य संस्थाओं से, जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है और जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, अन्य विषयों के साथ-साथ लेखा परीक्षण की नियोजित परिधि और समय-सीमा तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें हमारे लेखा परीक्षण के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल होती है।

हम गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी संभालने वालों को यह वक्तव्य भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य विषयों पर संवाद

करते हैं जिन्हें यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला माना जा सकता है, तथा जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर भी।

गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी संभालने वालों के साथ संप्रेषित विषयों में से, हम उन विषयों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षण विषय हैं। हम इन विषयों का वर्णन अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन उस विषय के सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता न हो, या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करें कि किसी विषय को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम यथोचित रूप से सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की संभावना रखते हैं।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ व हानि खाता, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों अनुसार तैयार किया गया है।

10. उपरोक्त पैराग्राफ 5,7 से 8 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और सहयोगी की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, जैसा कि 'अन्य मामलों' पैराग्राफ में वर्णित आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    ए) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

    बी) बैंक के वे सभी लेन-देन जोकि हमारे संज्ञान में थे बैंक की क्षमता के अधीन हैं; तथा

    सी) बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गयी थीं।

11. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.6270/08.91.001/2019-20 दिनांकि 17 मार्च 2020 (यथा संशोधित) की आवश्यकताओं के अनुसार " सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए की रिपोर्टिंग उत्तरदायित्व" पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उत्तरवर्ती संसूचना दिनांकित 19 मई, 2020 के साथ पठित , हम उपरोक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं:

    ए) हमारे अभिमत में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यहाँ तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

    बी) वित्तीय लेन-देन या मामलों पर कोई टिप्पणी और अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

    सी) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती है।

    भारत में शामिल सहयोगी कंपनी (जो सरकारी कंपनी नहीं है) के सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, 31 मार्च 2026 तक भारत में शामिल सहयोगी कंपनी के किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

    डी) खातो और अन्य मामलों से जुड़े मामलों के अनुरक्षण से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

    ई) आईसीएआई द्वारा जारी "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर तकनीकी गाइड" के अनुच्छेद 1.14 के अनुसार, आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आरबीआई द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू होगी। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

12. हम साथ ही यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

    ए) हमारे अभिमत में, हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए बैंक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त खाता बही विवरणियों से प्राप्त की गयी हैं और उन शाखाओं से जिनका हमने दौरा नहीं किया है वहाँ से हमें

लेखापरीक्षण के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ व अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

बी) इस रिपोर्ट में दिए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि खाता और समेकित नकदी के प्रवाह का विवरण और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ खाता बहियों के साथ हैं, जिनका दौरा हमने नहीं किया ।

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा समुचित सावधानी बरती गई है ।

डी) हमारे अभिमत में, समेकित तुलन पत्र , समेकित लाभ व हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते आर देवेंद्र कुमार व एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207डब्ल्यू

आनंद गोलास
साझेदार
एम. नं.: 400322
यूडीआइएन 26400322ओजेडएटीईएस9332

कृते तेज राज व पाल
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 304124ई

दिनकर मोहंती
साझेदार
एम. नं.: 059390
यूडीआइएन: 26059390एनडब्ल्यूआईवीवीयू4944

कृते लक्ष्मी तृप्ति व एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009189सी

कृते संजीव ओमप्रकाश गर्ग व कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:008773सी

एल एन अग्रवाल
साझेदार
एम. नं.: 078427
यूडीआइएन: 26078427एसआरएक्सक्यूजीएम4291

विकास मित्तल
साझेदार
एम. नं.:407833
यूडीआइएन: 26407833जेडसीएमपीडीएन3228

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29.04.2026

बेसल III के स्तंभ 3 का प्रकटीकरण – 31.03.2026 तक

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-पूँजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) के निर्देश, 2025 यथासंशोधित के अनुसार, बैंकों के बेसल III पूँजी आवश्यकताओं के अंतर्गत स्तंभ 3 का प्रकटीकरण करना अनिवार्य है। बैंक ने ये प्रकटीकरण निर्धारित किए हैं जो कि www.iob.bank.in पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: http://www.iob.bank.in/en/basel-iii-disclosure

इस अनुभाग में निम्नलिखित प्रकटीकरण शामिल है:

तालिका	विवरण
डीएफ-1	प्रयोज्यता की संभावना
डीएफ-2	पूँजी पर्याप्तता
डीएफ-3	उधार जोखिम:सभी बैंको के लिए सामान्य प्रकटीकरण
डीएफ-4	उधार जोखिम:मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण
डीएफ-5	उधार जोखिम कम करना:मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण
डीएफ-6	प्रतिभूतिकरण:मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण
डीएफ-7	ट्रेडिंग बुक मे बाजार जोखिम
डीएफ-8	परिचालनात्मक जोखिम
डीएफ-9	बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम(आइआरआरबीबी)
डीएफ-10	प्रतिपक्ष उधार जोखिम संबंधित जोखिम एक्सपोज़र से संबंधित सामान्य प्रकटीकरण
डीएफ-11	पूँजी की संघटना
डीएफ-12	पूँजी की सरंचना:समाधान आवश्यकताएँ
डीएफ-13	विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ
डीएफ-14	विनियामक पूँजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
डीएफ-15	पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएँ
डीएफ-16	इक्विटी-बैंकिंग बही स्थिति के लिए प्रकटीकरण
डीएफ-17	लेखांकन आस्तियां तथा लिवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपायों का तुलनात्मक सारांश
डीएफ-18	लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

व्यवसायिक उत्तरदायित्व एवं धारणीयता रिपोर्ट

सेबी की आवश्यकतानुसार, व्यवसायिक उतरदायित्व एवं धारणीयता रिपोर्ट तैयार की गई है और इसे बैंक की वेबसाइट www.iob.bank.in पर विनमनविलण्डिखत विलं क केअं तर्गत हो ॉ विकया गया :

https://www.iob.bank.in/documents/d/guest/iobBRSR_2025-26

लाभांश वितरण नीति

संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के खंड 43ए के अनुसार बैंक ने एक लाभांश वितरण नीति बनाई है और यह बैंक की वेबसाइट www.iob.bank.in पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.iob.bank.in/documents/d/guest/dividend-distribution-policy

हरित पहल – शेयरधारकों से अपील

ई-मेल के माध्यम से सूचनाएँ /वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त करने हेतु

शेयरधारक जिनके पास शेयर डीमैट रूप में है और ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम से अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाएं।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता एवं मोबाइल नंबर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स केमियो कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड (यूनिट-इण्डियन ओवरसीज़ बैंक), सुब्रमण्यन बिल्डिंग, 5वां तल, नं 1 क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002, टेलीफोन:044-4002 0700 व ऑनलाइन निवेशक पोर्टल : http://wisdom.cameoindia.com , वेबसाइट: www.cameoindia.com को प्रदान करें।

फॉर्म आईएसआर-1 बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है:https://www.iob.bank.in/en/important-information-shareholder

IOB
Good people to grow with
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
90 FOUNDATION DAY
IOB Pink Wheels
A special vehicle loan designed to put women in the driver's seat.
SCAN TO KNOW MORE
Loan up to 90% of on-road price
0%
Zero processing & documentation charges
Eligible for women & girl students (co-applicant mandatory for students)
Repayment up to 6 years with flexible terms
*T&C Apply
www.iob.bank.in
Follow us on @IOBIndia
1800 890 4445 | 1800 425 4445
+91 96777 11234

From the Desk of Chairman

Dear Stakeholders,

As Non-Executive Chairman of the Board, I consider it both a privilege and a responsibility to address you at a time when the banking sector globally is navigating a period of significant transition and complexity.

The past year has once again demonstrated that the operating environment for financial institutions is becoming increasingly dynamic. Across the world, economies continue to contend with geopolitical tensions, shifts in trade and supply chains, evolving monetary conditions, technological disruption, and heightened uncertainty in financial markets.

At the same time, the banking sector itself is undergoing profound transformation. The rapid acceleration of digital adoption, the emergence of artificial intelligence and data-driven financial services, rising customer expectations, cyber-security concerns, and evolving regulatory standards are reshaping the manner in which banks operate and compete.

In such an environment, long-term institutional resilience assumes far greater importance than short-term outcomes alone.

Against this backdrop, the Indian economy has continued to display notable resilience and stability. India remains among the fastest-growing major economies in the world, supported by strong domestic demand, public investment in infrastructure, continued formalisation of the economy, expanding digital public infrastructure, and prudent macroeconomic management.

The Indian banking sector has also continued to strengthen over recent years. Improvements in capital adequacy, asset quality, governance frameworks, and operational capabilities have placed the sector on a significantly stronger footing than in previous cycles. Public Sector Banks, in particular, have undergone substantial transformation. Their role today extends beyond conventional banking; they remain vital institutions for financial inclusion, credit intermediation,

economic development, and maintaining public confidence in the financial system.

Indian Overseas Bank has participated meaningfully in this broader strengthening of the sector. During the year under review, the Bank continued to make progress across several important dimensions. The improvement in financial performance, strengthening of asset quality, enhancement of operational resilience, and continued focus on customer service reflect sustained efforts over multiple years.

To support this momentum, the Bank has continued to invest in technology, digital capabilities, and process improvement with the objective of improving customer experience, strengthening efficiency, and enhancing responsiveness in an increasingly competitive banking environment.

At the same time, it is important to recognise that sustainable banking cannot be built on growth alone. As a Board, our emphasis has been on ensuring that growth remains prudent, governance standards remain strong, and risk management frameworks remain robust and forward-looking.

We have continued to focus on strengthening oversight mechanisms, compliance culture, and institutional accountability. In today's environment, governance is not merely a regulatory requirement; it is central to maintaining trust, credibility, and long-term institutional strength.

Equally, risk management in modern banking must extend beyond traditional credit risks. Operational resilience, cyber-security preparedness, technology governance, conduct standards, and data protection have become equally critical dimensions of institutional stability. The Board and the Management remain conscious of these evolving challenges and continue to work towards strengthening the Bank's preparedness and resilience across these areas.

A strong institution is ultimately built not only through financial performance, but through culture, integrity, and consistency of purpose.

Looking ahead, while the medium-term outlook for the Indian economy remains positive, the external environment is likely to remain uncertain and rapidly evolving. Banks will need to balance growth aspirations with prudence, innovation with security, and competitiveness with responsible conduct.

For Indian Overseas Bank, the way forward must therefore be anchored in a few enduring principles: we must continuously maintain customer trust, relentlessly strengthen our governance, build deep operational resilience, adapt responsibly to technological change, and create long-term, sustainable value for all our stakeholders.

As a Board, we remain committed to supporting the Bank in this journey.

Before I conclude, I wish to place on record our sincere gratitude to the Government of India, particularly the Ministry of Finance, for its continued guidance and support to the public sector banking system and to Indian Overseas Bank.

The Board also deeply values the guidance, oversight, and regulatory stewardship provided by the Reserve Bank of India and other regulatory and supervisory authorities, whose role continues to be critical in maintaining the stability, integrity, and resilience of the financial system.

I would especially like to acknowledge the efforts and commitment of the Bank's employees across our country and overseas operations. Their dedication and adaptability continue to play a vital role in the Bank's progress.

I also thank our shareholders, depositors, valued customers, and all other stakeholders who continue to repose their confidence and trust in the Bank.

With the continued support of our stakeholders, the guidance of our regulators, and the leadership of the management team, I am confident that Indian Overseas Bank will continue to strengthen itself as a stable, responsible, and forward-looking institution committed to long-term value creation and national development.

Thank you.

Srinivasan Sridhar
Non-Executive Chairman

From the Desk of Managing Director & Chief Executive Officer

Dear Stakeholders,

It gives me immense pleasure to present your Bank's Annual Report and Financial Statements for the year 2025–26. At the outset, I express my sincere gratitude to all our stakeholders, customers, shareholders, employees, regulators, and business partners for their continued trust, confidence, and unwavering support towards Indian Overseas Bank. Your Bank, with its proud legacy of 90 years, **has continued its transformation journey with greater strength, resilience, and consistency delivering one of its best-ever performances during the financial year.**

During FY 2025–26, the global economy witnessed significant challenges arising from geopolitical tensions, disruptions in global supply chains, commodity price volatility, trade-related uncertainties, and evolving monetary policy actions across major economies. The escalation of the West Asia conflict during the latter part of the financial year added further uncertainty to global growth, inflation, energy markets, and financial conditions. Despite these external headwinds, the Indian economy continued to demonstrate remarkable resilience, supported by strong domestic consumption, sustained infrastructure investments, structural reforms, and healthy macroeconomic fundamentals. Against this challenging global backdrop, **your Bank demonstrated exceptional resilience, strategic execution, and operational excellence resulting in significant improvement across all key financial and business parameters.**

I am delighted to share that during FY 2025–26, your Bank continued its consistent profit trajectory by delivering strong profitability in all four quarters, with **Net Profit exceeding ₹1,000 crore in each quarter. The Bank achieved its highest-ever annual Net Profit of ₹5,208 crore,** registering an impressive **year-on-year growth of 56.16%** as against ₹3,335 crore in the previous year. Notably, the Bank delivered sequential growth in quarterly profits from **₹1,111 crore in Q1 to ₹1,505 crore in Q4,** reflecting consistency, sustainability, and improving earnings momentum. This remarkable performance reflects the strength of our business model, disciplined execution, prudent risk management, and the unwavering commitment of every IOBian.

Performance Highlights of Your Bank in FY 2025–26

Robust Business Growth

I am delighted to share that your Bank crossed another significant milestone during FY 2025–26, with **Total Business increasing by ₹1,16,657 crore to ₹6,78,614 crore** as on March 31, 2026 from ₹5,61,957 crore in the previous year, registering a robust **year-on-year growth of 20.76%.**

Gross Advances increased by **₹60,404 crore**, registering strong growth of **24.16%**, and stood at **₹3,10,423 crore** as on March 31, 2026. The Bank's strategic focus on **Retail, Agriculture, and MSME (RAM)** segments continued to deliver excellent results, with RAM advances increasing by **34.91% to ₹2,45,014 crore**, constituting **78.93% of total advances**.

On the liability side, your Bank continued to strengthen its granular and low-cost deposit franchise. **Savings Bank deposits** registered healthy growth of **15.30%,** increasing by **₹16,530 crore** to **₹1,24,565 crore** during the year. **CASA deposits** increased by **10.85% to ₹1,50,936 crore**, while **Retail Term Deposits** recorded strong growth of **17.81% to ₹1,83,601 crore.**

The Bank maintained a healthy **Domestic CASA ratio of 41.46%**, while high-cost bulk deposits were contained below **6% of total deposits**. Significantly, **CASA and Retail Term Deposits** together contributed 94% of total deposits, reflecting the strength, granularity and stability of the Bank's retail deposit franchise.

Strengthening Profitability

Your Bank delivered another year of strong profitability and operational excellence.

- Net Interest Income (NII) increased by **15.46%** to **₹12,574 crore**
- Operating Income increased by **10.80%** to **₹18,210 crore**
- Operating Profit crossed the landmark **₹10,000 crore** and increased by **15.40% to ₹10,026 crore**
- Return on Assets (ROA) improved from **0.92% to 1.23%**
- Return on Equity (ROE) improved from **16.28% to 20.42%**
- Cost-to-Income Ratio improved from **47.14% to 44.94%**

Despite margin pressures arising from policy rate changes, your Bank maintained healthy profitability with Global **NIM of 3.21%**, reflecting prudent asset-liability management and effective pricing strategies.

Significant Improvement in Asset Quality

Your Bank continued its remarkable journey in strengthening asset quality and further consolidating its position among the best-performing Public Sector Banks. **Gross NPA** improved significantly from **2.14% to 1.42%**, while **Net NPA** declined further from **0.37% to 0.21%**, reflecting the continued success of our prudent underwriting standards, robust monitoring framework and focused recovery efforts.

The Bank's **Provision Coverage Ratio (PCR)** improved further to **97.50%**, while Credit Cost remained low at **0.30%**, demonstrating the strength and resilience of our balance sheet.

I am also pleased to share that fresh slippages during FY 2025–26 reduced sharply by **66% to ₹1,211 crore** from ₹3,568 crore in the previous year, with the Slippage Ratio improving significantly from **1.68% to 0.49%,** among the lowest in the industry. During the year, the Bank achieved total recoveries of **₹3,576 crore**, which was nearly **2.95 times** the **fresh slippages**, reaffirming the effectiveness of our recovery, resolution and risk management mechanisms.

Healthy Capital Adequacy

The Bank's capital position remains strong and well above regulatory requirements.

The Basel III Capital Adequacy Ratio (CRAR) improved to **19.78%**, including CET-1 ratio of **16.94**%, providing a strong foundation to support future growth aspiration.

Key Initiatives during FY 2025–26

Product Innovation & Digital Growth: During FY 2025–26, your Bank launched several innovative **liabilities, asset, and digital products** to strengthen business growth and customer engagement.

- On the liability side, key launches included **IOB Eco Savings Account, IOB Parivaar Account, IOB Premium Salary Account, exclusive Tamil Nadu State Government and Central Government Salary Packages, IOB Step-Up RD, NRI deposit variants, and E-FDR** facility under NSE platform.
- On the asset side, the Bank introduced innovative retail products such as **IOB Easy Plot, IOB Harit Subhagruha, digital Demand Loan Against Deposit (STP), IOB Sakhi, and IOB Pink Wheels. In MSME, the Bank launched IOB E-GST Scheme, Mudra STP, MSME cluster financing, and digital onboarding solutions**, while digital initiatives such as **Digital FD for NTB, WhatsApp Banking, RBIH-ULI,** Reserve Bank Innovation Hub Unified Lending Interface and **RPA** (Robotic Process Automation) further enhanced customer convenience, faster credit delivery, digital adoption and business expansion.

- **Customer Acquisition & Liability Franchise:** During FY 2025–26, your Bank onboarded **42.02 lakh new CASA customers**, taking total customer acquisition over the last three years to **1.06 crore**. As on 31st March 2026, these customers contributed **₹70,655 crore in deposits, ₹1,08,092 crore in advances**, and an overall business of **₹1.79 lakh crore**, reflecting the strength of the Bank's customer acquisition strategy, cross-selling capabilities and growing franchise.

- **Project LEAP:** The Bank launched **Project LEAP (Liabilities Enhancement Action Program)** to strengthen its liability franchise through focused ETB and NTB customer engagement. Key initiatives such as **CASA Win-back, Micro-market, EXIM and TASC** focus delivered encouraging results and significantly strengthened the Bank's granular and low-cost deposit franchise.

- **Branch Network Expansion & Distribution Strengthening**: During the year, your Bank significantly expanded its physical presence by opening **163 new branches** across **20 States and 2 Union Territories,** including branches in underserved and unbanked areas, reaffirming its commitment towards financial inclusion and expanding our network.

- As on 31st March 2026, the Bank's domestic network stood at **3,494 branches** across **28 States and 6 Union Territories.** The Bank also established **3 new Regional Offices and 3 dedicated Startup Branches,** further strengthening its distribution capabilities and specialised business infrastructure.

- **Government Business Expansion:** During FY 2025–26, the Bank significantly strengthened its Government business franchise by securing accreditation from **Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA), Controller General of Accounts (CGA), and Institute of Government Accounts & Finance (INGAF)** for handling Government Agency Business, with operations successfully commenced during the year, thereby expanding the Bank's presence in Government banking services.

- **ESG & Sustainable Banking Initiatives:** The Bank significantly strengthened its commitment towards sustainable banking by integrating **ESG and climate risk considerations** into its strategic and risk management framework. The Bank became a signatory to **PCAF**, initiated financed emissions measurement, operationalised an **ESG Scorecard** for large borrowers, signed MoU with **Indian Green Building Council,** and launched "**IOB Harit Subhagruha**" to promote green housing finance. The Bank also received **ISO 31000:2018 certification** for Enterprise Risk Management.

- **Enterprise Data Governance & Data Quality Transformation:** During the year, the Bank established the **Enterprise Data Management Department (EDMD)** to strengthen enterprise-wide data governance. In collaboration with **Boston Consulting Group,** the Bank developed and deployed a **Data Quality Index (DQI)** utility across branches and Regional Offices for cleansing **46.73 lakh records** across customer, deposit, and loan data. I am pleased to share that by **31st March 2026**, the Bank successfully corrected **99.25%** of identified records, significantly enhancing data quality and governance standards across the organisation.

- **Technology Infrastructure Modernisation:** During FY 2025–26, your Bank significantly strengthened its digital backbone through **Core Banking modernisation, migration to a state-of-the-art Data Centre, and enhancement of private cloud platform "IOB Meghadri"**. These initiatives have enhanced processing capacity, scalability, cyber resilience, business continuity and operational agility, creating a strong foundation for accelerated digital growth and future-ready banking services.

- **Technology, Digital Innovation & Process Transformation:** Your Bank continued to accelerate its digital transformation journey through several customer-centric and employee-centric initiatives including **Digital Fixed Deposit, VCIP-based instant account opening, Video Life Certificate, Online Re-KYC, Digital Hub, WhatsApp Banking, Tab Banking, KYC Smart Scanner, CRM platform, RBIH-ULI integration, Robotic Process Automation, Loan Origination System covering 90+ RAM schemes, and IOB Lawyer's Diary.** These initiatives have significantly enhanced customer convenience, credit delivery, operational efficiency, and digital adoption.

- **Digital Adoption & Brand Presence:** During FY 2025–26, digital adoption remained robust, with **98.38% of total transactions** being carried out through digital channels, while digital transactions registered **28% growth** over the previous year.

- **Social Media & Digital Brand Presence:** Your Bank's digital brand presence reached a significant milestone during FY 2025–26, with its total social media subscriber base crossing **30 lakh** to reach **30.46 lakh**, registering an impressive **92.90% growth** over the previous year, reflecting the growing visibility and stronger digital connect of **Brand IOB** with customers and stakeholders.

- **Corporate Social Responsibility & Inclusive Growth:** During FY 2025–26, your Bank reinforced its commitment towards inclusive growth and social responsibility by spending **₹8.74 crore** under CSR initiatives, benefiting over **5.85 lakh beneficiaries** across the country through interventions in education, healthcare, women empowerment, environmental sustainability, rural development, skill development, sports, technology, and community welfare.

Awards & Accolades

During FY 2025–26, your Bank received the prestigious "**Rajbhasha Kirti Puraskar" First Prize** from the **Ministry of Home Affairs, Government of India** for Financial Year 2024-25 for outstanding implementation of Official Language.

We are proud to share that our Central Office has secured **First Prize for Official Language Implementation** from both the **Department of Financial Services (DFS)**, **Govt. of India** and the **Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Chennai** for FY 2024-25.

Adding to this achievement, **52 Regional Offices and Branches** have also received awards from their respective TOLICs, the highest number ever in a single financial year for TOLIC prizes.

Your Bank achieved its highest-ever grievance redressal performance by successfully maintaining **zero complaints under CPGRAMS and INGRAMS.** In recognition of this outstanding achievement, your Bank was conferred the prestigious "**Best Performer of the Year 2025"** award by the **Department of Financial Services (DFS), Government of India** for effective redressal of public grievances.

I am pleased to share that your Bank also received prestigious industry recognitions at **IBA's 21st Annual Banking Technology Conference & Citations,** where the Bank was honoured with **four prestigious recognitions, including Best Tech Talent & Organization, Best IT Risk & Management, Best Technology Bank of the Year, and Best Digital Financial Inclusion,** reaffirming our commitment towards technology-led banking and innovation.

Your Bank was also recognised as **Best Performing Bank in SHG Linkage** and received the **National Award for Outstanding Performance under DAY-NRLM** from the **Ministry of Rural Development, Government of India,** reaffirming the Bank's leadership in financial inclusion, women empowerment, and rural development.

Further, your Bank's commitment towards governance, compliance innovation and enterprise risk management was recognised with the prestigious **SKOCH Awards** for **"Compliance Apexion"** and **Risk Management (Platinum Category),** reflecting excellence in governance, compliance, and risk oversight.

Going forward

Looking ahead, the banking sector may continue to face challenges arising from margin pressures, competitive deposit mobilization, geopolitical uncertainties and evolving regulatory dynamics. However, IOB enters FY 2026–27 from a position of exceptional strength with robust capital, superior asset quality, healthy profitability, strong liability franchise, diversified growth engines, digital capabilities and a highly committed skilled workforce.

With our strategic focus on granular deposit mobilization, RAM-led credit growth, digital transformation, operational efficiency, customer centricity and prudent risk management, I am confident that your Bank is well-positioned to sustain its growth momentum and create long-term value for all stakeholders.

Acknowledgement

I take this opportunity to express my sincere gratitude to the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Reserve Bank of India, regulatory authorities in India and abroad, and other Government agencies for their continued guidance and support.

I also extend my heartfelt thanks to our Chairman, members of the Board, valued customers, shareholders, and all IOBians for their trust, dedication, and relentless efforts in taking Brand IOB to greater heights.

Together, we shall continue our journey towards building a stronger, sustainable and future-ready Indian Overseas Bank committed to excellence and nation building.

Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & Chief Executive Officer

About the Report

Indian Overseas Bank entered into 90th year of banking service in FY 2025–26, a milestone built through decades of customer relationships, responsible banking practices, and continued commitment to financial inclusion across the country. Over the years, the Bank has evolved with changing customer needs, economic priorities, and technological shifts while continuing to uphold the trust placed in it by generations of stakeholders.

This Integrated Annual Report for the financial year ended 31 March 2026 marks the Bank's First Integrated Report prepared in line with the Integrated Reporting (<IR>) Framework. Under the theme "90 Years in the Service of the Nation", the report presents how the Bank creates and sustains value across the six capitals through its business model, governance practices, strategy, stakeholder engagement, and operational performance, guided by the motto of serving the Nation.

The report reflects the Bank's integrated approach towards financial performance, customer service, digital transformation, sustainability, risk management, employee development, and responsible banking. It also highlights how these areas remain interconnected in supporting long-term value creation for customers, employees, communities, regulators, investors, and the broader economy.

Through this report, the Bank aims to provide a balanced and transparent view of its performance, priorities, opportunities, and challenges while strengthening accountability and stakeholder confidence.

Reporting Frameworks and Guidelines

- The Banking Regulation Act, 1949.
- Regulations, circulars, and guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI).
- Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act, 2013.
- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable SEBI guidelines.
- RBI's corporate governance framework and related directives.
- Indian Banks' Association Code of Banking Practices.
- Code of Corporate Governance prescribed by SEBI.
- Integrated Reporting Framework (<IR>).
- SEBI Guidelines on Integrated Reporting.

Reporting Period

This report presents the Bank's standalone & consolidated financial and operational performance for the period from 1 April 2025 to 31 March 2026. Selected strategic and governance developments occurring after 31 March 2026 have been included where material to understanding the Bank's performance and outlook.

Reporting Boundary

The financial information presented in this report covers the operations of Indian Overseas Bank as a public sector bank incorporated in India. The non-financial disclosures, including sustainability, stakeholder engagement, materiality assessment, and the six capital narratives, cover the Bank's direct operations across its domestic and international branch network.

This report has been prepared in alignment with the guiding principles of the Integrated Reporting (<IR>) Framework. It presents an integrated view of the Bank's financial performance and non-financial developments. It is the Bank's First Integrated Report prepared in accordance with the <IR> Framework.

Assurance

The Bank's standalone and consolidated financial statements for FY 2025–26 have been independently audited by the following statutory auditors:

M/s. R Devendra Kumar & Associates	FRN 114207W
M/s. Tej Raj & Pal	FRN 304124E
M/s. Laxmi Tripti & Associates	FRN 009189C
M/s. Sanjeev Omprakash Garg & Co.	FRN 008773C

M/s. FAP Solutions Private Limited has provided reasonable assurance on the Bank's Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) for FY 2025–26.

Forward Looking Statement

This report may contain forward-looking statements reflecting the Bank's current expectations, estimates, and projections regarding future performance. These statements involve known and unknown risks, uncertainties, and other factors. Forward-looking statements are based on assumptions that were reasonable at the time of preparation and do not constitute a guarantee of future performance. Readers are advised to exercise independent judgment and refer to the Bank's official regulatory filings and disclosures for updates.

Feedback

The Bank values the perspectives of its investors, stakeholders, and readers. We welcome your feedback on this report.

Please write to us at: investor@iob.bank.in

Rooted in Legacy, Evolving with Purpose

Established in 1937 by Shri M.Ct.M. Chidambaram Chettiar, Indian Overseas Bank was founded to make banking accessible to underserved communities and support India's international trade ambitions. Over nearly nine decades, the Bank has remained aligned with its founding values of nation-building, inclusive growth and ethical banking. As IOB entered into 90th years of service in FY 2025–26, it continues to stand as one of India's trusted public sector banks, recognised for its wide reach, customer focus and sound governance.

With a presence in key international centres such as Singapore, Hong Kong, Bangkok and Colombo, IOB strengthens its global connect while complementing its domestic network. The Bank has consistently supported priority sectors, businesses, individuals and communities through responsible lending, inclusive access and service-led banking. Its continued investments in technology, digital platforms and operational systems have enabled modernisation while preserving its foundational values. IOB also holds the distinction of being among India's early adopters of computerisation and digital banking.

IOB's journey reflects resilience, adaptability and steady transformation. Having navigated economic cycles, regulatory changes and technology shifts, the Bank continues to serve evolving customer needs across India and overseas. Its ability to stay rooted in purpose while embracing progress defines its institutional strength and long-term relevance.

A Diversified and Progressive Business Model

IOB offers a wide range of financial products and services across retail, agriculture, MSME and corporate banking. Operating as a universal bank, it serves diverse credit and deposit requirements through offerings such as housing loans, jewel loans, business finance, agri-credit and emerging ESG-linked solutions.

The Bank's diversified income mix reflects the strength of its core operations and customer-focused product design. In FY 2025–26, total advances grew by 24.16% and deposits by 18.03%, supported by strong contributions from the RAM segment, which continues to anchor domestic credit growth.

As sustainability and digital transformation become central to the banking landscape, IOB remains aligned with evolving customer expectations, national priorities and global standards.

Expanding Reach through Physical and Digital Channels

As of March 31, 2026, Indian Overseas Bank continues to serve customers through a strong domestic and overseas network:

3,494
branches across India, including 956 rural branches

3,651
ATMs/CR supporting convenient access to banking services

12,187
Business Correspondents enabling last-mile financial inclusion

4
overseas branches located in Singapore, Hong Kong, Bangkok and Colombo

1.30 crore
mobile banking users

98.38% digital share
in total transactions, with UPI contributing nearly 90% of the digital mix

digital.iob.in
a fully integrated digital banking hub for seamless access

Tab-based doorstep banking, Aadhaar Face Authentication and online self-service journeys enhancing convenience and reach

Purpose-Led Growth with National Impact

IOB continues to strengthen its role as a purpose-driven public sector bank, creating lasting social and economic value through inclusive finance, responsible lending and customer-focused service delivery. The Bank remains an active partner in key government schemes such as PMJDY, PM-KUSUM, PMSBY and APY, supporting national priorities around financial inclusion, social security and sustainable development. With over 94.5 lakh Jan Dhan accounts and a continued focus on rural and agriculture lending, IOB plays an important role in expanding access to formal banking across underserved communities.

The Bank's green finance portfolio, covering renewable energy, electric vehicles and sustainable infrastructure, stood at ₹1,822.10 crore in FY 2025–26, supported by dedicated offerings such as IOB Surya and IOB Tejas. During the year, IOB's contribution to inclusive banking and service excellence was recognised through the National Award for Outstanding Performance in SHG Bank Linkage and the DFS Best Performer recognition in Grievance Redressal among Public Sector Banks. The ISO 9001:2015 certified Staff College further reinforces the institutional capability that supports these outcomes.

Shaping the Next Phase of Growth

Indian Overseas Bank is moving into a new phase of strategic growth, anchored in financial stability, customer-centric transformation and operational efficiency. The Bank continues to deepen its presence across retail, agriculture and MSME segments, supported by a clear shift towards technology-led delivery and service models.

Rising adoption across mobile banking, UPI and internet banking platforms is reshaping customer engagement and expanding convenience. At the same time, fintech partnerships and continued upgrades to internal systems are strengthening operational agility. Key initiatives such as the Finacle 10.2.25 core banking upgrade and AI/ML-led fraud detection through Mule Hunter, developed in collaboration with the Reserve Bank Innovation Hub, are improving loan origination, risk monitoring and service delivery.

As sustainability becomes an important part of banking strategy, IOB is also integrating ESG considerations into its lending and governance frameworks. With continued emphasis on inclusive access, digital modernisation and internal capability-building, the Bank is well positioned to grow with purpose, resilience and relevance in a changing financial ecosystem.

IOB
Good people to grow with

90 Years of TIMELESS TRUST

Forgot to Pay **Maintenance** Last Month ?

What if your phone reminded you?

IOB NEST

Neighbourhood Estate & Society Toolkit

Pay maintenance anywhere anytime !

Get alerts before due date

Avoid late fees

DOWNLOAD

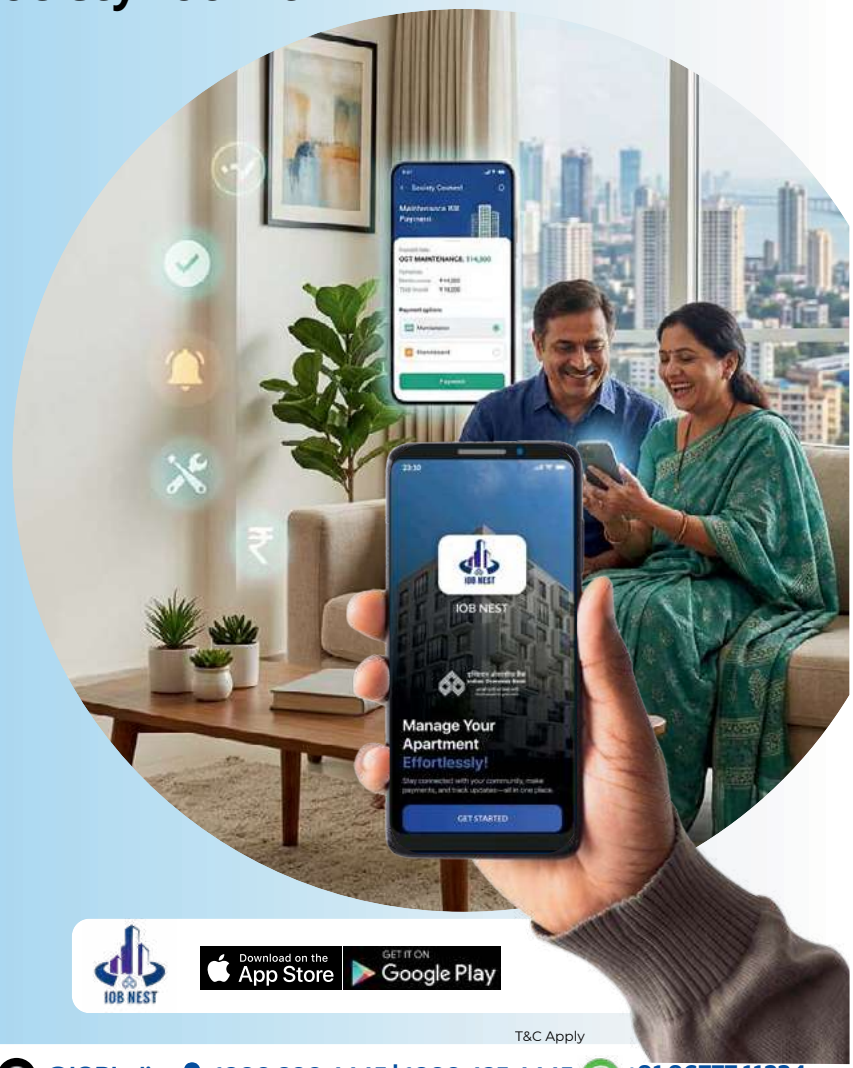

IOB NEST
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

T&C Apply

www.iob.bank.in @IOBIndia 1800 890 4445 | 1800 425 4445 +91 96777 11234

GUIDING OUR JOURNEY

SHRI M. Ct. M. CHIDAMBARAM CHETTIAR
Founder Chairman

OUR VISION

To emerge as the preferred Bank connecting Generations with high standards of ethics and Governance.

CORE VALUES

- **Integrity and Transparency**
- **Innovation and collaboration**
- **Sustainability**

OUR MISSION

To provide best Banking solutions through digital and physical experience for customer delight with skilled manpower.

STRATEGIC OBJECTIVES

- **Continued focus on improving overall operating performance**
- **Focus on portfolio quality & improving capital optimization**
- **Focus on digitization and technology**
- **Focus on increasing profitability**
- **Open new banking outlets to expand our Bank's footprint**

GOOD PEOPLE TO GROW WITH

1937
Indian Overseas Bank (IOB) was founded on 10th February 1937 by Shri. M. Ct. M. Chidambaram Chettiar

1957
Bank established its own Training Centre.

2025
The Bank crossed the ₹6.75 lakh crore mark in total business for the first time during the year ended on March 31, 2026

2024
IOB reached a noteworthy milestone by being the fifth public sector lender to reach ₹1 lakh crore in market capitalization.

2024
The Bank crossed the ₹5 lakh crore mark in total business for the first time during the year ended on March 31, 2024.

2021
RBI takes IOB out of PCA Framework on improvement in financial and credit profile.

2016
All branches migrated from in-house CBS platform "CROWN" to FINACLE.

2013
Bank surpassed the landmark of 3000 Branch by opening of Vaniangudi Branch.

2010
Bank opened its 2000th Branch (Yamuna Vihar Branch).

2009
Achieved 100% CBS

2000
Initial Public Offer and Follow on Public offer in 2003.

1996
Banks profit reached ₹100 cr. for the first time

1984
1000th branch opened (Gobindpuri Branch).

1969
Nationalisation of the Bank.

1964
Inauguration of IOB's Head Office in Mount Road

VALUE CREATION MODEL

Capitals	Inputs
Financial Capital	Capital : ₹19,256.59 Crores Deposits : ₹3,68,191 crore (up↑ 18.03%) Total Advances : ₹3,10,423 crore (up↑ 24.16%)
Manufactured Capital	Total Branches : 3335 ATM/CR : 3497 Geographic spread : 35 States and Union Territories BCs : 10135
Intellectual Capital	Digital platforms & IOB Pay Whtats App Banking Core Banking : Finacle 10.2.25 (upgraded during FY26) ISO 27001: 2022 certified Information Security Management System Generative AI for complaint summarisation and ESG knowledge retrieval
Human Capital	Total Employees : 20966 ISO 9001 : 2015 certified Staff College Internal training reach : 20,080 employees Gender Diversity ratio : 36.43% L&D hours per employee : 43.49
Social Relationship Capital	CSR Spend:₹8.74 Crores CSR Spend on Aspirational Districts:₹36.37 lakhs Total Customers : 46+Million Procurement : 100% directly sourced inputs within India SNEHA Financial Literacy Centres and RSETI network
Natural Capital	Total Energy Consumption : 3,50,214.71 GJ ESG Scorecard mandatory in credit appraisal for aggregate exposure ≥ ₹50 crore Total Water Consumption : 2.61 Lakh KLs

Business Segments

- Personal Banking
- Corporate Banking
- Agri & Rural Banking
- MSME
- Forex
- Government Business

Value Drivers

- Stakeholder Engagement & Partnerships
- Financial Inclusion & Social Development
- Risk & Capital Management
- Credit Delivery
- Digital Transformation
- Mobilizing Deposits

Products / Services

- Digital Banking
- Credit Card
- MSME Schemes
- Insurance

Outcomes	Material Issues	SDGs Impacted
Net Profit : ₹5,208 crore (up↑ 56.16% YoY) NII : ₹12,574 crore (up↑ 15.46%) EPS : ₹2.70 Return on Equity : 20.42%	Financial Inclusion Customer Fairness & Right Selling Regulatory & Legal Compliance Business Continuity	
Total Branches : 3494 ATM/CR: 3651 BCs: 12,187 ATM/CDM uptime: 96.66%	Business Continuity Ethical Behaviour Systematic Risk Management Customer Fairness & Right Selling Regulatory & Legal Compliance Data Privacy	
Digital transactions: 98.38% of total transactions UPI share of digital transactions: 90% Mobile Banking user base: 1.30 crore New Mobile Banking registrations during FY 2025–26: 27 lakh+ Mule Hunter AI/ML solution (with Reserve Bank Innovation Hub) for fraud detection	Data Privacy Systematic Risk Management	
Total Employees: 21034 Employee engagement survey score: 3.85 Future leaders developed under Project Lakshya : 250 (9-month immersive programme) NARI – Women's Leadership Programme launched Gender Diversity ratio : 37.10%	Employee Benefits and Development Ethical Behaviour	
Grievance Resolution Rate: 99.89% PMJDY Accounts: 94.5 Lakhs + CSR Beneficiaries - 5.85 Lakhs Recognitions: National Award for Outstanding Performance in SHG Bank Linkage; DFS Best Performer in Grievance Redressal among PSBs Total Rural Branches - 956	Ethical Behaviour Financial Inclusion Customer Fairness & Right Selling	
Solar capacity installed during FY 2025 – 26 : 350.5 kW Green Finance Portfolio: ₹1,822.10 crore Renewable energy financing through IOB Surya and IOB Tejas LEED-certified premises: 7 (6 Gold + 1 Platinum)	GHG Emissions Management ESG Oversight	

Favourable Growth Landscape

India's economic resilience continues to anchor the banking sector, even as the global landscape navigates a period of structural realignment. In this environment, Indian Overseas Bank is well-positioned to turn macro tailwinds into long-term value for its stakeholders.

India's macroeconomic environment in FY 2025–26 remains resilient, supported by strong domestic demand, sustained infrastructure investment, and policy continuity. Despite global uncertainties, the Indian economy is expected to maintain its growth momentum, creating a favourable backdrop for the banking sector.

In this environment, Indian Overseas Bank operates in a strengthening financial ecosystem with improved asset quality, healthy credit demand, and increasing formalisation of the economy. The banking sector has built stronger balance sheets over recent years, enhancing its ability to support economic growth, particularly in priority sectors such as MSMEs, agriculture, and retail.

The external landscape, however, is shaped by a set of forces that simultaneously create headwinds and openings — a shifting global order, an evolving regulatory architecture focused on inclusion, the rising centrality of climate considerations in financial decisions, and the growing complexity of the digital and cyber environment. Each of these forces directly influences the Bank's strategy, risk posture, and value creation pathways.

Global Uncertainty, India's Growth Momentum

The global economic environment during FY 2025–26 continues to be shaped by geopolitical tensions, evolving trade policies, inflationary pressures, financial market volatility, and supply chain disruptions across key regions. Elevated debt levels and uneven disinflation across major economies have further moderated the global growth outlook and increased uncertainty across financial markets.

Advanced economies are witnessing slower growth, while emerging markets continue to navigate volatile capital flows, currency fluctuations, and shifting trade dynamics. In this environment, financial institutions are increasingly strengthening balance sheet resilience, liquidity management, and risk governance frameworks to respond to evolving macroeconomic risks.

Against this backdrop, India continues to remain among the fastest-growing major economies globally, supported by sustained government capital expenditure, resilient urban demand, improving rural consumption, and a favourable agricultural outlook. Easing inflation and supportive monetary measures by the Reserve Bank of India are also creating a conducive environment for investment, business activity, and credit growth.

At the same time, the banking sector continues to face evolving risks relating to interest rates, portfolio concentration, asset quality, and market volatility. During FY 2025–26, Indian Overseas Bank implemented a comprehensive enterprise-wide ERM framework aligned with global standards such as COSO ERM, ISO 31000, COBIT, and NIST, supported by Board-level oversight and a Three Lines of Defence model. The framework strengthened governance, risk taxonomy, risk appetite monitoring, and technology-enabled oversight through KRIs, dashboards, GRC systems, VaR models, stress testing, and scenario analysis.

The Bank monitored 29 risk appetite parameters across monthly and quarterly intervals covering operational, liquidity, technology, customer service, and business risks.

The Bank also strengthened scenario-based stress testing and forward-looking risk assessment capabilities across credit, market, liquidity, operational, concentration, equity, and foreign exchange risks. Stress scenarios included sector concentration, rating downgrades, restructured accounts, and slippages across key industries and sectors. Reverse stress testing and simulation exercises were also conducted for foreign exchange risk.

Liquidity and capital resilience remained strong during the year, with Liquidity Coverage Ratio and Net Stable Funding Ratio standing at 122.01% and 127.73%, respectively, as on 31 March 2026, comfortably above regulatory requirements. The Duration and Modified Duration of the Bank's portfolio stood at 5.3598 and 5.1244, respectively,

remaining within Board-approved limits. The Bank also continued to monitor interest rate risk under the IRRBB framework through assessment of Economic Value of Equity and Net Interest Income sensitivity.

Opportunities Identified

- Capture credit demand across rural, urban, MSME, agriculture, and retail segments driven by domestic economic momentum
- Support infrastructure and project financing aligned with government-led capital expenditure
- Expand quality lending opportunities in a supportive interest rate environment
- Strengthen portfolio diversification across sectors and geographies to support long-term resilience
- Enhance risk-adjusted growth through analytics-led portfolio monitoring and stress testing frameworks

Our Response

- Conduct comprehensive stress testing across macroeconomic, sectoral, market, and portfolio-risk scenarios to strengthen resilience and support strategic decision-making
- Maintain robust liquidity and capital buffers through continuous monitoring of LCR, NSFR, ICAAP, IRRBB, and market risk parameters
- Monitor rating migration, sector concentration, geographical concentration, and large exposure risks through portfolio reviews and governance mechanisms
- Strengthen enterprise-wide risk governance through integrated monitoring frameworks aligned with evolving regulatory and global standards
- Continue focusing on asset quality, capital efficiency, sustainable growth, and long-term financial resilience

Policy Momentum Supporting Financial Inclusion

India's policy and regulatory environment continues to strengthen financial inclusion, last-mile banking access, and efficient delivery of welfare benefits. The Government of India has introduced and expanded several initiatives to improve access to formal financial services, particularly for underserved and unbanked segments.

Flagship programmes such as Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana have significantly expanded participation in the formal banking system, while the Direct Benefit Transfer framework has enabled more transparent and efficient distribution of

subsidies and welfare benefits. Affordable housing initiatives such as Pradhan Mantri Awas Yojana are also supporting inclusive development and creating opportunities for retail credit growth.

Simultaneously, the Reserve Bank of India continues to strengthen the financial ecosystem through digital payment infrastructure, innovative banking channels, customer protection measures, and evolving regulatory frameworks. Growing adoption of digital banking and payment platforms is improving accessibility and convenience across geographies while also increasing the importance of operational resilience, secure technology infrastructure, and responsive grievance redressal systems.

As banking services expand across rural and semi-urban regions, financial institutions are increasingly focusing on service continuity, technology-enabled monitoring, and customer-centric operational frameworks. During FY 2025–26, the Bank continued monitoring customer service-related risk appetite parameters, including complaint resolution and digital service continuity thresholds, to strengthen customer experience and operational oversight across banking channels.

Opportunities Identified

- Deepen reach into underserved and unbanked segments through alignment with flagship inclusion programmes
- Channel credit growth into affordable housing and priority-sector schemes
- Enable seamless welfare and subsidy delivery through DBT-linked banking relationships
- Expand digital-led customer acquisition through Aadhaar-enabled services and innovative payment channels
- Strengthen customer engagement through accessible, secure, and technology-enabled banking services

Our Response

- Actively support Government-led schemes including PMJDY, PMMY, APY, and other social security and livelihood programmes
- Strengthen rural and semi-urban presence to expand participation in the formal financial ecosystem
- Enhance financial literacy and awareness through targeted outreach initiatives for underserved communities
- Expand last-mile connectivity through mobile banking, Aadhaar-enabled services, and micro-ATM infrastructure
- Strengthen grievance redressal systems, operational monitoring mechanisms, and digital service continuity frameworks to improve customer experience and banking accessibility
- Continue enhancing operational resilience and monitoring capabilities across physical and digital banking channels

Sustainability, Technology and Talent Shaping Banking

Climate change, rapid digitalisation, and evolving customer expectations continue to reshape the banking sector globally. Financial institutions are increasingly integrating sustainability, technology, and workforce capability into their long-term operating environment and strategic priorities.

Climate-related risks, including extreme weather events and transition-related regulatory and market changes, are influencing lending practices, portfolio quality, and risk management approaches. Indian Overseas Bank has undertaken a structured climate risk assessment of its corporate loan portfolio, recognising climate risk as a material and cross-cutting driver of credit and reputational risk.

The assessment indicates that 14% and 31% of the corporate portfolio fall under low and moderate climate risk categories, respectively, while 17%, 30%, and 8% fall under elevated, high, and severe climate risk categories due to exposure across climate-sensitive sectors and geographies. The assessment currently provides a directional portfolio-level view and does not yet represent borrower-specific credit re-rating. The Bank continues to strengthen phased integration of climate-risk considerations into lending practices, portfolio monitoring, and future credit assessment frameworks.

At the same time, rapid adoption of digital technologies, artificial intelligence, data analytics, and automation is transforming customer expectations around accessibility, convenience, and secure banking experiences. These developments are also increasing the importance of skilled talent across digital banking, cybersecurity, compliance, risk management, and customer engagement functions.

The growing complexity of digital banking ecosystems is further reinforcing the need for stronger governance, technology resilience, and enterprise-wide monitoring frameworks.

In parallel, evolving ESG disclosure requirements and regulatory frameworks introduced by SEBI continue to strengthen transparency, sustainability-related governance, and responsible business practices across the financial sector.

Opportunities Identified

- Expand opportunities in sustainable and ESG-aligned financing as the economy transitions towards lower-carbon growth pathways
- Respond to rising customer demand for seamless, secure, and digitally enabled banking experiences
- Strengthen operational resilience and decision-making through technology, analytics, and monitoring capabilities
- Build future-ready workforce capabilities across digital banking, compliance, risk management, and customer engagement functions
- Enhance stakeholder confidence through transparent ESG disclosures and responsible business practices

Our Response

- Integrate climate and ESG considerations into lending, portfolio monitoring, and risk management frameworks
- Continue strengthening operational controls, process governance, and monitoring systems to mitigate operational and technology-related risks
- Invest in employee capability development through continuous learning and specialised training initiatives across technology, compliance, and risk management functions
- Strengthen enterprise-wide governance, analytics-led monitoring, and technology-enabled decision-making frameworks
- Align disclosures and governance practices with evolving sustainability and regulatory reporting requirements, including BRSR frameworks

Rising Importance of Cybersecurity in a Digital Banking Ecosystem

The banking sector continues to undergo rapid digital transformation, driven by growing adoption of digital banking channels, cloud-enabled infrastructure, and evolving customer expectations. While these developments have improved accessibility, convenience, and operational efficiency, they have also increased the importance of strong cybersecurity and data privacy frameworks.

The cyber threat landscape is becoming increasingly complex, with financial institutions facing rising risks from ransomware attacks, phishing attempts, distributed denial-of-service incidents, and other sophisticated cyber intrusions. Growing dependence on interconnected digital ecosystems and technology platforms has heightened the need for resilient infrastructure, secure systems, and responsible data management practices.

In India, evolving regulatory frameworks, including the Digital Personal Data Protection Act, 2023, continue to strengthen the focus on data privacy, cyber resilience, and responsible handling of personal information. As digital adoption accelerates, maintaining the confidentiality, integrity, and availability of data remains a critical priority for financial institutions, requiring continuous investment in cybersecurity infrastructure, monitoring systems, and governance capabilities.

During FY 2025–26, Indian Overseas Bank continued

strengthening its cyber resilience framework through enhanced monitoring, governance, and technology risk oversight mechanisms. Under the Bank's ICAAP framework, cyber risk was assessed as a high-risk category, resulting in an additional capital allocation of ₹6.67 crore towards cyber risk management, while technology risk was assessed as a low-risk category with additional capital allocation of ₹1.67 crore.

The Bank also continued monitoring risk appetite thresholds relating to digital service continuity, operational resilience, and customer complaints. Technology risk assessment under the ICAAP framework was carried out using approved scorecards based on Recovery Time Objective and Recovery Point Objective parameters derived from disaster recovery drills and system resilience assessments.

Opportunities Identified

- Strengthen customer trust and deepen relationships through privacy-first and secure banking experiences
- Build stakeholder confidence by demonstrating leadership in cyber resilience and responsible data governance
- Adopt evolving security standards and frameworks to strengthen compliance with the Digital Personal Data Protection Act 2023
- Leverage secure digital infrastructure to scale customer reach while maintaining operational resilience

Our Response

- Enhance information security posture through robust security controls, continuous monitoring mechanisms, and proactive risk management practices
- Strengthen threat detection, incident response capabilities, vulnerability assessments, and system audit mechanisms
- Reinforce network, application, cloud security, disaster recovery preparedness, and business continuity frameworks
- Maintain comprehensive data governance and privacy frameworks aligned with evolving regulatory requirements and responsible data usage practices
- Continue strengthening enterprise-wide technology governance, cyber resilience, and digital service continuity through integrated monitoring and oversight frameworks

Stakeholder Engagement

Stakeholder Engagement & Materiality Assessment

At Indian Overseas Bank, stakeholder engagement is integral to how the Bank understands risks, identifies opportunities, and shapes long-term strategy. With nearly nine decades of public-sector banking experience, we recognise that meaningful decisions are strengthened by continuous dialogue with the people and institutions our operations affect.

The banking landscape continues to evolve rapidly through digital transformation, changing customer expectations, climate-related considerations, and an increasingly dynamic regulatory environment. In this context, stakeholder engagement serves not only as a relationship-building exercise but also as a strategic input into business planning, governance, risk management, and service delivery.

Stakeholder Engagement

Our engagement approach is guided by the belief that long-term relationships are built through accessibility, responsiveness, and transparency. We actively engage with our customers through both formal and informal channels to understand emerging expectations, gather feedback, and strengthen institutional trust.

Insights from these engagements help shape policies, improve the customer experience, strengthen operational practices, advance financial inclusion, and refine sustainability priorities across the organisation.

Our Stakeholder Universe

Stakeholder engagement plays an important role in strengthening relationships, understanding expectations, and supporting long-term value creation. The Bank identifies and maps its stakeholders based on their relevance to business operations and strategic priorities.

We periodically review stakeholder groups through internal assessment and leadership evaluation to ensure that engagement mechanisms remain aligned with the evolving banking environment and stakeholder expectations. Based on this review, the Bank continues to engage with six key stakeholder groups across internal and external categories during FY 2025–26.

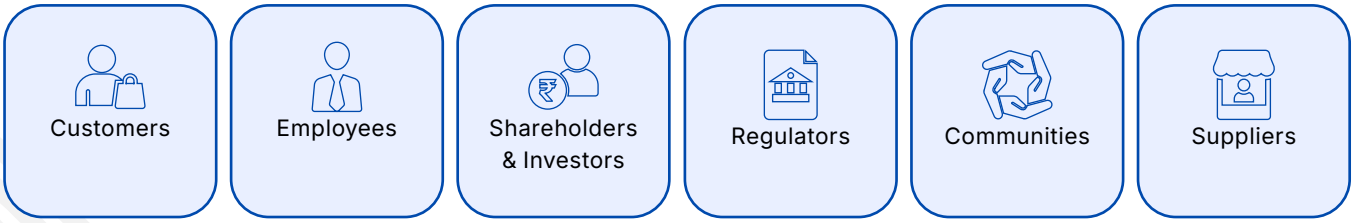

STAKEHOLDER GROUP

CUSTOMERS

Why They Matter to Us

Customers are central to the Bank's purpose and long-term franchise strength. Their trust directly shapes deposits, lending relationships, service reputation and future growth.

What Matters Most to Them

Reliable service across branches and digital channels; transparent product terms; safety of money and data; quick grievance resolution; access to credit on fair terms.

How We Engage & Frequency

- Branch interactions
- Mobile, internet and WhatsApp banking
- call centre
- QR-code feedback at branches
- SMS, e-mail and notice-board updates
- Customer Service Committee

Frequency: Continuous and need-based.

How We Respond

- Revamped CRM-integrated complaint management with 24×7 SPGRS portal
- Grievance resolution rate of 99.89% during the year
- Complaints reduced to 1,86,011 from 2,10,075
- Pending complaints reduced to 211 from 2,610
- Customer Rights Policy aligned with RBI Integrated Ombudsman Scheme

STAKEHOLDER GROUP

EMPLOYEES

Why They Matter to Us

Employees bring the Bank's strategy to life through every customer interaction and operational decision.

What Matters Most to Them

Career development and learning; fair remuneration; safe and inclusive workplace; transparent grievance channels; recognition and growth pathways; well-being and work-life balance.

How We Engage & Frequency

SEGRS; Staff College training; ASK US help desk; ALL IDEAS MATTER scheme; Employee Day; ICC at Central and Regional Offices.

Frequency: Continuous and ongoing.

How We Respond

- 100% health and safety training coverage
- 98.44% employees covered under skill upgradation training
- 100% performance and career development reviews
- Structured Compassionate Appointment and ex gratia framework

STAKEHOLDER GROUP

SHAREHOLDERS & INVESTORS

Why They Matter to Us

Shareholders and investors provide the capital confidence that supports balance sheet growth and long-term strategic execution.

What Matters Most to Them

Consistent profitability and asset quality; transparent disclosures; sound governance and risk discipline; capital efficiency; clarity on strategy.

How We Engage & Frequency

Quarterly investor meets, earnings calls, stock exchange filings, AGM, investor conferences, and roadshows.

Frequency: Quarterly, annual and need-based.

How We Respond

- Net profit of ₹5,208 crore, up 56.16%
- ROE of 20.42% and ROA of 1.23%
- CRAR of 19.78%, with Tier 1 at 16.94%
- Gross NPA at 1.42%
- Cost-to-Income ratio improved to 44.94%

STAKEHOLDER GROUP

REGULATORS

Why They Matter to Us

Constructive engagement with regulators and government authorities helps the Bank remain compliant and aligned with national priorities.

What Matters Most to Them

Regulatory compliance; sound risk management; transparent reporting; participation in national priorities.

How We Engage & Frequency

Regulatory inspections; supervisory reviews; statutory filings; policy consultations; SLBC convenor role in Tamil Nadu.

Frequency: Continuous and need-based.

How We Respond

- Governance compliance reports filed with BSE and NSE
- Active participation in PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, PM-KUSUM and PM Swanidhi
- Recognised by DFS as Best Performer in Grievance Redressal among PSBs

STAKEHOLDER GROUP

COMMUNITIES

Why They Matter to Us

Communities remain central to the Bank's public-sector mandate, especially in rural and aspirational districts.

What Matters Most to Them

Access to formal banking and credit; financial literacy; livelihood support; outreach to underbanked geographies.

How We Engage & Frequency

Community outreach through NGOs, SNEHA Financial Literacy Centres, sponsorships and donations, and Aspirational District outreach.

Frequency: Continuous

How We Respond

- 94.57 lakh PMJDY accounts with a cumulative balance of ₹3,991 crore
- 192 sponsorship and donation initiatives
- Aspirational district spend of ₹36.37 lakh
- National Award for Outstanding Performance in SHG Bank Linkage

STAKEHOLDER GROUP

SUPPLIERS

Why They Matter to Us

Vendors and technology partners support secure, scalable and efficient banking operations.

What Matters Most to Them

Fair and transparent procurement; timely settlement; clear service-level expectations.

How We Engage & Frequency

GeM procurement; onboarding due diligence; contract management; performance reviews; technical engagements.

Frequency: Periodic and need-based.

How We Respond

- 100% of directly sourced inputs procured from within India
- 20% of IT procurement earmarked for MSEs
- Preferential consideration to DPIIT-recognised start-ups

Materiality Assessment

At Indian Overseas Bank, materiality assessment helps identify and prioritise matters most relevant to the Bank's strategy, operations, stakeholder expectations, and long-term value creation. As a public sector bank operating across diverse geographies and customer segments, the Bank continuously evaluates a broad range of issues — including financial inclusion, digital transformation, cyber resilience, climate risk, governance, employee capability, and customer service.

The material matters identified reflect the areas that most significantly influence the Bank's ability to create sustainable value over the long term. These matters also help guide strategic focus areas, strengthen risk oversight, support capital allocation decisions, and shape operational priorities across the organisation.

The Bank periodically reviews the relevance of identified material matters in line with changes in the operating environment, stakeholder expectations, regulatory developments, and business priorities. Based on the internal assessment conducted during FY 2025–26, the identified material matters remain relevant to the Bank's long-term growth and transformation.

Approach to Materiality Assessment

The materiality assessment process followed by Indian Overseas Bank was designed to identify and prioritise the issues most relevant to the Bank's long-term value creation, stakeholder expectations, and strategic priorities. The process followed a structured five-step approach:

IDENTIFICATION: We identify and review stakeholder groups and material matters in light of the Bank's operating environment, strategic priorities, sectoral developments, regulatory expectations, and the evolving business landscape. This helps us understand the issues that are most relevant to long-term value creation and responsible banking practices.

ENGAGEMENT: We engage with stakeholders through multiple formal and informal channels, including customer service, employee interactions, investor communication,

regulatory engagement, community outreach, and industry participation. These interactions help us understand stakeholder expectations and emerging priorities.

PRIORITISATION OF MATERIAL MATTERS: Inputs gathered through stakeholder interactions, internal discussions, business priorities, and sector-level developments are reviewed to identify and prioritise material matters relevant to the Bank's strategy, operations, and long-term growth.

INTEGRATION & DISCLOSURE: The identified material matters are integrated into the Bank's strategic focus areas, risk management approach, governance processes, and sustainability disclosures. These insights support informed decision-making and strengthen the Bank's long-term value creation framework.

Material Issue Identified	Description / Why It Matters	Capitals/ SDG / Stakeholders Imapcted
Data Privacy	As digital adoption deepens, protecting customer data has become essential to maintaining customer trust. The Bank handles a significant volume of sensitive personal information across digital and branch channels, making data privacy and cybersecurity critical to responsible banking operations. The importance of this issue is reinforced by the Bank's ISO 27001:2022-certified Information Security Management System and a multi-layered cybersecurity framework comprising encryption, access controls, vulnerability assessments, and cybersecurity awareness initiatives for customers and employees.	
Business Continuity	For a bank with a nationwide presence, operational continuity is essential to maintaining uninterrupted customer service and stakeholder confidence. Disruptions arising from natural disasters, cyber incidents, system failures, or public health emergencies can affect service delivery and operational stability. To strengthen resilience, the Bank operates a Board-approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery framework, supported by a four-way Data Centre architecture, dual-branch connectivity, and periodic disaster recovery drills.	

Financial Capital | Manufactured Capital | Intellectual Capital | Human Capital | Social and Relationship Capital | Natural Capital

Material Issue Identified	Description / Why It Matters	Capitals/ SDG / Stakeholders Imapcted
Systematic Risk Management	Banking fundamentally depends on the ability to identify, assess, and manage risks effectively. Credit, market, operational, liquidity, technology, and information security risks can impact financial stability, operational resilience, and stakeholder confidence if not managed proactively. The Bank operates a Board-overseen risk governance framework aligned with ISO 31000:2018, supported by dedicated committees for credit, asset-liability management, operational risk, and product and process risk. Risk oversight is further strengthened through Region-level Risk Managers who monitor exposures closer to the point of origination.	
Ethical Behaviour	Ethical conduct forms the foundation of responsible and trustworthy banking. The Bank's Code of Conduct, Whistle-Blower Policy, and structured grievance mechanisms help strengthen integrity, accountability, and transparent business practices across the organisation. Oversight aligned with the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC) further reinforces governance standards and ethical decision-making. Maintaining high standards of conduct remains essential to preserving the trust and credibility the Bank has built over nearly nine decades.	
Customer Fairness and Right Selling	Customer fairness reflects the Bank's commitment to responsible conduct, transparent communication, and ethical service practices. The Bank's Fair Practices Code, Customer Rights Policy, and grievance redressal mechanisms aligned with the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme guide product design, sales practices, and post-service engagement. Maintaining fairness and transparency in customer interactions remains essential to strengthening trust, customer relationships, and long-term institutional credibility.	

Financial Capital | Manufactured Capital | Intellectual Capital | Human Capital | Social and Relationship Capital | Natural Capital

Material Issue Identified	Description / Why It Matters	Capitals/ SDG / Stakeholders Imapcted
Regulatory and Legal Compliance	Regulatory compliance forms the foundation of responsible banking operations and governance. The Bank operates within the supervisory framework of the Reserve Bank of India, SEBI listing requirements, and various statutory and regulatory obligations applicable across its businesses. A Board-approved Compliance Policy, a Chief Compliance Officer reporting directly to the MD & CEO and the Audit Committee, and periodic corporate governance compliance reporting together strengthen the Bank's compliance and oversight framework. Continuous monitoring and timely corrective actions remain essential to maintaining regulatory discipline, operational integrity, and stakeholder confidence.	
Climate Risk	Climate-related considerations are becoming increasingly important in the Bank's credit appraisal and operational decision-making processes. Physical risks such as extreme weather events, along with transition risks arising from regulatory, technological, and market changes, can influence portfolio quality and long-term asset resilience. To strengthen climate risk integration, the Bank has introduced a Climate Risk Questionnaire for larger credit exposures and operationalised an ESG Scorecard into the appraisal process.	
Green Finance and Sustainable Lending	Green finance plays an important role in supporting the transition to a more sustainable, low-carbon economy. The Bank continues to strengthen its green finance portfolio through renewable energy financing, electric vehicle lending, and support for environmentally sustainable projects under initiatives such as IOB Surya and IOB Tejas. Financing for biomass projects and sustainable mobility also expanded during the year, reflecting the Bank's growing focus on climate-aligned lending. Independent verification of Green Deposit proceeds and the Bank's signatory status with the Partnership for Carbon Accounting Financials further reinforces the credibility of its sustainable finance approach.	

Financial Capital | Manufactured Capital | Intellectual Capital | Human Capital | Social and Relationship Capital | Natural Capital

Material Issue Identified	Description / Why It Matters	Capitals/ SDG / Stakeholders Imapcted
Financial Inclusion	Financial inclusion remains a core priority for Indian Overseas Bank as a public sector bank committed to expanding access to formal banking services. The Bank continues to strengthen outreach through PMJDY accounts, Business Correspondent networks, and participation in national schemes such as PMJJBY, PMSBY, Atal Pension Yojana, PM-KUSUM, and PM Street Vendor's Atma Nirbhar Nidhi. These initiatives help extend access to banking, financial security, and credit to underserved and economically vulnerable segments across the country while strengthening the Bank's long-term customer relationships and outreach.	
Employee Benefits and Development	Employee development remains central to the Bank's long-term growth, service quality, and operational resilience. The Bank continues to strengthen its workforce capability through its ISO 9001:2015 certified Staff College, which runs training programmes in core banking, risk management, compliance, digital banking, leadership, and functional development, including dedicated programmes for Key Managerial Personnel. The Bank also focuses on continuous learning, employee well-being, and workplace support through extensive skill development initiatives, health and safety training, group insurance coverage, crèche allowances, and structured employee welfare programmes.	

Financial Capital | Manufactured Capital | Intellectual Capital | Human Capital | Social and Relationship Capital | Natural Capital

FINANCIAL CAPITAL

Net Profit:
₹5,208 crore
up 56.16% over FY 2024–25

Net Interest Income:
₹12,574 crore
up 15.46% over FY 2024-25

Return on Equity
20.42%

Total Business
₹6,78,614 crore
up 20.76% over FY 2024-25

Stakeholders Impacted	SDGs Impacted	Linked Material Issues
Customers Investors / Shareholders	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	Financial Inclusion Customer Fairness & Right Selling Regulatory & Legal Compliance Systematic Risk Management

At Indian Overseas Bank, financial capital represents the foundation of stability, growth, and trust. It reflects our ability to mobilise deposits, deploy capital prudently, maintain strong liquidity and capital buffers, and support customers and businesses through responsible lending. Every financial decision — from credit deployment to provisioning and recovery — influences the Bank's resilience and long-term value creation.

FY 2025–26 marked a significant step forward in strengthening this foundation. Profitability improved sharply, asset quality reached its strongest position in over a decade, and the business mix continued to shift toward granular RAM segments. Together, these outcomes show disciplined execution, prudent risk management, and a stronger operating model that continues to strengthen the Bank's financial resilience and growth.

Earnings That Reflect a Stronger Operating Engine

FY 2025–26 marked a year in which IOB's financial performance began to reflect the cumulative impact of sharper execution, disciplined cost management, and a stronger quality of growth. Profitability improved not because of any one-off movement, but because the Bank steadily strengthened its core operating engine — expanding interest income, improving productivity, scaling fee-based businesses, and maintaining tighter control over operating expenses.

The year also reflected the benefit of a more balanced earnings profile. Growth in interest income was supported by healthy credit expansion, while fee-based revenues continued to gain traction through non-fund-based business and processing-led income streams. At the same time, improving operational efficiency and rising digital adoption helped moderate cost growth, enabling a stronger conversion of revenue into profit.

The financial outcomes of this operating momentum are reflected below:

- Net Profit increased by 56.16% to ₹5,208 crore
- Net Interest Income grew by 15.46% to ₹12,574 crore
- Operating Profit rose by 15.40% to ₹10,026 crore
- Operating Income stood at ₹18,210 crore
- Fee-based Income reached ₹2,796 crore
- Cost-to-Income Ratio improved to 44.94% from 47.14%

A Balance Sheet Anchored in Granular Growth

The Bank's balance sheet growth during FY 2025–26 reflected a stronger and more diversified business mix. Advances and deposits recorded healthy growth, while the lending portfolio continued to shift toward granular Retail, Agriculture, and MSME (RAM) segments, reducing concentration risk and strengthening portfolio resilience. Retail and agricultural businesses remained key growth drivers during the year, supported by sustained momentum in housing and priority-sector lending. A stable CASA franchise also continued to support funding quality and liquidity strength.

Key highlights during the year included:

- Total Business increased by 20.76% to ₹6,78,614 crore
- Gross Advances grew by 24.16% to ₹3,10,423 crore
- Deposits increased by 18.03% to ₹3,68,191 crore
- RAM segment contribution increased to 78.93% of Global Advances
- Retail Advances rose by 45.12%
- Agriculture Advances grew by 39.27%
- Core MSME advances grew by 23.77%
- CASA Ratio stood at 40.99%

Strengthening Resilience Through Better Asset Quality and Capital Discipline

FY 2025–26 marked a significant strengthening in the quality and resilience of IOB's balance sheet. Sustained recovery efforts, disciplined underwriting, and tighter monitoring mechanisms continued to improve asset quality, bringing stressed assets to their lowest level in over a decade. During the year, the Gross NPA ratio improved to 1.42% from 2.14%, while the Net NPA ratio further reduced to 0.21% from 0.37%. The Bank also maintained a strong Provision Coverage Ratio of 97.50%, supported by recoveries amounting to ₹3,576 crore during the year.

At the same time, the Bank strengthened its capital position even while advances grew by over 24% during the year. The Capital Adequacy Ratio remained comfortable at 19.78%, with the Tier 1 Capital Ratio at 16.94%, reflecting strong financial resilience and adequate headroom to support future business growth. The continued shift toward granular RAM lending also improved capital efficiency and reduced overall portfolio risk, strengthening the Bank's ability to sustain profitable long-term growth.

Building the Foundation for Long-term Value

FY 2025–26 was not only a year of stronger financial performance, but also a year in which the Bank reinforced the foundations required for sustainable long-term growth. Improving profitability, healthier asset quality, stronger capital buffers, and a more granular lending mix have collectively strengthened IOB's ability to create value across economic cycles. The improvement in Return on Assets to 1.23% and Return on Equity to 20.42% reflects a business that is becoming more productive, efficient, and resilient with every passing year.

At the same time, the Bank maintained stable margins despite changing interest-rate conditions, supported by disciplined liability management and a healthier funding profile. This balanced approach toward growth and risk remains central to the Bank's long-term financial strategy.

Looking ahead, IOB remains focused on strengthening the quality of growth rather than pursuing scale alone. The Bank will continue to deepen its presence across the Retail, Agriculture, and MSME segments, expand fee-based and digital income streams, strengthen recovery and underwriting frameworks, and deploy capital with a clear focus on risk-adjusted returns. Investments in technology, customer experience, and sustainable financing will continue to shape the next phase of growth.

As the operating environment evolves, the Bank remains committed to building a larger, structurally stronger, more efficient balance sheet that is better positioned to create enduring value for customers, shareholders, and the wider economy.

MANUFACTURED CAPITAL

3,494 Domestic Branches & **53** Regional Offices

spread across all States & Union Territories

12,187

Business Correspondent Agents extending the Bank's reach into underserved geographies

3,651

ATMs forming a continuous self-service layer

7 LEED

certified premises

(6 Gold + 1 Platinum)

₹204.90 crore

IT capital expenditure during FY 2025-26

Stakeholders Impacted	SDGs Impacted	Linked Material Issues
Customers, Employees, Regulators	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH; 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	Ethical Behaviour; Business Continuity; Systematic Risk Management; Customer Fairness & Right Selling; Regulatory & Legal Compliance

At Indian Overseas Bank, manufactured capital reflects the strength of an institution that has evolved with India's banking landscape for nearly nine decades. Our physical presence, digital infrastructure, and operational systems together form the foundation through which we deliver seamless, secure, and accessible banking experiences across the country.

We view branches, ATMs, digital platforms, and technology architecture not as separate channels, but as interconnected touchpoints that enable us to serve customers wherever they are and however they choose to bank. This integrated approach allows us to combine the trust of a strong physical network with the agility and convenience of modern digital banking.

During FY 2025–26, we continued to strengthen this foundation by expanding our reach, modernising core infrastructure, and enhancing system resilience across operations. We upgraded our technology, strengthened our operational continuity, and improved accessibility across customer channels to support growing transaction volumes and changing customer expectations.

The outcome is a scalable, future-ready infrastructure ecosystem that strengthens service delivery, supports business continuity, enables faster response to disruption, and ensures that banking remains consistently available at the last mile.

Strengthening the Branch and Service Network

At IOB, the branch remains the foundation of customer trust, even as digital channels handle a growing share of transactions. Our physical and self-service infrastructure is designed to ensure seamless banking access across urban, semi-urban, and rural markets, enabling consistent customer engagement across geographies.

The Bank's outreach extends beyond its owned premises through an extensive Business Correspondent network, which strengthens last-mile connectivity and expands access to formal banking services. Internationally, our overseas presence continues to support trade, remittance, and relationship banking requirements across key markets.

The following infrastructure metrics reflect the scale and reliability of our service delivery network:

- 3,494 domestic branches and 53 Regional Offices across 35 States and Union Territories
- 805 ATMs and 2,846 CDMs supporting self-service banking operations with 96.66% uptime
- 12,187 Business Correspondent Agents strengthening rural and semi-urban outreach
- 4 international offices serving overseas customer segments across key Asian corridors

Modernising the Technology Backbone

The strength of its digital infrastructure increasingly defines manufactured capital in a modern bank. During FY 2025–26, IOB upgraded its Core Banking System from Finacle 10.2.17 to 10.2.25, becoming the second public sector bank in India to adopt this version. The upgrade, supported by IBM P10 servers, Oracle RAC architecture, software-defined networking, microsegmentation, and a 25 Gbps backbone, strengthened system scalability, speed, and security.

The Bank also operationalised an IGBC Gold-rated Tier-3 Primary Data Centre in Chennai with N+N redundancy across critical infrastructure, while expanding its Private Cloud 2.0 environment on VMware VCF 9.0 to support future-ready digital applications and operational resilience.

Customer-facing digital infrastructure also expanded significantly during the year. IOB launched a new Mobile Banking application and Corporate Website, operationalised 1,200 multifunctional passbook kiosks, and deployed 600 new Cash Recyclers to strengthen self-service banking capabilities.

Further strengthening digital engagement, the Bank onboarded 639 new merchants to the IOB Pay platform, introduced new DIY journeys in the Credit Card application process, and launched a new prepaid card solution with additional offerings. These initiatives supported higher adoption and improved utilisation across digital channels,

with average monthly transactions per ATM/CDM reaching 96 during FY 2025–26.

Engineering Resilience and Continuity

For a public sector bank, downtime is not just an operational issue — it is a public commitment broken. We approach business continuity with this in mind. The Bank operates a four-way Data Centre setup comprising the Primary DC, Disaster Recovery Site, Near Line DC, and Near DR, with replication paths designed for zero data loss. Branches are connected through dual paths over alternate service providers and media, ensuring that no single fibre cut takes a branch offline.

Disaster Recovery drills are conducted every quarter for a minimum of five to seven working days, during which the entire production environment is run from the DR site under the supervision of the DR team. The Recovery Time Objective and Recovery Point Objective parameters are codified in the Board-approved BCP and DR Policy, and are tested during every drill. Cyber resilience is reinforced through firewalls, intrusion detection systems, periodic vulnerability assessments, and penetration testing conducted by external experts, all aligned with RBI guidelines.

Inclusive and Sustainable Premises

Our infrastructure investments increasingly reflect environmental considerations alongside operational ones. During FY 2025–26, the Bank held 7 LEED-certified premises — 6 at Gold and 1 at Platinum — making green-rated workplaces a measurable and growing share of our owned real estate. LED lighting and energy-efficient retrofits were extended to the Staff Training College, 250 existing branches, and 162 new branches, while rooftop solar installations were deployed at select branches and administrative offices.

Accessibility forms an equally important strand of our premises strategy. Ramps have been installed across multiple offices to enable barrier-free access for visitors with disabilities, and specialised software has been provided to visually impaired staff to support equitable participation in day-to-day work. The Staff Training College in Chennai was retrofitted with low-flow faucets, dual-flush water closets, and green-certified construction materials during the year.

Capital Allocation and Forward Roadmap

We allocate manufactured capital with a clear focus on strengthening resilience, scalability, and customer accessibility. During FY 2025–26, IT capital expenditure stood at ₹204.90 crore, directed towards core technology upgrades, cybersecurity, automation, and infrastructure modernisation initiatives across the Bank.

Looking ahead, our manufactured capital priorities for FY 2026–27 include commissioning a new Disaster Recovery Site in Hyderabad, upgrading the ATM Switch infrastructure, and strengthening digital banking capabilities through Corporate Mobile Banking solutions. The Bank also plans to replace 1,069 Cash Recyclers and operationalise 450 additional Passbook Kiosks to further expand its self-service banking infrastructure and customer convenience.

Through these investments, we remain committed to building infrastructure that is resilient, scalable, and aligned with the evolving expectations of a digitally connected banking ecosystem.

INTELLECTUAL CAPITAL

27 lakh+
Mobile Banking registrations during FY 2025–26

1.8 lakh+
users on the newly launched WhatsApp Banking platform

Mule Hunter AI/ML solution deployed for fraud detection in collaboration with Reserve Bank Innovation Hub

Generative AI deployed for complaint summarisation and ESG knowledge retrieval

Four IBA Banking Technology Awards received during FY 2025–26

Stakeholders Impacted	SDGs Impacted	Linked Material Issues
Customers, Employees	9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	Data Privacy

At Indian Overseas Bank, intellectual capital reflects the knowledge, technology, and institutional expertise that strengthen how we operate and serve customers. It is embedded in the digital platforms customers rely on, the intelligence systems that safeguard transactions, and the learning ecosystem that builds future-ready banking capabilities.

We believe technology delivers meaningful value when combined with strong institutional knowledge and skilled people. During FY 2025–26, we deepened this integration by embedding artificial intelligence into fraud surveillance, expanding digital self-service channels, strengthening cybersecurity frameworks aligned with global standards, and enhancing employee learning and capability-building initiatives.

Together, these efforts are building a more agile, secure, and digitally enabled bank, prepared for the evolving needs of customers and the banking ecosystem.

Advancing a Connected Digital Banking Ecosystem

At IOB, digital banking continues to evolve into a seamless and integrated customer engagement platform. During FY 2025–26, the Bank launched a new Mobile Banking application with improved user journeys, intuitive navigation, and integrated digital capabilities to enhance accessibility and convenience across customer segments.

The Bank also upgraded its private cloud platform, IOB Meghadri, to support growing customer needs and its expanding digital ecosystem. The enhanced platform provides greater scalability, resilience and operational efficiency, enabling faster deployment of digital services and improved customer experiences across channels.

The platform witnessed strong adoption, with the mobile banking user base reaching 1.30 crore customers and over 27 lakh new registrations during FY 2025–26. Internet Banking also crossed 39.58 lakh users, with more than 5.10 lakh new registrations during the year.

Digital engagement was strengthened through multilingual WhatsApp Banking, self-service Re-KYC, online deposit opening, VCIP-enabled onboarding, Aadhaar-based Tab Banking services, digitally enabled credit card journeys, and Digital Public Infrastructure such as UPI, Aadhaar authentication and Account Aggregator architecture.

With enhanced computing capabilities and future-ready infrastructure, IOB Meghadri supports innovation initiatives, including advanced analytics and AI-driven services, while ensuring secure, seamless and uninterrupted operations. The modernisation also improves operational agility and cost efficiency, reinforcing the Bank's long-term digital transformation journey.

These initiatives accelerated digital adoption across channels. During FY 2025–26, digital transactions accounted for 98.38% of total transactions, led by UPI at 90% of the digital transaction mix. NEFT & RTGS accounted for 3.09%, card transactions contributed 2.92%, and other digital channels accounted for the remaining share.

Building Resilient and Scalable Technology Infrastructure

IOB continued to modernise its technology backbone during FY 2025–26 through infrastructure upgrades focused on scalability, interoperability, cybersecurity, and operational resilience. The Bank upgraded its Core Banking System to Finacle 10.2.25, becoming the second public sector bank in India to migrate to the latest supported version of Finacle.

The Bank also implemented Private Cloud 2.0 on a VMware VCF 9.0 architecture within its new on-premises infrastructure, strengthening scalability and support for future-ready digital applications. SD-WAN migration for branch routers and implementation of Virtual Desktop Infrastructure (VDI) further enhanced connectivity, security, and operational resilience across the Bank's network ecosystem.

Technology investments during the year remained focused on strengthening core banking infrastructure, cybersecurity, automation, and regulatory capabilities. IT capital expenditure for FY 2025–26 stood at ₹204.90 crore against a budgeted allocation of ₹255.34 crore. Key investments included:

Oracle ULA licences	Server Infrastructure	CLMS tools	AML Software
₹31.78 crore	₹12.56 crore	₹10.49 crore	₹10.49 crore

ALM, IRRBB and capital adequacy tools	Check Point firewalls	Trade automation systems
₹10.70 crore	₹5.70 crore	₹4.03 crore

The Bank further strengthened business continuity preparedness through a four-way data centre architecture comprising the Primary Data Centre (PDC), Disaster Recovery Site (DRS), Near Line Data Centre (NDC), and Near Disaster Recovery (NDR) infrastructure. Quarterly Disaster Recovery drills are conducted for 5–7 working days under defined Recovery Time Objective (RTO) and Recovery Point Objective (RPO) frameworks approved under the Bank's BCP & DR policy.

A new Tier-3 Primary Data Centre with N+N redundancy was also operationalised during the year. Equipped with seven layers of security, advanced infrastructure architecture, overhead cabling systems, and zero-tilt flooring, the facility significantly strengthens operational continuity, infrastructure reliability, and long-term maintainability.

Securing Information and Customer Trust

Trust in a bank is, increasingly, trust in its security perimeter. The Bank operates an ISO 27001:2013 certified Information Security Management System and has formally adopted ISO 31000:2018 as the standard for enterprise risk management. The Bank reinforces cybersecurity awareness through public campaigns and advisories on phishing, fake apps, deepfake scams, digital arrest frauds, and UPI-related risks, supported by the Bank's website and social media channels.

During the year, the Bank achieved a key milestone by obtaining ISO 31000:2018 certification for its Enterprise Risk Management framework, reflecting alignment with globally accepted risk management practices. This followed a comprehensive strengthening of the Bank's risk policies, frameworks and processes, undertaken with the support of a leading global consulting firm.

The certification, awarded after an independent audit by an accredited agency, validates that the Bank's ERM framework covers risk governance, identification, assessment, mitigation, monitoring and reporting, and is effectively embedded into strategic and operational decision-making. Its adoption has improved consistency in risk assessment, strengthened decision-making, enhanced accountability across functions, and supported stronger integration of risk management with business strategy.

Operationally, the Bank strengthened its grievance and customer relationship management systems by revamping the CRM platform and integrating it with the Centralised Grievance Redressal Portal (SPGRS). The system enables 24×7 complaint registration, real-time tracking, escalation management, and structured turnaround timelines aligned with the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2021 - enhancing responsiveness, transparency, and customer confidence across service channels.

This achievement reinforces the Bank's commitment to proactive risk management, stronger governance standards, transparency, and continuous alignment with global best practices.

Strengthening Digital Architecture and Technology Excellence

The Bank continued to modernise the underlying process architecture supporting digital banking operations through scalable integration frameworks, workflow digitisation, and secure technology infrastructure. A robust Enterprise Service Bus and API Gateway infrastructure now enables seamless integrations across internal systems, Fintech platforms, Digital Public Infrastructure, and third-party applications, thereby supporting faster, more scalable deployment of digital services.

Digital workflow transformation accelerated during the year through the rollout of Digital Office Notes Solutions across management levels up to the Board, improving operational agility and reducing manual intervention. Collection and recovery operations were also strengthened through digital dashboards, workflows, and mobile applications, enabling real-time monitoring and faster execution. The Bank further strengthened automation capabilities through Robotic

Process Automation (RPA) using UiPath, enabling software bots to automate repetitive and rule-based processes across functions. RPA supports activities such as data entry, reconciliations, report generation, compliance monitoring and customer onboarding, improving processing speed, operational efficiency and control while reducing manual effort and turnaround times.

The Bank further expanded straight-through processing capabilities across customer onboarding and KCC lending journeys. Applications such as IOB Law Connect and the KYC Smart Scanner Mobile App strengthened legal process management. They simplified onboarding and Re-KYC workflows through QR-enabled document processing integrated with Tab Banking systems. The integration of AI-enabled capabilities within the RPA framework further supports intelligent automation, enhances compliance, reduces processing errors and enables scalable deployment of digital workflows across business functions. Internally, ASK US and ALL IDEAS MATTER continued to support employee collaboration, structured problem-solving, and process innovation across the organisation.

These investments in technology modernisation, digital infrastructure, and process innovation received external recognition during the year at the IBA's 21st Annual Banking Technology Conference and Awards, where IOB was recognised across four categories:

- Best IT Risk and Management (Runner-up)
- Best Tech Talent and Organisation (Runner-up)
- Best Technology Bank of the Year (Special Mention)
- Best Digital Financial Inclusion (Special Mention)

These recognitions reflect the Bank's continued focus on building secure, scalable, and inclusive digital banking capabilities that strengthen customer trust and operational resilience.

HUMAN CAPITAL

21,034
Employees

43.49
Training Hours per Employee

37.05 %
Women Officers

3.85/5
Engagement Score

250
future leaders developed under Project Lakshya

₹32.26 Crores
Business per Employee up 20.37% over FY2024-25

₹25 Lakhs
Profit per Employee up 56.25% over FY2024-25

Stakeholders Impacted	SDGs Impacted	Linked Material Issues
Employees	5 GENDER EQUALITY, 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH, 10 REDUCED INEQUALITIES	Employee Benefit and Development; Ethical Behaviour

At Indian Overseas Bank, the strength of our institution flows directly from the strength of our people. Banking is, at its core, a business of trust — and trust is something only people can establish, customer by customer and transaction by transaction. As the Bank navigates a period of rising digital adoption, sharper regulatory expectations, and deeper public sector responsibility, the role of our workforce has only become more central. Our people translate technology into service, policy into practice, and presence into relationship. The human capital agenda for FY 2025–26 has therefore been built around three quiet but important shifts: deepening capability, broadening representation, and listening more carefully to the workforce.

A Workforce Built for Reach and Reliability

Our workforce profile reflects the Bank's identity as a public sector institution with deep domestic roots and a people-centric culture. As of FY 2025–26, employee strength stood at 21,034, up from 20,966 in FY 2024–25, reflecting stable workforce growth aligned with evolving business needs. During the year, the Bank inducted 855 new employees, up from 328 in the previous year, supporting continuity while bringing fresh capabilities into the organisation. Employee retention also remained strong, with attrition at 1.80%, broadly in line with 1.78% in FY 2024–25 and well within sector norms for public sector banks.

Key workforce highlights for FY 2025–26 include:

OFFICERS
13,022

CUSTOMER SERVICE ASSOCIATES
6,705

SUB-STAFF
1,307

DOMESTIC / OVERSEAS WORKFORCE
21,013 / 21

VOLUNTARY ATTRITION
1.41%

INVOLUNTARY ATTRITION
0.39%

NEW HIRES DURING THE YEAR
855

The changing workforce mix reflects the Bank's focus on strengthening leadership depth and future-ready capabilities. Internal promotions and selective hiring supported growth in the officer cadre, enabling the Bank to expand supervisory, credit, and digital banking functions while preserving institutional continuity.

Sharpening Skills for an Evolving Bank

A noticeable lift in learning intensity defined our FY 2025–26 effort. Average training hours per employee rose to 43.49 hours from 27.41 hours in the previous year, a near-60% increase that signals how seriously the Bank is treating capability building as a precondition for growth. The internal training system reached 20,080 employees, while 4,233 officers and executives attended programmes at external institutions of national standing. We anchored specialist learning through new institutional partnerships, including a customised MSME programme with the Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) and a tailored learning arrangement with the Indian Institute of Management Kozhikode (IIMK). Digital fluency continued to receive sustained attention, with 10,648 staff members completing structured IT modules during the year, supporting the Bank's broader push on core banking, cybersecurity, and customer-facing digital tools.

Key Highlights during the year include:

TRAINING HOURS PER EMPLOYEE
43.49

INTERNAL TRAINING REACH
20,080
EMPLOYEES

IT MODULES COMPLETED
10,648
STAFF MEMBERS

EXTERNAL INSTITUTIONAL PROGRAMMES
4,233
EXECUTIVES AND OFFICERS

NEW ACADEMIC-INDUSTRY PARTNERSHIPS: IIBF (MSME) AND IIMK (CUSTOMISED PROGRAMMES)

Advancing Women into Decision-Making Roles

For us, gender diversity is not merely a representation metric — it reflects the widening of opportunities and participation across leadership levels within the Bank. During FY 2025–26, the share of women in the officer cadre increased to 37.05% from 36.34% in the previous year, supported by the addition of 284 women officers. The overall gender ratio also improved from 1.74 to 1.69, indicating a gradual narrowing of the male-female gap across the workforce.

To strengthen this commitment, the Bank launched NARI — Nurturing Aspiring Role Models in Inclusive Banking — a dedicated women's leadership programme to build a stronger pipeline of future-ready women leaders across branches and corporate offices. Progress remains gradual but consistent, showing a sustained commitment to inclusion and leadership development.

Key diversity highlights for FY 2025–26 include:

- Women officers: 4,824
- Women in officer cadre: 37.05% of total officers
- Net addition of women officers: 284
- Gender ratio (M: F): 1.69
- Launch of NARI – Women's Leadership Programme

By continuing to strengthen representation and leadership pathways for women, the Bank is building a more inclusive and balanced workforce. These efforts support a culture where growth opportunities are shaped by capability, participation, and long-term development.

Listening, Recognising and Supporting the Workforce

Employee engagement at the Bank is anchored in a culture of listening, responsiveness, and continuous improvement. During FY 2025–26, the annual employee engagement survey recorded an average satisfaction score of 3.85 out of 5, improving from 3.7 in FY 2024–25. The improvement reflects the Bank's focus on strengthening employee experience and acting meaningfully on workforce feedback.

One key outcome of the survey findings was the introduction of a confidential counselling facility supported by external professional counsellors. The initiative aims to provide employees with structured, accessible well-being support, helping address occupational stress and support emotional well-being in a confidential and dignified manner.

Key employee engagement highlights for FY 2025–26 include:

- Employee engagement survey score: 3.85 / 5
- Confidential counselling facility introduced through external counsellors

The Bank also redesigned its rewards and recognition framework during the year to create a more continuous and performance-linked recognition culture. Beyond periodic award-based recognition, the Bank introduced a quarterly points-based system in which top performers earn reward points that can be redeemed for professional development and career advancement. Also, the FAB 50, SUPER 88, and Golden League Champions programmes were active during FY 2025-26, with a total of 403 members receiving training for their outstanding performance in the campaign.

Key recognition and reward highlights for FY 2025–26 include:

- Quarterly reward points credited to top performers
- Reward points redeemable against external and overseas training nominations
- Recognition linked with promotion considerations and transfer preferences

Through these initiatives, the Bank continues to strengthen employee motivation and engagement and to foster a workplace culture built on recognition, support, and growth.

Preparing the Next Line of Leaders

Leadership development continued to receive focused attention during FY 2025–26 under Project Lakshya, the Bank's structured HR transformation initiative to build future-ready leadership capabilities. During the year, 250 identified future leaders completed a nine-month immersive development programme that combined classroom learning, live projects based on real banking challenges, and structured one-to-one coaching sessions. The programme was designed to strengthen managerial, strategic, and decision-

making capabilities required for branch leadership, credit management, and institutional governance roles.

The Bank further strengthened its leadership pipeline through a range of specialised programmes delivered in collaboration with reputed institutions and internal learning platforms. These initiatives focused on strengthening leadership effectiveness, team management, strategic thinking, and institutional capability building across different management levels. Together, these interventions show the Bank's long-term commitment to developing leaders who can guide the institution through an evolving banking landscape.

Key leadership development highlights for FY 2025–26 include:

- Future leaders developed under Project Lakshya: 250
- Nine-month immersive leadership development programme
- Programme structure included classroom learning, live projects, and one-to-one coaching
- AAROHAN 2025 – Leadership Development Programme
- Campus Programme on Leadership Development for Bank Executives – NIBM
- Financial Sector Leadership Development Program (FSLDP) – CAFRAL
- Impact Leadership: The Blueprint for High-Performance Team – SPJIMR
- ISB CXO Leadership Refresher Programme
- Leadership Development Programme – Centre for Organisation Development
- Leadership Development Programme: Train The Trainer (TTT) – BCG
- Leadership Excellence Programme for Newly Promoted Scale IV Officials – XLRI

These initiatives are helping the Bank build a stronger leadership bench that can navigate evolving customer expectations, technological change, and governance responsibilities while preserving the institution's long-standing service values.

SOCIAL AND RELATIONSHIP CAPITAL

99.89%
Acorss the year Grievance resolution rate

94.5 lakh
PMJDY Accounts

₹8.74 crores
CSR Amount Spend

5.85 lakh
No. of CSR Beneficiaries

192
sponsorship & donation initiatives undertaken during the year

₹36.37 lakh
Aspirational district spend

100%
local sourcing - entirely within India

12,187
Business Correspondent Agents

Stakeholders Impacted	SDGs Impacted	Linked Material Issues
Customers Communities	1 NO POVERTY 10 REDUCED INEQUALITIES 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	Ethical Behaviour Financial Inclusion Customer Fairness & Right Selling

At Indian Overseas Bank, social and relationship capital reflect the trust and long-standing relationships that connect the Bank with customers, communities, regulators, partners, and society at large. Built over nearly nine decades, these relationships continue to strengthen our role as a responsible public sector institution committed to inclusive growth.

We believe banking creates long-term value when it remains accessible, responsive, and closely aligned with the needs of the communities it serves. Our approach, therefore, focuses on strengthening financial inclusion, customer engagement, community participation, and stakeholder trust.

During FY 2025–26, we deepened these connections through faster grievance resolution, wider financial inclusion initiatives, broader community outreach, inclusive procurement practices, and stronger stakeholder engagement mechanisms.

Together, these relationships form a resilient social foundation that supports sustainable growth and long-term value creation.

Listening Better and Serving Responsibly

At Indian Overseas Bank, customer trust is strengthened through responsiveness, accessibility, and consistency of service. During FY 2025–26, the Bank recorded a meaningful improvement in grievance management, with customer complaints down 11.5% and pending complaints at year-end down 91.9%. The grievance resolution rate stood at 99.89%, reflecting faster turnaround and stronger resolution mechanisms across channels.

This progress was supported by a Customer Relationship Management platform integrated with the Centralised Grievance Redressal Portal, enabling 24×7 complaint registration, automated acknowledgements, real-time tracking, and structured escalation processes. Customers can access grievance redressal through branches, mobile banking, Internet Banking, WhatsApp, SMS, call centres, e-mail, and social media. Grievance Redressal Day continued to be observed on the 15th of every month across branches, creating a dedicated platform for direct customer interaction and resolution.

The Bank also launched the CASA Win-back Initiative to reconnect with customers holding active, non-corporate, non-government and non-staff accounts where the Monthly Average Balance had declined by more than 25% over a specified period. The initiative covers 3,243 branches, with Customer Relationship Officers designated at each branch to engage customers, address service gaps and support prompt grievance resolution.

The programme was rolled out across Waves 1 to 5, with progressive inclusion of additional branches and the introduction of a Voice over Internet Protocol calling interface. During FY 2025–26, the campaign recorded cumulative CASA growth of ₹1,920 crore, reflecting stronger customer engagement and renewed relationship depth.

The year also reflected the continued strengthening of customer protection frameworks, with zero complaints reported in the data privacy, cybersecurity, unfair trade practices, or misleading advertising categories, and zero data breaches.

Advancing Financial Inclusion and Community Reach

Financial inclusion remains central to the Bank's public sector mandate. During FY 2025–26, the Bank serviced 94.5 lakh PMJDY accounts through a network of 12,187 Business Correspondent Agents while continuing to support national inclusion schemes, including PMJDY, PMJJBY, PMSBY, and Atal Pension Yojana.

The Bank also strengthened inclusive procurement practices through its IT Procurement Policy, which earmarks 20% of procurement for marginalised and vulnerable groups, including a dedicated allocation for SC/ST entrepreneurs, while extending preferential consideration to DPIIT-recognised start-ups.

Beyond banking access, the Bank continued to support financial literacy and digital safety awareness through customer education initiatives focused on phishing, UPI safety, deepfake frauds, and cybersecurity awareness across multiple channels.

Supporting Communities Where Presence Matters Most

Community engagement during FY 2025–26 extended across education, healthcare, environmental initiatives, welfare programmes, sports, and cultural causes through 192 sponsorships and donations. While CSR obligations under Section 135 of the Companies Act do not apply to the Bank, these initiatives reflect the institution's broader commitment to social development and local engagement.

Focused interventions were also undertaken across aspirational districts identified by the Government of India, including locations in Chhattisgarh, Jharkhand, and Odisha. These efforts were directed towards regions where financial access, institutional support, and community infrastructure continue to play an important developmental role.

Strengthening the Stakeholder Ecosystem

Trust at scale is built through institutions, not individuals. The Bank holds active affiliations with nine national trade and industry chambers — the Indian Banks' Association, the Indian Institute of Banking and Finance, the Institute of Banking Personnel Selection, the National Institute of Bank Management, the National Payments Corporation of India, the Indian Chamber of Commerce, the Foreign Exchange Dealers' Association of India, the Fixed Income Money Market and Derivatives Association, and the Clearing Corporation of India Limited.

Procurement, too, is a relationship instrument. During FY 2025–26, all of our directly sourced inputs were procured within India, with district and neighbouring-district sourcing wherever feasible. Procurement is conducted through the Government e-Marketplace portal in accordance with the Department of Financial Services' mandate, and DPIIT-recognised start-ups receive preferential consideration during the procurement process.

Banking with Fairness and Transparency

The Bank continued to strengthen customer-centric conduct through its Customer Rights Policy aligned with Reserve Bank of India guidelines. Product-related information, including interest rates, service charges, risks, and customer obligations, is communicated through branch displays, digital channels, and key fact statements supported by trained frontline staff.

Customer feedback mechanisms were further strengthened through QR-code-enabled service feedback systems across branches, enabling real-time service assessment. Structured escalation channels, including whistle-blower mechanisms and alignment with the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, continued to support transparency, accountability, and fair customer treatment across the Bank's operations.

NATURAL CAPITAL

Solar capacity installed
350.5 KW

Renewable Energy Adoption
1957.37 GJ
from 129.96 GJ during FY 2024-25

Scope 1 emissions:
2,860.94 tCO_2e
a 49.6% reduction over FY 2024–25

Green Finance Portfolio:
₹1,822.10 crore
up from ₹1,157.58 crore in FY 2024–25

Stakeholders Impacted	SDGs Impacted	Linked Material Issues
Investors / Shareholders Communities	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 13 CLIMATE ACTION	GHG Emissions ESG Oversight

At Indian Overseas Bank, natural capital reflects our responsibility to manage environmental impact while supporting a more sustainable economy. As a service organisation, our direct footprint arises mainly from energy use, paper consumption, and operational infrastructure. As a financial institution, our broader environmental impact extends across the sectors and activities we finance.

We recognise the role banks play in enabling sustainable growth by integrating environmental considerations into lending, operations, and long-term decision-making. Our approach, therefore, focuses on improving operational efficiency, increasing renewable energy adoption, reducing resource intensity, and strengthening sustainable financing practices.

During FY 2025–26, we expanded our green finance portfolio, more closely integrated climate considerations into credit appraisal processes, and strengthened systems for tracking environmental data and financed emissions. At the same time, continued progress in energy efficiency, the adoption of renewables, and the adoption of paperless banking improved the environmental performance of our operations.

Together, these efforts reflect our commitment to building a more responsible and climate-aware banking ecosystem.

Driving Resource Efficiency Across Operations

At Indian Overseas Bank, environmental responsibility begins with improving operational efficiency across branches and offices. During FY 2025–26, the Bank reduced overall energy consumption to 3,50,214.71 GJ from 3,80,123.87 GJ in FY 2024–25 despite expansion of the branch network, reflecting stronger operational discipline and improved infrastructure efficiency.

Renewable energy adoption accelerated significantly during the year, with consumption increasing from 129.96 GJ to 1,957.37 GJ, supported by the installation of 350.5 kW of solar capacity across multiple offices and branches. The Bank also extended its renewable energy focus beyond internal operations through green financing products that support solar adoption among customers. The IOB Tejas scheme offers affordable financing to MSME units for adopting solar rooftop and ground-mounted grid-connected systems, contributing to India's renewable energy goals while encouraging sustainable development initiatives.

To further support clean energy access, the Bank offers IOB Surya, a scheme for financing off-grid renewable solar energy equipment in India, including solar cookers, solar heaters, and home or indoor lighting systems. In addition, the IOB HL Surya scheme provides financing for the installation of grid-connected rooftop solar systems on rooftops or open contiguous land for individual borrowers who have availed or are availing housing loans. These schemes reflect the Bank's broader commitment to enabling renewable energy adoption across customer segments.

The Bank also strengthened its green infrastructure footprint through LEED certification of seven premises, including six LEED Gold and one LEED Platinum.

Operational efficiency indicators continued to improve during the year. Energy intensity per rupee of turnover reduced to 9.33 GJ from 11.29 GJ, while energy consumption per physical output declined to 16.65 GJ from 18.13 GJ. Direct emissions also reduced significantly during the year, while operational emissions remained broadly stable despite business growth, indicating a gradual decoupling of expansion from environmental impact.

Water efficiency also improved during FY 2025–26, with water intensity per rupee of turnover improving to 6.97 from 7.42. Alongside this, the Bank strengthened waste management practices through structured disposal and recycling mechanisms aligned with its IT Disposal Policy. Of the total 43.093 MT waste generated during the year, 42.545 MT was channelled towards recycling through authorised disposal partners, marking a significant improvement over the previous year.

Embedding Paperless Banking Across Customer Journeys

The Bank continued to reduce paper dependency by redesigning customer journeys around digital defaults and self-service processes. Green PIN has been enabled by default for all new debit card issuances and forgotten PIN generation, eliminating physical PIN mailers and reducing associated logistics-related emissions.

ATM transaction receipt printing has been turned off by default for successful withdrawals, encouraging digital confirmations and reducing paper waste. For selected premium debit cards, printed FAQs and Terms & Conditions have been replaced with QR code-enabled digital access.

Digital process enhancements during the year also included Online Deposit Opening through Internet Banking, eliminating receipt printing, and self-registration to Internet Banking via debit card authentication, removing the need for printed application forms. The Bank also offers the IOB Eco Savings Account, an environment-friendly savings account designed with complete digital access and paperless banking features.

The account does not include a physical passbook, cheque book or paper statement, supporting eco-friendly banking practices while offering customers the convenience of online and digital services.

The Bank also expanded eco-friendly debit cards made from recycled PVC under the Eco Saving Scheme and advanced its green housing initiative, Harith Subhagruha.

Scaling the Green Finance Portfolio

The Bank continued to strengthen sustainable financing as a meaningful part of its lending portfolio. During FY 2025–26, the Green Finance Portfolio increased to ₹1,822.10 crore from ₹1,157.58 crore in FY 2024–25, driven by renewable energy, sustainable mobility and green building finance.

Growth was led by renewable energy financing under IOB Surya and IOB Tejas, along with increased financing for biomass projects and non-schematic renewable energy loans. Electric Vehicle financing reached ₹309.68 crore, supporting cleaner transportation.

In line with the Reserve Bank of India's Framework for Acceptance of Green Deposits, the Bank introduced the IOB Green Deposit scheme for resident individuals and non-individuals. The scheme mobilises deposits for eligible green activities and projects, supporting the country's green finance ecosystem.

The Bank also introduced an ESG Scorecard as a mandatory part of credit appraisal for borrowers with aggregate credit exposure of ₹50 crore and above. This enables assessment of large exposures on environmental, social and governance risks, along with financial and business parameters.

The Bank continued its partnership with the Indian Green Building Council for green-certified building finance and commissioned independent annual verification of Green Deposit proceeds through an accredited external agency. Green-rated buildings, assessed by agencies such as LEED, IGBC and GRIHA, support energy efficiency, water conservation and sustainable urban development.

To further promote this segment, the Bank entered into an MoU with IGBC and introduced "Mr. Harit" as its mascot for environmental responsibility. It also offers IOB Harit Subhagruha, a housing loan variant for financing houses and flats rated as sustainable and eco-friendly by recognised green building rating agencies.

Key indicators of the green finance portfolio include:

- Green Finance Portfolio: ₹1,822.10 crore
- Electric Vehicle financing: ₹309.68 crore
- Renewable energy financing through IOB Surya and IOB Tejas
- Increased biomass project financing during the year
- IOB Green Deposit scheme for eligible green activities and projects
- Mandatory ESG Scorecard for borrowers with exposure of ₹50 crore and above
- Green-certified housing finance through IOB Harit Subhagruha

Embedding Climate Risk in Credit

During FY 2025–26, we strengthened the integration of ESG and climate considerations into credit appraisal and portfolio monitoring processes.

A Climate Risk Questionnaire, introduced for exposures above ₹100 crore, enabled branches to assess physical and transition risks linked to borrowers' operations and sectoral exposures. In parallel, an ESG Scorecard became a mandatory part of credit appraisal for borrowers with aggregate exposure of ₹50 crore or more, ensuring that ESG factors are evaluated alongside financial parameters.

The Bank also initiated emissions measurement financed by the Bank in line with the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) methodology and remains a signatory to PCAF, reflecting its commitment to globally recognised emissions accounting practices. Calculations are currently being undertaken using CEDA emission factors, with ongoing internal validation, following which the Bank plans to phase in the disclosure of financed emissions.

In parallel, the Bank has developed a climate transition plan with indicative GHG reduction targets and net-zero targets, which will be refined further as financed-emissions calculations and climate data systems mature.

Looking ahead, the Bank aims to strengthen climate risk assessment, expand sustainable finance, and enhance ESG analytics and portfolio-level climate monitoring frameworks.

Notice to Shareholders

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56(i) of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (amended up to 2008) that the Twenty Sixth Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Indian Overseas Bank will be held on **Tuesday, July 07, 2026, at 11:00 a.m. (IST)** through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

AGENDA ITEM NO 1:

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and Consolidated Balance Sheet of the Bank as of March 31, 2026, Standalone and Consolidated Profit and Loss account and Cash Flow Statement for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS

AGENDA ITEM NO 2:

To raise equity share capital up to ₹5,000 crores (including share premium, if any), in one or more tranches, by way of Follow-on Public Offer/Rights Issue/Qualified Institutional Placements/ESPS/Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies/Mutual Funds/QIBs or any other mode or combination thereof during the Financial Year 2026-27.

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution(s) as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 ("The Regulations") and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations) as amended up to date/guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949 (B R Act), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR) , Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI Act) and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Regulations, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative/non-cumulative)/securities (in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares , the extent of issue of each class of such redeemable preference shares and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding aggregate issue size of ₹ 5,000 crores (including share premium) as on date which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank, being the ceiling in the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or

any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR") the provisions of the Act, the provisions of Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 , the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Non Debt instruments) Rules 2019, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Department for promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the paid up Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Regulation 2 (ss) of the ICDR Regulations) such as Public financial Institution, foreign portfolio investor, mutual fund, venture capital fund etc. pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP) as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, and through a placement document and/or such other documents/writings/circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations.

RESOLVED THAT subject to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 (Regulations) and the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited (Stock Exchanges) as per LODR (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Regulations and the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment from time to time) ("SEBI Regulations"), and subject to the approval, consent and sanction of RBI, GOI, SEBI, Stock Exchange(s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable, and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board, consent be and is hereby accorded to the Board to create, grant, offer, issue and allot up to the extent of 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank, within the overall limit of ₹5,000 crores (including share premium), under Employees Share Purchase Scheme hereinafter referred to as IOB-ESPS 2026-27 in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, ranking pari-passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, as may be decided by the Board under an Employee Stock Purchase Scheme), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that the Central Government of India shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be in one or more tranches either by way of Follow-on Public Offer/Rights Issue/Qualified Institutional Placements/ Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021/ Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies/Mutual Funds/QIBs or any other mode or combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time

or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations.

RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up, and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.

b) pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations the Bank is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "IOB-ESPS 2026-27" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the "IOB-ESPS 2026-27", from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "IOB-ESPS 2026-27" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "IOB-ESPS 2026-27" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "IOB-ESPS 2026-27" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/securities, shall be subject to the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable,

and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the Board or any person duly authorized by the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit.

RESOLVED FURTHER THAT such of the aforesaid shares/ securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorization to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with applicable laws and regulations."

AGENDA ITEM NO 3:

Appropriation of accumulated losses as on 31.03.2026 from Share Premium account.

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution(s) as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), Section 17(2) of The Banking Regulation Act, 1949 (BR Act), Para 21 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, including any statutory amendments or reenactments thereof and subject to the approvals of Reserve Bank of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to set off the Bank's accumulated losses of ₹8733,34,22,563.02 (Eight Thousand Seven Hundred Thirty Three Crore Thirty Four Lakh Twenty Two Thousand Five Hundred Sixty Three and Paise Two only) as at 31.03.2026 by utilizing an equivalent amount standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on 31st March 2026 and take the same into account during current Financial Year 2026-27.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution related to set off, the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable for effectively implementing the resolution and to settle any questions, difficulties or

doubts that may arise in this regard as it may in its absolute discretion deem fit."

AGENDA ITEM NO 4:

Extension of tenure of Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director & Chief Executive Officer, as Whole-time Director of the Bank beyond his currently notified term which expired on 31.12.2025, from 01.01.2026 till 08.10.2027.

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the extension of tenure of Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director and Chief Executive Director of the Bank under Clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970(5 of 1970) read with paragraph 8(1) of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (amended vide notification dated 17.11.2022), the Central Government vide the Govt. of India Gazette Notification eF. No. 4/3/2024 BO.I dated 8th September 2025, beyond his currently notified term which ended on 31.12.2025, till the date of completion of his 10 years' tenure as Whole Time Director in Indian Overseas Bank, i.e. w.e.f 01.01.2026 upto 08.10.2027 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved."

By order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-
Raghuram Mallela
Deputy General Manager & Company Secretary

Place: Chennai
Date: 21.05.2026

Notes

a) EXPLANATORY STATEMENT(S):

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

b) Pursuant to General Circular No. 03/2025 dated 22nd September 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Master Circular No. HO/49/14/14(7)2025-CFD-POD2/I/3762/2026 dated 30th January 2026 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the AGM shall be the Central Office of the Bank situated at Chennai. The Special business mentioned in notice being unavoidable, be transacted at the 26th AGM of the Bank through VC/OAVM.

The Bank is adhering to and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank has ensured sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.

The Bank has appointed Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) to provide facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM facility, e-voting during the AGM and as the attendant enablers for conducting of the AGM.

In line with the aforesaid SEBI and MCA Circulars, the Notice of AGM along with Annual Report 2025-26 is being sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depositories. Shareholders of the bank may please note that the Notice and Annual Report 2025-26 will be made available on the website of the Bank at www.iob.bank.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e., National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and the AGM Notice is also available on the website of CDSL (agency for providing the e-Voting facility) i.e. www.evotingindia.com.

c) Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link https://wisdom.cameoindia.com to get the soft copy of the Notice of AGM and Annual Report.

d) VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertaking) Act 1970, No shareholder of the bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder as on **Tuesday, June 30, 2026**, being the Cut-off Date will be eligible to participate in AGM for the said purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

As per Regulation 10 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person only is entitled to participate in the meeting and is eligible to cast vote on the agenda either through remote e-voting or e-voting at the AGM.

e) REMOTE E-VOTING

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, (as amended, MCA (Ministry of Corporate Affairs) General Circular No. 03/2025 dated 22nd September 2025 and Master Circular No. HO/49/14/14(7)2025-CFD-POD2/I/3762/2026 dated 30th January 2026 issued by the Securities and Exchange Board of India and the Uniform Listing Agreements with stock exchanges, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as e-voting agency to provide the remote e-voting platform. Remote E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Tuesday, June 30, 2026**, being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. The Bank has appointed Mr. R. Sridharan of R Sridharan & Associates, Company Secretaries (FCS No. 4775) (CP. No. 3239), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting process on the date of the AGM in a fair and transparent manner.

1. THE INTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR E-VOTING AND JOINING VIRTUAL AGM ARE AS UNDER:

Step 1: Access through Depositories CDSL/ NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

Step 2: Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

(i) The remote e-voting period begins on **Friday, July 03, 2026, at 9:00 a.m. (IST)** and ends on **Monday, July 06, 2026, at 5:00 p.m. (IST)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date on **June 30, 2026**, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting.

(iii) Pursuant to Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/websites of Depositories/ Depository Participants. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

(iv) In terms of Section VI-C of SEBI Master Circular No. HO/49/14/14(7)2025-CFD-POD2/I/3762/2026 dated 30th January 2026 on compliance with the provisions of SEBI LODR Regulations, 2015, as amended, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode CDSL/NSDL is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL Depository**	1) Users who have opted for CDSL Easi/Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi/Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & My Easi New (Token) Tab. 2) After successful login, the Easi/Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & My Easi New (Token) Tab and then click on registration option. 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL Depository**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will be opened. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e., your sixteen-digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 4) For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID,8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants (DP)**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important Note:

Members who are unable to retrieve User ID/Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e., CDSL and NSDL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at Toll free no. 1800 21 09911
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.022 4886 7000 and 022 2499 7000

(v) Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.

1) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

2) Click on "Shareholders" module.

3) Now enter your User ID

   a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

   b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

   c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

4) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

5) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

6) If you are a first-time user, follow the steps given below:

For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.	
PAN	Enter your 10-digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) · Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. · If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id/folio number in the Dividend Bank details field.

(vi) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(vii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(viii) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(ix) Click on **EVSN 260606001** for exercising the e-voting of agenda of AGM 2026.

(x) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xi) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xiii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xiv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xv) If a demat account holder has forgotten the login password, then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xvi) There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES/MOBILE NUMBERS ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTION PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. For Physical shareholders - Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by login in the online Investor Portal https://wisdom.cameoindia.com/

2. For Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)

3. For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meetings & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.

2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.

3. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops/iPad for better experience.

4. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

5. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

6. The Shareholders can join the AGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restrictions on account of first come first served basis.

7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request by mentioning their name, Demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iob.bank.in. The window for registration of speaker shareholders will be kept open from **June 26, 2026 to July 02, 2026**. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance not later than **July 02, 2026** mentioning their name, Demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iob.bank.in These queries will be replied by the Bank suitably by email.

8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

9. The shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Indian Overseas Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 .

10. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

11. Once the vote on the resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

12. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/ OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

13. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

Note for Non–Individual Shareholders and Custodians- For Remote Voting Only

- Non-Individual shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.

- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.

  The list of accounts linked in the login will be mapped automatically and can be delinked in case of wrong mapping.

- It is mandatory that a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

- Alternatively, Non-Individual shareholders are mandatorily required to send the relevant Board Resolution/Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer at rsaevoting@gmail.com and to the Bank at the email address viz; at investor@iob.bank.in if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no 1800 21 09911.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Assistant Vice President, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

f) APPOINTMENT OF PROXY:

In terms of the MCA Circulars and Proviso to Regulation 44(4) of SEBI LODR Regulations, 2015, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 will not be available for the AGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith. However, representatives of the Members may be appointed for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.

g) APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to the Scrutinizer by email at rsaevoting@gmail.com through their registered email address with copy to investor@iob.bank.in not less than FOUR DAYS before the date of Annual General Meeting i.e., **on or before 4:00 p.m. (IST) on Thursday, July 02, 2026**.

h) CHANGE OF ADDRESS/BANK PARTICULARS/ BANK ACCOUNT MANDATE/NOMINATION:

Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc.,

a. For shares held in electronic form: to their Depository Participants (DPs).

b. For shares held in physical form: to the Bank/Bank's Registrar and Transfer Agent (RTA) in prescribed Form ISR-1 and other forms pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021.

c. As per the provisions of the said SEBI Circular, the facility for making nominations is available for the Members in respect of the shares held by them. Members who have not yet registered their nomination are requested to register the same by submitting Form No. SH-13. If a Member desires to opt out or cancel the earlier nomination and record a fresh nomination, he/she may submit the same in Form ISR-3 or SH-14 as the case may be. Members are requested to submit the said details to their DP in case the shares are held by them in dematerialized form and to Bank's RTA in case the shares are held in physical form.

   The address of Bank's RTA:
   M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
   (Unit-Indian Overseas Bank)
   Subramanian Building, V Floor,
   No.1 Club House Road, Chennai – 600 002
   Telephone: 044 - 4002 0700
   Online Investor Portal: https://wisdom.cameoindia.com
   Website: https://cameoindia.com/

d. Shareholders holding shares in electronic form must send advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's RTA.

e. Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id/Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

i) DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS:

SEBI vide its notification dated January 24, 2022 has mandated that all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of Dematerialisation, Members are advised to dematerialize the shares held by them in physical form. Members can contact the Bank or Bank's RTA for assistance in this regard.

j) RESULTS OF REMOTE E-VOTING & E-VOTING DURING AGM:

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of e-voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the AGM, thereafter, unblock the votes cast through remote e-voting and make within two working days of conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes casted in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing. The results of the remote e-voting aggregated with the results of e-Voting at the AGM will be announced by the Bank in its website, website of CDSL and also informed to the Stock Exchanges.

By order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-
Raghuram Mallela
Deputy General Manager & Company Secretary

Place: Chennai
Date: 21.05.2026

Explanatory Statement

AGENDA ITEM NO. 2

To raise equity share capital up to ₹5,000 crores (including share premium, if any), in one or more tranches, by way of Follow-on Public Offer/Rights Issue/Qualified Institutional Placements/ESPS/Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies/Mutual Funds/QIBs or any other mode or combination thereof.

a) In order to comply with the Basel III guidelines of RBI and to have a strong Capital Base so as to provide necessary capital support to fund business growth, the Bank is in continuous need of capital.

b) The Govt. of India vide Gazette Notification No. G.S.R. 520(E) dated 30th July 2021 further amended provisions under Securities Contracts (Regulations) Rules (SCRR),1957 and in terms of the said amendment in SCRR, the Central Government may in public interest exempt any listed public sector company from any or all of the provisions of SCRR.

c) Subsequently, the Central Government vide its letter Ref. No. F. No. 1/14/2018-PM (part) dated 19th July 2024 conveyed SEBI that the Central Government has decided in the public interest that every listed public sector company, as defined in the SCRR, 1957, which has public shareholding below twenty five per cent and which could not increase its public shareholding to at least twenty five per cent within the timeline stipulated in Rule 19A of SCRR, 1957, shall get exemption up to 01.08.2026 to increase its public shareholding to at least twenty five per cent.

d) The Board of Directors of the Bank in its meeting dated 21st May 2026 has approved for raising equity capital of Rs.5,000 crore (including premium) through the different available options in one or more tranches subject to approval of shareholders and other requisite Statutory/Regulatory approvals.

e) Accordingly, the Bank proposes to raise equity capital by way of Follow-on Public Offer/Rights Issue/Qualified Institutional Placements/ESPS/Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies/ Mutual Funds/QIBs or any other mode or combination thereof to increase the public shareholding in the Bank. These options will be exercised by the Bank based on the prevailing market conditions.

f) The equity capital as aforesaid will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI ICDR Regulations and shall be in compliance with the other relevant guidelines/regulations of SEBI and Listing Agreement with Stock Exchanges.

g) The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid-up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid-up equity capital of the Bank.

h) Regulation 41 of the LODR Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

i) The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of Follow-on Public Issue, and/or on a private placement basis or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

j) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

k) In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of SEBI ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

l) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

m) As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time, if applicable, or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

n) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.

o) The equity shares allotted shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

p) For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

q) The Bank or any of its directors or promoter is not a wilful defaulter or fugitive economic offender.

r) The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode and other terms. This proposed resolution once passed will supersede the resolution already passed in similar line, by the shareholders of the Bank in its Annual General Meeting held on July 02, 2025.

None of the Directors or the Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives may be deemed to be concerned with or interested in the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 2 of the accompanying Notice, expect to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

IOB-ESPS 2026-27:

To create, grant offer, issue and allot up to the extent of 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank, within the overall limit of ₹5,000 crores (including share premium, if any), to such permanent employees, whether working in India or outside India under Employees Share Purchase Scheme hereinafter referred to as IOB-ESPS 2026-27.

The Bank proposes to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "IOB-ESPS 2026-27" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee)/Appropriate Committee subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, with the following objectives:

(i) Providing incentive to eligible employees, to stimulate their efforts towards better performance to contributing to the growth and profitability of the Bank.

(ii) Rewarding eligible employees for their continued support and contribution towards the Bank's growth.

(iii) Encouraging equity ownership by eligible employees by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.

The said proposal is subject to approvals from GOI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges and other regulatory bodies, if required.

The equity shares issued above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

Regulation 41 of the LODR Regulations provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on a pro-rate basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

All employees' benefit schemes involving the securities of the Bank shall be in compliance with SEBI Regulations and any other guidelines, regulations etc., framed by SEBI in this regard.

As per the requirements enumerated in Part C of Schedule I of the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 the following would inter-alia be the broad terms and conditions of the "IOB-ESPS 2026-27"

A. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank desirous to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "IOB-ESPS 2026-27" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, not exceeding 10,00,00,000 crore equity shares at a face value of Rs 10 each with appropriate premium, at the time of offer.

B. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED

Up to 10,00,00,000 equity shares are proposed to be offered to the eligible employees under the "IOB-ESPS 2026-27". However, the portion of shares offered, pursuant to the "IOB-ESPS 2026-27", to any eligible employees, if remains unsubscribed, shall be made available to interested eligible employees at such price, as may be decided by the Board or Committee.

C. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE "IOB-ESPS 2026-27"

All permanent employees of the Bank whether working in India or outside including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank.

D. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING

Equity Shares are proposed to be offered directly and allotted and thus there will not be period of Vesting.

E. MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE) WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs/BENEFIT SHALL BE VESTED

Not Applicable

F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA

Purchase price or pricing formula will be determined by the Board or the Committee of Directors for Issue of Equity Shares/Appropriate Committee as per SEBI Regulations at the time of offer.

G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE

The period during which the issue remains open as per decision of the Board/Committee shall be the Exercise Period. Eligible Employees may subscribe to the shares during such offer period in accordance with the terms of the Scheme

H. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE "IOB-ESPS 2026-27"

All permanent employees of the Bank whether working in India or outside including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank as on the date of offering/issue of shares will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines. No separate appraisal process shall apply.

I. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE

The maximum number of new Equity Shares per employee proposed to be issued under the Scheme shall be decided by the Board/Committee of Directors constituted for the purpose and shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1% of the post issue paid up capital of the Bank.

J. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME

As the new shares are proposed to be issued under "IOB-ESPS 2026-27", no other benefits will be provided to eligible employees.

K. WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE COMPANY OR THROUGH A TRUST

"IOB-ESPS 2026-27" will be implemented and administered directly by the Bank.

L. WHETHER THE SCHEME(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH

Under the "IOB-ESPS 2026-27", the Bank will issue new equity shares directly to the eligible employees.

M. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.

As the shares are directly issued to the eligible employees under the "IOB-ESPS 2026-27" by the Bank, formation of the trust or providing loan to the trust does not arise.

N. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S)

Not Applicable.

O. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15

Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021, if applicable for time to time.

P. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new Equity Shares and as such, the valuation of Options or SARs is not applicable.

Q. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

'In case the Bank opts for expensing of share-based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' Report. The Bank will comply with the above requirements as and when applicable.

R. LOCK IN PERIOD:

The equity shares issued under "IOB-ESPS 2026-27" shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI Regulations. For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

S. TERMS & CONDITIONS FOR BUYBACK, IF ANY, OF SPECIFIED SECURITIES/OPTIONS COVERED GRANTED UNDER THE SCHEME:

Subject to applicable laws prevailing at the relevant time, the Board shall determine the procedure for buy-back of shares issued under the Scheme if to be undertaken at any time by the Bank, and the applicable terms and conditions thereof.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

The Managing Director and the Executive Directors of the Bank, being eligible employees under the Scheme, may be deemed to be interested in the resolution to the extent of the shares that may be offered to them under the Scheme. Save as aforesaid, none of the other Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives are concerned or interested, financially or otherwise, in the proposed resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

AGENDA ITEM NO 3:

Appropriation of accumulated losses as on 31.03.2026 from Share Premium account.

As on 31st March, 2026 an amount of Rs. 9636,50,05,532.04 is standing to the credit of Share Premium Account, as a result of earlier share issues made at premium. Further, as on 31st March, 2026, an amount of Rs 8733,34,22,563.02 is outstanding as accumulated losses of the Bank.

The Bank proposes to utilize the amount standing in the Share Premium Account for the purpose of setting off the accumulated losses.

Accordingly, during the current Financial Year 2026-27, the Bank proposes to utilize an amount of Rs 8,733.34 crore out of an amount of Rs. 9,636.50 crore only being the balance standing to the credit of 'Share Premium Account' as on 31st March 2026, by transfer of the credit balance in the Share Premium account to the debit balance (accumulated losses) of Rs. 8,733.34 crore only in the Profit & Loss A/c and the Share Premium account will accordingly get reduced.

The effect of the aforesaid proposed Share Premium Reduction, if approved and finalized, would be that the accumulated losses, which as on 31st March 2026 stood at Rs. 8,733.34 crore will be set off.

The Bank is of the view that this is the most practical and economically efficient option available to the Bank in the present scenario so as to present a true and fair view of the financial position of the Bank.

The proposed set off will present a true and fair view of the financial position of the Bank and will not affect any ratios such as Book value per share, Return on Equity (ROE), Earning per share (EPS). With this appropriation there will not be any changes in net worth of the Bank.

The Bank will be able to represent its true financial position which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also place the Bank in a better position to achieve its Turnaround Plan in a time-bound manner.

The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 provides for reducing its paid-up capital by cancelling any paid-up capital which is lost, or is unrepresented by available assets. Further, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 allows a nationalized bank to appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

As the proposed utilization of Share Premium account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought pursuant to provisions of Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Section 17(2) of The Banking Regulations Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium account, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank of India, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period.

The reduction of Share Premium account which involves set off of debit balance in P& L account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium account does not entail discharge of any consideration by the Bank

to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Share Premium account will remain unchanged. The Book Value of the shares will also remain unchanged.

Shareholding Pattern:

S. No.	Category	Prior to the Reduction of Share Premium Account		After the Reduction of Share Premium Account	
		No. of Equity Shares Held	Percentage of shareholding	No. of Equity Shares Held	Percentage of shareholding
1	Promoter's Holding- Government of India	17,80,04,88,299	92.44%	17,80,04,88,299	92.44%
2	Non-Promoter Holding: Public	1,45,61,01,496	7.56%	1,45,61,01,496	7.56%
TOTAL		**19,25,65,89,795**	**100.00%**	**19,25,65,89,795**	**100.00%**

The rights of the shareholders and creditors are not prejudicially affected.

The Board of Directors at its meeting held on 21st May, 2026 has approved the above proposal of utilization of Share Premium account in the best interests of the Bank and its shareholders and therefore recommends the same for approval by the shareholders.

None of the Directors and Key Managerial Persons of the Bank including their relatives is interested or concerned in the aforementioned Resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

AGENDA ITEM NO 4:

Extension of tenure of Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director & Chief Executive Officer, as Whole-time Director of the Bank beyond his currently notified term which expired on 31.12.2025, from 01.01.2026 till 08.10.2027.

In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 8(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (amended vide notification dated 17.11.2022), the Central Government vide its notification eF. No. 4/3/2024 BO.I dated 8th September 2025 has extended the tenure of Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director and Chief Executive Officer, Indian Overseas Bank, beyond his currently notified term which was ended on 31.12.2025, till the date of completion of his 10 years' tenure as Whole-Time Director in Indian Overseas Bank, i.e., w.e.f. 01.01.2026 up to 08.10.2027, or until further orders, whichever is earlier.

In terms of First Proviso to Regulation 17(1C) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment/reappointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Ajay Kumar Srivastava as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Brief Profile:

Shri Ajay Kumar Srivastava has assumed charge as Managing Director and CEO of Indian Overseas Bank with effect from 01.01.2023 from his posting as Executive Director of the bank since 09.10.2017.

He started his banking career as Probationary officer in 1991 with Allahabad Bank where he worked in various capacities in different parts of the country. He is an astute and hardcore banker with vast field level experience and has the distinction of having successfully led the largest and most critical areas of Uttar Pradesh, Gujarat and Delhi while working at senior level in Allahabad Bank.

After successful completion of about 27 years in Allahabad Bank he was elevated as Executive Director by Government of India, and he joined Indian Overseas Bank on 09.10.2017.

At Indian Overseas Bank as Executive Director, he had a very challenging journey. Bank was incurring losses since 2014, was in PCA since 2015 and financial parameters were in bad shape besides many other challenges. He made strategies for each of the key areas and successfully implemented them at the ground level with the support of the Board. He served

the Bank as Executive Director for more than five years and handled all the departments and portfolios during the period. The highlight of his stint as Executive Director is that he had played a very key role in bringing the Bank out of loss in March 2020 and out of PCA in September 2021. Moreover, he was the only Executive Director in the Bank for about 14 months during 2020-2021.

He was also Director on the Board of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) as nominated by Government of India for two years. He has also served as Director on the Board of a Regional Rural Bank in his previous Bank. He is the Director on the Board of Universal Sompo General Insurance Co Ltd.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL
- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership/Chairmanship in other listed entities: NIL
- Shareholding in Indian Overseas Bank: 8182 Equity Shares

None of the Directors , Key Managerial Personnel of the Bank and their relatives other than Shri Ajay Kumar Srivastava or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Resolution as set out in Item No 4 of the accompanying Notice of AGM.

By order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-
Raghuram Mallela
Deputy General Manager & Company Secretary

Place: Chennai
Date: 21.05.2026

DIRECTORS' REPORT 2025-26

GLOBAL AND DOMESTIC ECONOMIC ENVIRONMENT

The global economy faced fresh challenges during FY 2025-26 due to heightened geopolitical tensions, particularly the conflict in West Asia, supply chain disruptions, elevated energy prices, and persistent trade uncertainties. These developments increased volatility in global financial markets and created renewed concerns over growth and inflation across major economies.

Taking into account these prevailing global conditions, the latest estimates of the International Monetary Fund project global growth at **3.1% in 2026** and **3.2% in 2027**, reflecting the impact of geopolitical conflicts, elevated commodity prices, and financial market adjustments.

Amidst the uncertain global environment, India continued to demonstrate strong macroeconomic resilience supported by robust domestic demand, sustained investment, ongoing structural reforms, and a healthy financial sector. India's real GDP growth for FY 2025-26 is estimated at **7.6%**. Looking ahead, the Reserve Bank of India has projected GDP growth of **6.6%** for FY 2026-27 in its June 2026 policy and kept the policy repo rate unchanged at **5.25%** while continuing with a **neutral policy stance**.

As per the latest available data of **March 2026**, India's banking sector continued to remain strong and resilient. Scheduled Commercial Banks reported Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of **17.68%**, well above regulatory requirements. Asset quality improved further with Gross NPA declining to **1.73%** and Net NPA to **0.40%**. Liquidity Coverage Ratio (LCR) remained comfortable at **123.70%.** Annualised Return on Assets (RoA) and Return on Equity (RoE) stood at **1.33%** and **13.06%,** respectively, while Net Interest Margin (NIM) stood at **3.26%.**

Among Public Sector Banks, financial parameters also remained robust as of **March 2026**, with **Gross NPA at 1.93%**, **Net NPA at 0.39%, Return on Assets (RoA) at 1.10%,** and **Net Interest Margin (NIM) at 2.84%**, reflecting sustained improvement in asset quality, profitability, and operational efficiency.

Bank credit growth remained broad-based at **13.8% year-on-year** as compared to **11.0%** a year ago. Deposit growth also remained healthy, with aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks growing by around **10.8% year-on-year** supporting continued credit expansion and liquidity stability in the banking system.

Despite elevated global uncertainties, India's strong macroeconomic fundamentals, prudent monetary and fiscal policies, digital transformation, infrastructure development, and commitment to inclusive growth position the economy favorably to sustain growth momentum. Supported by strong capital buffers, improved asset quality, adequate liquidity, and expanding digital adoption, the Indian banking sector remains well-positioned to support investment, financial inclusion, and the nation's long-term economic aspirations.

FINANCIAL PERFORMANCE

The Bank continued its strong growth momentum in business, profitability, asset quality, operational efficiency, and customer acquisition during the financial year ended **March 31, 2026**, delivering **one of its best-ever financial performances** and further strengthening its position among Public Sector Banks.

The **Bank's Total Business** increased by **Rs.1,16,657 crore to Rs.6,78,614 crore** as on March 31, 2026 from **Rs.5,61,957 crore** in the previous year, registering a robust growth of **20.76%**. **Gross Advances** grew by **24.16%** to **Rs.3,10,423 crore**, while Total Deposits grew by **18.03%** to **Rs.3,68,191 crore**, reflecting strong and broad-based business expansion.

On the liability side, the Bank continued to strengthen its granular and low-cost deposit franchise. **Savings Bank deposits** registered strong growth of **15.30%**, increasing by **Rs.16,530 crore** from **Rs.1,08,035 crore** to **Rs.1,24,565 crore** during the year. **CASA deposits** increased by **10.85%** to **Rs.1,50,936 crore**, while **Retail Term Deposits** recorded healthy growth of **17.81%** to **Rs.1,83,601 crore**. The Bank maintained a strong low-cost deposit profile with **Domestic CASA ratio of 41.46%**, while high-cost bulk deposits were contained below **6%** of total deposits. Significantly, **CASA and Retail Term Deposits together contributed 94% of total deposits**, demonstrating the strength and stability of the Bank's retail deposit franchise.

The Bank reported its **highest-ever annual Net Profit of Rs.5,208 crore** as against **Rs.3,335 crore** in the previous year, registering an impressive growth of **56.16%**. Notably, the Bank delivered **net profit of above Rs.1,000 crore in all four quarters of FY 2025-26**, increasing sequentially from **Rs.1,111 crore in Q1 to Rs.1,505 crore in Q4**, reflecting consistency and sustainability in earnings.

The **Net Interest Income (NII)** increased by **15.46%** to **Rs.12,574 crore**, while **Operating Profit** crossed the landmark **Rs.10,000 crore** and increased by **15.40%** to **Rs.10,026 crore**. **Operating Income** increased by **10.80%** to **Rs.18,210 crore**. Despite cumulative repo rate cuts of **125 bps**, the Bank maintained healthy margins with **Global NIM at 3.21%** and **Domestic NIM at 3.33%.** The Bank's profitability ratios continued to strengthen, with **RoA improving from 0.92% to 1.23%**, remaining above **1% throughout the year**, and **RoE improving from 16.28% to 20.42%**. Further, the **Cost-to-Income ratio** improved from **47.14% to 44.94%,** while **Cost of Deposits** declined from **5.08% to 4.97%**, reflecting improved operating efficiency and effective liability management.

The Bank continued its remarkable journey in asset quality improvement. **Gross NPA** declined from **2.14% to 1.42%**, while **Net NPA** improved from **0.37% to 0.21%**, among the best in the industry. The Bank maintained an industry-leading **Provision Coverage Ratio of 97.50%**, while **Credit Cost** remained low at **0.30%**.

Fresh slippages during FY 2025-26 reduced significantly by **66%** to **Rs.1,211 crore** from **Rs.3,568 crore** in the previous year, with **Slippage Ratio** improving from **1.68% to 0.49%**, one of the lowest in the industry. During the year, the Bank recovered **Rs.3,576 crore**, which was nearly **2.95 times of fresh slippages**, reaffirming strong recovery and resolution mechanisms.

The Bank's strategic focus on **Retail, Agriculture and MSME (RAM)** segments continued to yield strong results. **RAM advances** increased by **34.91%** to **Rs.2,45,014 crore** and constituted **78.93%** of total advances. Within RAM portfolio, **Retail advances** grew by **45.12%**, **Agriculture advances** by **39.27%**, and **Core MSME advances** by **23.77%**, reflecting diversified and granular credit growth.

The Bank's capital position remained strong, with **Capital Adequacy Ratio (CRAR)** improving to **19.78%**, including **CET-1 ratio of 16.94%**, significantly above regulatory requirements and among the best in the industry.

The Bank also significantly expanded its customer outreach during the year by adding **163 new branches, 3 Regional Offices, 154 ATM/CRMs, and 2,052 Business Correspondents**, further strengthening its commitment towards financial inclusion, customer accessibility, and sustainable growth.

The consistent improvement in business growth, profitability, operating efficiency, asset quality, recovery performance, capital strength, and customer acquisition reaffirms the Bank's transformation into a strong, sustainable, and future-ready institution, well-positioned to create long-term value for all stakeholders.

INCOME AND EXPENDITURE ANALYSIS

The interest received on advances has increased by **19.32% (YoY)** to **Rs.24,082 Crores** for the financial year ended **31st March 2026** as compared to **Rs.20,182 Crores** received during the previous financial year ended **31st March 2025**. Interest earned on investments increased by **6.82%** to **Rs.7,518 Crores** in FY 2025-26 as against **Rs.7,038 Crores** in FY 2024-25. Consequently, total interest income increased by **13.38%** to **Rs.31,896 Crores** in FY 2025-26 as compared to **Rs.28,131 Crores** in the previous year.

The Bank's non-interest income also registered growth and stood at **Rs.5,636 Crores** in FY 2025-26 as against **Rs.5,545 Crores** in FY 2024-25, registering a growth of **1.64%**. Accordingly, **Total Income** increased by **11.45%** to **Rs.37,532 Crores** in FY 2025-26 as against **Rs.33,676 Crores** in FY 2024-25.

On the expenditure side, interest paid on deposits increased to **Rs.16,577 Crores** in FY 2025-26 as against **Rs.15,008 Crores** in FY 2024-25, registering a growth of **10.45%**, in line with growth in deposit base. Interest paid on borrowings increased by **22.98%** to **Rs.2,745 Crores** as against **Rs.2,232 Crores** in the previous year. Consequently, total interest expenses increased by **12.07%** to **Rs.19,322 Crores** in FY 2025-26 from **Rs.17,241 Crores** in FY 2024-25.

Despite business expansion and branch network growth, the Bank maintained strong cost discipline. **Operating Expenses** increased moderately by **5.64%** to **Rs.8,184 Crores** as against **Rs.7,747 Crores** in the previous year, which was lower than the growth in operating income, reflecting improved operating efficiency. Staff expenses remained largely stable at **Rs.4,689 Crores**, while other operating expenses stood at **Rs.3,495 Crores** during the year. Total expenses increased by **10.08%** to **Rs.27,506 Crores** in FY 2025-26 as against **Rs.24,988 Crores** in FY 2024-25.

The **Net Interest Income (NII)** increased by **15.46%** on YoY basis to **Rs.12,574 Crores** for the year ended **31.03.2026** as against **Rs.10,890 Crores** for the year ended **31.03.2025**. **Operating Income** increased by **10.80%** to **Rs.18,210 Crores**, while **Operating Profit** crossed the significant milestone of **Rs.10,000 Crores** and increased by **15.40%** to **Rs.10,026 Crores**. The Bank's **Cost-to-Income ratio** improved from **47.14%** to **44.94%**, reflecting enhanced operational efficiency and effective cost management.

Despite cumulative policy repo rate reductions of **125 bps** during the year, the Bank maintained healthy margins with **Global NIM at 3.21%** and **Domestic NIM at 3.33%**. Improved

income profile, efficient liability management, moderation in cost of deposits from **5.08% to 4.97%**, and disciplined expenditure management contributed to strong profitability, resulting in the Bank reporting its **highest-ever Net Profit of Rs.5,208 Crores**, registering a growth of **56.16%** over the previous year.

CAPITAL ADEQUACY RATIO

The Bank's Capital Adequacy Ratio continued to remain strong and improved further by **74 basis points** to **19.78%** as on **31.03.2026** as against **19.04%** as on **31.03.2025**, which is significantly above the regulatory requirement, reflecting the Bank's strong capital position and its ability to support future business growth.

The Bank's **Common Equity Tier–1 (CET-1)** ratio stood at as on **31.03.2026** as against **16.44%** as on 3**1.03.2025**, while **Tier-II capital ratio** improved to **2.84%** from **2.60%** during the same period. The Bank's total capital funds increased to **Rs.39,144 crore** as on March 31, 2026 from **Rs.32,306 crore** in the previous year.

The consistently strong capital buffers, supported by healthy internal profit generation, improved asset quality, and prudent risk management, position the Bank comfortably to support accelerated business growth, meet regulatory requirements, and pursue strategic growth opportunities in the years ahead.

BRANCH NETWORK

The Bank continued to strengthen its physical presence and customer outreach during FY 2025-26. The Bank has **3,494 Domestic Branches** as on **31st March 2026** as against **3,335 Branches** as on **31st March 2025**, registering a net addition of **159 branches** during the year.

The branch network continues to have a strong presence across rural and semi-urban geographies, supporting the Bank's commitment towards financial inclusion and inclusive economic growth. Out of the total branch network, around **58% of branches are located in Rural and Semi-Urban centres**, enabling deeper penetration in underbanked and priority sectors.

The Bank expanded its customer touch points by adding **154 ATM/CRMs** and **2,052 Business Correspondents** during the year, taking the total customer touch points to **19,336** as on March 31, 2026. The continued expansion of the Bank's physical and alternate delivery channels reinforces its commitment towards customer convenience, financial inclusion, and sustainable business growth.

Capital:

- During the year 2025-26, the Bank has not raised equity capital.
- The paid-up capital of the Bank stands at Rs.19,256.59 Crore as on 31st March 2026. The Government of India shareholding stands at 92.44% as on 31st March 2026.
- During the Financial Year 2025-26, Bank has issued Basel III Tier II Bonds (Series VI) aggregating to Rs.1000 Crore through Private Placement basis subscribed by Qualified Institutional Buyers (QIBs).

Dividend:

Board of Directors of the Bank did not recommend any dividend during the Financial Year 2025-26.

Market capitalization of the Bank:

Particulars	Market capitalization as on 31.12.2025 (Rs. in Crores)	Rank among listed entities
BSE Ltd	74120	140
National Stock Exchange Ltd	74113	141

Corporate Governance:

The Board of the Bank is firmly committed to upholding the highest standards of Corporate Governance, both in letter and in spirit. The Bank has established a comprehensive and well-documented framework of policies and practices to ensure effective governance. A detailed report on Corporate Governance is presented in a dedicated section of the Annual Report.

Investor Education & Protection Fund (IEPF):

In accordance with the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, the Bank has transferred all unpaid dividend amounts up to the financial year 2013–14 to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

The Bank remains fully compliant with the regulations and directives prescribed by the Regulatory Authorities and the Government of India. Shareholder grievances are addressed promptly and efficiently, ensuring transparency and trust in all dealings.

Directors' Responsibility Statement:

The Directors confirm that, in the preparation of the annual accounts for the year ended 31st March 2026:

- Accounting Standards have been duly followed, together with proper explanations for any material departures, if applicable.
- Accounting Policies had been selected and applied consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of your Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of your Bank for that period.
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate Accounting Records in accordance with the provisions of the relevant Acts for safeguarding the assets of your Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- The Annual Accounts were prepared on a going concern basis.
- The Bank has established and maintained adequate Internal Financial Controls, which were operating effectively during the year. For this purpose, "Internal Financial Controls" refers to the policies and procedures adopted to ensure orderly and efficient conduct of business, adherence to policies, safeguarding of assets, prevention and detection of frauds and errors, accuracy and completeness of accounting records, and timely preparation of reliable financial information.
- Proper systems are in place to ensure compliance with all applicable laws, and such systems have been found adequate and operating effectively.

BOARD OF DIRECTORS

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2026 were 10 directors comprising 01 Non-executive Chairman, 03 whole time Directors, 01 GOI Nominee Director, 01 RBI Nominee Director, 03 Part time Non-Official Directors and 01 director elected from amongst the shareholders to duly represent their interest.

Position of the terms of the Directors during the FY 2025-26

S. No.	Name	DOJ	DOR/Term Ends on	Designation
01	Shri Srinivasan Sridhar	21/02/2024	20/02/2027	Non-Executive Chairman & Part Time Non-Official Director
02	Shri Ajay Kumar Srivastava	01/01/2023	08/10/2027	Managing Director & Chief Executive Officer
03	Shri Joydeep Dutta Roy	31/01/2024	19/10/2028	Executive Director
04	Shri Dhanaraj T	10/03/2024	09/03/2027	Executive Director
05	Ms Neelam Agrawal	05/08/2024	UFO *	Govt. Nominee Director
06	Shri Thomas Mathew	03/03/2026	UFO *	RBI Nominee Director
07	Shri G Venkataramanan	03/12/2025	02/12/2028	Shareholder Director
08	Shri Suresh Kumar Rungta	11/04/2025	10/04/2026	Part Time Non-Official Director
09	Shri B Chandra Reddy	11/04/2025	10/04/2026	Part Time Non-Official Director
10	Shri Deepak Sharma	11/04/2025	10/04/2026	Part Time Non-Official Director

*Until Further orders

During the FY 2025-26, the following Directors' tenure ended as below:

01	Ms Sonali Sen Gupta	14/07/2023	03/03/2026	RBI Nominee Director
02	Shri Sanjaya Rastogi	03/12/2022	02/12/2025	Shareholder Director

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors is grateful for the valuable guidance and support received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI). Stock Exchanges, State Governments, Financial Institutions, and all Overseas Regulators. The Board of Directors acknowledge with thanks our valued Customers, Employees, Unions, Officers Associations, domestic and international banking group, the shareholders & other stakeholders for their valued support and continued patronage with the Bank.

The Board also wishes to place on record its profound appreciation for the valuable contribution of the Bank's staff at all levels and looks forward to their continued involvement and commitment towards achieving the future goals.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Chennai
Date: 21.05.2026

Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & Chief Executive Officer

Management Discussion and Analysis

ECONOMIC AND BANKING ENVIRONMENT

FY 2025-26 witnessed a challenging global economic environment marked by geopolitical tensions, supply chain disruptions, commodity price volatility, trade-related uncertainties, and evolving monetary policy actions across major economies. Global financial markets remained volatile amid periodic risk-off sentiment and capital flow adjustments. According to the latest projections of the International Monetary Fund, global growth is projected at **3.1% in 2026** and **3.2% in 2027**, remaining below the historical average.

Amidst these global uncertainties, India continued to remain one of the fastest-growing major economies, supported by strong domestic consumption, sustained investment, infrastructure development, structural reforms, and healthy macroeconomic fundamentals. As per the latest estimates of the Reserve Bank of India, India's real GDP growth for **FY 2025-26** is estimated at **7.6%**. Inflation remained broadly contained, and in its latest monetary policy review, the Reserve Bank maintained the **policy repo rate at 5.25%** with a **neutral policy stance**, balancing growth and price stability.

The Indian banking sector continued to demonstrate resilience, supported by strong capitalization, improved asset quality, healthy profitability, and robust credit demand. As of **March 2026**, Scheduled Commercial Banks reported **CRAR** of **17.68%, Gross NPA of 1.73%, Net NPA of 0.40%, RoA of 1.33%,** and **NIM of 3.26%.**

Among Public Sector Banks, financial parameters also remained robust as of **March 2026**, with **Gross NPA at 1.93%, Net NPA at 0.39%, Return on Assets (RoA) at 1.10%,** and **Net Interest Margin (NIM) at 2.84%**, reflecting sustained improvement in asset quality, profitability, and operational efficiency.

As per latest data, Bank credit growth remained healthy at **13.8% year-on-year** while aggregate deposits grew by **10.8% year-on-year** reflecting sustained demand across key sectors of the economy. However, the industry continued to face competitive pressures in mobilization of low-cost CASA deposits and moderation in margins due to transmission of policy rate changes.

Banking Sector Outlook

The outlook for the Indian banking sector remains positive, supported by strong macroeconomic fundamentals, healthy corporate and retail balance sheets, sustained infrastructure spending, rising formalization of the economy, and continued policy support. Credit demand is expected to remain healthy across retail, agriculture, MSME, infrastructure, and services sectors, driven by economic growth and increasing financial inclusion.

At the same time, banks may continue to face near-term challenges arising from repricing of repo-linked loan portfolios, competitive deposit mobilization, moderate CASA growth, and pressure on Net Interest Margins. Banks are expected to focus on granular deposit mobilization, digital banking, operational efficiency, diversified loan portfolios, and prudent risk management to sustain profitability and growth.

With strong capital buffers, improved asset quality, healthy profitability, adequate liquidity, accelerated digital adoption, and continued regulatory oversight by the Reserve Bank of India, the Indian banking sector remains well-positioned to support the country's long-term economic aspirations and create sustainable value in the years ahead.

BACKGROUND OF THE BANK

Indian Overseas Bank was founded on **10th February 1937** by **Shri M. Ct. M. Chidambaram Chettiar**, a pioneer in banking and commerce. The Bank was one of the 14 major banks nationalized in 1969. On the eve of nationalization, the Bank had **195 branches** in India with aggregate deposits of **Rs.67.70 crore** and advances of **Rs.44.90 crore**. Presently, the Bank has overseas presence in **Singapore, Hong Kong, Thailand, and Sri Lanka**.

The Bank has also sponsored Odisha Grameen Bank in Odisha.

Key Highlights

- The Bank completed **89 years of dedicated service in banking** as on **10.02.2026**.
- The Bank has a strong domestic presence of **3,494 branches**, **3,651 ATM/CRMs**, and **12,187 Business Correspondents**, providing extended customer reach across the country.
- About **58% of branches** cater to **Rural and Semi-Urban centres**, reinforcing the Bank's commitment towards financial inclusion.
- The Bank continues to enjoy a strong brand franchise in South India, particularly in Tamil Nadu.
- The Bank has overseas presence in **4 countries** through its overseas branches.

- During FY 2025-26, the Bank net added **159 new branches** and added **3 Regional Offices**, significantly strengthening its distribution network.
- The Bank added over **42 lakh new CASA accounts** during the year, mobilizing over **Rs.14,000 crore CASA deposits**.
- The Bank continued its strategic focus on **Retail, Agriculture and MSME (RAM)** segments, which contributed **78.93%** of advances as on March 31, 2026.

Bank's Operations

Domestic Deposits

The Bank's **total domestic deposits** stood at **Rs.3,59,032 crore** as on **31st March 2026** as against **Rs.3,03,415 crore** as on **31st March 2025**, registering a healthy growth of **18.33%**. Domestic **CASA deposits** increased from **Rs.1,33,644 crore** to **Rs.1,48,841 crore**, registering a growth of **11.37%**. It is noteworthy that **Savings Bank deposits** grew by **15.26%** from **Rs.1,07,661 crore** to **Rs.1,24,089 crore** during the year, reflecting the Bank's strong retail liability franchise. **Retail Term Deposits** also recorded strong growth of **17.81%**, increasing from **Rs.1,55,846 crore** to **Rs.1,83,601 crore**. The Bank maintained a healthy **Domestic CASA ratio of 41.46%** as on March 31, 2026.

Domestic Advances

With a continued focus on portfolio diversification, granular lending, and margin improvement, the Bank further strengthened its presence in **Retail, Agriculture, and MSME sectors** during FY 2025-26. The Bank's **Domestic Gross Advances** stood at **Rs.2,94,405 crore** as on **31st March 2026** as against **Rs.2,33,501 crore** as on **31st March 2025**, registering a robust growth of **26.08%**.

Within the RAM portfolio, **Retail Advances** grew by **45.13%** to **Rs.91,086 crore**, **Agriculture Advances** by **39.27%** to **Rs.1,03,821 crore**, and **MSME Advances** by **13.08%** to **Rs.50,107 crore**. The Bank's **Core MSME portfolio** registered strong growth of **23.77%**, increasing from **Rs.33,085 crore** as on **31st March 2025** to **Rs.40,951 crore** as on **31st March 2026**, reflecting the Bank's continued focus on productive and priority sector lending. The Bank's **RAM portfolio** contributed **78.93%** of advances as against **72.64%** in the previous year, reflecting continued focus on diversified, granular, and sustainable credit growth.

LEAP CELL

Project LEAP (Liabilities Enhancement Action Program)

The Bank launched Project LEAP on 7th July 2025 with the objective of deepening and strengthening its CASA base by engaging both Existing-to-Bank (ETB) and New-to-Bank (NTB) customers and fostering a customer-centric, service-oriented relationship model. The key initiatives undertaken under the project include CASA Win-back, TASC (Trusts, Associations, Societies and Clubs), EXIM (Export-Import), Micro-market, and Lead and Succeed.

Project LEAP has made a meaningful contribution to the Bank's CASA portfolio and overall business growth, while also creating a strong foundation for further expansion and sustained momentum.

CASA Win-back Initiative

The CASA Win-back Initiative was launched to reconnect with customers, particularly those holding active, non-corporate, non-government, and non-staff accounts, whose Monthly Average Balance (MAB) had declined by more than 25% over a specified period.

The initiative now covers 3,243 branches, with Customer Relationship Officers designated at each branch to engage with customers, address service deficiencies, and ensure prompt resolution of grievances. The program was rolled out in Waves 1 to 5, with progressive inclusion of additional branches and the introduction of a Voice over Internet Protocol (VoIP) calling interface.

The campaign recorded a cumulative CASA growth of Rs.1,920 crores during the FY 25-26.

Micro-market Initiative

The Micro-market Initiative was launched with the objective of onboarding new customers and mobilising incremental balances in districts where the Bank's market share was lower than its branch presence.

Wave 1 was launched on 1st August 2025 across five regions - Dindigul, Coimbatore, Vellore, Ernakulam, and Kancheepuram. Wave 2 was launched on 6th October 2025 across seven regions -Ranchi, Lucknow, Dehradun, Ahmedabad, Kozhikode, Jaipur, and Pune.

The initiative resulted in encouraging growth in new account acquisitions, with further balance accretion expected in the newly opened accounts.

- Under Wave 1, a total of 1,278 accounts were opened, contributing cumulative CASA growth of Rs.7.68 crores.
- Under Wave 2, a total of 4,017 accounts were opened across the seven regions, contributing cumulative CASA growth of Rs.21.44 crores.

EXIM ETB and NTB Initiatives

Under Project LEAP, the Bank also undertook focused initiatives in the EXIM segment aimed at reviving dormant relationships and expanding the customer base through targeted outreach and specialised engagement.

As part of the EXIM ETB Initiative, 60 Forex Officers in Authorised Dealer (AD) branches have been reaching out to ETB customers since the commencement of the campaign on 14th July 2025, with emphasis on building customer-centric and service-oriented relationships. Under this programme, 1,663 leads were identified by branches, and dedicated Forex Officers actively engaged with these customers to promote the Bank's product offerings.

The Bank also launched the EXIM NTB Campaign under Project LEAP across 111 AD branches in 48 regions. A total of 15,385 active and high-potential leads were identified for business conversion, and the campaign was launched on 6th October 2025. Overall, the EXIM initiative has resulted in cumulative CASA balance growth of Rs.14 crores.

Lead and Succeed

The Lead and Succeed campaign, launched on 2nd January 2026, is one of the Bank's most inclusive staff participation initiatives. Under this campaign, employees across clerical and supervisory cadres are encouraged to refer prospective customers from within their personal and professional networks, including families, friends, and other groups.

Staff members submit lead details through the mChris App on their mobile phones, capturing information such as customer name, mobile number, product of interest, and nearest branch location. Once entered, the lead details are automatically transmitted to the CRM portal of the selected branch, enabling branch staff to promptly contact the prospective customer and facilitate opening of fresh SB/CA accounts.

To qualify for recognition under the campaign, the newly opened accounts are required to maintain the prescribed average balance during the campaign period.

Since its launch, the campaign has generated around 44,577 fresh leads from employees across levels, resulting in the opening of 23,340 new accounts. The initiative is expected to further support growth in CASA balances as well as cross-sell opportunities in other para-banking products.

BRANCH NETWORK MANAGEMENT

Branch Network Management Department oversees the expansion, rationalisation, and optimisation of the Bank's physical network, including the opening of new branches and the relocation, merger or closure of existing branches, in accordance with the provisions of Section 23 of the Banking Regulation Act, 1949.

During FY 2025-26 the Department recorded significant achievements in strengthening the Bank's presence and service delivery capabilities:

- During the current financial year **2025–26**, we have successfully opened **163** new branches covering **20** States and **2** Union Territories. Of the **163** branches opened this year, **19** are located in underserved areas in Left Wing Extremism affected districts and **6** in Unbanked Rural Centres, reinforcing our commitment to financial inclusion.
- As on 31st March 2026, our Bank operates a robust domestic network of **3494** domestic branches across **28** States and **6** Union Territories. In Last **3** Financial years bank has grown exponentially and opened **280** branches pan India covering **21** states and 3 Union Territories, collectively generating **Rs.5058 crores** of business as on 31st March 2026 which includes CASA business of **Rs.1634 Crores**.
- Three new Regional Offices were established at **Kozhikode, Dindigul** and **Nagapattinam** to enhance administrative efficiency and regional oversight.
- The Bank also expanded its specialised infrastructure by setting up six MSME Loan Processing Centres at **Chennai-I, Chennai-II, Coimbatore, Delhi, Kolkata,** and **Mumbai**.
- Further, to support and promote the startup ecosystem, three dedicated Startup Branches were inaugurated at **Bengaluru, Delhi,** and **Mumbai**.

OVERSEAS OPERATIONS

The Bank has four Overseas Branches, one Branch each in Singapore, Hong Kong, Bangkok and Colombo as on 31st March 2026. India International Bank (Malaysia) Berhad (IIBMB) - a Joint Venture of Bank of Baroda, Indian Overseas Bank and Union Bank of India - is under the process of voluntary winding up. As of 31.12.2025, the entire book value of investment in IIBMB has been realized and therefore IIBMB is no longer a Joint Venture in the books of the Bank.

The Overseas Business stood at Rs.25,177 Crore as of 31st March 2026 as compared to Rs.25,041 Crore as of 31st March 2025.

TREASURY OPERATIONS & INVESTMENTS

Treasury Operations

The total profit from Treasury Operations, comprising profit from the sale of investments, revaluation gain/loss from the fair valuation of Investments and profit on exchange amounted to Rs.383.99 crore in FY 2025–26, compared to Rs.524.00 crore in FY 2024–25. The 10-year benchmark yield hardened from 6.58% to 7.02% during the year.

Investments (Domestic)

As of 31st March 2026, the Bank's net investments stood at Rs.1,15,730.43 crores, reflecting an increase from Rs.1,07,019.14 crores as of 31st March 2025. The interest income from Domestic investments rose to Rs.7228.49 Crore in FY 2025-26, compared to Rs.6687.72 crore.

In line with the extant RBI Master Directions on Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions 2025), the Bank did not transfer investments between categories without prior approval from the Department of Supervision, RBI, during FY 2025–26 and FY 2024-25.

TREASURY OPERATIONS & INVESTMENTS (FOR OVERSEAS ALONE)

Treasury Operations (Overseas)

The profit on sale of investments (Overseas Centres) was at Rs.6.77 crores during 2025-26. The profit on exchange from Forex business stood at Rs.40.67 crores as on 31.03.2026 as against Rs.37.10 crores in the previous year.

Investments (Overseas)

Net investments of the Bank (Overseas Centres) were at Rs.4079.10 crores as of 31st March 2026. Total Profit including sale of securities & profit on exchange amounted to Rs.47.44 crores during the year 2025-26.

MSME

To facilitate the promotion and development of Micro, Small and Medium Enterprises, the Government of India enacted THE MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT ACT 2006 (MSMED ACT 2006). The Act became operational from 02.10.2006 and the new criteria was further notified vide Gazette Notification No CG-DL-E-26062020-220191 dated June 26, 2020.

RBI vide their communication letter no RBI/2020-21/10 FIDD. MSME & NFS. BC. No. 3/06.02.31/2020-21, dated 02.07.2020, advised the revised guidelines for classification of Enterprises as MSME which have come into force w.e.f. July 01, 2020.

As per RBI Circular No. RBI/2021-2022/67FIDD.MSME&NFS.BC.No.13/06.02.31/2021-22 dated 07.07.2021, with respect to Definition of Micro, Small and Medium Enterprises – Addition of Retail and Wholesale Trade, various categories of Micro, Small and Medium Enterprises are defined as under:

Category	Investment in Plant and Machinery/ Equipment Cost (WDV)	Turnover
Micro	Up to Rs.1.00 Crore	Up to Rs.5.00 Crore
Small	Above Rs.1.00 Crore & Up to Rs.10.00 Crore	Above Rs.5.00 Crore & Up to Rs.50.00 Crore
Medium	Above Rs.10.00 Crore & Up to Rs.50.00 Crore	Above Rs.50.00 Crore & Up to Rs.250.00 Crore

The Investment & Turnover criteria is uniform for both Manufacturing and Service Enterprises.

Government of India vide gazette notification CG-DL-E-21032025-261838 dated 21.03.2025 has further revised the criteria for categorization of MSME which came into effect from 01.04.2025 as under:

Category	Investment in Plant and Machinery/ Equipment Cost (WDV)	Turnover
Micro	Up to Rs.2.50 Crore	Up to Rs.10.00 Crore
Small	Above Rs.2.50 Crore & Up to Rs.25.00 Crore	Above Rs.10.00 Crore & Up to Rs.100.00 Crore
Medium	Above Rs.25.00 Crore & Up to Rs.125.00 Crore	Above Rs.100.00 Crore & Up to Rs.500.00 Crore

The Investment & Turnover criteria is uniform for both Manufacturing and Service Enterprises.

MSME Performance

The share of credit to Micro, Small and Medium Enterprises stood at Rs.50107 Crores as on 31st March 2026 registering y-o-y growth of 13.08%. The growth is in line with the guidance provided in the last Financial Year.

Key Points

Pradhan Mantri Mudra Yojana:

Bank has achieved target under PMMY with disbursement amounting to Rs.7746.16 Crores as on 31st March 2026 vis-à-vis target of Rs.7000 crores. Bank has sanctioned 336233

number of fresh Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) loans amounting to Rs.7808.26 crores in FY 25-26.

PMEGP:

Bank has actively sanctioned applications under PMEGP and provided support to 2123 new entrepreneurs in FY 25-26 with total project cost amounting to Rs.232 Crores. Outstanding as on 31.03.2026 under PMEGP stands at Rs.676.46 Crores.

IOB's Initiative towards Start Up eco system:

The Bank initially had one dedicated Start Up Branch in Chennai and opened 3 new branches in Delhi, Mumbai and Bangalore in FY 25-26 to support India's start up eco system. Bank has sanctioned Rs.55.35 Crores through these branches to various startups and exposure as on 31.03.2026 stands at Rs.85 Crores.

The Bank has a dedicated scheme called IOB Pragati to cater to the specific needs of startups and offers credit guarantee coverage up to Rs.20 Crores through NCGTC.

Loan Origination System:

Bank has successfully onboarded almost all MSME schemes to LOS which ensures smooth processing of proposals, hassle free journey for loan applicants and reduced TAT.

CIBIL Triggers:

Bank has tied up with CIBIL Transunion for CIBIL Triggers which is an offering from Transunion CIBIL Limited allowing us to monitor credit activities of existing MSME customers of our Bank in the industry. This initiative helps our Branches to reach out to the MSME customers who are approaching other Banks/FIs for their financial needs and take timely measures to fulfil customer requirements and strengthen relationships.

Launch of various digital products:

IOB E-GST Scheme

IOB E-GST Scheme provides hassle free finance to applicants filing GST returns. Quantum is arrived at based on GST turnover data fetched from GST portal and bank account statement. Applicants get access to tailor made credit for their specific needs in a few clicks.

Mudra STP:

Sanction of collateral free loans up to Rs.10 Lakhs which can be availed by the customer using Bank's dedicated portal. The portal has a pre-defined set of BRE which assesses the input and sources various documents like statements, ITR etc. to provide sanction within a few minutes to the customer.

New Scheme Launch:

The Bank has launched various new and innovative products based on feedback received from the field and market demand. List of such schemes are as under:

1. Restructured PM SVanidhi scheme with enhanced quantum along with credit card facility.
2. Mutual Credit Guarantee Scheme with coverage for MSME loans up to Rs.100 Crores.
3. Aajeevika Sahayata Rin for vulnerable occupational groups like Transport Workers, Domestic Workers, Gig Workers, Waste Workers, Construction Workers and Care Workers with loan amount ranging from Rs.50000/- to Rs.4 Lakhs and Rs.20 Lakhs for JLGs.
4. PMSGMBY Vendor Financing Scheme for solar equipment vendors with loan amounts ranging from Rs.10 Lakhs to Rs.5 Crores.
5. Credit Guarantee Scheme for Exporters to support units engaged in exports to the USA affected by recent tariffs imposed.
6. Dedicated scheme for hospital and equipment financing for setting up or renovation of hospitals and health care units.
7. MSME Commercial Vehicle Loan Scheme for financing commercial vehicles with loan amount ranging from Rs.5 Lakhs to Rs.5 Crores.
8. Other state government sponsored schemes were also launched.

TReDS:

Our bank is among the fore runners under TreDS. The bank has a robust infrastructure for invoice financing under TReDS having integration with 4 platforms viz. M1 Exchange, C2TReDS, Invoice Mart and Receivables Exchange of India (RXIL). Small suppliers for whom availability of instant working capital finance is key to smooth operations of their business, get access to readily available credit at the best rates. The outstanding under TReDS portfolio as on 31.03.2026 is Rs.7822.18 Crores.

Cluster based financing:

The number of clusters identified by the bank are 33 as on 31.03.2026. Bank has added 10 clusters in FY 25-26 and is continuously identifying new clusters based on geographical location of industries and feasibility. Outstanding under cluster-based lending stands at Rs.2863.12 Crores.

The list of clusters as on 31.03.2026 is as under:

S. No.	Name of the Cluster	Region
1	Ceramic and Plastic Industry Cluster in Morvi, Gujarat	Ahmedabad
2	Textiles Industry Cluster at Coimbatore	Coimbatore
3	Engineering Goods Cluster in Coimbatore	Coimbatore
4	Engineering and Packaging Cluster in NCR Delhi	NCR Delhi
5	Auto Components Cluster in NCR Delhi	NCR Delhi
6	Auto Components Cluster in Chennai/Kancheepuram	Chennai I, Chennai II
7	Auto Components Cluster in Kancheepuram	Kancheepuram
8	Auto/Bicycle Components Cluster in Ludhiana	Ludhiana
9	Hosiery/Textiles Cluster in Ludhiana	Ludhiana
10	Plywood Industry Cluster in Perumbavoor, Kerala	Ernakulam
11	Textile Cluster in Surat, Gujarat.	Baroda
12	Textile Cluster in Tiruchengode, Tamil Nadu	Salem
13	Auto Components Cluster in Hosur and Krishnagiri, Tamil Nadu.	Salem
14	Alleppey and Kollam COIR Products Cluster	Trivandrum
15	Baroda - Engineering Cluster	Baroda
16	Baroda - Chemical & Chemical Products Cluster	Baroda
17	Mandi Gobindgarh, Fatehgarh Sahib - Steel Re Rolling Cluster	Chandigarh
18	Erode & Karur Textile and Allied Activity Cluster	Erode
19	Genome Valley-Medchal/Malkajgiri Pharmaceutical Cluster	Hyderabad
20	Trichy- Fabricators and Engineering Works Cluster,	Trichy
21	Ranipet Leather Products Cluster	Vellore
22	Panipat NCR Delhi-Textile Cluster	NCR Delhi
23	Ranipet -Steel Fabrication & Machinery Shop Industry Cluster	Vellore
24	Automobile & Engineering Cluster Pune	Pune
25	Brassware and Handicraft Cluster Moradabad	Meerut
26	Automobile Parts and Engineering Cluster Delhi	Delhi
27	Electricals and Electronic Goods Cluster Delhi	Delhi
28	Engineering, Auto Ancillary (Automobile Parts, Automobile Accessories Manufacturing), Foundries, Casting, Forging and other related activities Cluster	Ahmedabad
29	Steel Re Rolling, Casting, Metal Fabrication Cluster	Raipur
30	Auto Components, Engineering, Fabrication Cluster	Bhopal
31	Garments & Textile Cluster	Bhopal
32	Safety Matches & Other allied activities Cluster	Tuticorin
33	Engineering and Fabrication Cluster, Begusarai	Patna

The overall feedback from our customers is positive as they enjoy various benefits viz. lower ROI and charges, reduced TAT, and uniform template-based processing of proposals due to same nature of industry in a cluster.

Guidance for FY 25-26

1. Bank is actively working towards expanding digitalization of MSME products and implementation of STP for more products to ensure hassle free journey for our customers and reduced TAT.

2. The bank is having dealer financing scheme for supply chain financing to cater to the needs of corporates and ancillary dealers/distributors.

   The bank is in the process of developing a mechanism to source leads from PSB alliance which shall add fresh MSME business to our portfolio.

3. Department is continuously in touch with field functionaries and ROs to identify new clusters. This approach shall expand the overall coverage under cluster-based financing and shall add many new MSME units to our portfolio by offering various cluster-based benefits.

RETAIL BANKING

Retail Credit Performance:

The total outstanding under **Retail Credit Portfolio increased from Rs.62764 crores as of March 2025 to Rs.91086 Crores as of March 2026.** The Retail Portfolio Registered **Y-o-Y growth of 45.12%** during FY 2025-26. The overall Retail share to domestic advances is **30.94 %**.

Housing Loan Portfolio has registered Y-o-Y growth of 12.13 % during FY 2025-26. Fresh **Housing Loans sanctioned** during the review period was **21362 accounts, amounting to Rs.8423.36 crores and Disbursement was Rs.7851.65 crores**.

Vehicle Loan Portfolio has registered Y-o-Y growth of 31.51% during FY 2025-26. Fresh Vehicle Loans sanctioned during the review period was **28821 accounts amounting to Rs.3414.04 crores and disbursed amount was Rs.3388.31 crores**.

Mortgage Loan Portfolio has registered Y-o-Y growth of 44.46% during FY 2025-26. Fresh **Mortgage Loans sanctioned** during the review period was **2755 accounts amounting to Rs.3200.98 crores** and **disbursed amount was Rs.3090.96 crores**.

Personal loan Portfolio has registered Y-o-Y growth of 23.56% during FY 2025-26. Fresh **Personal loan sanctions** during the review period was **29908 accounts** amounting to **Rs.1656.80 Crores and disbursed amount was Rs.1651.87 crores.**

Jewel Loan Portfolio has registered Y-o-Y growth of 184.03% during FY 2025-26. Fresh **Jewel Loan sanction** during the review period was **2475365 accounts** amounting to **Rs.48508.93 crores** and **disbursed amount was Rs.48250.53 crores.**

A. Modification in Existing Scheme:

Based on market dynamics and feedback from field functionaries and to make our product more competitive, suitable modifications were carried out in the existing Retail Products to make them more competitive products. Details of the modification done in the Retail loan products are as under:

1. **Loan Against Property:** In view of escalation in living cost, expenditures etc maximum quantum under **LAP has been increased from Rs.20.00 Crores to Rs.40.00 Crores for Metro Centre & Rs.20.00 Crores to Rs.25.00 Crores for Urban Centre**. For Non-Individuals the quantum has been **increased from Rs.40.00 Crores to Rs.200.00 Crores. Modification/Relaxation in Income norms, THP Norms, Security, Margin, Entry/Exit Age** has been provided.

2. **Housing Loan Top Up Scheme – (Modification)** - The **existing upper limits of ₹5.00 crore for Housing Loan Top-Up and ₹2.00 crore** for NRI Top-Up have been withdrawn. Under the revised policy, there is **no maximum** sanction amount prescribed for loans under the Home Loan Top-Up and NRI Home Loan Top-Up schemes.

3. **Housing Loan – (Modification)** - Modification/ Relaxation in **Loan Eligibility, Entry/Exit Age and Work experience** has been provided.

B. Introduction of New Products/Initiatives under Retail Credit Portfolio:

1. IOB – Easy Plot Scheme

Resident, non-resident and staff with **maximum finance up to Rs.3.00 Crores** with margin of 25% for purchase of Residential plots/sites for borrowers with upper age limit of 60 years.

2. Harit Subhagruha Scheme:

The Scheme shall cover **Housing Loans** for Individual Houses and Flats/Houses under **Green home construction, or eco-**

friendly house building Projects certified by **LEED, IGBC, GRIHA rating agencies** with **concession in Interest rates and processing charges**.

3. New Housing Loan Scheme for State of Tamil Nadu:

Kalaignarin Kanavu Illam – (HLKKI)- To provide financial assistance in the form of Housing Loan to meet gap between Govt. Grant and actual cost of construction of House under **Govt. of Tamil Nadu's Housing Program "Kalaignarin Kanavu Illam"**.

4. Demand Loan Against Deposit – Straight Through Process (STP):

The **Demand Loan Against Deposit (STP) is a fully digital, endtoend lending product designed for speed, convenience, and efficiency**. Enabled through a Straight Through Process, the entire loan lifecycle—from application and sanction to disbursement and closure—is completed online **without any manual intervention**.

C. Women Empowerment Initiatives:

IOB Sakhi:

A special **Personal Loan Scheme** for both **Salaried** (Loan Quantum up to **Rs.30.00 lakhs**) & **Non – Salaried** (Loan Quantum up to **Rs.10.00 Lakhs**) women borrowers.

IOB Pink Wheels:

A **2-wheeler Vehicle loan scheme for women borrowers** with **no maximum ceiling on Loan Amount**.

D. Digital Initiatives.

The Bank has taken following steps towards digitalization

Retail Product Movement to LOS:

For **improvement in quality** and **reduction in TAT of processing of Loans** we have moved all major Retail Loan products to **LOS (A Digital Loan processing platform)**

During **FY 2025-26**, we have moved the following products to LOS:

1. Housing Loan Takeover
2. Liquirent
3. Liquirent Top Up
4. IOB Sakhi
5. IOB Pink wheels

CORPORATE CREDIT

During the financial year, Bank placed a strong focus on asset quality, risk management, and regulatory compliance. The year was characterized by selective credit expansion, and heightened emphasis on portfolio resilience amid evolving market conditions.

Bank continued to support key corporate and commercial segments across manufacturing, infrastructure, services, etc. Credit underwriting remained disciplined, with a strong focus on borrower fundamentals, cash-flow based lending, and sectoral risk assessment. New sanctions were aligned with the institution's risk appetite framework, prioritizing well-rated corporates, established business models, and entities demonstrating stable cash flows and governance standards.

Portfolio quality remained a key focus area throughout the year resulting in containment of slippages and improvement in overall portfolio stability. Emphasis on structured repayment mechanisms, adequate collateral coverage, and covenant monitoring further strengthened credit discipline. Bank has also signed an MoU with State Bank of India (SBI Chakra) to target following **emerging and key sunrise sectors**:

- Renewables
- E-mobility & Charging Infra
- Green Hydrogen & Ammonia
- Advanced Cell Chemistry/ Battery
- Decarbonization
- Smart Infrastructure
- Data Centres

In line with regulatory expectations, Bank ensured robust compliance with internal credit policies, RBI guidelines, and exposure norms. Credit processes were further streamlined through enhanced due diligence practices, and improved turnaround times for credit decisions without compromising risk standards.

Looking ahead, Bank remains committed to supporting sustainable business growth while preserving portfolio quality. The focus will continue on prudent credit expansion both vertically and horizontally by increasing the base, heightened monitoring of emerging risks, increased use of technology and analytics, and strengthening of early warning systems. Bank is well-positioned to navigate evolving market dynamics while maintaining a balanced approach to growth and risk.

PRIORITY SECTOR CREDIT

The average growth of four quarters for the FY 2025-26 was Rs.7951.25 Crores and the average Outstanding stood at Rs.117302.18 Crores against the target of Rs.84669.02 Crores and **the Bank has surpassed the mandatory norms of 40% of ANBC by achieving 55.42% under Total Priority Sector Advances** during FY 2025-26.

Agriculture

The average growth of four quarters for the FY 2025-26 was Rs.4577.44 Crores and the average outstanding stood at Rs.62898.25 Crores against the target of Rs.38101.06 Crores and **the Bank has surpassed the mandatory norms of 18% of ANBC by achieving 29.71% under Agriculture advances** during FY 2025-26.

Loans to Small and Marginal farmers

The average growth of four quarters for the FY 2025-26 was Rs.3603.07 Crores and the average outstanding stood at Rs.42052.44 Crores against the target of Rs.21167.25 Crores and **the Bank has surpassed the mandatory norms of 10% of ANBC by achieving 19.87% under loans to Small/ Marginal farmers** during FY 2025-26.

Loans to Non-Corporate farmers

The average growth of four quarters for the FY 2025-26 was Rs.4588.42 Crores and the average outstanding stood at Rs.62405.46 Crores against the target of Rs.29634.16 Crores and **the Bank has surpassed the mandatory norms of 14.00% of ANBC by achieving 29.48% under loans to Non Corporate Farmers** during FY 2025-26.

Loans to Micro Enterprises

The average growth of four quarters for the FY 2025-26 was Rs.2568.54 Crores and the average outstanding stood at Rs.25168.22 Crores against the target of Rs.15875.44 Crores for the FY 2025-26 and **the Bank has surpassed the mandatory norms of 7.5% of ANBC by achieving 11.89% under loans to Micro Enterprises** during FY 2025-26.

Loans to Weaker Section

The average growth of four quarters for the FY 2025-26 was Rs.3822.66 Crores and the average outstanding of four quarters for the FY 2025-26 stood at Rs.47479.57 Crores against the target of Rs.25400.71 Crores and **the Bank has surpassed the mandatory norms of 12.00% of ANBC by achieving 22.43% under loans to Weaker Section**.

PSLC Sale

Bank has sold PSLC under Small and marginal Farmer Category of Rs.30,588 Crores and earned an income of Rs.595.52 Crores which is highest in the Bank in the Past years.

Microfinance

During the year, the Bank credit-linked 54755 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of Rs.5126.54 Crores.

Specialized SHG Credit Centre

30 Branches with 5 branches each forming a Cluster in 19 Regions of our Bank have been formed as Special SHG Credit Centres for processing of SHG loans from nearby Branches. During the FY 2025-2026, Rs.999.65 Crores to 8161 SHG groups have been disbursed by the Specialized SHG Credit Centre.

Credit flow to women

Bank's credit to women stood at Rs.78,408 crores as of 31st March 2026 which constitutes 36.69 % of the Bank's Adjusted Net Bank Credit.

Lead Bank Initiatives

The Bank is the Convenor of State Level Bankers' Committee (SLBC) for Tamil Nadu. The Bank serves as the Lead Bank in 15 districts of Tamil Nadu and 1 district in Kerala.

SLBC Initiatives for Financial Inclusion:

- As on 31st March 2026, a total 166.84 lakh PMJDY accounts were opened. Of these, 99.88 Lakh accounts belong to women, representing 59.87% of the total accounts.

SLBC initiatives on Credit Flow in Tamil Nadu:

As on March 2026, banks in Tamil Nadu have achieved the following:

- Banks in the state of Tamil Nadu have surpassed Annual Credit Plan (ACP) target of Rs.9.00 Lakh crores.
- The Credit Deposit (CD) ratio of Banks in the State remains above 100% and as of Mar 2026, the CD ratio stands at 131.78%.
- Priority Sector lending accounted for 46.56% of total advances, exceeding the national norms of 40%.
- Agricultural Advances constitute 24.43% of total lending, against the national norm of 18%.
- In support of financial inclusion and women's empowerment, Government continues to promote lending to women's Self-Help Groups (SHG). During FY 202526, banks in the State disbursed SHG loans amounting to Rs.37,049 crore, exceeding the annual target of Rs.37,000 crore

FINANCIAL INCLUSION

Our Bank has engaged M/s. Integra Micro Systems Pvt. Ltd., as Corporate Business Correspondent (CBC) to engage Business Correspondent Agents (BCAs) along with Technology Services since 2022. In order to increase the financial inclusion outreach, we have engaged 5 Corporate business Correspondents during 2023, namely M/s. Atyati Technologies Pvt. Ltd., M/s. FIA Technology Pvt. Ltd., M/s. Starfin India Pvt. Ltd., M/s. Zero Mass Pvt. Ltd. and M/s. RNFI Services Ltd., for management of Business Correspondent Agents (BCAs) across PAN India. There are 12187 Business Correspondent Agents in our Bank as on 31.03.2026 and providing banking services to the customers at their doorstep like opening of saving, RD and TD accounts, enrolment under Jan Suraksha Schemes (APY, PMJJBY and PMSBY), recovery in loan accounts including NPA accounts, mobilizing deposits and collecting RD instalment.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):

The Bank has implemented PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. Our Bank has opened 9457638 PMJDY Accounts as on 31.03.2026, out of which 9021504 (95%) are operative accounts. We have issued 8565083 RuPay Debit Cards in PMJDY accounts since inception till 31st March 2026.

Aadhaar enrolment and update centres as per Aadhaar Regulations, 2016.

Our Bank has established Aadhaar Enrolment Centres (AECs) in 379 Branches all over India in line with UIDAI guidelines and engaged M/s Asuja eServ Private Limited as a vendor for outsourcing of manpower in all the Aadhaar Enrolment Centres of our Bank since November 2024.

Jansuraksha Schemes

The Jansuraksha Schemes were launched by the Prime Minister of India on 1st June 2015. The Bank is enrolling customers under Jansuraksha schemes viz PMJJBY and PMSBY. As on 31st March 2026, the enrolment count under Jan Suraksha schemes is as below:

Schemes	Status of enrolment as on 31st March 2026 (Cumulative)	Status of Enrolment during the FY 2025-26
PMJJBY	4720204	937570
PMSBY	9916217	1599520
Total	**14636421**	**2537090**

Atal Pension Yojana:

Atal Pension Yojana (APY) is an old age Social security scheme for a savings account holder in the age group of 18-40 years who is not an income tax-payee. The scheme helps in addressing the longevity risks among the workers in the unorganized sector and encourages the workers to voluntarily save for their retirement.

Performance under APY over the years is as follows

Financial Year	Enrolments
2015-16	18,540
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959
2018-19	1,03,711
2019-20	1,50,010
2020-21	1,79,081
2021-22	2,32,860
2022-23	2,77,710
2023-24	2,61,318
2024-25	2,67,678
2025-26	3,27,234
Total APY Enrolments (Cumulative)	**19,90,185**

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural Development (MoRD), Govt of India, the Bank had set up total 14 RSETIs in all Lead Districts allotted to IOB in the State of Tamil Nadu and Kerala, to provide training to farmers, members of SHGs, educated unemployed youths, artisans and beneficiaries belonging to weaker sections. The RSETIs are managed by SNEHA Trust established by the Bank. During the year under review, the RSETIs have conducted 520 training programs benefiting 16080 rural participants. Bank has achieved settlement of 81% and credit settlement of 64% which are well above the national average of 70% and 50% respectively.

Financial Literacy

Financial Literacy is imparted through Financial Literacy Centres established at 24 locations (15 in Tamil Nadu & 9 in Kerala) under Corporate Social Responsibility. The counsellors of these centres are educating the people in rural and urban areas on various financial products and

services available from formal financial institutions, provide face-to-face financial counseling services and offer debt counseling to indebted individuals. They are also conducting periodical camps at various places. As on 31st March 2026, 98797 credit counselling have been conducted by the FLCs since inception. 52443 Financial Literacy camps were conducted on various aspects of Banking and 158701 SB accounts have been sourced and opened since inception. 5945 Special camps for newly included people in the financial system were conducted by covering 466512 beneficiaries. FLCs conducted FL sessions at 118 ITIs, 7 Vocational Training partners (VTPs) and 3 Operational Centres (OCs) and imparted Financial Literacy to 39226 Students since inception.

Centre for Financial Literacy (CFL):

One of the milestones of the National Strategy for Financial Inclusion (NSFI: 2019-2024) is to expand the reach of CFLs to every block of the Country. RBI has allotted a total of 74 centres for CFLs to our Bank with 65 in the State of Tamil Nadu and 9 in Kerala for financial literacy through M/s Dhan Foundation (NGO). The CFLs have been designed to raise financial awareness, promote good financial practices, and drive sustainable change in behaviour, ultimately resulting in informed financial choices and greater sense of control over one's finances. These centres use a combination of educational videos, experiential learning and financial planning tools to drive home key messages and benefits of using formal financial services. Our Bank's CFLs have been committed to strengthening the financial capabilities of socially and economically disadvantaged communities and minimize every household's financial vulnerability. Our Bank's CFL ensure promoting better financial practices in the community, creating an enabling environment, and developing a network of trained financial inclusion experts which are crucial to drive financial inclusion to the last mile.

PERFORMANCE ON PARA-BANKING PRODUCTS

Under Para banking business, bank has earned income of **Rs.43.90 Crores** during FY 2025-26 through Bancassurance & Distribution of Mutual funds as against **Rs.33.32 Crores** as on 31.03.2025 during the previous year thereby registering a Y-O-Y growth of **31.75%**.

Products Launched during the FY 2025-26

We have introduced the following new products during the FY 2025-26.

- **Group Personal Accident Insurance Policy – PAI 2000 with SBIGI** – PAI product exclusively for the customers of our bank by providing personal accidental cover of Rs.40 Lakh at a flat premium of Rs.2000.
- **New Group Critical Care (New GCC) – Loan linked group critical product with Niva Bupa** – Loan linked product providing critical illness and accidental insurance coverage for borrowers in the age group of 18 to 55 years with policy tenure of 5 years.
- **Super Top Up – Group Insurance Product with Niva Bupa** – New group insurance product for the new as well as existing policy holders by providing cover for the age group of 18-60 years (adults) and 91 days – 21 years (child). Super Top Up health plan covers the total hospital bills up to the limit specified in super top up plan over & above the deductible amount. Once the deductible is paid, the super top up policy becomes active for subsequent claims.
- **SHG Suraksha – Group Insurance Product with Niva Bupa – SHG Suraksha** is a new group insurance product from Niva Bupa, offered through Indian Overseas Bank exclusively for SHG members banking with the Bank. It provides Hospital Daily Cash of 1,000/day and ICU Cash of 2,000/day (payable per completed 24 hours) up to a combined maximum of 30 days in a policy year, along with Accidental Death Cover of 1,00,000. The annual premium is 300 (incl. GST), with key waivers such as no waiting periods and good health declaration waived as per policy terms.
- **IOB Suraksha – Plan D with USGIC** is a group personal accident insurance product for IOB Savings Account holders. It provides 40 lakh cover for Accidental Death and Permanent Total Disability. Annual premium is 1,750 (incl. GST); entry age 18–70 years with lifetime renewability.
- **Super Top Up Plus – Group Insurance product with Niva Bupa** is a new group health insurance product offered to Savings A/c and corporate salary customers. It provides enhanced top-up coverage of 30 lakhs with a 3-lakhs deductible, upgrading the earlier Super Top Up plan (15 lakhs with 2 lakhs deductible). The policy covers eligible hospitalization expenses above the deductible up to the sum insured, once the deductible is met via an existing policy or self-payment. It is available for adults (18–65 years) and children (91 days–21 years), with a 1-year policy tenure.
- **Campaigns conducted for Social Cause:**

  Monthly campaigns were launched with a social cause, where the channel partner will be contributing towards CSR activity against the premium sourced, which will be utilized on any occasion as suggested by the Bank.

E Hundi for Religious Institutions

- We are providing E Hundi stand for Temples, Churches, Mosques, and other Religious Institutions enabling the devotees to make e-offerings

- **514** E Hundis have been installed at various Religious Institutions during the FY 2025-26 (**755 E Hundis installed since inception**), which had gained wider publicity in Media and Newspapers in Regional languages.

- **Rs.35.36 Crores** received as offerings as on 31.03.2026 through QR Code stands installed in various Religious Institutions. The offerings received, is retained in the respective accounts.

IOB NEST

IOB NEST is a mobile app devised exclusively for the Society/Associations of residential flats or housing units to maintain the society related functionalities.

- The Product was launched on 17.10.2025. Our product stands out as a competitive offer in the market and is the first of its kind among SCBs.

- Exclusively developed for Societies/Associations of residential flats and housing units, it aligns with platforms like My Gate and Adda apps.

- IOB Nest is a specialized mobile application designed for residential building societies and residents. This solution seeks to simplify financial and administrative processes within societies while improving user experience through digital interaction.

No of Applications Sourced	Outstanding Balance
210	**Rs.7.58 Cr**

CUSTOMER SERVICE

Bank remains steadfast in its commitment to delivering seamless, reliable, and customer-centric services. With a strong focus on enhancing customer experience, the Bank continues to ensure prompt and satisfactory resolution of customer grievances within the prescribed Turn Around Time (TAT). During the year, Bank has significantly strengthened its grievance redressal framework by revamping and implementing an advanced Customer Relationship Management (CRM) system with enhanced capabilities. This initiative has enabled more efficient handling, tracking, and resolution of customer complaints, thereby improving overall service delivery.

Bank provides multiple convenient channels for customers to register their grievances, including the Bank's website, Internet Banking, Mobile Banking application, social media, Email, WhatsApp, SMS and Contact Centre. Customers are empowered to track the status of their complaints in real time, submit additional information when required, and close complaints upon satisfactory resolution.

Grievance Redressal Mechanism:

Bank's robust grievance redressal mechanism is designed to deliver timely and effective solutions, with a focus on resolving complaints by the next working day wherever feasible. A dedicated helpdesk has been established at Regional Offices across the country, comprising the second line of ROs as Grievance Redressal Officer (GRO) supported by an RCC official for technical assistance and a desk officer for immediate handling of customer grievances.

Customer Relationship Management (CRM) platform is fully aligned with regulatory requirements and provides real-time access to complaint data across various levels of the organization, ensuring transparency, accountability, and swift resolution. The system also incorporates a structured feedback mechanism, enabling customers to share their experience upon closure of complaints, thereby facilitating continuous improvement. Bank has an Internal Ombudsman at Apex level who will give his observations on rejected complaints thereby ensuring fair disposal of the grievance.

In addition to the internal grievance redressal system and Contact Centre, Bank effectively manages complaints received through external grievance redressal channels such as the Banking Ombudsman (Reserve Bank of India), CPGRAMS (Centralized Public Grievances Redress and Monitoring System), and INGRAMS (Integrated Grievance Redressal Mechanism of the Department of Consumer Affairs).

Bank has introduced various customer friendly initiatives, to provide ease to customer experience. Some of them are listed below:

- **Grievance Redressal Day:** This day is conducted across all branches on 15th of every month; this initiative provides a dedicated platform for customers to voice their concerns. Feedback and suggestions received are systematically reviewed and placed before the Customer Service Committee of the Board for policy-level improvements.

- **Grievance Disposal Day:** Observed on the third Friday of every month at Branches and Regional Offices, this initiative focuses on expediting the resolution of pending complaints, ensuring faster turnaround and improved service efficiency.

- **Customer Relationship Management (CRM):** As part of the Bank's digital transformation journey, an integrated CRM-based Complaint Management System has been implemented. This system facilitates end-to-end management of customer complaints—from registration and categorization to resolution and closure—enhancing operational efficiency, transparency, and customer satisfaction.

- **Customer service center of excellence (CSCoE)** for taking feedback of closed complaints and other products is established as an extended wing of Customer service department. The feedback thus analysed is placed to board for its oversight.

PSB Alliance Doorstep Banking:

As per the instructions of IBA and RBI, our bank has implemented PSB alliance Doorstep banking successfully.

- All India DSB Nationwide Digital Life Certificate campaign was conducted by PSB Alliance private Limited from 01.11.2024 to 31.12.2025. During the campaign 202 transactions were raised successfully.

- All India DSB Abhiyaan -2 campaign was conducted by PSB Alliance private Limited from 05.08.2025 to 04.11.2025. During the campaign 1534 transactions were raised successfully.

Achievement of the Bank:

The financial year 2025–26 marked a significant milestone in the Bank's customer service journey, with notable achievements and continuous improvements in grievance redressal and customer engagement.

- Bank recorded its best-ever grievance disposal performance, successfully maintaining zero complaints under CPGRAMS and INGRAMS, reflecting the effectiveness of its robust redressal mechanism.

- In recognition of its outstanding performance, the Bank was conferred the prestigious "Best Performer of the Year 2025" award for Effective Redressal of Public Grievances among Public Sector Banks by the Department of Financial Services (DFS) on 13.02.2026.

- A QR-based feedback mechanism was introduced at branch level to capture customer feedback on services and overall branch experience. This initiative enables real-time insights and supports continuous improvement in service quality.

- The pendency level of complaints remained near to NIL, demonstrating operational efficiency and proactive grievance handling.

- The Bank continued its Quarterly Educative Series, issuing 24 circulars based on complaint analysis and root cause identification, which significantly contributed to reducing recurring issues.

- A Customer Experience Centre of Excellence (CECoE) was established within the Customer Service Department, in line with EASE 8.0 initiatives. The Centre conducts structured survey calls with customers post-complaint closure to assess service quality and identify improvement areas.

- A monthly review mechanism has been instituted wherein the MD & CEO personally interacts with customers on a sample of 20 complaints to evaluate the quality and effectiveness of resolutions.

- Bank organized Town Hall Meetings in Chennai II (29.07.2025) and Kancheepuram (19.09.2025) regions to enhance customer awareness on key topics such as pension services, RBI Ombudsman framework, nomination facilities, cyber frauds, and digital safety.

- A Pensioners' Meet was conducted in coordination with RBI to address pension-related concerns and strengthen engagement with senior citizens.

- Targeted training programs were conducted on 07.11.2025 for Desk Officers and complaint-prone branches in Chennai I, Chennai II, Kancheepuram, and Vellore regions. These sessions were led by officials from DFS, including the Director, DFS, enhancing staff capability in grievance handling and customer service.

Details of Customer Complaints received and redressed during the year 2025-26 is given below:

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Number of complaints at the beginning of the year	2610	2017
Number of complaints received during the year	186011	210075
Number of complaints resolved during the year	188410	209482
Number of complaints pending at the end of the year	211	2610
Effective Resolution Rate	99.89%	98.77%

Categories of Complaints for the year ended 31.03.2026 is as follows:

Nature of Complaints	Total Number of complaints in all Channels	% of Total Complaints
	NON - DIGITAL	
General Banking	5708	3.07%
Customer Service	5520	2.97%
Deposits	1222	0.66%
Insurance	538	0.29%
Advances	457	0.25%
CIC	368	0.20%
PMJDY	297	0.16%
Others	240	0.13%
NRI Services	76	0.04%
Pension	40	0.02%
Total	**14466**	**7.78%**
	DIGITAL	
Non-ATM	137634	73.99%
ATM	33911	18.23%
Sub total	**171545**	**92.22%**
Grand Total	**186011**	**100.00%**

STRESSED ASSETS MANAGEMENT

1. Bank is continuously adopting various methods and recovery tools for reducing the Bank's NPA portfolio and improving the profit level. Though the core objective in NPA recovery is recovery of the entire contractual dues without any hit on the profit front, in practice, due to various factors, the Bank has to shift the strategy for NPA recovery by other means including compromise settlements apart from taking other legal measures as may be warranted. Bank undertook various initiatives during the year for strengthening the recovery function and for improving the overall performance in Recovery area.

2. Bank also implemented digitalization in SARFAESI, all the Demand notices, Possession Notice & Sale Notice has also been developed and implemented. We have introduced QR code in all our Sale Notices for more visibility to buyers. Bank is also in the process of digitalization of entire recovery process (i.e.) One time settlement, NCLT, DRT, Lok Adalat, Civil Suit etc.

3. During the period under review, one of the recovery tools that has worked very well is the Special OTS Schemes. The special OTS Schemes were modified in such a way that for Non NCLT accounts, powers have been given to various layers of Authorities so that the outstanding NPA A/cs could be settled in a hassle free manner without taking any long process for sanctioning of the OTS and conveying the same to the borrowers/ guarantors. This scheme of Special OTS was made non-discretionary and non-discriminatory in nature. Total number of OTS sanctioned during the FY 2025-26 was 31119 accounts for an amount of Rs.614.86 Crores and out of this, the Bank has so far recovered an amount of Rs.493.70 Crores.

4. Bank conducted E-Auctions for the properties possessed under SARFAESI Act every month till March 2026 through PSB Alliance platform. Bank was able to put E auction of 3992 properties and out of this, 671 Properties were sold fetching Rs.597.22 Crores under E auction in FY 2025-26. Initiation of E auction procedure under SARFAESI had also paved the way for OTS, upgradation and full closure in many NPA accounts.

In order to bring more buyers, Bank also engaged Debt Recovery Agents to mobilize bidders. Bank has made available all the eligible properties details in IOB Online where prospective buyer can search for the property details and participate in the Auctions. Bank has developed a trigger tool to generate leads from the prospective buyers who visit our website.

5. The total NPA recovery done by the Bank during the FY 2025-26 was around Rs.3576 Crores and the Bank's focus on Recovery remains unchanged and unwavering. The Bank will continue to keep the Recovery momentum going strong in the current financial year also.

DISPOSAL OF PETITIONS RECEIVED UNDER RTI ACT

RTI applications and appeals are handled by a separate and specialized cell called RTI Cell in the Bank. The RTI Cell is working under the control and supervision of Assistant General Manager, Law Department, who is designated as Central Public Information Officer (CPIO). Bank has also designated Regional Managers as Central Assistant Public Information Officer (CAPIO) to assist CPIO in disposing RTI applications within the prescribed time frame (i.e., 30 days from the receipt of RTI application). There are 53 CAPIOs in our Bank.

Bank has designated General Manager, Law Department as First Appellate Authority (FAA) for disposing appeals filed by the appellants who were aggrieved with the reply of CPIO and CAPIOs.

Bank has received **2097** applications filed under RTI Act, 2005 for seeking information in the year 2025-26. All the applications were duly disposed of as per the provisions of RTI Act, 2005 by CPIO and CAPIOs.

Bank has received **310** first appeals seeking further information against the reply of CPIO and CAPIO and all the appeal were duly disposed by FAA by passing appropriate order on merits and as per the provisions of RTI Act, 2005.

The appellants who were aggrieved with the reply of CPIO/ CAPIO and FAA preferred second appeal before Honorable Central Information Commission (CIC), New Delhi. Bank received **28** notices in Second Appeals filed before CIC. All the second appeals were represented by CPIO/CAPIO and were duly disposed by Information Commissioner by passing appropriate order on merits without any adverse remarks against the Bank.

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an inherent and essential aspect of banking business. In the course of providing a wide range of financial services, banks are exposed to various risks commensurate with their approved risk appetite. Every transaction undertaken by the Bank alters its overall risk profile. Accordingly, in the normal course of business, the Bank is exposed to multiple risks, including Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Liquidity Risk and other residual risks.

The objective of risk management is not to eliminate or prohibit risk-taking activities, but to ensure that risks are undertaken in a conscious, informed and controlled manner, with clear objectives and a thorough understanding, so that such risks can be measured, monitored, and mitigated effectively. With a view to managing risks efficiently and strengthening its risk management framework, the Bank has put in place a comprehensive set of risk management practices consisting of policies, methodologies, tools, monitoring mechanisms and Management Information Systems (MIS).

The Bank endeavours, on a continuous basis, to enhance and maximize shareholder value by achieving an optimal balance between risk and return. The overarching risk management objectives of the Bank include identification, measurement, monitoring, control and mitigation of risks, thereby articulating the Bank's overall risk philosophy. The risk management strategy is aligned with the Bank's risk appetite, which is articulated through clearly defined risk limits prescribed under various risk management policies.

The Bank has established a robust risk governance framework. The Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, oversees the management of Credit Risk, Market Risk, Operational Risk and other material risks. To support this governance structure, the Bank has constituted the following internal management committees:

- **Credit Risk Management Committee (CRMC) – Credit Risk**
- **Asset Liability Management Committee (ALCO) and Funds Committee – Market and Liquidity Risk**
- **Operational Risk Management Committee (ORMC) and Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) – Operational Risk**
- **Information Security Committee – Information Security and Cyber Risk**

A full-fledged Risk Management Department functions at the Bank's Central Office, independent of the business units, for implementation of best-in-class risk management systems and practices. The Chief Risk Officer (CRO), in the rank of Chief General Manager, heads the department and

is responsible for overall supervision of risk management activities in the Bank. The CRO is also the convener of all internal risk management committees.

Risk management functions are also carried out by the Mid-Office and other functional departments through monitoring of compliance with approved policies, risk limits and internal approvals. Risk Managers have been designated at Regional Offices to oversee credit risk at the regional level. In addition to coordinating with the Risk Management Department, Central Office for MIS submissions, they participate in Regional Level Credit Approval Committees.

The Bank follows the principle that risks should be controlled at the point of origination. Basel III guidelines have been implemented from 01.04.2013, and the Bank maintains capital in accordance with these guidelines. The Reserve Bank of India (RBI) has prescribed a minimum Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of 9% along with a Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.5%, resulting in an overall minimum CRAR of 11.50%.

The Basel III framework is built on three mutually reinforcing pillars:

- **Pillar I:** Minimum capital requirements for Credit Risk, Market Risk and Operational Risk
- **Pillar II:** Supervisory Review Process, ensuring adequate capital for all material risks commensurate with the Bank's risk profile
- **Pillar III:** Market Discipline through detailed disclosures

In compliance with Pillar II requirements, the Bank has put in place a Boardapproved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy. The ICAAP framework assesses all material risks beyond Pillar I risks and ensures that adequate capital is maintained on an ongoing basis.

The Bank has formulated a Stress Testing Framework in line with RBI guidelines dated 2 December 2013. Stress testing and scenario analysis help assess potential vulnerabilities to extreme but plausible events, particularly during periods of economic stress. As per the approved policy and Standard Operating Procedures, stress tests are conducted periodically on the Bank's balance sheet and key portfolios, and the results are placed before ALCO, RMCB and the Board.

The Bank has a Board approved Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery Plan (DRP). A three data centre architecture has been implemented to ensure zero data loss, supported by:

- Multiple high bandwidth MPLS-VPN connections
- Dual connectivity through alternate service providers
- Alternate media connectivity for branches

Robust firewall and intrusion detection systems have been deployed. A Security Operations Centre (SOC) operates under the Information Security Department to monitor and analyse security incidents and initiate corrective actions. Periodic Information Systems Audits are conducted, and regular Disaster Recovery drills are carried out on a quarterly basis. Network security is further strengthened through periodic Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) exercises conducted by external experts, in line with RBI guidelines.

The Bank has procured an integrated ALM and Liquidity Risk Management system covering Market Risk, Liquidity Risk and Basel capital computation, enabling migration towards advanced approaches envisaged under the Basel III framework.

RBI's liquidity risk management guidelines, effective from March 2013, and revised guidelines issued on 21 April 2025 (effective from 1 April 2026) require preparation and submission of liquidity returns at various frequencies for both domestic and overseas operations. The Bank has established systems and procedures in compliance with these guidelines.

To strengthen short-term liquidity resilience, RBI introduced the Liquidity Coverage Ratio (LCR), which mandates holding sufficient High Quality Liquid Assets (HQLA) to withstand a stressed scenario of 30 days. The minimum LCR requirement is 100% effective from 1 January 2019. The Bank consistently maintains LCR well above the prescribed minimum.

For long-term funding resilience, RBI introduced the Net Stable Funding Ratio (NSFR), with a minimum requirement of 100% effective from 1 October 2021. The Bank maintains NSFR above the regulatory threshold, supported by a stable funding base primarily consisting of retail and small business deposits.

Pursuant to RBI guidelines dated 17 February 2023 on Governance, Measurement and Management of IRRBB, the Bank computes Interest Rate Risk in the Banking Book. The potential impact on Economic Value of Equity (EVE) and Net Interest Income (NII) is measured and reported to RBI. The Bank's IRRBB exposure remains well within the approved tolerance limits and is monitored on an ongoing basis.

Basel III also introduced a simple, transparent, nonriskbased Leverage Ratio as a supplementary measure to riskbased capital requirements. The Bank complies with the regulatory leverage ratio requirements and reports the same to RBI on a quarterly basis since June 2015.

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013, with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank is complying with the same.

The third pillar of Basel-III framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches (DF-5), (f) Securitization Exposures: Disclosure for Standardized Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10),(k) Composition of Capital (DF (11), Summary Comparison of accounting assets vs Leverage Ratio exposure measure (DF 17) and Leverage ratio common disclosure template (DF-18). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters. information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

The Bank continues to strengthen its commitment towards sustainable banking practices and integration of Environmental, Social and Governance (ESG) considerations into its strategic and risk management framework.

Recognising climate risk as a material and emerging risk impacting the banking sector, the Bank has initiated a structured approach towards climate risk management and financed emissions assessment. In this direction, the Bank has procured a specialized system, which is currently under implementation, having the capability to measure climate risk exposures and financed emissions across the portfolio.

During FY 2025-26, the Bank initiated measurement of financed emissions in alignment with the methodology prescribed by the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Further strengthening its commitment towards adoption of globally accepted emissions accounting standards, Indian Overseas Bank has become a signatory to Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

The Bank has commenced financed emissions calculations using the CEDA Emission Factors (CEDA EF), and the methodology and outputs are undergoing internal validation and refinement. Upon completion of the mapping of CEDA emission factors with RBI Basic Statistical Return (BSR) codes by PCAF, the Bank intends to standardize its methodology and undertake phased disclosure of financed emissions in line with evolving regulatory and global disclosure expectations.

As part of strengthening ESG integration into credit risk assessment, the Bank has operationalised an ESG Scorecard as a mandatory component of the credit appraisal process for all borrowers having aggregate exposure of ₹50 crore and above. The ESG Scorecard framework ensures that large credit proposals are evaluated not only on conventional financial and business parameters but also on Environmental, Social, and Governance dimensions, which are increasingly critical in assessing long-term borrower resilience, sustainability, reputation, and creditworthiness.

Further, to support sustainable finance initiatives and promote green building financing, the Bank has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Indian Green Building Council (IGBC). In line with this initiative, the Bank has launched the "IOB Harit Subhagruha" scheme for financing green homes, thereby encouraging environmentally sustainable housing projects and adoption of green building practices.

The Bank's efforts in strengthening enterprise-wide risk governance and risk management practices have also received external recognition. During the year, Indian Overseas Bank was conferred the prestigious **SKOCH Award in the Platinum Category for its initiatives in Risk Management**.

Additionally, the Bank has been certified **under ISO 31000:2018 for Enterprise Risk Management**, reflecting its commitment towards robust risk governance, structured risk management practices, and continuous improvement in risk oversight mechanisms.

CREDIT MONITORING

Bank has implemented various strategies for follow-up and recovery of SMA accounts and for closer monitoring of credit to ensure that slippages are kept at the minimum possible levels.

Measures implemented during FY 2025-26 for effective monitoring of accounts:

Bank has taken the following measures to address the potential risk of increased slippages.

- **SMA and Probable Slippages Reports for the month are provided online well ahead every month** and updated report is made available for follow-up by the Branches/ROs/CO Departments on a daily basis.

- **SMS Alerts** are sent to SMA borrowers at regular frequencies reminding them on the repayment of overdues.

- SMA Borrowers not responding to telephonic follow-up within 15 days are followed up through **personal visits**.

- **SMA accounts** with the outstanding of Rs.50 lakhs and above are being reviewed **on a monthly basis** by GMs committee at C.O.

- **SMA accounts of overseas Branches** are also reviewed by GMs Committee on a monthly basis.

- **System generated Letters** to SMA borrowers (mentioning overdues and requesting early regularization) has been enabled for ROs and Branches.

- Services of an **Outbound Call Centre** is also engaged for follow-up and recovery in SMA/Probable Slippage accounts of Retail credit and MSME. Apart from the calls **Voice Blast** facility is also used to send pre-recorded messages to the overdue borrowers, reminding them for paying their dues at the earliest.

- Bank has launched **Web App and Mobile App** on 01.07.2024 and SMA accounts are being followed up by Branches/ROs through these Apps. SMA data is being updated on a daily basis for follow-up by the Branches/ ROs.

- Bank has launched **online portal** for uploading **stock and book debt statements** on 30.10.2025 enabling faster submission of digital statements by the customers/ borrowers.

Bank was able to control slippages during the FY 2025-26 by adopting the above measures and has maximized recovery and regularization of Special Mention Accounts.

LOAN REVIEW MECHANISM

- **Stock Audit procedures** have been strengthened for all accounts with working capital outstanding (both fund based and non-fund based) of Rs.5 crores and above. Stock Audit review notes are being placed to the GMs Committee at Central Office and observations of the Committee are being advised to RO/Branches.

- **Agency for Specialised Monitoring (ASM)** is allocated by Bank for accounts wherever Credit Verticals have stipulated ASM appointment in the sanction. ASM reports are being placed to the GMs Committee at Central Office and observations of the Committee are being advised to RO/Branches for due compliance.

- **Credit Compliance Audit** is conducted for accounts with an exposure of Rs.50.00 lakhs and above for domestic accounts and for accounts with exposure Rs.1.00 Crore and above for overseas accounts. Audit is carried out annually. The account is categorized as Low/Moderate/ High according to the level of compliance. Corrective measures are taken account wise to strengthen compliance and to address gaps.

- **Early Warning Signals (EWS)**: Bank has a robust EWS solution in place. The solution covers Non-Retail accounts with exposure of Rs.3.00 Crores or more (both fund and non-fund based) and Retail accounts with exposure of Rs.50.00 Lakhs and above irrespective of the lending arrangement.

COMPLIANCE

Compliance Management is considered as one of the key elements of Corporate Governance Structure and Sound Risk Management Practice of any corporate entity.

The Bank has a well defined Compliance Policy as per Reserve Bank of India Guidelines and has in place systems and procedures for managing Compliance Functions. Necessary Circulars/Instructions on the regulatory Guidelines are being issued periodically.

Chief Compliance officer reports to MD & CEO/Board/ ACB of the Bank, and effectively participates in various policies clearance and governance Meetings. During the financial year, compliance department has made significant improvement in level of compliance at various field levels. Compliance Department has also taken new initiatives and development of the existing compliance tools.

The overall compliance level is submitted to Board/Audit committee of the Board. Annual review of compliance function and further step initiated for improving compliance level of branches are also submitted to audit committee of the board.

The Bank has provided the web Portal viz Knowledge Management Tool in Banks Intranet wherein all the Regulations and Guidelines of the various regulators like RBI, SEBI Etc. can be accessed at a single point.

Compliance culture is being inculcated among the staff members though various forms of communication and interactions. Bank in collaboration with the Indian Institute of Banking and Finance (IIBF), has introduced a **customized course on compliance** which empowers our staff with in-depth knowledge of compliance requirements, helping them stay ahead in an ever-evolving regulatory environment.

The Bank's commitment to compliance innovation and governance excellence was recognized with the prestigious **SKOCH Award** for the innovative project **"Compliance Apexion"** initiated by the Bank.

INSPECTION & AUDIT

The Bank's Inspection and Internal Audit Department remains a cornerstone of its commitment to operational excellence, serving as a critical pillar for regulatory adherence, risk mitigation, and the reinforcement of internal control frameworks. For the fiscal year 2025–26, Bank focused on three primary mandates: ensuring absolute compliance with directives from the Reserve Bank of India (RBI) and other statutory bodies; evaluating the resilience and efficacy of risk management protocols; and identifying strategic opportunities to bolster the Bank's overall operational efficiency and stakeholder confidence.

Highlights of Major Activities during FY 2025–26

Category	Objective	Key Activities & Highlights	Impact/Significance
Overall Mandate	Ensure regulatory compliance and strengthen risk management.	The Bank, with its independent assurance mechanism, proactively monitors the Bank's operational resilience and governance standards.	Safeguarded assets and bolstered stakeholder confidence by maintaining a robust and compliant banking environment.
Risk-Based Internal Audit (RBIA)	Comprehensive risk-focused coverage.	**100% completion** of the RBIA plan for FY 2025–26, covering all branches and units identified through structured risk assessments.	Enabled thorough assessment of risk profiles, ensuring timely mitigation of potential vulnerabilities across the entire network.
Offsite Monitoring Unit (OMU)	Enhance early risk detection.	Strengthened through enhanced analytics and **control-oriented exception reporting** to improve proactive supervision.	Improved the ability to address emerging risks dynamically, aligning internal supervision with modern regulatory expectations.
Offsite Control & Surveillance (OCAS)	Improve audit rectification and compliance.	Implemented audit package modifications and dashboard enhancements to focus on key control areas and persistent observations.	Increased compliance with audit recommendations, fostering a more disciplined control environment across all operations.
Management Audit	Assess managerial and functional effectiveness.	Conducted across **50 Regional Offices, 42 Central Office departments, 7 Nodal Audit Offices, and 1 Regional Rural Bank.**	Provided actionable insights into governance standards, enabling targeted improvements in strategic alignment and efficiency.
Concurrent Audit	Real-time transaction monitoring.	Covered **749 branches**, representing **50% of total deposits and 60% of total advances.**	Provided continuous control/ monitoring, enabling prompt detection and resolution of irregularities.
IS Audit & Technology	Ensure security and integrity of IT systems.	Completed all IS audits; addressed observations from regulatory IT examinations; implemented the **Framework for Monitoring Outsourcing Arrangements.**	Mitigated likely cyber threats and strengthened data security. Enhanced accountability and governance over outsourced technology services.
Internal Financial Controls (IFCoFR)	Ensure reliability of financial reporting.	Conducted rigorous control testing at Branches, Regional Offices, and Central Office to enable **Annual Certification by SCAs.**	Guaranteed the accuracy and integrity of financial statements through a transparent and verifiable audit trail.

Achievements of the Internal Audit Function

- **Comprehensive Audit Coverage:** Demonstrated an unwavering commitment to thorough oversight, ensuring that 100% of the approved audit plan was executed across all critical business units.
- **Proactive Risk Management:** Significant enhancements to the OMU and analytics-driven surveillance tools reflect a shift towards a "forward-looking" audit approach, identifying risks before they crystallize.
- **Strengthened Control Environment:** Through the Audit Committee of Executives (ACE) and Regional Audit Committee of Executives (RACE), the Bank maintained high-level oversight, with the ACE meetings held 11 times during the financial year exceeding regulatory norms.
- **Technology & Cyber Resilience:** The successful integration of the Outsourcing Monitoring Framework and completion of IS audits demonstrate the Bank's dedication to securing its digital infrastructure against evolving threats.
- **Stability of Compliance Culture:** The performance review as of March 2026 confirmed that the overall control environment remained stable, with high-risk branches kept to a miniscule level and audit irregularities closed within permissible timelines.

The Inspection and Audit function has significantly contributed to enhanced governance and improved risk management. Moving forward, the Bank remains committed to the adoption of advanced data analytics and technology-driven supervision to align with the evolving global banking landscape.

VIGILANCE

With the theme of "Business First, Preventive Vigilance Always", the Bank continued during the year 2025-26, the Bank continued to take various effective steps for Preventive Vigilance and speedy disposal of Vigilance Disciplinary cases within the time schedule prescribed by Central Vigilance Commission.

1. **Preventive vigilance Activities:** The following Preventive Vigilance initiatives were conducted during the year 2025-26:

   a) During FY-2025-26, total 219 complaints were received from various sources including DFS, CVC, RBI, CBI & Others. Wherever vigilance overtone observed, such complaints were handled till the logical end as per the timeframe fixed by CVC and no complaint has been pending for more than 3 months as of now.

   b) Bank has scrutinized 24 CTE type inspections and examined various procurement orders/ service orders placed by Information Technology Department, General Administration Department and Subsidiary RRB - Odisha Grameen Bank.

   c) A series of thematic inspections on various matters, verification of Housing loans sanctioned during the campaign period, high advance growth branches, surprise visits by vigilance department to check the compliance level etc., during year were conducted.

   d) CVO/Officials of Vigilance Department have visited 16 Regions of the Bank and Odisha Grameen Bank (OGB) during the financial year to ensure compliance to vigilance mechanism at the ground level. During the visit, CVO has sensitized the RO staff, select Branch heads and few branches over Webex/Video Conferencing about importance of preventive vigilance.

   e) During the Financial year 2025-26, as part of Vigilance Awareness Week (VAW)-2025 training programme for officials across the Branches/ Regional Offices pan-India was conducted highlighting the systems/procedures and the importance of timely completion of disciplinary proceedings. Also, nominations of officials of the bank were made to different vigilance training programmes conducted by CVC/Various institutes along with few RVOs who have taken charge during the year as Regional Vigilance Officers at various Regional Offices. Total 3920 staff members were trained during this period.

2. **Predictive Vigilance:** CO Inspection Reports, Audit reports of all the high and medium risk branches for the year 2025-26 were scrutinized on a real time basis and cognizance of incidents of Vigilance angle were brought on record for appropriate action by bank. The details of reports scrutinized are as follows:

   - Scrutinized 4132 concurrent audit reports during the year 2025-26.
   - Scrutinized 3045 Central Office Inspection Report (COIR) during the year 2025-26.
   - Scrutinized 1313 Statutory Audit reports during the year 2025-26.
   - During the year 2025-26 total of 29330 clearances/ status given to employees for availing loans, passport, foreign visits, first line posting etc.
   - 177 No. of SAC files scrutinized
   - 47 No. of Fraud files scrutinized

3. **Punitive Vigilance:** Due to effective steps taken for disposal of disciplinary cases by the Bank, pendency in disposal of vigilance cases and non-vigilance cases reduced for the FY 2025-26. As on 31.03.2026 only 77 vigilance cases were under process at various levels and out of that, in 35 cases charge sheet was issued and in remaining 45 cases, issuance of charge sheet is under process by CDAC. Further, more than 36 months NIL case is pending . Total Suspension cases as on 31.03.2026 is 14. Also, during FY-2025-26 total 66 cases were referred to the Advisory Board for Banking and Financial Frauds (ABBFF) out of which 11 cases were taken up for deliberation and concluded. Remaining 55 cases are under process for further deliberation.

4. Participative Vigilance: Commission's message on Vigilance Awareness Week "**सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी**"/**"Vigilance: Our Shared Responsibility"** has been well taken by all Branches, Regional Offices PAN India and Central Office. Vigilance Department has organized various internal and outreach activities to create awareness among our employees, customers, stakeholders, and general public about being honest and transparent. A special focus and wide publicity was given on Capacity Building, Identification and Implementation of Systemic Improvement Measures, Updation of Circulars/Guidelines/Manuals, Disposal of complaint received before 30.06.2025, and building a Dynamic Digital presence during the Campaign period. We reached out to public in general on the importance and need for eradicating corruption and embracing Integrity.

Gist of Activities/Events conducted within the organization:

Vigilance Awareness Week (VAW)-2025 was observed during the period from 27.10.2025 to 02.11.2025 as per the instructions and guidelines of the CVC. The following activities were conducted by the Bank during VAW-2025.

I. In-house Vigilance Awareness Activities:

a) **Mass Pledge:** On 27th October 2025, Mass Pledge was taken at 11:00 AM in Central Office, Chennai, wherein Managing Director & Chief Executive Officer Shri Ajay Kumar Srivastava administered the pledge in English in presence of Executive Directors, Chief Vigilance Officer, General Managers, and other executives. Pledge in Hindi was administered by Shri. Rajeev Kumar, Chief Vigilance Officer. Similarly, all the employees of branches and administrative offices took pledge at the same time across India.

b) **E-Integrity Pledge:** More than 1,37,882 customers have taken Integrity Pledge from 16th August 2025 to 15th November 2025 through our Branches across India.

c) **Online Quiz Contest:**

An All-India On-line quiz competition was held from 15th October 2025 to 19th October 2025 for all the staff members of the bank.

d) **Online Essay Contest for Employees:** From 06th October 2025 to 18th October 2025 an essay competition was conducted for all employees of the bank through Online Essay Contest portal on the theme "**सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी**"/"Vigilance: Our Shared Responsibility".

e) **Seminar on prevention of frauds:** On 29th October 2025, pan India a webinar was organized by inviting Dr. Sandeep Mittal, IPS, Addl. DGP, Cyber Crime Wing, Tamil Nadu as Chief Guest. The Regional Heads, Regional Vigilance Officers and other staffs at Regional Offices & Branches, Pan India participated through Video Conference.

Seminars and workshops were also organized during VAW- 2025 at all Regional Offices. Eminent personalities from CBI, Police etc., were invited as Chief Guest in the meeting.

f) **Publication of VAW-2025 Special Edition of IOB Vigil (Quarterly Magazine):** Vigilance Department at Central Office published the in-house quarterly magazine "IOB Vigil" VAW-2025 special edition to create awareness regarding the preventive vigilance activities which will be helpful for all the staff members across the work profile.

g) **Reward & Recognition to Vigilant IOBians:** Special campaign for rewards & recognition was launched for all the staff members who had been instrumental in averting frauds/loss to the bank significantly during the period from 16.08.2024 to 15.08.2025. There were 04 staff members who were rewarded with prizes and certificate of appreciation during the campaign period.

II. Outreach Activities:

a) **SKY Advertisement:** On 27th October 2025, Sky Advertising Balloons @ 40 Feet Height on the top of Central office, Chennai, and Staff College – Chennai carrying Vigilance Awareness Week - 2025 theme and logo of IOB in Tamil and English.

b) **Air Advertisement:** As part of the celebration of Vigilance Awareness Week, jingles on the theme of the Vigilance Awareness Week – 2025 has been aired from has been aired through FM Radio Channels (Big

FM, Radio City and Radio Mirchi) for 07 days (from 27.10.2025 to 02.11.2025).

c) **RADIO Interview of CVO:** Interview of CVO having duration of 05 minutes (300 Seconds) has been aired in parts of 30 seconds each for 10 times on 02.11.2025.

d) **Events in Schools and Colleges:** Various VAW activities across the country in 253 Schools involving 19561 Students and 64 colleges involving 4986 students participated in the Vigilance Awareness Week and took mass pledge in total. Elocution, Debate, Drawing, etc. competitions and workshops were held in these schools. Prizes were distributed for the winners.

e) **Awareness Gram-Sabhas:** Across the country 512 Gram Sabha's involving 12838 people were conducted during Vigilance Awareness Week and mass pledge was administered.

f) **Seminars/workshops:** Across the country total 66 Seminars/workshops were conducted on VAW activities wherein around 3491 Public participated and took mass pledge.

g) **Walkathon:** Metro and Non-Metro Regional Offices of Chennai in collaboration with Central office organized a **Mega Walkathon on 25.10.2025** at Besant Nagar Beach – Chennai.

INFORMATION TECHNOLOGY

During the year, the Information Technology Department undertook several strategic initiatives aimed at automation, system integration, digital enablement, regulatory compliance, and enhancement of operational efficiency across the Bank. The major initiatives implemented are summarized below:

Core Banking Modernization:

Bank has over the last few years has consciously invested in strengthening its Core banking Solution for higher processing capacity, middleware integration layers, digital channel redundancy and disaster recovery readiness. Our current architecture is designed not just for present volume but for significantly higher transaction intensity expected from accelerated retail and digital growth.

Data Centre Modernization:

Bank has now successfully moved its operations to a state-of-the-art datacentre designed to deliver a secure, reliable, and future-ready digital infrastructure platform. This transition reinforces the Bank's commitment to providing seamless banking services, enhanced operational resilience, and an improved customer experience. Built to support evolving business needs, the datacentre ensures high availability, scalability, and business continuity, providing a strong foundation for the Bank's long-term digital transformation and growth strategy.

Private Cloud Transformation:

Bank has strengthened its digital infrastructure through the upgrade of its private cloud platform, IOB Meghadri, to support the growing needs of customers and the Bank's expanding digital ecosystem. This enhanced platform provides greater scalability, resilience, and operational efficiency, enabling faster deployment of digital services and improved customer experiences across channels.

With enhanced computing capabilities and future-ready infrastructure, the upgraded platform will support the Bank's innovation initiatives, including advanced analytics and AI-driven services, while ensuring secure, seamless, and uninterrupted operations. The modernization also improves operational agility and cost efficiency, reinforcing the Bank's commitment to delivering reliable, technology-driven banking services and accelerating its long-term digital transformation journey.

Jan Suraksha Renewal Automation & API Integration:

Renewal and reconciliation of Jan Suraksha schemes were automated through robust API integration, significantly reducing manual intervention and ensuring accurate premium processing and seamless data synchronization across systems.

TReDS – Auto Realization of Bills

Automated lodgment and realization of TReDS bills were enabled through system integration, reducing processing time, eliminating manual intervention, and enhancing accuracy and efficiency.

National Savings Time Deposit Scheme (NSCTD)

The Government backed National Savings Time Deposit Scheme was enabled in the system, providing customers with safe investment avenues offering assured returns along with applicable tax benefits.

National Savings Recurring Deposit Scheme (NSRD)

The National Savings Recurring Deposit Scheme was introduced, allowing customers to build savings through regular contributions with flexible installment options.

GST Invoice Upload System

A mandatory GST invoice upload mechanism linked to payments was implemented, ensuring statutory GST compliance and preventing loss of eligible input tax credit.

eFDR Scheme Linked with NSCCL

A controlled electronic fixed deposit (eFDR) scheme was introduced for collateral management, incorporating system validations, lien marking, and seamless integration with NSCCL.

EASE Survey for Divyangjan Staff

A dedicated survey module was deployed to capture feedback from Divyangjan employees on workplace accessibility, enabling improvements in infrastructure and facilities.

E-Auction QR Code Generator

A QR code generation tool was developed for property auction listings, enabling instant "scan and view" access and improving transparency and ease of information access for stakeholders.

CREWIN – Credit Card Canvassing Tool

CREWIN, a digital credit card canvassing platform, was implemented to enable structured customer onboarding with consent capture, built-in validations, and audit ready tracking mechanisms.

Mobile Number Revocation List (MNRL) Validation

System level validation against the Mobile Number Revocation List (MNRL) was introduced to flag risky mobile numbers and enforce enhanced due diligence during customer data updates.

Farmer & Loan Classification Enhancement

Agricultural loan classification was strengthened through automated farmer categorization and activity mapping, resulting in improved MIS accuracy and better regulatory reporting.

Auto Verification of TReDS Bill Realization

TReDS integration was further enhanced to automatically identify, realize, and verify bills using NACH credit data, reducing manual verification efforts and improving data accuracy.

Niva Bupa SHG Enrollment via API

SHG insurance enrollment under the Niva Bupa scheme was integrated with Finacle through realtime API connectivity, enabling autopopulation of data and instant policy generation.

Niva Bupa Super Top Up Insurance Integration (INSPRM)

New health insurance super top up products were integrated with core systems, enabling automated premium debit and simplified enrolment. This facilitated faster customer onboarding and improved operational efficiency.

FD Interest Credit to Other Bank Accounts

The facility for crediting fixed deposit interest to accounts held with other banks was enabled with appropriate validation controls, enhancing customer convenience and minimizing manual processing.

DIGITAL BANKING

In the contemporary banking landscape, seamless digital integration and real-time, data-driven solutions have become the benchmarks for superior customer experience. Indian Overseas Bank remains steadfast in its commitment to delivering a world-class digital ecosystem, ensuring that our customers enjoy intuitive and friction-free banking at every touchpoint.

Our robust network of Alternate Delivery Channels (ADCs) serves as the backbone of our 24/7 service availability, transcending the traditional limitations of brick-and-mortar banking. This digital core is anchored by an expansive chain of high-tech ATMs and Cash Recyclers, complemented by Multifunctional Kiosks and a suite of high-demand services including:

- **Next-Gen Platforms**: Enhanced Internet and Mobile Banking interfaces.
- **Instant Payments**: Seamless NEFT, RTGS, IMPS, and BHIM IOB UPI App.
- **Merchant Solutions**: Advanced PoS ecosystems, Voice-Based QR technology, and IOB Pay.
- **Mobility & Logistics**: Integrated Fastag and digital transit solutions. Our Bank also Launched exclusive Mobile App- IOB Yatra for transit purposes.

As a pioneer in banking innovation, Indian Overseas Bank continues to redefine business scalability through a "Digital-First" philosophy. We have successfully automated the customer lifecycle through sophisticated Do-It-Yourself (DIY) journeys, enabling instant account opening, digitalized

lending, and real-time sanctioning of Credit Cards and Para-Banking services.

Having reached significant milestones in our digital transformation throughout FY 2025-26, the Bank is poised to scale new heights in FY 2026-27. Our focus remains on leveraging emerging technologies to deepen customer engagement, optimize digital on-boarding, and ensure that IOB remains at the forefront of India's digital banking revolution.

Summary of the various Digital Banking Products and Services offered by the Bank are as follows:

ATM, Cash Recycler and Passbook Kiosk Services of the Bank:

As on 31.03.2026, the Bank has a network of 3651 Cash Management machines, comprising of 805 ATMs and 2846 Cash Recyclers; of which 2916 are located onsite and remaining 735 located at offsite. The Bank ensures continuous availability of ATM services to customers 24 * 7 with sufficient cash in all its ATMs and Cash Recyclers.

Bank installed 1200 new multifunctional Kiosks and 600 new Cash Recyclers in FY 2025-26. Many additional non-financial services were implemented on the Passbook kiosks making them multi-functional. In addition to passbook printing, customers can also utilize the kiosk for services like Balance Inquiry, Mini Statement, Account Statement over email, General Account inquiry, Savings Bank Account inquiry, Current Account inquiry, Term deposit Account inquiry, Loan Account inquiry, Debit card and Cheque Book request services etc.

Corporate Website

Bank launched a new corporate website on our 90th Foundation Day i.e. 10.02.2026. The new website has top quality User Interface and User Experience and upgraded infrastructure for high response and performance.

Debit Card and Prepaid Card

- Debit Card is a major tool for conducting financial transactions in ATMs, PoS machines and for ecommerce.
- To meet the vagaries of customers the Bank offers more than ten different variants under RuPay, VISA and Mastercard brands.
- Each flavour of the card is designed to meet specific customer segments. The card variants include Classic, Gold, Platinum, Signature, Select etc., All the variants are NCMC enabled NFC cards.
- Government scheme specific cards viz., PMJDY Cards, Kisan Credit Cards, etc., are also offered to public.
- Both Insta Cards (without customer name) and Personalised cards (with customer name) are offered as per preference of the customers.
- Self-activation of the debit card by the customers, change PIN through Green PIN generation (for all types of cards including PMJDY, KCC, NRO, through different channels etc.,) are enabled for ease of use.
- Various self-servicing facilities like enable/disable e-com, enable/disable international transactions, setting separate card limits for different types of transactions, block debit card, are enabled for card holders through Internet Banking, Mobile Banking, IOB Website, Contact centre and Bank's Branches.
- Card on File (Tokenization) is enabled.
- Cards are issued with National Common Mobility Card (NCMC) feature of RuPay for contactless transactions.
- Facility has been provided to card holders to activate the Card through Net Banking and IOB ATM.
- Green PIN is enabled for all types of Accounts including PMJDY/KCC/NRO/NRE and INSTA card customers.
- During FY 2025-26 the Bank Introduced 2 new Mastercard variants Master Platinum and World.
- Onboarded a new Prepaid Card Service Provider and started issuing no KYC NCMC Cards (only for transit) in Chennai Metro and in Madras Transport Corporation buses.
- Introduced Eco friendly Debit Cards for the scheme IOB ECO and Braille Debit card for Visually Impaired customers.
- Implementation of Forgot PIN and Re-KYC through ATM
- UDIR has been implemented for quicker customer grievance resolution
- Our Bank has launched Business Card under Visa brand

Credit Card

- Credit Card is a major tool for conducting financial transactions in PoS machines online transactions and ATM cash withdrawals
- Bank issues credit card of Rupay and VISA types with card variants Classic, Platinum, Signature and Select.
- Bank is now issuing Pre-approved Credit Cards, Fixed Deposit backed Credit Card through customer self-onboarding
- Issuance of co-branded secured credit card against Fixed Deposit
- Cards are now delivered to Customer Address and Card Activation can be done through SMS.

- CC on UPI for Add-on card is enabled for Rupay Credit Cards
- PM-Svanidhi Credit Cards are now being issued by the bank

MOBILE BANKING

- IOB Mobile Banking App- IOB Connect is one of the best user friendly and comprehensive MB Apps.
- Available in both Android and iOS devices
- Product has all the advanced features such as:
    a. Simple Self-registration without visiting branch.
    b. Login using Biometric authentication/Face recognition (IOS) for enhanced security and access.
    c. Set MPIN through Active Debit card details or Aadhaar validation.
    d. Comprehensive Fund transfer module which covers all channels – Intra Bank, IMPS, NEFT and RTGS with cooling period for payee addition
    e. 360°C UPI functionality including Collect request and UPI Lite.
    f. Facility to add other bank accounts of the customer to view account details and transactions
    g. Set Standing Instruction/Auto Payment Facility for RDs and Loan Accounts
    h. Payee sync between Internet Banking and Mobile Banking
    i. Debit card Apply, Replacement Upgrade and Manage Debit Cards, New PIN Set/Reset PIN and change Old PIN
    j. ASBA – IPO application – View and withdraw applied IPO
    k. Loan repayment and Extensive Bill Payment options.
    l. Credit Card Bill Payment and Credit card SDK integration
    m. PMJJBY/PMSBY insurance enrolment
    n. mPassbook facility available to view & download account statements
    o. Opening/Closure/Renewal of Deposits
    p. Deposit opening including 444 days, renewal, pre-closure and closure
    q. Generate All statements related to your accounts
    r. Enabling/Disabling AePS transactions
    s. Mobile Banking application in 11 regional languages
    t. Scan & Pay Integrated with Mobile Banking
    u. Complaints/Fraud Reporting
    v. Add Nominee and view Nominee details to Self-operated Savings Bank Accounts.
    w. Opening of Step-up RD
    x. Open government schemes like PPF, APY, PMJJBY and PMSBY
    y. IOB Suraksha Onboarding
    z. Shop at your favourite store & buy Clothing, Accessories, Furniture, Electronics & much more with added reward points.

INTERNET BANKING

Currently our bank is in the migration phase to a state of art internet banking features which provide seamless experience to customers.

- Major features are Balance Enquiry, Transaction details, Funds Transfer using NEFT/RTGS/IMPS etc, Online Tax and Utility Bill Payments, Top Up of Prepaid Cards, and Credit Card Payments
- Internet Banking application available in 10 regional languages
- Facility to avail Demand Loan against Deposit
- Foreign Outward Remittance to Singapore enabled in Internet Banking
- Open PPF account without stepping into Branch.
- Online registration and self-activation through Debit Card (Retail)
- Opening/Closure/Renewal of Deposits
- Block/Unblock/Upgrade/Set Green PIN/Change Limits of your Debit Card
- Apply/View for Govt Schemes viz NPS, SGB, PPF etc.
- Apply for IPO (Initial Public Offering) both for retail and corporate.
- Download e-Statement, Deposit/Loan Interest Certificates etc.
- Enable/Disable AEPS
- Funds Transfer to VAN ID (My Account My Name ID) through Net Banking

BHIM IOB UPI

- The Bank Introduced its BHIM IOB UPI App in the year 2016.
- The Bank launched BHIM IOB UPI (with UPI 1.0 in 2017 and UPI 2.0 in 2021).
- In the FY 2023-24 the Bank introduced UPI LITE App as integral part of BHIM IOB UPI App ; using the UPI Lite App, customers can make faster payment up to Rs.1000 without UPI PIN per transaction.
- Revamped BHIM IOB UPI application launched in April 2024 with simplified User Interface and enhanced digital experience.
- Make payment using UPI ID, Account number and IFSC and by scanning any QR code.
- Pay to any mobile Number with UPI Number functionality.
- Use Request Money feature for collecting payments.
- Create UPI mandate for recurring payments.
- Set/Reset UPI PIN using Debit Card or Aadhaar card.
- Self-Transfer facility in case of multiple accounts.
- Add Payee for faster payment.
- Launched multi-lingual Soundbox facility and IOB UPI Vyapar application in 2023 for simplifying merchant's day-to-day activity.

New enhancements and features made live in FY 2025-26

- Migration of UPI financial transactions to upgraded UPI issuer switch version 4.0
- Credit Line on UPI as an issuer.
- UPI Merchant QR codes made live in 12 Mumbai Metro Line 1 stations.
- Launched IOB Yatra mobile app for Mumbai Metro.
- Rupay Credit Card on UPI as acquirer in IOB Connect App.
- Launched IOB UPI Vyapar application with enhanced features for iOS users.
- NCMC Prepaid card recharge through UPI.
- Partnered in Pilot Launch of Global Fintech Fest 2025 products.
- Integration of dynamic/static QR with Multiple Entities

RTGS/NEFT

- Available for Customer and Inter Bank transactions.
- Customers can avail NEFT channels through Mobile Banking and NEFT and RTGS through Internet Banking.
- NEFT & RTGS channels functioning 24 X 7
- NEFT Charges are waived for NEFT transactions initiated through online mode (viz internet banking and mobile banking) for savings account customer.

IOB PAY

- It is an integrated online payment system which offers fee payments, merchant payments, donations for charitable institutions etc. It is an easy and effective way of collecting payments for the merchant customers of our Bank
- Services provided through in-house developed product with integrated Aggregators/Directly through empaneled PG Aggregators
- Bank has recently empaneled 10 (ten) number of PG Aggregators through EOI process for providing payment gateway to merchant customers of our bank. This will help Bank to provide industry standard payment gateway solutions to corporate merchants with website/without website and also by providing customized mobile applications/ERPs etc.
- 1717 merchants have been onboarded for IOB Pay as on 31.03.2026 and during FY 2025-26 about 30 Top Government Departments and Public Sector Undertakings have been onboarded for IOB Pay by the Bank, across different states of the country like Greater Chennai Corporation, ICEGATE Portal of Government of India , GST Portal of Government of India, CBDT Portal of Government of India ,Lucknow Development Authority, Pune Metropolitan Region Development Authority.
- The Bank also provides various other Digital Banking Payment Solutions viz., Point of Sales Machines (PoS), QR Code enabled Payments through Ready to use QR codes to new customers, Voice Message Based QR Code handsets etc., IOB Fastag for prepaid stickers for highway Toll charges payment etc.,

Overall Digital Penetration:

During FY 2025-26, overall, 98.38% of transactions happened through digital channels. Further digital transactions have increased by 28% over the previous fiscal year.

Significant Activities undertaken during FY 2025-26:

1. New user friendly, comprehensive & UPI enable Mobile Banking application – IOB Connect launched both in Android and IOS.

2. New State of the Art Corporate Website launched.

3. Customer convenience has been enhanced through 1200 multifunctional kiosk installed with various functionalities including Passbook Printing, Statement Request, Debit Card Services, Cheque Book Services etc.

4. Further strengthened our ATM spread with new Cash Recyclers installed across various locations.

5. New DIY journeys launched in the Credit Card application for customer convenience.

6. Transit Prepaid Card Introduced under NCMC category.

The Digital Way Forward:

The new FY 2026-27 will begin with the upgradation of the functionalities of the existing products to provide new and exciting services to the customers of our Alternate Delivery Channels.

The Bank plans to move to upgrade to the UPI Acquirer Switch, launching of the new and enhanced versions of the BHIM IOB UPI and IOB UPI Vyapar applications and PA/PG integration with UPI.

The IOB Connect Mobile Banking application will be supporting Corporate Mobile Banking in this year.

In this year additional 1069 Cash Recyclers and 450 Passbook Kiosks will be rolled out across all geographies of India for better customer comfort.

Bank will enhance the pre-paid card solution, wherein Prepaid cards can be issued to customers with full KYC in addition to the current No KYC cards. Bank has integrated with several fintech players to provide Secured Credit Card onboarding journeys and providing more offers to the credit card customers.

Out of the total IT budget of the Bank for FY 2026-27, a substantial portion has been earmarked for providing seamless experience in Digital payment solutions and Digitalisation of various Branch products. As the digital experience should go with the confidence and faith of customers in doing digital transactions continuous R&D in the digital banking security will be carried out and necessary capital and revenue investments will be made in this regard as well.

ENTERPRISE DATA MANAGEMENT

The Bank has formed a new department on Enterprise Data Management in December 2024 in line with the recommendations of the IBA Steering Committee and in compliance with the Bank's Data Governance Policy. The department is entrusted with the responsibility of identifying best practices in data management and providing methodologies to support the implementation of data management initiatives. In addition, EDMD is responsible to govern/facilitate, and ensure the adoption and implementation of data management standards across the Bank.

The Enterprise Data Management (EDM) Department commenced operations in April–May 2025. It was assigned the critical task of cleansing the Bank's data across 25 identified parameters, grouped under three categories: Customers, Deposits, and Loans. As of 31st May 2025, the total number of pending records stood at 46.73 lakhs. To support this initiative, EDMD, in collaboration with M/s Boston Consulting Group, developed a dedicated Data Quality Index (DQI) utility, which was subsequently deployed in the Bank's IOBONLINE.

All branch and Regional Office (RO) users were provided with individual logins to access the DQI utility. A total of 46.73 lakhs records were uploaded to the portal for correction by the branches. By the close of the financial year 2025–26, as of 31st March 2026, 99.25% of the pending records had been successfully corrected, resulting in a significant improvement in the data quality of the Bank.

As the custodian of the Bank's Data Governance Policy, the Enterprise Data Management Department (EDMD) facilitates its implementation and ensures compliance with the support of key stakeholders, including User Departments, the IT Department, the Inspection Department, and the Information Security Department. To strengthen oversight and monitoring of data governance, a multitier committee structure was established consisting of **Regional Level Data Governance Committee (RLDGC)** headed by Regional Heads at the regional level, **Sub Level CO Data Governance Committee (SLCDGC)** headed by the Senior most GM–Credit Vertical at the Central Office and **Apex Level Data Governance Committee (ALDGC)** headed by the Executive Director at the apex level. Meetings of these committees are conducted periodically—monthly, bimonthly, and quarterly, respectively—in accordance with the policy framework. This structured governance mechanism has been instrumental in driving continuous improvement in the Bank's data quality.

INFORMATION SECURITY

- Board approved Information Security Policy, Cyber Security Policy, Data Privacy Policy, Digital Payment Security Control Policy, Technology Risk Management Policy, Cyber Crisis Management Plan, Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place.
- Bank's Information Security Department is certified with ISO 27001:2022 which is a recognition for following the information security best practices.
- Bank has achieved PCI-DSS 4.0.1 certification. PCI DSS stands for Payment Card Industry Data Security Standard. It is a set of security standards designed to protect the payment card data of cardholders and ensure the secure handling of cardholder information by organizations that process, store, or transmit payment card data.
- A Security Operation Centre (SOC) operates 24*7*365 days to monitor and analyse the information security incidents to take preventive and corrective steps with state of art security technologies.
- Regular DR drills are being conducted every quarter to ensure availability.
- Bank has disseminated security awareness through educative series in Bank's website, Internal circulars, posters, SMSs, messages through ATM Kiosk, Internet Banking, Mobile Banking and Social Media Handles (Facebook, twitter etc.) for the benefit of customers, Employees and vendors.
- Bank has also uploaded cyber security awareness videos in Bank's website, social media accounts such as Facebook, twitter, YouTube etc., to create awareness among customer, employees, and vendors.
- Bank has conducted Cyber Security awareness training to all the staff members and third-party service providers.
- Bank has a contingency plan with approved BCP/DR to ensure continuity of services.
- Bank has implemented defense in depth at different layers to secure Bank's IT environment.

GOVERNMENT ACCOUNTS

Accreditation with Central Ministries for Government Agency Business Arrangement

During the financial year 2025–26, our Bank has been accredited by the following Central Government Ministries/ Institutions for handling Government Agency Business:

1. Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA)
2. Controller General of Accounts (CGA)
3. Institute of Government Accounts & Finance (INGAF)

Pursuant to the above accreditations, our Bank has commenced Agency Banking operations for MoHUA with effect from 01.12.2025 and CGA & INGAF with effect from 01.03.2026

Direct Tax Collections:

The Bank is an authorised bank for collection of Direct Taxes. During the FY 2025-26, our Bank has enabled the facility for payment of Direct Taxes through the Payment Gateway (PG) with effect from 16.12.2025. Accordingly, Direct Tax collection facilities are now available in our bank through the following channels:

- Internet Banking
- OvertheCounter (OTC) mode at all Branches
- Payment Gateway (PG) mode

During the year, the bank has handled transactions amounting to Rs.12549.65 crore and earned commission of Rs.1.22 crore.

Indirect Tax Collections:

The Bank is an authorised bank for the collection of Indirect Taxes such as Customs, Excise Duty, and Goods and Services Tax (GST). During the FY 2025-26, Bank has enabled the facility for payment of Customs and Excise duties through the Payment Gateway (PG) with effect from 19.08.2025, and for GST through PG with effect from 17.10.2025.

Accordingly, Indirect Tax collection facilities are now available in our bank through the following channels:

- Internet Banking
- OvertheCounter (OTC) mode at all branches (for GST)
- Payment Gateway (PG) mode

During the year, the Bank handled Indirect Tax transactions amounting to Rs.15,356.18 crore and earned a commission income of Rs.1.06 crore.

Payment of Pension:

The Bank is servicing pensioners belonging to Central Civil, Defence, Railways, Postal, State Civil, TNEB, Chennai Port Trust, TNSTC, Local Fund Audit of Tamil Nadu, and Malaysian Government pension.

Among these, our Centralised Pension Processing Centre (CPPC) disburses pensions for Central Government departments such as Central Civil, Defence, Railways, and Postal, as well as for Pondicherry State Government pensioners. The total number of such pension accounts

stood at 33,255 as on 31.03.2026. During the year, the Bank disbursed pension amounting to approximately Rs.1,445.45 crore. Our Bank earned a commission of Rs.3.65 crore during the year.

Other treasuries/Services handled:

The Bank is authorized for collection of revenues on behalf of various State Governments. During the financial year 2025–26, the Bank collected State Government revenue amounting to Rs.6,184.87 crore. In addition, our Bank services the accounts of the Planning Commission and the Department of Telecommunications. The Bank is also conducting Agency Banking business on behalf of the Post Office Department in Tamil Nadu, facilitating Drawing and Deposit operations through 90 branches.

Small Savings Schemes:

Bank has been actively participating in the Government of India Small Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, Public Provident Fund, Sukanya Samriddhi Yojana. Our bank has opened 53124 new small saving scheme accounts during 2025-26.

Our bank has implemented the following 5 Small Saving Schemes during the Fy 2025-26;

1. Kisan Vikas Patra (KVP)
2. National Savings Certificate (NSC)
3. National Savings Recurring Deposit
4. National Saving Time Deposit
5. National Saving Monthly Income Account

During the FY 2025-26, our bank has contributed subscriptions of about Rs.2060.32 crore under small saving schemes

National Pension System:

All branches of our Bank have been enabled for onboarding and subscription under the National Pension System (NPS). During the financial year 2025–26, the Bank opened 25,981 new NPS accounts, significantly surpassing the target of 15,000 accounts allotted by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). Our bank has achieved 124% and 117% target allotted by PFRDA in Triple E Campaign (20.05.2025 to 31.07.2025) and NPS Diwas – NPS Zaruri Hai campaign (16.09.2025 to 18.10.2025) respectively.

Government Business Cell

The Bank has established 23 Government Business Cells (GBCs) across all major State capitals with the objective of augmenting Government business.

During the financial year 2025–26, the GBC teams successfully mobilised Government business amounting to Rs.4,369 crore.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Our Banks greatest asset is our people who deliver consistent Business growth. Bank is having around 21000+ employees who are nurtured to deliver excellent Customer Service and ensure Customer Delight.

To achieve this objective, Bank has taken various HR Initiatives focused on Manpower Optimization, Capacity Building, Human Capital Development through Learning & Development and Leadership Development, Employee well-being and inclusive workplace environment.

1. Recruitment & Staff strength

The Bank's staff strength stood at **21034** comprising **13022** Officers, **6705** Clerks and **1307** Sub-staff as of 31st March 2026.

- During the year 2025-26, we recruited **390** Local Bank Officers through Bank's own process and **246** Probationary Officers, **40** Specialist Officers in JMG Scale I through the IBPS Common Recruitment Examination for all PSBs. Apart from above, **178** Customer Service Associates have joined the services of our Bank through IBPS Common Recruitment Process (CRP) XIV. Also, 1 Officer through Lateral recruitment has joined the services of our Bank.

Of the total staff strength, **4053** members belong to SC category, **1567** to ST Category, and **7292** to OBC Category. Staff Strength includes **7803** Women employees, **715** Ex-servicemen and **531** physically challenged members.

2. Motivation

Mentoring

Our Bank has kicked off a Mentoring Initiative for our Probationary Officers in Scale I. This initiative's major objective is to guide, mentor and support the new probationary officers. Mentors are well experienced faculty members who will be assisting them and clarifying their doubts on an ongoing basis for a period of 2 years. Bank has taken this initiative to ensure that the new Probationary Officers feel comfortable and are guided in the new Banking environment. Our initiative is well appreciated by our regulators/stakeholders.

Project Lakshya – HR Transformation

Bank has started a flagship digital HR transformation project "LAKSHYA" with the objective of aligning with industry trends and enhance performance of employees, in FY 2024-25.

As part of HR Transformation Phase II, The Bank implemented a comprehensive & very scientific Digital Performance Management system which is objective, system generated and also developmental. In the 2nd year of the program, the focus was to build on Capacity Building, Learning & Development and Leadership Development.

The solutions introduced under this initiative focussed on:

- Training right skills for the right people
- Grooming future leaders
- Employee Wellbeing
- Social Connect among employees

The digital transformation of Human Resource (HR) functions in IOB marks a critical step towards enhancing efficiency, identifying future leaders, and improve employee satisfaction.

Bank has trained **250 future leaders** through a nine-month extensive leadership development program with live projects. **One-to-one coaching sessions** were conducted as part of their Leadership programme.

To create awareness among employees about the Banking Industry, we have developed a feature in our employee portal which showcases the Day-to-Day news on Banking Industry.

Health Survey was conducted to assess the well-being of the employees and the bank has provided necessary assistance for those who were in need. It helps to ensure that employees are Healthy and Happy.

In conclusion, these digital tools in our Bank's HR systems not only improve knowledge but also foster a more engaged, productive and satisfied workforce. This holistic approach will help our bank to remain competitive, agile, and future-ready.

3. Capacity Building

In order to plan succession and equip the identified officers for critical positions, Bank has drawn a Policy on "Capacity Building" in tune with RBI guidelines to enhance the knowledge of staff members.

Staff members have been advised to obtain certifications in those areas to enhance their capability.

As a part of motivational measure, Bank is reimbursing the course fees for the identified certifications under capacity building and also giving due weightage for the same in the Promotion process.

Our Bank has signed Memorandum of Understanding with Indian Institute of Banking & Finance for a Customized Certification Program on MSME in Banks through e-learning mode for all staff members in FY 2025-26.

Also, we have included courses on Artificial Intelligence as employees need to be aware of AI, which will transform Banking of the future.

4. Reward and Recognition

Our Bank has upgraded the reward and recognition system by crediting reward points to the top performers on a quarterly basis. The accumulated points shall be redeemed by our employees for External/Overseas Training, Promotions, Transfers etc. This encourages employees to perform better consistently.

Bank has conducted special training programs for the winners of **FAB 50** campaign for **71** top performers, **Super 88** campaign for **255** top performers and Golden League Champions campaign for **77** top performers.

5. Ethics Policy

An Ethics policy is in place covering all the employees of the Bank, to create a culture of Ethical conduct and cooperation among the employees in respect of public conduct, communications within the Bank, interactions with external entities including the media and dealing with colleagues.

The policy defines the standards of conduct that is expected of all employees in order that right decisions are taken in performing roles and responsibilities across various functions in the Bank.

For implementation of the said policy, a Standard Operating Procedure (SOP) has been adopted wherein online affirmation from all the employees confirming adherence to the code of conduct as detailed in the Ethics policy is obtained on an annual basis.

6. Job Family

Job Family framework for Officers has been created which comprises of 14 distinct families. The same was arrived at after grouping similar nature of tasks/ business verticals and related Depts./ cells/ areas etc. under one family as part of HR Transformation project in order to provide distinct career paths to officers and help officers & Bank plan Career movement & Skill development of officers better.

All Officers having exposure/ working in the related depts./ business verticals and having requisite qualifications in the areas falling under the Job Families have been so grouped/ classified.

7. Training

Keeping in view of the corporate goals and making the bank a customer centric one, training has been imparted on contemporary issues of banking apart from core banking areas through the internal and external mode.

Apart from the above, regular training on Banking topics have been imparted to officers and clerks in the field of Credit Appraisal/ Credit Monitoring, Small & Medium Enterprises Financing and Vigilance. Also, Programmes for First Line and Second Line Managers were conducted through offline modes.

Pre-Promotion Training for SC/ST/OBC/PH members who are eligible for promotion from Sub Staff to Clerical cadre, Clerk to JMGS I, JMGS I to MMGS II and MMGS II to MMGS III was conducted through online mode.

The Pre-Retirement counselling programme was conducted for Officers and Clerks who retired during the year.

Internal Training

Our Bank's internal training system comprises of One Staff College at Chennai and Twelve Staff Training Centres (STCs) spread out across the country. The statistics of Internal Trainings imparted for the FY 2025 – 26 is furnished hereunder:

Particulars	Officers	Clerical	Sub staff	Total	SC (Out of Total)	ST (Out of Total)
Training imparted to Individual Staff members (irrespective of no. of trainings attended)	12119	6793	1168	**20080**	3923	1522
Training imparted during FY 2025 – 26 (based on total no. of trainings attended by members)	25622	13797	2107	**41526**	8582	3513

External Training

We had also deputed 4233 Executives/Officers/Customer Service Associates for training programmes conducted by reputed external institutes like IDRBT – Hyderabad, NIBM – Pune, Administrative Staff College of India (ASCI)-Hyderabad, Centre for Organization Development(COD), College of Agricultural Banking (CAB) – Pune, Reserve Bank of India (RBI), Wrights Training and Consulting LLP, State Bank Institute of Leadership (SBIL), Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL) – Mumbai, Indian Banks Association(IBA), Centre for Advanced Financial Research and Learning (IIBF), Bankers Institute of Rural Development (BIRD), Indian Railways Institute of Transport Management (IRITM), Central Vigilance Commission (CVC), Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA), Indian Bank, National Academy of Human Resource Development (NAHRD), National Academy of RUDSETI, National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC), Union Bank of India, Water.org, Xavier School of Management (XLRI) Jamshedpur.

Apart from the general and selected training programs, 97 Executives/Officers have been trained on various Leadership Development Training Programs by reputed training institutes like NIBM, XLRI Jamshedpur, S.P Jain Institute of Management etc.,

Also, our Bank has entered into an MoU with Indian Institute of Management Kozhikode (IIMK) to offer learning initiatives aimed at enhancing the professional capabilities of our future leaders.

E-Paatashala – Online e-Learning portal:

E-Paatashala was made available for all the staff members in our Bank's online module consisting of 85 modules on various areas like Credit, NPA, Treasury, Foreign Exchange etc., during the FY 2025 - 26. These modules were targeted at enhancing and updating the knowledge of the staff members thereby scaling up our online learning initiative (E-Paatashala). The said portal was updated and maintained by our Staff College Faculty on a regular basis. A total of **8458** employees completed all SIX Mandatory modules (out of 85 available modules) under E-Paatashala.

Standard Employee Grievance Redressal System (SEGRS):

To have a formalized grievance redressal mechanism for our staff members, a Standard Employee Grievance Redressal System (SEGRS) online portal is made available to lodge the grievances of our staff members. The Grievances/Complaint areas are grouped in various categories related to Facilities, Behaviour, Allowances etc.

These grievances are being redressed at two levels - Regional Office and Central Office. The complaints are escalated to the next level in a time-bound manner and redressed accordingly.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Industrial relations environment in the Bank remained cordial and conducive throughout the year for achieving organization's objectives.

In order to monitor and maintain good Industrial Relations climate in all Offices/Branches of the Bank, circulars/ guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline and the guidelines/policies to be followed, etc.

Action is taken against staff members against whom complaints/matters of IR nature are reported to enforce discipline and ensure harmonious industrial relations in the Bank. Disciplinary action is initiated against staff members who remain on unauthorized absence.

Further, all the guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously and circulars on the same are issued for the benefit of our employees.

HRMD-IR Section, Central Office holds discussions with Officer Association/Workmen Union for redressal of grievances of staff members regarding staff benefits/IR issues etc.

During the financial year, improvements were made to Staff Housing Loan Scheme with an increase in the quantum of loan, reduction in interest rate and increasing the age limit for repayment of loan.

Enhancements were also made to the rentals of Leased Accommodation payable to Supervisory Staff, covering all the Centres. Officers under Probation were also made eligible for Leased Accommodation Facility.

Increase was also made in the reimbursement of Hotel Expenses to Officers who travel on duty.

Further, improvements were made in availment of PF Loan by staff members with the process of applying and sanctioning PF Loan through Online mode.

Similarly, credit of welfare benefits like Annual Medical Aid, Well being expenses, Yearly Eye-checkup etc. have been made through Straight Through Processing thereby ensuring instant benefit to the employees.

To prevent Sexual Harassment of Women at Workplace, Internal complaints committees were constituted at all Administrative offices (Central/Regional offices) as per the provisions of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013. Bank has zero tolerance policy regarding any complaint received under POSH and Internal Committee takes care of any such complaint on priority basis.

Industrial Disputes/Court Cases filed by staff members before various Courts including those before Assistant Labour Commissioner are closely monitored and efforts are taken to settle/get the Court cases disposed off expeditiously.

CONDUCT AND DISCIPLINARY ACTION CELL

Disciplinary Proceedings

During the Financial Year 2025-26 due to effective steps taken for disposal of disciplinary cases, we have disposed off 647 cases.

Cases are being closed with average TAT of 160 days, well within the TAT of 270 days stipulated by CVC.

Utmost priority is being given to complete the disciplinary proceedings where the members are under suspension.

Enquiry proceedings are being conducted through Digital modes like Webex, Video conferencing etc., wherever physical presence is not necessary, to speed up the Disciplinary proceedings.

Bank has conducted training for all Inquiring Authorities and Presenting Officers and necessary materials, handbooks were provided to all IAs and POs and directions were given for smooth conduct of Inquiry process. An exclusive DA cell is functioning with a DGM as Disciplinary Authority for disposing the cases involving members upto Scale III, for speedy disposal of cases.

Disciplinary Authorities have been sensitized to complete the Disciplinary proceedings within the stipulated time.

COMPOSITION OF SC/ST/OBC EMPLOYEES

Category of posts	Total No. of employees As on 31.03.2026	No of SCs	% of SCs	No of STs	% of STs	No of OBCs	% of OBCs	No of Gen	% of Gen
Officers	13022	2241	17.21	1177	9.04	4408	33.85	5196	39.90
Clerk	6705	1312	19.57	347	5.17	2428	36.21	2618	39.05
Sub-Staff	1192	451	37.83	40	3.36	411	34.48	290	24.33
Sweeper	115	49	42.61	3	2.61	45	39.13	18	15.65
Total	**21034**	**4053**	**19.27**	**1567**	**7.45**	**7292**	**34.67**	**8122**	**38.61**

Rosters:

As per Ministry guidelines, recruitment and promotion rosters are maintained at Head Office to ensure adequate representation of SC/ST/OBC/EWS employees. Inspection of Rosters is carried out on a regular basis by Chief Liaison Officers and Department of Financial Services. Roster Register for the Calendar year 2024 have been verified by Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi and have been uploaded online in our IOB website (www.iob.bank.in).

Trainings:

Pre-Promotion trainings are conducted for SC/ST/OBC & PwBD employees before the commencement of the promotion examinations.

CLOs & Office Bearers of SC/ST & OBC welfare Associations were imparted training on Reservation norms, Rosters and other Govt. guidelines.

Welfare of SC/ST/PwBD/Ex-Servicemen Employees:

The Reservation Policy for SC/ST/PwBD/Ex- Serviceman which are applicable for banks under Government of India is also applicable to Indian Overseas Bank. As stipulated by the DFS guidelines, Reservation Cell is functioning under the direct control of Chief Liaison officer which ensures the implementation of the rules of Reservation. The Cell takes care of the grievances of SC/ST/OBC/Ex-Servicemen/ Differently abled Persons.

Quarterly meeting with the majority SC/ST Welfare Association is held at regular intervals in order to resolve issues related to grievances/service matter/welfare of our SC/ST Employees.

Welfare of OBC Employees:

The Reservation Policy for OBCs which are applicable for Banks under Government of India are also applicable to Indian Overseas Bank.

Bank is having Reservation Cell at Central Office, which is under the direct supervision of Chief Liaison Officer. The Chief Liaison Officer through the Reservation Cell ensures that the Government guidelines are implemented in the Bank.

Quarterly meeting with the majority OBC Welfare Association is held at regular intervals in order to resolve issues related to grievances/service matter/welfare of our OBC Employees.

Loan Facilities for SCs/STs Beneficiaries:

Our Bank has Schemes like CEGSSC for welfare and upliftment of the Scheduled Castes & Scheduled Tribes. Further, all other credit facilities of our Bank cater to the needs of all classes of society including Scheduled Castes & Scheduled Tribes.

CEGSSC (Credit Enhancement Guarantee Scheme for Scheduled Castes): provides Guarantee cover to Scheduled Caste borrowers for loans up to Rupees Five Crores.

SECURITY

The Chief Security Officer at central office is responsible for overall supervision of security aspects of all Branches, ATMs, Currency Chests and Administrative Offices.

Security is an ongoing process intended to protect treasure, staff, assets and customers from any kind of physical threats. The Department puts in efforts to ensure preventive security measures regularly. Thus Safety, Security and precautionary measures, as and where required, mandated and suggested have been reviewed, studied and implemented for all Branches, ATMs and Administrative Offices keeping in view the local law and order situation, crime rate and modus operandi of the crimes against Banks.

The Bank continued to stress on inculcation of fire prevention and security consciousness among staff to ensure safety to life and property. The Regional Security Officers on their inspection of Branches make it a point to brief the staff members about the latest modus operandi used by the miscreants, preventive measures to be initiated to prevent fire and security risks.

The following measures were initiated during the year to enhance the support systems provided to Branches as preventive and deterrent action.

a) All Staff members have been educated regarding security awareness.

b) All the Branches were provided with two new Portable fire extinguishers along with the existing fire extinguishers for fighting all classes of fire.

c) The existing Burglar Alarm System at Branches have been replaced with Smart Integrated Fire cum Burglar Alarm System with features of intimating the staff members in case of exigencies.

d) CCTV systems at all Branches are being upgraded from DVR based systems to NVR based CCTV system.

e) The Security gadgets viz., CCTV and Alarm system are installed and functioning 24×7×365 days.

f) Outsourced Watchmen/Armed Guards are provided at vulnerable ATMs and branches, on case-to-case basis.

g) Outsourced fortified cash vans with two armed guards for safe transporting of cash have been provided to the Regions wherever requested. The performance of Cash Van is reviewed by Security Department at Central Office.

At Central Office, the following aspects are covered:-

a) In addition to supporting Regions for provision of safe and secure environment for functioning of Branches, all safety measures are followed in high rise buildings within Central Office complex.

b) All the staff and outsourced staff working at Central Office have been briefed about the fire safety measures to be ensured at their respective offices by means of floor wise fire safety lectures, followed by evacuation, assembling at their assembly points and a hands-on experience of using the portable fire extinguishers.

c) The Central Office ensures availability of budget for the Regions to provide the necessary security gadgets to all its Branches.

d) In an event of fire or crime against Bank, Department ensures that the incident is reported to law enforcement agencies, investigated and taken to its logical end.

A conclave of all Regional Security Officers (RSO) pan India was conducted at the staff college, wherein all the RSOs attended the sessions on various security parameters including gadgets, safes and strong room doors, procedures to be followed during various exigencies, modus operandi of crime against Banks. The conclave was utilized for sharing of information with regards to the security features adopted by Banks in different parts of the country.

A safe and secure environment for banking is being ensured by the Security department with involvement of the staff at all levels and deployment of all necessary security apparatus.

OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has taken all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the FY 2025-26. Also, the Bank has committed to achieve all the goals of the Annual Program formulated by the Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India. As per the directives of Government of India, Bank has enabled Hindi Unicode font in all the computers of Administrative Offices and as well as all the Branches. Four editions of our in-house Hindi Magazine "VANI" in print as well as in digital form, have been published. The Bank conducted an All India Official Language Conference and Seminar for our Official Language Officers on 21st and 22nd July 2025 in Delhi. The said program was chaired by our MD & CEO and Ms. Anshuli Arya, Secretary, Ministry of Home Affairs, Govt. of India also attended as a chief guest. Regional Offices, who have done excellent work in the field of Official Language implementation, were rewarded under the Rajbhasha Shield Scheme. Also, the Regional Offices whose publication of E-Magazine was excellent were rewarded at the said conference.

Our Bank received the prestigious **'Rajbhasha Kirti First Prize'** from the Ministry of Home Affairs, Government of India for Financial Year 2024-25, as a certification of the efforts made by our Bank towards the implementation of Official Language, which was received by Sri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank. We would like to mention that our Central Office secured the **First Prize** towards the implementation of Official Language from **Department of Financial Services (DFS)**, Govt. of India for FY 2024-25. Also, Our Central Office has been awarded First Prize towards the implementation of Official Language from **Town Official Language Implementation Committee (TOLIC)**, Chennai for FY 2024-25. We are pleased to mention that our 52 Regional Offices out of our total 53 Regional Offices along with Branches have received awards from respective TOLICs. Till now, this number is highest ever in the any Financial Year for TOLIC prizes. Our 25 Regional Offices were inspected in connection with Official Language implementation by Official Language Department, Central Office.

Third Sub-Committee of Parliamentary Committee on Official Language conducted inspection of Regional Office Guwahati, Regional Office Bangalore, Regional Office Mysuru, Regional Office Dehradun, Regional Office Kolkata-2, Regional Office Lucknow, Regional Office Varanasi and Regional Office Ludhiana on various dates. The said committee expressed satisfaction over the implementation of Official Language in the said centre. Also, Drafting and Evidence Committee of Parliamentary Committee on Official Language inspected our Regional Office Kolkata-1, Regional Office Pondicherry, Regional Office Ernakulam, Ariyalur Branch (Tanjore Region), Allapuzha Branch (Ernakulam Region) on various dates and the concerned committee expressed satisfaction over the implementation of Official Language in the respective offices and branches.

Our Bank is dedicatedly doing publication work for conservation of literature in Hindi and providing good content to staff members to enrich their knowledge. In this connection, we published a seminal book '**साहित्यकार महाकुंभ**', containing distinguished work/ contribution of Stalwart Writers compiled from all the states, who have done stellar for promotion of literature. The said book was inaugurated by Central Home & Co-operation Minister Honourable Shri Amit Shah Jee on 26th June 2025 during the Diamond Jubilee Celebrations of Official Language Department at Bharat Mandapam, New Delhi. We have also published another path breaking book '**ज्ञान क्षितिज पर हिंदी**', containing a compilation

of relevant topics/articles which were written by experts in their domain. The said book was also inaugurated by Central Home & Co-operation Minister Honourable Shri Amit Shah Jee on 14th September 2025 during the 5th All India Official Language Conference & Hindi Day at Mahatma Convention Centre, Gandhinagar, Gujrat.

The Bank has conducted Hindi competitions in all Regional Offices and Central Office on the occasion of Hindi Day Celebrations-2025. An All-India Hindi Essay Writing competition was held on 15th September 2025 for our staff members. The Bank has also conducted inter-bank All-India Hindi Essay Writing competition in February 2026 for the staff members of all Public Sector Banks, FIs and Insurance Companies. Award winning articles of the said competition have been compiled and published in a book form as **"निबंध संचय भाग-4"**. On 10th January 2026, World Hindi Day was observed in Central Office and Regional Offices. On this occasion various Hindi competitions, seminars and workshops were held in Regional Offices. Various Hindi competitions were conducted by Regional Offices on Bank's 90th Foundation Day celebrations on 10th February 2026. Bank also observed International Mother Language Day on 21st February 2026, on that day various Hindi language competitions and seminars were conducted by Regional Offices.

Our Bank has introduced cash incentive scheme for staff members, who have been doing excellent work in implementation of Official Language since January 2021. Under this scheme, staff members who have excelled in the Official Language perfomance are being given an incentive of Rs.1,000 and there is a provision to confer certificates to 12 staff members from central office and 3 staff members from each Regional Office & 6 staff members from Branches coming under their jurisdiction of respective ROs every half year. During FY 2025-26, a total of 622 staff members were awarded cash incentives and certificates under this scheme.

STATUS OF IMPLEMENTATION OF IND AS IN OUR BANK

As per Reserve Bank of India (RBI) guidelines, the Bank is in the process of implementing Ind AS (Indian Accounting Standards). RBI, vide circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019, has deferred the implementation of Ind AS for all Scheduled Commercial Banks until further notice. However, RBI requires all banks to submit Ind AS proforma financial statements on a half-yearly basis. In line with this directive, a Project Steering Committee (PSC), headed by an Executive Director, has been constituted to monitor the implementation of Ind AS in the Bank. The Bank is regularly submitting Ind AS proforma financial statements to RBI on a half-yearly basis after obtaining approval from the Project Steering Committee.

PSBS – REFORM AGENDA – EASE – ENHANCED ACCESS & SERVICE EXCELLENCE

EASE Reforms Agenda was launched in 2018 by IBA under the guidance of DFS. EASE Reforms Agenda focused on bridging operational and capability gaps between public and private sector banks. EASE programme sets a common reforms agenda for public-sector banks every year. EASE aims to foster new-age reforms in Public sector banks (PSBs) to improve profitability, asset quality, customer service and digital capabilities. The Enhanced Access and Service Excellence (EASE) program stressed on data analytics, automation, digitization, technology, asset quality improvement, outcome-centric HR and overall governance. The EASE Reforms Agenda has made significant contribution in increasing performance, transparency and accountability across all the PSBs including in our Bank.

EASE 8.0: Driving Excellence in Public Sector Banking

The **Enhanced Access & Service Excellence (EASE) Reforms Agenda**, launched by the Department of Financial Services (DFS) under the guidance of the Indian Banks' Association (IBA), continues to be a transformative force in modernizing Public Sector Banks (PSBs). The EASE 8.0 framework introduced for FY 2025-26 with the theme: **Risk & Resilience | Innovation | Socio-Economic impact |Excellence**

EASE 8.0 focused on below mention action points:

- **Digital-First Approach**: Strengthen digital banking channels to offer seamless, user-friendly services across customer segments.
- **Enhanced Credit Delivery**: Focus on timely and efficient credit support, especially for MSMEs, agriculture, and Retail segments.
- **Customer-Centric Services:** Implement personalized, technology-driven solutions to improve satisfaction and retention.
- **Operational Excellence**: Streamline processes through automation and AI to boost efficiency and reduce turnaround time.
- **Risk & Compliance:** Strengthen risk management and compliance frameworks using advanced analytics.
- **Sustainability & Inclusivity**: Promote green banking and financial inclusion in line with EASE 8.0 goals

The Bank has demonstrated **consistent progress in the EASE Reforms Index**, showcasing its commitment to operational

excellence, digital transformation, and customer-centric banking. The Bank has proactively implemented strategic initiatives to drive improvements in **customer experience, governance frameworks, risk management, and service delivery**, aligning itself with the evolving needs of the banking sector. Through these concerted efforts, IOB continues to strengthen its position as a leading public sector bank committed to innovation, resilience, and superior service standards.

PLANNING & ECONOMIC DESK

The Planning function continues to carry out a synchronised coordination between Top Management and Field Level functionaries for effective implementation of the corporate policies, Bank's priorities and ensuring achievement of corporate budgets.

The Economic Desk Supplements Top Management with day to-day developments in the Financial Ecosystem apart from analysing the policy and products of other peer banks along with close monitoring of RBI policies & other regulatory guidelines.

Customer On boarding:

During the financial year **2025-26**, the Bank continued its strong momentum in customer acquisition and successfully onboarded **42.02 lakh CASA customers**, as against **39.91 lakh customers** onboarded during the previous year. With this, the Bank has onboarded an aggregate of **1.06 crore CASA customers** during the last three financial years from **FY 2023-24 to FY 2025-26**. As on **31st March 2026**, these newly onboarded customers contributed **CASA deposits of Rs.32,744 crore**, **Term Deposits of Rs.37,911 crore**, and **aggregate deposits of Rs.70,655 crore**. Further, these customers contributed to a **credit portfolio of Rs.1,08,092 crore**, including **Housing Loans of Rs.11,165 crore**. Overall, the Bank mobilised an impressive **Rs.1.79 lakh crore of total business** from these newly acquired customers, demonstrating the effectiveness of the Bank's customer acquisition strategy, cross-selling capabilities, and growing digital ecosystem

New Developments:

Keeping in view the demand and requirements of branches and in line with the offerings of other banks in the market and to make our product more competitive, we have gathered inputs and made suitable modifications in our products and introduced and revamped liability schemes in order to make them more competitive.

Introduction of IOB Eco Savings Account:

During the year, the Bank introduced **IOB Eco Savings Account**, an environment-friendly and fully digital savings account aimed at promoting sustainable banking practices. The product offers paperless banking with online account opening through VKYC and TAB banking, renewable PVC debit cards, free digital banking facilities, personal accident insurance coverage, and concessions in green financing products such as electric vehicle loans, thereby supporting the Bank's ESG and digital transformation initiatives.

Introduction of IOB PARIVAAR – Family Savings Scheme:

The Bank introduced **IOB PARIVAAR**, an innovative family banking proposition comprising three variants namely IOB Adarsh Family, IOB Legacy Family, and IOB Royal Family. The scheme enables family members to maintain Quarterly Average Balance at the group level while enjoying enhanced banking benefits, thereby improving customer convenience, strengthening relationship banking, and promoting deposit retention.

Introduction of IOB PREMIUM – Corporate Salary Scheme:

To strengthen the salary account portfolio and augment low-cost deposits, the Bank introduced **IOB PREMIUM**, targeting high-income salaried customers. The scheme offers enhanced insurance coverage, hospital cash benefits, cyber insurance, higher overdraft facilities, and other premium banking benefits, making the Bank's salary offerings more competitive in the market.

Tamil Nadu State Government Salary Package:

During the year, the Bank also launched a special salary package for employees of the **Government of Tamil Nadu**, offering customized banking solutions with enhanced insurance cover, concessional loan processing charges, overdraft facilities, and other value-added benefits, further strengthening the Bank's salary account franchise in its core market.

Central Government Salary Package:

Further, the Bank introduced an exclusive salary account package for employees of the **Government of India** under Categories A, B, and C, with superior insurance coverage, overdraft facilities, family banking benefits, and premium debit card features, aimed at expanding the Bank's presence in the government salary segment and supporting CASA growth.

Introduction of IOB E-FDR Facility in NSE Platform:

The Bank introduced the **IOB E-FDR facility** on the **National Stock Exchange of India** platform, enabling trading members, clearing members, and brokers to place electronic Fixed Deposit Receipts as collateral in a secure and paperless environment. This initiative enhances operational efficiency, reduces physical documentation, and opens a new avenue for institutional deposit mobilisation.

Introduction of NRI SB Deposit Variants:

To strengthen NRI deposit mobilisation, the Bank introduced three new variants of NRE/NRO savings schemes with enhanced features and customer-centric benefits, making the Bank's NRI product offerings more competitive and aligned with market practices, thereby supporting growth in overseas deposit business.

TAB-Based Current Account Opening for Individuals:

As part of its digital transformation journey, the Bank enabled TAB-based opening of Current Accounts for individual customers through Aadhaar-based biometric authentication, significantly reducing turnaround time, improving customer convenience, and enabling doorstep banking services.

TAB-Based Current Account Opening for Sole Proprietorship Firms:

Further strengthening digital onboarding capabilities, the Bank introduced TAB-based Current Account opening for Sole Proprietorship firms with integrated Aadhaar authentication, PAN validation, GST/Udyam verification, and digital document capture, thereby streamlining onboarding of MSME customers and improving operational efficiency.

Introduction of IOB Step-Up RD Scheme:

The Bank introduced **IOB Step-Up RD**, a flexible recurring deposit product that allows customers to increase their monthly contributions through multiple top-ups while earning attractive deposit rates. The scheme also offers personal accident insurance and full digital operability through internet and mobile banking channels.

Introduction of IOB Digital Deposit Scheme:

The Bank launched **IOB Digital Deposit** for new-to-bank customers, enabling end-to-end digital opening of fixed deposits without branch visits. The product offers seamless digital onboarding, secure transactions, and enhanced customer convenience, supporting the Bank's digital deposit mobilisation strategy.

PUBLIC RELATIONS

A) Press Release and Electronic Media Interaction

The Bank in coordination with external PR agency, disseminated **40 Standalone press releases** and conducted **25 electronic media interactions** garnering around **2000+ coverages across the media**.

Media Coverage:

Print Media	Online Media	Electronic Media	Total
1042	1061	25	2128

B) Advertisement, Publicity, and other activities

The Bank has utilized various platforms for Advertisement and Publicity, including Print, Online Advertisement, FM Radio, Chennai Metro Train Branding, Full Bus Branding and wrapping in Chennai, Chandigarh, Punjab, Agra & Kanpur, Mumbai Metro Train Branding, Lalbagh express Train branding, Audio Jingles in Railway Stations, Chennai Central Railway Station branding, outdoor hoardings etc. During the fiscal year, Bank spent **Rs.2,86,14,365.26** on **Advertisement (Regulatory)** and **Rs.13,00,48,231.40** on **Advertisement (Non-Regulatory) & Publicity**.

C) As directed by DFS, the following activities were organized centrally by the Bank:

- **07th April 2025** – Bank has organized an Awareness programme on "Bal Vivah Mukt Bharat Campaign" and pledge was administered by Bank's management.
- **25th April 2025** – Bank organized IOB Cybernova – "PSB Hackathon Series 2025 – Demo Day" at B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology, Vandalur, Chennai.
- **09th May 2025** - IOB Cybernova 2025 Hackathon Grand Finale was held at B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology, Vandalur. Our Government Nominee Director, Ms. Neelam Agrawal, IRS, Director, DFS, Bank's management, staff and students participated in the event.

- **25th September 2025** – Bank organized Swachhata Hi Seva campaign 2025 event on "Shramdaan and Cleanliness "Ek Din, Ek Ghanta, Ek saath" at Central office where in Bank's management had participated.
- **22nd October 2025** – Bank organized Pledge regarding "5th Anniversary of Nasha Mukt Bharat Abhiyaan" and the Pledge was administered by Bank's management.
- **31st October 2025** – Bank had organized Pledge taking on "National Unity Day" i.e., Rashtriya Ekta Diwas marking 150th Birth Anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. The Pledge was administered by Bank's management.
- **26th November 2025** - Bank had organized Pledge taking on "Constitution Day". The Pledge was administered by Bank's management.
- **27th February 2026** – The Bank had coordinated with all the Regional Offices regarding Brainstorming sessions in the form of "Post Budget webinar" on Technology, Reforms and Finance for Viksit Bharat.

D) Bank hosted/participated in the following Parliamentary (Lok Sabha & Rajya Sabha) Committee Meetings held during the FY 2025-26

- **23rd August 2025** - Study Visit of the committee on Education, Women, Children, Youth & Sports at Chennai.
- **15th August 2025** - Study Visit of the Committee on Empowerment of Women at Tirupati
- **15th August 2025** - Study Visit Programme of the Public Accounts Committee (2025-26) at Bhubaneswar.
- **19th September 2025** - Study-visit of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice at Chennai.
- **20th September 2025** - Study Visit of the Committee on Government Assurances, Rajya Sabha at Jaipur (Rajasthan).
- **04th November 2025** - Study Visit of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes held at Pachmarhi.
- **14th November 2025** - Study Visit of the Department – related Parliamentary Committee Standing Committee on Industry at Hyderabad.
- **27th December 2025** - Study visit of the committee on Estimates at Havelock.
- **27th December 2025** - Study visit of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Industry at Kochi.
- **29th December 2025** - Study Visit of the Parliamentary Standing Committee on the Empowerment of Women (2025-26) at Thiruvananthapuram.
- **03rd January 2026** - Study Visit of the Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing at Rameswaram.
- **03rd January 2026** - Study visit of the Committee on Petitions at Madurai.
- **06th January 2026** - Study Visit of the Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution at Puducherry.
- **07th January 2026** - Study Visit of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Commerce at Chennai.
- **21st January 2026** - Study tour of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2025-26) at Kochi.
- **24th February 2026** - Study Tour of the Standing Committee on Finance (2025-2026) at Bengaluru.
- **24th February 2026** - Study Visit of the Committee on Government Assurance (2025-2026) at Bengaluru.

E) Corporate Social Responsibility

During **FY 2025-26**, the Bank spent a total of **Rs.8.74 Crores** on **Corporate Social Responsibility (CSR)**, benefiting about **5,85,083 beneficiaries**.

Corporate Social Responsibility (CSR) spent by Bank for the FY 2025 - 26

S. No.	Category	Sanctioned Amount (Exclusive of GST in lakhs)	Beneficiaries				
			ST	SC	OBC	General	Total
1	Education	**163.27**	5326	11242	24257	18341	**59162**
2	Empowerment of women & Senior Citizen	**46.21**	1695	3636	7796	5826	**18953**
3	Environmental protection and Social Cause	**209.16**	16324	34461	74351	56226	**181375**
4	Health care and Sanitation	**54.44**	1654	3491	7532	5695	**18370**
5	Protection of Tradition & heritage	**137.86**	22139	46738	100854	76256	**245985**
6	Rural Welfare Initiatives and Disaster Management	**79.15**	1879	3881	8350	6313	**20423**
7	Skill Training/Apprenticeship Training & Skill Development	**67.54**	1218	2571	5548	4195	**13530**
8	Sports	**96.92**	782	1651	3561	2693	**8685**
9	Technology and Research	**8.39**	1216	2565	5535	4185	**13500**
10	War Veterans and Charity	**12.00**	459	969	2091	1581	**5100**
Grand Total		**874.94**	**52692**	**111205**	**239875**	**181311**	**585083**

The Bank's official Social Media platform was effectively used to enhance the Bank's brand image of the Bank. A dedicated social media team has been formed to further enhance and build our Brand Image.

The Bank's total subscriber base has crossed the 30-Lac mark and now stands at 30.46 lakh as of 31st March 2026.

S. No.	Platform	As on 31.03.2025	As on 31.03.2026	Increase Over 31 March 2025	Growth % Over 31 March 2025
1	YouTube	842294	1512616	670322	**79.58**
2	Facebook	352958	757668	404710	**114.66**
3	Instagram	273139	602472	329333	**120.57**
4	X (Twitter)	56914	88152	31238	**54.89**
5	LinkedIn	41039	53142	12103	**29.5**
6	Threads	12933	32312	19379	**149.84**
Total		**1579277**	**3046362**	**1467085**	**92.90**

The Bank's subscriber base crossed the 3 Million Mark as per Board's directive, with subscriptions reaching 30.46 lakhs, a 92.90% increase over March 31, 2025 figures.

- Additionally, we are committed to regularly updating our social media channels with posts about our products and services, educating our customers and staff and significantly boosting our bank's visibility.

- During FY 2025-26, **736 posters/flyers/videos** were posted on social media and **1,629 customer complaints** received through social media were meticulously attended and resolved within 48 hours.

CALL CENTRE & LEAD GENERATION

The Bank operates an outsourced Customer Contact Centre with TollFree inbound services to handle **customer requests, queries, and complaints**. The services are delivered through dedicated Customer Service Associates (CSAs) on a **24×7×365** basis, ensuring timely redressal and registration of customer issues. Customers are also provided with **self-service facilities through an Interactive Voice Response (IVR) system**.

To further enhance customer experience,a **Next-Generation Contact Centre** was operationalized from **June 2025**, leveraging the latest **AI-enabled technologies and omnichannel capabilities**, with a focus on improving service quality and achieving EASE metrics.

Key Services Offered

1. **Inbound Services**
   - TollFree Numbers: **1800 425 4445** and **1800 890 4445**
2. **Outbound Services**
   - SMA Recovery
   - Lead generation calling and followup
   - Calling customers of inoperative accounts to make them operative
3. **Campaign Calling**
4. **Voice Blast Services**
5. **AI-based Chatbot Services**

Lead Generation

The Contact Centre actively supports the Bank's business growth through structured lead generation activities. Customer outreach is undertaken based on **real-time leads available in the Bank's CRM system**, as well as lead data shared by various vertical departments.

Leads are generated from multiple sources, including:

- CIBIL triggers
- IVR interactions
- Bank's Website
- Social Media platforms
- Contact Centre-generated interactions

All leads are duly tagged in the Bank's CRM system and made available to the Contact Centre in real time. Customer Service Associates are connected through an automated dialler system to contact customers, identify eligible business opportunities, and seamlessly route qualified leads to the respective branches through the CRM platform for further business conversion, as per customer requirements.

AI - Enabled Chatbot Application – IOB BUDDY

The Bank has successfully launched an **AI-powered Chatbot application** on its official website. The Chatbot functions as a virtual assistant, designed to support customers by addressing queries, guiding them through banking processes, and facilitating select service transactions in real time.

Salient Features

- Automated responses for a wide range of banking products and services
- Select accountrelated services, including:
  - Account balance enquiry
  - Last five transactions
  - Account statement generation
  - ATM card blocking
  - Loan requests
- Facility for customers to initiate live chat with Call Centre agents through the Chatbot interface
- 24×7 availability for instant support beyond regular banking hours
- Reduction in operational load on human agents by effectively handling repetitive and routine queries

Compliance with RBI/TRAI Guidelines on Outbound Calling

In compliance with RBI and TRAI guidelines for prevention of financial frauds perpetrated through voice calls and SMS, the Bank has implemented the prescribed numbering series for outbound calls. As per RBI Circular Ref. No. RBI/202425 CEPD. CO.OBD.No.S1270/5001001/202425 dated 17.01.2025:

- **Promotional voice calls** are prefixed with the **140xx** series
- **Transactional and servicerelated calls** are prefixed with the **1600xx** series

The Bank completed the required implementation within the stipulated timeline, i.e., on or before **31.03.2025**, and procured the following numbers:

- **Transactional & Service Calls**:1600 118 119, 1600 300 418, 1600 118 119, 1600 318 418
- **Promotional Calls**:140 9686 440 to 140 9686 469

Digital Presence

Comprehensive Contact Centre information has been made available on the Bank's official website under the Customer Care menu, ensuring easy access for customers.

OUTLOOK FOR BANKING SECTOR

The Indian banking sector enters FY 2026-27 on a strong footing, supported by healthy capitalisation, improved asset quality, strong profitability, and sustained credit demand across **Retail, Agriculture, MSME, Infrastructure, and Services sectors**. India's strong economic fundamentals, rising investments, infrastructure-led growth, digital adoption, and increasing financial inclusion are expected to create significant business opportunities for the banking sector.

At the same time, the sector may continue to face near-term pressure on **Net Interest Margins (NIMs)** due to transmission of policy rate cuts by the Reserve Bank of India on repo-linked loan portfolios and competitive pressures in mobilising low-cost deposits. Further, with Sheduled Commercial Bank credit growing by **13.8% year-on-year** outpacing deposit growth of **10.8% year-on-year** as per latest data, banks are expected to intensify focus on granular deposit mobilisation, digital banking, salary accounts, product innovation, and operational efficiency.

With strong capital buffers, improved risk management practices, accelerated digital transformation, and continued regulatory support, the Indian banking sector remains well-positioned to navigate near-term challenges and support the country's long-term economic growth.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Chennai
Date: 21.05.2026

Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & Chief Executive Officer

Corporate Governance Report 2025-26

A. MANDATORY REQUIREMENTS

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

Indian Overseas Bank recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. Bank has always strived hard to best serve the interests of all its stakeholders viz. Shareholders, Customers, Government and Society at large. Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn has enabled the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. Bank complies with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the guidelines, directives, etc., issued by Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS:

Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, (the Nationalisation Act) as amended from time to time. The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Nationalisation Act, as amended and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

The responsibilities of the Board include monitoring overall functioning of Bank including but not limiting to approval of policies for conduct of business, business reviews, assessing the independence of the audit and risk function, detailed scrutiny of quarterly and annual financial results, NPA Management and provisioning integrity, compliance of regulatory and statutory guidelines, customer protection, financial inclusion, overall supervision of human resources etc. The Board has constituted various sub-committees and delegated its powers for different functional areas to the committees of the Board. The Board as well as its Committees meet at periodic intervals.

a. Composition:

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength of Board as on 31.03.2026 is 10 directors comprising 03 whole time Directors, 02 non-executive Directors, 04 Part-time Non-Official Directors and 01 director elected from amongst the shareholders to duly represent their interest.

The positions of Workmen Employee Director and Non-Workmen Director are required to be nominated by the Government of India under section 9(3)(e) and 9(3) (f) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

In terms of section 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board shall have one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years, to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank. The position of Chartered Accountant director is vacant since 25.07.2019.

The Bank has taken up with Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for immediate filling up of various vacancies at the Board level and the Central Government is in the process of nominating other Directors. The vacancies shall be filled in as and when the Directors are appointed by Government of India.

b. Particulars of Directors who held office during the financial year 2025-26:

Name of the Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment	Retirement/ demission of office during the year
Shri Srinivasan Sridhar	Non-Executive Chairman & Part Time Non-Official Director	Non-Executive	21.02.2024	--
Shri Ajay Kumar Srivastava	Managing Director & Chief Executive Officer	Executive/ Whole Time	01.01.2023	--
Shri Joydeep Dutta Roy	Executive Director	Executive/ Whole Time	30.01.2024	--
Shri Dhanaraj T	Executive Director	Executive/ Whole Time	10.03.2024	--
Ms Neelam Agrawal	Government Nominee Director	Official – Non-Executive	05.08.2024	--
Ms Sonali Sen Gupta	RBI Nominee Director	Official – Non-Executive	14.07.2023	03.03.2026
Shri Thomas Mathew	RBI Nominee Director	Official – Non-Executive	03.03.2026	--
Shri Suresh Kumar Rungta	Part Time Non-Official Director	Non-Executive	11.04.2025	--
Shri B Chandra Reddy	Part Time Non-Official Director	Non-Executive	11.04.2025	--
Shri Deepak Sharma	Part Time Non-Official Director	Non-Executive	11.04.2025	--
Shri Sanjaya Rastogi	Shareholder Director	Non-Executive	03.12.2022	02.12.2025
Shri G Venkataramanan	Shareholder Director	Non-Executive	03.12.2025	--

Profile of Directors of the Bank as on 31.03.2026 is enclosed as an **Annexure – I**.

Disclosure of relationship between directors inter-se: It is declared that none of the Directors are related to each other.

The Board has adopted a Code of Conduct for Directors, and a declaration has been obtained from the MD & CEO confirming their compliance with the Code of Conduct and the statement of such declaration is as under:

"This is to confirm that the Bank has laid down a code of conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the said code of conduct is posted on the Bank's website. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the code of conduct.

The Board of Directors of the Bank also confirms that "the independent directors of the Bank fulfil the conditions specified in Listing Regulations and are independent of the management."

Shri Pranay Kumar, Deputy General Manager was the Secretary of the Board.

c. Particulars of Skills/Expertise/Competence of Board of Directors:

Core Skill/Expertise/Competencies identified as required in the context of the Bank business and sectors for it to function effectively	Core Skill/ Expertise /Competencies available with the board
Banking	Yes
Finance	Yes
Economics	Yes
Human Resource Management	Yes
Information Technology	Yes
Treasury Management	Yes
Marketing	Yes
Risk Management	Yes

d. Particulars of Skills/Expertise/Competence of Board of Directors:

Name of the Director	Core Skill/Expertise/Competencies available with the board
Shri Srinivasan Sridhar	Accountancy, Banking, Economics, Finance, Information Technology, Payments and Settlement Systems, Human Resources, Risk Management, Business Management
Shri Ajay Kumar Srivastava	Agriculture and Rural Economy, Banking, Co-operation, , Small Scale Industry, Payment and Settlement System, Human Resources, Risk Management, Business Management, Credit and Finance.
Shri Joydeep Dutta Roy	Banking, Economics, Law, Information Technology, Human Resources, Business Management, Credit & Finance.
Shri Dhanaraj T	Agriculture and Rural Banking, Co-operation, Small Scale Industry, Information Technology, Human Resources
Ms Neelam Agrawal	Co-operation, Economics, Finance, Human Resources
Shri Thomas Mathew	Economics & Finance
Shri Suresh Kumar Rungta	Finance & Economics
Shri B Chandra Reddy	Accountancy
Shri Deepak Sharma	Law
Shri G Venkataramanan	Human Resources, Marketing & Business Management

e. Meetings of the Board:

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held 14 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

Bank has promoted an e-governance initiative for e-conduct of Board and Committee meetings by ensuring timely and seamless flow of information to Board members through the use of a Board Portal, a web based online workspace since 2012-13. Subsequently, web-based portal is shifted to IOB Online Committee module from FY 2024-2025. The portal offers Directors confidential e-access on iPads, on a real-time basis, to agenda papers. This initiative has transformed the way meetings are conducted while resulting in substantial savings in cost, time, and resources.

During the financial year 2025-26, the Board meetings were held 14 times on the following dates and places:

DATE OF MEETING	PLACE HELD
02.05.2025	Chennai
24.05.2025	Chennai
05.07.2025 (Strategy Board)	Kodaikanal
05.07.2025	Kodaikanal
17.07.2025	Chennai
18.07.2025	Chennai
22.08.2025	Chennai
15.10.2025	Chennai
16.10.2025	Chennai
28.11.2025 (Strategy Board)	Kovalam
29.11.2025	Kovalam
14.01.2026	Chennai
27.02.2026	Chennai
25.03.2026	Chennai

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments. Wherever Leave of Absence is being requested by Directors, leave of absence is marked. All meeting has taken place partially/fully in electronic mode throughout the FY 2025-26.

Attendance of the Directors at the Board meetings are furnished below:

Name of the Director	Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
Shri Srinivasan Sridhar	14	14
Shri Ajay Kumar Srivastava	14	13
Shri Joydeep Dutta Roy	14	12
Shri Dhanaraj T	14	14
Ms Neelam Agrawal	14	11
Shri Thomas Mathew	01	01
Ms Sonali Sen Gupta	13	10
Shri Suresh Kumar Rungta	14	14
Shri B Chandra Reddy	14	14
Shri Deepak Sharma	14	14
Shri Sanjaya Rastogi	11	11
Shri G Venkataramanan	03	03

Details of Shares held by Non-Executive Directors in terms of Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 as on 31.03.2026:

Name of the Director	Number of Shares
Shri G Venkataramanan	150

No other Non-Executive Directors hold any IOB shares.

f. Number of other Boards or Board Committees in which the Director is a member/Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies and IOB) in which he/she is a member/Chairperson of the Board (excluding alternate/nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
Shri Srinivasan Sridhar	1. Graphite India Limited 2. UTI Trustee Company Limited	**GRAPHITE INDIA LIMITED** 1. Audit Committee - as Chairman 2. Risk Management Committee - as Chairman. **UTI TRUSTEE COMPANY LIMITED** 1. Risk Management Committee - as Chairman
Shri Ajay Kumar Srivastava	Universal Sompo General Insurance Company	--
Ms Neelam Agrawal	1. National Credit Guarantee Trustee Company Limited. 2. West Bengal Gramin Bank	--
Shri Suresh Kumar Rungta	Swadeshi Plast Pvt Ltd	--

g. Membership in Committees:

Audit Committee of the Board, Risk Management Committee of Board, Information Technology Committee of the Board, Nomination and Remuneration Committee, Board Committee for Performance Evaluation and Stakeholder Relationship Committee, Special Committee of the Board for monitoring and follow up of cases of frauds are chaired by Independent Directors. In view of RBI/SEBI/DFS guidelines, reconstitution of the committees has been done as per extant guidelines.

3. Committees of the Board:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation. The minutes are also placed before the Board Meeting for recording.

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Audit Committee of the Board (ACB)
3. Risk Management Committee of the Board (RMCB)
4. Customer Service Committee of the Board (CSC)
5. Committee for Review of Disciplinary Cases & Departmental Enquiries (CRDC)
6. Information Technology Strategy Committee (ITSC)
7. Board Level Steering Committee on Human Resources (BLSCHR)
8. Board Level Committee to Monitor Recovery in NPA(BLCMRNPA)
9. Committee of Board for Consideration of Appeals (CBCA)
10. Stakeholder Relationship Committee of the Board (SRC)

11. Nomination and Remuneration Committee (NRC)
12. Special Committee of the Board for monitoring and follow up of cases of frauds (SCBMF)
13. Review Committee on Wilful Defaulters and Non-Co-Operative Borrowers (RCWDNCB)
14. Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)
15. Credit Approval Committee (CAC)
16. Board Level Committee for Compromise Settlements (BLCCS)

3.1 Management Committee of the Board

No. of Meeting held: 21

Dates of meeting:17.04.2025, 03.05.2025, 16.05.2025, 04.06.2025, 26.06.2025, 10.07.2025, 23.07.2025, 08.08.2025, 28.08.2025, 17.09.2025, 08.10.2025, 24.10.2025, 15.11.2025, 04.12.2025, 19.12.2025, 08.01.2026, 27.01.2026, 16.02.2026, 05.03.2026, 16.03.2026 and 24.03.2026.

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. The functions and duties of the MCB are as under:

a. Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded) as per quantum fixed by the Board

b. Loan and Interest Compromise/Write off proposals – as per quantum fixed by the Board.

c. Proposals for approval of capital and revenue expenditure

d. Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises.

e. Filing of suits/appeals, defending them etc.

f. Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting.

g. Donations

h. Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of MD & CEO/powers of Credit Approval Committee, as may be applicable.

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 21 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The Members who held office during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026 and the details of number of meetings attended during their tenure by each Committee member are as under:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Ajay Kumar Srivastava (Chairman)	01.01.2023	--	21	21
Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	21	20
Shri Dhanaraj T	10.03.2024	--	21	21
Ms Sonali Sen Gupta	14.07.2023	02.03.2026	18	04
Shri Thomas Mathew	03.03.2026	--	03	03
Shri Suresh Kumar Rungta	03.12.2025	--	08	08
Shri Sanjaya Rastogi	24.12.2024	02.12.2025	13	13

3.2 Audit Committee of the Board

No. of Meeting held: 07

Dates of meeting: 02.05.2025, 17.07.2025, 18.07.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 13.01.2026 and 14.01.2026.

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/SEBI. The Audit Committee of the Board (ACB) consists of only non-executive directors (NEDs). The Chair of the board is not member of the ACB. The meetings of the ACB is chaired by an independent director who is not chairing any other committee of the Board. The Chair of the ACB is not member of any committee of the board which has a mandate of sanctioning credit exposures. All members have the ability to understand all financial statements as well as the notes/ reports attached thereto and at least one member have requisite professional expertise/qualification in financial accounting or financial management [e.g. experience in application of accounting standards and practices, including internal controls around it].

Executive Directors are joining the meeting as Invitee which is approved by the Board.

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

- To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalization and quality control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of RBI.
- To review the internal inspection/audit function in the Bank the system, its quality and effectiveness in terms of follow up and also the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings
- To obtain and review quarterly/annual reports from Compliance Department on compliance of regulatory requirement of Regulators in Host Countries in respect of overseas branches.
- To review compliance report on the directives issued by ACB/Board/RBI
- To review and follow up on the report of the statutory audit and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual / quarterly financial statements and reports.
- To review and follow up all the issues/concerns raised in the Inspection reports of RBI i.e. RAR/RMP etc
- Review on exposures to sensitive sectors, i.e. capital market & real estate.
- Review of KYC/AML Guidelines- - (i) Review of implementation (ii) Review of compliance of concurrent audit reports with respect to adherence to KYC/AML guidelines at branches.
- Review of information on violations by various functionaries in the exercise of discretionary powers
- It should recommend the various policies in respect of Inspection and Audit/Accounting/Governance etc. of Bank for approval of Board in its meeting.
- To review calendar notes as approved by ACB

This Committee specially focuses on the follow-up of:

- Inter- Branch Adjustment Accounts
- Unreconciled long outstanding entries in Suspense, Sundries, Funds in Transit, clearing Inter - Bank Accounts, Nostro Accounts etc
- Frauds and all other major areas of house- keeping,
- Detailed report on fraudulent transactions relating to Internet Banking through phishing attacks pointing out in particular the deficiencies in the existing systems and steps taken by the IT department to prevent such cases,

In line with the suggestions of the Ministry of Finance, Government of India, the scope of the Audit Committee of the Board was broadened to include the following reviews of accounts at specific exposure levels as approved by the Audit Committee of the Board:

A) Potential NPA/stress cases as and when required.

B) High value loans which have been granted against a security which is not free from encumbrances

C) Cases of One-time settlement involving high value loans

D) High value accounts - to evaluate/re-evaluate the value and quality of security/collateral (both tangible and especially intangible) provided against the accounts.

The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges:

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.

- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the Bank's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing of Audit Plan and status of achievement thereof.
- Reviewing the Bank's Financial and Risk Management Policies.

Further as per Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 PART C, the role of the audit committee is defined which is part of Corporate Governance Policy.

The committee met 7 times during the year 2025-26.

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

The members who held office during the period 01.04.2025 to 31.03.2026 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri B Chandra Reddy (Chairman)	22.04.2025	--	07	07
Ms Sonali Sen Gupta	14.07.2023	02.03.2026	07	07
Shri Suresh Kumar Rungta	22.04.2025	02.12.2025	05	05
Shri Deepak Sharma	22.04.2025	--	07	07
Shri G Venkataramanan	03.12.2025	--	02	02

3.3 Risk Management Committee of Board

No. of Meeting held: 06

Dates of meeting: 20.06.2025, 21.08.2025, 21.11.2025, 23.12.2025, 28.01.2026 and 25.03.2026.

Meetings of Risk Management Committee of Board (RMCB) should be chaired by an independent director who is not Chair of the board or any other committee of the board. The Chair of the board may be a member of the RMCB only if he/she has the requisite risk management expertise. Role and Function of RMCB to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. The Committee will oversee the policy and strategy for integrated risk management relating to credit risk, market risk and operational risk. The Committee met 6 times during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

Number of Meetings attended by each Member of the Committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Suresh Kumar Rungta	22.04.2025	--	06	06
Shri Srinivasan Sridhar	12.03.2024	--	06	06
Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023	--	06	06
Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	06	05
Shri Dhanaraj T	10.03.2024	--	06	06
Shri B Chandra Reddy	22.04.2025	--	06	06
Shri Deepak Sharma	22.04.2025	--	06	06

3.4 Special Committee of the Board for Monitoring and Follow up of Cases of Frauds (SCBMF)

No. of Meeting held: 04

Dates of meeting: 04.06.2025, 21.08.2025, 21.11.2025 and 25.03.2026

SCBMF shall oversee the effectiveness of the fraud risk management in the bank. SCBMF shall review and monitor cases of frauds, including root cause analysis, and suggest mitigating measures for strengthening the internal controls, risk management framework and minimising the incidence of frauds. The coverage and periodicity of such reviews shall be decided by the Board of the bank. The Non-Executive Chairman presides over the meetings of the Committee. The Committee met 4 times during the period 01.04.2025 to 31.03.2026. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Srinivasan Sridhar	06.11.2024	--	04	04
Shri Ajay Kumar Srivastava	06.11.2024	--	04	04
Shri Joydeep Dutta Roy	06.11.2024	--	04	03
Shri Dhanaraj T	06.11.2024	--	04	04
Shri B Chandra Reddy	22.04.2025	--	04	04
Shri G Venkataramanan	03.12.2025	--	01	01
Shri Sanjaya Rastogi	19.03.2025	02.12.2025	03	03

3.5 Customer Service Committee

No. of Meeting held: 04

Dates of meeting: 19.06.2025, 21.08.2025, 21.11.2025 and 25.03.2026

Customer Service Committee of the Board, illustratively, could address the following: -

- formulation of a Comprehensive Deposit Policy
- issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his account

- product approval process with a view to suitability and appropriateness
- annual survey of depositor satisfaction
- triennial audit of such services. Besides, the Committee could also examine any other issues having a bearing on the quality of customer service rendered.
- To evaluate and review the level of customer services in the Bank. It shall also consider the new measures for improvement in Customer Services

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 4 times during the period 01.04.2025 to 31.03.2026. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023	--	04	04
Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	04	03
Shri Dhanaraj T	10.03.2024	--	04	04
Shri B Chandra Reddy	22.04.2025	--	04	04
Shri Deepak Sharma	03.12.2025	--	01	01
Shri Sanjaya Rastogi	19.03.2025	02.12.2025	03	03

3.6 Committee for review of disciplinary cases & departmental enquiries

No. of Meeting held: 04

Dates of meeting: 19.06.2025, 22.08.2025, 21.11.2025 and 25.03.2026

It reviews the vigilance/non-vigilances disciplinary and departmental enquires on quarterly basis and Quarterly progress for staff accountability Examination in fraud cases involving Rs 50 crore and above. The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 4 times during the period 01.04.2025 to 31.03.2026. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023	--	04	04
Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	04	04
Shri Dhanaraj T	10.03.2024	--	04	04
Ms Neelam Agrawal	05.08.2024	--	04	03
Ms Sonali Sen Gupta	14.07.2023	02.03.2026	03	02
Shri Thomas Mathew	03.03.2026	--	01	01

3.7 Nomination and Remuneration Committee

No. of Meeting held: 01

Dates of meeting: 05.11.2025

Nomination and Remuneration Committee (NRC) is carrying out necessary due diligence and arrive at the 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors as specified in RBI master Direction DBR. Appt. No. 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and as per Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Part D. It is also carrying out function of existing Remuneration Committee. NRC is constituted with only Non-Executive Directors (NED). The meeting of the NRC is chaired by an independent director. The Chair of the board is not chairing the NRC. The meeting of NRC is held as and when required. The Committee consists of 3 Non-Executive Directors

The Committee met once during the FY 2025-26 on 05.11.2025. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Deepak Sharma	22.04.2025	--	01	01
Shri Suresh Kumar Rungta	22.04.2025	--	01	01
Shri B Chandra Reddy	22.04.2025	--	01	01

3.8 Information Technology Strategy Committee

No. of Meeting held: 05

Dates of meeting: 19.06.2025, 21.08.2025, 23.12.2025, 28.01.2026 and 11.02.2026.

Information Technology Strategy Committee (ITSC) is deliberating on the IT policy of technology adoption by the Bank for leveraging the developments in IT to improve business. It reviews and monitor progress of major IT enabled business initiatives and Technical Architecture of the Bank. Detail role and function is defined in Corporate Governance Policy. The Chairman presides over the meetings of the Committee. At present, Shri Srinivasan Sridhar, part time non-official Director & Non-Executive Chairman is chairing the committee. The Committee had met 5 times during the period 01.04.2025 to 31.03.2026. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

The Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Srinivasan Sridhar	12.03.2024	--	05	05
Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023	--	05	05
Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	05	05
Shri Dhanaraj T	10.03.2024	--	05	05
Ms Neelam Agrawal	05.08.2024	--	05	02
Shri Deepak Sharma	22.04.2025	--	05	05

3.9 Board Level Steering Committee on Human Resources

No. of Meeting held: 05

Dates of meeting: 19.06.2025, 17.09.2025, 21.11.2025, 25.11.2025 and 27.01.2026.

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee had met 5 times during the period 01.04.2025 to 31.03.2026. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023	--	05	05
Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	05	05
Shri Dhanaraj T	10.03.2024	--	05	05
Ms Neelam Agrawal	05.08.2024	--	05	03
Shri Sanjaya Rastogi	29.12.2022	02.12.2025	04	04
Shri G Venkataramanan	03.12.2025	--	01	01
Dr T T Ram Mohan **	--	--	05	05

** He is not an appointed director. He has been nominated for this Committee as HR professional (Ex-IIM Professor) in line with DFS guidelines.

3.10 Review Committee on Wilful Defaulters & Non-Co-Operative Borrowers

No. of Meeting held: 06

Dates of meeting: 20.06.2025, 21.08.2025, 23.09.2025, 23.12.2025, 11.02.2026 and 16.03.2026.

MD & CEO is Chairing this committee from w.e.f. 13.08.2024 as per RBI Guidelines. The Committee met 6 times during the period 01.04.2025 to 31.03.2026. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Ajay Kumar Srivastava	13.08.2024	--	06	06
Shri Suresh Kumar Rungta	22.04.2025	--	06	06
Shri Deepak Sharma	22.04.2025	--	06	06

3.11. Stakeholders Relationship Committee

No. of Meeting held: 04

Dates of meeting: 24.05.2025, 21.08.2025, 21.11.2025 and 25.03.2026

The role of the Stakeholders Relationship Committee shall be as specified as in Part D of the Schedule II, SEBI LODR 2015, which is given below:

- Resolving the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.

The Committee met 4 times during the period 01.04.2025 to 31.03.2026. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Name of the Director	Tenure of membership		Number of meetings held during the Tenure	Number of meetings Attended
	From	To		
Shri Sanjaya Rastogi	29.12.2022	02.12.2025	03	03
Shri G Venkataramanan	03.12.2025	--	01	01
Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	04	02
Shri Dhanaraj T	10.03.2024	--	04	04
Shri Suresh Kumar Rungta	22.04.2025	--	04	04
Shri Deepak Sharma	22.04.2025	--	04	04

3.12 Board Level Committee to Monitor Recovery in NPA

No. of Meeting held: 08

Dates of meeting: 24.05.2025, 19.06.2025, 23.07.2025, 17.09.2025, 21.11.2025, 23.12.2025, 28.01.2026 and 25.03.2026.

Board Level Committee to Monitor Recovery In NPA(BLCMRNPA) is reviewing and monitoring the recovery in all NPA accounts. It also reviews the NPA Management and also progress/action taken report on various guidelines/directions given by Government of India in respect of stressed assets. The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 8 times during the period 01.04.2025 to 31.03.2026. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

3.13 Board Committee for Performance Evaluation:

No. of Meeting held: 02

Dates of meeting: 19.06.2025 and 21.11.2025

To evaluate the performance of Whole-time directors and Chief General Managers / General Managers in charge of internal control (such as Inspection & Audit, Compliance & Risk) as per DFS guidelines. The Committee met 2 times during the year 2025-26. Both the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments. All the members were present during the meeting.

3.14 Committee of Board for Consideration of Appeals:

Committee of Board for Consideration of Appeals act as an Appellate authority/Reviewing Authority in case of punishment/ Disciplinary action etc. is awarded to Executives where MD& CEO is the Disciplinary Authority (DA) or in his absence Executive Directors are Disciplinary Authority Wherever, MD& CEO is the Disciplinary Authority, he/she will not be the members of Committee for Appeal and Review. The Committee did not meet during the year 2025-26.

3.15 Credit Approval Committee of the Board

No. of Meeting held: 20

Dates of meeting:16.04.2025, 30.04.2025, 16.05.2025, 04.06.2025, 24.06.2025, 14.07.2025, 24.07.2025, 07.08.2025, 02.09.2025, 23.09.2025, 21.10.2025, 10.11.2025, 20.11.2025, 05.12.2025, 20.12.2025, 31.01.2026, 11.02.2026, 23.02.2026, 10.03.2026 and 30.03.2026.

The Credit Approval Committee has been constituted on 25.02.2012 by the Board of Directors in terms of the amendment of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 vide Notification No. S.0.2736(E) dated December 5, 2011. The Committee is empowered with specific financial powers for sanctioning of credit proposals and for settlement for Loan compromise/write off. Subsequently various directives have been received in respect of CAC. On basis of that, the committee was last reconstituted by Board on 25.06.2020.

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 20 times during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

3.16 Board Level Committee for Compromise Settlements

No. of Meeting held: 02

Dates of meeting: 04.06.2025 and 23.09.2025.

Based on RBI Framework for Compromise Settlements and Technical Write-offs dated 08.06.2023, Board Level Committee for Compromise Settlements was constituted on 23.07.2024. The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 02 times during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

4. Senior Management:

Particular of Senior Management including the changes therein since the close of the previous Financial year:

S. No.	Name	Designation
1	Shri Nataraj Karyampudi	Chief General Manager & Chief Compliance Officer
2	Shri Arabindra Mohan Banerjee	Chief General Manager
3	Shri Gopal S	Chief General Manager
4	Shri Koustuv Majumder	General Manager & Chief Risk Officer
5	Shri Sathia Narayanan B	General Manager & Chief Information Officer
6	Shri Sudhir Prasad Thakur	General Manager
7	Shri Dillip Kumar Barik	General Manager
8	Ms Selvarani V	General Manager
9	Shri Subodh Kumar	General Manager
10	Shri S Alagarsamy	General Manager
11	Shri Nitesh Kumar Sinha	General Manager
12	Shri Chandra Mohan Achary	General Manager
13	Shri Anil Kumar	General Manager
14	Ms Vijaya N	General Manager
15	Shri Velayutham K	General Manager
16	Shri Sriram G	General Manager
17	Shri Sikrilal V L	General Manager

4. Senior Management: (Contd.)

S. No.	Name	Designation
18	Shri Sanjay Kumar Singh	General Manager
19	Shri Sanjay Kishore	General Manager
20	Shri Gaurav Bhardwaj	General Manager
21	Shri Ranjay Kumar Mishra	General Manager
22	Shri Madhaw Chandra Jha	Deputy General Manager & Chief Financial Officer
23	Shri Deepak Kumar Tripathy	Deputy General Manager
24	Ms Sangeetha K	Deputy General Manager
25	Shri Premkumar S	Deputy General Manager
26	Shri Radhakrishnan S	Deputy General Manager & Chief Information Security Officer
27	Shri Harish Patel	Deputy General Manager
28	Shri Purna Chandra Satapathy	Deputy General Manager
29	Ms Sasikala B Prabhu	Deputy General Manager
30	Shri Rajesh MS	Deputy General Manager
31	Shri Amit Kumar	Deputy General Manager
32	Shri Parvinder Kumar Kochar	Deputy General Manager
33	Shri Narayan Prasad Nayak	Deputy General Manager
34	Shri Amit Srivastava	Deputy General Manager
35	Shri Atul Singh	Deputy General Manager
36	Shri Vikram Khera	Deputy General Manager
37	Shri Raghuram Mallela	Deputy General Manager & Company Secretary (w.e.f. 27.02.2026)
38	Shri Lakshmi Venkatesh R	General Manager (Demitted office on Superannuation on 30.04.2025)
39	Shri Mohan M	General Manager (Demitted office on Superannuation on 31.05.2025)
40	Shri Suresh P	General Manager (Demitted office on Superannuation on 31.10.2025)

5. Remuneration to Directors:

The details of salary paid to the Whole-time directors of the Bank, during the year 2025-26 are as under:

S. No.	Name of the Whole Time Director	Remuneration * (2025-26)
1	Shri Ajay Kumar Srivastava (MD & CEO)	₹66,55,812.00
2	Shri Joydeep Dutta Roy (ED)	₹58,18,092.00
3	Shri Dhanaraj T (ED)	₹74,15,522.72

*Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

6. Sitting Fees to Directors:

The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors except sitting fee which was revised & fixed by the Board in its meeting held on 29.11.2025 in line with DFS notification No. 15/I/2011- BO.I dated 28.10.2025 which is ₹60,000/-

per Board Meeting and ₹30,000/- per Committee Meeting and additional Fee of ₹15,000/- for chairing Board Meeting and ₹7,500 for chairing Board Committee meeting.

The details of Sitting Fees paid to the during the year 2025-26 are as under:

S. No.	Name of the Director	2025-26
1	Shri Srinivasan Sridhar	₹12,77,500
2	Shri Suresh Kumar Rungta	₹14,77,500
3	Shri B Chandra Reddy	₹12,00,000
4	Shri Deepak Sharma	₹15,15,000
5	Shri Sanjaya Rastogi (upto 02.12.2025)	₹11,35,000
6	Shri G Venkataramanan (w.e.f 03.12.2025)	₹3,67,500
7	Shri Thomas Mathews (w.e.f 03.03.2026)	₹1,50,000

7. General Meeting:

Details of General Meetings held during the last three years are given here in below:

S. No.	01
Nature of Meeting	23rd AGM
Date, Day & Time of Meeting	07.07.2023 Friday, 11.00 AM
Venue	Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600002 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)

a) Adoption of Audited Balance Sheet of the Bank as of 31st March 2023 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2023, together with the Directors' Report and the Auditors' Report thereon. (Ordinary Resolution)

b) Appointment of Shri Ajay Kumar Srivastava as Managing Director & CEO. (Ordinary Resolution)

c) Appointment of Shri Sanjay Vinayak Mudaliar, as Executive Director (Ordinary Resolution)

d) To raise paid up equity capital of ₹1000 Crore through various options available(QIP/FPO/Right issues/ESPS etc.) Special Resolution)

S. No.	02
Nature of Meeting	24th AGM
Date, Day & Time of Meeting	02.07.2024 Tuesday, 11.00 AM
Venue	Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600002 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)

a) Adoption of Audited Balance Sheet of the Bank as of 31st March, 2024, the Profit and Loss account, Cash Flow Statement for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. (Ordinary Resolution)

b) Appointment of Shri. Srinivasan Sridhar as Part time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank. (Ordinary Resolution)

c) Appointment of Shri Joydeep Dutta Roy as Executive Director of the Bank. (Ordinary Resolution)

d) Appointment of Shri Dhanaraj T as Executive Director of the Bank. (Ordinary Resolution)

e) Appointment of Shri Kartikeya Misra as Non-Executive Director (Government Nominee Director) of the Bank. (Ordinary Resolution)

f) Appointment of Ms Sonali Sen Gupta as Non-Executive Director (RBI Nominee Director) of the Bank. (Ordinary Resolution)

g) To raise paid-up equity capital upto ₹5000 crores, in one or more tranches, by way of Follow-on Public Offer/Rights Issue/ Qualified Institutional Placements/Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021/Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies/Mutual Funds/QIBs or any other mode or combination thereof. (Special Resolution)

S. No.	03
Nature of Meeting	25th AGM
Date, Day & Time of Meeting	02.07.2025 Wednesday, 11.00 AM
Venue	Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600002 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)

a) Adoption of Audited Standalone&Consolidated Balance Sheet of the Bank as of March 31,2025, Standalone & Consolidated Profit and Loss account and Cash Flow Statement for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. (Ordinary Resolution)

b) Appointment of Ms Neelam Agrawal as Non-Executive Director (Government Nominee Director) of the Bank.(Ordinary Resolution)

c) Appointment (Renomination) of Shri Deepak Sharma as the Part-Time Non-Official Director of the Bank. (Special Resolution)

d) Appointment (Renomination) of Shri B. Chandra Reddy as the Part-Time Non-Official Director of the Bank. (Special Resolution)

e) Appointment (Renomination) of Shri Suresh Kumar Rungta as the Part-Time Non-Official Director of the Bank. (Special Resolution)

f) Appointment of M/s Srinidhi Sridharan & Associates, Company Secretaries as Secretarial Auditor of the Bank for an audit period of 5 years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-30. (Ordinary Resolution)

g) To raise equity share capital up to ₹4,000 crores (including share premium, if any), in one or more tranches, by way of Follow-on Public Offer/Rights Issue/Qualified Institutional Placements/Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021/Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies/Mutual Funds/QIBs or any other mode or combination thereof during the Financial Year 2025-26. (Special Resolution)

h) To create, grant, offer, issue and allot such number of equity shares of the face value of ₹10 each within the aggregate issue size of ₹4,000 crores (including share premium, if any) as per the capital raising plan approved by the Board of the Bank for FY 2025-26, in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside India under Employees Share Purchase Scheme hereinafter referred to as IOB-ESPS 2025-26. (Special Resolution)

- EGM for election of one shareholder director was scheduled on 20.11.2025 and the same was cancelled due to receipt of only one valid nomination against one existing vacancy.

- No Special resolution was passed during last three previous years through Postal ballots.

The following Directors were present in the last Annual General Meeting of the Bank held on 02.07.2025.

S. No.	Name of Director	Designation
1	Shri Srinivasan Sridhar	Chairman
2	Shri Ajay Kumar Srivastava	Managing Director & Chief Executive Officer
3	Shri Joydeep Dutta Roy	Executive Director
4	Shri Dhanaraj T	Executive Director
5	Shri Deepak Sharma	Independent Director
6	Shri B Chandra Reddy	Independent Director
7	Shri Sanjaya Rastogi	Shareholder Director

8. Means of Communication:

- Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances through publication in newspapers, intimation to Stock Exchanges, press releases, presentations to Analysts and through website at www.iob.bank.in. The Bank also displays official news releases, presentations made to institutional investors, analysts on its website.

- The quarterly financial results are published in a national daily, Hindi daily and a regional vernacular daily in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR). The details and dates of publication are as under:

Quarter ended	Hindi daily	Tamil daily	English Daily	Date of Publication
30.06.2025	Jansatta	Dinakaran	Economic Times	19.07.2025
30.09.2025	Business Standard	Dinakaran	Business Standard	17.10.2025
31.12.2025	Business Standard & Jansatta	Dinakaran	Business Standard & Financial Express	15.01.2026
31.03.2026	Rajasthan Patrika	Dinamalar	Economic Times, Times of India and Mint.	30.04.2026

9. General Shareholder Information:

a) AGM: Date, Time, and Venue:

Date	Tuesday, July 07, 2026
Time	11.00 am(IST)
Venue	Virtual Mode (Through Video Conferencing)

b) Financial Year:

01st April 2025 to 31st March 2026.

c) Dividend Payment Date:

NA

d) Unpaid Dividend:

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, has incorporated a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 on Unpaid dividend of banks and Ministry of Corporate Affairs had advised the process to be followed by banks for transferring the Unpaid Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB and hence such monies, which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years, shall be transferred to IEPF:

Dividend for the year	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c	Due Date for Transferring to Government (IEPF)
	Nil	

e) The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:

Bombay Stock Exchange Limited Floor 1, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001	**National Stock Exchange of India Ltd** Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051

Annual Listing Fees for the year 2025-26 have been paid to the stock exchanges within the prescribed due dates.

f) Registrar & Share Transfer Agent:

Cameo Corporate Services Limited
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building,
V Floor No.1 Club House Road, Chennai-600 002
Tel: 044-4002 0700
Online Investor Portal: https://wisdom.cameoindia.com
website: www.cameoindia.com

g) Distribution of shareholding as on 31.03.2026:

S. No.	Category	No. of Shareholders	No. of Shares	% of holding
PROMOTERS HOLDING				
1	Government of India (President of India)	01	17,80,04,88,299	92.44
	Sub-Total (1)	**01**	**17,80,04,88,299**	**92.44**
NON-PROMOTERS HOLDING				
2	Institutional Investors (Domestic)			
	Mutual Funds	16	4,19,44,173	0.22
	Banks, Financial Institutions	09	4,34,09,687	0.23
	Insurance Companies	05	71,68,81,177	3.72
	Other Financial Institutions	03	2,18,60,991	0.11
	Alternate Investment Funds	01	1,212	0.00
	Sub-Total (2)	**34**	**82,40,97,240**	**4.28**

S. No.	Category	No. of Shareholders	No. of Shares	% of holding
3	Institutional Investors (Foreign)			
	Foreign Portfolio Investor	45	8,31,69,620	0.43
	Sub-Total (3)	**45**	**8,31,69,620**	**0.43**
4	Non- Institutional Investors			
	Key Managerial Person	01	5,401	0.00
	Individuals	9,49,468	46,21,65,870	2.41
	NRI	5,319	1,14,48,273	0.06
	Bodies Corporate	1,076	2,05,89,903	0.11
	Overseas Corporate Body	01	48,000	0.00
	ESOP/ESOS/ESPS	7,595	3,71,85,450	0.19
	HUF	4,656	1,41,03,458	0.07
	Trusts	19	6,35,802	0.00
	Director and their Relatives	04	24,262	0.00
	Clearing Members	04	27,917	0.00
	LLP	74	25,98,800	0.01
	Others	01	1,500	0.00
	Sub-total (4)	**9,68,218**	**54,88,34,636**	**2.85**
GRAND TOTAL		**9,68,298**	**19,25,65,89,795**	**100.00**

h) Distribution Of Shareholding:

i. Distribution schedule as on 31.03.2026 (Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.)

Shareholding of Shares	No. of Shareholders	% to Total No. of Shareholders	No. of Shares	% to Total
Between 10 - 5000	8,23,433	85.03	8,53,46,756	0.44
Between 5001 - 10000	68,975	7.12	5,58,02,384	0.29
Between 10001 - 20000	36,,012	3.72	5,37,98,023	0.28
Between 20001 - 30000	12636	1.30	3,22,52,929	0.17
Between 30001 - 40000	5,831	0.60	2,08,45,833	0.11
Between 40001 - 50000	4,986	0.51	2,35,67,513	0.12
Between 50001 - 100000	10,238	1.06	7,67,18,036	0.40
100001 - and above	6,254	0.65	18,90,82,58,321	98.19
Total	**9,68,365**	**100.00**	**19,25,65,89,795**	**100.00**

ii. Share Holding of persons belonging to the category “Public” and holding more than 1% of the total number of shares:

Name of Shareholder	No. of Shares	% of Holding
Life Insurance Corporation of India	71,22,77,549	3.70

iii. Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 5% of the total number of shares:

Name of Shareholder	No. of Shares	% of Holding
	Nil	

iv. Statement showing details of locked-in shares:

Name of Shareholder	No. of locked-in shares	Locked-in shares as a percentage of total number of shares
	Nil	

v. Foreign Shareholding as on 31.03.2026:

S. No.	Category	As on 31.03.2026		As on 31.03.2025	
		No. of shares	% To total capital	No. of shares	% To total capital
1	Foreign Institutional Investors	0.00	0.00	0.00	0.00
2	OCBs	48,000	0.00	48,000	0.00
3	NRIs	1,14,48,273	0.01	89,33,984	0.01
4	Foreign Portfolio Investor	8,31,69,620	0.04	4,25,85,060	0.02
Total		**9,46,65,893**	**0.05**	**5,15,67,044**	**0.03**

vi. Top Ten shareholders of the Bank as on 31.03.2026:

S. No.	NAME OF SHAREHOLDERS	No of Shares held	% of Total holding
1	PRESIDENT OF INDIA	17,80,04,88,299	92.44
2	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	71,22,77,549	3.70
3	VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	2,02,38,951	0.11
4	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,68,89,358	0.09
5	NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON INDIA ETF NIFTY PSU BANK BEES	1,59,59,254	0.08
6	UCO BANK	1,37,15,553	0.07
7	NPS TRUST- A/C LIC PENSION FUND SCHEME - STATE GOVT	1,35,07,486	0.07
8	BANK OF BARODA	1,24,38,977	0.06
9	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	1,05,95,361	0.06
10	GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL	1,05,36,482	0.05
Total		**18,62,66,47,270**	**96.73**

i) Dematerialization of Shares:

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders (Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.) as on 31.03.2026 are as under:

Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares held	% on Total Paid up
CDSL	7,18,348	18,10,13,86,739	94.00
NSDL	1,95,969	1,13,20,65,056	5.88
PHYSICAL	73,496	2,31,38,000	0.12
TOTAL	**9,87,813**	**19,25,65,89,795**	**100.00**

The Bank has sent various communications to its shareholders holding shares in physical form to dematerialize the same. As a result, 1610 shareholders dematerialized their 7,16,700 shares held in physical form during the year 2025-26.

We request the shareholders to demat their physical holding. For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participants, where they maintain demat accounts.

Benefits of dematerialization are as follows:

- Hassle free transfer
- No threat of loss of share certificate
- Direct and prompt credit of Dividend/Corporate benefits
- Nomination facility
- Direct application through ASBA/IPO, etc.

Shareholders holding shares in Physical/Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank/their respective Depository Participant to support the green initiatives.

Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16.03.2023 in supersession of SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, email address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA:

S. No.	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting out of Nomination 4 Form
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

Unclaimed shares held in Demat Account:

The position of shares held in the unclaimed suspense account is mentioned below:

Details	No. of shareholders	No. of Shares
Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in unclaimed suspense account at the beginning 01.04.2025	218	54,400
Number of Shareholders who approached for transfer of shares from unclaimed suspense account during the year	0	0
Number of Shareholders to whom shares were transferred from the unclaimed suspense account	0	0
Aggregate Number of Shareholders and the outstanding shares lying in the unclaimed suspense account at the end of 31.03.2026	218	54,400

The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

j) Reconciliation of Share Capital Audit Report:

As stipulated by SEBI, a Practicing Company Secretary carries out Audit to reconcile the total admitted capital with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the total issued and listed capital of Bank. This audit is carried out every quarter and the report thereon is submitted to the Stock Exchanges where the Bank's shares are listed. The audit confirms that the total Listed Capital and Paid-up Capital is in agreement with the aggregate of the total number of shares in dematerialized form (held with NSDL and CDSL) and total number of shares in physical form.

k) Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments.

l) The Bank has raised non-convertible bonds in the nature of Debentures/Promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2026 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (₹ in Cr)	Tenor (in months)	Coupon %	Redemption Date
		Basel III Tier II Bonds			
III	24.09.2019	500.00	120	9.0802	24.09.2029
IV	31.03.2022	665.00	120	8.60	31.03.2032#
V	24.03.2023	1000.00	120	9.00	24.03.2033#
VI	23.01.2026	1000.00	120	7.80	23.01.2036*

#Call option available at the end of 5 years and on subsequent coupon payment date (with prior approval of RBI).

m) Debenture Trustee to the Issue:

The Bank has appointed M/s. IDBI Trusteeship Services Limited, Mumbai, as Bond Trustees to for Series III, Series IV & Series VI Bond Issues and has appointed SBI Cap Trustee Company Limited, Mumbai as Bond Trustees to for Series V Bond issues to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees is given below:

IDBI Trusteeship Services Ltd., Asian Building, 17 R Kamani Road, Ballard Estate, Fort, Mumbai-400 001 Contact Details: Mr. Krishnakant Senior Manager 022-40807000	**SBICAP Trustee Company Limited** Mistry Bhavan, 4th Floor, 122 Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 Contact Details: Aditya Kapil 022 4302 5500/5566 022 4302 5525 www.sbicaptrustee.com

n) Credit Ratings:

- **Basel III Tier II Bonds as on 31.03.2026**

Name of the Rating Agency	BASEL III TIER II BONDS			
	SERIES III INE565A08035 ₹500 Crores	SERIES IV INE565A08043 ₹665 Crores	SERIES V INE565A08050 ₹1000 Crores	SERIES VI INE565A08068 ₹1000 Crores
CRISIL Limited	AA/STABLE			
ICRA Limited			AA/STABLE	AA/STABLE
INDIA Ratings	AA/POSITIVE	AA/POSITIVE		
CARE Ratings		AA/STABLE	AA/STABLE	AA/STABLE

Previous Credit Rating for all Series of Basel III Tier II Bonds by all Credit Rating Agency is AA/Stable for the FY 2024-25.

- **Certificate of Deposits:**

Name of the Rating Agency	Instrument Type	Amount	Rating
CARE Ratings	Certificate of Deposits	₹20000 Crores	CARE A1+ (A One Plus)

- **Long-term Issuer Rating**

Rating Agency	Rating
India Ratings	AA/Positive

- **Global Credit Rating- M/s Fitch Ratings**

Key Rating Component	Rating
Issuer Default Rating	BBB-/Stable/F3
Viability Rating	bb

- **Global Credit Rating- M/s S&P Global Ratings Singapore Pte**

Key Rating Component	Rating
Issuer Credit Rating	BBB/Stable/A2
Standalone Credit Profile (SACP)	bbb-

o) Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer Agents. Shareholders may lodge documents, grievances and complaints at their address:

Cameo Corporate Services Limited
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building,
V Floor No.1 Club House Road, Chennai-600 002
Tel: 044-4002 0700
Online Investor Portal: https://wisdom.cameoindia.com
website: www.cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office to handle the complaints and service requirements of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank
Investor Relations Cell
Central Office, 763, Anna Salai
Chennai-600 002
Tel: 044-2888 9221, 7172 9791, 2888 9360,
email: investor@iob.bank.in

10. Other Disclosures:

- Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoter/Directors, Management, their relatives etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large.

- The Bank has complied with all matters related to Capital Market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities on any matter related to Capital Markets, pertaining to the last three years.

- The Bank being one of the Nationalized Banks, has complied with the requirement of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable/compliable.

- The Bank is committed to the highest standards of ethics, integrity and professionalism in all the activities and operations that it conducts and has defined systems and procedures in place to root out corruption, malpractices and abuse of authority by the employees. officers in the Bank. The Bank encourages an open and transparent system of working and dealings between the members of staff/officers, customers and members of general public coming into contact with the Bank. The Bank comes within the purview of Central Vigilance Commission. As such, the Bank has framed a Whistle Blower Policy in line with the Govt. of India guidelines in this regard. The policy namely 'Whistle Blower Policy' aims at quickly spotting aberrations and dealing with it in the shortest possible time. It has been disseminated among the employees and officers of the Bank ensuring them full confidentiality against disclosure of names and protection to the Whistle Blower against any personal vindictive actions such as humiliation, harassment or any other form of unfair treatment or subjecting to any kind of loss on account of his public interest disclosures.

  The content of the policy is made available on Bank's website https://www.iob.bank.in/en/disclosures-under-regulation-46-62-of-the-lodr-regulations

  No personnel of the Bank has been denied access to the Audit Committee.

- The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities. The details of penalties levied by RBI/Statutory authorities have been disclosed in the notes to accounts.

- The policies related to the provisions of Corporate Governance (Corporate Governance Policy and Policy for Related Party Transactions have been uploaded on the site of the Bank and the same can be viewed at the following link: https://www.iob.bank.in/en/disclosures-under-regulation-46-62-of-the-lodr-regulations

- There are no material subsidiaries of the Bank as on 31.03.2026.

- Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives/firms/companies in which they are interested are discussed.

- The Bank's Non-Executive Directors do not have any pecuniary relationship or transaction with the Bank except to the extent of transactions done in the normal course of banking business and the sitting fees paid to them by the Bank for their attendance in the Board and Committee meetings of the Board of the Bank

- Bank has appointed M/s Srinidhi Sridharan & Associates, Practicing Company Secretaries for Annual Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report for the period of 5 years till Financial year 2029-2030.

Annual Secretarial Audit Report will form part of the Annual report of the Bank.

- A Certificate from M/s Srinidhi Sridharan & Associates, Practicing Company Secretaries certifying that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by SEBI/Ministry of Corporate Affairs or any such Statutory/Regulatory Authority is attached and form part of the Annual Report.

- Non-compliance of any requirement of corporate governance report of sub-paras (2) to (10) of **Annexure-V** of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015: Nil

- Commodity price risks and commodity hedging activities - Not Applicable.

- Utilization of Fund raised by the Bank through preferential allotment or Qualified Institutions Placement (QIP): Nil

- During the Financial Year 2025-26, Bank has raised capital by issue of Basel III Tier II Bonds to the tune of ₹1,000 Crore through private placements, subscribed by QIBs.

- During the FY 2025-26, there were no such instances, where the Board did not accept recommendations of the Committee of the Board which are mandatorily required. All the recommendations that are mandatorily required were approved by the Board.

- A Compliance Certificate from the Managing Director & CEO of the Bank and Chief Financial Officer as stipulated under Regulation 33(2) read with Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been placed before the Board for each quarter and will be annexed to the Annual Report of the Bank.

- Total Professional Fee and other expenses paid to Statutory Auditors for the Financial Year 2025-26 is Rs. 50,73,70,343.94.

- In line with the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules made there under, the Bank has formulated a policy for prevention of Sexual Harassment of Women at workplace. During the financial year 2025-26

Particulars	No.
Number of complaints filed during the financial year	01
Number of complaints disposed of during the financial year	00
Number of complaints pending at the end of the financial year	01

- The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and will be annexed to the Annual Report of the Bank.

- In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in Shares of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and the Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank was kept closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

Dates of closure of trading window	Purpose of closure
1st April 2025 to 4th May 2025	Declaration of Financial Results for the year ended 31st March 2025.
1st July 2025 to 20th July 2025	Declaration of Financial Results for the quarter ended 30th June 2025.
1st October 2025 to 18th October 2025	Declaration of Financial Results for the quarter ended 30th September 2025.
1st January 2026 to 16th January 2026	Declaration of Financial Results for the year ended 31st December 2025.

- The Non-Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.

- The Dividend Distribution Policy of the Bank form part of the Annual Report and is available on the Bank's website at https://www.iob.bank.in/documents/d/guest/dividend-distribution-policy

- Details of familiarization programs for Directors have been given on the Bank's website at https://www.iob.bank.in/en/fpiid

- We have complied with corporate governance requirements specified in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of Regulation 46 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, as amended.

- Disclosure of certain types of agreements binding listed entities under clause 5A of paragraph A of Part A of Schedule III of these regulations: No such agreements were entered into during FY 2025-26.

11. The extent of implementation of Discretionary Requirements of Regulation 27(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:

S. No.	Discretionary Requirements	Status of Implementation
1	**The Board:** A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Yes
2	Shareholders Rights	The financial results are displayed in our website.
3	Audit Qualification	The Bank is having unqualified financial statements.
4	Separate post of Chairman and the Managing Director or the CEO	The post of Chairman and Managing Director of Public Sector Banks has been bifurcated by the Government of India into a Non-Executive Chairman to give an overall policy direction to the Bank and a full-time executive Managing Director & CEO to oversee the day-to-day functioning of the Bank.
5	Reporting of Internal Auditor	Internal Auditor is reporting to the Audit Committee of the Board.

For and on behalf of the Board of Directors

Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & CEO

Annexure - I

Brief Profile of the Directors of the Bank

1. SHRI SRINIVASAN SRIDHAR, NON-EXECUTIVE CHAIRMAN & PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR (D.O.B: 03.05.1960)

Shri Srinivasan Sridhar joined Indian Overseas Bank as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman w.e.f 21.02.2024. Shri Srinivasan Sridhar was on the board of Bank of Baroda as Shareholder director from 2018 till his time of assumption of his current role. Shri Srinivasan Sridhar is a B. Com (Hons.) graduate from Delhi University and is also a Qualified Chartered Accountant.

Shri Srinivasan Sridhar is a financial services expert with over 30 years of experience gained internationally and in India. He was with Citigroup for 28 years and has worked in 6 countries across Asia, Africa, and Europe. Some of the leadership positions he held with Citigroup included being CEO for three countries, Corporate Bank Head for India, Transaction Services Head for Africa and Bank Services Group Head for Central, Eastern Europe, Middle East, and Africa. He also brings deep banking experience and track record from around the globe in areas such as Corporate and Investment Banking, Product Management, Risk Management, Governance and Regulatory Compliance.

- Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.
- Other Directorships: Graphite India Ltd and UTI Trustee Company Pvt Ltd.

2. SHRI AJAY KUMAR SRIVASTAVA, MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER (D.O.B: 15.10.1967)

Shri Ajay Kumar Srivastava has assumed charge as Managing Director and CEO of Indian Overseas Bank with effect from 01.01.2023 from his posting as Executive Director of the bank since 09.10.2017.

He started his banking career as Probationary officer in 1991 with Allahabad Bank where he worked in various capacities in different parts of the country. He is an astute and hardcore banker with vast field level experience and has the distinction of having successfully led the largest and most critical areas of Uttar Pradesh, Gujarat and Delhi while working at senior level in Allahabad Bank.

After successful completion of about 27 years in Allahabad Bank he was elevated as Executive Director by Government of India, and he joined Indian Overseas Bank on 09.10.2017.

At Indian Overseas Bank as Executive Director, he had a very challenging journey. Bank was incurring losses since 2014, was in PCA since 2015 and financial parameters were in bad shape besides many other challenges. He made strategies for each of the key areas and successfully implemented them at the ground level with the support of the Board. He served the Bank as Executive Director for more than five years and handled all the departments and portfolios during the period. The highlight of his stint as Executive Director is that he had played a very key role in bringing the Bank out of loss in March 2020 and out of PCA in September 2021. Moreover, he was the only Executive Director in the Bank for about 14 months during 2020-2021.

He was also Director on the Board of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) by Government of India for two years. He has also served as Director on the Board of Regional Rural Bank in his previous Bank.

- Shareholding in Indian Overseas Bank: He holds 8,182 Shares of our Bank.
- Other Directorships: Universal Sompo General Insurance Co ltd.

3. SHRI JOYDEEP DUTTA ROY, EXECUTIVE DIRECTOR (D.O.B: 01.07.1972)

Shri Joydeep Dutta Roy assumed charge as Executive Director of Indian Overseas Bank w.e.f. 31.01.2024. A career Banker for around 28 years, he joined Bank of Baroda in the year 1996.

After completing very successful stints in Bank of Baroda as the Head of HR, Regional Head of Bank's Dehradun and Bareilly Regions, Head of Integration at the time of amalgamation of erstwhile Dena and erstwhile Vijaya Banks with Bank of Baroda, he was elevated to the position of Chief General Manager and was posted in the Office of the MD & CEO of the Bank. As a Chief General Manager, he was in charge of strategy formulation & implementation in the Bank and for conducting Bank level and Vertical level reviews apart from managing the Subsidiaries & Joint Ventures of the Bank, post which, he was appointed as an Executive Director by the Government of India w.e.f. 21.10.2021.

As Executive Director in Bank of Baroda, he has held charge of various critical portfolios of the bank viz. Retail Banking Business (Assets & Liabilities), Wealth Management and NRI Business, Risk, Finance and Planning functions, HRM, IT & Digital, Inspection & Audit, Compliance, Credit Monitoring, Collections, Subsidiaries & Joint Ventures, Operations & Services, Enterprise Data Management, among others in the bank.

He has also served as a director on the board of National e Governance Services Ltd (NeSL), PSB Alliance Ltd, India First Life Insurance Company Ltd, The Nainital Bank Ltd, Baroda Global Shared Services Ltd, BOB Cards Ltd and Bank of Baroda Tanzania Ltd besides being a Non-Executive Chairman of the Boards of Baroda-BNP Paribas Asset India Pvt Ltd and Bank of Baroda (UK) Ltd.

Shri Joydeep Dutta Roy holds an Honours degree in Economics from Delhi University, besides being a law graduate and an MBA from the Narsee Monjee Institute of Management Studies in Mumbai.

- Shareholding in Indian Overseas Bank: He holds 8,096 Shares of our Bank.
- Other Directorships: Nil.

4. SHRI T DHANARAJ, EXECUTIVE DIRECTOR (D.O.B: 20.05.1970)

Shri T. Dhanaraj has assumed charge as Executive Director of the Bank on 10.03.2024. Prior to this, he was Chief General Manager (CDO/CLO) in Indian Bank. Shri T. Dhanaraj joined Indian Bank as Rural Development Officer in 1994.

During his long stint in the Banking Industry, he gained varied exposures in important spheres of Banking viz., as a Branch Head of Rural & Corporate Branches, Agriculture Credit, MSME and Human Resources. He played a crucial role during the amalgamation of erstwhile Allahabad Bank with Indian Bank in all HR related matters. As the Head of HR in the amalgamated entity, transformation of HR practices was carried out meticulously by implementing Performance Management System (PMS) to drive efficiency.

During his stint as Head of Rural Banking Department, he was instrumental in collaborating with IIT, Madras for Agri. Incubation for financing Agri. Start-ups and initiated Agri Co-lending models. As Chairman of RRB, he successfully completed amalgamation of Pallavan Grama Bank & Pandian Grama bank which eventually came to be known as Tamil Nadu Grama bank. He was also a Director on the Board of NABKISAN, a Subsidiary of NABARD and on the Board of Saptagiri Grameena Bank, an RRB sponsored by Indian Bank.

Shri T Dhanaraj holds an Agricultural Engineering Degree from Tamil Nadu Agricultural University besides holding other Professional qualifications viz., CAIIB, 'Leadership Development Program' management course for leaders of PSU banks conducted by IIM Bangalore. He has also attended & completed 'Executive program in HR Analytics'(EPHRA) from IIM, Lucknow.

- Shareholding in Indian Overseas Bank: He holds 7,834 Shares of our Bank.
- Other Directorships: Nil.

5. Ms NEELAM AGRAWAL, GOVT. NOMINEE DIRECTOR (D.O.B: 07.11.1979)

Ms. Neelam Agrawal is an officer of 2008 batch of Indian Revenue Service. Ms Neelam Agrawal has been appointed as Government of India Nominee Director on the Board of Indian Overseas Bank w.e.f 05.08.2024.

Ms. Neelam Agrawal is currently posted as Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. She has a wide experience of more than a decade of handling various challenging assignments in the Income Tax Department. Ms. Neelam Agrawal is a graduate from Ranchi University. Prior to joining Indian Revenue Service, she was selected for Jharkhand Administrative Service and served in the State of Jharkhand for a couple of years.

- Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.
- Other Directorships: National Credit Guarantee Trustee Company Limited and West Bengal Gramin Bank

6. SHRI THOMAS MATHEW, RBI NOMINEE DIRECTOR (D.O.B: 13.11.1965)

Shri Thomas Mathew retired as the Principal Chief General Manager of Reserve Bank of India at the end of November 2025. At the time of retirement, he was the Regional Director of RBI for Kerala and Lakshadweep. Prior to that, Shri Thomas Mathew was Chief General Manager in the Department of Regulation (DoR) of RBI and was also the Regional Director of RBI for Jammu & Kashmir and Ladakh. He joined the Reserve Bank in 1990 as an Officer in Grade B and has worked in different departments including Currency Management (Issue Department), Clearing House, Department of Banking Supervision, etc., in different offices and the Central Office of RBI. He had earlier served as RBI Nominee Director on the Board of Central Bank of India and Additional Director on the Board of Tamilnad Mercantile Bank.

- Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.
- Other Directorships: Nil.

7. SHRI SURESH KUMAR RUNGTA, PART TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR (D.O.B: 07.07.1956)

Shri Suresh Kumar Rungta has been renominated as Director of Indian Overseas Bank on 11.04.2025. He has actively participated in various social activities in the State of Bihar as Treasurer. He has also actively participated as member of Advisory Committee of Bihar VAT (since 2005). Further he has authored several books.

He has regularly contributed in leading Hindi dailies like AAJ, Dainik Jagran, Hindustan, Prabhat Khabar and other on Economic, Rural Development and Agricultural related issues of Bihar.

- Shareholding in Indian Overseas Bank: Nil.
- Other Directorships: Swadeshi Plast Pvt Ltd

8. SHRI B. CHANDRA REDDY, PART TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR (D.O.B: 14.04.1958)

Shri B.Chandra Reddy has been Re-Nominated as Director of Indian Overseas Bank w.e.f 11.04.2025. He has vast experience in Auditing. Prior to this he was Statutory Bank Auditor in Union Bank of India during 2020-2021. Further he also worked in various capacities in different Private Sector Companies.

- Shareholding in Indian Overseas Bank: Nil.
- Other Directorships: Nil.

9. SHRI DEEPAK SHARMA, PART TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR (D.O.B: 31.07.1976)

Shri Deepak Sharma has been renominated as Director of Indian Overseas Bank w.e.f 11.04.2025. He has vast experience in Real Estate Industry Exposure. Further he has relevant Experience in Unique Combination of Finance, Legal & Compliance, Leadership Skills, Project Management and Operations. Further he also worked in various capacities in different Private Sector Companies.

- Shareholding in Indian Overseas Bank: Nil.
- Other Directorships: Nil.

10. SHRI G. VENKATARAMANAN, PART TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR (D.O.B: 24.07.1965)

Shri G. Venkataramanan has been appointed as Shareholder Director of the Bank representing the Shareholders other than the Government of India w.e.f 03.12.2025. Shri G Venkataramanan is a seasoned executive with over 35 years of experience, primarily in the Life insurance sector, covering various operational and strategic areas. His leadership played a key role in strengthening the South Zone of the Life Insurance Corporation of India (LIC), positioning it as a leader across multiple business verticals, particularly in Bancassurance, Group Business, and Customer

Relationship Management including Claim Settlements. Under his leadership, several pioneering initiatives were introduced, focusing on building long-term client relationships from onboarding to claim settlement. These initiatives were supported by robust data analytics and customer base insights that enhanced Client engagement and service delivery. Shri G Venkataramanan superannuated from Life Insurance Corporation of India on 31st July 2025 as Zonal Manager In-Charge of the South Zone, Chennai, in the rank of Executive Director. He joined LIC as a Direct Recruit Officer in 1989. Over the course of his career, he held various positions including Head of Marketing and Customer Relationship Management for the South Zone and served at LIC's Corporate Office in the Marketing Department.

He also had a stint in LIC's Overseas Branch, where his responsibilities included strengthening operational processes vis-å-vis the rollout of new IT systems, improving fund management to enhance operational efficiency and liaising with the regulator. Shri Venkataramanan holds a degree in Mathematics and is an Associate of the Insurance Institute of India.

- Shareholding in Indian Overseas Bank: He holds 150 Shares of our Bank.
- Other Directorships: Nil.

11. Ms SONALI SEN GUPTA, RBI NOMINEE DIRECTOR (UPTO 03.03.2026)

Ms. Sonali Sen Gupta is currently Regional Director for Karnataka, Reserve Bank of India (RBI), Bengaluru. In her career of nearly three decades in RBI, she has worked as Chief General Manager-in-charge of Financial Inclusion and Development Department at Central Office, Mumbai and served as a Director on Board of National Centre for Financial Education (NCFE), Mumbai. Her area of expertise is Banking Regulation and Supervision and Human Resource Development at Central Office as well Regional Offices level. She has worked in the Central Office as well as Chandigarh, Kolkata, and New Delhi Regional Offices of the Reserve Bank.

She served as a member secretary to 'Internal Working Group to Review Agricultural Credit' and led the team providing secretarial assistance to the 'Expert Committee on MSME', set up in 2019. She was also a part of specialised committee on Rationalisation of Returns/Statements, set up under Regulation Review Authority 2.0

During the Indian G20 Presidency, she has been RBI Lead for Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), a working group under the Finance Track of G20.

She holds a Bachelor's Degree in Commerce (Hons) and has a Master's Degree in Banking and Finance. She is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking and Finance (CAIIB).

She joined Indian Overseas Bank as RBI Nominee Director on 14.07.2023 and ceased to be director on the board w.e.f 03.03.2026.

- Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.
- Other Directorships: Nil.

12. SHRI SANJAYA RASTOGI, SHAREHOLDER DIRECTOR (UPTO 02.12.2025)

Shri Sanjaya Rastogi joined Life Insurance Corporation of India as a Direct Recruit Officer in 1987. After Graduation, he did his Master's in Business Administration from Institute of Management Technology.

Shri Sanjaya Rastogi was nominated as Shareholder Director of Indian Overseas Bank on 03.12.2022 and his term completed on 02.12.2025.

In his long illustrious career, he has handled several important assignments in LIC as Marketing Manager, Sr. Divisional Manager of Mumbai DO I & III. He has worked in Pension & Group Schemes department and LICHFL. Prior to his posting as Executive Director (MBAC) he worked as Regional Manager (Marketing), Northern Zone, Delhi of LIC. He superannuated on 31.01.2023 as Executive Director of LICI.

- Shareholding in Indian Overseas Bank : He holds 100 Shares of our Bank.
- Other Directorships: Nil.

Annexure- II

CEO/CFO Certification

(As per Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR) as amended)

To,
The Board of Directors,
Indian Overseas Bank.

A) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:

1) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.

2) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the listed entity's code of conduct.

C) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting, and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:

1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Madhaw Chandra Jha
Deputy General Manager & CFO

Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & CEO

Place: Chennai
Date: 29.04.2026

Auditor's Certificate Regarding Compliance of Conditions of Corporate Governance

To
The Members of
Indian Overseas Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank ("the Bank") for the year ended on March 31, 2026, as stipulated in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46 (2) and paragraphs C and D of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations").

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination, as carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance issued by the Institute of the Chartered Accountants of India (the "ICAI"), was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

Based on our examination of the relevant records and in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and Paragraphs C and D of Schedule V to the Listing Regulations for the year ended March 31, 2026 subject to the following:

a) The composition of the Board of Directors of the Bank did not include an Independent Woman Director during the period under review.

b) The composition of the Board of Directors of the Bank was not in compliance with Regulation 17 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as the number of Independent Directors fell below the prescribed minimum requirement during the periods from 1st April 2025 to 10th April 2025

c) The Audit Committee and the Risk Management Committee of the Board were not duly constituted for the period from 1st April 2025 to 21st April 2025, as required under the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. However, it has been informed by the Bank that, during the aforesaid period, the functions ordinarily entrusted to these Committees were discharged by the Board of Directors in terms of Para 14A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

d) We have observed that the following vacancies existed on the Board of Directors as per Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970:

- Section 9(3)(e) - Appointment of one Director, from among such of the employees of the Bank who are workmen.
- Section 9(3) (f) - Appointment of one Director, from among such of the employees of the Bank who are not workmen.
- Section 9(3) (g) - Appointment of one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank.

We have been informed by the Bank that, the Directors of the Banks are appointed by Department of Financial Services (DFS), Government of India. As per the explanation provided to us by the Bank, it had taken necessary steps and communicated with DFS for the above-mentioned appointments to ensure compliance.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

This certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the Listing Regulations. and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this Certificate for any events or circumstances occurring after the date of this Certificate.

For Tej Raj & Pal
Chartered Accountants
ICAI Reg No: 304124E

CA B. Vijay
Partner ICAI Mem No 214678
UDIN: 26214678XCHGYA7632

12-05-2026

Secretarial Audit Report

For the Financial Year ended 31st March 2026

[Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 as amended]

The Members,
Indian Overseas Bank

We have conducted the Secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **INDIAN OVERSEAS BANK** (hereinafter called "the bank") for the financial year ended 31st March 2026. The Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended 31st March 2026 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended 31st March 2026 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under to the extent applicable to the bank.

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investments, Overseas Direct Investments and External Commercial Borrowings; (Not applicable to the Bank for the period under review).

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):

a) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

b) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021.

We further state that there were no events/actions in pursuance of the following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):

a) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021;

b) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client (Not applicable as the Bank is not registered as Registrar to an Issue and Share transfer Agent during the year under review);

c) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; and

d) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;

(vi) We have reviewed the systems and mechanisms established by the Bank for ensuring compliances various laws which are specifically applicable to the

Bank and categorized under the following major heads/ groups:

a) The Banking Regulation Act, 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and its amendments thereof.

b) The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and its amendments thereof.

c) Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

d) The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

e) Master Directions issued by the Reserve Bank of India to Commercial Banks.

f) The Reserve Bank of India Act, 1934.

We believe that the audit evidence which we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we believe that the systems and mechanisms established by the Bank are adequate to ensure compliance of laws as mentioned above.

We have also examined compliance with the applicable clauses/regulations of the following:

(i) Secretarial Standards with respect to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) (as amended) and the guidance Note on Meetings of the Board of Directors and General Meetings (revised) issued by The Institute of Company Secretaries of India. (Not Applicable to the Bank).

(ii) The Uniform Listing Agreement entered into with BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited pursuant to the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. (hereinafter referred as "Listing Regulations").

During the period under review the Bank has generally complied with the above-mentioned laws except to the extent as mentioned below:

1. The composition of the Board of Directors of the Bank did not include an Independent Woman Director during the period under review.

2. The composition of the Board of Directors of the Bank was not in compliance with Regulation 17 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as the number of Independent Directors fell below the prescribed minimum requirement during the period from 1st April 2025 to 10th April 2025.

3. The Audit Committee and the Risk Management Committee of the Board were not duly constituted for the period from 1st April 2025 to 21st April 2025, as required under the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. However, it has been informed by the Bank that, during the aforesaid period, the functions ordinarily entrusted to these Committees were discharged by the Board of Directors in terms of Para 14A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

4. We have observed that the following vacancies existed on the Board of Directors as per Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970:

   a. Section 9(3)(e) - Appointment of one Director, from among such of the employees of the Bank who are workmen.

   b. Section 9(3)(f) - Appointment of one Director, from among such of the employees of the Bank who are not workmen.

   c. Section 9(3)(g) - Appointment of one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank.

   We have been informed by the Bank that, the Directors of the Banks are appointed by Department of Financial Services (DFS), Government of India. As per the explanation provided to us by the Bank, it had taken necessary steps and communicated with DFS for the above-mentioned appointments to ensure compliance.

We further report that the Board of Directors of the Bank has been duly appointed in accordance with Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act, 1970 (as amended), Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 and the Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended). As on 31st March, 2026, the Board is constituted with an appropriate balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Independent Directors, and Shareholder Director, except as noted above. We have

been informed that the Bank has raised the matter with the DFS, Government of India regarding the appointment of Directors to fill the vacant positions.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period the bank has undertaken following events/action:

1. Pursuant to the approval of the Board of Directors at their meeting held on 02nd May, 2025, issued Non-convertible, Listed, fully paid-up Basel III compliant Tier II Bonds Series VI in the nature of debentures, aggregating to Rs. 1000 Crores on private placement basis.

2. Obtained approval from shareholders at their Annual General Meeting held on 02nd July, 2025 for the proposal of raising Equity Share capital of Rs. 4000 Crores in one or more tranches by way of issuance of Equity shares by way of Qualified Institutional Placement (QIP)/ Follow-on Public Offer / Rights Issue / ESPS / Preferential Issue or any other mode.

3. Obtained approval from shareholders at their Annual General Meeting held on 02nd July, 2025 for creation, grant, offer, issue and allotment of shares of Rs.4000 Crores to Employees under the Employees Share Purchase Scheme referred to as IOB-ESPS 2025-26.

4. Mr. G. Venkataramanan was elected as Non-Executive Independent Shareholder Director with effect from 03rd December 2025. The appointment was initially proposed to be placed before the shareholders through an Extraordinary General Meeting (EGM). As only one nomination was received for the said position, the proposed EGM was cancelled and the Director was elected accordingly in accordance with the applicable provisions.

5. The Promoter of the Bank, i.e., the President of India acting through the Government of India, undertook an Offer for Sale of equity shares of the Bank through the stock exchange mechanism on 17th and 18th December, 2025, pursuant to which the shareholding of the Promoter and Promoter Group in the Bank was reduced to 92.44% and the public shareholding in the Bank was increased to 7.56%

6. The Bank received USD 25,717,298.33 from the liquidator towards interim capital repatriation pursuant to the Member's Voluntary Liquidation (MVL) of India International Bank (Malaysia) Berhad, a joint venture in which the Bank held 35% shareholding.

For SRINIDHI SRIDHARAN & ASSOCIATES
Company Secretaries

CS SRINIDHI SRIDHARAN
CP No. 17990
FCS No. 12510
PR NO: 6279/2024
UIN: S2017TN472300
UDIN: F012510H000232114

Place: Chennai
Date: 29.04.2026

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as **ANNEXURE - A** and forms an integral part of this report.

'Annexure - A'

The Members,
INDIAN OVERSEAS BANK

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records as per the Auditing Standards (CSAS-1 to CSAS-4) and Guidance Notes on ICSI Auditing Standards and Guidance Note on Secretarial Audit issued by The Institute of Company Secretaries of India. The verification was done to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank as well as correctness of the values and figures reported in various disclosures and returns as required to be filed by the Bank under the specified laws.

4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. It is the responsibility of the management of the Bank to devise proper systems to ensure compliance with the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards and to ensure that the systems are adequate and operate effectively. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For SRINIDHI SRIDHARAN & ASSOCIATES
Company Secretaries

CS SRINIDHI SRIDHARAN
CP No. 17990
FCS No. 12510
PR NO: 6279/2024
UIN: S2017TN472300
UDIN: F012510H000232114

Place: Chennai
Date: 29.04.2026

Certificate of Non-Disqualification of Directors

Pursuant to Regulation 34 (3) read with Schedule V Para-C Sub clause (10) (i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended

The Board of Directors
INDIAN OVERSEAS BANK
763, Anna Salai, Chennai, Tamil Nadu 600002.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **INDIAN OVERSEAS BANK** having its Registered Office at 763, Anna Salai, Chennai, Tamil Nadu 600002.(hereinafter referred to as ("The Bank") produced before us by the Bank for the purpose of issuing this certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Part-C Sub clause 10 (i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our knowledge and according to the verifications (including Director Identification Number (DIN) Status at the portal www.mca.gov.in) and based on such examination as well as information and explanations furnished to us, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of issue of this certificate and based on such verification as considered necessary, we hereby certify that none of the Directors as stated below on the Board of the Bank as on 31st March, 2026 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Companies by the Securities and Exchange Board India/Ministry of Corporate Affairs or any such other statutory authority.

S. No.	DIN	NAME OF THE DIRECTOR	DESIGNATION	DATE OF INITIAL APPOINTMENT
1.	07240718	Shri. Srinivasan Sridhar	Chairman & Non–Executive Independent Director	21.02.2024
2.	08946309	Shri. Ajay Kumar Srivastava	Executive Director, MD & CEO	01.01.2023
3.	08055872	Shri. Joydeep Dutta Roy	Executive Director	30.01.2024
4.	-	Shri. Dhanaraj T	Executive Director	10.03.2024
5.	-	Shri. Neelam Agrawal	Non-Executive Nominee Director	05.08.2024
6.	-	Shri. Thomas Mathew	Non-Executive Nominee Director	03.03.2026
7.	-	Shri. Suresh Kumar Rungta	Non-Executive Independent Director	21.12.2021
8.	-	Shri. B Chandra Reddy	Non-Executive Independent Director	21.12.2021
9.	-	Shri. Deepak Sharma	Non-Executive Independent Director	21.12.2021
10.	-	Shri. G. Venkataramanan	Non-Executive Independent Director	03.12.2025

Ensuring the eligibility, for the appointment/ continuity, of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification.

This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For SRINIDHI SRIDHARAN & ASSOCIATES
Company Secretaries

CS SRINIDHI SRIDHARAN
CP No. 17990
FCS No. 12510
PR NO: 6279/2024
UIN: S2017TN472300
UDIN: F012510H000232180

Place: Chennai
Date: 29.04.2026

STANDALONE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

(₹ in '000s)

	SCHEDULES	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	01	19256 58 98	19256 58 98
Reserves and Surplus	02	18258 74 23	13284 32 95
Deposits	03	368191 25 42	311204 17 55
Borrowings	04	51602 57 20	42227 66 32
Other Liabilities and Provisions	05	16010 69 90	9044 20 83
TOTAL		**473319 85 73**	**395016 96 63**
ASSETS			
Cash and balances with Reserve Bank of India	06	16605 92 89	18115 54 82
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	8616 64 50	2954 71 60
Investments	08	119809 53 33	111044 83 64
Advances	09	306621 81 47	245555 16 84
Fixed Assets	10	5074 54 35	4654 82 10
Other Assets	11	16591 39 19	12691 87 63
TOTAL		**473319 85 73**	**395016 96 63**
Contingent Liabilities	12	153282 73 84	159405 16 51
Bill for collection		18383 96 22	17088 33 51

Significant Accounting Policies	17
Notes on Accounts	18

Schedules Form Part of the Balance Sheet

FOR AND ON BEHALF OF BOARD

MADHAW CHANDRA JHA
CHIEF FINANCIAL OFFICER

DHANARAJ T
EXECUTIVE DIRECTOR

JOYDEEP DUTTA ROY
EXECUTIVE DIRECTOR

AJAY KUMAR SRIVASTAVA
MANAGING DIRECTOR & CEO

SRINIVASAN SRIDHAR
NON-EXECUTIVE CHAIRMAN

NEELAM AGRAWAL
DIRECTOR

THOMAS MATHEW
DIRECTOR

VENKATARAMANAN G
DIRECTOR

Place: Chennai
Date: 29.04.2026

STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2026

(₹ in '000s)

	SCHEDULES	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
INCOME			
Interest Earned	13	31895 67 85	28131 00 87
Other Income	14	5636 47 04	5545 06 84
TOTAL		**37532 14 89**	**33676 07 71**
EXPENDITURE			
Interest Expended	15	19322 04 24	17240 80 29
Operating Expenses	16	8183 97 89	7747 26 38
Provisions and Contingencies		4818 09 40	5353 30 54
TOTAL		**32324 11 53**	**30341 37 21**
PROFIT/LOSS (-)			
Net Profit/Loss (-) for the year		5208 03 36	3334 70 50
Profit/Loss (-) brought forward		(12533 32 52)	(14469 29 17)
TOTAL		**(7325 29 16)**	**(11134 58 67)**
APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		1302 00 84	833 67 63
Transfer to Other Reserves		38 61 55	421 37 16
Transfer to Capital Reserve		67 42 68	43 69 06
Transfer to Investment Fluctuation Reserve		0	100 00 00
Proposed Dividend (including Dividend Tax)		0	0
Balance carried over to Balance Sheet		(8733 34 23)	(12533 32 52)
TOTAL		**(7325 29 16)**	**(11134 58 67)**
Basic & Diluted Earnings per share (₹)		2.70	1.76
Nominal Value per Equity Share (₹)		10.00	10.00

Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE
FOR AND ON BEHALF OF CHARTERED ACCOUNTANTS

R.DEVENDRA KUMAR & ASSOCIATES
FRN: 114207W

(ANAND GOLAS)
PARTNER
M No: 400322

TEJ RAJ & PAL
FRN: 304124E

(DINAKAR MOHANTY)
PARTNER
M No: 059390

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
FRN: 009189C

(L N AGRAWAL)
PARTNER
M No: 078427

SANJEEV OMPRAKASH GARG & CO
FRN: 008773C

(VIKAS MITTAL)
PARTNER
M No: 407833

Place: Chennai
Date: 29.04.2026

STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2026

(₹ in '000s)

Particulars	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit/(Loss)	5208 03 36	3334 70 50
Provision for taxes	1059 99 75	1177 01 09
Net Profit/(Loss) before Income Tax	**6268 03 11**	**4511 71 59**
Adjustments for:		
Amortisation of HTM Investments	102 71 76	82 06 53
(Proft)/Loss on Revaluation of Investments (NET)	(5 26 30)	0
Depreciation on Fixed Assets	521 17 57	394 45 57
(Profit)/Loss on Sale of Assets (NET)	(2 02 29)	(1 79 59)
Provision for NPAs	833 24 30	824 58 65
Provision for Standard Assets	2726 48 75	3585 27 83
Depreciation on Investments (net of Provision for NPI)	(8 53 10)	(24 53 74)
Depreciation Provision due to Fluctuation	1 97 04	(69 43 61)
Provision for Other Items	207 56 35	(197 19 89)
	4377 34 07	**4593 41 75**
Adjustments for:		
Increase/(Decrease) in Deposits	56930 82 31	26033 44 57
Increase/(Decrease) in Borrowings	9374 90 87	11840 49 77
Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions	2842 00 93	(2466 85 49)
(Increase)/Decrease in Investments	(8853 62 04)	(11470 41 31)
(Increase)/Decrease in Advances	(61899 88 93)	(33060 94 56)
(Increase)/Decrease in Other Assets	(2994 12 90)	831 64 97
	(4599 89 75)	**(8292 62 05)**
Direct Taxes (Net)	(543 97 17)	1958 08 56
NET CASH FLOW GENERATED FROM/(USED IN) OPERATING ACTIVITIES (A)	**5501 50 26**	**2770 59 85**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale/disposal of Fixed Assets	6 96 61	49 79 23
Purchase of Fixed Assets	(645 88 67)	(614 95 90)
NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)	**(638 92 06)**	**(565 16 67)**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Redemption of Tier I & Tier II Bonds/Other Borrowings/Increase in Capital	0	1432 77 71
Issue of Capital Instruments (Issue of Basel III, Tier 1, Tier II Bonds)	0	0
Changes in Reserve/Revaluation Reverse	(862 59 90)	(987 51 09)

STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2026

(₹ in '000s)

Particulars	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
Interest Paid on Capital Instruments (IOB Bonds, Tier II Bonds)	152 32 67	(134 85 24)
NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**(710 27 23)**	**310 41 38**
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)	**4152 30 97**	**2515 84 56**
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	18115 54 82	16904 56 29
Balances with Banks & Money at Call	2954 71 60	1649 85 57
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	16605 92 89	18115 54 82
Balances with Banks & Money at Call	8616 64 50	2954 71 60
NET INCREASE/DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	**4152 30 97**	**2515 84 56**

Notes:

1. This statement has been prepared in accordance with Indirect Method.

2. The Previous year figures have been regrouped where ever necessary to conform with the current year presentation as per regulatory requirements.

FOR AND ON BEHALF OF BOARD

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR AND ON BEHALF OF CHARTERED ACCOUNTANTS

MADHAW CHANDRA JHA
CHIEF FINANCIAL OFFICER

DHANARAJ T
EXECUTIVE DIRECTOR

R.DEVENDRA KUMAR & ASSOCIATES
FRN: 114207W

TEJ RAJ & PAL
FRN: 304124E

JOYDEEP DUTTA ROY
EXECUTIVE DIRECTOR

AJAY KUMAR SRIVASTAVA
MANAGING DIRECTOR & CEO

(ANAND GOLAS)
PARTNER
M NO: 400322

(DINAKAR MOHANTY)
PARTNER
M NO: 059390

SRINIVASAN SRIDHAR
NON-EXECUTIVE CHAIRMAN

NEELAM AGRAWAL
DIRECTOR

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
FRN: 009189C

SANJEEV OMPRAKASH GARG & CO
FRN: 008773C

THOMAS MATHEW
DIRECTOR

VENKATARAMANAN G
DIRECTOR

(L N AGRAWAL)
PARTNER
M NO: 078427

(VIKAS MITTAL)
PARTNER
M NO: 407833

Place: Chennai
Date: 29.04.2026

SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
AUTHORISED CAPITAL		
2500,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each (Previous year 2500,00,00,000 Equity shares of ₹10/- each)	25000 00 00	25000 00 00
ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL		
1925,65,89,795 Equity Shares of ₹10/- each. (Includes 1780,04,88,299 Equity Shares of ₹10/- each held by Government of India)	19256 58 98	19256 58 98
Previous year 1925,65,89,795 Equity Shares of ₹10/- each. (Includes 1821,83,26,570 Equity Shares of ₹10/- each held by Government of India)		

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
I. STATUTORY RESERVE		
Opening balance	5584 31 09	4750 63 46
Add: Additions	1302 00 84	833 67 63
Less: Deductions	0	0
TOTAL - I	**6886 31 93**	**5584 31 09**
II. CAPITAL RESERVE		
A. Revaluation Reserve		
Opening balance	3372 97 05	2722 63 49
Add: Additions	301 92 50	672 99 16
Less: Deductions	241 00 70	22 65 60
TOTAL - A	**3433 88 85**	**3372 97 05**
B. On sale of Assets		
Opening Balance	2213 44 82	2169 75 76
Add: Additions	67 42 68	43 69 06
Less: Deduction	0	0
TOTAL - B	**2280 87 50**	**2213 44 82**
C. Others		
Opening Balance	153 28 31	153 24 38
Add: Additions	13 41	3 93
Less: Deduction	0	0
TOTAL - C	**153 41 72**	**153 28 31**
TOTAL - II (A,B and C)	**5868 18 07**	**5739 70 18**
III. SHARE PREMIUM		
Opening Balance	9636 50 05	8557 90 11
Add: Additions	0	1078 59 94
Less: Deduction	0	0
TOTAL - III	**9636 50 05**	**9636 50 05**

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
IV. REVENUE & OTHER RESERVES		
A. Other Revenue Reserves		
Opening Balance	3739 58 55	3683 14 78
Add: Additions	197 94 89	56 43 77
Less: Deduction	0	0
TOTAL - A	**3937 53 44**	**3739 58 55**
B. Investment Reserve Account		
Opening Balance	0	97 95 58
Add: Additions	0	0
Less: Deductions	0	97 95 58
TOTAL - B	**0**	**0**
C. Foreign Currency Translation Reserve		
Opening balance	1129 56 05	983 90 47
Add: Additions	327 05 31	152 35 93
Less: Deduction	0	6 70 35
TOTAL - C	**1456 61 36**	**1129 56 05**
D. Investment Fluctuation Reserve Account		
Opening balance	490 00 00	390 00 00
Add: Additions	0	100 00 00
Less: Deductions	0	0
TOTAL - D	**490 00 00**	**490 00 00**
E. General Reserves-Treasury		
Opening balance	(1315 57 17)	0
Add: Additions	0	(1315 57 17)
Less: Deductions	0	0
TOTAL - E	**(1315 57 17)**	**(1315 57 17)**
F. AFS Reserves		
Opening balance	392 19 56	0
Add: Additions	7 37	392 19 56
Less: Deductions	691 23 65	0
TOTAL - F	**(298 96 72)**	**392 19 56**
G. Special Reserve- Govt. Guaranteed SRs		
Opening balance	421 37 16	0
Add: Additions	38 61 55	421 37 16
Less: Deductions	128 51 21	0
TOTAL - G	**331 47 50**	**421 37 16**
TOTAL - IV (A,B,C,D,E,F and G)	**4601 08 41**	**4857 14 15**
V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT	(8733 34 23)	(12533 32 52)
TOTAL (I, II , III, IV and V)	**18258 74 23**	**13284 32 95**

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	757 70 49	1558 27 74
ii) From Others	25613 11 37	25833 69 75
TOTAL - I	**26370 81 86**	**27391 97 49**
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	**124564 77 42**	**108034 82 03**
III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	3 79	3 64
ii) From Others	217255 62 35	175777 34 39
TOTAL - III	**217255 66 14**	**175777 38 03**
TOTAL - A (I,II and III)	**368191 25 42**	**311204 17 55**
B. i) Deposits of branches in India	359032 20 45	302760 42 00
ii) Deposits of branches outside India	9159 04 97	8443 75 55
TOTAL - B	**368191 25 42**	**311204 17 55**

(Deposits under Lien- refer note no 21)

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
I. BORROWINGS IN INDIA		
Reserve Bank of India	0	1946 00 00
Other Banks	2560 54 50	3366 95 00
Other Institutions & Agencies	28086 77 12	20599 66 34
Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	0	0
Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	0	0
Subordinated Debt	3165 00 00	2165 00 00
TOTAL (I)	**33812 31 62**	**28077 61 34**
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	17790 25 58	14150 04 98
TOTAL (I and II)	**51602 57 20**	**42227 66 32**
Secured borrowings included in I and II above	30647 31 62	25912 61 34

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
I. Bills Payable	1397 62 06	628 52 03
II. Inter Office Adjustments (Net)	0	0
III. Interest Accrued	1099 79 25	1003 72 14
IV. Others (including provisions)	13513 28 59	7411 96 66
TOTAL	**16010 69 90**	**9044 20 83**

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
I. **Cash on hand (including Foreign currency notes)**	1436 99 22	1235 14 95
II. **Balances with Reserve Bank of India**		
i) in Current Account	9166 41 90	11784 32 27
ii) in Other Accounts	6002 51 77	5096 07 60
TOTAL (I and II)	**16605 92 89**	**18115 54 82**

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
I. IN INDIA		
i) Balances with banks		
a) In Current Accounts	33 99 55	13 70 82
b) In Other Deposit Accounts	268 55 24	244 79 31
ii) Money at Call and Short Notice		
a) With banks	0	0
b) With other institutions	0	0
TOTAL - (i and ii)	**302 54 79**	**258 50 13**
II. OUTSIDE INDIA		
i) In Current Accounts	1248 82 10	846 21 62
ii) In Other Deposit Accounts	5356 66 68	535 64 68
iii) Money at Call and Short Notice	1708 60 93	1314 35 17
TOTAL (i,ii and iii)	**8314 09 71**	**2696 21 47**
GRAND TOTAL (I and II)	**8616 64 50**	**2954 71 60**

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
I. INVESTMENTS IN INDIA		
i) Government Securities	109602 65 65	101565 84 30
ii) Other Approved Securities	0	0
iii) Shares	1161 19 18	1151 71 97
iv) Debentures and Bonds	3179 98 16	3072 22 98
v) Subsidiaries/Joint Ventures	1219 36 60	615 64 72
vi) Other Investments(Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds Certificate of Deposits and CP)	567 23 79	613 69 58
TOTAL - I	**115730 43 38**	**107019 13 55**
II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
i) Government Securities (including Local Authorities)	3931 15 18	3699 98 63
ii) Subsidiaries/Joint Ventures	0	193 44 19
iii) Other Investments	147 94 77	132 27 27
TOTAL - II	**4079 09 95**	**4025 70 09**
TOTAL (I and II)	**119809 53 33**	**111044 83 64**

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS (Contd.)

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
Gross Investments in India	116229 05 70	107978 78 29
Less: Depreciation	498 62 32	959 64 74
Less: Interest on Restructured Investments	0	0
Net Investments	115730 43 38	107019 13 55
Gross Investments Outside India	4079 09 95	4032 30 00
Less: Depreciation	0	6 59 91
Net Investments	4079 09 95	4025 70 09
TOTAL NET INVESTMENTS	**119809 53 33**	**111044 83 64**

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
A. i) Bills Purchased & Discounted	9251 11 41	10869 40 73
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	172782 24 76	92080 18 05
iii) Term Loans	124588 45 30	142605 58 06
TOTAL	**306621 81 47**	**245555 16 84**
B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	246715 37 96	177081 13 42
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	38201 29 77	40744 07 61
iii) Unsecured	21705 13 74	27729 95 81
TOTAL	**306621 81 47**	**245555 16 84**
C. I) Advances in India		
i) Priority Sector	156335 97 44	113583 52 65
ii) Public Sector	21974 47 78	17280 15 88
iii) Banks	0	0
iv) Others	113447 55 84	99292 50 13
TOTAL	**291758 01 06**	**230156 18 66**
II) Advances Outside India		
i) Due from Banks	0	0
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased & Discounted	1707 89 55	4162 81 04
b) Syndicated Loans	5453 06 69	5739 25 15
c) Others	7702 84 17	5496 91 99
TOTAL	**14863 80 41**	**15398 98 18**
GRAND TOTAL (C-I and C-II)	**306621 81 47**	**245555 16 84**

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
I. PREMISES		
At cost/revalued as at beginning of the FY	5500 73 30	4576 16 08
Additions/Adjustments during the year *	235 06 64	924 86 81
SUB TOTAL	**5735 79 94**	**5501 02 89**
Deductions/Adjustments during the year *	10 24 21	29 59
	5725 55 73	**5500 73 30**
Depreciation to date	1501 97 84	1415 42 71
TOTAL - I	**4223 57 89**	**4085 30 59**

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS (Contd.)

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
II. CAPITAL WORK IN PROGRESS	67 35 41	74 23 85
TOTAL - II	**67 35 41**	**74 23 85**
III. OTHER FIXED ASSETS (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)		
At cost as at beginning of the FY	3179 85 69	2955 66 67
Additions/Adjustments during the year	719 62 98	291 63 71
SUB TOTAL	**3899 48 67**	**3247 30 38**
Deductions/Adjustments during the year	406 64 96	67 44 69
	3492 83 71	**3179 85 69**
Depreciation to date	2709 22 66	2684 58 03
TOTAL - III	**783 61 05**	**495 27 66**
TOTAL (I, II AND III)	**5074 54 35**	**4654 82 10**

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange at 31.03.2026

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
i) Inter Office Adjustments (Net)	1596 09 59	174 68 35
ii) Interest Accrued	6609 41 49	5149 12 43
iii) Tax paid in advance (Net of Provisions)	1799 41 97	2315 44 55
iv) Stationery & Stamps	3 65 85	3 49 09
v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	0	16
vi) Others (Include Deposits placed with NABARD)	6582 80 29	5049 13 05
TOTAL	**16591 39 19**	**12691 87 63**

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	8 95 99	8 03 15
ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	114841 40 25	129706 60 38
iv) Guarantees given on behalf of constituents		
a) In India	21776 12 46	14713 15 35
b) Outside India	323 56 67	179 63 06
v) Acceptances, Endorsements and Other obligations	7097 38 34	6074 74 57
vi) Other items for which the bank is contingently liable		
a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts	150 11 18	454 38 14
b) Banks liability under currency swaps	0	0
c) Interest rate swaps(USD)	0	0
d) Interestrate swaps (INR)	0	0
e) Bank's Liability under Currency Options	0	0
f) Credit Default Swaps/FRAs/Receivablecharges	0	0
g) Amount in DEAF with RBI	2541 87 92	2311 24 26
h) Others	6543 19 43	5957 26 00
TOTAL	**153282 73 84**	**159405 16 51**

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ in '000s)

	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
i) Interest/discount on advances/bills	23935 33 93	20182 12 52
ii) Income on investments	7518 35 48	7037 88 37
iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	295 33 12	175 87 51
iv) Others	146 65 32	735 12 47
TOTAL	**31895 67 85**	**28131 00 87**

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ in '000s)

	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
i) Commission, Exchange and Brokerage	1737 65 60	1502 38 67
ii) Profit/Loss on Sale of Investments	423 05 48	523 61 89
iii) Profit/Loss on Revaluation of Investments	5 26 30	0
iv) Profit on sale of land, Building & other Assets	2 02 29	1 79 59
v) Profit/Loss on exchange transactions	5 68 51	38 75 84
vi) Miscellaneous Income	3462 78 86	3478 50 85
TOTAL	**5636 47 04**	**5545 06 84**

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ in '000s)

	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
i) Interest on Deposits	16576 69 84	15008 49 31
ii) Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	2745 33 91	2232 24 75
iii) Others	49	6 23
TOTAL	**19322 04 24**	**17240 80 29**

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ in '000s)

	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
i) Payments to and provisions for employees	4688 77 37	4666 39 60
ii) Rent, Taxes and Lighting	617 65 03	558 84 23
iii) Printing and Stationery	24 83 86	34 97 10
iv) Advertisement and Publicity	25 15 34	10 42 05
v) Depreciation on Bank's property	521 17 57	394 45 57
vi) Directors' fees, allowances and expenses	1 40 96	1 00 29
vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's)	50 73 70	41 35 85
viii) Law charges	31 56 38	29 93 75
ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	92 41 71	63 86 40
x) Repairs and Maintenance	38 66 90	45 71 11
xi) Insurance	431 12 73	410 70 86
xii) Other Expenditure	1660 46 34	1489 59 57
TOTAL	**8183 97 89**	**7747 26 38**

SCHEDULE 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES OF THE BANK STANDALONE

1. BASIS OF PREPARATION:

1.1 The Bank's financial statements have been prepared under the historical cost convention on the accrual basis of accounting and ongoing concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises applicable statutory provisions, regulatory/Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

Use of Estimates

1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

2. REVENUE RECOGNITION AND EXPENSE ACCOUNTING

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets.

Recovery in case of Non-Performing Assets is first appropriated towards principal and the balance, if any, towards interest and charges.

Recovery in case of Suit Filed Accounts shall be appropriated towards principal or as per the directives of the court concerned.

Recovery under One Time Settlement (OTS) shall be appropriated towards principal and excess over principal shall be adjusted towards interest.

If any borrower account is classified as NPA from back date, any recovery till such present date of classification is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal. Subsequent recovery made in such Non-Performing Assets is first appropriated towards principal and the balance, if any, towards interest and charges.

In case of assets sold to Asset Reconstruction Companies (ARCs), the income is recognized to the extent of cash component of the Sale Consideration received, where the sale consideration is over and above Net Book Value (i.e. Book outstanding less Provisioning).

NCLT admitted accounts shall be treated as suit filed accounts and the appropriation of recovery in these NCLT accounts whether it is from the process initiated against the corporate debtor or guarantors shall be done as in suit filed accounts.

Recovery by way of debentures/equity/other debt or equity or quasi equity instruments etc in the NCLT approved resolution plan amount as cash recovery to be appropriated in the same manner as is done in suit filed accounts i.e. first towards principal and remaining amount towards interest.

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/ Letter of Guarantee/Government Business/Insurance), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized/accounted for as per local laws of the respective countries.

3. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transactions in respect of Treasury (Foreign):

a) Foreign Currency transactions, except foreign currency deposits and lending, are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions"/"Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. INVESTMENTS

4.1 In line with the RBI Guidelines, Banks shall classify their entire investment portfolio (except investments in their own subsidiaries, joint ventures and associates) under three categories, viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value through Profit and Loss (FVTPL). Held for Trading (HFT) shall be a separate investment sub-category within FVTPL.

The premium/discount, if any, of acquisition cost in comparison the face value of each security (other than NPI) is amortized/accrued on straight line method, over the remaining period of maturity.

Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government Securities

b) Other Approved securities including those issued by local bodies,

c) Shares,

d) Bonds & Debentures,

e) Subsidiaries/Joint Ventures and

f) Others (to be specified).

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realization basis as per prudential norms.

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by RBI as under:

4.3.1. Individual securities under "Fair Value through Profit & Loss "(FVTPL)" and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Individual securities under HFT are marked to market on daily basis.

The performing securities held in FVTPL shall be fair valued and the net gain or loss arising on such valuation shall be directly credited or debited to the Profit and Loss Account.

Central Government securities and State Government securities are valued at market rates declared by FBIL (Financial Benchmarks India Pvt Ltd). Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India). Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value/NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company/ Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI (Primary Dealers Association of India)/FBIL periodically.

Based on the above valuations, the valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS shall be aggregated. The appreciation or depreciation shall be directly credited or debited to a reserve named AFS-Reserve after netting of applicable taxes.

The book value of individual securities would undergo change due to valuation at the prescribed intervals in the books of account.

4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortized cost/ carrying value.

Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions are valued at carrying cost after testing for impairment.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning/de –recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by RBI for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on Sale of Investments in any category (viz. Held for Trading, Available for Sale and FVTPL) is taken to Profit & Loss account as per the extant RBI Master Directions.

In case of Profit on Sale of Investments in "Held to Maturity" category, Profit net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves is appropriated to "Capital Reserve Account".

Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/loss for that security in the AFS-Reserve and Deferred Tax Liability (DTL) shall be transferred from the AFS-Reserve along with DTL if applicable and recognized in the Profit and Loss Account.

In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments shall not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss shall be transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

4.6 Broken period interest, Incentive/Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account. Broken Period interest does not arise in case of Treasury Bills. Income is accounted based on the difference between the holding cost and the face value i.e. discount income.

4.7 Repo/Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

4.9 All the investments are held by adopting the Weighted Average Pricing Method

4.10 All the investments are held in the book on settlement date basis only

4.11 Dividend income on investments is accounted on cash basis

4.12 Investments are shown in the Balance Sheet at net off provision held in respect of Non Performing Investments

4.13 Investments matured for payment are shown under "Other Assets" and underlying provisions held for Non Performing Investments is also netted off from the said investments.

4.14 As per RBI Circular no. RBI/2017-18/147 DBR No. BP BC. 102/21.04.0489/2017-18 dated April 2, 2018, from the year 2018-19 an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created to build up adequate reserves to protect the bank against increase in yields in future.

The Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be the lower of the following:

a) Net Profit on sale of investments during the year or

b) Net profit for the year less mandatory appropriations,

until the amount of IFR is at least 2% of the HFT and AFS Portfolio, on a continuing basis.

4.15 As per RBI circular ref no: RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR.REC.72/21.04.048/2024-25 dated March 29, 2025, Revised norms for Government Guaranteed Security Receipts (SRs), the accounting of Government guaranteed Security Receipts to be done as follows:

If a loan is transferred to an ARC for a value higher than the net book value (NBV), the excess provision to be reversed to the Profit and Loss Account in the year of transfer if the sale consideration comprises only of cash and SRs guaranteed by the Government of India.

Govt Guaranteed SRs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. However, any unrealized gains recognized in the Profit and Loss Account on account of fair valuation of such investments shall be deducted from CET 1 capital, and no dividends will be paid out of such unrealized gains.

Any SRs outstanding after the final settlement of the government guarantee or the expiry of the guarantee period, whichever is earlier, will be valued at one rupee (₹1).

5. ADVANCES:

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions, except general provisions for standard advances.

5.3 For Restructured/Rescheduled Assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loans/advance before and after restructuring is provided for,

in addition to provision for the respective loans/advances. The Provision for Diminution in Fair Value and interest sacrifice, if any, arising out of the above is reduced from advances.

In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the Regulators

6. DERIVATIVES

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/ payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination of such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.

7. FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT)

7.1 Fixed Assets, except revalued premises, are stated at historical cost.

7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

S. No.	Furniture Types	Depreciation %
i)	Premises	2.50%
ii)	Furniture and Fixtures (Metal and Wooden)	10%
iii)	Electrical Installation	20%
iv)	Vehicles	20%
v)	Computers	33.33%
vi)	Computer Software	33.33%
vii)	Fire Extinguishers and the assets whose value is more than ₹1000/- but less than ₹5000/-	100%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to the profit and loss account, and equivalent amount is transferred from Revaluation reserve to Revenue Reserves. The revalued premises are depreciated over the remaining useful life of the asset as assessed at the time of revaluation subject to maximum prescribed as above.

7.3 Capitalization of the furniture/fixtures can be done in view of the nature and use of the items.

7.4 Depreciation of the assets is provided for the full year irrespective of the date of acquisition/revaluation. (Under straight line method)

7.5 Depreciation of the assets is allowed only if the assets is put to use in the year of purchased.

7.6 If the value of single asset is less than or equal to ₹1000/-, Bank will not capitalize the asset and treat the assets as a revenue expenditure. So, in this case ,asset will not eligible for capitalization .

7.7 If the value of single asset is more than ₹1000/- but less than ₹5000/-, it will be eligible for capitalization. However, depreciation will be applicable to the extent of 100% of value of asset at the end of the financial year. Thereafter, it will carry ₹1/- in the books.

7.8 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

7.9 In respect of leasehold properties, premium is amortized over the period of lease.

7.10 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. STAFF BENEFITS

8.1 Contribution to Provident Fund and National Pension System is charged to Profit and Loss Account.

8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Funds. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement is made based on actuarial valuation at the year-end.

8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. TAXES ON INCOME

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions. Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognized on carry forward of tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realized against future profits.

10. EARNINGS PER SHARE

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, "Earnings Per Share", issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed

by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year-end except where the results are anti-dilutive.

11. IMPAIRMENT OF ASSETS

The bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

13. ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

In accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.

SCHEDULE 18
NOTES TO ACCOUNTS FOR STANDALONE FINANCIAL STATEMENT

I. DISCLOSURES AS PER RESERVE BANK OF INDIA REQUIREMENTS:

1. Regulatory Capital

a) Composition of Regulatory Capital

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25*
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions, if any)	33,524.49	27,897.09
ii)	Additional Tier 1 capital	0.00	0.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	33,524.49	27,897.09
iv)	Tier 2 capital	5,619.49	4,408.95
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	39,143.98	32,306.04
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	1,97,931.60	1,69,666.65
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	16.94%	16.44%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	16.94%	16.44%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.84%	2.60%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	19.78%	19.04%
xi)	Leverage Ratio	6.60%	6.64%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	92.44%	94.61%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	NIL	354.18
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	NIL	NIL
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, (Basel III complaint Tier II Bonds)	1,000.00	NIL

(*) CET1 and Leverage Ratio is recalculated based on Divergence observations during RBI ISE 2025

b) Capital and Reserves:

- During FY 2026, the Bank has neither raised equity capital nor issued any Basel III Compliant Additional Tier I Bonds.
- The paid-up capital of the Bank stands at ₹19,256.59 Crore as on March 31st, 2026. The Government of India shareholding stands at 92.44% as on March 31st, 2026.
- During the Financial Year 2025-26, Bank has issued Basel III Tier II Bonds (Series VI) aggregating to ₹1000 Crore through Private Placement basis subscribed by Qualified Institutional Buyers (QIBs).

c) During the year ended March 31, 2026, Bank has raised following Bonds:

Particulars	Date of Issue	Tenure	Coupon Rate (%)	Amount (In ₹ Crore)	Maturity Date
Basel III Tier II Bonds Series VI (INE565A08068)	23.01.2026	10 Years	7.80	1,000.00	23.01.2036

During the year ended March 31, 2026, Bank has not redeemed any bonds.

d) Draw down from Reserves

Drawdown from the reserves during the financial year 2025-26 is NIL.

2. Asset liability management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at March 31st ,2026

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 Days – 30 Days	31 Days – 2 Months	2 Months – 3 Months	3 Months – 6 Months	Over 6 Months & Upto 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	2,587.23	6,319.05	6,098.90	10,280.62	15,019.15	16,283.97	51,490.18	95,466.78	57,484.04	15,547.80	91,613.53	3,68,191.25
Advances (Gross)	3,362.13	3,051.03	3,113.04	4,931.64	8,423.26	7,852.71	23,474.18	71,341.98	93,637.43	31,133.17	60,101.93	3,10,422.50
Investments (Net)	25,134.90	1,737.82	1,155.59	3,109.90	4,375.44	4,668.02	13,369.01	23,894.11	16,482.90	4,965.71	20,916.13	1,19,809.53
Borrowings	0.66	474.18	639.46	4,408.13	2,755.77	3,998.78	8,931.67	16,873.58	10,353.09	501.50	2,665.75	51,602.57
Foreign Currency Assets	3,595.31	9,857.35	1,313.04	2,933.93	2,953.08	7,175.47	3,537.42	6,043.83	4,454.84	2,568.46	2,657.84	47,090.57
Foreign Currency Liabilities	2,461.02	1,815.09	2,380.99	4,816.05	2,507.87	4,670.55	5,732.74	13,599.48	4,663.58	35.17	4,408.03	47,090.57

Maturity pattern of assets and liabilities as at March 31st, 2025

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 Days – 30 Days	31 Days – 2 Months	2 Months – 3 Months	3 Months – 6 Months	Over 6 Months & Upto 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	2,767.49	5,502.45	5,341.41	9,579.20	17,503.43	18,036.21	43,326.62	68,408.86	42,787.04	14,004.94	84,681.18	3,11,938.83
Advances (Gross)	3,119.46	4,681.06	7,616.70	5,098.65	9,518.10	13,795.39	22,976.36	26,370.14	74,811.86	24,744.14	57,286.99	2,50,018.85
Investments (Net)	24,956.30	6,558.33	1,338.61	2,931.32	4,201.43	4,587.94	10,702.73	18,021.16	13,153.05	3,910.64	20,683.33	1,11,044.84
Borrowings	346.4	4,971.25	1,212.16	4,406.46	1,789.93	3,463.92	5,098.00	10,637.36	8,123.44	503.96	1,674.77	42,227.65
Foreign Currency Assets	3,833.26	2,721.74	2,012.01	6,549.99	4,198.58	3,026.47	6,429.34	6,032.64	4,471.43	2,188.03	2,383.13	43,846.62
Foreign Currency Liabilities	2,771.40	2,927.90	2,101.96	7,227.34	3,441.13	1,996.46	8,712.32	7,156.68	3,710.33	656.5	3,144.60	43,846.62

b) Liquidity coverage ratio (LCR)

RBI introduced the Liquidity Coverage Ratio (LCR) vide circular No. RBI/2014-15/529 DBR. No. BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31,2015 which has been modified from time to time, in order to ensure short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The minimum LCR requirement set out in the RBI guidelines for the banks is 100%.

Definition of LCR: $\frac{\text{Stock of high-quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$

Composition of HQLA:

In the stock of high-quality liquid assets (HQLA), there are two categories of assets, viz. Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are sub-divided into Level 2A and Level 2B assets on the basis of their price-volatility. Each category includes assets which the bank is holding on the first day of the stress period. Level 1 assets are with 0% haircut while in Level 2, 2A assets are with a minimum 15% haircut and Level 2B Assets, with a minimum 50% haircut.

Main drivers of LCR:

The Bank on a consolidated basis, during the three months ended March 31, 2026, had maintained average HQLA (after haircut) of ₹94,248.85 crore. The HQLA is primarily driven by government securities in excess of minimum SLR, Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF and the Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio. Also, cash, excess CRR maintained with RBI. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.

Intra-period changes as well as changes over time:

LCR on consolidated basis were 122.01% and 121.98% for the quarter ended March 2026 and December 2025 respectively as against the regulatory requirement of 100%. The details of the average LCR on consolidated basis for the last four quarters are as follows:

(Amount ₹ in Crore)

Details	Quarter Ended March 31 2026	Quarter Ended December 31 2025	Quarter Ended September 30 2025	Quarter Ended June 30 2025	Quarter Ended March 31 2025
HQLA	94,248.85	87,621.55	89,244.86	83,331.04	79,145.04
Total Net cash Outflows	77,248.10	71,832.60	74,532.41	67,452.57	62,680.15
LCR in %	122.01	121.98	119.74	123.54	126.27

Concentration of Funding Sources

A significant counterparty is defined as a single counterparty or a group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the Bank's total liabilities.

There was no significant counterparty deposit as on 31st March 2026.

A significant instrument/product is defined as a single instrument or product, or a group of similar instruments/products, which in aggregate account for more than 1% of the Bank's total liabilities. Examples of funding instruments/products include wholesale deposits, certificates of deposit, longterm bonds, etc.

Currency Mismatch in the LCR

As per RBI guidelines, the Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard is required to be met on a single-currency basis. However, in order to better capture potential currency-specific liquidity risks, LCR in each significant currency is required to be monitored.

Accordingly, the Bank monitors LCR on a daily basis in INR and compares the same against the regulatory requirement. In addition, for other significant currencies—defined as those in which aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the Bank's total liabilities. The aggregate liabilities of any significant currency other than INR are less than 5% of the bank's total liabilities.

Derivative Exposures and Potential Collateral Calls

The Bank's average net derivative cash outflow for the next 30 days as on 31st March 2026 is ₹170.82 Crore.

Degree of Centralization of Liquidity Management and Interaction Between Group Entities

Liquidity Management in the Bank is driven by the ALM Policy of the Bank and regulatory prescriptions. The Domestic and Overseas Centres are reporting to the Asset Liability Management Committee (ALCO). The ALCO has been empowered by the Bank's Board to formulate the Bank's funding strategies to ensure that the funding sources are well diversified and is consistent with the operational requirements of the Bank. All the major decisions of ALCO are being reported to Risk Management Committee of Board (RMCB) periodically. In addition to daily/monthly LCR reporting, Bank prepares daily Structural Liquidity statements to assess the liquidity needs of the Bank on an ongoing basis.

The Bank does not have any group entities. Accordingly, the disclosure pertaining to interaction between group entities is not applicable. Liquidity management is carried out at the Bank level in accordance with the Bank's ALM Policy and applicable regulatory guidelines.

Annexure to the Quantitative Disclosure:

(Amount in ₹ Crore)

		Jun-25		Jun-24		Sep-25		Sep-24		Dec-25		Dec-24		Mar-26		Mar-25	
		Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets																	
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		83,331.04		67,762.45		89,244.86		74,050.96		87,621.55		75,594.21		94,248.85		79,145.04
Cash Outflows																	
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	2,32,360.42	22,592.14	2,21,886.43	21,638.10	2,34,916.45	22,837.59	2,21,292.57	21,528.27	2,45,583.69	23,862.65	2,24,127.97	21,798.20	2,52,546.91	24,508.77	2,29,543.66	22,319.07
(i)	Stable deposits	12,877.92	643.89	11,010.78	550.54	13,080.98	654.05	12,019.71	600.99	13,914.49	695.73	12,291.90	614.60	14,918.38	745.92	12,705.96	635.30
(ii)	Less stable deposits	21,98,482.50	21,948.25	2,10,875.66	21,087.57	2,21,835.47	22,183.54	2,09, 272.86	20,927.29	2,31,669.20	23,166.92	2,11,836.07	21,183.61	2,37,628.53	23,762.85	2,16,837.70	21,683.77
3	Unsecured wholesale funding, of which:	75,197.10	48,110.78	62,122.10	39,352.03	79,264.03	50,548.32	59,710.83	37,831.48	80,023.43	48,418.74	53,256.22	33,272.63	89,766.64	55,027.79	67,040.44	41,903.33
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	75,197.10	48,110.78	62,122.10	39,352.03	79,264.03	50,548.32	59,710.83	37,831.48	80,023.43	48,418.74	53,256.22	33,272.63	89,766.64	55,027.79	67,040.44	41,903.33
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	3,780.50	0.00	6, 077.30	0.00	386.25	0.00	4,825.51	0.00	2,007.45	4,279.01	6,765.82	0.00	370.38	0.00	4,716.98	0.00
5	Additional requirements, of which	14,416.27	2,421.18	17,745.67	2,695.20	21,004.02	5,169.52	14,436.70	2,221.14	27,160.08	4,279.01	16,519.01	2,474.17	29,006.42	4,240.22	15,545.40	2,311.43
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.61	0.61	432.73	432.73	25.44	25.44	224.39	224.39	113.76	113.76	177.39	177.39	170.82	170.82	6.71	6.71
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	14,415.66	2,420.57	17,312.94	2,262.70	20,978.58	5,144.08	14,212.31	1,996.75	27,046.32	4,165.25	16,341.62	2,296.78	28,835.60	4,069.40	15,538.69	2,304.72
6	Other contractual funding obligations	3,216.17	3,216.17	4,684.05	4,684.05	3,336.35	3,336.35	6,569.72	6,569.72	3,883.23	3,883.23	4,977.98	4,977.98	4,337.54	4,337.54	4,531.35	4,531.35
7	Other contingent funding obligations	21,725.84	651.78	18,335.03	553.71	23,375.22	701.26	18,924.64	568.16	25,759.99	772.80	19,763.51	592.91	27,839.15	835.17	20,076.63	602.30
8	**TOTAL CASH OUTFLOWS**		**76,992.05**		**68,923.09**		**82,593.04**		**68,718.77**		**81,216.43**		**63,115.89**		**88,949.49**		**71,667.48**
Cash Inflows																	
9	Secured lending (e.g., reverse repos)	0.00	0.00	0.00	0.00	128.16	0.00	0.00	0.00	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Annexure to the Quantitative Disclosure: (Contd.)

(Amount in ₹ Crore)

		Jun-25		Jun-24		Sep-25		Sep-24		Dec-25		Dec-24		Mar-26		Mar-25	
		Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)
10	Inflows from fully performing exposures	15,274.62	9,538.78	20,144.10	10,678.66	13,541.15	8,055.48	15,880.94	9,253.13	15,372.11	9,359.09	12,476.21	7,084.96	17,375.03	11,679.14	14,196.48	8,565.75
11	Other cash inflows	0.71	0.71	683.68	683.68	5.16	5.16	600.18	600.18	24.74	24.74	503.14	503.14	22.25	22.25	421.58	421.58
12	**TOTAL CASH INFLOWS**	**15,275.33**	**9,538.49**	**20,827.78**	**11,362.34**	**13,674.47**	**8,060.64**	**16,481.12**	**9,853.31**	**15,457.59**	**9,383.83**	**12,979.35**	**7,588.10**	**17,397.28**	**11,701.39**	**14,618.06**	**8,987.33**
13	**TOTAL HQLA**		**83,331.04**		**67,762.45**		**89,244.86**		**74,050.96**		**87,621.55**		**75,594.21**		**94,248.85**		**79,145.04**
14	**TOTAL NET CASH OUTFLOWS**		**67,452.56**		**57,560.75**		**74,532.40**		**58,865.45**		**71,832.60**		**55,527.79**		**77,248.10**		**62,680.15**
15	**LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)**		**123.54%**		**117.72%**		**119.74%**		**125.80%**		**121.98%**		**136.14%**		**122.01%**		**126.27%**

1. Unweighted values are calculated as outstanding balances maturing or callable within 30 days (for inflows and outflows) except where otherwise mentioned in the Circular and LCR template.
2. Weighted values are calculated after the application of respective haircuts (for HQLA) or inflow and outflow rates (for inflows and outflows).
3. Adjusted values are calculated after the application of both (i) haircuts and inflow and outflow rates and (ii) any applicable caps (i.e., cap on level 2B and level 2 assets for HQLA and cap on inflows).
4. The Disclosure pertaining to first three quarters of FY 2025-26 are as compiled by the management and relied upon by the auditors.

c) Net Stable Funding ratio (NSFR)

RBI introduced the Net Stable Funding Ratio (NSFR) in order to promote resilience of Banks over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. The minimum NSFR requirement set out in the RBI guidelines effective October 1, 2021, is 100%

Definition of NSFR: $\frac{\text{Available Stable Fund (ASF)}}{\text{Required Stable Fund (RSF)}}$

Significant/Key Drivers:

The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. Available stable funding (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year. The amount of required stable funding (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures.

Intra Period Changes in NSFR for FY 2025-26 (Four Quarters):

(Amount ₹ in Crore)

Details	Quarter Ended 31.03.2026	Quarter Ended 31.12.2025	Quarter Ended 30.09.2025	Quarter Ended 30.06.2025
Available Stable Funding (ASF) (Weighted Value)	3,24,340.86	3,03,814.30	2,95,124.43	2,79,680.98
Required Stable Fund (RSF) (Weighted Value)	2,53,928.94	2,38,857.01	2,26,651.51	2,17,671.34
NSFR in %	127.73%	127.20%	130.21%	128.49%

Bank has calculated NSFR for 31st March'2026 which stands at 127.73%, which is well above the RBI prescribed minimum requirement of 100%. Bank's majority funding is from Retail and Small Business customers, which provide high stability with regard to stability of Funding. Bank is having enough stable sources of funding to fund their activities on an ongoing basis over a longer-term time horizon.

The detailed Quantitative disclosure is placed below

(Amount ₹ in Crore)

		For Quarter Ended Dec 2025					For Quarter Ended Mar 2026				
		NSFR Disclosure Template					NSFR Disclosure Template				
		Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
ASF Item											
1	Capital: (2+3)	31,158.24	0.00	0.00	1,965.00	33,123.24	36,178.98	0.00	0.00	2,965.00	39,143.98
2	Regulatory capital	31,158.24	0.00	0.00	1,965.00	33,123.24	36,178.98	0.00	0.00	2,965.00	39,143.98
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	1,09,765.04	1,50,330.08	1,676.41	12,944.38	2,49,294.84	1,14,255.33	1,56,307.75	1,369.77	10,353.64	2,55,905.97
5	Stable deposits	13,216.11	1,891.18	35.64	621.84	15,007.63	14,331.20	1,896.81	60.72	663.76	16,138.05
6	Less stable deposits	96,548.93	1,48,438.90	1,640.77	12,322.54	2,34,287.22	99,924.13	1,54,410.95	1,309.04	9,689.88	2,39,767.92
7	Wholesale funding: (8+9)	0.00	29,604.55	11,049.13	115.30	20,384.48	0.00	35,115.58	19,529.68	127.04	27,386.15
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	0.00	29,604.55	11,049.13	115.30	20,384.48	0.00	35,115.58	19,529.68	127.04	27,386.15
10	Other liabilities: (11+12)	30,529.23	53,629.70	957.06	225.38	1,011.73	34,559.32	50,915.21	2,006.20	343.52	1,904.76
11	NSFR derivative liabilities		146.09	0.00	0.00			227.79	0.00	0.00	0.00
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	30,529.23	53,483.61	957.06	225.38	1,011.73	34,559.32	50,687.42	2,006.20	343.52	1,904.76
13	**Total ASF (1+4+7+10)**					**3,03,814.30**					**3,24,340.86**
RSF item											
14	**Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)**					**4,218.33**					**4,385.47**
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	506.12	62.61	0.00	157.76	174.86	441.35	137.28	0.00	243.33	133.73
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	44,400.98	59,904.57	87,471.03	1,17,074.12	2,04,632.74	45,471.28	55,070.50	92,707.40	1,30,845.22	2,17,166.68

The detailed Quantitative disclosure is placed below (Contd.)

(Amount ₹ in Crore)

		For Quarter Ended Dec 2025					For Quarter Ended Mar 2026				
		NSFR Disclosure Template					NSFR Disclosure Template				
		Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	785.50	3,494.33	2,350.24	9,083.55	11,538.69	1,493.78	2,943.29	2,024.64	10,339.28	13,188.36
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	41,886.91	54,363.41	83,329.60	57,835.97	1,51,529.44	42,373.57	51,706.21	90,031.56	67,501.84	1,62,026.61
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	1,081.67	1,027.32	1,792.61	9,427.06	8,240.64	975.30	1,827.87	871.02	9,921.79	8,432.55
21	Performing residential mortgages, of which:	35.85	1,670.62	1,540.39	26,027.89	19,304.60	34.53	248.57	12.90	29,455.58	20,196.12
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	35.85	1,367.36	1,314.14	18,471.01	13,370.21	34.53	154.47	12.34	21,548.36	14,112.28
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	1,692.72	376.21	250.79	24,126.71	22,260.02	1,569.40	172.43	638.30	23,548.52	21,755.59
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	1,253.51	846.47	89.71	27,820.92	28,219.58	1,221.36	1,660.82	21.97	27,898.72	29,648.29
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	1,241.11	1,054.94		0.00	0.00	1,241.11	1,054.94
27	NSFR derivative assets		22.06	0.00	0.00	22.06		20.67	0.00	0.00	20.67
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		7.30	0.00	0.00	7.30		11.39	0.00	0.00	11.39
29	All other assets not included in the above categories	1,253.51	817.11	89.71	26,579.81	27,135.28	1,221.36	1,628.76	21.97	26,657.61	28,561.29
30	Off-balance sheet items		35,012.03	81.17	97.49	1,611.50		54,845.31	70.67	112.23	2,594.77
31	**Total RSF (14+15+16+24+30)**					**2,38,857.01**					**2,53,928.94**
32	**Net Stable Funding Ratio (%)**					**127.20%**					**127.73%**

(₹ in Crore)

		For Quarter Ended Jun 2025					For Quarter Ended Sep 2025				
		NSFR Disclosure Template					NSFR Disclosure Template				
		Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
ASF Item											
1	Capital: (2+3)	31,237.36	0.00	0.00	2,065	33,302.36	31,193.11	0.00	0.00	1,965.00	33,158.11
2	Regulatory capital	31,237.36	0.00	0.00	2,065	33,302.36	31,193.11	0.00	0.00	1,965.00	33,158.11
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	1,03,503.97	1,42,984.32	1,663.36	6,044.20	2,30,076.72	1,07,102.87	1,48,666.42	1,395.61	10,328.02	2,42,503.39
5	Stable deposits	12,019.29	1,848.51	884.23	591.41	14,811.95	12,704.56	1,912.91	73.84	761.42	14,711.83
6	Less stable deposits	91,484.68	1,41,135.81	779.12	5,452.79	2,15,264.77	94,398.31	1,46,753.51	1,321.77	9,566.60	2,27,791.56
7	Wholesale funding: (8+9)	0.00	23,556.95	6,323.76	110.25	14,995.48	0.00	26,427.94	10,531.10	101.46	18,530.25
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	0.00	23,556.95	6,323.76	110.25	14,995.48	0.00	26,427.94	10,531.10	101.46	18,530.25
10	Other liabilities: (11+12)	35,645.65	45,105.85	1,488.09	13.22	1,306.42	28,271.22	51,398.82	512.87	28.66	932.68
11	NSFR derivative liabilities		32.19	0.00	0.00			167.94	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	35,645.65	45,073.66	1,488.09	13.22	1,306.42	28,271.22	51,230.88	512.87	28.66	932.68
13	**Total ASF (1+4+7+10)**					**2,79,680.98**					**2,95,124.43**
RSF item											
14	**Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)**					**3,992.60**					**4,297.99**
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	492.74	50.69	0.00	201.07	170.19	487.61	57.01	0.00	307.89	178.64
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	45,136.34	52,812.64	72,507.44	1,03,374.75	1,82,603.67	44,302.38	59,323.71	76,778.46	1,08,943.76	1,91,718.79
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	593.48	3,834.81	2,175.77	8,664.08	10,892.14	459.64	4,059.39	1,881.19	8,741.79	10,721.73
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	42,841.15	47,118.36	68,514.18	46,121.79	1,31,409.92	42,108.25	53,177.22	73,281.14	51,321.24	1,40,472.45
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	1,074.67	1,751.51	2,013.09	9,232.00	8,581.63	1,188.62	1,819.35	2,028.94	9,664.21	8,978.48
21	Performing residential mortgages, of which:	36.88	1,685.02	1,443.75	24,675.32	18,285.89	33.73	1,662.52	1,439.69	25,081.45	18,549.09
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	36.88	1,387.18	1,257.26	17,678.54	12,837.24	33.73	1,367.13	1,246.07	17,990.04	13,022.05
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	1,664.83	174.45	373.74	23,913.56	22,015.72	1,700.76	424.58	176.43	23,799.27	21,975.53
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	1,164.03	754.91	231.18	29,277.83	29,850.14	1,196.54	871.35	232.73	28,297.51	29,066.60

(₹ in Crore)

		For Quarter Ended Jun 2025					For Quarter Ended Sep 2025				
		NSFR Disclosure Template					NSFR Disclosure Template				
		Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	1,241.11	1,054.94		0.00	0.00	1,241.11	1,054.94
27	NSFR derivative assets		96.60	0.00	0.00	96.60		23.69	0.00	0.00	23.69
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		4.83	0.00	0.00	4.83		8.40	0.00	0.00	8.40
29	All other assets not included in the above categories	1,164.03	653.48	231.18	28,036.72	28,693.77	1,196.54	839.26	232.73	27,056.40	27,979.57
30	Off-balance sheet items		23,285.63	57.98	105.53	1,054.74		30,352.67	58.44	110.41	13,89.50
31	**Total RSF (14+15+16+24+30)**	**128.49%**				**2,17,671.34**					**2,26,651.51**
32	**Net Stable Funding Ratio (%)**					**130.21%**					

Note: The disclosure pertaining to first three quarters of FY 2025-26 are as complied by the management and relied upon by the auditors.

3. Investments

a) Composition of Investment Portfolio as at March 31st 2026

(Amount in ₹ Crore)

	Current Year							Previous Year						
	HTM		AFS	FVTPL		Subsidiaries, Associates & JVs		HTM		AFS	FVTPL		Subsidiaries, Associates & JVs	
	At cost	Fair Value		HFT	non- HFT	At cost	Fair Value	At cost	Fair Value		HFT	non- HFT	At cost	Fair Value
I. Investments in India														
(i) Government securities	91,314.11	89,519.62	17,104.39	1,184.16	0.00	0.00	0.00	86,977.44	87,228.94	14,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) Other approved securities	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00
(iii) Shares	0.00	0.00	777.13	275.74	454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	682.20	365.57	657.25	0.00	0.00
(iv) Debentures and Bonds	1,704.89	1,671.97	655.75	0.00	970.38	0.00	0.00	1,807.67	1,704.56	687.60	0.00	982.31	0.00	0.00
(v) Subsidiaries, associates and joint ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,19.37	1,211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.65	615.65
(vi) Others	0.00	0.00	0.00	18.23	549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13	598.56	0.00	0.00
Total	**93,019.00**	**91,191.59**	**18,537.27**	**1,478.13**	**1,975.29**	**1,219.37**	**1,211.45**	**88,785.11**	**88,933.50**	**15,958.20**	**380.70**	**2,239.13**	**615.65**	**615.65**
Less: Provisions for impairment/ NPI	0.00	0.00	88.54	38.41	371.67	0.00	0.00	0.00	0.00	171.72	0.00	787.93	0.00	0.00

a) Composition of Investment Portfolio as at March 31st 2026 (Contd.)

(Amount in ₹ Crore)

	Current Year							Previous Year						
	HTM		AFS	FVTPL		Subsidiaries, Associates & JVs		HTM		AFS	FVTPL		Subsidiaries, Associates & JVs	
	At cost	Fair Value		HFT	non- HFT	At cost	Fair Value	At cost	Fair Value		HFT	non- HFT	At cost	Fair Value
Net	**93,019.00**	**91,191.59**	**18,448.70**	**1,439.70**	**1,603.60**	**1,219.40**	**1,211.45**	**88,785.11**	**88,933.50**	**15,786.48**	**380.70**	**1,451.20**	**615.65**	**615.65**
II. Investments outside India														
(i) Government securities (including local authorities)	3,885.62	3,878.43	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.77	3,429.61	244.22	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) Subsidiaries, associates and joint ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.57	199.57
(iii) Other investments	52.67	52.67	42.40	0.00	52.88	0.00	0.00	47.50	47.50	37.58	0.00	47.66	0.00	0.00
Total	**3,938.29**	**3,931.10**	**87.93**	**0.00**	**52.88**	**0.00**	**0.00**	**3,503.27**	**3,477.11**	**281.80**	**0.00**	**47.66**	**199.57**	**199.57**
Less: Provisions for impairment/ NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	6.13	6.13
Net	**3,938.29**	**3,931.1**	**87.93**	**0.00**	**52.88**	**0.00**	**0.00**	**3,503.27**	**3,477.11**	**281.33**	**0.00**	**47.66**	**193.44**	**193.44**
Total investments (I+II)	**96,957.29**	**95,122.69**	**18,536.66**	**1,439.72**	**1,656.50**	**1,219.37**	**1,211.45**	**92,288.38**	**92,410.61**	**16,067.81**	**380.70**	**1,498.86**	**809.09**	**809.09**

#The Bank is holding equity and NCDs issued by M/s. TCI Sanmar Chemicals SAE under NPI investments of Hong Kong Branch as shown under Schedule -8 Investment Overseas. Since the account is under restructured category, the Bank is holding provision against the said investment exposure as under:

Type of Investment	Amount of provision as on 31.03.2026 (INR)	Amount of provision as on 31.03.2025 (INR)
TCI SANMAR CHEM.SAE – EQUITY	52,87,54,839.61	47,65,66,190.06
TCI SANMAR CHEM.SAE – NCD	34,58,08,199.80	31,18,33,062.60
TOTAL	**87,45,63,039.41**	**78,83,99,252.66**

The above-mentioned provision is held in books of Central Office.

b) Fair value hierarchy of investment portfolio measured at fair value on balance sheet

(Amount in ₹ Crore)

	Current Year								Previous Year							
	AFS				FVTPL				AFS				FVTPL			
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
I. Investments in India																
(i) Government securities	17,104.39	0.00	0.00	17,104.39	1,184.16	0.00	0.00	1,184.16	14,588.40	0.00	0.00	14,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) Other approved securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01
(iii) Shares	0.00	0.00	777.13	777.13	332.71	144.83	253.09	730.63	0.00	0.00	682.20	682.20	455.72	218.45	348.65	1,022.82
(iv) Debentures and Bonds	406.92	248.83	0.00	655.75	120.90	849.48	0.00	970.38	404.78	282.82	0.00	687.60	142.78	839.53	0.00	982.31
(v) Subsidiaries, associates and joint ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) Others	0.00	0.00	0.00	0.00	103.75	0.00	463.49	567.23	0.00	0.00	0.00	0.00	65.06	0.00	548.64	613.70
Total	**17,511.31**	**248.83**	**777.13**	**18,537.27**	**1,741.52**	**994.31**	**717.59**	**3,453.41**	**14,993.18**	**282.82**	**682.20**	**15,958.20**	**663.56**	**1,057.98**	**898.30**	**2,619.84**
II. Investments outside India																
(i) Government securities (including local authorities)	45.53	0.00	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	244.22	0.00	0.00	244.22	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) Subsidiaries, associates and joint ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) Other investments	42.40	0.00	0.00	42.40	0.00	0.00	52.88	52.88	37.12	0.00	0.00	37.12	0.00	0.00	47.66	47.66
Total	**87.93**	**0.00**	**0.00**	**87.93**	**0.00**	**0.00**	**52.88**	**52.88**	**281.34**	**0.00**	**0.00**	**281.34**	**0.00**	**0.00**	**47.66**	**47.66**
Total investments (I+II)	**17,599.24**	**248.83**	**777.13**	**18,625.20**	**1,741.51**	**994.31**	**770.47**	**3,506.29**	**15,274.52**	**282.82**	**682.20**	**16,239.54**	**663.56**	**1,057.98**	**945.96**	**2,667.50**

c) Net gains/(losses) on Level 3 financial instruments recognised in AFS-Reserve and Profit and Loss Account

(Amount in ₹ Crore)

	Current Year	Previous Year
Recognised in AFS-Reserve	320.82	259.48
Recognised in Profit and Loss Account	0.00	0.00

d) Details of sales made out of HTM:

Details of sales made out of the HTM category are disclosed in the Notes to Accounts of the financial statements in the format given below.

(Amounts in ₹ Crore)

		Current Year	Previous Year
A	Opening carrying value of securities in HTM	92,337.66	89,322.37
B	Carrying value of all HTM securities sold during the year	6,487.17	4,672.00
C	Less: Carrying values of securities sold under situations exempted from regulatory limit	5,150.11	680.67
D	Carrying value of securities sold (D=B-C)	1,337.06	3,991.33
E	Securities sold as a percentage of opening carrying value of securities in HTM (E=D÷A)	1.51	4.66
F	Amount transferred to Capital Reserve in respect of HTM securities which were sold at a gain	87.88	56.46

e) Reclassification between categories of Investments

Reclassification between categories of Investment -NIL

f) Movement of Provisions for Non-Performing Investments (NPIs) and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a. Opening Balance	2,149.54	2,485.55
b. Add: Provisions made during the year	115.83	100.31
c. Less: Write off/write back of excess provisions during the year	576.74	436.32
d. Closing Balance	1,688.63	2,149.54
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve		
a. Opening Balance	490.00	390.00
b. Add: Amount transferred during the year	0.00	100.00
c. Less: Drawdown	0.00	0.00
d. Closing balance	490.00	490.00
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and FVTPL (including HFT) category	2.23%	2.55%

g) Non-SLR Investment Portfolio

i) Non-performing non-SLR investments

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
a)	Opening balance as on 1st April	2,141.94	2,475.50
b)	Additions during the year since 1st April	115.83	100.31
c)	Reductions during the above period	570.13	433.87
d)	Closing balance as on 31st March	1,687.64	2,141.94
e)	Total provisions held	1,775.09	2,220.78

ii) Issuer composition of non-SLR investments

(Amount in ₹ Crore)

Sl. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		25-26	24-25	25-26	24-25	25-26	24-25	25-26	24-25	25-26	24-25
a)	PSUs	22,558.77	22,594.42	22,509.87	22,529.41	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	60.00
b)	FIs	599.86	578.97	589.61	572.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	Banks	717.33	782.03	498.12	681.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Private Corporates	2,728.69	2,877.12	2,163.63	2,566.40	0.00	0.00	52.61	47.66	52.94	47.50
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	1,219.37	815.23	1,219.37	615.65	16.88	8.75	16.88	8.75	16.88	8.75
f)	Others	3,931.15	3,699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	Provision held towards NPI	(497.61)	(965.25)	(459.20)	(958.64)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**31,257.56**	**30,382.51**	**26,521.40**	**26,006.68**	**16.88**	**8.75**	**69.49**	**56.41**	**111.82**	**116.25**

h) Repo transactions (in face value and market value terms)

(Amount in ₹ Crore)

	Minimum outstanding during the year 2025-26		Maximum outstanding during the year 2025-26		Daily average outstanding during the year 2025-26		Outstanding as on March 31, 2026	
	Fair Value	Market Value	Fair Value	Market Value	Fair Value	Market Value	Fair Value	Market Value
Securities sold under repo								
a. Government securities	1,932.14	1,887.75	50.00	48.47	41.56	42.14	0.00	0.00
b. Corporate debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under reverse repo								
a. Government securities	20.00	20.71	200.00	197.17	0.60	0.60	0.00	0.00
b. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Repo transactions (in face value and market value terms)

(Amount in ₹ Crore)

	Minimum outstanding during the year 2024-25		Maximum outstanding during the year 2024-25		Daily average outstanding during the year 2024-25		Outstanding as on March 31, 2025	
	Fair Value	Market Value	Fair Value	Market Value	Fair Value	Market Value	Fair Value	Market Value
Securities sold under repo								
a. Government securities	765.00	713.00	10,422.00	1,025.00	2,252.00	2,192.00	1,993.00	1,995.00
b. Corporate debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under reverse repo								
d. Government securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
e. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

i) Government Security lending (GSL) transactions (In Market value terms) as at March 31,2026

(Amount in ₹ Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on 31.03.2026
Securities lent through GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities Borrowed through GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities placed as collateral under GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities received as collateral under GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Government Security lending (GSL) transactions (In Market value terms) as at March 31,2025

(Amount in ₹ Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on 31.03.2025
Securities lent through GSL transaction	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities borrowed through GSL transaction	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities placed as collateral under GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities received as collateral under GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

4. Asset quality

a) Classification of advances and provisions held

(Amount ₹In Crore)

	Standard	Non-Performing				
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	Total
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	2,44,671.14	923.07	3,274.91	1,149.74	5,347.72	2,50,018.86
Add: Additions during the year					1,394.49	
Less: Reductions during the year					2,332.55	
Closing balance	3,06,012.83	982.82	2,250.85	1,175.99	4,409.66	3,10,422.49
Reductions in Gross NPAs to:						
i) Upgradation					209.61	209.61
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					932.88	932.88
iii) Technical/Prudential Write-offs					800.61	800.61
iv) Write-offs other than those under (iii) above					389.45	389.45
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	2,673.83	396.69	2,857.68	1,006.09	4,260.46	6,934.29
Add: Fresh provisions made during the year					833.00	
Less: Excess provision reversed/Write-off loans					1,428.24	
Closing balance of provisions held	5,386.99	541.69	2,028.54	1,094.99	3,665.22	9,052.21
Net NPAs						
Opening Balance		515.31	338.00	58.55	911.86	
Add: Fresh additions during the year		592.43			423.85	
Less: Reductions during the year					697.94	
Closing Balance		**440.66**	**146.03**	**51.08**	**637.77**	**637.77**
Floating Provisions						
Opening Balance						0.00
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						0.00

	Standard	Non-Performing				
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	Total
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						28,460.32
Add: Technical/Prudential write-offs during the year						794.80
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year						8,120.41
Closing balance						**21,134.71**

Ratios (in Percent)	2025-26	2024-25
Gross NPA to Gross Advances	1.42%	2.14%
Net NPA to Net Advances	0.21%	0.37%
Provision coverage ratio	97.50%	97.30%

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amounts in ₹ Crore)

S. No.	Sector*	2025-26			2024-25		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i) Priority Sector							
a)	Agriculture and allied activities	97,644.32	1,131.75	1.16%	70,570.35	1,661.73	2.35%
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending Services	19,838.35	515.66	2.60%	16,551.74	504.29	3.05%
c)	Services	26,900.68	406.73	1.51%	20,452.07	252.81	1.24%
d)	Personal loans	11,952.67	194.24	1.63%	8,193.22	303.62	3.71%
	Sub-total (i)	**1,56,336.02**	**2,248.40**	**1.44%**	**1,15,767.38**	**2,722.45**	**2.35%**
ii) Non-priority Sector							
a)	Agriculture and allied activities	6,176.74	14.83	0.24%	3,975.07	11.07	0.28%
b)	Industry	30,043.71	521.87	1.74%	23,422.14	852.95	3.64%
c)	Services	37,116.35	1,289.55	3.47%	51,484.20	1,310.66	2.55%

d)	Personal loans	79,136.46	335.01	0.42%	54,572.60	450.59	0.83%
e)	Food Credit	1,614.75	0.00	0.00%	797.46	0.00	0.00%
	Sub-total (ii)	**1,54,088.00**	**2,161.27**	**1.40%**	**1,34,251.47**	**2,625.27**	**1.96%**
Total (i + ii)		**3,10,424.02**	**4,409.66**	**1.42%**	**2,50,018.85**	**5,347.72**	**2.14%**

(*including PSLC SF/MF sale under Agriculture and excluding RIDF, SIDBI & NHB).

c) Overseas assets, NPAs and revenue

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Total Assets	30,126.91	29,083.30
Total NPAs	1,407.71	1,382.46
Total Revenue	1,230.09	1,097.95

d) Particulars of resolution plan and restructuring

i) Particulars of Resolution Plan:

Details on resolution of stressed assets, where viable resolution plan has not been implemented within 180 days/365 days of review period - Prudential framework:

(Amount in ₹ Crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular	Amount of loans to be classified as NPA	Amount of Loans as on 31.03.2026, out of classified as NPA	Provision held as on 31.12.2025	Addl. Provision made during quarter ended 31.03.2026	Provision out of (d) already made by 31.03.2026
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
628.52	0.00	0.00	248.97	0.00	238.19

ii) Acquisition of Shares pursuant to Debt-to-Equity Conversion under Restructuring Process:

As on 31.03.2026

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	No of Shares	Face value per Share (in ₹)	Face Value	Book Value
PC Jeweller Ltd	2,91,65,260	1.00	2.92	0.00
Bajaj Hindustan Sugar Ltd	2,52,63,505	1.00	2.53	0.00

As on 31.03.2025

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	No of Shares	Face value per Share (in ₹)	Face Value	Book Value
Roadstar Infra Investment Trust	82,00,000	10.00	82.00	82.00
Jindal India Thermal Power Ltd	17,59,994	10.00	1.76	0.00
MSP Steel & Power Ltd	71,17,553	10.00	7.12	19.44

e) Divergence in asset classification and provisioning

Disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is not required with respect to RBI's supervisory process for the year ended 31st March 2025, based on the conditions mentioned in Master Directions RBI/DOR/2025-26/167 DOR. ACC.REC. No.86/21.04.018/2025-26 dated 28.11.2025 on Reserve Bank of India (Commercial Banks -Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025.

f) Disclosure of transfer of loan exposures

i) In respect of "Loans not in default" @ that are transferred or acquired for the year end

a. Co-lending:

Mode of Acquisition	Corporate	Agri	Retail	MSME
	Direct Assignment	Direct Assignment	Direct Assignment	Direct Assignment
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (In Crore)	NIL	4,576.81	NIL	680.00
Weighted Average Residual Maturity (in years)	NIL	Less than 1 year	NIL	Less than 1 year
Weighted Average Holding period by originator (in years)	NIL	Less than1 year	NIL	NIL
Retention of Beneficial Economic interest by Originator	NIL	20%	NIL	20%
Tangible Security Coverage (%)	NIL	175.71	NIL	156%
Rating wise distribution of loans acquired by value	NIL	NA	NIL	ASSETS ARE UNRATED

b. Pool Buy out:

Mode of Acquisition	Corporate	Agri	Retail	MSME
	Direct Assignment	Direct Assignment	Direct Assignment	Direct Assignment
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (In Crore)	NIL	NIL	896.27	NIL
Weighted Average Residual Maturity (in years)	NIL	NIL	1.63	NIL
Weighted Average Holding period by originator (in years)	NIL	NIL	0.25	NIL
Retention of Beneficial Economic interest by Originator	NIL	NIL	10%	NIL
Tangible Security Coverage (%)	NIL	NIL	171.05%	NIL
Rating wise distribution of loans acquired by value	NIL	NIL	NA	NIL

ii) Details of Stressed Loan (NPA Accounts) transferred:

a) Details of stressed loans transferred during the year ended 31.03.2026

(Amount in ₹ Crore)

	To ARCs				To permitted transferees		To other transferees (please specify)	
	Y.E. 31.03.2026		Y.E. 31.03.2025		Y.E. 31.03.2026	YE 31.03.2025	YE 31.03.2026	YE 31.03.2025
No. of accounts	Individual Corporate Loans	28	Individual Corporate Loans	08	06	01	NIL	
	Portfolio of Unsecured Education NPA Loans	5042	Portfolio of Unsecured Education NPA Loans	7445	00	00		
	Total	**5070**	**Total**	**7453**	**06**	**01**		
Aggregate principal outstanding of loans transferred	2671.15		1346.95		446.97	36.83		
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NA*		NA*		0.00	3.8 Years		
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	27.31		0.00		0.00	0.00		
Aggregate consideration	831.81		503.88		33.41	27.13		
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00		3.47		0.00	0.00		

* Involves 99.45% sales under portfolio basis.

Details of loans acquired during the year

	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	
Aggregate consideration paid		
Weighted average residual tenor of loans acquired		

The Bank has reversed the amount of ₹483.88 Crore of excess provision to the profit & loss account on account of sale of stressed loans during year ending March 31st 2026.

b) Details of SMA loan Transferred:

NIL

c) Details of SMA/NPA loan acquired:

NIL

iii) Details of The Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2026

(Amounts in ₹ Crore)

Recovery Rating	Book Value (31.03.2026)	Book Value (31.03.2025)
RR1+(More than 150%)	6,810.83	68.11
RR1(100%-150%)	20,740.30	122.51
RR2(75%-100%)	5,307.76	0.00
RR3(50%-75%)	0.00	0.00
RR4(25%-50%)	0.00	0.00
RR5(0%-25%)	0.00	0.00
RR6	0.00	0.00
SRs-Rating Exempted during planning period	0.00	0.00
SRs-Unrated	0.00	230.75
Total	**32,858.89**	**421.37**

Further, one new Security Receipt has been added in the SR portfolio during the period April 01,2025 to March 31, 2026.

The details of Book value of Investment in Security Receipts may be disclosed as under:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Book value of Investment in Security Receipts		
(i) Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	328.59	421.37
(ii) Backed by NPAs sold by the other Banks/Financial Institutions/Non-Banking companies as under lying	0.00	0.00
Total	**328.59**	**421.37**

Additional Disclosure on Book value of Investment in Security Receipts.

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	SRs Issued within Past 5 Years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 Years	SRs issued more than 8 Years ago
(i) Book value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	328.59	0.00	1,174.86
Provision held against (i)	0.00	0.00	1,174.86
(ii) Book value of SRs backed by NPAs sold by other Banks/Financial Institution/Non-Banking Financial Companies as under lying	0.00	0.00	0.00
Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
Total(i)+(ii)	**328.59**	**0.00**	**1,174.86**

g) Additional Disclosure on Co-lending Arrangements (CLA) during the year ended 31.03.2026:

Particulars	CORPORATE	AGRI	RETAIL	MSME
No of CLA Partners	NIL	2	NIL	1
Quantum of CLA(₹ in Crore)	NIL	4,576.81	NIL	680
Weighted Average ROI	NIL	9.38%	NIL	8.50%
Fees Paid(Exclusive of GST)	NIL	0.22	NIL	0.22
Broad Sectors	NIL	AGRI	NIL	GOLD LOAN
Performance of loans under CLA satisfactory	NIL	Satisfactory	NIL	YES
Details of Default loss Guarantee	NIL	NIL	NIL	NA

h) Fraud accounts

a) Advance related fraud:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Number of frauds reported	30	28
Amount Outstanding in such Frauds on 31st March 2026 (Net off Deductions)	466.96*	30.51
Quantum of Provision made as on 31st March 2026	466.96*	30.51
Amount of Unamortized provision debited from 'Other reserves' as at the end of the year	0.00	0.00

*6 accounts are reclassified accounts amounting to ₹423.39 crore

The Bank has opted to provide full provision for the liability towards frauds during the year ended 31.03.2026 instead of spilling over a period of Four quarters

b) Other than Advance related frauds:

	2025-26	2024-25
Number of frauds reported	21	20
Likely loss in such frauds as on 31st March 2026	8.64	0.76
Quantum of Provision made as on 31st March (₹ Crore)	8.64	0.76
Amount of Unamortized provision debited from 'Other reserves' as at the end of the year	0.00	0.00

The Bank has opted to provide full provision for the liability towards frauds during the year ended 31.03.2026 instead of spilling over a period of four quarters.

c) Digital & UPI:

Particulars	2025-26	2024-25 (Amounts ₹ in crore)
Number of frauds reported	49	1,875
Likely loss for the frauds reported as on 31st March 2026 (₹ Crore)	0.00	0.003
Amount of Provision made for such frauds as on 31st March (₹ Crore)	0.00	0.003
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ Crore)	0.00	0.00

Bank has opted to provide full provision for the liability towards frauds for financial year ended March 31st 2026 instead of spilling over a period of four quarters.

During the year ended March 31st 2026, 49 number under Digital & UPI frauds category has been reported to Reserve Bank of India, where the likely loss is INR 0.

i) Disclosure related to Project Finance:

S. No	Item Description	Number of accounts	Total outstanding (in ₹ Crore)
1	Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter.	63	2,740.32
	Disbursement during the quarter		538.30
	Repayment		83.38
	Net addition		454.92
2	Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter.	12	237.89
3	Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter	1	89.85
4	Projects under implementation accounts at the end of the quarter. (1+2-3)	74	3,278.28
5	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	4	431.35
5.1	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	4	431.35
5.2	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	0	0.00
5.3	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	0	0.00
6	Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked due to change in scope and size of the project.	1	150.34
7	Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original/extended DCCO, as the case may be, was funded	0	0.00
7.1	Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously	0	0.00
7.2	Out of '7', accounts where SBCF was not presanctioned or renewed continuously	0	0.00
8	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process not involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	0	0.00
8.1	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	0	0.00
8.2	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	0	0.00
8.3	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	0	0.00

a. Exposure to real estate sector (Contd.)

(Amounts in ₹ Crore)

j) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

(Amounts in ₹ Crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of the previous half-year (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half- year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half- year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at theend of this half-year
Personal Loans	209.77	6.95	0.00	16.09	186.73
Corporate persons*	603.98	0.70	0.00	42.11	561.17
Of which MSMEs	350.37	0.70	0.00	36.11	313.56
Others	283.71	11.05	0.00	58.06	214.60
Total	**1,097.46**	**18.70**	**0.00**	**116.26**	**962.50**

* Includes the accounts were removed from restructured category due to regular repayment in last 12 months

k. In accordance with the Reserve Bank of India guidelines on "Relief for MSME borrowers either exempted or registered under Goods and Service Tax (GST)", the details of MSME restructured accounts as on 31.03.2026 are as under:

No. of Accounts	Aggregate exposure as on 31st March 2026
548	62.91

l. In accordance with the RBI guidelines on "Resolution Framework – 2.0: Resolution of COVID – 19 related stress of individuals and Small Business", the number of borrower accounts where modification was sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under:

(Amounts ₹ in crore)

No of Borrowers	Aggregate exposure as on March 31, 2026
5043	656.52

m. The disclosures as required under RBI circular guidelines, with respect to the number of accounts and the amount involved in those accounts where the Resolution period was extended is given for the quarter ended as on Mar 31,2026:

	2025-26
No of Accounts in which Resolution plan extended	886
Amount involved (₹In Crore)	58.37

n. As per RBI circular No DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017, and DBR. No.BP.1906/21.04.048/2017-18 dated August 28,2017 for the accounts covered under the provision of IBC (Insolvency and Bankruptcy code). The Bank is holding a total provision of ₹10,705.21 crore 99.68% of total outstanding of IBC admitted accounts of ₹10,741.76 crore as on 31.03.2026.

5. Exposure

a. Exposure to real estate sector

(Amounts in ₹ Crore)

Category	2025-26	2024-25
i) Direct exposure	41,495.73	36,777.80
a) Residential Mortgages:		
Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented.	37,247.74	33,018.59
Out of which, Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances are shown separately. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits	10,374.83	6,698.19
b) Commercial Real Estate:	3,585.63	2,929.58
Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure also include non-fund based (NFB) limits;		
c) Real estate others:	662.36	829.63
Hotels, Hospitals and liquirent not under CRE		
d) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures:	0.00	0.00
i. Residential		
ii. Commercial Real Estate		
ii) Indirect Exposure	2,829.26	3,856.02
Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies		
Total Exposure to Real Estate Sector	**44,324.99**	**40,633.82**

b. Exposure to capital market

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	891.44	863.20
ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.14	0.00

Particulars	2025-26	2024-25
iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	411.16	362.69
v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	0.00	0.00
vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	73.07	71.30
Total exposure to capital market	**1,375.81**	**1,297.19**

The exposure to Capital Market of ₹1,375.81 crore is within the limit of ₹9,159.32 crore (i.e. 40% of Bank's Net worth of ₹22,898.30 crore as on March 31, 2025).

The direct exposure to Capital Market of ₹964.52 crore is within the limit of ₹4,579.66 crore (i.e. 20 % of the Bank's net worth of ₹22,898.30 crore as on March 31, 2025).

Details of conversion of debt into equity as part of restructuring which are exempt from CME limits are as under:

FY 2026		FY 2025	
No. of Accounts	Amount (in crore)	No. of Accounts	Amount (in crore)
40	421.63	41	553.19

c. Risk category-wise country exposure (Amounts in ₹ Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2026	Provision held as at 31.03.2026	Exposure (net) as at 31.03.2025	Provision held as at 31.03.2025
Insignificant	15,231.70	0.00	11,598.54	5.03
Low	7,294.48	0.00	4,271.84	0.00
Moderately Low	70.86	0.00	2,660.89	0.00
Moderate	112.27	0.00	493.25	0.00
Moderately High	101.16	0.00	574.33	0.00
High	1,419.16	0.00	2.56	0.00
Very High	1.16	0.00	645.96	0.00
Total	**24,230.79**	**0.00**	**20,247.37**	**5.03**

d. Unsecured advances

The total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken as also the estimated value of such intangible collateral as per the following format:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Total unsecured advances of the bank	46,549.28	48,300.03
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	12,779.75	4,353.71
Estimated value of such intangible collateral	12,779.75	4,353.71

e. Factoring exposures

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Exposure of our Bank under Factoring	7,822.18	9,242.51

f. Intra-group exposures

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
i. Total amount of intra-group exposures	Nil	Nil
ii. Total amount of top 20 intra-group exposures	Nil	Nil
iii. % of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/ customers	Nil	Nil
iv. Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

g. Unhedged foreign currency exposures

The Bank has a Board-approved policy for management of risks arising from Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of borrowers, in line with RBI guidelines. The policy provides a comprehensive framework for identification, measurement, and monitoring of currency-induced credit risk, including assessment of potential loss arising from exchange rate volatility based on FEDAI-prescribed parameters and its impact on borrowers' earnings (EBID). The Bank obtains UFCE declarations from borrowers on a quarterly basis, with annual certification by statutory auditors, and evaluates the extent of financial and natural hedging in place. Based on the level of unhedged exposure and the resultant potential loss to EBID, incremental provisioning (ranging up to 80 bps) and additional capital requirements are computed and maintained in accordance with regulatory norms. The Bank also undertakes periodic monitoring, including more frequent assessment during periods of heightened exchange rate volatility, to ensure prudent management of currency-induced credit risk.

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
Incremental Provision (domestic)	13.60	13.80
Incremental Provision (overseas)	5.52	3.32
Total incremental Provision	19.12	17.12
Incremental RWA	313.99	566.34

Based on the available financial results and the declaration from borrowers, the Bank has estimated the liability towards Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI/DOR/2025-26/157.DOR.CRE.REC.76/07-02-001/2025-26 dated November 28, 2025 and the Bank holds provision of ₹19.12 Crores as on March 31, 2026.

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPA

a. Concentration of Deposits

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Total Deposits of twenty largest depositors	17,398.50	12,704.14
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the Bank	4.73%	4.07%

b. Concentration of advances*

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Total Advances to the twenty largest borrowers	38,672.27	37,164.75
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	12.46%	14.86%

*Advances have been computed based on credit exposure i.e funded and non funded limits including derivative exposures where applicable. The sanctioned limits or outstanding, whichever is higher, shall be reckoned. However, in the case of fully drawn term loans, where there is no scope for re-drawal of any portion of the sanctioned limit, banks may reckon the outstanding as the credit exposure. Gross Advances as on 31.03.2026 – ₹3 10 422.50 crores

c. Concentration of exposures (Credit and Investment Exposure)

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	48,840.77	44,505.78
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/customers to the total exposure of the bank on borrowers/customers	10.20%	11.99%

**Exposures have been computed as per applicable Reserve Bank of India regulation

d. Concentration of NPAs

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	1,543.48	1,466.51
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	35.00%	27.42%

6. Derivatives

a. Details of derivative portfolio

	Current year			Previous Year		
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3
Interest Rate Derivatives						
MTM – Assets	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
MTM – Liabilities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Net Gain/Loss recognised in Profit &Loss Account	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Exchange Rate Derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
MTM – Assets	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
MTM – Liabilities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Net Gain/Loss recognised in Profit &Loss Account	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Credit Risk Derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
MTM – Assets	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
MTM – Liabilities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Net Gain/Loss recognised in Profit &Loss Account	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Other Derivatives (specify)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
MTM – Assets	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
MTM – Liabilities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Net Gain/Loss recognised in Profit &Loss Account	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

b. Forward rate agreement/Interest rate swap

(Amounts in ₹ Crore)

PARTICULARS	2025-26	2024-25
i) The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
ii) Losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfil their obligations under the agreements		
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps		
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps		
v) The fair value of the swap book		
vi) Agreements as on the balance sheet date. For a trading swap the fair value shall be its mark to market value		

c. Exchange traded interest rate derivatives

(Amounts in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2026 (instrument wise)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	NIL	NIL
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	NIL	NIL

d. Disclosures on risk exposure in derivatives

i) Qualitative disclosures

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

a) The Market Risk Management Policy of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest/Exchange rates that arise on account of overseas borrowing/FCNR(B) portfolio/the asset liability mismatch, for funding overseas branches etc.

b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposure separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.

c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with the Banks and counterparties well within their respective exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.

d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.

e) The Bank has a system of continuous monitoring appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.

f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance sheet exposures.

g) The income from such derivatives are amortized and taken to profit and loss account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet Management, income on account of such gains would be recognized over the remaining contractual life of the swap or life of the assets/liabilities whichever is lower.

h) All the hedge transactions are accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.

i) The derivative transactions are conducted in accordance with the extant guidelines of Reserve Bank of India.

Risk Management policies pertaining to derivatives with particular reference to the extent to which derivatives are used, the associated risks and business purposes served. Also, to include

a) The structure and organization for management of risk in derivatives trading.

b) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems.

c) Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants; and

d) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation.

The Bank uses Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Govt. Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt. In addition, the bank also enters into rupee interest rate swaps for trading

purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

a) The bank has put in place an appropriate structure and organization for management of risk, which includes Treasury Department, Asset Liability Management Committee and Risk Management Committee of the Board.

b) Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), Credit risk (arising from probable counter party failure), Liquidity risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction at a reasonable price), Operational risk, Regulatory risk and Reputation risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives and proper risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of Bank for each counter party.

c) Derivatives are used by the bank for trading and hedging. The bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.

d) The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, as disclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies (Point No.6)

ii) Quantitative disclosures

(Amounts in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	2025-26		2024-25	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount) a) For Hedging b) For Trading	Nil	Nil	Nil	Nil
(ii)	Mark to Market Positions a) Asset (+) b) Liability (-)	Nil	Nil	Nil	Nil
(iii)	Credit Exposure	Nil	Nil	Nil	Nil
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) a) On hedging derivatives b) on trading derivatives	Nil	Nil	Nil	Nil
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year a) on hedging b) on trading	Nil	Nil	Nil	Nil

e. Credit default swaps

Credit default swaps: NIL

f. Disclosures relating to securitization

(Number/Amounts in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	Mar 31 2026	Mar 31 2025
1.	No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	NIL	NIL
2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	NIL	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures • First loss • Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures • First loss • Others	NIL	NIL
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitisations • First loss • Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitisations • First loss • Others	NIL	NIL
5.	Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	NIL	NIL
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	NIL	NIL

S. No.	Particulars	Mar 31 2026	Mar 31 2025
7.	Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. (a) Amount paid (b) Repayment received (c) Outstanding amount	NIL	NIL
8.	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	NIL	NIL
9.	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	NIL	NIL
10.	Investor complaints (a) Directly/Indirectly received and. (b) Complaints outstanding	NIL	NIL

7. Off balance sheet SPVs sponsored

Domestic	Overseas
Name of the SPV sponsored	
NIL	NIL

8. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Opening Balance of Amounts transferred to DEAF	2,311.24	2,003.50
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	389.42	361.54
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	158.79	53.80
Closing Balance of Amounts transferred to DEAF*	2,541.87	2,311.24

*The Amount is reflected as contingent liabilities -others, items for which the Bank is contingently liable under Schedule 12 of the financial statements as on 31.03.2026

9. Disclosure of complaints

a. Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
Complaints received by the Bank from its customers			
1	Number of complaints pending at beginning of the year	2,610	2,017
2	Number of complaints received during the year	1,86,011	2,10,075
3	Number of complaints disposed during the year	1,88,410	2,09,482
3.1	Of which, number of complaints rejected by the Bank	2,669	1,324
4	Number of complaints Pending at the end of the year	211	2,610

b. Top five grounds of complaints received by the bank from customers (Contd.)

	Maintainable complaints received by the Bank from office of Ombudsman		
5	Number of Maintainable complaints received by the Bank from Office of Ombudsman	2,298	1,508
5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the Bank by Office of Ombudsman	1,019	611
5.2	Of 5, Number of complaints resolved through conciliation/mediation/ advisories issued by Office of Ombudsman	1,278	897
5.3	Of 5, Number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the Bank	1	0
6	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note: Maintenable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in integrated Ombudsman Scheme 2021(Previously Banking Ombudsman Scheme,2006) and covered with the ambit of the scheme.

b. Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of Complaints, (i.e. Complaints relating to	Number of complaints pending at the beginning of the year	number of complaints received during the year	%Increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Current Year (FY 2025-26)					
Internet/Mobile/Electronic Banking	608	91,212	-5.28%	37	0
ATM/Debit cards	806	33,911	-26.67%	26	0
Credit Cards	144	1,939	110.30%	5	0
Loans and advances	43	1,451	147.19%	12	0
Cheques/Draft/bills	7	1,052	-7.56%	0	0
others	1,002	56,446	-13.01%	131	0
Total	**2,610**	**1,86,011**	**-11.45%**	**211**	**0**
Previous Year (FY 2024-25)					
Internet/Mobile/Electronic Banking	427	96,294	-18.53%	608	0
ATM/Debit cards	464	46,244	-36.40%	806	0
Credit Cards	298	922	-45.31%	144	0
Loans and advances	14	587	-33.52%	43	0
Cheques/Draft/bills	5	1,138	-58.53%	7	0
others	809	64,890	+6.03%	1,002	0
Total	**2,017**	**2,10,075**	**-18.39%**	**2,610**	**0**

10. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Penalties imposed by the Reserve Bank of India under the provisions of the (i) Banking Regulation Act, 1949, (ii) Payment and Settlement Systems Act, 2007 and (iii) Government Securities Act,2006 (for bouncing of SGL)	0.954	3.20
Number of instances of Default in a reverse repo transactions as well as the quantum of penalty paid to the RBI during the financial year	NIL	NIL

12. Disclosure on remuneration

S. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (₹) (2025-26)	Remuneration* Amount (₹) (2024-25)
1.	Shri. Ajay Kumar Srivastava	Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) From 01.01.2023	66,55,812.00	64,40,736.00
2.	Shri. Joydeep Dutta Roy	Executive Director From 31.01.2024	58,18,092.00	41,25,174.07
3.	Shri. Dhanaraj T	Executive Director From 10.03.2024	74,15,522.72	39,21,601.34

*Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, PF, PF arrears and performance linked incentive.

13. Other Disclosures

a. Business ratios

Particulars	2025-26	2024-25
i. Interest Income as a percentage to Working Funds	2.94%	2.94%
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.32%	1.49%
iii. Cost of Deposits	4.97%	5.08%
iv. Net Interest Margin	3.21%	3.25%
v. Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.34%	2.34%
vi. Return on Assets	1.23%	0.92%
vii. Business (deposits plus advances) per employee (in ₹ Crore)	32.26	26.80
viii. Profit per employee (in ₹ Crore)	0.25	0.16

1. Working funds reckoned as average of Total Assets (Excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X, during the12 months of the Financial Year.
2. Net Interest Income/Average Earning Assets. Net Interest Income= Interest Income - Interest Expense
3. Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).
4. For the purpose of computation of Business per Employee (Deposit plus Advances) inter Bank Deposits are excluded.

b. Bancassurance business

The details of fees/Brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business undertaken.

(Amounts in ₹ Crore)

S. No.	Nature of income*	2025-26	2024-25
(a)	For selling Life Insurance Policies	2.60	2.65
(b)	For selling Non-Life Insurance Policies	40.76	30.10
(c)	For Selling Mutual Fund products	0.54	0.56
(d)	Others – Related to previous years accounted during the year	0.00	1.01
(e)	PMJJBY-Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana	1.60	1.37
(f)	PMSBY-Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana	0.56	0.44
Total		**46.06**	**36.13**

* Fees/renumeration earned in respect of the Bancassurance Business undertaken by the bank.

c. Marketing and Distribution

The Bank has disclosed details of fees and remuneration received in respect of marketing and distribution functions (excluding bancassurance business) undertaken by it.

Nature of income	2025-26	2024-25
Marketing & Distribution Business	NIL	NIL

d. Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates

(Amounts in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	2025-26		2024-25	
		Purchase	Sales	Purchase	Sales
1	PSLC - Agriculture	NIL	NIL	NIL	NIL
2	PSLC - SF/MF	NIL	30,588.00	NIL	21,971.50
3	PSLC - Micro Enterprises	NIL	NIL	NIL	NIL
4	PSLC - General	NIL	NIL	NIL	NIL

e. Provisions and contingencies

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Provisions for Non Performing Investment/Written back	0.09	0.00
Provision towards NPA	833.00	834.02
Provision towards Standard Assets	2,726.49	3,585.28
Provision for Restructured accounts	(0.43)	(21.26)
Provision made towards Income Tax \ (Including Deferred Tax)	1,059.99	1,177.01
Other Provision and Contingencies	198.95	(221.74)
Total	**4,818.09**	**5,353.31**

f. Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

As per RBI guidelines, Bank is in the process of implementing Ind AS (Indian Accounting Standards). RBI vide Circular DBR. BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019 has deferred implementation of Ind AS for all Scheduled Commercial Banks till further notice. However, RBI requires all banks to submit Proforma Ind AS Financial Statements every half-year. As per RBI directive, a project Steering Committee headed by Executive Director has been formed for monitoring of Implementation of Ind AS in the Bank. Bank is submitting Ind AS Proforma Financial Statements to RBI on half yearly basis regularly after approval of Project Steering Committee.

g. Payment of DICGC Insurance Premium

(Amounts in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	378.92	337.16
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	NIL	NIL

h. Disclosure on unamortised Pension/Family Pension and Gratuity liabilities of Employees of Bank

1. Pension:

Unamortized Pension/Family pension liabilities as on March 31,2026 is NIL.

2. Gratuity:

Unamortised gratuity liabilities as on March 31, 2026, is NIL.

Provision for the employee benefits pertaining to Pension, Gratuity & Leave encashment have been made on the basis of Actuarial Valuation.

i. Letters of Comfort (LoC)

Banks disclose the full particulars of all the letters of comfort (LoCs) issued during the year, including its assessed financial impact, as also assessed cumulative financial obligations under the LoCs issued in the past and outstanding, in the published financial statements, as part of the "Notes to Accounts"

Particulars	FY 2025-26
Letters of Comfort issued during the year	-
Letters of Comfort outstanding as on 31.3.2026	3
Assessed Financial impact	-
Cumulative Assessed Financial Obligation	-

Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31,2026:

1. During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LoC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and/or infuse further capital in order to restore the CRAR to a minimum of 12%, subject to approval from Reserve Bank of India. The assigned capital of Bangkok Branch stands at THB 2,20,00,00,000(23%) as on March 31st, 2026.

   In the worst-case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA. Branch has to make additional provision to the extent of THB 1.644 Mio being unsecured portion of standard textile advances. If this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount.

2. During the year 2010-11, the Bank has issued a letter of Comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other Joint Venture partners will provide support to India International Bank (Malaysia) Berhad in funding, business

and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian laws, regulations and policies in the conduct of its business operations and management. The financial impact of the letter of Comfort issued to bank Negara Malaysia is to the tune of our share of 35% of the paid-up capital of MYR 330 Mio i.e., MYR 115.500 Mio. As of 31.12.2025, the entire book value of investment in IIBMB has been realized as part of voluntary winding up. IIBM therefore is no longer a Joint venture in the books of our Bank.

3. Based on the host country regulator's guidelines, Bank has issued letter of Comfort favoring CBSL at its meeting held on 12.09.2019 for meeting all obligations and liabilities arising out of business carried on by IOB Srilanka Branch.

j. Portfolio -level information on the use of funds raised from green deposits.

Particulars	2025-26	2024-25	Cumulative*
Total green deposits raised (A)	1.28	2.76	4.30
Use of green deposit funds			
1) Renewable Energy	0.50	1.10	1.86
2) Energy Efficiency			
3) Clean Transportation	0.78	1.66	2.44
4) Climate Change Adaptation			
5) Sustainable water and waste management			
6) Pollution Prevention and control			
7) Green Buildings			
8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use			
9)Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation			
Total Green deposit funds allocated (B=sum of 1 to 9)	**1.28**	**2.76**	**4.30**
Amount of Green Deposit funds not allocated (C=A-B)	0.00	0.00	0.00
Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects			

* Note: Green Deposits scheme introduced w.e.f 10.02.2024 and our various credit schemes like Surya under renewable energy and Electronic Vehicle under clean transport are in existence before the introduction of Green Deposits.

DISCLOSURES UNDER ACCOUNTING STANDARDS

1. Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

The financial statements have been prepared following the same accounting policies and practices as those followed for the year ended March 31, 2025.

During the year, there were no material prior period income/expenditure items.

2. Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

3. Accounting Standard 11 – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Opening Balance	1,129.56	983.90
Credited during the year	327.05	152.36
Withdrawn during the year	0.00	6.70
Closing Balance	**1,456.61**	**1,129.56**

4. Accounting Standard 15 – Employee Benefits

The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1. Short-Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits, such as medical benefits which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognized during the period when the employee renders the service.

2. Long-Term Employee Benefits:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

(I) Defined Benefit Plans

(a) Changes in the present value of the obligations:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)	
	2026	2025	2026	2025
Present Value of obligation as at the beginning of the year	14,355.12	13,465.63	1,647.18	1,494.38
Add: Acquisition Adjustment	-	-	-	-
Add: Interest Cost	988.82	857.34	107.19	104.53
Add: Past Service Cost	-	-	-	-
Add: Current Service Cost	332.92	314.79	71.75	95.59
Less: Benefits Paid	(1,319.01)	(1,262.45)	(89.84)	(97.27)
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	823.92	979.81	64.50	49.95
Present Value of Obligation at year end	**15,181.77**	**14,355.12**	**1,800.78**	**1,647.18**

(b) Change in Fair Value of Plan Asset:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)	
	2026	2025	2026	2025
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	14,355.12	13,465.63	1,647.18	1,494.38
Add: Acquisition Adjustment	-	-	-	-
Add: Expected return on Plan Assets	1,019.51	1,003.10	124.22	108.34
Add: Employer's contribution	1,014.53	1,080.15	108.00	105.37
Less: Benefit Paid	(1,319.01)	(1,262.45)	(89.84)	(97.27)
Add: Actuarial gain/(loss) on Obligations	111.62	68.69	11.22	36.36
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	15,181.77	14,355.12	1,800.78	1,647.18
Unfunded Transitional Liability	-	-	-	-

c) Amount recognized in Balance Sheet:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)	
	2026	2025	2026	2025
i) Present value of obligations as at the end of the year	15,181.77	14,355.12	1,800.78	1,647.18
ii) Fair value of Plan Assets as at the end of the year	15,181.77	14,355.12	1,800.78	1,647.18
iii) Difference	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00
v) Funded Net Assets to be recognized in Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00

(d) Expenses Recognized in Profit & Loss:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)	
	2026	2025	2026	2025
i) Current Service Cost	332.92	314.79	71.75	95.59
ii) Past Service Cost	-	-	-	-
iii) Interest Cost	988.82	857.34	107.19	104.53
iv) Expected return on Plan Asset	(1,019.51)	(1,003.10)	(124.22)	(108.34)
v) Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	712.30	911.12	53.28	13.59
vi) Transitional liability recognized in the year	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses Recognized in P&L (i+ii+iii+iv+v+vi)	**1,014.53**	**1,080.15**	**108.00**	**105.37**

(e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:

(Figures in %)

Particulars	Pension Trust		Gratuity Trust	
	2026	2025	2026	2025
a) Debt instruments/Central Govt Securities	3.27	3.40	7.86	8.53
b) State Govt Securities	5.95	4.70	10.50	9.25
c) Investments in PSU/PFI/Corporate bonds	6.53	6.27	11.26	11.13
d) Equity Investments	0.86	0.89	1.35	2.06
e) Other Investments	83.39	84.74	69.03	69.03
Total	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

(f) Principal actuarial assumption at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average):

(Figures in %)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2026	2025	2026	2025
Discount Rate	7.22	6.68	7.33	6.69
Expected Rate of Salary increase	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate	1.00	1.00	3.00	3.00
Pension Increase	4.00	4.00	-	-
Expected rate of return on Plan Assets	7.50	7.50	7.50	7.23
Mortality	2012-14 Modified Ultimate	2012-14 Modified Ultimate	2012-14 Ultimate	2012-14 Ultimate
Method used	Projected unit Credit		Projected unit Credit	

(g) Five year's disclosure for Pension

i) Surplus/Deficit in the plan

(Amounts in ₹ Crore)

Amount recognized in the Balance Sheet		As on March 31, 2022	As on March 31, 2023	As on March 31, 2024	As on March 31, 2025	As on March 31, 2026
i.	Present value of obligations as at the end of the year	10,703.91	11,569.76	13,465.63	14,355.12	15,181.77
ii.	Fair value of Plan Assets as at the end of the year	10,363.23	11,314.25	13,465.63	14,355.12	15,181.77
iii.	Difference (ii-i)	(340.68)	(255.51)	0.00	0.00	0.00
iv.	Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	Unrecognised Transition Liability	-	-	-	-	-
vi.	Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-v)	(340.68)	(255.51)	0.00	0.00	0.00

h) Five year's disclosure for Gratuity

i) Surplus/Deficit in the plan

(Amounts in ₹ Crore)

Amount recognized in the Balance Sheet		As on March 31, 2022	As on March 31, 2023	As on March 31, 2024	As on March 31, 2025	As on March 31, 2026
i.	Present value of obligations as at the end of the year	1,200.55	1,302.17	1,494.38	1,647.18	1,800.78
ii.	Fair value of Plan Assets as at the end of the year	1,225.20	1,326.82	1,494.38	1,647.18	1,800.78
iii.	Difference (ii-i)	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00
iv.	Unrecognized Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	Unrecognized Transition Liability	-	-	-	-	-
vi.	Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-v)	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00

(i) The financial assumptions considered for the calculations are as under:

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation (Balance sheet dated 31.03.2026).

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled.

Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is ₹64.80 crores.

II) Defined Contribution Plan:

The Bank has a Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after 1st April 2010. The Scheme is managed by NPS Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During FY 2025-26, the Bank has contributed ₹201.59 Crore (Previous Year ₹186.95 Crore).

III) Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation):

Retired Leave Encashment Benefit

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2026	2025
Present value of obligations as at the beginning of the year	869.28	752.15
Add: Interest Cost	56.27	52.28
Add: Past Service Cost	-	-
Add: Prior Service Cost	-	16.17
Add: Current Service Cost	87.89	85.80
Less: Benefits Paid	(56.43)	(58.17)
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	(66.55)	21.05
Closing Defined Benefit Obligation	**890.46**	**869.28**

b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT(Un Funded)	
	2026	2025
i) Current Service Cost	87.89	85.80
ii) Past Service Cost	-	-
iii) Prior Service Cost	-	16.17
iv) Interest Cost	56.27	52.28
v) Expected return on Plan Asset	0.00	0.00
vi) Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	(66.55)	21.05
Expenses Recognized in P&L	**77.61**	**175.30**

c) Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2026	2025
i) Opening Defined Benefit Obligation	869.28	752.15
ii) Net Acquisition Cost	-	-
iii) Expenses Recognized in P&L	77.61	175.30
iv) Benefits paid	(56.43)	(58.17)
v) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	895.04	873.87
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	(66.55)	21.05
Closing Defined Benefit Obligation	**890.46**	**869.28**

d) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

Particulars	ENCASHMENT (Un Funded)	
	2026	2025
Discount Rate	7.33%	6.69%
Expected Rate of Salary increase	5.00%	5.00%
Attrition Rate	3.00%	3.00%
Mortality	2012-14 Ultimate	2012-14 Ultimate
Method used	Projected Unit Credit	

The estimate of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market. Such estimates are very long-term and are not based on limited experience/immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long-term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

In respect of overseas branches, disclosures if any required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

5. Accounting Standard 17 – Segment Reporting

Segment Identification

A. Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank.

As per RBI guidelines and in compliance with the applicable Accounting Standards, the Bank has classified Treasury Operations, Corporate/Wholesale Operations, Retail Operations and Other Banking Operations as primary business segments, Domestic and International as secondary/geographic segments for the purpose of compliance with AS-17 on Segment Reporting issued by ICAI.

i. Treasury: The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate/Wholesale Banking: As per the RBI guidelines RBI/2020-21/53, DOR.No.BP.BC.23/21.06.201/2020-21, dated 12th October 2020, the Corporate/Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹7.50 Crores and above.

iii. Retail Banking: In compliance with RBI Circular RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 dated November 28, 2025, on Presentation & Disclosure, Retail Banking shall include exposures which fulfil the four criteria of orientation, product, granularity, and low value of individual exposures for retail exposures laid down in Reserve Bank of India (Commercial Banks – Prudential Norms on Capital Adequacy) Directions, 2025. Individual housing loans will also form part of Retail Banking segment for the purpose of reporting under AS-17.

iv. Digital Banking: For reporting of Digital Banking Segment as a sub-segment of Retail Banking Segment under Accounting Standard - 17 "Segment Reporting", bank has reported Digital Banking Segment as a sub-segment of Retail Banking Segment.

v. Other Banking Operations: Segments not classified under (i) to (iv) above are classified under this primary segment.

B. Secondary (Geographical Segment)

i. Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India.

ii. Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

C. Basis of Allocation:

i. Segment Assets and Liabilities have been apportioned on the basis of respective Segment Assets as allocated, wherever direct allocation is not possible

ii. Segment wise income and expenditure which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.

Part A: Business Segments

(Amounts in ₹ Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking						Other Banking Operations		TOTAL	
					Digital Banking		Other Retail banking		Total Retail Banking					
Particulars	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**
Revenue	8,885.70	7,917.88	11,036.61	10,066.82	0.49	0.22	16,846.75	14,313.65	16,847.24	14,313.87	613.95	640.60	37,383.50	32,939.17
Result	1,741.20	763.50	3,948.77	1,751.59	-1.15	-1.64	3,895.82	5,100.78	3,894.67	5,099.14	305.08	337.55	9,889.72	7,951.78
Unallocated Income													148.66	736.92
Unallocated Expenses													136.42	736.23
Operating Profit													10,026.14	8,688.01
Income Taxes													1,060.00	1,177.01
Provisions & Contingencies													3,758.11	4,176.29
Extraordinary profit/loss													0.00	0.00
Net Profit													5,208.03	3,334.71
Segment Assets	1,30,264.70	1,20,031.33	1,22,117.97	1,12,917.76	0.88	1.05	2,16,220.80	1,55,808.16	2,16,221.68	1,55,809.21	131.61	74.23	4,68,735.96	3,88,832.53
Unallocated Assets													4,583.90	6,182.41
Total assets													4,73,319.86	3,95,014.94
Segment Liabilities	1,10,733.80	1,06,524.26	1,17,007.36	1,07,128.51	0.88	1.05	2,07,584.70	1,48,219.43	2,07,585.58	1,48,220.48	392.89	530.34	4,35,719.63	3,62,403.59
Unallocated Liabilities													84.88	70.43
Total Liabilities													**4,35,804.51**	**3,62,474.02**

Part B – Geographic segments

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	Domestic		International		Total	
	2025-26	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**
Revenue	36,302.05	32,578.13	1,230.10	1,097.94	37,532.15	33,676.07
Assets	4,50,805.08	3,75,139.04	22,514.77	19,875.90	4,73,319.86	3,95,014.94

6. Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

a) Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

(a) Subsidiaries – NA

(b) Associates – Regional Rural Banks: Odisha Grameen Bank

(c) Associates – Others- ACER Credit Rating Pvt. Ltd

(d) Joint Venture: India International Bank (Malaysia) Berhad Ltd (Till 19.12.2025)

(e) Key Management Personnel of the Bank:

(i) Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director, and CEO

(ii) Shri Joydeep Dutta Roy, Executive Director

(iii) Shri Dhanaraj T, Executive Director

(iv) Shri Madhaw Chandra Jha, Chief Financial Officer

(v) Shri Raghuram Mallela, Company Secretary.

b) Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2025-26 and 2024-25:

(Amount in ₹)

Name of the Whole Time Director*	Remuneration * (2025-26)	Remuneration * (2024-25)
Shri Ajay Kumar Srivastava (MD & CEO)	66,55,812.00	64,40,736.00
Shri Joydeep Dutta Roy (ED)	58,18,092.00	41,25,174.07
Shri Dhanaraj T (ED)	74,15,522.72	39,21,601.34
Ms. S. Srimathy (ED, Exited on 09.03.2024)	--	19,78,160.00
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar (ED, Exited on 30.01.2024)	--	15,32,160.00

*Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

*In terms of RBI circular on notes to accounts, Key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.

c) Transaction with Related Parties (as compiled by the Management):

(Amounts in ₹ Crore)

Items/Related Party	Parent (as per ownership or control)	Subsidiaries	Associates/Joint ventures		Key Management Personnel @		Relatives of Key Management Personnel		Total	
			Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year
Borrowings	N.A.	N.A.	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.54
Deposits	N.A.	N.A.	979.97	3,239.64	3.78	4.00	2.52	3.28	986.27	3,246.92
Placement of deposits	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Advances	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investments	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Non-funded commitments	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements availed	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements provided	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Items/Related Party	Parent (as per ownership or control)	Subsidiaries	Associates/Joint ventures		Key Management Personnel @		Relatives of Key Management Personnel		Total	
			Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year
Purchase of fixed assets	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Sale of fixed assets	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Interest paid	N.A.	N.A.	6.21		0.04		0.00		6.25	
Interest received	N.A.	N.A.	101.42		0.20		0.14		101.76	
Rendering of services	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Receiving of services	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Management contracts	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	

No Disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled enterprises" as per paragraph 9 of accounting standard (AS-18). Further, in terms of paragraph 5 of AS-18, transactions in the nature of banker-customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and Relatives of Key Management Personnel.

There are no materially significant related party transactions to report during the year

7. Accounting standard 19: Lease

- Operating lease primarily comprises Office premises, which are renewable at the option of the Bank, normally, at the end of every 10th year
- As per the information available, non-cancellable lease as on 31.03.2026: NIL
- The amount of lease payment recognised in P & L Account for operating lease is as below:

Particulars	Current year
No of leased/Rented Premises	3,240
Amount (₹ in Crore)	378.29

8. Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2025-2026	2024-2025
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (₹ in Crores)	5,208.03	3,334.71
Weighted Average Number of Equity Shares	19,25,65,89,795	18,99,09,56,640
Basic & Diluted Earnings Per Share (in ₹)	2.70	1.76
Nominal value per Equity Share (in ₹)	10.00	10.00

9. Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

Provisions made towards Income Tax during the year:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Provision for Income Tax	9.85	17.01
Provision for Deferred Tax	1,050.14	1,160.00
Net Provision	1,059.99	1,177.01

During the current financial year, the Bank has exercised the option to transition to lower tax rate regime (New Tax Regime) i.e. 25.168% permitted under section 115BAA of the Income Tax Act ,1961 as against existing tax rate of 34.944% under old tax regime. The Deferred Tax asset has been remeasured accordingly.

Tax expense for the year amounting to ₹1,059.99 crore includes Current Tax expense for overseas branches of ₹9.85 crore and Deferred Tax expense of ₹1,050.14 crore.

Tax paid in advance (Net of provisions) is on account of amounts pending assessment/under appeal/tax paid under dispute. [Refer Schedule 11(iii)].

Deferred Tax:

The Bank has a carried balance of net Deferred Taxes up to March 31,2026 aggregating to ₹2,780.97 crore which was recognized in earlier periods. Bank has reversed deferred Tax Asset amounting to ₹1,050.14 crore for the year ended 31.03.2026.

The major components of DTA and DTL is given below:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	31.03.2026		31.03.2025	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Provision for Employee Benefits	226.69	0.00	286.86	0.00
Provision for Frauds	41.28	0.00	58.51	0.00
Provision for Other Assets	101.70	0.00	146.23	0.00
Provision for Restructured Advances	23.51	0.00	57.43	0.00
Reserve for Severance Pay	0.78	0.00	0.96	0.00
Provision for NPA	422.82	0.00	1,197.33	0.00
Foreign Currency Translation Reserve	325.09	0.00	390.74	0.00
Others	1,639.10	0.00	1,725.92	0.00
Total	**2,780.97**	**0.00**	**3,863.98**	**0.00**
Net DTA	**2,780.97**	**0.00**	**3,863.98**	**0.00**

The Bank has branches/offices having operations outside India in Singapore, Hong Kong, Colombo and Bangkok. Pillar Two legislation is enacted or substantively enacted in all countries but not yet in effect in Sri Lanka (for Colombo Branch). For FY 2025-26, these foreign branches have not paid any taxes under Pillar Two Legislation. Bank is in the opinion that, since there is no top-up tax obligation under pillar two norms, no portion of Bank's profit are subject to pillar two income.

Disputed Taxes

Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, certain judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating ₹4,631.56 Crore (previous year ₹4,061.92 Crore), Service Tax aggregating to ₹273.37 Crore (previous year ₹256.24 crore) and Goods and Service Tax aggregating to ₹1,613.47 Crore (Previous year ₹1,615.29 crores).

10. Accounting Standard-23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

The Bank presently holds 35% of equity of the newly formed entity "Odisha Grameen bank" effective May 01,2025 and the same is recognised as "Associate". The investment in Associate has been accounted for under equity method as per AS 23 (Accounting for Investment in Associates) and accordingly, the carrying amount of investment in equity shares of ₹1,195.98 Crores is adjusted against IOB's share of net assets of ₹671.50 Crores and the balance of ₹524.48 Crores is adjusted against balance in Reserves and Surplus to recognize the decline in the value.

The Bank has made fresh equity investment of ₹6.50 Crores on 02.07.2025 in M/s Acer Credit Rating Private Limited which is corresponds to a 26% shareholding in the Company, pursuant to which the company has been recognised as an "Associate"

under applicable accounting standards. The investment in Associate has been accounted for under equity method as per AS 23 (Accounting for Investment in Associates) and accordingly, the carrying amount of investment in equity shares of ₹6.50 Crores is adjusted against IOB's share of net assets of ₹6.32 Crores and the audited balance of ₹0.18 Crores is adjusted against balance in Reserves and Surplus to recognize the increase in value.

11. Accounting Standard 24 – Discontinuing Operations

India International Bank (Malaysia) Berhad (IIBM), was joint venture of the Bank and was under members voluntary Liquidation (MVL). During the year, the Bank received USD 25,717,298.33(equivalent to ₹230.88 crores) towards capital distribution/repatriation, against its original investment of ₹199.58 crores. Accordingly, the entire book value of the investment has been realized, and the provision of ₹6.13 crores held against the investment has been reversed. IIBM is no longer a joint venture in the books of the bank.

12. Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The software acquired by the Bank for core Banking systems and other services relating to Information Technology department are being capitalised under intangible assets and are amortized over 3 years.

13. Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interest in Joint Venture

India International Bank (Malaysia) Berhad (IIBM), was joint venture of the Bank and was under Members Voluntary Liquidation (MVL).During the year,the Bank received USD 25,717,298.33 (equivalent to ₹230.88 crore) towards capital distribution/repatriation, against its original investment of ₹199.58 crore. Accordingly, the entire book value of the investment has been realized, and the provision of ₹6.13 crore held against the investment has been reversed. IIBM is no longer a joint venture of the Bank.

The Bank is holding 18.06% in Universal Sompo General Insurance Company Ltd. Since the shareholding in the Company is less than 25%, the same has not been considered as Joint Venture for preparation of Consolidated Financial Results as per extant RBI guidelines.

14. Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets- refer Schedule no 12 of Balance Sheet

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

S. No	Particulars	Brief Description
1	Claims against the bank not acknowledged as debts	The Bank is a party to various proceedings in the normal course of business. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material advise effect on the Banks financial conditions, results of operations or cash flows. The Bank is also a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending.
2	Liability on partly paid-up investments/ venture funds	This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds. Bank is holding 11,055 equity Shares (SLR Investments) of M/s. Central Ware Housing Corporation Limited with face value of ₹1,000.00 per share as details below: • Face Value ₹1,10,55,000.00 • Book Value ₹98,95,000.00 Till date, the company has not called the remaining capital of ₹11,60,000.00. Hence, the uncalled capital amount of the company of ₹11,60,000.00 has been treated by the bank as Contingent Liability and accounted under the head as "Liability for Partly paid investments".

3	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Bank enters into foreign exchanges in its normal course of business to exchange currencies at a prefixed price at a future date. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. The notional amounts are recorded as Contingent liabilities with respect to the transactions entered with its customers, the Bank generally enters into off setting transactions in the interbank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
4	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial banking activities, the Bank issues documentary credits and guarantees on behalf of its customer. Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Bank. Guarantees generally represent irrevocable assurance that the bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations
5	Other items for which the Bank is contingently liable	The banks enter into currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with interbank participants on its own account and for customers. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on determined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as contingent liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts. Further, these also include estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, letter of comforts issued by the bank on behalf of associates & subsidiaries, banks liability under Depositors Education and Awareness Fund a/c and other sundry contingent liabilities.

16. Particulars of Accounts Restructured

(Amounts in ₹ Crore)

			2025-26																			
Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others Including Corporate					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
1	Restructured Accounts as on April 1, 2025	No. of Borrowers	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7,104.00	1,432.00	12,463.00	160.00	21,159.00	42,043.00	4,614.00	7,416.00	15.00	54,088.00	49,150.00	6,046.00	19,879.00	175.00	75,250.00
		Amount Outstanding	108.41	0.00	0.00	0.00	108.41	757.52	50.15	439.18	6.98	1,253.83	2,237.32	134.44	325.98	4.67	2,702.41	3,103.25	184.59	765.16	11.65	4,064.65
		Provision Thereon	9.88	0.00	0.00	0.00	9.88	69.83	18.49	359.38	6.98	454.68	184.69	93.67	222.75	2.29	503.40	264.40	112.16	582.13	9.27	967.96
2	Fresh Restructuring during 01.04.2025 to 31.03.2026 including increase in exposure for existing accounts	No. of Borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	(1,435.00)	1,347.00	88.00	1,254.00	1,254.00	(1,435.00)	1,347.00	88.00	1,254.00
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.73	(28.06)	18.39	9.67	66.73	66.73	(28.06)	18.39	9.67	66.73
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.07*	0.00	0.00	0.00	321.07*	209.24*	(23.51)	13.83	9.67	209.23	530.31*	(23.51)	13.83	9.67	530.30*
3	Upgradation of restructured standard category during 01.04.2025 to 31.03.2026	No. of Borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	(26.00)	(25.00)	0.00	0.00	253.00	(183.00)	(66.00)	(2.00)	2.00	304.00	(209.00)	(91.00)	(2.00)	2.00
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	(0.63)	(0.16)	0.00	0.00	47.66	(8.94)	(3.52)	(0.07)	35.13	48.45	(9.57)	(3.68)	(0.07)	35.13
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	(0.22)	(0.04)	0.00	0.00	23.09	(4.08)	(2.16)	(0.07)	16.78	23.35	(4.30)	(2.20)	(0.07)	16.78
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and/or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,466.00)	0.00	0.00	0.00	(3,466.00)	(3,466.00)	0.00	0.00	0.00	(3,466.00)
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(337.06)	0.00	0.00	0.00	(337.06)	(337.06)	0.00	0.00	0.00	(337.06)
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(33.71)	0.00	0.00	0.00	(33.71)	(33.71)	0.00	0.00	0.00	(33.71)
5	Downgradation of the restructured accounts during 01.04.2025 to 31.03.2026	No. of Borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(522.00)	(659.00)	1,032.00	149.00	0.00	(2,651.00)	2,255.00	75.00	321.00	0.00	(3,173.00)	1,596.00	1,107.00	470.00	0.00
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(16.32)	(14.67)	25.98	5.01	0.00	(90.62)	70.74	(36.26)	49.25	(6.89)	(106.94)	56.07	(10.28)	54.26	(6.89)
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1.77)	(9.92)	13.52	3.82	5.65	(7.81)	48.55	(37.26)	49.25	52.73	(9.58)	38.63	(23.74)	53.07	58.38
6	Write off/sale/ closure/exit from CDR/ recovery action initiated in restructured accounts during 01.04.2025 to 31.03.2026	No. of Borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,054.00)	(228.00)	(1,550.00)	(5.00)	(4,837.00)	(7,959.00)	(2,846.00)	(2,918.00)	(3.00)	(13,726.00)	(11,013.00)	(3,074.00)	(4,468.00)	(8.00)	(18,563.00)
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(152.74)	(18.47)	(147.25)	(0.66)	(319.12)	(350.30)	(93.66)	(160.90)	(1.25)	(606.11)	(503.04)	(112.13)	(308.15)	(1.91)	(925.23)
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(60.31)	(3.62)	(92.19)	(1.12)	(157.24)	(27.50)	(65.12)	(59.64)	(1.25)	(153.51)	(87.81)	(68.74)	(151.83)	(2.37)	(310.75)
7	Restructured Accounts as on March 31 of the 2026 (closing Figures)	No. of Borrowers	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3,579.00	519.00	11,920.00	304.00	16,322.00	29,468.00	2,405.00	5,854.00	419.00	38,146.00	33,050.00	2,924.00	17,774.00	723.00	54,471.00
		Amount Outstanding	114.77	0.00	0.00	0.00	114.77	589.25	16.38	317.75	11.33	934.71	1,197.25	74.52	143.69	62.27	1,477.73	1,901.27	90.90	461.44	73.60	2,527.21
		Provision Thereon	34.60	0.00	0.00	0.00	34.60	329.08	4.73	280.67	9.68	624.16	388.90	49.51	137.52	59.89	635.82	752.58	54.24	418.19	69.57	1,294.58

2024-25																							
Sl No.	Type of Restructuring / Asset Classification / Details		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others Including Corporate										Total
			Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	
1	Restructured Accounts as on April 1, 2024	No. of Borrowers	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	15,947.00	2,508.00	12,276.00	165.00	30,896.00	57,479.00	1,301.00	3,125.00	14.00	61,919.00	73,429.00	3,809.00	15,401.00	179.00	92,818.00	
		Amount Outstanding	158.08	0.00	0.00	0.00	158.08	1,736.01	200.96	376.02	8.06	2,321.05	3,210.03	337.46	334.67	2.87	3,885.03	5,104.12	538.42	710.69	10.93	6,364.16	
		Provision Thereon	10.92	0.00	0.00	0.00	10.92	161.60	94.58	272.34	8.06	536.58	277.81	232.11	247.22	2.86	760.00	450.33	326.69	519.56	10.92	1,307.50	
2	Fresh Restructuring during 01.04.2024 to 31.03.2025 including increase in exposure for existing accounts	No. of Borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	(2,130.00)	2,119.00	11.00	18.00	4,357.00	(2,343.00)	3,423.00	2.00	5,439.00	4,375.00	(4,473.00)	5,542.00	13.00	5,457.00	
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.51	(155.06)	154.74	0.32	8.51	152.35	(98.27)	128.47	2.40	184.95	160.86	(253.33)	283.21	2.72	193.46	
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	(61.80)	123.72	0.32	62.67	8.57	(45.13)	90.27	0.01	53.72	9.00	(106.93)	213.99	0.33	116.39	
3	Upgradation of restructured standard category during 01.04.2024 to 31.03.2025	No. of Borrowers	0.00	000	0.00	0.00	0.00	90.00	(45.00)	(44.00)	(1.00)	0.00	428.00	(255.00)	(147.00)	0.00	26.00	518.00	(300.00)	(191.00)	(1.00)	26.00	
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	(2.82)	(4.56)	0.00	0.00	91.98	(15.93)	(7.29)	0.00	68.76	99.36	(18.75)	(11.85)	0.00	68.76	
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	(0.27)	(0.41)	0.00	0.00	36.98	(6.78)	(4.93)	0.00	25.27	37.66	(7.05)	(5.34)	0.00	25.27	
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and/or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,978.00)	(2.00)	(1.00)	0.00	(1,981.00)	(3,866.00)	0.00	0.00	0.00	(3,866.00)	(5,844.00)	(2.00)	(1.00)	0.00	(5,847.00)	
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(470.09)	0.00	0.00	0.00	(470.09)	(461.52)	0.00	0.00	0.00	(461.52)	(931.61)	0.00	0.00	0.00	(931.61)	
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(47.00)	0.00	0.00	0.00	(47.00)	(46.15)	0.00	0.00	0.00	(46.15)	(93.15)	0.00	0.00	0.00	(93.15)	
5	Downgradation of the restructured accounts during 01.04.2024 to 31.03.2025	No. of Borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,414.00)	1,405.00	9.00	0.00	0.00	(3,962.00)	5,041.00	4.00	0.00	1,083.00	(5,376.00)	6,446.00	13.00	0.00	1,083.00	
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(49.59)	49.42	0.17	0.00	(0.00)	(110.51)	145.48	2.64	0.00	37.61	(160.10)	194.90	2.81	0.00	37.61	
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(4.87)	18.00	0.12	0.00	13.25	(4.76)	96.14	0.10	0.00	91.48	(9.63)	114.14	0.22	0.00	104.73	
6	Write off/sale/ closure/exit from CDR/ recovery action initiated in restructured accounts during 01.04.2024 to 31.03.2025	No. of Borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(5,559.00)	(304.00)	(1,896.00)	(15.00)	(7,774.00)	(8,120.00)	(5,841.00)	(4,203.00)	3.00	(18,161.00)	(13,679.00)	(6,145.00)	(6,099.00)	(12.00)	(25,935.00)	
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(474.70)	(42.35)	(87.19)	(1.40)	(605.64)	(256.05)	(170.47)	(94.87)	0.29	(521.10)	(730.75)	(212.82)	(182.06)	(1.11)	(1,126.74)	
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(41.01)	(32.13)	(36.39)	(1.40)	(110.93)	(25.91)	(169.04)	(98.46)	0.27	(293.14)	(66.92)	(201.17)	(134.85)	(1.13)	(404.07)	
7	Restructured Accounts as on March 31 of the 2025 (closing Figures)	No. of Borrowers	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7,104.00	1,432.00	12,463.00	160.00	21,159.00	42,043.00	4,614.00	7,416.00	15.00	54,088.00	49,150.00	6,046.00	19,879.00	175.00	75,250.00	
		Amount Outstanding	108.41	0.00	0.00	0.00	108.41	757.52	50.15	439.18	6.98	1,253.83	2,237.33	134.44	325.98	4.67	2,702.42	3,103.26	184.59	765.16	11.65	4,064.66	
		Provision Thereon	9.88	0.00	0.00	0.00	9.88	69.83	18.49	359.38	6.98	454.68	184.69	93.67	222.75	2.29	503.40	264.40	112.16	582.13	9.27	967.96	

ADDITIONAL DISCLOSURE:

1. As per RBI guidelines, RBI/DOR/2021-22/83DOR. ACC.REC. No.45/21.04.018/2021-22 dated October 25, 2023, the details of Miscellaneous Income under the head "Other Income" exceeding 1% of the Total Income is as under:

Schedule	Item under the Subhead/Head	Period	Amount in Crore	Amount in Percent
Schedule 14 Other Income (VII Miscellaneous income)	Other income including Recovery received in Technical write off Accounts	Quarter ended 31.03.2026	703.66	7.19
		Year ended	2,966.32	7.90

2. Lien Marked deposits as on 31.03.2026 for deposits held under lien is ₹16,603.93 crores (previous year ₹5,439.48 crores) against Loan, LG, LC and attached by Govt. authorities.

3. Details of Single Borrower Limit (SBL) , Group Borrower Limit (GBL) exceed by the Bank:

Domestic:

- Banks Tier 1 capital as on 31.03.2025 is ₹27,897.09 crore. as per LEF norms as on 31.03.2025, 20% of tier 1 capital is ₹5,579.42 crore and 25% of tier1 capital is ₹6,974.27 crore.
- There is no breach under single counter party exposure as per Tier 1 capital ie., ₹27,897.09 crore as on 31.03.2025.
- There are no breaches in any account under Group counter party exposure as per Tier1 capital i.e., ₹27,897.09 crore as on 31.03.2025 and all the accounts are within 25% of Tier 1 capital.

Overseas Branches:

(in USD MIO)

S. No	Name of the Borrower (Branch)	Exposure Ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Amount outstanding during the period limit exceeded	Board sanctioned details	Position as on 31.03.2026 Outstanding
1	ONGC Videsh Ltd (Singapore)	SBL-60.000 GBL-85.000	58.000 (SBL exceeds)	08.06.2023-17.12.2025 (Last Renewed on 24.10.2025)	58.000	Board ratification obtained on 24.06.2023	18.000
2	REC Limited (Singapore)	SBL-60.000 GBL-85.000	65.000 (SBL Exceeds)	21.09.2022-till date (Last reviewed on 15.11.2025)	65.000	Board ratification obtained on 29.12.2022	65.000
3	King empire Group Limited (Hong Kong)	SBL-60.000 GBL-85.000	30.000 (GBL Exceeds)	29.11.2023 – 26.02.2026 (last Reviewed on 27.12.2024)	0.000	Board ratification obtained on 20.12.2023	14.382
4	Five Element Industry limited (Hong Kong)	SBL-60.000 GBL-85.000	55.000 (SBL & GBL Both Exceed)	29.11.2023-26.02.2026 (last Reviewed on 16.03.2026)	41.789	Board ratification obtained on 20.12.2023	21.781
5	TCI Sanmar chemicals (TCIS) (Hong Kong)	SBL-60.000 GBL-85.000	45.632 (SBL Exceeds)	30.08.2024- till 26.02.2026 (last reviewed on 19.12.2025)	5.896	Board ratification obtained on 06.11.2024	45.632

As of 31.03.2026, the above accounts are within the SBL and GBL limits except serial no. 2 which exceeds the SBL but however it is within the GBL.

4. Investments:

i In respect of investments held above the face value, premium of ₹102.72 Crore was amortized during the year (previous year ₹82.20 Crore). During the financial Year, an amount of ₹286.80 Crore was accrued as discount on investments held below the face value (previous ₹295.23 crore). These are accounted in Interest Income as per the extant directions of Reserve Bank of India.

ii Further, a sum of ₹4,100.00 Crore (Face Value) being non-Interest bearing GOI Recapitalization Bonds are maturing from March 2031 to March 2036 and held under Held to Maturity category. They are valued as per the extant directions of RBI and discounted on monthly intervals. During the financial Year, an amount of ₹184.74 Crore was accrued as discount on these non-Interest bearing GOI Recapitalization Bonds (Previous year ₹185.08 Crore). As on 31.03.2026, the carrying cost of these bonds is ₹2,738.68 Crore as against ₹2,553.94 Crore as on the date of 31.03.2025.

iii Securities of Face Value for ₹1,017.00 Crore (previous year ₹517.00 Crore) towards CCIL Settlement Guarantee Fund/Default Fund and securities for ₹12,268.00 Crore (previous year ₹12,918.00 Crore) towards collateral for borrowing under TREPS/Default Fund have been kept with Clearing Corporation of India Limited. Besides, securities to the extent of ₹132.10 Crore (previous year ₹132.10 Crore) has been lodged with CCIL towards default fund for Forex operations and ₹15.00 Crore (previous year ₹15.00 Crore) held for Currency derivative segment. The Bank has placed securities of face value ₹3,000.00 Crore (previous year ₹3,000.00 Crore) with Reserve Bank of India for intraday borrowing. The Bank has also placed Securities to the extent ₹7,200.00 Crore (previous year ₹17,500.00 Crore) with Reserve Bank of India for our borrowing under the LAF window.

iv The Bank sold Government Securities from HTM category during the year, both outright and under Reserve Bank of India's Open Market Operations (OMO). The extent of sale by the Bank under OMO was ₹5,150.11 Crore (BV) [previous year: ₹680.67 Crore] and earned a profit of ₹64.83 Crore [previous year: ₹4.72 Crore]. The Bank has also sold Government Securities (other than OMO), to the extent of ₹1,337.06 Crore (BV) [previous year ₹3,991.33 Crore] (within 5%, prescribed limit of Reserve Bank of India) and booked a profit of ₹23.05 Crore [previous year ₹51.74 Crore]. In accordance with the RBI guidelines the profit on sale of Securities under HTM category has been taken to Profit & Loss account of ₹87.88 Crore [previous year ₹56.46 Crore] and subsequently has been appropriated to capital reserve account (Net of taxes and amount to be transferred to Statutory Reserve).

5. Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)

The Profit on sale of assets during the year was ₹2.02 crore out of which an amount of ₹1.52 crore has been transferred to capital reserve as per the consistent practice followed by the Bank.

6. Inter Branch Reconciliation/internal office accounts

Reconciliation of Inter Branch transactions and internal/office accounts is under progress at different stages at the branches and/or Central Office Departments. Steps are being taken to eliminate the outstanding entries at the earliest. The necessary accounting adjustments if any required shall be carried out on the completion of such process. The management however does not anticipate any material consequential effect of pending reconciliation and elimination of outstanding entries.

7. MSMED ACT 2006

Based on the vendor information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year. MSME status is being updated based on vendor information to the extent received.

8. Depreciation on Revalued Premises Assets

During the current financial year, the Bank has revised the method of charging depreciation on revalued premises in order to align with declared accounting policy and to provide the depreciation over the remaining useful life as determined on the date of revaluation, subject to the maximum of useful life prescribed under the accounting policy, as against the earlier practice of depreciating such assets over the useful life specified therein.

Pursuant to above, an additional depreciation of ₹13.69 crores has been charged to the profit and loss account for the year and the carrying value of the Gross Block and the Revaluation reserve have been correspondingly adjusted.

9. Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped/rearranged/ reclassified wherever considered necessary.

Independent Auditors' Report

To
The Members of
Indian Overseas Bank

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

OPINION

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Indian Overseas Bank (the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2026, the Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year then ended and Notes to the Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which are included the returns for the year ended on that date of:

   a) The Central office and 20 branches audited by us:

   b) 1073 domestic branches and 14 other offices audited by the respective Statutory Branch Auditors and;

   c) 04 foreign branches audited by the respective local Auditors.

   The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India ('RBI').

   Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 2377 Domestic Branches and 56 other offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches and other offices account for 24.27% of advances, 50.79 % of deposits, 11.89% of interest income and 26.56% of interest expenses.

   In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act 1949 (the "Act"), in the manner so required for the Bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and:

   a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2026;

   b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit; and

   c) the Cash Flow statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

BASIS FOR OPINION

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, as amended from time to time subject to Directions/Guidelines issued by the Reserve Bank of India and provisions of section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the RBI from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

EMPHASIS OF MATTER

3. We draw attention to Note No. 9 (AS -22) in Schedule 18 of Standalone Financial Statements regarding carried balance of ₹2780.97 crore relating to Deferred tax asset and reversal of ₹1050.14 crore during the year on estimated basis and the management's assessment of the realizability of the carried balance of the Deferred tax asset as on March 31,2026.

   Our opinion is not modified in respect of above matter.

KEY AUDIT MATTERS

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters of the Bank to be communicated in our report:

I. Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Para 5 of Schedule 17 to the financial statements)

The net advances of the Bank constitute 64.78 percent of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA) except in case of foreign offices in which case the classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRACP norms as per its accounting policy followed.

Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing.

Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non- performing assets.

The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms are not properly followed.

Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/judgement involved in valuation of securities and calculation of provisions, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements.

Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing including the following:

a) We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and had accordingly planned our audit procedures.

b) The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norms in respect of the top 20 branches allotted to us. In carrying out substantive procedures at the branches allotted to us, we have examined large advances/stressed advances while other advances have been examined on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management.

c) Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank.

d) Relied on the returns received from the branches not subject to audit and in that regard reviewed the internal monitoring mechanisms/ systems of the Bank to satisfy the correctness of the sample data made available to us and ensured exceptions/deviations/errors noticed during our audit procedures were adequately considered by the Bank.

e) Test checked the identification and provisioning of non-performing assets and corresponding reversal of income, in accordance with RBI Guidelines issued from time to time.

f) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms.

g) Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI.

h) We have also relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected by the Bank.

i) Review of files of the borrowers selected on sample basis and operations of such accounts.

j) Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

II. Information Technology (IT) and controls impacting financial Reporting

The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently.

Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.

Technology (IT) systems are used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which are highly dependent on IT systems. There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, hence considered as a key audit matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

Our audit procedures include assessment and identification of key IT applications, and further verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system on the basis of reports/returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis. Our audit procedures included:

a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit.

b) Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.

c) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidence.

d) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits.

e) Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.

f) Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IT Department on compliance with key IT controls.

III. Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Refer Para 4 of Schedule 17 read with Note 3 of Schedule 18 to the financial Statements)

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.

Investments constitute 25.31 percent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc.

Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/ depreciation related to Investments.

Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on:

a) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments.

b) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample.

c) Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the latest available financial statements or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines.

d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision.

e) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.

IV. Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Refer Para 13 of Schedule 17 read with Note 14 (AS-29) of Schedule 18 and Schedule 12 to the financial statements):

The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in Tax and

non-tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outflow in such matters.

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet.

We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/interpretation of law involved.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

a) We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters.

b) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax/non tax positions.

c) Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Bank in relations to such disputed tax positions.

d) Read and analysed select key correspondences, internal/external legal opinions/consultations by management for key disputed non tax matters.

e) Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/ other corporate.

f) Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions.

g) Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases.

5. Other Matters

We did not audit the financial Statements/financial information of 1073 domestic branches , 14 other offices and 04 foreign branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements/financial information reflects total Assets of ₹2,45,922.24 crores as at March 31,2026 and total revenue of ₹19,96,056.78 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches and offices cover 50.14 % of total advances, 44.02 % of total deposits and 25.83 % of non-performing assets as at 31st March 2026 and 53.18 % of revenue for the year ended on 31st March 2026. The financial statements/information of these branches have been audited by the Bank's Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the reports of such branch auditors. Our opinion is not modified in respect of above matters.

INFORMATION OTHER THAN THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITORS' REPORT THEREON

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises Directors' Report, Corporate Governance report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon. The other information is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the

Basel III Disclosure and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Directors' Report, Corporate Governance report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by RBI from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone financial statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

AUDITORS' RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the

Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

   Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5, 7 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

   b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank and

   c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. As required by letter no. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks-Reporting obligations for SCAs from F.Y. 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

    a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

    b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

    c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013, the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.

    d) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

    e) Our Audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial Reporting with reference to financial statements is given in Annexure 'A' to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Banks's operating effectiveness of internal financial controls over financial Reporting with reference to financial statements as at March 31,2026.

11. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) The Balance Sheet, Profit and Loss account and Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited by us;

c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W

Anand Golas
Partner
M. No.: 400322
UDIN: 2640322WFFBTN7506

For Tej Raj & Pal
Chartered Accountants
FRN: 304124E

Dinakar Mohanty
Partner
M. No.: 059390
UDIN: 26059390IUOVSI5022

For Laxmi Tripti & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009189C

L N Agrawal
Partner
M. No.: 078427
UDIN: 26078427LCTLBJ3787

For Sanjeev Omprakash Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN: 008773C

Vikas Mittal
Partner
M. No.: 407833
UDIN: 26407833DORGRB7060

Place: Chennai
Date: 29.04.2026

Annexure 'A'

To the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 10(e) under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our report of even date)

Report on the Internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter no. DOS. ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

OPINION

We have audited the internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements of Indian Overseas Bank (the "Bank") as of March 31, 2026 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements of the Bank's branches.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements and such internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2026, based on "the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India".

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India". These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements.

MEANING OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS OVER FINANCIAL REPORTING WITH REFERENCE TO FINANCIAL STATEMENTS

A Bank's internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

INHERENT LIMITATIONS OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS OVER FINANCIAL REPORTING WITH REFERENCE TO FINANCIAL STATEMENTS

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

OTHER MATTER

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial Reporting with reference to Financial Statements of 1073 domestic branches and 14 other offices is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W

Anand Golas
Partner
M. No.: 400322
UDIN: 2640322WFFBTN7506

For Laxmi Tripti & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009189C

L N Agrawal
Partner
M. No.: 078427
UDIN: 26078427LCTLBJ3787

For Tej Raj & Pal
Chartered Accountants
FRN: 304124E

Dinakar Mohanty
Partner
M. No.: 059390
UDIN: 26059390IUOVSI5022

For Sanjeev Omprakash Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN: 008773C

Vikas Mittal
Partner
M. No.: 407833
UDIN: 26407833DORGRB7060

Place: Chennai
Date: 29.04.2026

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

(₹ in '000s)

	SCHEDULES	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	01	192 56 58 98	19256 58 98
Reserves and Surplus	02	17734 07 77	12976 75 83
Deposits	03	368191 25 42	311204 17 55
Borrowings	04	51602 57 20	42227 66 32
Other Liabilities and Provisions	05	16010 69 90	9044 80 63
TOTAL		**472795 19 27**	**394709 99 31**
ASSETS			
Cash and balances with Reserve Bank of India	06	16605 92 89	18115 87 16
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	8616 64 50	3103 76 35
Investments	08	119284 86 87	110587 96 89
Advances	09	306621 81 47	245555 16 84
Fixed Assets	10	5074 54 35	4654 82 10
Other Assets	11	16591 39 19	12692 39 97
TOTAL		**472795 19 27**	**394709 99 31**
Contingent Liabilities	12	153282 73 84	159405 16 51
Bill for collection		18383 96 22	17088 33 51

Significant Accounting Policies 17

Notes on Accounts 18

Schedules Form Part of the Balance Sheet

FOR AND ON BEHALF OF BOARD

MADHAW CHANDRA JHA
CHIEF FINANCIAL OFFICER

DHANARAJ T
EXECUTIVE DIRECTOR

JOYDEEP DUTTA ROY
EXECUTIVE DIRECTOR

AJAY KUMAR SRIVASTAVA
MANAGING DIRECTOR & CEO

SRINIVASAN SRIDHAR
NON-EXECUTIVE CHAIRMAN

NEELAM AGRAWAL
DIRECTOR

THOMAS MATHEW
DIRECTOR

VENKATARAMANAN G
DIRECTOR

Place: Chennai
Date: 29.04.2026

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2026

(₹ in '000s)

	SCHEDULES	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
INCOME			
Interest Earned	13	31895 67 85	28143 64 15
Other Income	14	5846 90 27	5606 66 67
TOTAL		**37742 58 12**	**33750 30 82**
EXPENDITURE			
Interest Expended	15	19322 04 24	17244 47 60
Operating Expenses	16	8183 97 89	7756 26 52
Provisions and Contingencies		4818 09 40	5354 06 33
TOTAL		**32324 11 53**	**30354 80 45**
PROFIT/LOSS (-)			
Net Profit/Loss (-) for the year		5418 46 59	3395 50 37
Profit/Loss (-) brought forward		(12537 85 33)	(14473 93 34)
TOTAL		**(7119 38 74)**	**(11078 42 97)**
APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		1302 00 84	833 67 63
Transfer to Revenue and Other Reserves		244 51 97	482 05 67
Transfer to Capital Reserve		67 42 68	43 69 06
Transfer to Investment Fluctuation Reserve		0	100 00 00
Proposed Dividend (including Dividend Tax)		0	0
Balance carried over to Balance Sheet		(8733 34 23)	(12537 85 33)
TOTAL		**(7119 38 74)**	**(11078 42 97)**
Basic & Diluted Earnings per share (₹)		2.70	1.76
Nominal Value per Equity Share (₹)		10.00	10.00

Note:Other Income include profit from Associate

Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE
FOR AND ON BEHALF OF CHARTERED ACCOUNTANTS

R.DEVENDRA KUMAR & ASSOCIATES
FRN: 114207W

(ANAND GOLAS)
PARTNER
M NO: 400322

TEJ RAJ & PAL
FRN: 304124E

(DINAKAR MOHANTY)
PARTNER
M NO: 059390

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
FRN: 009189C

(L N AGRAWAL)
PARTNER
M NO: 078427

SANJEEV OMPRAKASH GARG & CO
FRN: 008773C

(VIKAS MITTAL)
PARTNER
M NO: 407833

Place: Chennai
Date: 29.04.2026

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2026

(₹ in '000s)

Particulars	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit/(Loss)	5418 46 59	3395 50 38
Provision for taxes	1059 99 75	1177 01 09
Net Profit/(Loss) before Income Tax	**6478 46 34**	**4572 51 47**
Adjustments for:		
Amortisation of HTM Investments	102 71 76	82 19 57
(Profit)/Loss on Revaluation of Investments (NET)	(5 26 30)	0
Depreciation on Fixed Assets	521 17 57	394 45 57
(Profit)/Loss on Sale of Assets (NET)	(2 02 29)	(1 79 59)
Provision for NPAs	833 24 30	825 34 43
Provision for Standard Assets	2726 48 75	3585 27 83
Depreciation on Investments (net of Provision for NPI)	(8 53 10)	(24 53 74)
Depreciation Provision due to Fluctuation	1 97 04	(69 18 66)
Provision for Other Items	207 56 35	(197 19 89)
	4377 34 07	**4594 55 52**
Adjustments for:		
Increase/(Decrease) in Deposits	56930 82 31	25817 34 20
Increase/(Decrease) in Borrowings	8374 90 87	11840 49 78
Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions	2841 41 14	(2466 70 83)
(Increase)/Decrease in Investments	(8785 82 34)	(11451 71 19)
(Increase)/Decrease in Advances	(61899 88 93)	(33050 25 05)
(Increase)/Decrease in Other Assets	(2994 01 72)	832 78 22
	(5532 58 66)	**(8478 04 87)**
Direct Taxes (Net)	(543 56 01)	1958 06 26
NET CASH FLOW GENERATED FROM/(USED IN) OPERATING ACTIVITIES (A)	**4779 65 74**	**2647 08 38**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale/disposal of Fixed Assets	6 96 61	24 35 69
Purchase of Fixed Assets	(645 88 67)	(603 27 37)
NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)	**(638 92 06)**	**(578 91 68)**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Redemption of Tier I & Tier II Bonds/Other Borrowings/Increase in Capital	0	1432 77 70
Issue of Capital Instruments (Issue of Basel III, Tier 1, Tier II Bonds)	1000 00 00	0

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2026

(₹ in '000s)

Particulars	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
Changes in Reserve/Revaluation Reverse	(1290 12 47)	(961 35 71)
Interest Paid on Capital Instruments (IOB Bonds, Tier II Bonds)	152 32 67	(134 85 24)
NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**(137 79 80)**	**336 56 75**
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)	**4002 93 88**	**2404 73 45**
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	18115 87 16	16905 53 65
Balances with Banks & Money at Call	3103 76 35	1909 36 41
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	16605 92 89	18115 87 16
Balances with Banks & Money at Call	8616 64 50	3103 76 35
NET INCREASE/DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	**4002 93 88**	**2404 73 45**

Notes:

1. This statement has been prepared in accordance with Indirect Method.

2. The Previous year figures have been regrouped where ever necessary to conform with the current year presentation as per regulatory requirements.

FOR AND ON BEHALF OF BOARD

MADHAW CHANDRA JHA
CHIEF FINANCIAL OFFICER

DHANARAJ T
EXECUTIVE DIRECTOR

JOYDEEP DUTTA ROY
EXECUTIVE DIRECTOR

AJAY KUMAR SRIVASTAVA
MANAGING DIRECTOR & CEO

SRINIVASAN SRIDHAR
NON-EXECUTIVE CHAIRMAN

NEELAM AGRAWAL
DIRECTOR

THOMAS MATHEW
DIRECTOR

VENKATARAMANAN G
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR AND ON BEHALF OF CHARTERED ACCOUNTANTS

R.DEVENDRA KUMAR & ASSOCIATES
FRN: 114207W

(ANAND GOLAS)
PARTNER
M NO: 400322

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
FRN: 009189C

(L N AGRAWAL)
PARTNER
M NO: 078427

TEJ RAJ & PAL
FRN: 304124E

(DINAKAR MOHANTY)
PARTNER
M NO: 059390

SANJEEV OMPRAKASH GARG & CO
FRN: 008773C

(VIKAS MITTAL)
PARTNER
M NO: 407833

Place: Chennai
Date: 29.04.2026

SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
AUTHORISED CAPITAL		
2500,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each (Previous year: 2500,00,00,000 Equity shares of ₹10/- each)	25000 00 00	25000 00 00
ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL		
1925,65,89,795 Equity Shares of ₹10/- each. (Includes 1780,04,88,299 Equity Shares of ₹10/- each held by Government of India)	19256 58 98	19256 58 98
Previous year 1925,65,89,795 Equity Shares of ₹10/- each. (Includes 1821,83,26,570 Equity Shares of ₹10/- each held by Government of India)		

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
I. STATUTORY RESERVE		
Opening balance	5584 31 09	4750 63 46
Add: Additions	1302 00 84	833 67 63
Less: Deductions	0	0
TOTAL - I	**6886 31 93**	**5584 31 09**
II. CAPITAL RESERVE		
A. Revaluation Reserve		
Opening balance	3372 97 05	2722 63 49
Add: Additions	301 92 50	672 99 16
Less: Deductions	241 00 70	22 65 60
TOTAL-A	**3433 88 85**	**3372 97 05**
B. On sale of Assets		
Opening Balance	2213 44 82	2169 75 76
Add: Additions	67 42 68	43 69 06
Less: Deduction	0	0
TOTAL - B	**2280 87 50**	**2213 44 82**
C. Others		
Opening Balance	153 28 31	153 24 38
Add: Additions	13 41	3 93
Less: Deduction	0	0
TOTAL - C	**153 41 72**	**153 28 31**
TOTAL - II (A,B and C)	**5868 18 07**	**5739 70 18**
III. SHARE PREMIUM		
Opening Balance	9636 50 05	8557 90 11
Add: Additions	0	1078 59 94
Less: Deduction	0	0
TOTAL - III	**9636 50 05**	**9636 50 05**

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
IV. REVENUE & OTHER RESERVES		
A. Other Revenue Reserves		
Opening Balance	3408 20 20	3291 07 93
Add: Additions	408 38 12	117 12 27
Less: Deduction	403 71 34	0
TOTAL - A	**3412 86 98**	**3408 20 20**
B. Investment Reserve Account		
Opening Balance	0	97 95 58
Add: Additions	0	0
Less: Deductions	0	97 95 58
TOTAL - B	**0**	**0**
C. Foreign Currency Translation Reserve		
Opening balance	1157 90 09	999 76 63
Add: Additions	327 05 31	152 08 45
Less: Deduction	28 34 04	(6 05 01)
TOTAL - C	**1456 61 36**	**1157 90 09**
D. Investment Fluctuation Reserve Account		
Opening balance	490 00 00	390 00 00
Add: Additions	0	100 00 00
Less: Deductions	0	0
TOTAL - D	**490 00 00**	**490 00 00**
E. General Reserves-Treasury		
Opening balance	(1315 57 17)	0
Add: Additions	0	(1315 57 17)
Less: Deductions	0	0
TOTAL - E	**(1315 57 17)**	**(1315 57 17)**
F. AFS Reserves		
Opening balance	392 19 56	0
Add: Additions	7 37	392 19 56
Less: Deductions	691 23 65	0
TOTAL - F	**(298 96 72)**	**392 19 56**
G. Special Reserve- Govt. Guaranteed SRs		
Opening balance	421 37 16	0
Add: Additions	38 61 55	421 37 16
Less: Deductions	128 51 21	0
TOTAL - G	**331 47 50**	**421 37 16**
TOTAL - IV (A,B,C,D,E,F and G)	**4076 41 95**	**4554 09 84**
V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT	(8733 34 23)	(12537 85 33)
TOTAL (I, II , III, IV and V)	**17734 07 77**	**12976 75 83**

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	757 70 49	1558 27 74
ii) From Others	25613 11 37	25833 69 75
TOTAL - I	**26370 81 86**	**27391 97 49**
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	**124564 77 42**	**108034 82 03**
III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	3 79	3 64
ii) From Others	217255 62 35	175777 34 39
TOTAL - III	**217255 66 14**	**175777 38 03**
TOTAL - A (I,II and III)	**368191 25 42**	**311204 17 55**
B. i) Deposits of branches in India	359032 20 45	302760 42 00
ii) Deposits of branches outside India	9159 04 97	8443 75 55
TOTAL - B	**368191 25 42**	**311204 17 55**

(Deposits under Lien- refer note no 10)

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
I. BORROWINGS IN INDIA		
Reserve Bank of India	0	1946 00 00
Other Banks	2560 54 50	3366 95 00
Other Institutions & Agencies	28086 77 12	20599 66 34
Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	0	0
Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	0	0
Subordinated Debt	3165 00 00	2165 00 00
TOTAL (I)	**33812 31 62**	**28077 61 34**
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	17790 25 58	14150 04 98
TOTAL (I and II)	**51602 57 20**	**42227 66 32**
Secured borrowings included in I and II above	30647 31 62	25912 61 34

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
I. Bills Payable	1397 62 06	628 52 04
II. Inter Office Adjustments (Net)	0	0
III. Interest Accrued	1099 79 25	1003 72 14
IV. Others (including provisions)	13513 28 59	7412 56 45
TOTAL	**16010 69 90**	**9044 80 63**

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
I. **Cash on hand (including Foreign currency notes)**	1436 99 22	1235 14 95
II. **Balances with Reserve Bank of India**		
i) in Current Account	9166 41 90	11784 64 61
ii) in Other Accounts	6002 51 77	5096 07 60
TOTAL (I and II)	**16605 92 89**	**18115 87 16**

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
I. IN INDIA		
i) Balances with banks		
a) In Current Accounts	33 99 55	13 78 82
b) In Other Deposit Accounts	268 55 24	244 79 31
ii) Money at Call and Short Notice		
a) With banks	0	0
b) With other institutions	0	0
TOTAL - (i and ii)	**302 54 79**	**258 58 13**
II. OUTSIDE INDIA		
i) In Current Accounts	1248 82 10	846 39 85
ii) In Other Deposit Accounts	5356 66 68	535 68 11
iii) Money at Call and Short Notice	1708 60 93	1463 10 26
TOTAL (i,ii and iii)	**8314 09 71**	**2845 18 22**
GRAND TOTAL (I and II)	**8616 64 50**	**3103 76 35**

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
I. INVESTMENTS IN INDIA		
i) Government Securities	109602 65 65	101565 84 30
ii) Other Approved Securities	0	0
iii) Shares	1161 19 18	820 33 62
iv) Debentures and Bonds	3179 98 16	3072 22 99
v) Subsidiaries/Joint Ventures	694 70 14	615 64 72
vi) Other Investments (Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds Certificate of Deposits and CP)	567 23 79	613 69 58
TOTAL - I	**115205 76 92**	**106687 75 21**
II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
i) Government Securities(including Local Authorities)	3931 15 18	3699 98 63
ii) Subsidiaries/Joint Ventures	0	0
iii) Other Investments	147 94 77	200 23 05
TOTAL - II	**4079 09 95**	**3900 21 68**
TOTAL (I and II)	**119284 86 87**	**110587 96 89**

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS (Contd.)

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
Gross Investments in India	115704 39 24	107453 95 75
Less: Depreciation	498 62 32	959 64 73
Less: Interest on Restructured Investments	0	0
Net Investments	115205 76 92	106494 31 02
Gross Investments Outside India	4079 09 95	4100 25 79
Less: Depreciation		6 59 92
Net Investments	4079 09 95	4093 65 87
TOTAL NET INVESTMENTS	**119284 86 87**	**110587 96 89**

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
A. i) Bills Purchased & Discounted	9251 11 41	10869 40 73
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	172782 24 76	92080 18 05
iii) Term Loans	124588 45 30	142605 58 06
TOTAL	**306621 81 47**	**245555 16 84**
B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	246715 37 96	177081 13 42
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	38201 29 77	40744 07 61
iii) Unsecured	21705 13 74	27729 95 81
TOTAL	**306621 81 47**	**245555 16 84**
C. I) Advances in India		
i) Priority Sector	156335 97 44	113583 52 65
ii) Public Sector	21974 47 78	17280 15 88
iii) Banks	0	0
iv) Others	113447 55 84	99292 50 13
TOTAL	**291758 01 06**	**230156 18 66**
II) Advances Outside India		
i) Due from Banks	0	0
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased & Discounted	1707 89 55	4162 81 04
b) Syndicated Loans	5453 06 69	5739 25 15
c) Others	7702 84 17	5496 91 99
TOTAL	**14863 80 41**	**15398 98 18**
GRAND TOTAL (C-I and C-II)	**306621 81 47**	**245555 16 84**

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
I. Premises		
At cost/revalued as at beginning of the FY	5500 73 30	4576 16 08
Additions/Adjustments during the year *	235 06 64	924 86 81
SUB TOTAL	**5735 79 94**	**5501 02 89**
Deductions/Adjustments during the year *	10 24 21	29 59
	5725 55 73	**5500 73 30**
Depreciation to date	1501 97 84	1415 42 71
TOTAL -I	**4223 57 89**	**4085 30 59**
II. Capital work in progress	67 35 41	74 23 85
TOTAL - II	**67 35 41**	**74 23 85**
III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
At cost as at beginning of the FY	3179 85 69	2969 71 86
Additions/Adjustments during the year	719 62 98	291 65 99
SUB TOTAL	**3899 48 67**	**3261 37 85**
Deductions/Adjustments during the year	406 64 96	67 57 18
	3492 83 71	**3193 80 68**
Depreciation to date	2709 22 66	2698 53 02
TOTAL - III	**783 61 05**	**495 27 66**
TOTAL (I, II AND III)	**5074 54 35**	**4654 82 10**

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange at 31.03.2026

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
i) Inter Office Adjustments (Net)	1596 09 59	174 68 35
ii) Interest Accrued	6609 41 49	5149 12 43
iii) Tax paid in advance (Net of Provisions)	1799 41 97	2315 85 71
iv) Stationery & Stamps	3 65 85	3 49 09
v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	0	16
vi) Others (Include Deposits placed with NABARD)	6582 80 29	5049 24 23
TOTAL	**16591 39 19**	**12692 39 97**

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	8 95 99	8 03 15
ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	114841 40 25	129706 60 38

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES (Contd.)

(₹ in '000s)

	AS AT 31.03.2026	AS AT 31.03.2025
iv) Guarantees given on behalf of constituents		
a) In India	21776 12 46	14713 15 35
b) Outside India	323 56 67	179 63 06
v) Acceptances, Endorsements and Other obligations	7097 38 34	6074 74 57
vi) Other items for which the bank iscontingently liable		
a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital acounts	150 11 18	454 38 14
b) Banks liability under currency swaps	0	0
c) Interest rate swaps(USD)	0	0
d) Interestrate swaps (INR)	0	0
e) Bank's Liability under Currency Options	0	0
f) Credit Default Swaps/FRAs/Receivable charges	0	0
g) Amount in DEAF with RBI	2541 87 92	2311 24 26
h) Others	6543 19 43	5957 26 00
TOTAL	**153282 73 84**	**159405 16 51**

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ in '000s)

	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
i) Interest/discount on advances/bills	23935 33 93	20182 79 36
ii) Income on investments	7518 35 48	7042 41 37
iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds"	295 33 12	183 30 95
iv) Others	146 65 32	735 12 47
TOTAL	**31895 67 85**	**28143 64 15**

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ in '000s)

	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
i) Commission, Exchange and Brokerage	1737 65 60	1502 43 11
ii) Profit/Loss on Sale of Investments	423 05 48	524 33 04
iii) Profit/Loss on Revaluation of Investments	5 26 30	0
iv) Profit on sale of land, Building & other Assets	2 02 29	1 79 59
v) Profit/Loss on exchange transactions	5 68 51	38 91 58
vi) Miscellaneous Income	3673 22 09	3539 19 35
TOTAL	**5846 90 27**	**5606 66 67**

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ in '000s)

	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
i) Interest on Deposits	16576 69 84	15012 16 63
ii) Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	2745 33 91	2232 24 75
iii) Others	49	6 22
TOTAL	**19322 04 24**	**17244 47 60**

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ in '000s)

	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
i) Payments to and provisions for employees	4688 77 37	4669 17 00
ii) Rent, Taxes and Lighting	617 65 03	560 38 09
iii) Printing and Stationery	24 83 86	34 98 11
iv) Advertisement and Publicity	25 15 34	10 42 06
v) Depreciation on Bank's property	521 17 57	395 22 98
vi) Directors' fees, allowances and expenses	1 40 96	1 18 79
vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's)	50 73 70	41 57 70
viii) Law charges	31 56 38	29 97 65
ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	92 41 71	63 89 56
x) Repairs and Maintenance	38 66 90	48 97 21
xi) Insurance	431 12 73	410 87 80
xii) Other Expenditure	1660 46 34	1489 59 57
TOTAL	**8183 97 89**	**7756 26 52**

SCHEDULE 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES OF THE BANK CONSOLIDATED

1. BASIS OF PREPARATION

The Consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention on the accrual basis of accounting and ongoing concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises applicable statutory provisions, regulatory/Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

1.1 The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Bank and its Joint Ventures and Associates as at and for the year ended 31 March, 2026. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of:

a. Audited financial statements of Indian Overseas Bank (Parent).

b. Consolidation of Joint Ventures — 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the ICAI.

c. Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

Use of Estimates

1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

2. REVENUE RECOGNITION AND EXPENSE ACCOUNTING

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets.

Recovery in case of Non-Performing Assets is first appropriated towards principal and the balance, if any, towards interest and charges.

Recovery in case of Suit Filed Accounts shall be appropriated towards principal or as per the directives of the court concerned.

Recovery under One Time Settlement (OTS) shall be appropriated towards principal and excess over principal shall be adjusted towards interest.

If any borrower account is classified as NPA from back date, any recovery till such present date of classification is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal. Subsequent recovery made in such Non-Performing Assets is first appropriated towards principal and the balance, if any, towards interest and charges.

In case of assets sold to Asset Reconstruction Companies (ARCs), the income is recognized to the extent of cash component of the Sale Consideration received, where the sale consideration is over and above Net Book Value (i.e. Book outstanding less Provisioning).

NCLT admitted accounts shall be treated as suit filed accounts and the appropriation of recovery in these NCLT accounts whether it is from the process initiated against the corporate debtor or guarantors shall be done as in suit filed accounts.

Recovery by way of debentures/equity/other debt or equity or quasi equity instruments etc in the NCLT approved resolution plan amount as cash recovery to be appropriated in the same manner as is done in suit filed accounts i.e. first towards principal and remaining amount towards interest.

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/ Letter of Guarantee/Government Business/Insurance), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized/accounted for as per local laws of the respective countries.

3. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transactions in respect of Treasury (Foreign):

a) Foreign Currency transactions, except foreign currency deposits and lending, are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions"/"Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. INVESTMENTS

4.1 In line with the RBI Guidelines, Banks shall classify their entire investment portfolio (except investments in their own subsidiaries, joint ventures and associates) under three categories, viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value through Profit and Loss (FVTPL). Held for Trading (HFT) shall be a separate investment sub-category within FVTPL.

The premium/discount, if any, of acquisition cost in comparison the face value of each security (other than NPI) is amortized/accrued on straight line method, over the remaining period of maturity.

Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government Securities

b) Other Approved securities including those issued by local bodies,

c) Shares,

d) Bonds & Debentures,

e) Subsidiaries/Joint Ventures and

f) Others (to be specified).

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realization basis as per prudential norms.

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by RBI as under:

4.3.1. Individual securities under "Fair Value through Profit & Loss "(FVTPL)" and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Individual securities under HFT are marked to market on daily basis.

The performing securities held in FVTPL shall be fair valued and the net gain or loss arising on such valuation shall be directly credited or debited to the Profit and Loss Account.

Central Government securities and State Government securities are valued at market rates declared by FBIL (Financial Benchmarks India Pvt Ltd). Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India). Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value/NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company/ Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI (Primary Dealers Association of India)/FBIL periodically.

Based on the above valuations, the valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS shall be aggregated. The appreciation or depreciation shall be directly credited or debited to a reserve named AFS-Reserve after netting of applicable taxes.

The book value of individual securities would undergo change due to valuation at the prescribed intervals in the books of account.

4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortized cost/ carrying value.

Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions are valued at carrying cost after testing for impairment.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning/de –recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by RBI for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on Sale of Investments in any category (viz. Held for Trading, Available for Sale and FVTPL) is taken to Profit & Loss account as per the extant RBI Master Directions.

In case of Profit on Sale of Investments in "Held to Maturity" category, Profit net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves is appropriated to "Capital Reserve Account".

Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/loss for that security in the AFS-Reserve and Deferred Tax Liability (DTL) shall be transferred from the AFS-Reserve along with DTL if applicable and recognized in the Profit and Loss Account.

In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments shall not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss shall be transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

4.6 Broken period interest, Incentive/Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account. Broken Period interest does not arise in case of Treasury Bills. Income is accounted based on the difference between the holding cost and the face value i.e. discount income.

4.7 Repo/Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

4.9 All the investments are held by adopting the Weighted Average Pricing Method

4.10 All the investments are held in the book on settlement date basis only

4.11 Dividend income on investments is accounted on cash basis

4.12 Investments are shown in the Balance Sheet at net off provision held in respect of Non Performing Investments

4.13 Investments matured for payment are shown under "Other Assets" and underlying provisions held for Non Performing Investments is also netted off from the said investments.

4.14 As per RBI Circular no. RBI/2017-18/147 DBR No. BP BC. 102/21.04.0489/2017-18 dated April 2, 2018, from the year 2018-19 an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created to build up adequate reserves to protect the bank against increase in yields in future.

The Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be the lower of the following: -

a) Net Profit on sale of investments during the year or

b) Net profit for the year less mandatory appropriations,

until the amount of IFR is at least 2% of the HFT and AFS Portfolio, on a continuing basis.

4.15 As per RBI circular ref no: RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR.REC.72/21.04.048/2024-25 dated March 29, 2025, Revised norms for Government Guaranteed Security Receipts (SRs), the accounting of Government guaranteed Security Receipts to be done as follows:

If a loan is transferred to an ARC for a value higher than the net book value (NBV), the excess provision to be reversed to the Profit and Loss Account in the year of transfer if the sale consideration comprises only of cash and SRs guaranteed by the Government of India.

Govt Guaranteed SRs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. However, any unrealized gains recognized in the Profit and Loss Account on account of fair valuation of such investments shall be deducted from CET 1 capital, and no dividends will be paid out of such unrealized gains.

Any SRs outstanding after the final settlement of the government guarantee or the expiry of the guarantee period, whichever is earlier, will be valued at one rupee (₹1).

5. ADVANCES

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions, except general provisions for standard advances.

5.3 For Restructured/Rescheduled Assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loans/advance before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/advances. The Provision for Diminution in Fair Value and interest sacrifice, if any, arising out of the above is reduced from advances.

In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the Regulators

6. DERIVATIVES

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/ payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination of such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not

recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.

7. FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT)

7.1 Fixed Assets, except revalued premises, are stated at historical cost.

7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Sl No.	Furniture Types	Depreciation %
i)	Premises	2.50%
ii)	Furniture and Fixtures (Metal and Wooden)	10%
iii)	Electrical Installation	20%
iv)	Vehicles	20%
v)	Computers	33.33%
vi)	Computer Software	33.33%
vii)	Fire Extinguishers and the assets whose value is more than ₹1000/- but less than ₹5000/-	100%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to the profit and loss account, and equivalent amount is transferred from Revaluation reserve to Revenue Reserves. The revalued premises are depreciated over the remaining useful life of the asset as assessed at the time of revaluation subject to maximum prescribed as above.

7.3 Capitalization of the furniture/fixtures can be done in view of the nature and use of the items.

7.4 Depreciation of the assets is provided for the full year irrespective of the date of acquisition/revaluation. (Under straight line method)

7.5 Depreciation of the assets is allowed only if the assets is put to use in the year of purchased.

7.6 If the value of single asset is less than or equal to ₹1000/-, Bank will not capitalize the asset and treat the assets as a revenue expenditure. So, in this case, asset will not eligible for capitalization.

7.7 If the value of single asset is more than ₹1000/- but less than ₹5000/-, it will be eligible for capitalization. However, depreciation will be applicable to the extent of 100% of value of asset at the end of the financial year. Thereafter, it will carry ₹1/- in the books.

7.8 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

7.9 In respect of leasehold properties, premium is amortized over the period of lease.

7.10 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. STAFF BENEFITS

8.1 Contribution to Provident Fund and National Pension System is charged to Profit and Loss Account.

8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Funds. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement is made based on actuarial valuation at the year-end.

8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. TAXES ON INCOME

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions. Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date.

The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognized on carry forward of tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realized against future profits.

10. EARNINGS PER SHARE

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, "Earnings Per Share", issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year-end except where the results are anti-dilutive.

11. IMPAIRMENT OF ASSETS

The bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

13. ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

In accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.

SCHEDULE 18
NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 2025-26

I. DISCLOSURES AS PER RESERVE BANK OF INDIA REQUIREMENTS:

1. Regulatory Capital

a) Composition of Regulatory Capital

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	2025-26	2024-25*
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions, if any)	33,524.49	27,897.09
ii)	Additional Tier 1 capital	0.00	0.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	33,524.49	27,897.09
iv)	Tier 2 capital	5,619.49	4,408.95
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	39,143.98	32,306.04
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	1,97,931.60	1,69,666.65
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	16.94%	16.44%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	16.94%	16.44%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.84%	2.60%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	19.78%	19.04%
xi)	Leverage Ratio	6.60%	6.64%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	92.44%	94.61%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	NIL	354.18
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	NIL	NIL
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, (Basel III complaint Tier II Bonds)	1,000.00	NIL

(*) CET1 and Leverage Ratio is recalculated based on Divergence observations during RBI ISE 2025

b) Capital and Reserves:

- During the year 2025-26, the Bank has neither raised equity capital nor issued any Basel III Compliant Additional Tier 1 Bonds.
- The paid-up capital of the Bank stands at ₹19,256.59 Crore as on March 31st, 2026. The Government of India shareholding stands at 92.44% as on March 31st, 2026.
- During the Financial Year 2025-26, Bank has issued Basel III Tier II Bonds (Series VI) aggregating to ₹1,000 Crore through Private Placement basis subscribed by Qualified Institutional Buyers (QIBs).

c) During the year ended March 31, 2026, Bank has raised following Bonds:

Particulars	Date of Issue	Tenure	Coupon Rate (%)	Amount (In ₹ Crore)	Maturity Date
Basel III Tier II Bonds Series VI (INE565A08068)	23.01.2026	10 Years	7.80	1,000.00	23.01.2036

During the year ended March 31, 2026, Bank has not redeemed any bonds.

d) Draw down from Reserves

Drawdown from the reserves during the financial year 2025-26 is NIL.

2. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)

2.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

The financial statements have been prepared following the same accounting policies and practices as those followed for the year ended March 31, 2025.

2.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

2.3 Accounting Standard 15 – Employee Benefits (Parent Bank)

The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1. Short-Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits, such as medical benefits which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognized during the period when the employee renders the service.

2. Long-Term Employee Benefits:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

Defined Benefit Plans

(a) Changes in the present value of the obligations:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)	
	2026	2025	2026	2025
Present Value of obligation as at the beginning of the year	14,355.12	13,465.63	1,647.18	1,494.38
Add: Acquisition Adjustment	0.00	0.00	0.00	0.00
Add: Interest Cost	988.82	857.34	107.19	104.53
Add: Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00
Add: Current Service Cost	332.92	314.79	71.75	95.59
Less: Benefits Paid	(1,319.01)	(1,262.45)	(89.84)	(97.27)
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	823.92	979.81	64.50	49.95
Present Value of Obligation at year end	15,181.77	14,355.12	1,800.78	1,647.18

(b) Change in Fair Value of Plan Asset:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)	
	2026	2025	2026	2025
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	14,355.12	13,465.63	1,647.18	1,494.38
Add: Acquisition Adjustment	0.00	0.00	0.00	0.00
Add: Expected return on Plan Assets	1,019.51	1,003.10	124.22	108.34
Add: Employer's contribution	1,014.53	1,080.15	108.00	105.37
Less: Benefit Paid	(1,319.01)	(1,262.45)	(89.84)	(97.27)
Add: Actuarial gain/(loss) on Obligations	111.62	68.69	11.22	36.36
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	15,181.77	14,355.12	1,800.78	1,647.18
Unfunded Transitional Liability	0.00	0.00	0.00	0.00

c) Amount recognized in Balance Sheet:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)	
	2026	2025	2026	2025
i) Present value of obligations as at the end of the year	15,181.77	14,355.12	1,800.78	1,647.18
ii) Fair value of Plan Assets as at the end of the year	15,181.77	14,355.12	1,800.78	1,647.18
iii) Difference	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00
v) Funded Net Assets to be recognized in Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00

(d) Expenses Recognized in Profit & Loss:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)	
	2026	2025		2025
i) Current Service Cost	332.92	314.79	71.75	95.59
ii) Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) Interest Cost	988.82	857.34	107.19	104.53
iv) Expected return on Plan Asset	(1,019.51)	(1,003.10)	(124.22)	(108.34)
v) Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	712.30	911.12	53.28	13.59
vi) Transitional liability recognized in the year	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses Recognized in P&L (i+ii+iii+iv+v+vi)	**1,014.53**	**1,080.15**	**108.00**	**105.37**

(e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:

(Figures in %)

Particulars	Pension Trust		Gratuity Trust	
	2026	2025	2026	2025
a) Debt instruments/Central Govt Securities	3.27	3.40	7.86	8.53
b) State Govt Securities	5.95	4.70	10.50	9.25
c) Investments in PSU/PFI/Corporate bonds	6.53	6.27	11.26	11.13
d) Equity Investments	0.86	0.89	1.35	2.06
e) Other Investments	83.39	84.74	69.03	69.03
Total	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

(f) Principal actuarial assumption at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average):

(Figures in %)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)	
	2026	2025	2026	2025
Discount Rate	7.22	6.68	7.33	6.69
Expected Rate of Salary increase	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate	1.00	1.00	3.00	3.00
Pension Increase	4.00	4.00	0.00	0.00
Expected rate of return on Plan Assets	7.50	7.50	7.50	7.23
Mortality	2012-14 Modified Ultimate	2012-14 Modified Ultimate	2012-14 Ultimate	2012-14 Ultimate
Method used	Projected unit Credit		Projected unit Credit	

(g) Five year's disclosure for Pension

i) Surplus/Deficit in the plan

(Amounts in ₹ Crore)

Amount recognized in the Balance Sheet		As on March 31, 2022	As on March 31, 2023	As on March 31, 2024	As on March 31, 2025	As on March 31, 2026
i.	Present value of obligations as at the end of the year	10,703.91	11,569.76	13,465.63	14,355.12	15,181.77
ii.	Fair value of Plan Assets as at the end of the year	10,363.23	11,314.25	13,465.63	14,355.12	15,181.77
iii.	Difference (ii-i)	(340.68)	(255.51)	0.00	0.00	0.00
iv.	Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	Unrecognised Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi.	Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-v)	(340.68)	(255.51)	0.00	0.00	0.00

h) Five year's disclosure for Gratuity

i) Surplus/Deficit in the plan

(Amounts in ₹ Crore)

Amount recognized in theBalance Sheet		As on March 31, 2022	As on March 31, 2023	As on March 31, 2024	As on March 31, 2025	As on March 31, 2026
i.	Present value of obligations as at the end of the year	1,200.55	1,302.17	1,494.38	1,647.18	1,800.78
ii	Fair value of Plan Assets as at the end of the year	1,225.20	1,326.82	1,494.38	1,647.18	1,800.78
iii	Difference (ii-i)	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00
iv.	Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	Unrecognised Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi.	Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-v)	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00

(i) The financial assumptions considered for the calculations are as under: -

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation (Balance sheet dated 31.03.2026).

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled.

Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is ₹64.80 crores.

II) Defined Contribution Plan:

The Bank has a Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after 1st April 2010. The Scheme is managed by NPS Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During FY 2025-26, the Bank has contributed ₹201.59 Crore (Previous Year ₹186.95 Crore).

III) Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation):

Retired Leave Encashment Benefit

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	Leave Encashment (Un Funded)	
	2026	2025
Present value of obligations as at the beginning of the year	869.28	752.15
Add: Interest Cost	56.27	52.28
Add: Past Service Cost	0.00	0.00
Add: Prior Service Cost	0.00	16.17
Add: Current Service Cost	87.89	85.80
Less: Benefits Paid	(56.43)	(58.17)
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	(66.55)	21.05
Closing Defined Benefit Obligation	**890.46**	**869.28**

b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(Figures in %)
(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	Leave Encashment (Un Funded)	
	2026	2025
i) Current Service Cost	87.89	85.80
ii) Past Service Cost	0.00	0.00
iii) Prior Service Cost	0.00	16.17
iv) Interest Cost	56.27	52.28
v) Expected return on Plan Asset	0.00	0.00
vi) Net Actuarial (gain)/loss recognized in the year	(66.55)	21.05
Expenses Recognized in P&L	**77.61**	**175.30**

c) Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	Leave Encashment (Un Funded)	
	2026	2025
i) Opening Defined Benefit Obligation	869.28	752.15
ii) Net Acquisition Cost	0.00	0.00
iii) Expenses Recognized in P&L	77.61	175.30
iv) Benefits paid	(56.43)	(58.17)
v) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	895.04	873.87
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	(66.55)	21.05
Closing Defined Benefit Obligation	**890.46**	**869.28**

d) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

Particulars	Leave Encashment (Un Funded)	
	2026	2025
Discount Rate	7.33	6.69
Expected Rate of Salary increase	5.00	5.00
Attrition Rate	3.00	3.00
Mortality	2012-14 Ultimate	2012-14 Ultimate
Method used	Projected Unit Credit	

The estimate of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market. Such estimates are very long-term and are not based on limited experience/immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long-term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

In respect of overseas branches, disclosures if any required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

2.4 Accounting Standard 17 – Segment Reporting on the Consolidated Financials

Segment Identification

A. Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank.

As per RBI guidelines and in compliance with the applicable Accounting Standards, the Bank has classified Treasury Operations, Corporate/Wholesale Operations, Retail Operations and Other Banking Operations as primary business segments, Domestic and International as secondary/ geographic segments for the purpose of compliance with AS-17 on Segment Reporting issued by ICAI.

i. Treasury: The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate/Wholesale Banking: As per the RBI guidelines RBI/2020-21/53, DOR.No.BP.BC.23/21.06.201/2020-21, dated 12th October 2020, the Corporate/Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹7.50Crores and above.

iii. Retail Banking: In compliance with RBI Circular RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC. No.86/21.04.018/2025-26 dated November 28, 2025, on Presentation & Disclosure, Retail Banking shall include exposures which fulfil the four criteria of orientation, product, granularity, and low value of individual exposures for retail exposures laid down in Reserve Bank of India (Commercial Banks – Prudential Norms on Capital Adequacy) Directions, 2025. Individual housing loans will also form part of Retail Banking segment for the purpose of reporting under AS-17.

iv. Digital Banking: For reporting of Digital Banking Segment as a sub-segment of Retail Banking Segment under Accounting Standard - 17 "Segment Reporting", bank has reported Digital Banking Segment as a sub-segment of Retail Banking Segment.

v. Other Banking Operations: Segments not classified under (i) to (iv) above are classified under this primary segment.

B. Secondary (Geographical Segment)

i. Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India.

ii. Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

C. Basis of Allocation:

i. Segment Assets and Liabilities have been apportioned on the basis of respective Segment Assets as allocated, wherever direct allocation is not possible

ii. Segment wise income and expenditure which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.

Part A: Business Segments

(Amounts in ₹ Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking						Other Banking Operations		TOTAL	
					Digital Banking		Other Retail Banking		Total Retail Banking					
Particulars	**2025-2026**	**2024-2025**	**2025-2026**	**2024-2025**	**2025-2026**	**2024-2025**	**2025-2026**	**2024-2025**	**2025-2026**	**2024-2025**	**2025-2026**	**2024-2025**	**2025-2026**	**2024-2025**
Revenue	9,096.13	7,991.43	11,036.61	10,067.48	0.49	0.22	16,846.75	14,313.65	16,847.24	14,313.87	613.95	640.60	37,593.93	33,013.38
Result	1,951.63	824.77	3,948.77	1,751.89	(1.15)	(1.64)	3,895.82	5,100.78	3,894.67	5,099.14	305.08	337.55	10,100.15	8,013.35
Unallocated Income													148.66	736.93
Unallocated Expenses													136.41	736.22
OperatingProfit/ Loss													10,236.56	8,749.57
Income Taxes													1,059.99	1,177.01
Provisions & Contingencies													3,758.11	4,177.05
Extraordinary profit/loss													0.00	0.00
Net Profit													5,418.47	3,395.51
SegmentAssets	1,29,740.04	1,19,712.60	1,22,117.97	1,12,929.51	0.88	1.05	2,16,220.80	1,55,808.16	2,16,221.68	1,55,809.21	131.61	74.23	4,68,211.30	3,88,525.55
Unallocated Assets													4,583.90	6,182.41
Total assets													**4,72,795.20**	**3,94,707.96**
Segment Liabilities	1,10,733.80	1,06,524.86	1,17,007.36	1,07,128.51	0.88	1.05	2,07,584.70	1,48,219.43	2,07,585.58	1,48,220.48	392.89	530.34	4,35,719.65	3,62,404.19
Unallocated Liabilities													84.88	70.43
Total Liabilities													**4,35,804.53**	**3,62,474.62**

2.5 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

a) Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

(a) Subsidiaries – NA

(b) Associates – Regional Rural Banks: Odisha Grameen Bank

(c) Associates – Others- ACER Credit Rating Pvt. Ltd

(d) Joint Venture: India International Bank (Malaysia) Berhad Ltd (Till 19.12.2025)

(e) Key Management Personnel of the Bank:

(i) Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director, and CEO

(ii) Shri Joydeep Dutta Roy, Executive Director

(iii) Shri Dhanaraj T, Executive Director

(iv) Shri Madhaw Chandra Jha, Chief Financial Officer

(v) Shri Raghuram Mallela, Company Secretary.

b) Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2025-26 and 2024-25:

(Amount in ₹)

Name of the Whole Time Director*	Remuneration * (2025-26)	Remuneration * (2024-25)
Shri Ajay Kumar Srivastava (MD & CEO)	66,55,812.00	64,40,736.00
Shri Joydeep Dutta Roy (ED)	58,18,092.00	41,25,174.07
Shri Dhanaraj T (ED)	74,15,522.72	39,21,601.34
Ms. S. Srimathy (ED, Exited on 09.03.2024)	--	19,78,160.00
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar (ED, Exited on 30.01.2024)	--	15,32,160.00

*Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

*In terms of RBI circular on notes to accounts, Key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.

c) Transaction with Related Parties (as compiled by the Management):

(Amounts in ₹ Crore)

Items/Related Party	Parent (as per ownership or control)	Subsidiaries	Associates/Joint ventures		Key Management Personnel @		Relatives of Key Management Personnel		Total	
			Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year
Borrowings	N.A.	N.A.	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.54
Deposits	N.A.	N.A.	979.97	3239.64	3.78	4.00	2.52	3.28	986.27	3246.92
Placement of deposits	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Advances	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investments	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Non-funded commitments	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements availed	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Items/Related Party	Parent (as per ownership or control)	Subsidiaries	Associates/Joint ventures		Key Management Personnel @		Relatives of Key Management Personnel		Total	
			Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year
Leasing/HP arrangements provided	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purchase of fixed assets	N.A.	N.A.		0.00		0.00		0.00		0.00
Sale of fixed assets	N.A.	N.A.		0.00		0.00		0.00		0.00
Interest paid	N.A.	N.A.		6.21		0.04		0.00		6.25
Interest received	N.A.	N.A.		101.42		0.20		0.14		101.76
Rendering of services	N.A.	N.A.		0.00		0.00		0.00		0.00
Receiving of services	N.A.	N.A.		0.00		0.00		0.00		0.00
Management contracts	N.A.	N.A.		0.00		0.00		0.00		0.00

No Disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled enterprises" as per paragraph 9 of accounting standard (AS-18). Further, in terms of paragraph 5 of AS-18, transactions in the nature of banker-customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and Relatives of Key Management Personnel.

There are no materially significant related party transactions to report during the year.

2.6 Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2025-2026	2024-2025
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (₹. in Crores)	5,208.03	3,334.71
Weighted Average Number of Equity Shares	19,25,65,89,795	18,99,09,56,640
Basic & Diluted Earnings Per Share (in ₹)	2.70	1.76
Nominal value per Equity Share (in ₹)	10	10

2.7 Accounting Standard 21 (AS 21) on "Accounting for Consolidated Financial Results",

The Consolidated Financial Results (CFS) are prepared in accordance with Accounting Standard 21 (AS 21) on "Accounting for Consolidated Financial Results", Accounting Standard 23 (AS 23) on "Accounting for Investment in Associates" and Accounting Standard 27 (AS 27) on "Financial Reporting of Interests in Joint Venture" notified under the Companies (Accounting Standards) Rules 2021 as amended and the guidelines issued by RBI.

The Consolidated Financial Results comprise the financial results of Indian Overseas Bank and the following Associates of the Bank:

Name of the Company	Type of Investment	Country of Incorporation	% of Holding	Status
Odisha Grameen Bank	Associate	India	35%	Audited
ACER Credit Rating Pvt. Ltd	Associate	India	26%	Audited

2.8 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

Provisions made towards Income Tax during the year:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	2025-2026	2024-2025
Provision for Income Tax	9.85	17.01
Provision for Deferred Tax	1,050.14	1,160.00
Net Provision	1,059.99	1,177.01

During the current financial year, the Bank has exercised the option to transition to lower tax rate regime (New Tax Regime) i.e. 25.168% permitted under section 115BAA of the Income Tax Act ,1961 as against existing tax rate of 34.944% under old tax regime. The Deferred Tax asset has been remeasured accordingly.

Tax expense for the year amounting to ₹1059.99 crore includes Current Tax expense for overseas branches of ₹9.85 crore and Deferred Tax expense of ₹1050.14 crore.

Tax paid in advance (Net of provisions) is on account of amounts pending assessment/under appeal/tax paid under dispute. [Refer Schedule 11(iii)].

Deferred Tax:

The Bank has a carried balance of net Deferred Taxes up to March 31,2026 aggregating to ₹2,780.97 crore which was recognized in earlier periods. Bank has reversed deferred Tax Asset amounting to ₹1,050.14 crore for the year ended 31.03.2026.

The major components of DTA and DTL is given below:

(Amounts in ₹ Crore)

Particulars	31.03.2026		31.03.2025	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Provision for Employee Benefits	226.69	0.00	286.86	0.00
Provision for Frauds	41.28	0.00	58.51	0.00
Provision for Other Assets	101.70	0.00	146.23	0.00
Provision for Restructured Advances	23.51	0.00	57.43	0.00
Reserve for Severance Pay	0.78	0.00	0.96	0.00
Provision for NPA	422.82	0.00	1,197.33	0.00
Foreign Currency Translation Reserve	325.09	0.00	390.74	0.00
Others	1,639.10	0.00	1,725.92	0.00
Total	**2,780.97**	0.00	**3,863.98**	0.00
Net DTA	2,780.97	0.00	3,863.98	0.00

The Bank has branches/offices having operations outside India in Singapore, Hong Kong, Colombo and Bangkok. Pillar Two legislation is enacted or substantively enacted in all countries but not yet in effect in Sri Lanka (for Colombo Branch). For FY 2025-26, these foreign branches have not paid any taxes under Pillar Two Legislation. Bank is in the opinion that, since there is no top-up tax obligation under pillar two norms, no portion of Bank's profit are subject to pillar two income.

Disputed Taxes

Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, certain judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating ₹4,631.56 Crore (previous year ₹4,061.92 Crore), Service Tax aggregating to ₹273.37 Crore (previous year ₹256.24 crore) and Goods and Service Tax aggregating to ₹1,613.47 Crore (Previous year ₹1,615.29 crores).

2.9 Accounting Standard 23 (AS 23) on "Accounting for Investment in Associates"

In respect of investment in Odisha Grameen Bank, which has been accounted under equity method as per AS 23 (Accounting for Investment in Associates), the carrying amount of investment in equity shares of ₹1,195.98 crore is adjusted against IOB's share of net assets of ₹671.50 crore and the balance of ₹524.48 crore is adjusted against balance in Reserves and Surplus to recognize the decline in the value during consolidation.

The investment in Acer Credit Rating Private Limited made during the year has been accounted under equity method as per AS 23 (Accounting for Investment in Associates), the carrying amount of investment in equity shares of ₹6.50 crore is adjusted against IOB's share of net assets of ₹6.32 crore and the audited balance of ₹0.18 crore is adjusted against balance in Reserves and Surplus to recognize the increase in value.

M/s India International Bank (Malaysia) Berhad (IIBM), was a joint venture of the Bank and was under Members Voluntary Liquidation (MVL). The Bank received USD 25,717,298.33 (equivalent to ₹230.88 crore) towards capital distribution/ repatriation during the year as against its original investment of ₹199.58 crore. Accordingly, the entire book value of the investment has been realized, and the provision of ₹6.13 crore held against the investment has been reversed. IIBM is no longer a joint venture of the Bank.

The Bank is holding 18.06% in Universal Sompo General Insurance Company Ltd. Since the shareholding in the Company is less than 25%, the same has not been considered as Joint Venture for preparation of Consolidated Financial Results as per extant RBI guidelines.

2.10 AS 24 – Discontinuing Operations

The Bank had an investment of 35% in India International Bank (Malaysia) Berhad (IIBM) with 1,15,50,000 no. of shares of MYR 10 each valuing ₹199.58 crore which is in the process of voluntary winding up. During the quarter ended December 31, 2025, an amount of USD 2,57,17,298.33 (Equivalent to ₹230.88 crore) was received by the Bank (being 35% share) towards interim capital distribution/repatriation which has been appropriated towards original investment of ₹199.58 crore and accordingly, as of 31.03.2026, the entire book value of investment in IIBM has been realised. IIBM therefore is no longer a Joint Venture in the books of the Bank.

2.11 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The software acquired by the Bank for core Banking systems and other services relating to Information Technology department are being capitalised under intangible assets and are amortized over 3 years.

2.12 Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interest in Joint Venture

India International Bank (Malaysia) Berhad (IIBM), was joint venture of the Bank and was under Members Voluntary Liquidation (MVL).During the year,the Bank received USD 25,717,298.33 (equivalent to ₹230.88 crore) towards capital distribution/repatriation, against its original investment of ₹199.58 crore. Accordingly, the entire book value of the investment has been realized, and the provision of ₹6.13 crore held against the investment has been reversed. IIBM is no longer a joint venture of the Bank.

The Bank is holding 18.06% in Universal Sompo General Insurance Company Ltd. Since the shareholding in the Company is less than 25%, the same has not been considered as Joint Venture for preparation of Consolidated Financial Results as per extant RBI guidelines.

2.13 Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

Sl No	Particulars	Brief Description
1	Claims against the bank not acknowledged as debts	The Bank is a party to various proceedings in the normal course of business. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Banks financial conditions, results of operations or cash flows. The Bank is also a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending.
2	Liability on partly paid-up investments/ venture funds	This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds. Bank is holding 11,055 equity Shares (SLR Investments) of M/s. Central Ware Housing Corporation Limited with face value of ₹1,000.00 per share as details below: • Face Value ₹1,10,55,000.00 • Book Value ₹98,95,000.00 Till date, the company has not called the remaining capital of ₹11,60,000.00. Hence, the uncalled capital amount of the company of ₹11,60,000.00 has been treated by the bank as Contingent Liability and accounted under the head as "Liability for Partly paid investments".
3	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Bank enters into foreign exchanges in its normal course of business to exchange currencies at a prefixed price at a future date. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. The notional amounts are recorded as Contingent liabilities with respect to the transactions entered with its customers, the Bank generally enters into off setting transactions in the interbank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
4	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial banking activities, the Bank issues documentary credits and guarantees on behalf of its customer. Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Bank. Guarantees generally represent irrevocable assurance that the bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations
5	Other items for which the Bank is contingently liable	The banks enter into currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with interbank participants on its own account and for customers. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on determined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as contingent liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts. Further, these also include estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, letter of comforts issued by the bank on behalf of associates & subsidiaries, banks liability under Depositors Education and Awareness Fund a/c and other sundry contingent liabilities.

II. ADDITIONAL DISCLOSURES

1. Lien Marked deposits as on 31.03.2026 for deposits held under lien is ₹16,603.93 crores (previous year ₹5,439.48 crores) against Loan, LG, LC and attached by Govt. authorities.

2. Inter Branch Reconciliation/internal office accounts

Reconciliation of Inter Branch transactions and internal/office accounts is under progress at different stages at the branches and/or Central Office Departments. Steps are being taken to eliminate the outstanding entries at the earliest. The necessary accounting adjustments if any required shall be carried out on the completion of such process. The management however does not anticipate any material consequential effect of pending reconciliation and elimination of outstanding entries.

3. Letters of Comfort (LoC)

During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LoC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and/or infuse further capital in order to restore the CRAR to a minimum of 12%, subject to approval from Reserve Bank of India. The assigned capital of Bangkok Branch stands at THB 2,20,00,00,000(23%) as on March 31st, 2026.

In the worst-case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA, branch has to make additional provision to the extent of THB 1.644 Mio being unsecured portion of standard textile advances. If this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount.

During the year 2010-11, the Bank has issued a letter of Comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other Joint Venture partners will provide support to India International Bank (Malaysia) Berhad in funding, business and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian laws, regulations and policies in the conduct of its business operations and management. The financial impact of the letter of Comfort issued to Bank Negara Malaysia is to the tune of our share of 35% of the paid-up capital of MYR 330 Mio i.e., MYR 115.500 Mio. As of 31.12.2025, the entire book value of investment in IIBM has been realized as part of voluntary winding up. IIBM therefore is no longer a Joint venture in the books of our Bank.

Based on the host country regulator's guidelines, Bank has issued letter of Comfort favoring CBSL at its meeting held on 12.09.2019 for meeting all obligations and liabilities arising out of business carried on by IOB Colombo Branch.

4. Provisions and contingencies

(Amounts in ₹. crore)

Particulars	2025-2026	2024-2025
Provisions for Non Performing Investment/Written back	0.09	0.00
Provision towards NPA	833.00	834.02
Provision towards Standard Assets	2,726.49	3,585.28
Provision for Restructured accounts	(0.43)	(21.26)
Provision made towards Income Tax (Including Deferred Tax)	1,059.99	1,177.01
Other Provision and Contingencies	198.95	(221.74)
Total	**4,818.09**	**5,353.31**

5. Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped/rearranged/reclassified wherever considered necessary.

Independent Auditors' Report

To
The Members of
Indian Overseas Bank

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements

OPINION

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Indian Overseas Bank ("the Parent"/"the Bank"/"the Group"), its associates, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2026, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated financial statements") which includes:

   a) Audited Standalone Financial Statements of the Bank;

   b) Audited Financial Statements of Associates (Odisha Grameen Bank (Regional Rural Bank) & Acer Credit Rating Pvt Ltd.)

   In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us and based on the consideration of the report of the other auditors on separate financial statements of the associates, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI Guidelines") and the applicable Accounting Standards in the manner so required for the Group and its associates and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give :

   a) true and fair view in case of the Consolidated Balance sheet, of the state of affairs of the Group and its associates as at March 31, 2026;

   b) true balance of Profit of the Group and its associates, in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and

   c) true and fair view of the cash flows of the Group and its associates, in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

BASIS FOR OPINION

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its associates in accordance with the "Code of Ethics" issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence obtained by us along with the consideration of audit reports of other auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

EMPHASIS OF MATTER

3. We draw attention to Note No. 2.8 in Schedule 18 of Consolidated Financial Statements regarding carried balance of ₹2,780.97 crore relating to Deferred tax asset and reversal of ₹1,050.14 crore during the year on estimated basis and the management's assessment of the realizability of the carried balance of the Deferred tax asset as on March 31,2026.

   Our opinion is not modified in respect of above matter.

4. Key Audit Matters

   Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report with reference to the Key

Audit Matters identified by the Principal Auditors along with the Key Audit Matters reported by the component auditor which, in our opinion, are material.

I. Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Schedule 9 to the financial Statements)

The net advances of the Bank constitute 64.78 percent of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA) except in case of foreign offices in which case the classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRACP norms as per its accounting policy followed.

Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing.

Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non- performing assets.

The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms are not properly followed.

Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/judgement involved in valuation of securities and calculation of provisions, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements.

Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing including the following:

a) We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and had accordingly planned our audit procedures.

b) The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norms in respect of the top 20 branches allotted to us. In carrying out substantive procedures at the branches allotted to us, we have examined large advances/stressed advances while other advances have been examined on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management.

c) Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank.

d) Relied on the returns received from the branches not subject to audit and in that regard reviewed the internal monitoring mechanisms/ systems of the Bank to satisfy the correctness of the sample data made available to us and ensured exceptions/deviations/errors noticed during our audit procedures were adequately considered by the Bank.

e) Test checked the identification and provisioning of non-performing assets and corresponding reversal of income, in accordance with RBI Guidelines issued from time to time.

f) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms.

g) Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI.

h) We have also relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected by the Bank.

i) Review of files of the borrowers selected on sample basis and operations of such accounts.

j) Performing relevant analytical procedures.

k) Test checking of interest application, levying of other charges, commission etc

l) Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

II. Information Technology (IT)and controls impacting financial Reporting

The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently.

Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.

Technology (IT) systems are used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which are highly dependent on IT systems. There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, hence considered as a key audit matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

Our audit procedures include assessment and identification of key IT applications, and further verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system on the basis of reports/returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis. Our audit procedures included:

a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit.

b) Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.

c) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidence.

d) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits.

e) Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.

f) Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IT Department on compliance with key IT controls.

III. Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 to the financial Statements)

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds,

Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.

Investments constitute 25.31 percent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc.

Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/ depreciation related to Investments.

Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on:

a) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments.

b) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample.

c) Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the latest available financial statements or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines.

d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision.

e) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.

IV. **Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Schedule 12 to the financial Statements)**

The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in Tax and non-tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outflow in such matters.

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet.

We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/interpretation of law involved.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

a) We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters.

b) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax/non tax positions.

c) Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Bank in relations to such disputed tax positions.

d) Read and analysed select key correspondences, internal/external legal opinions/consultations by management for key disputed non tax matters.

e) Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/ other corporate.

f) Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions.

g) Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases.

5. **Other Matters**

The consolidated financial statements include the Group's share of net profit of ₹210.43 Crores for the year ended on 31st March, 2026, as considered in the Consolidated Financial Statements in respect of Associates, whose financial statements/information have not been audited by us. This financial statements/ financial information has been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of associates is based solely on the report of such auditors.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the report of the other auditors.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

INFORMATION OTHER THAN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITORS' REPORT THEREON

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises Directors' Report, Corporate Governance report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon. The other information is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the Consolidated financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Directors' Report, Corporate Governance report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

7. The Bank's Board of Directors are responsible for the preparation and presentation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flow of the Group, its associates in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards, provision of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and its associates and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

   In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates are responsible for assessing the ability of the Group and its associates to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and its associates.

AUDITORS' RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

   - Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

   - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

   - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

   - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such

disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group and its associates to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance of the Bank and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

9. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account of the Bank have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5, 7 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, based on our audit and on the consideration of reports of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of associates, as noted in the 'other matters' paragraph, we report, to the extent applicable, that;

    a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank and;

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. As required by the letter no. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks-Reporting obligations for SCAs from F.Y. 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

    a) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) As the Bank and one of its associates are not registered under the Companies Act, 2013, the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.

On the basis of the report of the statutory auditor of associate company other than Government Company to the extent incorporated in India, none of the directors of the associate company incorporated in India is disqualified as on 31st March, 2026 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) As per para 1.14 of the "Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks" issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply to the Standalone financial statements of public sector bank. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over financial reporting with reference to Consolidated financial statements.

12. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and report of the other auditors and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from branches not visited by us;

c) The reports on the accounts of the branch offices auditedbybranchauditorsoftheBankundersection29oftheBankingRegulationAct,1949havebeensenttousandhavebeenproperlydealtwithbyusinpreparingthisreport;

d) in our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W

Anand Golas
Partner
M. No.: 400322
UDIN: 26400322OZATES9332

For Laxmi Tripti & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009189C

L N Agrawal
Partner
M. No.: 078427
UDIN: 26078427SRXQGM4291

For Tej Raj & Pal
Chartered Accountants
FRN: 304124E

Dinakar Mohanty
Partner
M. No.: 059390
UDIN: 26059390NWIVVU4944

For Sanjeev Omprakash Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN: 008773C

Vikas Mittal
Partner
M. No.: 407833
UDIN: 26407833ZCMPDN3228

Place: Chennai
Date: 29.04.2026

PILLAR-3: DISCLOSURES UNDER BASEL III AS ON 31.03.2026

In accordance with Reserve Bank of India (Commercial Banks - Prudential Norms on Capital Adequacy) Directions, 2025 as amended, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements. The Bank has made these disclosures which are available on its website www.iob.bank.in at the following link: https://www.iob.bank.in/en/basel-iii-disclosure

The section contains following disclosures: -

Tables	Particulars
DF- 1	Scope of Application
DF- 2	Capital Adequacy
DF- 3	Credit Risk: General Disclosures for All Banks
DF- 4	Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach
DF- 5	Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach
DF- 6	Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach
DF- 7	Market Risk in Trading Book
DF- 8	Operational Risk
DF- 9	Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
DF- 10	General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk
DF- 11	Composition of Capital
DF- 12	Composition of Capital- Reconciliation Requirements
DF- 13	Main Features of Regulatory Capital Instruments
DF- 14	Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments
DF- 15	Disclosure Requirements for Remuneration
DF- 16	Equities – Disclosure for Banking Book Positions
DF- 17	Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure
DF- 18	Leverage Ratio Common Disclosure Template

BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT

Business Responsibility and Sustainability Report as required by SEBI has been prepared and hosted on the website of the Bank that is www.iob.bank.in under the following link:

https://www.iob.bank.in/documents/d/guest/iobBRSR_2025-26

DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

In terms of clause 43A of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available on Bank's website www.iob.bank.in under the following link:

https://www.iob.bank.in/documents/d/guest/dividend-distribution-policy

GREEN INITIATIVE – APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding shares in dematerialized mode and whose e-mail addresses are not registered are requested to register their e-mail addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their Depository Participants.

Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their e-mail addresses and mobile numbers with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Cameo Corporate Services Ltd, (Unit-Indian Overseas Bank), Subramanian Building, V Floor, No.1 Club House Road, Chennai – 600 002, Telephone: 044 - 4002 0700 or through Online Investor Portal: https://wisdom.cameoindia.com,Website: www.cameoindia.com

The Form ISR-1 is available on the website of the Bank at https://www.iob.bank.in/en/important-information-shareholder

NOTES

NOTES

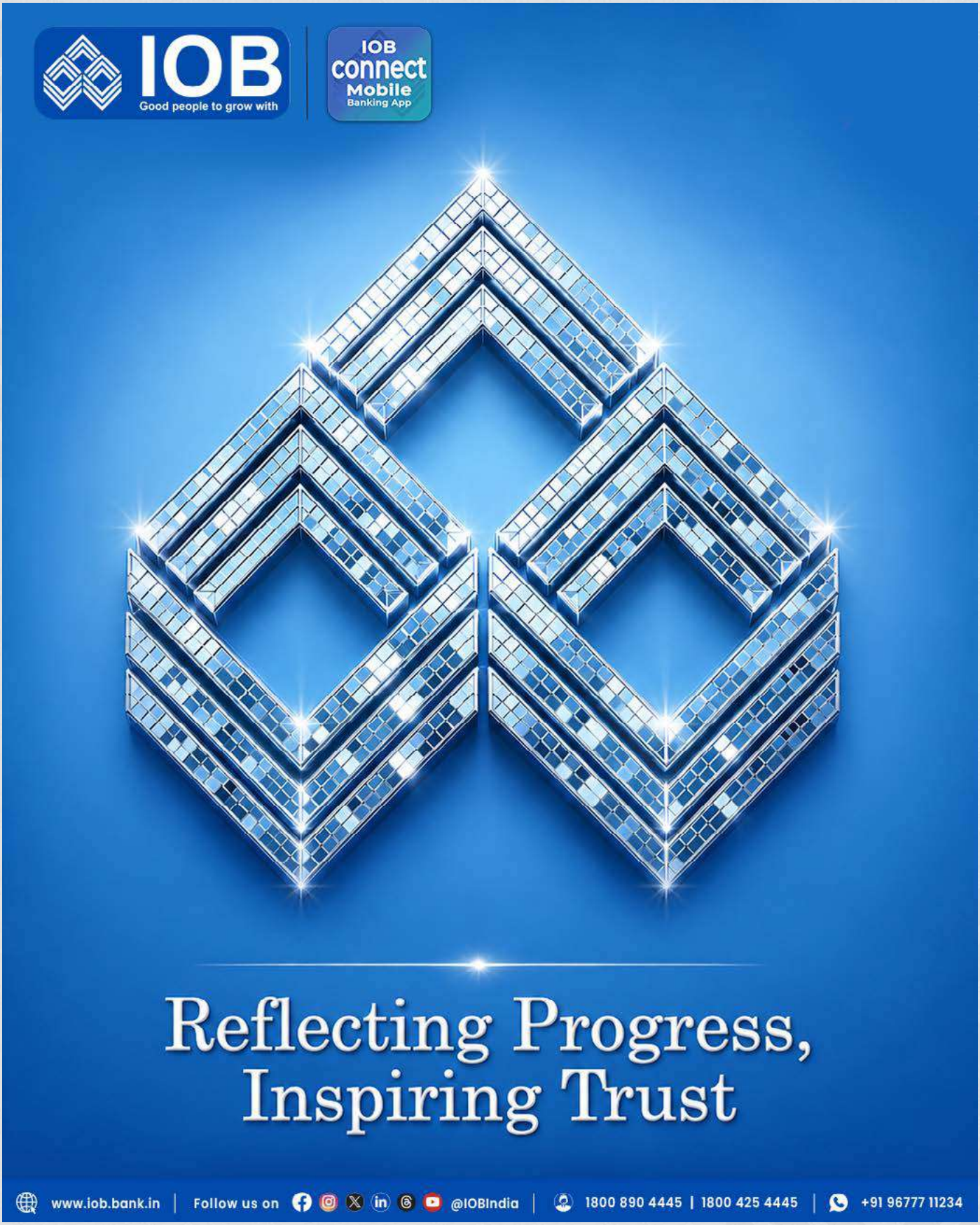

An Creation
ADWIN ADVISORY
www.adwinadvisory.com

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with

www.iob.bank.in

Follow us on:

Central Office Address: 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

Phone: +91-44-2852 4212 | Toll - Free No : 1800 890 4445 / 1800 425 4445